

# भार्गव सभा का इतिहास

(सन् 1889-1989 ई.)



डॉ. शान्ति प्रसाद भार्गव

एम.ए. (इतिहास व राजनीति शास्त्र)

एल.एल.बी., पी-एच.डी.

आई.पी.एस. (रिटायर्ड) पी.पी.एम.

भूतपूर्व अतिरिक्त पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस,  
राजस्थान, जयपुर

प्रकाशक

अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

प्रथम प्रकाशन : भार्गव सभा के शताब्दी समारोह वर्ष 1989 के अवसर पर

पुनः मुद्रण : भार्गव सभा के 125वें स्थापना वर्ष 2014 के अवसर पर

सर्वाधिकार सुरक्षित : अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

पूर्व मूल्य 30/- रु.

वर्तमान मूल्य 100/- रु.

मूल प्रकाशन : 1989

पुनः मुद्रण : 2014

**पूर्व मुद्रक :**

सुभाष चंद्र भार्गव  
मदरलैंड प्रिंटिंग प्रेस,  
गीता भवन, आदर्श नगर,  
जयपुर

**वर्तमान मुद्रक :**

रैक्मो प्रेस प्रा. लि.  
सी-59, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1  
नई दिल्ली-110020

[illegible]

## भूमिका

भार्गव सभा एवं भार्गव सभा के इतिहास का अपने आप में एक महत्व है।

भार्गव सभा देश की उन अपूर्व एवं अनुपम संस्थाओं में से एक है जो 100 वर्षों तक समाज की निरन्तर सेवा करते रहने पर भी, आज उससे अधिक नहीं तो, कम से कम उतने ही प्रभावशाली ढंग से कार्यरत है, जैसे कि प्रारम्भ में थी। अतः यह विचार करना आवश्यक है कि मूलतः इस संस्था में कौन सी ऐसी जीवन शक्ति निहित है जिसके कारण इतनी दीर्घ आयु होने के उपरान्त भी युवावस्था, सुलभ उत्साह एवं शक्ति से परिपूर्ण है।

इसी प्रकार भार्गव सभा के इतिहास का भी अपने आप में एक महत्व है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही निरन्तर राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक उथल-पुथल होती रही है, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय समाज की किसी भी जाति का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। किसी भी जाति का इतिहास केवल कतिपय महापुरुषों की उपलब्धियों पर ही आधारित न होकर उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के क्रमिक आविर्भाव का विवरण होता है तथा अधिकांशतः यह विवरण खंडों में ही उपलब्ध हो पाता है। भार्गव सभा का इतिहास वास्तव में भार्गव जाति के लगभग सौ वर्षों के सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक विकास की कहानी ही है एवं इसी परिपेक्ष्य में सभा के इतिहास का अध्ययन एवं आकलन किया जाना चाहिए।

भार्गव सभा के इतिहास की एक अन्य विशेषता यह है कि गत सौ वर्षों की गतिविधियों का विस्तृत विवरण, छपी हुई पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है, जो सम्भवतः इसकी किसी भी अन्य समकालीन संस्था के विषय में उपलब्ध नहीं होगा। यदि आजकल की सभा व सम्मेलनों की कार्यवाहियों के विवरण की तुलना उनसे की जाए, तो आश्चर्य होता है कि बिना आशुलिपिक अथवा टेप रिकार्डर की सुविधाओं के, इतना विस्तृत विवरण किस तरह सम्भव हो सका था। वास्तव में जब तक सभा व सम्मेलनों की बैठकों की कार्यवाहियों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं हो, तब तक तत्कालीन विचारधारा का पता ही नहीं चल सकता है। इसी दृष्टि से सभा की प्रारम्भिक 40-50 वर्षों की कार्यवाहियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार जाति की विचारधारा एवं लक्ष्यों का समय-समय पर विकास हुआ एवं किस प्रकार उसकी गतिविधियों में परिवर्तन होते रहे। वर्तमान एवं भविष्य का अतीत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। भविष्य में प्रगति के दिशा निर्धारण करने के लिए अतीत की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का समुचित आकलन करना अनिवार्य होता है। परन्तु इस प्रचुर सामग्री का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सबसे बड़ी कठिनाई उसकी अरबी व फारसी भाषा का सम्मिश्रण है, जिसके जानने वाले दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और जो थोड़े बहुत हैं भी, उनका भी लाभ उठाये जाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी यथासम्भव इस सामग्री का अधिकतम उपयोग कर सभा की गत सौ वर्षों की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

भार्गव सभा द्वारा निर्मित इतिहास उपसमिति ने शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर, डॉ. दयानन्द भार्गव प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा लिखित नाटक 'भृगुवंश' प्रकाशित किया था। इस नाटक का सभी क्षेत्रों में स्वागत हुआ है एवं इसी वर्ष जोधपुर में इसका मंथन भी सफलतापूर्वक किया गया है जिसकी प्रशंसा अंग्रेजी व हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में की गई है तथा दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रम में इसका रिव्यू भी कराया गया है। अब इस उपसमिति द्वारा दूसरी पुस्तक "भार्गव सभा का इतिहास" प्रस्तुत की जा रही है।

इस पुस्तक को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। 'भार्गव भूषण' पं. कैलाशनाथ जी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भार्गव सभा तो इस प्रयास के प्रेरक एवं मार्गदर्शक रहे ही हैं तथा इतिहास उपसमिति के माननीय सदस्य, विशेष रूप से पं. विष्णु नारायण जी जयपुर, डॉ. दयानन्द जी जोधपुर, श्री रमेश जी जयपुर व पं. राधारमण जी जयपुर ने समय-समय पर उपसमिति की बैठकों में भाग लेकर सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है। पं. विष्णु नारायण जी जयपुर, वैद्य पं. मोहनलाल जी जयपुर, पं. सरस कृपाल जी अलवर, पं. कुंवर कृष्ण जी इलाहाबाद, पं. कृष्ण जीवन जी व पं. अम्बे प्रसाद जी जयपुर ने स्वतः ही जो आवश्यक एवं उपयोगी सामग्री उनके पास उपलब्ध थी निःसंकोच भाव से प्राप्त कराई तथा भार्गव सभा कार्यालय से सभी आवश्यक साहित्य प्राप्त हुआ। पं. राधा रमण जी भार्गव रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीफोन्स ने महीनों तक उर्दू की रिपोर्टें एवं पत्रिकाओं को पढ़ कर सुनाया तथा मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रतन देवी ने भाषा को परिमार्जित कर उसे गति प्रवाह प्रदान करने में अमूल्य सहायता दी है। इस पुस्तक के मुद्रण में मदरलैण्ड प्रिंटिंग प्रेस जयपुर का योगदान भी प्रशंसनीय रहा है। मैं इन सभी के प्रति आभारी हूँ।

मुझे इस बात का भी संतोष है कि भार्गव सभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर यह श्रद्धा सुमन प्रस्तुत कर, किसी हद तक मैं सभा के ऋण से उन्मुक्त हो सका हूँ।

ईश्वर इस महान संस्था को सदैव जाति एवं समाज की सेवा कार्य में गतिशील रखे।

‘शान्ति शिखर’,  
5बी-169, गांधीनगर मार्ग,  
जयपुर-15  
31-12-1989

शान्ति प्रसाद

## विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
	भूमिका	v
1.	पूर्वाभास	1
2.	भार्गव सभा की स्थापना	13
3.	सभा का संगठन	20
4.	कांफ्रेंस-संगठन, उपयोगिता एवं नियमानुपालन	32
5.	सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्ध	43
6.	सभा व कांफ्रेंस/सम्मेलन के अधिवेशन	53
7.	सामाजिक सुधार एवं समस्याएँ	80
	(i) वैवाहिक सुधार	81
	(ii) विधवाओं व अपाहिजों की सहायता	84
	(iii) विधवा विवाह	86
	(iv) नैतिक सुधार एवं संस्कार निर्माण	88
	(v) सवर्ण एवं अन्तर्जातीय विवाह	92
	(vi) अन्य लोगों का समाज में मिलाया जाना	99
8.	शिक्षा का प्रसार	107
9.	महिला शिक्षा एवं प्रगति	121
10.	व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयास	129
11.	भार्गव पत्रिका	136
12.	जाति निर्णय	147
13.	जनगणना	162
14.	भार्गव सभा आगरा व भार्गव सभा रिवाड़ी का एकीकरण	168
15.	सभा और किशोरी रमण पाठशाला, मथुरा	172
16.	स्थानीय सभाएँ एवं अन्य संबद्ध संस्थाएँ	176
17.	सभा का शताब्दी वर्ष एवं वार्षिक अधिवेशन	182
18.	भार्गव सभा की प्रगति के कर्णधार	189
19.	उपसंहार	235

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
---------	-------	--------

## परिशिष्ट

i.	संदर्भ परिचय	241
ii.	ऐतिहासिक तिथियाँ	243
iii.	भार्गव सम्मेलनों के अध्यक्षों की सूची	246
iv.	भार्गव सभा के सभापतियों की सूची	249
v.	भार्गव सभा के मन्त्रियों/प्रधान मन्त्रियों की सूची	250
vi.	समाज सुधार उपसमिति के मुख्यालय एवं पदाधिकारियों की सूची	251
vii.	शिक्षा उपसमिति के मुख्यालय व पदाधिकारियों की सूची	253
viii.	सभा से सम्बद्ध संस्थाएँ	
	(अ) अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा	255
	(ब) अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ	258
ix.	स्थानीय सभाओं का विवरण	
	(अ) कानपुर भार्गव सभा, कानपुर	261
	(ब) दिल्ली भार्गव सभा	265

## 1. पूर्वाभास

भार्गव सभा का इतिहास भार्गव जाति के संगठन का इतिहास है। किस तरह एक बिखरी हुई, एवं अपने आप को भूली हुई, जाति संगठन एवं एकता के सूत्र में बँध कर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुई, यही सब भार्गव सभा के सौ वर्ष की कहानी है।

पानीपत के मैदान में सन् 1556 ई. में सम्राट हेमू की पराजय के पश्चात् उनकी जाति के सभी लोगों को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाने लगा, और उन्हें विभिन्न यातनाओं का शिकार होना पड़ा। सिंहासनारूढ़ होते ही अकबर ने हेमू की जाति के सभी दूसरों को बन्दी बनाने के आदेश दे दिए। यह दमन इतना व्यापक था कि दिल्ली, रिवाड़ी व उनके आसपास के क्षेत्र में कोई 'दूसर' नहीं मिल सकता था। कहते हैं कि, इन अत्याचारों की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुँची कि जब कोई दूसर नहीं मिला तो ढाक के पेड़ भी काट डाले गए। इस आपत्ति काल में परिवार के परिवार छिपते-छिपाते, भागते-फिरते अन्यत्र जा बसे, और अपने अस्तित्व को छिपाने के प्रयत्न में लग गए। एक को दूसरे का कुछ पता-ठिकाना मालूम नहीं रहा कि कौन कहाँ गया और कौन कहाँ, और यह भी किसी को पता नहीं रहा कि अपनी असली हालत बताना कब ठीक रहेगा। जो पकड़े गए उन्हें बन्दी बनाकर अकबर के सामने लाया गया, और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करने के प्रयत्न किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। केवल एक दूसर बच गया था, जो कि मथुरा-वृन्दावन में हित-हरिवंशी संत नवलदास जी थे, और तपस्या आदि में संलग्न थे। उनको भी पकड़ कर अकबर के सन्मुख लाया गया, और यह पूछने पर कि उनकी जाति क्या थी, उन्होंने कहा कि 'सन्तों की तो कोई जाति नहीं होती, वे अन्तर्यामी होते हैं, और उन्हें हथकड़ियों व बेड़ियों से जकड़ा नहीं जा सकता।' बादशाह इन गूढ़ बातों को समझ नहीं सका, और उसने संत नवलदास जी को अँधेरी कोठरी में डाल दिया, व भोजन आदि भी नहीं दिया। तीसरे दिन जब बादशाह कोठरी में गया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ केवल हथकड़ी-बेड़ी ही पड़ी थी और नवलदास जी वृन्दावन पहुँच चुके थे। इस प्रकार संत नवलदास जी के योगबल से चमत्कृत होकर सम्राट अकबर ने बन्दी बनाये हुए सभी दूसरों को छोड़ दिया एवं बहुतों को जीवन यापन के साधन भी प्रदान किए। वृन्दावन निवासी भार्गव महात्मा के कहने से ही अकबर ने महीपाल को कानौड़ की कानूनगोई व जयपाल को रिवाड़ी की चौकड़ायत बख्शी। इस प्रकार यद्यपि महाराजा नवलदास जी के तपोबल से दूसरों पर मुगलों का कोप तो कम हो गया, परन्तु वे अपना मनोबल व असली रूप फिर से धारण न कर सके।

जब अकबर पकड़े गए दूसरों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य न कर सका तो, उसने उन सब की जनेऊ उतरवा दी और ब्राह्मण धर्म छुड़वा दिया, और उन्हें कौम बक्काल मनोनीत किया। बादशाह के डर से जब बिना प्रायश्चित्त किए, जनेऊ पहनना छोड़ने के भ्रष्ट संस्कार से दूसर शुद्ध नहीं हो सके, तो ब्राह्मणों ने उनको गायत्री व जनेऊ का अधिकार भी नहीं दिया। यहीं से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई,



जिसके परिणामस्वरूप दूसर जाति के लोगों को स्वयं ब्राह्मण होने का सन्देह होने लगा, और मुगल शासन के वातावरण में ऐसे लिप्त हो गए कि, अपने पूर्व का गौरव व संस्कार सभी भूल गए और यह भी याद नहीं रहा कि वे क्या थे और क्या हो गए। शादी-विवाह में मुसलमानी वस्त्र पहनना प्रारम्भ हो गया, व फारसी पढ़कर अपने धर्म, कर्म और वर्ण की सब बातें भूल गए। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के आते-आते केवल यही याद रहा कि वे केवल दूसरे थे, न कि ब्राह्मण अथवा वैश्य। इस प्रकार बादशाह ने धर्म छुड़ाया, शास्त्रीय विद्या अर्थात् संस्कृत जाति से जाती रही व ब्राह्मण धर्म के अनुसार जीवन शैली समाप्त प्रायः हो गई।

जब तक मुगल साम्राज्य उन्नति के शिखर पर था, किसी भी दूसरे परिवार को अपने को प्रगट करने का साहस न हुआ, और जो-जो काम जिस वंश ने किया अथवा जिसके आश्रित रहे, वे अपने को उसी के नाम यानी अल्ल से प्रगट करते रहे। परन्तु अंगरेजी शासन काल में जब महारानी विक्टोरिया ने राज्य की बागडोर सम्भाली और देश में मार-काट बन्द होकर शान्ति का राज्य हुआ, तब हर एक जाति को अपनी अवनति का भान हुआ, और वे अपने को सम्भालने लगी।

इस समय भार्गव जाति के लोग अधिकांश उत्तरी भारत के छोटे-छोटे गाँवों में व कतिपय कस्बों में रहते थे तथा आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के कारण, न तो एक को दूसरे का पता था, और न ही उनमें पारस्परिक सम्पर्क के, विवाह आदि के अतिरिक्त, अन्य कोई अवसर थे। शिक्षा के अभाव व प्रचलित अन्ध विश्वासों एवं परम्पराओं पर आधारित सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे जाति के आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध ही हो चुका था। आर्थिक व सामाजिक स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी, और धीरे-धीरे परिवार के परिवार नष्ट प्रायः होते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में यदि भटकी हुई और अपने आप को भूली हुई भार्गव जाति को जीवित रहना था, तो उसके लिये संगठित रूप से आगे बढ़ने के प्रयत्नों के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था।

यद्यपि आधुनिक भारत के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानसिक जागृति एवं चेतना का युग था, और उसका थोड़ा बहुत प्रभाव भार्गव जाति पर भी पड़ना अनिवार्य था, किन्तु अपने आप को भूली हुई, व अपने विगत दैदीप्यमान गौरव से अनभिज्ञ-सी हुई जाति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रेरणा की आवश्यकता थी, और वह भी ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही पूरी हुई। सौभाग्यवश इस समय अकबराबाद में, जिसे अब आगरा कहते हैं, भार्गव जाति की तीन ऐसी महान् विभूतियाँ हुईं, जिनको उर्दू एवं फारसी के साथ देव वाणी संस्कृत का भी पूर्ण ज्ञान था। ये थे पं. ज्वाला प्रसाद जी, पं. चतुर्भुज सहाय जी व पं. गणेशीलाल जी। ये लोग भार्गव जाति के असली रूप की खोज में लग गए, और महाभारत व अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों से खोज कर, पं. ज्वाला प्रसाद जी ने 'भृगु कुल दीपिका' व गणेशीलाल जी व चतुर्भुज सहाय जी ने 'च्यवन कुल प्रकाश' आदि ग्रन्थों का संकलन किया, और यह प्रमाणित कर दिया कि दूसरे च्यवन ऋषि के वंशज थे। इस प्रकार जहाँ एक ओर संस्कृत के विद्वान् जाति निर्णय के प्रयत्नों में संलग्न थे, दूसरी ओर जयपुर निवासी मु. पन्ना लाल जी व मु. हीरा लाल जी सामाजिक सुधार के उद्देश्य को लेकर संगठनात्मक प्रयत्नों की ओर अग्रसर हो रहे थे।

वास्तव में संयुक्त एवं संगठित रूप से जाति के सुधार व उसकी उन्नति के प्रयास का विचार सर्वप्रथम उस समय उत्पन्न हुआ था, जब कि सन् 1880 ई. में अलीगढ़ से पं. लक्ष्मण प्रसाद जी के सुपुत्र की बारात, लखनऊ मु. नवल किशोर जी के भाई पं. फूलचन्द जी के यहाँ गई थी। सौभाग्यवश इस बारात में राय सालगराम जी एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिशनर भी उपस्थित थे। बढ़ार व न्यातगुरी के अवसर पर स्थानीय जाति के भी अनेक सज्जन उपस्थित थे। उस समय राय सालगराम जी व मु. नवल किशोर जी में चर्चा चली कि वे लोग विवाह के अवसर पर बहुत सी व्यर्थ की बातों पर, जैसे नाच-रंग, फूल-फुलवाड़ी, आतिशबाजी व रोशनी आदि में हजारों रुपये खर्च करते थे, क्या ही अच्छा हो कि ऐसे शुभ अवसरों पर यह धन जाति के हित व उन्नति के लिए दिया जाया करे, और जब यह रुपया काफी हो जाए तो उससे अपनी जातीय सभा द्वारा असहाय विधवाओं, यतीम अथवा साधनहीन बच्चों व जातीय शिक्षा की वृद्धि में सहायता दी जावे। यह मत सभी उपस्थित महानुभावों को अच्छा लगा।

इन विचारों को मूर्त रूप देने की दिशा में सन् 1881 ई. में सर्वप्रथम प्रयत्न करने का श्रेय जयपुर, मथुरा व रिवाड़ी के लोगों को ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार भार्गव सभा की औपचारिक स्थापना से 7-8 वर्ष पूर्व ही जाति में सुधार व उत्थान के लिये संगठनात्मक गतिविधियों का सूत्रपात हो चुका था। इन गतिविधियों से यह स्पष्ट आभास मिलता है कि हमारे पूर्वज तत्कालीन चेतना व जागृति से प्रेरित होकर किस प्रकार जाति की उन्नति के प्रयत्नों में संलग्न हो गये थे। अतएव भार्गव सभा की स्थापना को समुचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिये यह आवश्यक है कि उसके पूर्व की गतिविधियों पर एक दृष्टि डाली जाए।

**जयपुर भार्गवी सभा**—संस्कृत के बड़े विद्वान् एवं आगरा से भृगुकुल दीपिका के प्रकाशक पं. ज्वाला प्रसाद जी की प्रेरणा से सन् 1881 ई. में जयपुर भार्गवी सभा की स्थापना जाति की उन्नति एवं सामाजिक रीति-रिवाजों तथा रहन-सहन के ढंग में सुधार करने के उद्देश्य से हुई। इसके प्रथम प्रेसिडेंट मु. कन्हैयालाल जी व सैक्रेट्री मु. पन्नालाल जी (नाजिम) थे। यद्यपि यह सभा जयपुर में स्थापित हुई थी, लेकिन इसके सदस्य उत्तरी भारत के अन्य स्थानों से भी थे, और वे इस सभा की गतिविधियों में विशेष रुचि रखते थे, तथा नियमित रूप से सक्रिय सहयोग भी देते थे। अन्य स्थानों से कतिपय सदस्य सज्जनों के नाम इस प्रकार थे:- (1) मु. गुलजारीलाल जो तहसीलदार बकानी झालावाड़ (2) राय सालगराम जी झज्जर (3) पं. दुर्गा प्रसाद जी असिस्टेन्ट कलेक्टर नूरेनी (जिला बिजनौर) (4) मु. रामजी दास जी कानौड़, (5) सेठ दामोदरलाल जी झज्जर, (6) मु. नरसिंह दास जी बिलोनिया (अलवर) (7) पं. चतुर्भुज जी भार्गव शर्मा दरोगा चुंगी, अजमेर, (8) मु. गिरधरलाल जी आगरा (9) मु. शिव नारायण जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रिवाड़ी, निवासी मेरठ, (10) मु. छीतरमल जी सदर कानूनगो कानौड़ (11) मु. गणेशीलाल जी एकाउन्टेंट कैनाल, वैस्ट यमुना दादूपुर (करनाल) तहसील जगाधरी आदि।

इस सभा की अपनी एक नियमावली थी, जिसके अनुसार यह सभा उन सभी विषयों के लिए स्थापित की गई थी, जो जयपुर में रहने वाले च्यवन वंशी दूसरों से सम्बन्धित थे अथवा उन च्यवन वंशी दूसरों से भी, जो अन्य स्थानों पर भी रहते थे। इसके उद्देश्य जाति की उन्नति व सम्पन्नता के साधन जुटाना था। प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय जयपुर में रहता था, और वे सभी जो भविष्य में वहाँ आकर रहें,

सदस्य बनाए जा सकते थे। जो व्यक्ति दूसरी जगहों पर रहते थे, वे भी यदि तन-मन-धन से सभा की सेवा करते और नियमानुपालन स्वीकार करते, तो सभा उन्हें भी सदस्य बना सकती थी। जो लोग चन्दा नहीं भी देते परन्तु किसी अन्य प्रकार से सभा की सेवा करते तो उन्हें भी सदस्य बनाया जा सकता था। अन्य जाति के लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर सभा में सम्मिलित किया जा सकता था। ऐसे विषयों पर जो समस्त जाति से सम्बन्धित होते, उनमें सभी लोग स्थानीय अथवा बाहर वाले आपत्तियाँ व सुझाव लिखित में सभा की बैठक में पेश कर सकते थे।

यदि सभा का कोई साधारण सदस्य नियमावली के प्रतिकूल आचरण करता था, तो वह सभा की सदस्यता के योग्य नहीं समझा जाता था। सभा की बैठक प्रति माह पहली तारीख को होती थी।

सभा का एक जलसा 1 अक्टूबर सन् 1881 ई. को मु. कन्हैयालाल जी के निवास स्थान पर हुआ, जिसमें पं. दीनदयाल जी नक्शा नवीस, जिला रोहतक के पत्र पर, जिसमें उनका सुझाव था कि अपनी जाति के लोग अपने नाम के साथ 'भार्गव' लिखा करें, विचार हुआ और निर्णय लिया गया कि अपने वर्ण के पक्ष में सबूत इकट्ठे किये जाएँ, व जाति के प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों से जैसे (1) मु. नवल किशोर जी, लखनऊ, (2) मु. गिरधरलाल जी, आगरा, (3) राय सालगराम जी, झज्जर, (4) राय गंगाशरण दास जी, दिल्ली व (5) मु. बन्शीधर जी वकील अजमेर आदि से भी निवेदन किया जाए कि वे भी इस ओर ध्यान देकर आवश्यक प्रयत्न करें।

1 दिसम्बर सन् 1881 ई. को हुई बैठक में सभा के प्रधान मु. कन्हैयालाल जी की इसी विषय के सम्बन्ध में रिपोर्ट पढ़ी गई, जिसमें कहा गया था कि कुल चार वर्ण थे, जिनमें शूद्रों के अलावा अन्य तीनों द्विज थे। यदि दूसरों को वैश्य समझा जाता था, तो दूसर वंश की तरह वैश्यों के वंश की उत्पत्ति का हाल किसी ग्रन्थ में क्यों नहीं दर्ज किया गया था, और न ही यह कहीं प्रगट किया गया था कि इस जाति का विकास अमुक वैश्य की कन्या व अमुक वैश्य पुरुष से हुआ था। इसके अतिरिक्त वैश्यों व क्षत्रियों के गोत्र पुरोहितों या गुरुओं के गोत्र ही होते थे। मोरस के नाम पर गोत्रान इन दोनों वर्णों में नहीं होते, केवल ब्राह्मणों के गोत्र मोरस के नाम पर होते थे। दूसरों के गोत्र भी मोरस के नाम पर थे, पुरोहित व गुरु के नाम पर नहीं। इससे यह स्पष्ट था कि दूसर जाति न क्षत्रिय थी और न वैश्य। दूसरों को वैश्य बताने का कारण यह हो सकता था कि पूरब में वैश्यों का एक वर्ग दूसर महाजन कहलाता था। दूसर शब्द दूसर के समान समझकर अज्ञानी लोगों ने यह विचार बना लिया था कि जैसे दूसर महाजन थे वैसे ही दूसर भी महाजन होंगे। च्यवन वंशी दूसरों की वंशावली थी, इसलिये ये लोग ब्राह्मण ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं था।

1 मार्च सन् 1882 ई. को हुई बैठक में प्रचलित रीति-रिवाजों पर विचार हुआ और निर्णय लिया गया कि कुआँ पूजन व चाक-भात की रस्में अपने-अपने घरों पर ही सम्पादित की जाएँ, व भाजी बाँटने के लिए जातीय अथवा पारिवारिक महिलाओं की जगह विश्वसनीय सेवकों को ही भेजा जाए। ये सबसे पहली प्रथाएँ थीं जिन्हें रोकने का प्रयत्न भी किया गया था, और जिसका उद्देश्य महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना था।

1 अप्रैल सन् 1882 ई. को हुई बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी बैठक में अधिकांशतः उन पत्रों पर विचार हुआ, जो विभिन्न महानुभावों से प्राप्त हुए थे एवं जिन से उस समय की विचारधारा एवं भविष्य में जाति की प्रगति के दिशा निर्देशों के स्पष्ट संकेत मिलते थे, और इसी लिये इन पत्रों के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

मु. गणेशीलाल जी दादूपुर, करनाल ने अपने पत्र दिनांक 6 मार्च सन् 1882 ई. में जयपुर व मथुरा की सभाओं की सराहना की, और सुझाव दिए कि:-

- (1) हर नगर में जहाँ भार्गव परिवारों की पर्याप्त संख्या हो, वहाँ एक सभा स्थापित की जानी चाहिये, व इन सभाओं में से एक को केन्द्रीय सभा निर्धारित किया जाना चाहिये;
- (2) एक नेशनल फंड की स्थापना होनी चाहिये जिससे बेवाओं व यतीमों की सहायता एवं सम्पूर्ण जाति के कल्याण एवं उन्नति के कार्य किये जा सकें। यदि पर्याप्त धन एकत्रित हो सके तो एक कॉलेज व बोर्डिंग हाउस की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, अथवा योग्य तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सभा के व्यय पर व्यावहारिक व टैक्निकल शिक्षा के लिये भेजा जाना चाहिये एवं इन विद्यार्थियों को रोजगार मिलने पर सभा के कोष में योगदान देना चाहिये।

सभा के सदस्यों ने इन सुझावों पर सहमति प्रगट की व निर्णय लिया कि इनकी प्रतिलिपि सब लोगों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी जाए।

राय सालगराम जी झज्जर ने अपने पत्र दिनांक 5 मार्च सन् 1882 ई. में लिखा कि, (1) भार्गवों को वैश्य समझा जाता था, इसका विरोध किया जाना चाहिये व उनके ब्राह्मण होने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने चाहिये। (2) सभा के निर्णयों का पालन न करने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान होना चाहिये, ताकि वास्तविक प्रगति हो सके:

पं. दुर्गा प्रसाद जी असिस्टेंट कलेक्टर बिजनौर ने सुझाव दिया कि (1) कुछ धन बेवाओं की सहायता के लिये अलहदा रखा जावे तथा प्रत्येक मौहल्ला प्रभारी अपने क्षेत्र की विधवाओं की सूची गुप्त रूप से रखे, व उन्हें सभा की सहायता वितरित कराने के प्रयत्न करे, तथा (2) प्रत्येक सभा को चाहिये कि इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, मैडिकल कॉलेज लाहौर व फौरेस्ट्री स्कूल देहरादून आदि के नियमों एवं उनसे सम्बन्धित अधिसूचनाओं का संकलन कर अपने पास रखे, जिससे कि जो विद्यार्थी जिस जगह के लिये उपयुक्त हों, उस ही के अनुसार उनका मार्गदर्शन करे।

सभा ने निर्णय लिया कि बेवाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अभी कार्यवाही न की जाए, तथा अन्य सुझाव सदस्यों के पास भेज दिए जाएँ।

पं. रामजी दास जी कानौड़ निवासी ने सुझाव दिया कि सगाई टेवों के मिलाने व नाई आदि की बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिये, क्योंकि न तो टेवे सही होते थे, और न टेवों का मिलान ही शास्त्रोक्त था। यह भी देखा गया था कि टेवा न मिलने पर अच्छे-अच्छे लड़के हाथ से निकल जाते थे और अन्त में पछताना पड़ता था।

\*\*\*\*\*

इस पर सभा ने निर्णय लिया कि पं. रामजी दास जी ने वेद-शास्त्रों का हवाला दिया था, इसलिये इस पर अभी कार्यवाही ही नहीं की जा सकती थी।

झज्जर से पं. दामोदरलाल जी ने लिखा कि (1) यदि उन्हें अपनी जाति में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था, तो उनकी करनी और कथनी में अन्तर नहीं होना चाहिये; (2) स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने लिखा कि स्त्रियों की शिक्षा ही समाज की उन्नति एवं प्रगति का आधार हो सकती थी। स्त्रियों को अशिक्षित व घर में बन्द करके रखने से वे लोग उनके व्यक्तित्व के विकास में अवांछित रुकावट डालते थे जिस का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की शिक्षा से अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये, क्योंकि शिक्षित माताएँ ही बच्चों का समुचित रूप से पालन-पोषण कर सकती थीं। यह सच ही कहा गया था “कि एक शिक्षित माता सौ गुरुओं से अच्छी होती है।” शिक्षा से ही अज्ञानता, संकीर्णता एवं अंधविश्वास आदि नष्ट होते थे, और बिना शिक्षित महिलाओं के कोई भी जाति सभ्य एवं सुसंस्कृत नहीं समझी जा सकती थी।

सभा ने इन विचारों की प्रशंसा की और इन्हें अन्य सभाओं को भी भेजने का निर्णय लिया।

मु. गिरधरलाल जी आगरा ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें रिवाड़ी, मथुरा व जयपुर की सभाओं की नियमावलियाँ मिली थीं। उन सब को मिलाकर एक कर लिया जाए तो बहुत उपयोगी होगा, और सब लोग उसका पालन कर सकेंगे।

मु. शिव नारायण जी रईस व ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रिवाड़ी, निवासी मेरठ, ने लिखा कि जयपुर भार्गव सभा सबसे अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर जाति में एकता थी, व सबके आपसी सम्बन्ध अच्छे थे, तथा उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि जयपुर भार्गव सभा निरंतर इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। उसकी प्रशंसा में उन्होंने दो पंक्तियाँ भी लिखीं जो इस प्रकार थीं।

**“क्या शाख-ए-गुल पर फूल के बैठी है अन्दलीब,  
डरता हूँ मैं न चश्म फलक को बुरा लगे।”**

उन्होंने सभा के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित सुझाव भेजे:-

- (1) बेवाओं का पालन-पोषण करना;
- (2) अनाथों का पालन-पोषण करना, उनकी शिक्षा के उपाय करना।
- (3) व्यर्थ के खर्चों में कमी करना;
- (4) पर्दे को प्रभावी करने के उपाय करना, जैसे बारीक चद्दर के स्थान पर लट्ठे वगैरा की चद्दर का प्रयोग करना व महिलाओं का सवारी द्वारा ही आना-जाना आदि।
- (5) यदि जाति का कोई बेरोजगार कहीं आ जाए तो उस जगह के बिरादरी वालों को उसे रोजगार दिलाने की कोशिश करनी चाहिये, व जब तक वह वहाँ रहे और रोजगार न मिले, तब तक उसे अपने यहाँ खातिरदारी से रखा जाना चाहिये।
- (6) बिरादरी के लड़कों के लिये संध्या, तर्पण, हवन आदि करना आवश्यक था, और इस कार्य के लिए सभा की ओर से एक पंडित होना चाहिये।

इस पत्र पर सभा ने निर्णय लिया कि अनार्यों एवं बेवाओं की सहायता करना अनिवार्य था, बाकी अन्य बातों पर विचार किया जाना चाहिए। सबको इनसे सूचित कर दिया जाए।

जयपुर भार्गव सभा, जयपुर अमली कमेटी के साथ-साथ 10-15 वर्षों तक काफी सक्रिय रही व समय-समय पर जो विषय जाति के हित से सम्बन्धित सभा अथवा सम्मेलनों में प्रस्तावित किये जाते थे, उन पर यह सभा स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करती थी। वास्तव में जयपुर की सभा की गतिविधियों में वे सभी तत्त्व विद्यमान थे, जो आगे चलकर भार्गव सभा की गतिविधियों के आधार बने।

**मथुरा भार्गवी सभा :** जयपुर की तरह ही सन् 1881 ई. में मथुरा में भी एक भार्गव सभा बनी, जिसका विवरण मुरासला भार्गवी सभा मथुरा माह जनवरी-फरवरी सन् 1882 ई. में दिया गया था। इसी पत्रिका में सभा की नियमावली भी प्रकाशित की गई थी और कहा गया था कि जिस तरह से अन्य जातियाँ अपने-अपने संगठन स्थापित करके उन्नति करती चली जा रही थीं व संपन्नता की ओर अग्रसर थीं, उसी प्रकार भार्गवी जाति को भी अपनी उन्नति के लिए संगठन बनाना चाहिए। इसी धारणा व उद्देश्य को लेकर सन् 1881 ई. में मथुरा में एक सभा स्थापित हुई। इस सभा के अध्यक्ष राय कौशल किशोर जी मथुरा व सैक्रेट्री बा. नरोत्तम लाल जी थे। बाहर से आये हुए व्यक्तियों में थे - मु. शिव नारायण जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रिवाड़ी, राय बहादुर मु. सालगराम जी, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर, झज्जर, मु. कन्हैयालाल जी जिलेदार व अध्यक्ष जयपुर सभा, मु. कुन्दन लाल जी सैक्रेट्री जयपुर सभा, मु. रामजीदास जी पुत्र मु. लक्ष्मी नारायण जी वल्लभगढ़, मु. मनोहर लाल जी पुत्र मु. शोनायण जी, मु. रामचन्द्र जी रिवाड़ी, मु. गिरधरलाल जी, वकील जजी आगरा, मु. श्री राम जी पुत्र लछ्मन सिंह जी। स्थानीय व्यक्तियों में मुख्य-मुख्य थे - मु. जगन्नाथ प्रसाद जी, मु. रामनाथ जी, पं. देवीदास जी, फरूक नगर, मु. मुरलीधर जी, मु. रामचन्द्र जी, भगत रघुनन्दन लाल जी, मु. हर प्रसाद जी, मु. राम प्रसाद जी व इनके अतिरिक्त 48 और सज्जन उपस्थित थे।

वेद मन्त्रों के हवन एवं नवग्रह शांति से कार्यवाही शुरू की गई।

मु. गिरधर लाल जी, वकील आगरा ने सुझाव दिया कि जाति की उन्नति व भलाई के लिए एक पत्रिका चालू की जाय जो सबने स्वीकार किया व निश्चय किया कि एक पत्रिका हर माह सभा के द्वारा प्रकाशित की जाय करे।

पत्रिका के उद्देश्य निम्नलिखित निश्चित किये गए थे:-

1. जाति के हर व्यक्ति को जाति के हालात की जानकारी देना;
2. जाति में शादी-विवाह और शोक समाचारों आदि की जानकारी देना;
3. आचार-विचार एवं विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजों पर समयानुकूल वाद-विवाद व उनके गुण व दोषों आदि पर विचार करना;
4. विवाह आदि में जो प्रथाएँ शास्त्रोक्त नहीं थीं, उन्हें समाप्त करने आदि पर विचार करना;
5. यज्ञोपवीत व संध्या आदि के बारे में शास्त्रोक्त रीतियों का प्रचार करना।

इसी बैठक में विवाह आदि में व्यर्थ के खर्चों का विरोध किया गया और कहा गया कि कभी-कभी कुछ लोग ऋण लेकर भी अर्थात् अपनी इज्जत बेचकर भी व्यर्थ के खर्चे करते थे। जैसे रोशनी, आतिशबाजी व महफिल आदि और चार दिन की वाह-वाह कराके बरबाद हो जाते थे। निश्चय किया गया कि इस प्रकार के खर्चों में सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये।

मु. नवल किशोर जी, लखनऊ ने निम्नलिखित धार्मिक पुस्तकें भिजवाईं, जो सधन्यवाद स्वीकार की गईं — 1. श्रीमद्भागवत (संस्कृत), सूर सागर (नागरी), ब्रज बिलास, कृष्ण सागर (नागरी), भगवत गीता, रामायण, रामबली, विष्णु पुराण, मनुस्मृति, देवी भागवत, गीतावली, बहार वृन्दावन और बिहारी सतसई।

मु. नवल किशोर जी लखनऊ ने प्रस्तावित पत्रिका को निःशुल्क छापने का भी आश्वासन दिया।

इस माहवारी पत्रिका का मूल्य दो आने और बाहर वालों के लिए ढाई आने था।

भार्गव सभा मथुरा की नियमावली के अनुसार, जाति का कोई भी व्यक्ति, जो सभा के नियमों का पालन करना स्वीकार करे, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, तथा जो अपनी आय का कुछ प्रतिशत अंश सभा को चंदे के रूप में दे, सदस्य हो सकता था। इसके अतिरिक्त वे लोग भी जो चंदा नहीं दे सकते थे, सदस्य बनाये जा सकते थे, यदि वे तन-मन-धन से सभा की सेवा करने को तत्पर हों।

सभा की साधारण व विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार होती थीं।

मथुरा सभा के सन् 1888 ई. के आगे के हालात के विषय में सामग्री उपलब्ध न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ सभा कब तक चली व इसकी क्या गतिविधियाँ रहीं, किन्तु स्पष्ट रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि जिन-जिन वर्षों में सभा व सम्मेलनों के अधिवेशन मथुरा में हुए, जैसे सन् 1892, 1897 व 1909 ई. आदि, उस समय तो स्थानीय सभा वर्तमान भी थी, और गतिशील भी।

**भार्गव सभा रिवाड़ी :** रिवाड़ी में भी सर्वप्रथम सभा सन् 1881 ई. में ही स्थापित हुई थी और कुछ चंदा भी इकट्ठा किया गया था, परन्तु कुछ पारस्परिक उलझनों के कारण यह सभा नहीं चल सकी। फिर दुबारा भार्गव सभा रिवाड़ी की स्थापना 25 नवम्बर सन् 1888 ई. को हुई।

24 नवम्बर सन् 1888 ई. ला. बिहारीलाल जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट व प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी, के निवास स्थान पर एक बैठक हुई, जिसमें मास्टर रामजीवन लाल जी, मु. उमराव सिंह जी, मु. बट्टीप्रसाद जी हैड मास्टर, बा. रामचन्द्र जी मैनेजर स्लेट कम्पनी रिवाड़ी व मु. बिहारीलाल जी संघई उपस्थित थे। ला. बिहारीलाल जी ने कहा कि स्कूलों की फीस बढ़ जाने से जाति के बच्चों को बड़ी कठिनाई हो रही थी, और उन्हें छात्रवृत्ति आदि के रूप में सहायता देना बहुत आवश्यक था। प्रारम्भिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि उसके बिना उच्च शिक्षा देने की बात सोची ही नहीं जा सकती थी। रिवाड़ी के छात्रावासों में भी जगह की बहुत कमी थी। इसलिए उन लोगों को धन इकट्ठा करना चाहिये जिसके सूद से बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देकर उनकी मदद की जा सके, व जैसे ही पर्याप्त धन एकत्रित हो जाये तो एक बोर्डिंग हाउस का निर्माण प्रारम्भ किया जा सके। वे स्वयं भी इस कार्य के लिये चंदा देने को तैयार थे



व कुछ समय पहले जबलपुर वाले राय बहादुर पं. बिहारीलाल जी ने भी इस सुकार्य के लिए धन देने का वायदा किया था। यह भी स्पष्ट था कि इन सुविधाओं की आवश्यकता आगरा की तुलना में रिवाड़ी में अधिक थी। अतः यह निश्चय किया गया कि अगले दिन अर्थात् 25 नवम्बर 1888 ई. को, रिवाड़ी की समस्त भार्गव जाति की एक बैठक बुलाई जाये व उसके लिए सूचना भी प्रसारित की गई।

25 नवम्बर सन् 1888 ई. को फिर एक बैठक ला. बिहारीलाल जी ही के निवास स्थान पर हुई, जिसमें 20 सज्जन उपस्थित थे, और इस बैठक में रिवाड़ी भार्गव सभा की स्थापना का निर्णय लिया गया जिसका सभी ने स्वागत किया। इस बैठक की अध्यक्षता मु. उमराव सिंह जी ने की थी।

इसी सभा में निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए :—

1. प्रेसीडेन्ट - मु. सुखदेव सहाय जी,
2. सैक्रेट्री - मु. गणेशीलाल जी संघई,
3. ज्वाइंट सैक्रेट्री - मु. गणेशीलाल जी चौकड़ायत,
4. असिस्टेंट सैक्रेट्री - बा. प्रभु दयाल जी,
5. खजानची - पं. बिहारीलाल जी संघई।

आगामी वर्ष का बजट भी स्वीकृत किया गया जिसमें आय के साधन, सूद व शादी विवाह के अवसर पर दान आदि व व्यय छात्रवृत्तियाँ व किताबों के लिये सहायता आदि रखे गये थे। इसी समय यह भी निर्णय लिया गया कि एक बोर्डिंग हाउस का निर्माण प्रारम्भ किया जाए जिसके लिए, मैनेजिंग कमेटी दो हजार रुपये तक खर्च कर सकती थी। यह भी निश्चय किया गया कि सभा की नियमावली, साधारण सभा में, बहुमत से पास कराकर, सभा की रजिस्ट्री करा दी जावे।

दस्तूर-उल-अमल अथवा नियमावली में सभा का नाम 'भार्गव सभा' व उसका मुख्यालय रिवाड़ी रखा गया था। सभा के उद्देश्य जाति की उन्नति के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित निश्चित किये गए थे:—

1. बच्चों की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियाँ देना तथा रिवाड़ी में पढ़ाई में सबसे कड़ी कठिनाई आवास की होने के कारण एक बोर्डिंग हाउस स्थापित करना;
2. विवाह आदि में व्यर्थ के खर्च व अनावश्यक रीति-रिवाजों को बन्द करना;
3. विधवाओं की सहायता करना।

रायसाहब पं. बिहारीलाल जी व मु. गणेशीलाल जी ने बच्चों की छात्रवृत्तियों आदि के लिए पाँच-पाँच हजार रुपये दान दिये और बोर्डिंग हाउस के लिए मास्टर रामजीवन लाल जी व बा. रामचन्द्र जी के प्रयत्नों से सात हजार रुपये एकत्रित हुए, लेकिन बोर्डिंग हाउस बनाने के लिए यह धन बहुत कम था। यह कठिनाई किसी हद तक राव बिहारीलाल जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जबलपुर, द्वारा 5000/-रु. देने के वायदे से दूर हुई। रिवाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी ने भी जमीन खरीदने के लिए 2000/- रु. दान देना स्वीकार किया। मु. गणेशीलाल जी संघई की सन् 1889 ई. में मृत्यु के बाद ला. सुन्दरलाल जी सैक्रेट्री नियुक्त



हुए। जयपुर, अजमेर, मेरठ, कानौड़ से भी बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ भाग देना स्वीकार किया। जयपुर के मु. कन्हैयालाल जी व मु. हीरालाल जी ने, रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस के लिए धन एकत्रित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए। इसी समय कुछ लोग रिवाड़ी सभा को भी रजिस्टर्ड (पंजीकृत) कराने के पक्ष में थे, लेकिन आगरा सभा का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, इसी कारण अधिकांश लोगों की इससे सहमति नहीं थी—विशेष रूप से जयपुर सभा इसके पक्ष में नहीं थी।

इसी समय सौभाग्य से पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर का गुड़गाँव आगमन हुआ और जाति की ओर से एक डैपूटेशन रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस के बनवाने के लिए सहायता माँगने के लिए, जिसमें पं. बिहारीलाल जी संघई, पं. सुन्दरलाल जी, पं. बिहारीलाल जी व पं. रामचन्द्र जी सम्मिलित थे, गवर्नर साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। फलस्वरूप गवर्नर साहब ने 4000/- सरकार की ओर से और 2000/- चुंगी की ओर से दिलवाने का वायदा किया। परन्तु सरकार को जब यह पता लगा कि इस बोर्डिंग हाउस में केवल भार्गव विद्यार्थी ही रह सकेंगे, तो सरकार ने हुक्मनामे में 'केवल' के स्थान पर 'विशेषतः' कर दिया।

लखनऊ में हुए द्वितीय अधिवेशन की रिपोर्ट के अनुसार मु. नवल किशोर जी ने रिवाड़ी हाई स्कूल में पढ़ने वाले भार्गव लड़कों की सहायता हेतु निम्नलिखित शर्तों पर पाँच हजार रुपये देने का वायदा किया था :—

1. रिवाड़ी सभा का या तो रजिस्ट्रेशन हो जाये, या यह निश्चय हो जाये कि आगरा सभा व रिवाड़ी सभा एक ही थी;
2. यह चंदा भार्गव जाति के ऐसे बच्चों के हित के लिए होगा, कि जो फारसी व अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त हिन्दी व संस्कृत का भी कुछ ज्ञान रखते हों जिससे कि वे संध्या तर्पण आदि से अनभिज्ञ न रहें;
3. प्रथम शर्त के पूरे होने तक वे आठ आने प्रतिशत माह सूद अर्थात् 25/- रुपये मासिक देते रहेंगे।

चूँकि सरकारी स्कूल में बोर्डिंग हाउस की बड़ी कठिनाई थी, इसलिये भार्गव बोर्डिंग हाउस के लिए जमीन खरीदने के लिये म्युनिसिपैलिटी ने 1500/रु. देने स्वीकार किये। इस राशि में 300/-रु. और मिलाकर 1800/- रु. बोर्डिंग हाउस के लिए जमीन, सभापति भार्गव सभा, के नाम से खरीद ली गई और बोर्डिंग हाउस बनना आरम्भ हो गया जिसका उद्घाटन दिसम्बर सन् 1891 ई. में बड़े दिनों की छुट्टी में श्रीमान डायमण्ड सा. डिप्टी कमिश्नर के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार भार्गव सभा रिवाड़ी अपनी नियमावली बनाकर व रिवाड़ी में भार्गव बोर्डिंग हाउस स्थापित कर पृथक् रूप से कार्यरत हुई, यद्यपि रिवाड़ी भार्गव सभा व आगरा भार्गव सभा में काफी समानताएँ थीं, दोनों की नियमावलियाँ लगभग एक ही तरह की बनी थीं, और दोनों ही की गतिविधियाँ एक ही समान थीं। जैसे अपने-अपने स्थानीय बोर्डिंग हाउसेज का प्रबन्ध करना, छात्रों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देना आदि और प्रारम्भ में तो कई वर्षों तक ऐसा भी चला कि जो धन दान में मिलता था, अथवा शिक्षा व विधवाओं के लिए प्राप्त होता था, वह आधा-आधा बाँट लिया जाता था। यहाँ तक कि जब अलवर

बोर्डिंग हाउस को 15/- माहवार सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया गया तो यह भी निश्चय हुआ कि भार्गव सभा आगरा व भार्गव सभा रिवाड़ी प्रत्येक सात-सात रुपये व आठ-आठ आने देगी, और दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया। दोनों के वार्षिक अधिवेशन भी एक ही जगह होते थे, लेकिन यह स्थिति अधिक नहीं चली और अन्त में सन् 1920 ई. के इलाहाबाद के अधिवेशन में दोनों मिलकर एक हो गई और प्रस्ताव संख्या 29 द्वारा रिवाड़ी सभा की सम्पत्ति के विषय में यह निश्चय हुआ कि 'रिवाड़ी सभा की सम्पत्ति रिवाड़ी सभा के नाम से भार्गव सभा के स्थायी खाते में जमा की जावे।'

**लाहौर भार्गव सभा:** 31 अक्टूबर, सन् 1886 को एक बैठक मु. बैनी प्रसाद जी, सरिश्तेदार चीफ कोर्ट लाहौर के निवास पर हुई। मु. बंसीधर जी अध्यक्ष थे और सैक्रेट्री मु. विशंभरदास जी थे। सभा में 11 अन्य सज्जन उपस्थित थे।

मु. गिरधर लाल जी, जो आगरे से आए थे, उन्होंने कहा कि मु. चिरंजी लाल जी वगैरा का जो झगड़ा चल रहा था, वह समाप्त हो चुका था, और अब ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि जाति में एकता स्थापित हो और वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। शिक्षा की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आगरे में एक बोर्डिंग हाउस बनाने का प्रस्ताव था और उसमें उन सब से सहयोग देने की अपील की। मु. नाथूराम जी मास्टर अमृतसर, ने कहा कि इस बोर्डिंग हाउस का प्रस्ताव तो ठीक है और वे सहयोग भी देंगे, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए भी प्रयत्न करना आवश्यक था। इसलिए इस विषय पर रिवाड़ी में विचार किया जाए जहाँ मु. नवल किशोर जी के लड़के की शादी हो रही थी। जलसे में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

इसी प्रकार 6 दिसम्बर, सन् 1888 ई. को अलीगढ़ में भार्गव सभा स्थापित हुई, जिसके प्रेसिडेंट मु. बलवन्त सिंह जी व सैक्रेट्री मु. लीलाधर जी थे। वाइस प्रेसिडेंट मु. विशम्भर दास जी थे और बा. भगवती प्रसाद जी ज्वाइन्ट सैक्रेट्री थे।

कानौड़ में भी एक सभा स्थापित हुई जिसकी एक बैठक 5 सितम्बर सन् 1988 को भी हुई थी। इस बैठक में जयपुर से आए हुए सुझाव के अनुसार समधन के गीत को बन्द करने का निर्णय लिया गया।

इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर अमली कमेटियाँ भी स्थापित हुई थीं। अमली कमेटियों से उन संगठनों से तात्पर्य था, जो मुख्यतः सामाजिक उन्नति व रीति-रिवाजों में सुधार के लिए स्थापित की गई थीं, और जिनका संबन्ध सदस्यों के स्वयं के आचरण से था अर्थात् इन कमेटियों के सदस्यों का यह कर्तव्य था कि वे कमेटी द्वारा स्वीकार किए गए नियमों व प्रस्तावों का सर्वप्रथम पालन स्वयं करें व फिर अन्य लोगों से एवं अपने सगे-संबन्धियों से करावें। अमली कमेटियों के नियम सर्वप्रथम जयपुर के मु. हीरा लाल जी अध्यापक राजपूत स्कूल जयपुर ने बनाए थे। इनके अनुसार इन कमेटियों का उद्देश्य रहने-सहने के तरीकों एवं आचार-विचार की शुद्धता आदि के विषय में मार्गदर्शन करना था। कमेटी के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य था कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में जो निर्णय जाति के द्वारा या उसके बहुमत से स्वीकार किए जाएँ उनका पालन सर्वप्रथम स्वयं करें और यथाशक्ति अपने सगे-संबन्धियों व दोस्तों से करावें।

इस कमेटी का मैम्बर वही व्यक्ति हो सकता था जो लिखित में कमेटी के नियमों का व निर्णयों का पालन करने का वायदा करता था। इन्हीं नियमों के अनुसार जयपुर में अमली कमेटी 15 जनवरी सन् 1889 ई. को स्थापित हुई जिसके प्रेसिडेन्ट मु. गूजर मल जी व सैक्रेट्री मु. हीरा लाल जी थे।

जयपुर की इस अमली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही 10 फरवरी, सन् 1889 ई. को अजमेर में अमली कमेटी स्थापित हुई, जिसकी अध्यक्षता मु. बंशीधर जी ने की। जयपुर अमली कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गई और मु. हीरालाल जी द्वारा बनाए हुए नियम पसंद किए गए। यह स्पष्ट किया गया कि उस समय की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बहुत-सी कुरीतियाँ प्रचलित थीं, जिनको दूर किए बिना जाति की उन्नति नहीं हो सकती थी। लड़की के बदले में रुपया लेने पर शादी करना बहुत निकृष्ट प्रथा थी और हर जाति में इसकी मनाही थी तथा इसके कारण जाति की बदनामी होती थी और इसके निवारण किए बिना जाति की उन्नति नहीं हो सकती थी। मु. घासीराम जी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व बा. फूल चन्द जी सैक्रेट्री नियुक्त किए गए थे।

इन कमेटियों की बैठकें प्रायः प्रत्येक माह हुआ करती थीं।

इसी प्रकार कानौड़ में भी अमली कमेटी स्थापित हुई और नियमपूर्वक इसकी सभाएँ होती रहती थीं।

इस प्रकार सन् 1880 ई. से सन् 1890 ई. तक के दशक में भार्गव जाति में संगठनात्मक गतिविधियों का प्रचुर प्रादुर्भाव हुआ एवं भार्गव सभा की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। जाति के सभी लोग मानसिक रूप के किसी भी केन्द्रीय सभा की स्थापना के लिए तैयार हो चुके थे, तथा उसके लिए किसी सुअवसर व मार्ग निर्धारण की आवश्यकता थी और वह भी शीघ्र ही पूरी हुई।

\* \* \*

## 2. भार्गव सभा की स्थापना

भार्गव सभा के इतिहास में सन् 1880 ई. उल्लेखनीय था, क्योंकि इसी वर्ष एक विवाह के अवसर पर धनवान पुरुषों के हृदय में जाति की उन्नति, असहाय विधवाओं व साधनहीन बच्चों की सहायता, तथा जाति में शिक्षा का प्रसार करने का विचार उत्पन्न हुआ। यह विवाह लखनऊ में अलीगढ़ के मु. लक्ष्मण प्रसाद जी के पुत्र व मु. फूल चन्द जी की पुत्री का था जिसके अवसर पर राय सालिंग राम जी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर व मु. नवल किशोर जी ने पारस्परिक विचार-विमर्श का यह निष्कर्ष निकाला कि यदि ब्याह-शादी से नाच-रंग, फूल-फुलवाड़ी व आतिशबाजी जैसे व्यर्थ के खर्च बन्द कर दिए जाएँ तो जो धन बचे उसे यदि जाति के हित के कार्यों, जैसे जरूरतमंद बच्चों व बेवाओं आदि की सहायता आदि में व्यय किया जाए, तो जाति की बहुत कुछ उन्नति हो सकती थी।

इसके पश्चात् जब राय सालिंग राम जी के भाई पंडित मनोहर लाल जी, तहसीलदार हाँसी के पुत्र बा. रघुवर दयाल जी की बारात मु. मंगत राम जी कानौड़िये, अजमेर निवासी, के यहाँ गई, तब बात के पक्के व निश्चय में दृढ़ राय साहब ने विवाह में जितना रुपया न्यात गुरी में दिया (जिसकी संख्या शहर या मौहल्ले के ब्राह्मणों की संख्या पर ही निर्भर होती थी, और जब कि प्रति ब्राह्मण की दक्षिणा नियत करने में घण्टों का समय लग जाता था) उतना ही रुपया जाति के फंड में देकर सदा के लिए विवाह के अवसर पर जाति की उन्नति के लिए दान देने की प्रथा डाली और उन्हीं की देखा-देखी अन्य विवाहों के अवसरों पर भी वर पक्ष वालों ने फण्ड में दान देना प्रारंभ किया।

इसी समय मु. चिरंजी लाल जी भोयड़े वालों के व्यक्तिगत झगड़े के कारण रिवाड़ी में समस्त जाति की पंचायत हुई जिसमें विभिन्न स्थानों से चुनिंदा-चुनिंदा सज्जन उपस्थित हुए और 6 अगस्त सन् 1881 को राय सालिंग राम जी के प्रस्ताव पर एक समस्त बिरादरी का अधिवेशन अर्थात् पंचायत होकर कतिपय प्रस्ताव पास हुए। मु. नवल किशोर जी के प्रस्ताव व मु. देवकी नन्दन जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के समर्थन करने पर प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा निश्चय हुआ कि एक जातीय पंचायत बनाई जावे और उसका नाम सर्व सम्मति से 'भार्गव सभा' रखा जाना निश्चित हुआ। मु. गंगाशरण जी कानौड़िये, मु. देवकी नन्दन जी रिवाड़ी व मु. रामजीवन लाल जी मास्टर मन्त्री नियुक्त हुए, परन्तु दुर्भाग्यवश यह संस्था उक्त व्यक्तिगत झगड़े व अन्य उलझनों के कारण पनप न सकी, किन्तु जाति के शुभचिन्तकों के दिलों में, व्यर्थ के खर्चों में कमी व जाति के उत्थान की उत्कट अभिलाषा बनी रही<sup>1</sup> तथा 12 जून सन् 1884 को जो अधिवेशन सासनी में पं. मथुरा प्रसाद जी के निवास स्थान पर हुआ, उसमें सबसे पहले जाति के गुरुजनों ने विचार किया कि एक संस्था 'भार्गव सभा' के नाम से स्थापित की जावे व उसकी संस्थापना व निगरानी का उत्तरदायित्व मु. गिरधर लाल जी, आगरा को सौंपा जावे; और यही सभा आगे चलकर भार्गव सभा आगरा

1. भार्गव सभा की पहली रिपोर्ट 1889.

कहलाई व नियमानुसार इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और इसी समय यह प्रस्ताव भी हुआ कि जाति की उन्नति व बच्चों की शिक्षा के लिए कम से कम 25000/- रु. एकत्रित किए जावें जिसके सूद से जाति की आवश्यक सेवाएँ संचालित होती रहें। अतएव यह निर्णय लिया गया कि जो भी सज्जन इस पुण्य कार्य में हाथ बँटाना चाहें वे चंदा सूची में लिख दें, तथा निम्नलिखित चंदे की सूची तैयार हुई :-<sup>1</sup>

- |  |   |
|--|---|
| 1. मु. राम दयाल जी                           | 3000/- रु.  |
| 2. मु. नवल किशोर जी                          | 10000/- रु.   |
| 3. मु. गिरधर लाल जी                          | 2000/- रु.  |
| 4. राय सालग राम जी                           | 1500/- रु.  |
| 5. बाबू राम रतन जी                           | 200/- रु.   |
| 6. बा. परमेश्वरी दास जी                      | 25/- रु.  |
| 7. बा. रघुवर दयाल जी                         | 200/- रु.   |
| 8. बा. रामदास जी                             | 1000/- रु.  |
| 9. बा. माधोप्रसाद जी सासनी                   | 1000/- रु.  |
| 10. बा. बिहारी लाल जी व<br>बा. रघुवर दयाल जी | 100/- रु.   |
| 11. राय गंगा शरण दास जी                      | 250/- रु.   |
| 12. बा. रामचंद्र जी                          | 100/- रु.   |
| 13. बा. भवानी सहाय जी                        | - मैं चंदा अवश्य दूँगा परन्तु उस दिन जबकि इसकी कार्यवाही आरम्भ हो जायेगी। |

यह पता नहीं चलता कि यह चंदा वसूल हुआ या नहीं, और यदि हुआ, तो कब और किस तरह प्रयोग में लाया गया।

इसके पश्चात् सन् 1885 ई. में मेरठ में मु. बैनी प्रसाद जी सरिश्तेदार चीफ कोर्ट लाहौर के पुत्र बा. अमरनाथ के विवाह के अवसर पर मु. नवल किशोर जी ने अपनी दानशीलता व जातीय प्रेम का परिचय देते हुए यह घोषित किया कि<sup>2</sup> यदि समस्त जाति 50000/- रुपये जमा कर लेगी तो वे भी 50,000/- दे देंगे, और इस प्रकार एक लाख रुपये की स्थायी धनराशि हो जाएगी जिसके सूद से जाति की उन्नति सम्बन्धी सभी कार्य सरलतापूर्वक चलते रहेंगे; परन्तु जाति इनका लाभ न उठा सकी। (1) इसी प्रकार रिवाड़ी में भी बाद में, पं. गोविन्द प्रसाद जी के यहाँ विवाह के अवसर पर, मु. नवल किशोर जी ने कहा कि रिवाड़ी के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 20,000/- रुपये जमा किये जावें, और यदि बिरादरी के अन्य सज्जन पन्द्रह हजार रुपये एकत्रित कर लेंगे तो वे भी पाँच हजार रुपये दे देंगे। मुन्शी साहब ने यह

1. सन् 1916 के सम्मेलन में दीवान बहादुर पं. दामोदर लाल जी का भाषण व सन् 1933 के सम्मेलन में पं. मथुरा प्रसाद जी का अध्यक्षीय भाषण।

2. द्वितीय रिपोर्ट लखनऊ सम्मेलन 1890

वायदा रिवाड़ी हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की सहायता के लिए निम्न शर्तों पर किया था :-

- (1) रिवाड़ी की सभा का या तो रजिस्ट्रेशन हो जाए या यह निश्चय हो जाए कि आगरा सभा व रिवाड़ी सभा एक ही थीं,
- (2) उनका चन्दा भार्गव जाति के ऐसे बच्चों के हित के लिए होगा कि, जो फारसी व अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त, हिन्दी व संस्कृत का भी कुछ ज्ञान रखते हों कि जिससे संध्या, तर्पण व पूजन आदि से अनभिज्ञ न रह सकें;
- (3) प्रथम शर्त के पूरा होने तक वे छह प्रतिशत की दर से माहवारी सूद अर्थात् 25/- मासिक देते रहेंगे।

31 अक्टूबर, सन् 1886 ई. को मु. गिरधरलाल जी प्रस्तावित भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा के लिए चन्दा इकट्ठा करने को लाहौर गए और वहाँ स्थानीय सभा की बैठक में आगरा में बोर्डिंग हाउस की उपयोगिता व आवश्यकता बतलाकर, चन्दे के लिये अपील की, जिसके परिणामस्वरूप एक चन्दे की सूची तैयार की गई।

फिर सन् 1887 ई. में मु. नवलकिशोर जी ने अपने पुत्र बा. प्रयाग नारायण जी के विवाह के अवसर पर, जिनकी बारात रिवाड़ी मु. शंकरलाल जी टाटगढ़िये, इन्स्पेक्टर पुलिस के यहाँ गई थी, बट्टार के अवसर पर आठ हजार रुपये जाति की उन्नति के लिए दान दिए।

इस समय भार्गव जाति की उन्नति के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की समझी जाने लगी थी। भार्गव जाति के अधिकांश परिवार छोटी-छोटी बस्तियों में या ऐसे स्थानों पर रहते थे, जहाँ उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी और न उनके पास इतने साधन थे कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के केन्द्रों पर भेज सकते। इसलिये यह विचार बना कि यदि शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों पर, जिनके आसपास भार्गव जाति के परिवार पर्याप्त संख्या में रहते हों, आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो जाति के नवयुवक उच्च शिक्षा प्राप्त कर, देश व जाति की उन्नति में हाथ बाँटा सकते थे। इस समय भार्गव जाति के अधिकतर परिवार आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, सासनी, रिवाड़ी, कतबपुर, कानौड़, नारनौल, भोयड़ा, गुड़गाँव, अलवर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर एवं आस पास के क्षेत्रों में रहते थे, और इस क्षेत्र का उच्च शिक्षा का केन्द्र आगरा कॉलेज ही था। उत्तरी भारत में आगरा कॉलेज, जो पहले सरकारी संस्था थी, अब ट्रस्टी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता था। यह एक मात्र ख्याति प्राप्त कॉलेज था जहाँ पर मेरठ, जयपुर, अलवर, मथुरा, अलीगढ़ आदि सभी जगहों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे लेकिन रहने का उचित प्रबन्ध न होने के कारण, इस शिक्षा का लाभ इस क्षेत्र के भार्गव विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता था। आगरा कॉलेज के पास होस्टल में केवल 123 स्थान ही थे जो आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही कम थे। ऐसी स्थिति में भार्गव विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते थे। इसलिए जाति बन्धुओं ने निश्चय किया कि आगरा कॉलेज के पास ही भार्गव बोर्डिंग हाउस स्थापित किया जावे, और उसकी देखभाल के लिए भार्गव सभा का मुख्य कार्यालय भी आगरे में ही रखा जाए, एवं उसकी शाखाएँ अन्य नगरों में खोली जाएँ। बोर्डिंग हाउस खोलने के विचार में यह बात भी ध्यान में थी कि अपना स्वयं

का बोर्डिंग हाऊस होने से न केवल जाति के विद्यार्थियों के आचार-विचार व संस्कारों की रक्षा हो सकती थी अपितु साधनहीन व प्रतिभाशाली लड़कों की सहायता भी की जा सकती थी। आगरा बोर्डिंग हाऊस के पहले बैच में ही 2-3 विद्यार्थी ऐसे थे, जिनकी सहायता सभा करती थी।

मु. नवलकिशोर जी ने, जो उस समय के बहुत ही प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे, सरकार से आगरा कॉलेज के पास ही, लगभग चार एकड़ जमीन निःशुल्क प्राप्त कराने में सफल हुए। यही जमीन यदि उस समय क्रय की जाती तो इस का मूल्य कम से कम 10 हजार रुपये होता। सरकार से प्राप्त जमीन बड़ी ऊबड़-खाबड़ थी, जिसको मु. गिरधरलाल जी के सौजन्य से समतल कराया गया व इसी स्थान पर एक बहुत ही सुसज्जित पंडाल में 21 दिसम्बर, सन् 1887 ई. को उत्तर पश्चिमी प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर व अवध के चीफ कमिश्नर, सर ऑकलैंड कॉलविन द्वारा भार्गव बोर्डिंग हाऊस आगरा की नींव रखी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत करने वालों में (1) मु. सुन्दरलाल जी मैम्बर कौंसिल धौलपुर, (2) मु. गिरधरलाल जी वकील आगरा, व ट्रस्टी आगरा कॉलेज (3) राय सीताराम जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मथुरा, (4) ला. रघुवर दयाल जी अलीगढ़ (5) ला. रामरतन जी रीवां (6) ला. जगन्नाथ प्रसाद जी वकील मथुरा, (7) मु. नवलकिशोर जी प्रोपराइटर 'अवध' अखबार लखनऊ आदि थे। स्वागत भाषण में, जिसे बा. राधारमण जी बी. ए. सुपुत्र राय सीताराम जी मथुरा, जो इस समय आगरा कॉलेज के ही विद्यार्थी थे, ने पढ़ा, कहा गया था कि आगरा के कलैक्टर श्रीमान् फिनले साहब की शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सहयोग एवं सहायता के उपलक्ष्य में इस बोर्डिंग हाऊस का नाम फिनले भार्गव बोर्डिंग हाऊस होगा।

26 दिसम्बर, सन् 1887 ई. को भार्गव सभा आगरा की एक बैठक मु. गिरधरलाल जी के निवास स्थान पर हुई, जिसकी अध्यक्षता राय सीताराम जी, मथुरा ने की। बैठक की उपस्थिति 24 की थी, जिसमें मुख्य-मुख्य निम्नलिखित थे:—

- (1) बा. रामरतन लाल जी, लखनऊ,
- (2) मु. नवलकिशोर जी, लखनऊ,
- (3) मु. शंकरलाल जी, अकबराबादी,
- (4) राय कौशल किशोर जी, मथुरा,
- (5) बा. बद्रीप्रसाद जी, मिरजापुर,
- (6) बा. राधारमण जी, मथुरा,
- (7) मु. हीरालाल जी, जयपुर,
- (8) बा. मुरलीधर जी, अकबराबादी,
- (9) मु. गिरधरलाल जी, आगरा।

इस सभा में मु. गिरधरलाल जी सैक्रेट्री सभा ने दो हजार रुपये बोर्डिंग हाऊस के निर्माण के लिये दान दिए व कहा कि भार्गव बोर्डिंग हाऊस आगरा की नींव रखी जा चुकी थी, और अब उसके निर्माण के लिये धन इकट्ठा करना था। अतएव निश्चय किया गया कि सभी उपस्थित सज्जन अपनी-अपनी

वार्षिक आय का बारहवाँ हिस्सा देना स्वीकार करें, एवं विवाह आदि शुभ अवसरों पर भी अपने-अपने साधनों के अनुसार सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान दें। बोर्डिंग हाऊस के लिए धन इकट्ठा करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल बनाया गया, जिसके सदस्य बा. रामरतन लाल जी, रेकार्ड कीपर हाईकोर्ट लखनऊ, मु. रामसिंह जी वकील, कानपुर, मु. गंगाशरण जी रईस, रिवाड़ी व मु. गिरधरलाल जी वकील, आगरा थे, और जिसे यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वे विभिन्न स्थानों पर जाकर धन एकत्रित करने के प्रयास करें।

सबसे पहले 27 दिसम्बर सन् 1887 ई. को मथुरा में स्थानीय सभा की बैठक कराई गई, जिसकी अध्यक्षता राय कौशल किशोर जी ने की। इस बैठक में मु. नरोत्तमलाल जी वकील, मथुरा, मु. बद्री प्रसाद जी, अहलमद फौजदारी मिर्जापुर, बा. रामनाथ जी पुत्र राय सीताराम जी, मथुरा, मु. नवल किशोर जी, लखनऊ, बा. बन्शीधर जी, मथुरा व 33 अन्य सज्जन उपस्थित थे। मु. गिरधर लाल जी ने भार्गव बोर्डिंग हाऊस आगरा की प्रगति का विवरण दिया व निर्णय लिया गया कि मथुरा के लोग भी अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ हिस्सा सभा को देना स्वीकार करते थे, और शादी वगैरा खुशी के अवसरों पर सभा के फण्ड के लिए भी अपने-अपने साधनों के अनुसार दान देने को तैयार थे।

इसी प्रकार 29 दिसम्बर सन् 1887 ई. को अलवर में स्थानीय लोगों की बैठक हुई, जिसमें जो निर्णय आगरा व मथुरा की बैठकों में लिए गए थे, उन्हें स्वीकार किया गया।

इसके बाद 30 दिसम्बर सन् 1887 ई. को राय बिहारी लाल जी सिंघई की अध्यक्षता में रिवाड़ी कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए :

- (1) शादी-विवाहों में रात का जुलूस निकालना बन्द किया जावे व निकासी बारात दिन में प्रतिपादित की जावे, इससे जो कुछ धन बचे उसे सभा के फंड में दिया जावे।
- (2) नौकरीपेशा लोग अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ हिस्सा और जो तिजारत वगैरा में है, वे अपनी इच्छा के अनुसार सभा को दें।
- (3) जाति की उन्नति व कल्याण के लिए एक भार्गव सभा स्थापित हो और नियमानुसार उसको पंजीकृत कराया जाए, उसका मुख्यालय आगरा में हो तथा उसकी अधीनता में एक शाखा रिवाड़ी में स्थापित हो, तथा भार्गव जाति के बच्चों के इन्तजाम के लिए एक प्रबन्धक उपसमिति, रिवाड़ी, सभा के मुख्यालय की अनुमति एवं स्वीकृति से जो धन इकट्ठा करे, उसका ब्याज अथवा मुनाफा रिवाड़ी व पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बन्धित क्षेत्रों में रहने वाले भार्गव बच्चों की शिक्षा पर व्यय करे। यदि वह आय पर्याप्त न हो तो यथासम्भव मुख्यालय से सहायता माँगे, और यदि वह आय व्यय से अधिक हो तो उसे आवश्यकता होने पर मुख्यालय मंगवा सकता है, परन्तु रिवाड़ी सभा की स्थायी धन राशि को सभा का मुख्यालय, रिवाड़ी सभा की प्रबन्धक समिति के सदस्यों की अनुमति के बिना, किसी अन्य जगह स्थानांतरित नहीं करेगा।
- (4) चन्दा देने वालों की सूची तैयार की जावे व जो चन्दा दें उन मैम्बरान को सभा के प्रबन्धक घोषित किया जावे।



31 दिसम्बर सन् 1887 ई. को स्थानीय जाति बन्धुओं की एक बैठक अलीगढ़ में होनी थी, किन्तु मु. गिरधर लाल जी के रात को देर से पहुँचने के कारण, यह बैठक एक जनवरी सन् 1988 ई. को हुई। सर्व प्रथम निर्णय लिया गया कि जाति की उन्नति के लिए सभा स्थापित की जावे व नियमानुसार उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। इसके अतिरिक्त सब लोगों ने अपनी-अपनी आमदनी का कुछ भाग सभा को देना व शादी वगैरा के अवसरों पर अपने साधनों के अनुसार सभा को दान देना भी स्वीकार किया।

इसी प्रकार 1 जनवरी सन् 1888 ई. को ही कानपुर में मु. हिम्मत बहादुर सिंह जी के निवास स्थान पर, मु. हीरा लाल जी की अध्यक्षता में स्थानीय जाति के लोगों की बैठक हुई जिसमें स्थानीय सभा के सैक्रेट्री बा. रामसिंह जी भी उपस्थित थे। मु. गिरधर लाल जी ने आगरा, मथुरा व रिवाड़ी में स्वीकृत प्रस्तावों से सबको अवगत कराया और कहा कि बोर्डिंग हाउस के बनाने में लगभग 30 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान था, जिसमें से मु. नवल किशोर जी ने पाँच हजार रुपये देने का वायदा किया था। बोर्डिंग हाउस की नींव रखी जा चुकी थी, जिसके लिए सरकार ने भी निःशुल्क जमीन प्रदान की थी। अतः अब सब लोगों का कर्तव्य था कि अपने-अपने साधनों से इमारत पूरी करने में सहयोग दें। अन्य स्थानों पर भी निश्चित आय वालों ने अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ हिस्सा देना स्वीकार किया था व अनिश्चित आय वाले अपनी इच्छा अनुसार देने के लिए सहमत हो गए थे। उपस्थित सभी सज्जनों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया व उसी समय लगभग 900/- रुपये एकत्रित हो गए और चन्दों की सूची तैयार की गई।

चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं धन एकत्रित करने में सुविधा की दृष्टि से सभा का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था, अतः सन् 1887 ई. में ही सभा की नियमावली का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई थी।

अक्टूबर सन् 1887 ई.<sup>1</sup> में बा. बासदेव लाल जी एम.ए. व मु. रामरतन लाल जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्युडिशियल कोर्ट, लखनऊ ने एक्ट 6 सन् 1882 ई. के अनुसार भार्गव सभा की नियमावली तैयार करके जाति बन्धुओं की सेवा में इस निवेदन के साथ प्रस्तुत कर दी कि उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन आदि करके अपनी राय के साथ मु. गिरधर लाल जी आगरा के पास भेज दें। इसके पश्चात् निश्चय हुआ कि दिसम्बर सन् 1887 ई. के अन्तिम सप्ताह में, हिज आनरेबिल लेफ्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर, उत्तर पश्चिमी प्रान्त व चीफ कमिश्नर, अवध ने बोर्डिंग हाउस की नींव रखना स्वीकार कर लिया था, अतः सब स्थानों से जाति बन्धु इकट्ठे होकर नियमावली के प्रारूप पर भी विचार करें। लेकिन कुछ गिने-चुने लोगों के अतिरिक्त अधिकांश स्थानों से जाति बन्धु जलसे में सम्मिलित नहीं हो सके। परन्तु जो लोग भी एकत्रित हुए उन्होंने निर्णय लिया कि नियमावली को विधिवत तैयार करने के लिए अलीगढ़ में एक सिलेक्ट कमेटी निर्मित हो और विधिवेत्ता लोग वहाँ एकत्रित होकर प्रारूप को तैयार करें, लेकिन वहाँ भी जितने लोगों के एकत्रित होने की आशा थी, इकट्ठे न हो सके। अन्ततः मु. गिरधर लाल जी ने वर्तमान प्रारूप के आधार पर श्रीमान् फैंक्स साहब, लीगल रिमेम्बरेंसर व मैम्बर लैजिस्लेटिव काउन्सिल, उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के

1. रू-ए दाद, आगरा सभा

परामर्श से, उन तमाम नियमों को दृष्टि में रखकर, जो सभा की सम्पत्ति एवं धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे गए, तैयार किया तथा जिसके आधार पर नियमावली अन्तिम रूप से तैयार की गई। इसी के साथ-साथ धन इकट्ठा करने के प्रयत्न भी किये जाते रहे, जिनके परिणामस्वरूप मु. नवल किशोर जी, सी.आई.ई. ने 18000/- रु. से पनवाड़ी ग्राम क्रय कर देने का वायदा किया और कहा कि जैसे ही बोर्डिंग हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा, वे उसके लिए 4000/- रुपये भी देंगे। बोर्डिंग हाउस का काम भी समाप्त होने को आया और नियमावली तैयार हो ही चुकी थी, अतः 10 अक्टूबर सन् 1889 ई. को सन् 1860 ई. के एक्ट संख्या 21 के अनुसार भार्गव सभा का रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसी के साथ भार्गव सभा की औपचारिक स्थापना हुई।

\* \* \*

### 3. सभा का संगठन

सभा के मूल रूप का आधार सन् 1889 ई. की निम्नलिखित प्रथम नियमावली थी :—

1. **नाम** : इस सभा का नाम भार्गव सभा होगा।
2. **स्थान** : इस सभा का मुख्य कार्यालय आगरा में रहेगा और किसी ऐसे स्थान पर भी हो सकता था, जिसको सभा नियम संख्या 34 के तहत स्थापित करे; और इस सभा की दो शाखाएँ, एक रिवाड़ी में और दूसरी जयपुर में स्थापित की जाएगी, और इन शाखाओं के अतिरिक्त सभा के सदस्यों की राय से अन्य स्थानों पर भी शाखाएँ स्थापित की जा सकती थीं।
3. **उद्देश्य** : सभा के उद्देश्य निम्नलिखित थे:—
  - (अ) भार्गव जाति के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना;
  - (ब) भार्गव जाति की उन्नति व उत्थान के लिए प्रयत्न करना;
  - (स) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना।
4. यह सभा किसी के निजी लाभ के लिए स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि सम्पूर्ण भार्गव जाति की उन्नति के लिए व लाभ के लिए स्थापित की गई थी।
5. **सम्पत्ति** : जो आमदनी सभा के सदस्यों से प्राप्त हो या अन्य नकद राशि, चल व अचल सम्पत्ति जो भार्गव सभा के लिए भविष्य में वसीयत द्वारा या भेट के रूप में देने का वायदा किया गया हो, वह केवल भार्गव सभा की सम्पत्ति होगी और वह सभा को कायम रखने में व सभा के उद्देश्यों को पूरा करने के काम में ही आएगी और जायदाद के सूद व मुनाफे से खर्चा ज्यादा न होगा।

इस धन व सम्पत्ति से प्राप्त ब्याज व अन्य आय का वह भाग जो नियम संख्या 34 के अनुसार हो बोर्डिंग हाउस के निर्माण में व्यय किया जा सकता था, जिसका भवन निर्माण हो रहा था।
6. **सदस्यों का दायित्व** : इस सभा की रजिस्ट्री व जिम्मेदारी **महदूद हस्ब मिक्दार चन्दा** मैम्बरान अमल में आएगी, मगर 'सभा' के साथ शब्द 'महदूद' (लिमिटेड) इस वजह से शामिल नहीं किया जाएगा, कि आइंदा तरक्की मैम्बरान की ही अमल में नहीं आएगी, क्योंकि यह सभा वास्ते फायदा आम कौम भार्गव के कायम हुई थी।
7. **मैम्बरान सभा** : भार्गव जाति का हर सदस्य, चाहे वह ब्रिटिश इंडिया में या बाहर रहता हो, सभा का मैम्बर हो सकता था।
8. सभा के मैम्बर तीन तरह के हो सकते थे :
  - (अ) भार्गव जाति के वे लोग जो अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ हिस्सा सभा को दें, ऐसे लोग सभा के आजीवन सदस्य होंगे;

- (ब) जो व्यक्ति 6/- रु. वार्षिक पेशगी चन्दा सभा को दिया करे, वह साधारण सदस्य कहलाएगा;
- (स) भार्गव जाति के वे लोग जो सभा को नकद राशि तो नहीं दे सकते थे, लेकिन वे अपनी शारीरिक अथवा मानसिक योग्यता से सभा की सेवा कर सकते थे, ऐसे लोग प्रबन्धक समिति की सिफारिश पर सभा के ऑनरेरी सदस्य बनाए जा सकते थे।

### सदस्यों के कर्तव्य व अधिकार

9. सभा के सदस्यों के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित थे :—

1. सभा के कार्यालय या उसके किसी कागज का अवलोकन करना व उसकी जाँच-पड़ताल करना;
2. सभा के हर साधारण अधिवेशन में शामिल होना;
3. सभा के अधिवेशन में जो विषय विचाराधीन हों, अथवा जिन पर निर्णय किया जाना हो, उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी राय देना;
4. सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना और उसकी धन राशि में बढ़ोतरी करना; और किसी भी विषय पर प्रस्ताव पेश करना;
5. सभा के भेजे हुए कागजात वगैरा का डाक खर्च दिए बिना प्राप्त करना।

### मैम्बरान का पृथक्त्व

10. निम्नलिखित हालात में मैम्बरान मैम्बर नहीं समझे जा सकते थे :—

- (अ) अगर कोई मैम्बर, जिसने चन्दा देने का वायदा किया हो, और एक साल के अंदर चन्दा अदा न करे, तो उसे (वोट) राय देने का अधिकार नहीं होगा; अगर वह सदस्य दो साल तक चन्दा अदा न करे, तो सभा का सैक्रेट्री उस मैम्बर का नाम रजिस्टर से निकाल देने के लिए सभा के विचारार्थ रिपोर्ट पेश करेगा।
- (ब) बहालात जाहिर होने के किसी वजह माकूल या मजनून या फातिल-उल-अक्ल हो जावे, या साबित होने किसी जुर्म-कानून, ता फिज़ाउल-वक्त के जिससे उसके चालो-चलन पर कोई इल्जाम आयद होता हो, तो सभा को अख्तियार होगा कि उसको मैम्बरी से खारिज कर दे।

### पदाधिकारी एवं उनकी नियुक्ति

11. सभा के निम्नलिखित पदाधिकारी सभा के मैम्बरान में से नियुक्त किए जाएँगे :—

- (1) प्रेसिडेंट बशर्ते कि मु. रामदयाल जी आजीवन प्रेसिडेंट रहेंगे
- (2) वाइस प्रेसिडेंट- ये सात से कम न होंगे, बशर्ते कि मु. नवलकिशोर जी, सी.आई.ई. आजीवन वाइस प्रेसिडेंट इन सातों में से एक होंगे
- (3) सैक्रेट्री—मु. गिरधरलाल जी, आजीवन सैक्रेट्री रहेंगे
- (4) ज्वाइंट सैक्रेट्री—1
- (5) असिस्टेंट सैक्रेट्री—आवश्यकता के अनुसार

\*\*\*\*\*

#### (6) खचानची—1

12. सभा के पदाधिकारी, आजीवन पदाधिकारियों के अतिरिक्त, हर साल साधारण अधिवेशन में चुने जाएंगे, और उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकेगा।
13. यदि कोई पदाधिकारी अपनी खुशी से पद त्याग दे, तो मैनेजिंग कमेटी, सभा के किसी अन्य सदस्य को उसकी जगह, साधारण अधिवेशन तक की बची हुई अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

#### पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार

14. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

##### 1. प्रेसिडेंट—

- (1) सभा के हरेक अधिवेशन में उपस्थित होकर अधिवेशन की कार्यवाही का निगरां रहना;
- (2) सभा की तहरीरात पर दस्तखत करना;
- (3) सभा के मैम्बरान के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अधिवेशन में सम्मिलित होने की इजाजत देना;
- (4) अमूमन सभा की कार्यवाही का निगरां रहना।

##### 2. वाइस प्रेसिडेंट—

- (1) प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट के वही अधिकार होंगे जो प्रेसिडेंट के थे;
- (2) प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में यदि एक से अधिक वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हों, तो उनमें से किसी एक को बैठक का चेयरमैन चुना जाएगा।
- (3) यदि कोई-सा भी वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित न हो तो, बैठक के चेयरमैन का चुनाव बहुमत से किया जाएगा; और इस चेयरमैन के अधिकार बैठक तक ही सीमित रहेंगे।

##### 3. सैक्रेट्री—

- (1) कागजात दफ्तर सभा के रखना व तैयार करना;
- (2) सभा की तरफ से पत्र व्यवहार करना;
- (3) रुपये का लेना और देना व उसकी रसीदात हासिल करना या देना;
- (4) सालाना बजट खर्च तैयार करना व उसके मुताबिक कार्य करना;
- (5) कागजात को सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत करना;
- (6) जब कोई मैम्बर कोई बात पूछे तो उसका जवाब देना;
- (7) मैम्बरान को एक हफ्ते पहले सभा की बैठक की तारीख, समय, स्थान व एजेन्डा की सूचना देना;
- (8) अमूमन सभा की कार्यवाही का इन्तजाम और निगरानी करना;

#### 4. ज्वाइंट सैक्रेट्री—

सैक्रेट्री को उसके औहदे के मुताबिक कामों में मदद देना और उसकी गैर हाजरी में उसके औहदे का काम करना।

सैक्रेट्री जिस तरह से भी चाहे, अपने कार्यों को ज्वाइंट सैक्रेट्री और असिस्टेंट सैक्रेट्री में तकसीम करदे, और सभा को उसकी इत्तला दे। सभा सैक्रेट्री के कामों को चन्द सैक्रेट्रीज में तकसीम कर सकती थी, परन्तु हरेक सूरत में सैक्रेट्री ही अपने काम के लिए जिम्मेदार था।

#### 5. ट्रेजरर—

- (1) सभा के सरमाये को अपनी तहवील में रखना;
- (2) सैक्रेट्री के तहरीरी हुक्म के बमुजिब रकम अदा करना;
- (3) हिसाब रखना;
- (4) त्रैमासिक हिसाब (जो जनवरी के साथ शुरू होगा) 15 योम में तैयार करना;
- (5) ट्रेजरर के काम सैक्रेट्री के भी सुपुर्द किए जा सकते थे।

#### साधारण अधिवेशन

15. जलसा हाय सभा हस्ब जैल होंगे; ऐसे साधारण अधिवेशन साल में एक बार दिसम्बर के आखरी हफ्ते में हुआ करेंगे, और ऐसे जलसे में निम्नलिखित विषय पेश होंगे :—

- (1) प्रबन्धक समिति की सभा के प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित रिपोर्ट; इस रिपोर्ट में अन्य मामलों के अतिरिक्त, संक्षिप्त में उन सभी कार्यवाहियों का विवरण होगा, जो प्रत्येक पदाधिकारी ने की हों;
- (2) गत वर्ष के बजट की जाँच-पड़ताल व आने वाले वर्ष के बजट की मंजूरी;
- (3) तहरीरात, खतोकिताबत का पेश होना, और नये सदस्यों की सूची पेश होना;
- (4) चेयरमैन की इजाजत से प्रशासन से सम्बन्धित कोई विषय आ जाए तो उस पर विचार करना, अथवा इस किस्म के मामलात पर अपना परामर्श देना, यदि सदस्यों को उसकी सात दिन पहले इत्तला दे दी गई हो;
- (5) रिपोर्टों में दर्ज विषयों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में सुझाव पेश करना;
- (6) प्रबन्धक समिति को आवश्यक निर्देश देना और प्रबन्धक समिति का व पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।

साधारण अधिवेशन की कार्यवाही तब ही शुरू की जाएगी जब कि सभा के कम से कम 21 सदस्य उपस्थित हों;

#### असाधारण अधिवेशन

ऐसे जलसे प्रेसिडेंट की राय से ही होंगे, या तहरीरी दरखास्त मैनेजिंग कमेटी या जब एक खम्स मैम्बरान सभा के लिखित में आवेदन सैक्रेट्री के पास भेजें।

\*\*\*\*\*

ऐसे जलसे किसी विशेष कार्य के लिए प्रबन्धक समिति के माध्यम से हुआ करेंगे, और ऐसे जलसे में केवल वही विषय विचारार्थ रखे जाएँगे, जिनके लिए यह बैठक बुलाई गई हो, और ऐसे अधिवेशन में भी प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में सदस्यों में से चेयरमैन निर्वाचित किया जाएगा।

16. यदि किसी सदस्य को कोई नया विषय प्रस्तावित करना हो, तो उसकी लिखित सूचना सभा के सैक्रेट्री को उस अधिवेशन से पहले इतने उचित समय में पहुँचनी चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व दे सके। जिस अधिवेशन में वह विषय पेश होगा उसमें इस पर बहुमत से निर्णय होगा। यदि सैक्रेट्री किसी प्रस्ताव को उस समय पेश न करे तो उसका कर्तव्य होगा कि वह उस प्रस्ताव के पहुँचने और उसे अधिवेशन में पेश न करने का कारण बताए और अगर वह सम्बन्धित प्रस्ताव ऐसे समय पहुँचे जब कि सैक्रेट्री ने अधिवेशन होने की सूचना भेज दी हो, और यदि सैक्रेट्री इस प्रस्ताव पर विचार होना उचित समझे तो आगामी अधिवेशन के लिए इस प्रस्ताव को स्थगित रखेगा और इसकी सूचना प्रस्तावक को दे दी जाएगी। यदि अधिवेशन में ही कोई विषय पेश किया जाए और अध्यक्ष उसका प्रस्तुत किया जाना सदस्यों की सूचना न होने पर भी उचित समझे तो भी वह विषय प्रस्तुत होकर प्रस्तावित कर दिया जाएगा, और ऐसे प्रस्ताव पर विचार व निर्णय साधारण रूप में होगा।

#### 17. एवजीनामे के द्वारा वोट देना

प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित एवजीनामे के जरिये अपनी राय दे सकेगा। किसी भी अन्य सदस्य को अपना लिखित एवजीनामा देकर अपनी राय दे सकेगा और यह नियुक्ति निम्नलिखित प्रारूप में होगी :—

##### एवजीनामा राय देही—

मैं मुसम्मी ..... सा. .... कि मैम्बर भार्गव सभा आगरा का हूँ, इस तहरीर की रू से मुसम्मी ..... सा. .... को अपना एवजी मुकर्रि कर के उसको अख्तियार देता हूँ कि सभा मजकूर के जलसा-ए-आम (मामूली या गैर मामूली जैसी सूरत हो) मैं जो ता ..... माह ..... सन् ..... को मुन्तकिद होने वाला है और उसके किसी जलसा इल्तवाई में या सभा के किसी जलसे में जो सन् ..... में वाकया हो, मेरी तरफ से राय दे। ब तसदीक इस आमर के मैंने आज ता. .... माह ..... सन् ..... को इस कागज पर अपने दस्तखत किये।

.....

दस्तख्त

मुसम्मी मजकूर ने हमारे रूबरू दस्तखत किये — उल अब्द गवाह शुद

#### प्रबन्धक समिति

18. आम इन्तजाम कारोबार सभा का सुपुर्द कमेटी कारकुन के होगा।  
19. इसके सदस्यों का चुनाव व नियुक्ति उसी तरह से होगी, जैसे कि सभा के पदाधिकारियों की होगी।

\*\*\*\*\*

20. सभा के पदाधिकारी प्रबन्धक समिति के भी पदाधिकारी होंगे।
21. प्रबन्धक समिति अपने कार्य संचालन के लिए सभा की स्वीकृति से ऐसे विशेष नियम बनाएगी जो सभा के उद्देश्यों के प्रतिकूल न हों।
22. प्रबन्धक समिति की कार्यवाही 5 सदस्यों के उपस्थित होने पर ही की जाएगी।
23. प्रबन्धक समिति की बैठक प्रति माह हुआ करेगी।
24. प्रबन्धक समिति सभा के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य बहुमत के आधार पर सम्पन्न करेगी।
25. सभा की प्रत्येक गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रबन्धक समिति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सभा के साधारण अधिवेशन में प्रस्तुत करनी होगी।
26. प्रबन्धक समिति के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वयं उन सब विषयों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करे जो सभा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करे।
27. प्रबन्धक समिति गत वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत करेगी और आइन्दा साल के लिए बजट स्वीकृत कराएगी।
28. सभा के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति का अधिकार प्रबन्धक समिति को होगा।
29. प्रबन्धक समिति को सभा की मंजूरी से धन को व्यय करने का अधिकार होगा।

#### अन्य

30. अधिवेशन के निश्चित समय से आधा घण्टा बीत जाने पर प्रधान या उपप्रधान की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों को अधिकार होगा कि किसी को भी उपस्थित सदस्यों में से सभा का प्रधान निर्वाचित करके बैठक का अध्यक्ष घोषित करें।
31. हर कागजात व लिखित कार्य विवरण, रिपोर्ट व बजट के सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर अध्यक्ष व मन्त्री के हस्ताक्षर हुआ करेंगे और सभा के सम्बन्ध में अथवा सभा की ओर से जो भी दस्तावेज लिखे जाएँ उन पर प्रधान व सैक्रेट्री के हस्ताक्षर पद सहित होंगे।
32. सभा की ओर से या सभा के विरुद्ध जो भी नालिश व अन्य कानूनी कार्यवाही होगी, वह प्रधान या सैक्रेट्री भार्गव सभा की ओर से की जाएगी और अन्य कागजात पर मन्त्री के दस्तखत होंगे।
33. सभा को मजाज है कि अपना राब्ता इत्तिहाद दीगर सोसाइटी हाय वगैरा से जारी रखे।
34. समय-समय पर आवश्यकतानुसार सभा के नियमों में परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन यह परिवर्तन व संशोधन सभा के उद्देश्यों के विपरीत न होंगे। ऐसे संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं होगा जब तक कि उसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के सभी कारण बताए गए हों, सदस्यों को न दे दी जाएगी और नियमों में संशोधन का कोई प्रस्ताव तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाएगा जब तक कि उपस्थित सदस्यों एवं एवजीनामा प्राप्त सदस्यों के 3/4



\*\*\*\*\*

बहुमत से न हों और एक माह के अन्दर दूसरे अधिवेशन में सदस्य बहुमत से उसका अनुमोदन न कर दें।

35. सभा को अधिकार था कि अपने प्रस्ताव के द्वारा प्रबन्धक समिति को इस प्रकार का आदेश व अधिकार दे कि इस सभा की पूँजी में किसी व्यवसाय के द्वारा वृद्धि कर सके।
36. यदि सभा के सदस्यों में से कोई व्यक्ति अवयस्क या पर्दानशीन महिला हो या कोई सदस्य बाद में विक्षिप्त हो जाए तो वह बजरिये अपने वली या कारिन्दा या अन्य संरक्षक के राय दे सकेगा।
37. चुनाव के तुरन्त बाद सदस्य बाजाबता दस्तावेज सैक्रेट्री के पास छोड़ेंगे कि यदि उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई ऐसा उत्तराधिकारी न हो जो मिताक्षरा कानून के मुताबिक वारिस की परिभाषा में नहीं आ सकता हो तो मृत्यु के बाद उसकी जायदाद सभा की जायदाद समझी जाएगी।
38. अगर कोई मैम्बरान सभा अपनी जायदाद का कोई हिस्सा सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और दूसरा भाग अन्य उद्देश्यों के लिए दे तो और सभा के मैम्बरों में से किसी को एक्जीक्यूटर नियुक्त करे तो यह उचित होगा कि सभा उतना ही लाभ उठा कर बाकी अन्य उद्देश्यों को पूरा करे।
39. यदि कोई मैम्बरान सभा या अन्य व्यक्ति भार्गव जाति का अपनी सम्पत्ति का कोई भाग किसी विशेष शर्त से उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दे जिनके लिए सभा स्थापित हुई थी, तो यह आवश्यक था कि वह पूँजी या धन उसी विशेष कार्य के लिए व्यय किया जाएगा।
40. भार्गव सभा की शाखाएँ भार्गव सभा के नियमों व उद्देश्यों की पाबन्द रहेंगी।
41. मैम्बरान सभा का यह आवश्यक कर्तव्य होगा कि विवाह आदि के शुभ अवसरों पर जिस तरह धन परोपकार कार्यों पर व्यय किया जाता है उसी तरह सभा की पूँजी की वृद्धि के वास्ते अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें और जाति के अन्य व्यक्तियों से भी, चाहे वे सभा के मैम्बर हों या नहीं, ऐसे अवसरों पर सभा की सहायता के लिए धन दिलाएँ।
42. भार्गव सभा की पूँजी किसी विश्वस्त प्रतिष्ठान या बैंक में सूद पर सभा के नाम से जमा कराई जाएगी, तथा कुछ धन राशि दैनिक व आवश्यक खर्चों के लिए खजानची के पास रहेगी।

सभा का उपरोक्त संविधान उसके पंजीकरण के साथ-साथ ही प्रभावी हुआ और उसकी निम्नलिखित कुछ विशेषताएँ थीं :—

- (1) तीन महानुभावों को आजीवन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। मु. रामदयाल जी, मु. नवलकिशोर जी व मु. गिरधर लाल जी को क्रमशः आजीवन प्रेसिडेन्ट, वाइस प्रेसिडेन्ट व सैक्रेट्री घोषित किया गया था।
- (2) कॉन्फ्रेंस अथवा सम्मेलन जैसी किसी संस्था का कोई प्रावधान नहीं था।
- (3) प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी।
- (4) सभा की प्रबन्धक समिति के अतिरिक्त अन्य कोई समिति अथवा उपसमिति स्थापित नहीं की गई थी।

संविधान से उन नियमों का बोध होता है, जिनके अनुसार किसी भी संस्था का गठन तथा संचालन होता है। इन नियमों में समय-समय पर संशोधन अथवा परिवर्तन आवश्यक होते हैं और होते भी रहते हैं, क्योंकि ये नियम समय की परिस्थितियों एवं विचारधारा के प्रतीक मात्र ही होते हैं। अतएव सभा के नियमों में तथा उसके संगठनात्मक ढाँचे में भी समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन होते रहे हैं, जिनमें मुख्य-मुख्य निम्नलिखित थे:—

- (1) **उद्देश्यों का संवर्धन** - सन् 1889 ई. के संविधान में सभा के निर्धारित उद्देश्य बहुत ही सरल एवं संक्षिप्त थे, लेकिन उनमें जाति का सर्वांगीण कल्याण निहित था। अतः उनको विस्तृत रूप से परिभाषित एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से उनमें शाब्दिक परिवर्तन करके, उन्हें परिवर्धित एवं विस्तृत करने के ही प्रयत्न किए गए। सन् 1985 ई. के संविधान के अनुसार निम्नलिखित 12 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :—
  - (i) भार्गव जाति में आपस में प्रेम और मेलजोल बढ़ाना।
  - (ii) भार्गव जाति में हर प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं व्यवस्था करना।
  - (iii) भार्गव जाति के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक उत्थान हेतु प्रयत्न करना।
  - (iv) भार्गव जाति के अधिकारों की रक्षा करना।
  - (v) भार्गव जाति के अनाथ, असहाय और रोगी जनों व विधवाओं आदि की हर प्रकार से सहायता करना एवं उनके पुनर्वासन हेतु प्रयत्न करना।
  - (vi) भार्गव सभा की वर्तमान चल व अचल सम्पत्ति की रक्षा करना तथा उसे उचित प्रकार से सभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोजन में लाना।
  - (vii) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित रीतियों व नीतियों का अनुसरण करना।
  - (viii) भार्गव सभा के सदस्यों एवं भार्गव जाति के हित व प्रगति के लिए प्रयत्न करना।
  - (ix) भार्गव सभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए धन व सम्पत्ति एकत्रित करना।
  - (x) भार्गव सभा के हित में चल व अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना व किराए आदि पर देना।
  - (xi) भार्गव सभा को किसी भी रूप में दिए गए अनुदानों को स्वीकार करना।
  - (xii) भार्गव सभा के वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले न्यासों का समुचित प्रबन्ध करना।
- (2) **स्थान** — सर्वप्रथम भार्गव सभा का मुख्यालय आगरा रखा गया था; बाद में निश्चय किया गया कि सभा के मुख्य कार्यालय का स्थान प्रतिवर्ष सभा के वार्षिक अधिवेशन में निश्चय किया जाएगा, और अब वर्तमान में सभा का मुख्य कार्यालय प्रधानमंत्री (जनरल सैक्रेट्री) के स्थान पर होना निश्चित किया गया है।

\*\*\*\*\*

(3) **सभा के मैम्बरान अथवा सभासद** — प्रथम नियमावली में तीन प्रकार के सदस्य निर्धारित किए गए थे — (1) आजीवन (2) साधारण (3) असाधारण।

1. आजीवन सदस्य वे होते थे जो अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ हिस्सा सभा को देते थे;
2. साधारण सदस्य वे होते थे जो 6/-रुपया वार्षिक पेशगी चंदा सभा को देते थे।
3. असाधारण सदस्य भार्गव जाति के वे लोग होते थे, जो सभा को नकद राशि तो नहीं दे सकते थे, लेकिन वे अपनी शारीरिक अथवा मानसिक योग्यता से सभा की सेवा कर सकते थे। ऐसे लोग प्रबन्धक समिति की सिफारिश पर सभा के ऑनरेरी सदस्य बनाए जा सकते थे।

बाद में सदस्यों की श्रेणियाँ तो ये तीन ही रहीं, किन्तु उनकी योग्यता में संशोधन होते रहे।

सबसे पहले जो संशोधन हुआ उसके अनुसार स्थायी सभासद वे थे जो — (1) अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ भाग, या एक मास की आय, या एक ही बार में कम से कम 100/- रु. सभा को दें। (2) स्वतन्त्र आय वाली वे महिलाएँ, जो पुरुषों के समान ही शुल्क दें। (3) महिलाएँ जिनके स्वतन्त्र आय के साधन न हों, परन्तु जिनके संरक्षक सभा के स्थायी सभासद हों, यदि वे अपने संरक्षक की वार्षिक आय का चौबीसवाँ भाग, या उसकी मासिक आय का अर्ध भाग, या एक ही बार में कम से कम 50/- सभा को दें। यदि उनके संरक्षक सभा के स्थायी सदस्य न हों, तो ऐसी महिलाओं को भी पुरुषों के समान शुल्क देना होगा। (नोट:- जिन स्त्री-पुरुषों की आय 1200/- वार्षिक या 100/- रुपये मासिक से अधिक हो उनसे आशा की जाती थी कि वे अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ भाग, या एक मास की पूर्ण आय ही शुल्क रूप में दे देंगे।

**साधारण सभासद** — वे स्त्री-पुरुष जो कम से कम 6/- रुपये वार्षिक शुल्क दें।

**असाधारण सभासद** — इनकी योग्यताओं में केवल यह परिवर्तन किया गया कि इनका निर्वाचन प्रतिवर्ष होगा, अर्थात् इनकी सदस्यता एक ही वर्ष निश्चित की गई थी।

इसके पश्चात् वर्तमान नियमावली सन् 1985 ई. के अनुसार।

(अ) आजीवन सदस्य —

1. वे पुरुष जो एक ही बार में 120/- रुपये सभा को दें।
2. स्वतन्त्र आय वाली वे महिलाएँ जो एक ही बार में 60/- रुपये भार्गव सभा को दें।
3. वे पति-पत्नी जो एक बार में 150/- रुपये सभा को दें।
4. वे महिलाएँ जिनकी स्वतन्त्र आय न हो, परन्तु जिनके संरक्षक/पति/पिता सभा के स्थायी सभासद हों, एक ही बार में 30/- रुपये सभा को दें।

(ब) साधारण सभासद —

1. वे पुरुष जो 10/- रुपये वार्षिक शुल्क दें।
2. वे महिलाएँ जो 5/- रुपये वार्षिक शुल्क दें।

(स) असाधारण सदस्य—इनमें केवल यह परिवर्तन किया गया है कि इनका प्रत्येक वर्ष निर्वाचन न होकर आजीवन स्थायी सदस्य होंगे।

स्थायी सदस्यों के शुल्क में बार-बार परिवर्तन करने का उद्देश्य ऐसे सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सभा के स्थायी कोष में वृद्धि करना था।

(4) **अस्थायी सम्पत्ति** — अस्थायी सम्पत्ति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन सन् 1985 ई. में ही हुआ, जिसके अनुसार “अस्थायी सम्पत्ति में से वर्ष का सम्पूर्ण व्यय घटाने के बाद जो भी बचत हो उसका 25 प्रतिशत स्थायी (कौरपस) फंड में स्थानांतरित किया जाएगा।”

(5) **वाइस प्रेसिडेन्ट्स** — प्रारम्भ में वाइस प्रेसिडेन्ट्स अथवा उपप्रधानों की संख्या 7 तक रखी गई थी। उसके बाद इसको बढ़ा कर 7 से 15 अर्थात् 15 कर दिया गया और अब वर्तमान नियमावली में इनकी संख्या 5 निश्चित की गई है।

(6) **प्रबन्धक समिति**—प्रबन्धक समिति का मूल रूप व कर्तव्य तो लगभग प्रारम्भ में आज तक एक ही समान रहे हैं। केवल मुख्यतः तीन विषयों में संशोधन किए गए हैं, वे हैं:—

1. सदस्य संख्या,
2. वित्तीय अधिकार,
3. बैठकों की संख्या।

(1) **सदस्य संख्या** — सन् 1889 ई. के संविधान में प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, जिसके बाद पहले संशोधन द्वारा ही प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या 21 से 51 तक कर दी गई, जिसमें इसके पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। वर्तमान में भी प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या, स्थानीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 51 ही है।

प्रत्येक स्थानीय भार्गव सभा को यदि उसके 100 से कम परिवार हों, तो एक प्रतिनिधि, 100 से 200 परिवार हों तो 2 प्रतिनिधि एवं 200 से अधिक परिवार हों तो तीन प्रतिनिधि प्रबन्धक समिति में चुन कर भेजने का अधिकार है।

(2) **वित्तीय अधिकार** — प्रथम नियमावली के अनुसार प्रबन्धक समिति को सभा की मन्जूरी से धन को व्यय करने का अधिकार था। इसके बाद एक संशोधन द्वारा निर्णय लिया गया कि बजट में स्वीकृत राशि से प्रबन्धक समिति को 500/- रुपए से अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं था, और इस अधिक खर्च की हुई राशि की स्वीकृति सभा के वार्षिक अधिवेशन में लेना आवश्यक था।

अब वर्तमान नियमावली (सन् 1985 ई.) के अनुसार प्रबन्धक समिति एक वर्ष में स्वीकृत बजट से आवश्यकतानुसार 2000/- रुपए तक अधिक खर्च कर सकती है जिसकी स्वीकृति सभा के अगले अधिवेशन में लेना आवश्यक होगा।

(3) **बैठकों की संख्या** — प्रारम्भ में प्रबन्धक समिति की बैठकें प्रत्येक माह होना आवश्यक था। इसके बाद में बैठकें तिमाही कर दी गई, जैसा अब तक होता चला आ रहा है।

(7) **सभा की उपसमितियाँ** —

सभा की प्रथम नियमावली सन् 1889 ई. में किसी भी उपसमिति का प्रावधान नहीं था। उपसमितियों का गठन सर्वप्रथम सन् 1912 ई. में हुए संशोधन के द्वारा किया गया था। इनकी स्थापना का उद्देश्य प्रबन्धक समिति के कुछ कार्यों का सरलतापूर्वक सम्पादन करना था। अतएव प्रबन्धक समिति के सदस्यों में से ही दो उपसमितियाँ (1) सब कमेटी तालीम और (2) सब कमेटी मुताल्लिक उमूरे माली, अखलाकी व तमद्दुनी वगैरा जिसे बाद में समाज सुधार उपसमिति भी कहा गया, स्थापित की गई। इनके प्रत्येक के सदस्य 7 से कम व 11 से अधिक नहीं रखे गए थे, जिनमें इनके पदाधिकारी प्रेसिडेन्ट, 1 वाइस प्रेसिडेन्ट, एक सैक्रेट्री व ज्वाइंट सैक्रेट्री भी शामिल थे। तालीमी सब कमेटी अथवा शिक्षा उपसमिति के कार्य, जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराना व छात्रवृत्तियाँ देना था। माली अखलाकी व तमद्दुनी सब कमेटी अथवा समाज सुधार उपसमिति के कार्य सामाजिक सुधार व जाति के कल्याण सम्बन्धी सभी कार्य करना था। उसके कार्यों में विवाह आदि सामाजिक रीति-रिवाजों में सुधार करना, विधवाओं, अपाहिजों व निराश्रितों, अन्य कमजोर वर्गों की आर्थिक व अन्य सहायता करना, समाज के बेरोजगार युवकों के लिए काम-धन्धों का प्रबन्ध करना, जाति की आर्थिक व साहित्यिक उन्नति के प्रयत्न करना व सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना आदि था। इनका गठन प्रतिवर्ष प्रबन्धक समिति के सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा होता है। इनके मूल ढाँचे में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(8) **सभा के अधिवेशन** — सन् 1889 ई. की नियमावली में सभा के केवल दो ही अधिवेशनों का उल्लेख था, एक तो साधारण और दूसरा असाधारण। साधारण अधिवेशन से वार्षिक अधिवेशन का तात्पर्य था, जिसमें सभी साधारण विषय प्रस्तुत किए जाते थे। असाधारण अधिवेशन वे होते थे जो प्रेसिडेन्ट की अनुमति से ही होते थे या जिनके लिए मैनेजिंग कमेटी या एक निश्चित संख्या के सदस्य लिखित आवेदन सैक्रेट्री के पास प्रस्तुत करते थे। ये अधिवेशन विशेष कार्य के लिये प्रबन्धक समिति के माध्यम से ही होते थे व इनमें उन्हीं विषयों पर विचार हो सकता था जिनके लिए उन्हें बुलाया गया हो।

इसके पश्चात् जो संशोधन हुआ उसके अनुसार सभा के तीन अधिवेशन निश्चित किए गए और वे आज तक उसी रूप में प्रचलित हैं। ये तीन अधिवेशन थे:—

- (1) साधारण अधिवेशन,
- (2) विशेष अधिवेशन,
- (3) असाधारण अधिवेशन।

1. **साधारण अधिवेशन** — ऐसे अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार साधारणतया दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में या किसी दूसरे ऐसे अवसर पर जो प्रबन्धक समिति निश्चय करे, हुआ करेंगे।
2. **विशेष अधिवेशन** — ऐसे अधिवेशन प्रबन्धक समिति की इच्छा से या 30 सभासदों की लिखित प्रार्थना पर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाए जाते थे। ऐसे अधिवेशनों में केवल वही विषय उपस्थित होते थे जिनके लिये वे बुलाए गए हों।
3. **असाधारण अधिवेशन या सम्मेलन** —
  - (1) प्रयत्न किये जाने पर भी जाति के बहुत-से स्त्री-पुरुष सभा के सभासद नहीं बने थे। फलतः सभा केवल अपने सभासदों की राय से ही सामाजिक सुधार सम्बन्धी विषयों पर, जिनका सम्बन्ध समस्त जाति से था, उचित निर्णय नहीं कर सकती थी। इस कारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के साथ ही जाति के 18 वर्ष से ऊपर की आयु के समस्त स्त्री-पुरुषों का एक असाधारण अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो सभा के सभासद न हों, वाद-विवाद में भाग लेकर अपना मत प्रगट कर सकेंगे। इसका नाम 'भार्गव सम्मेलन' होगा।
  - (2) इस सम्मेलन में साधारणतया सामाजिक सुधार सम्बन्धी विषयों पर ही विचार होगा और निर्णय उपस्थित सभासदों के बहुमत से होगा।
  - (3) इस सम्मेलन को अधिकार होगा कि ऐसे विषयों पर जिनमें सभा का द्रव्य व्यय होता हो, विचार करके अपना मत सभा को सुझाव रूप में भेजे परन्तु उसकी अन्तिम स्वीकृति का अधिकार केवल सभा के साधारण या विशेष अधिवेशनों को ही होगा।
  - (4) यह सम्मेलन साधारणतया सभा के साधारण अधिवेशन के साथ ऐसे स्थान पर हुआ करेगा, जो गत सम्मेलन में निश्चय किया गया हो।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जो सभा का मूल रूप सन् 1889 ई. की नियमावली द्वारा निर्धारित किया गया था, वह ही कुछ संशोधन को सम्मिलित कर वर्तमान संगठन का आधार बना है।

\* \* \*

## 4. कांफ्रेंस—संगठन, उपयोगिता एवं नियमानुपालन

अपने जन्म सन् 1889 ई. से ही कांफ्रेंस एक जातीय जन समूह के रूप में कार्यरत हुई। प्रारम्भ में न तो उसके सम्बन्ध में कोई नियम थे और न ही अलहदा से कोई पदाधिकारी थे, एवं भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशनों के साथ-साथ ही उसका संचालन होता रहा तथा भार्गव सभा के प्रधान अथवा उपप्रधान ही, उस जनसमूह की भी अध्यक्षता करते रहे। सन् 1894 ई. में प्रथम बार मु. रती राम जी कांफ्रेंस के प्रेसिडेंट व बा. रामसिंह जी उसके सैक्रेट्री चुने गए। इसके तुरन्त बाद ही यह धारणा बनी कि सम्भवतः कांफ्रेंस सभा से भिन्न कोई इकाई थी। अतः सन् 1895 ई. के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांफ्रेंस के कार्य संचालन विधि का निर्माण किया जाए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कांफ्रेंस व सभा के क्या सम्बन्ध थे। अतएव मु. गणेशी लाल जी, एकाउण्टेन्ट देहली, से निवेदन किया गया कि वे कांफ्रेंस से सम्बन्धित नियमों का प्रारूप बना कर प्रस्तुत करें ताकि उस पर विचार कर निर्णय लिया जा सके। अतः सन् 1896 ई. में आगरा के सम्मेलन में मु. गणेशी लाल जी द्वारा तैयार किया हुआ व मु. अनन्त राम जी, वकील, अलीगढ़, द्वारा कानूनी दृष्टि से पुनर्निरीक्षित किया हुआ, “दस्तूर-उल-अमल कांफ्रेंस का प्रारूप प्रस्तुत किया गया व स्वीकार हुआ।

सन् 1896 ई. में स्वीकृत एवं सन् 1897 ई. से प्रभावित नियमावली अथवा दस्तूर-उल-अमल के अनुसार, भार्गव कांफ्रेंस से ऐसे जलसे से तात्पर्य था कि जो नियमानुसार समस्त जाति से सम्बन्धित हो, एक वक्त पर निश्चित किया गया हो, और जिसका संबन्ध किसी व्यक्ति विशेष अथवा जाति के किसी वर्ग से न हो एवं जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे :—

- (1) पारस्परिक एकता एवं सहानुभूति तथा जातीय प्रेम की वृद्धि करना;
- (2) जातीय रीति-रिवाजों में समुचित संशोधन, वृद्धि अथवा उन्हें समाप्त करना;
- (3) जाति की शैक्षणिक, शारीरिक व नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक निर्देश देना;
- (4) जो भी प्रस्ताव किसी से भी प्राप्त हों एवं सिलैक्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत हों, उन पर विचार करके निर्णय लेना;
- (5) अन्य कोई विषय भी जो कांफ्रेंस में ही प्रस्तुत किए जाएँ, उन पर भी विचार किया जा सकता था।

दस्तूर-उल-अमल के अन्य मुख्य-मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे :—

- (1) कांफ्रेंस के सैक्रेट्री एवं ज्वाइंट सैक्रेट्री आगामी वर्ष के लिए प्रतिवर्ष निर्वाचित किए जाएँगे;
- (2) प्रेसिडेंट का निर्वाचन स्थानीय कमेटियों द्वारा कांफ्रेंस से दो माह पूर्व किया जाएगा;
- (3) कांफ्रेंस का सैक्रेट्री संबन्धी पत्रादि अपने पास रखेगा व कांफ्रेंस का नोटिस निकालेगा;
- (4) कांफ्रेंस के लिए प्रतिनिधि स्थानीय कमेटियों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। जिस स्थान पर कांफ्रेंस

आयोजित की जाएगी। वहाँ के प्रतिनिधि भी इसी प्रकार मनोनीत किए जाएँगे। ऐसे स्थान जहाँ पर कि केवल एक ही व्यक्ति रहता हो तो वहाँ से उसी को प्रतिनिधि समझा जाएगा।

- (5) कांफ्रेंस के प्रथम दिन अधिवेशन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा कि सर्वप्रथम स्वागत समिति के अध्यक्ष की तकरीर होगी, जिसके पश्चात् कांफ्रेंस का सैक्रेट्री निर्वाचित प्रेसिडेन्ट से आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन करेगा। इसके पश्चात् एक सिलैक्ट कमेटी की नियुक्ति होगी, जो कांफ्रेंस के लिए प्रस्तुत विषयों पर विचार कर उन विषयों का चयन करेगी, जो कांफ्रेंस में प्रस्तुत किए जाएँगे। सिलैक्ट कमेटी में उन सभी स्थानों के प्रतिनिधि होंगे जहाँ-जहाँ से प्रतिनिधि आए हों।
- (6) जो भी प्रस्ताव कांफ्रेंस में पारित किए जाएँगे वे जाति के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे एवं उनका पालन करना सबके लिए आवश्यक होगा।
- (7) यदि कोई व्यक्ति कांफ्रेंस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का जानबूझकर विरोध अथवा उल्लंघन करेगा, या अन्य किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा या प्रेरित करेगा, या स्वयं कियी अन्य के इशारे पर ऐसा करेगा, या ऐसे किसी विरोध अथवा उल्लंघन की जानबूझ कर अनदेखी करेगा, तो आवश्यक होगा कि स्थानीय कमेटी या अन्य कोई कमेटी या सभा द्वारा, इसके प्रमाणित होने पर, विरोध अथवा उल्लंघन करने वाले का नाम कांफ्रेंस में पेश किया जाएगा, और जलसा उसकी कार्यवाही पर रंज या अफसोस प्रगट करेगा, और कांफ्रेंस की कार्यवाही में यह बात दर्ज की जाएगी।
- (8) कांफ्रेंस में समस्त निर्णय उपस्थित प्रतिनिधियों के दो-तिहाई बहुमत से ही स्वीकृत समझे जाएँगे।
- (9) कांफ्रेंस के लिए कम से कम एक महीने का नोटिस आवश्यक होगा, एवं विचारार्थ विषय कम से कम डेढ़ माह पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे।
- (10) प्रतिनिधियों के रहने व खाने-पीने का प्रबन्ध उसी जगह के लोग करेंगे जहाँ पर कांफ्रेंस हो रही हो।
- (11) कांफ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं कांफ्रेंस की कार्यवाही को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर एक कमेटी या सभा स्थापित की जाएगी और उसकी बैठक नियमानुसार प्रतिमाह हुआ करेगी।

सन् 1897 ई. के मथुरा में हुए सम्मेलन में इस विषय पर विचार हुआ कि कांफ्रेंस का काम दो दिन में समाप्त किया जा सकता था या नहीं तथा उसके लिए आवश्यक धन आदि के बारे में किस प्रकार प्रबन्ध किया जा सकता था। प्रस्ताव संख्या 33 द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्मेलन के लिए चन्दा किया जाए व एक स्थायी धनराशि भी इकट्ठी की जाए। बा. अनन्त राम जी ने कहा कि कान्फ्रेंस का एक फण्ड तो होना ही चाहिए, और उसके लिए उन स्थानों की एक सूची बनाई जाए जहाँ कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती थी, और फिर उन जगहों पर एलफाबैटिकल क्रम में कान्फ्रेंस आयोजित की जाया करे। अन्त में निर्णय लिया गया कि सिलैक्ट कमेटी द्वारा तैयार की हुई सूची स्वीकार की जावे, जिसमें 38 शहरों के



नाम दिए गए थे व प्रत्येक शहर के चन्दे की राशि भी दर्ज की गई थी और उन व्यक्तियों के नाम भी दिए गए थे जो चन्दा वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। इसी के साथ एक अन्य निर्णय के अनुसार यह चन्दा 1 जून, सन् 1898 ई. से चालू किया जाना था जो प्रति वर्ष 30 जून तक सैक्रेट्री कांफ्रेंस के साथ पहुँच जाना आवश्यक था। यदि कोई नगर कांफ्रेंस को आमन्त्रित करेगा, तो उस वर्ष का चन्दा उससे वसूल नहीं किया जाएगा।

सन् 1899 ई. में मेरठ में हुए कांफ्रेंस के अधिवेशन में भार्गव कांफ्रेंस की नियमावली की स्वीकृति की पुष्टि की गई एवं कांफ्रेंस द्वारा प्रतिपादित नियमों के प्रचार-प्रसार, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, एवं अनुपालन हेतु प्रयत्न करने के लिए एक उपदेशक की नियुक्ति की गई जिसने बहुत-से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया व कई जगह लोकल कमेटियाँ भी स्थापित कराईं।

कांफ्रेंस का कार्यालय सन् 1898 में देहली में स्थापित किया गया था व सन् 1899 ई. में सहारनपुर में रहा। कांफ्रेंस के दफ्तर के मुख्य कार्य थे :—

- (1) जाति की जनगणना व डायरैक्ट्री सम्बन्धी कार्य करना व निर्देश देना कि सरकारी जनगणना में, चूँकि केवल दूँसर ही लिखने में कुछ भ्रम होता था, इसलिए दूँसर ब्राह्मण लिखवाया जाए, जिससे सरकारी कागजातों में सही तथ्य लिखे जा सकें।
- (2) कांफ्रेंस का चन्दा इकट्ठा करना;
- (3) टेवों को इकट्ठा करना व जिन लोगों को आवश्यकता हो उन्हें उपलब्ध कराना;
- (4) कांफ्रेंस द्वारा पारित नियमों व प्रस्तावों के अनुपालन के विषय में जाति के लोगों को उनके कर्तव्य व उत्तरदायित्व का बोध कराना;
- (5) कांफ्रेंस की रिपोर्ट प्रकाशित करना व आगामी कांफ्रेंस की कार्य सूची (ऐजेन्डा) तैयार करना;
- (6) छात्रों व बेवाओं की सहायता के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें आगरा व रिवाड़ी सभाओं के सैक्रेट्रीज के पास भेजना।
- (7) उपदेशक के कार्य को संचालित करना।

इन कार्यों में से अधिकांश का संपादन उपदेशक के माध्यम से कराया जाना था। अतः कांफ्रेंस के उद्देश्यों की सफलता बहुत हद तक उपदेशक की योग्यता एवं सक्रियता पर निर्भर थी। किन्तु जैसा कि कांफ्रेंस के सैक्रेट्री पं. ज्योति प्रसाद जी ने सन् 1903 ई. के अधिवेशन में बतलाया कि उस समय तक कोई योग्य उपदेशक नहीं मिल पाया था।

अतः सन् 1907 ई. में अलीगढ़ में हुए कांफ्रेंस के अधिवेशन में स्थायी धन राशि के विषय में विचार के अतिरिक्त, स्थानीय कार्यकर्ता एवं एक केन्द्रीय कमेटी की स्थापना के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बा. अनन्तराम जी ने कहा कि कार्यकर्ता न होने के कारण स्थानीय कमेटियाँ नहीं बन सकी थीं, और जब तक अच्छे कार्यकर्ता उपलब्ध न हों तब तक वांछित सफलता नहीं मिल सकती थी। केवल कांफ्रेंस जो एक जनसमूह ही था, क्या कर सकती थी जब तक कि सब मिलकर काम न करें। अतएव स्थानीय कार्यकर्ता अथवा कारकुनान की नियुक्ति की गई और उनके निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए :—

- (1) जाति में एकता स्थापित करना;
- (2) जो बेवाएँ, अपाहिज या बच्चे छात्रवृत्तियों के योग्य हों उनकी सूचना कांफ्रेंस के कार्यालय को देना;
- (3) जाति के जिन विषयों के संबंध में स्थानीय लोगों की राय लेनी हो, उनकी राय प्राप्त करना;
- (4) स्थायी धनराशि एकत्रित करने वाले प्रतिनिधि मण्डल की सहायता करना;
- (5) जातीय समाचार व कांफ्रेंस के नियमों एवं प्रस्तावों के अनुपालन अथवा उल्लंघन की व अन्य सूचनाएँ कांफ्रेंस के कार्यालय को देना;
- (6) कांफ्रेंस के अधिवेशन में प्रस्तुत करने योग्य विषयों पर स्थानीय लोगों की राय लेना और जो विषय उस योग्य समझे जाएँ उनकी सूचना कांफ्रेंस के जनरल सैक्रेट्री को देना;
- (7) यथासंभव स्थानीय कमेटियाँ स्थापित कराना व उनकी सूचना कांफ्रेंस के जनरल सैक्रेट्री को देना और अन्य सूचना समय-समय पर कांफ्रेंस के कार्यालय को देना।
- (8) रीति-रिवाजों में जो-जो दोष मालूम होते जावें, उनकी सूचना कांफ्रेंस के कार्यालय को देते रहना।

प्रस्ताव संख्या (20) द्वारा निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों को, जिन्होंने अपने स्थान से जाति की सेवा के लिए प्रस्तुत किया था, या जो स्वयं उपस्थित न थे, मगर जिनके विषय में जलसे ने सिफारिश की थी, स्थानीय कार्यकर्ता नियुक्त किए जावें और जो स्थान रह गए थे उनके स्थानीय व्यक्तियों से जनरल सैक्रेट्री पत्र व्यवहार करें और जो-जो सज्जन जाति की सेवा करना चाहें उनको स्थानीय कार्यकर्ता नियुक्त कर दिया जावे :—

- देहली — बा. जयनारायण जी, बा. मनोहर लाल जी व बा. सीताराम जी,  
 लखनऊ — बा. प्यारे लाल जी व बाबू छोटे लाल जी,  
 इलाहाबाद — बा. राम नाथ जी व ला. भगवानदास जी,  
 सासनी — बा. मथुरा प्रसाद जी,  
 कानपुर — बा. गिरधर दास जी व बा. राम नारायण जी,  
 नसीराबाद — बा. प्रभुदयाल जी,  
 रिवाड़ी — बा. राधारमण जी, बा. बिहारी लाल जी सैक्रेट्री,  
 लाहौर — बा. मनोहर लाल जी व बा. शौ लाल जी,  
 मथुरा — बा. राधा किशन जी, बा. लाडली किशोर जी, बा. नारायण प्रसाद जी, बा. गंगाप्रसाद जी, बा. दयाशंकर जी व बा. मुरलीधर जी,  
 आगरा — बा. गोपाल प्रसाद जी, बा. राम चरण जी व बा. रामा शंकर जी,  
 अजमेर — बा. श्याम लाल जी।

प्रस्ताव संख्या (21) द्वारा एक सैन्ट्रल (केन्द्रीय) कमेटी भी बनाने का निर्णय लिया गया कि जो कांफ्रेंस का प्रबन्ध करती रहे और कांफ्रेंस में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों को निश्चित किया करें। इस कमेटी के निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किए गए:—

\*\*\*\*\*

1. राय बहादुर बा. राधा रमण जी, डिप्टी कलेक्टर, बदायूँ
2. बा. वासदेव लाल जी, एडवोकेट, लखनऊ
3. मु. प्रयाग नारायण जी, लखनऊ
4. राव साहब मु. दामोदर लाल जी, मैम्बर कौंसिल, भरतपुर
5. बा. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर
6. बा. राम सिंह जी, कानपुर
7. बा. गोपाल प्रसाद जी रईस, आगरा
8. बा. गौरी शंकर जी वकील, सोनी चंपारा
9. राव बहादुर मु. बिहारी लाल जी, जबलपुर
10. मु. फूल चन्द जी, ई. ए. सी., अजमेर
11. बा. मक्खन लाल जी वकील, अजमेर
12. मु. लीलाधर जी रईस, अलीगढ़
13. मु. अमीर सिंह रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, आगरा
14. राय गंगा शरण दास जी, दिल्ली
15. राय दुर्गा प्रसाद जी, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, सहारनपुर
16. बा. गणेशी लाल जी एकाउन्टेंट, दिल्ली
17. मु. हीरा लाल जी रईस, जयपुर
18. बा. अनन्त राम जी वकील, अलीगढ़
19. बा. बिहारी लाल जी, सैक्रेट्री रिवाड़ी सभा
20. मु. चिरंजी लाल जी रईस, रिवाड़ी
21. हकीम गोपाल सहाय जी, मथुरा
22. बा. भगवान दास जी वकील, इलाहाबाद
23. पं. मथुरा प्रसाद जी, कोटा
24. बा. सुन्दर लाल जी एकाउन्टेंट, लाहौर
25. बा. हीरालाल जी सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट ऑफिसेज, मुलतान
26. बा. जवाहर लाल जी वकील, हिसार
27. मु. रामचरण लाल जी, अलवर
28. मु. कांती प्रसाद जी वकील, अलवर
29. बा. हरीहर लाल जी, गाजियाबाद
30. राय कौशल किशोर जी रईस, मथुरा।

प्रस्ताव संख्या [22] द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में जिस स्थान पर कांफ्रेंस का अधिवेशन हो उसकी रिसैप्शन कमेटी, प्रेसिडेंट का चुनाव 2 माह पहले करे और इसकी सूचना जनरल सैक्रेट्री कांफ्रेंस को दे दे।

सन् 1908 ई. के अधिवेशन में बा. मनोहरलाल जी व मु. गंगा प्रसाद जी द्वारा प्रस्तावित कांफ्रेंस के निम्नलिखित नियम स्वीकार किए गए :—

- (1) कांफ्रेंस के उद्देश्य शिक्षा व वित्त से सम्बन्धित होंगे;
- (2) कांफ्रेंस की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें जनरल सैक्रेट्री, 2 ज्वाइंट सैक्रेट्री और 2 सैक्रेट्री होंगे;
- (3) हर स्थान पर एक स्थानीय कमेटी होगी;
- (4) इस कमेटी के सदस्यों की आयु कम से कम 18 वर्ष की होगी; यह कमेटी जाति के लाभ का ध्यान रखेगी। बच्चों की शिक्षा की देखभाल करेगी, गरीबों व बेवाओं की सहायता करेगी और सदस्य बनाएगी।
- (5) प्रतिनिधियों के दो वोट होंगे तथा अन्य का एक वोट होगा।

सन् 1912 ई. तक कांफ्रेंस एक पृथक संस्था के रूप में कार्य करती रही, यद्यपि उसके व सभा दोनों के उद्देश्य एक ही थे, और उनमें केवल यही अन्तर था कि भार्गव सभा एक रजिस्टर्ड संस्था थी और उसमें केवल उसके सदस्य ही वोट दे सकते थे, जबकि कांफ्रेंस के अधिवेशनों में जाति का प्रत्येक वयस्क वोट देने का अधिकारी था। कांफ्रेंस का पृथक से अपना एक कार्यालय था, जो उसके सैक्रेट्री की देखभाल में कार्य करता था, व उसके कुछ अपने संगठनात्मक न अन्य नियम भी थे। किन्तु सन् 1912 ई. में सभा के संविधान में जो संशोधन हुए, उनसे कांफ्रेंस का रूप ही बदल गया। इन संशोधनों के द्वारा मैनेजिंग कमेटी की दो उपसमितियाँ गठित की गई थीं, जिनके पृथक-पृथक पदाधिकारी भी निश्चित किए गए थे। ये उपसमितियाँ थीं :—

- (1) शिक्षा उपसमिति, और (2) समाज सुधार उपसमिति।

सन् 1913 ई. के अधिवेशन में जब कांफ्रेंस व सभा के सम्बन्धों पर चर्चा चली तो इस बात पर बल दिया गया कि सामाजिक सुधार तभी सम्भव हो सकते थे जबकि उनके प्रति पूरी जाति की सहमति हो। केवल भार्गव सभा द्वारा ही प्रस्ताव पारित करने से सामाजिक सुधार सफल नहीं हो सकते थे। पं. फूलचंद जी ने कहा कि सोशल सुधार के मामले जाति के समस्त लोगों के सामने पेश होने चाहिए, ताकि जो निर्णय कांफ्रेंस से जारी हों, उनका सब लोग समर्थन करें व उनको क्रियान्वित करने में सहयोग दें। विस्तारपूर्वक वाद-विवाद के पश्चात् प्रस्ताव संख्या 5 स्वीकार हुआ, जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि कांफ्रेंस का सम्बन्ध समाज सुधार उपसमिति से होगा .....कांफ्रेंस का अधिवेशन भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन के साथ एक ही जगह हुआ करेगा, कांफ्रेंस का कार्यालय समाज सुधार उपसमिति के कार्यालय में सम्मिलित होकर, उपसमिति के सैक्रेट्री की देखरेख में कार्य करेगा, कांफ्रेंस के अधिवेशन में हर व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो, राय देने का अधिकारी होगा, और भार्गव कांफ्रेंस से जो प्रस्ताव समाज सुधार सम्बन्धित होंगे, वे भार्गव सभा द्वारा पारित किए हुए समझे जाएँगे।

इस प्रकार कांफ्रेंस भार्गव सभा की एक विशेष शाखा के रूप में प्रस्थापित हुई और भविष्य में न तो उसका पृथक सैक्रेट्री रहा और न कार्यालय। इसके अतिरिक्त सन् 1920 ई. में लिये गये निर्णय के

अनुसार, भार्गव सभा को कांफ्रेंस की एक एक्जीक्यूटिव संस्था के रूप में घोषित किया गया। सन् 1920 ई. में ही पं. दुलारेलाल जी के प्रस्ताव संख्या 34 द्वारा निर्णय लिया गया कि “अब समय आ गया है कि आवश्यकता के अनुसार भार्गव कान्फ्रेंस का नाम बदलकर ‘भार्गव सम्मेलन’ रख दिया जाए। किन्तु अब तक भार्गव सभा की नियमावली में भार्गव कांफ्रेंस अथवा सम्मेलन को सम्मिलित नहीं किया गया था। यह कमी आगामी नियमावली में पूरी हुई कि जिसमें सम्मेलन को असाधारण अधिवेशन की संज्ञा दी गई व अब तक के प्रतिपादित समस्त कान्फ्रेंस से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं प्रक्रियाओं के आधार पर ही उसके सभापति के निर्वाचन, अधिवेशन के विषय निर्वाचन तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का निरूपण किया गया और यही नियम आज तक सम्मेलन के आधार बने हुए हैं। वर्तमान में सन् 1985 ई. की नियमावली में भी सम्मेलन को असाधारण अधिवेशन का ही नाम दिया गया है व उसके अधिकांश नियम वे ही हैं जो कान्फ्रेंस की सर्वप्रथम नियमावली में प्रतिपादित किए गए थे।

**उपयोगिता:—**कान्फ्रेंस का जन्म सभा के जन्म के साथ ही हुआ था और आज तक इसके 57 अधिवेशन हो चुके हैं। वास्तव में सभा व कान्फ्रेंस एक-दूसरे की पूरक संस्थाएँ रही हैं। प्रारम्भ से ही इनका यह रूप उभर कर सामने आ गया था। भार्गव सभा का, एक पंजीकृत संस्था होने के कारण, मुख्य कार्य सभा की सम्पत्ति व धनराशि की रक्षा व उसका सदुपयोग करना था, किन्तु सामाजिक सुधार व उन्नति के कार्य के लिए वह उतनी सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसका क्षेत्र सदस्यों की संख्या तक ही सीमित था। उसके प्रस्ताव उसके सदस्यों पर ही लागू हो सकते थे, परन्तु सामाजिक सुधार एवं उन्नति के कार्य पूरी जाति के सहयोग एवं सहमति के बिना फलीभूत नहीं हो सकते थे; अतएव इस कार्य के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी कि जिसमें समस्त जाति बिना किसी रुकावट के भाग ले सके और कांफ्रेंस एक ऐसी ही संस्था की कमी पूरी करती रही है। परिणामस्वरूप समाज सुधार सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव कांफ्रेंस में ही पारित किए गए और पूरी जाति पर लागू किए गए। इसके अतिरिक्त समस्त जाति की संस्था होने के कारण कांफ्रेंस ने सभा के लिए नीति सम्बन्धी परामर्श देने एवं मार्गदर्शन करने का भी उत्तरदायित्व निभाया। सन् 1920 ई. में पारित प्रस्ताव से, जिसमें कहा गया था कि “सभा कांफ्रेंस की एक्जीक्यूटिव कमेटी है” स्पष्ट हो जाता है कि सभा की गतिविधियों में कांफ्रेंस का क्या महत्त्व था। पूरी जाति से सम्बन्धित जितने भी विषय होते थे उन पर कांफ्रेंस में ही वाद-विवाद होते थे, और निर्णय लिए जाते थे। सभा ने भी यह निर्णय ले लिया था कि समाज सुधार सम्बन्धी कांफ्रेंस के जो भी प्रस्ताव होंगे, वे सभा के प्रस्ताव ही समझे जाएँगे। इससे स्पष्ट है कि कांफ्रेंस कितनी उपयोगी एवं आवश्यक संस्था थी, और उसने जाति की उन्नति व प्रगति में कितना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

कांफ्रेंस की दूसरी उपयोगिता यह थी कि उसके अधिवेशनों के अवसर पर काफी संख्या में जाति के बन्धु उपस्थित रहते थे तथा विधवाओं एवं जरूरतमंद छात्र-छात्राओं की सहायता के लिए चन्दे द्वारा धन इकट्ठा हो जाता था। सम्भवतः यही कारण था कि प्रारम्भ में जब धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, तब कांफ्रेंस के जलसे क्रमबद्ध तरीके से होते रहे, किन्तु जैसे-जैसे सभा की आर्थिक स्थिति में सुधार होता गया, कांफ्रेंस के अधिवेशनों के क्रम में अन्तर बढ़ता गया। सभा के प्रथम 50 वर्षों में कांफ्रेंस के 40 अधिवेशन हुए, जबकि बाद के 50 वर्षों में केवल 17 ही अधिवेशन हुए हैं।

कांफ्रेंस की तीसरी उपयोगिता यह थी कि इसके माध्यम से जाति के अधिक से अधिक लोग आपस में मिल पाते थे, व पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा भावी प्रगति के लिए मार्गदर्शन होता था तथा जाति में एकता और आपसी प्रेम की भावना भी जागृत होती थी। कांफ्रेंस के लगभग सभी अध्यक्षों ने अपने-अपने भाषण में कांफ्रेंस की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर बल दिया है।

किन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे और अभी भी हैं, जो यह कहकर कांफ्रेंस की आलोचना करते हैं कि यह एक व्यर्थ की संस्था है, जिसके कि प्रस्तावों की न तो अनुपालना होती है और न ही इसके पास इतनी शक्ति है कि अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड दे सके, इसलिए नतीजा यह होता है कि लोग इन नियमों की परवाह न करते हुए अपनी मनमानी करते हैं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया जाता है कि जो लोग इन नियमों को बनाते हैं, वे ही उनका पालन नहीं करते तो अन्य लोगों से उनके अनुसार आचरण करने की आशा कैसे की जा सकती थी। थोड़ी देर के लिए यह तो माना जा सकता है कि जाति के साधारण वर्ग के लोग तो अपने हित में समझकर इन प्रस्तावों व नियमों का पालन करते हैं, किन्तु धनी-मानी व्यक्ति तो बिलकुल परवाह किए बिना खुल्लम-खुल्ला इनका उल्लंघन करते हैं।

इस प्रकार की आलोचना में कुछ सच्चाई तो है, किन्तु प्रारम्भ से ही कांफ्रेंस के अधिवेशनों में बार-बार यह कहा गया था कि कांफ्रेंस के द्वारा बनाए हुए नियमों की पालना तो होती है चाहे उनको मानने वालों की संख्या कम रही हो, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों ने उनके महत्त्व को समझा तो उनके पालन करने वालों की संख्या बढ़ती गई। किन्तु यह आशा करना कि किसी भी नियम की पालना शत-प्रतिशत लोग करें, अव्यावहारिक ही नहीं, असंभव भी है, क्योंकि सरकारी नियमों की भी, जिनका उल्लंघन करने वालों को दण्ड भी मिलता है, अवहेलना होती ही है। सरकार के पास शक्ति भी है और वह दण्ड भी देती है किन्तु समाज सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव एवं नियमों का अनुपालन तो नैतिकता एवं व्यक्तिगत अभिरुचि पर ही पूर्णतया निर्भर होता है, इसके अतिरिक्त किसी संस्था की उपयोगिता एवं आवश्यकता नापने का मापदण्ड केवल उसके नियमों का उल्लंघन होना या न होना ही नहीं है। कांफ्रेंस व सभा के सतत प्रयत्नों से एक ऐसी सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव तो हुआ ही है, जिसके कारण जाति का प्रत्येक व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर यह तो समझता ही है कि वह कांफ्रेंस द्वारा प्रस्थापित व्यवस्था की अवहेलना कर अनुचित कार्य कर रहा है, परन्तु धन, अहं अथवा अन्य किन्हीं कारणों से वह उसका पालन नहीं कर रहा है। यही कांफ्रेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

परम्पराओं एवं अन्धविश्वासों पर आधारित रीति-रिवाजों में सुधार एवं परिवर्तन लाना न तो सरल है और न एक ही दिन में यह कार्य सम्पादित हो सकता है।

जाति का सम्मेलन एक उपयोगी संस्था रही है, अभी भी है, और सम्भवतः आगे भी रहेगी, लेकिन समाज उसका कितना उपयोग करता है व लाभ उठाता है, यह उसी पर निर्भर है।

#### नियमानुपालन -

सन् 1895 ई. की कांफ्रेंस में पं. ज्योति प्रसाद जी वकील, सहारनपुर ने कहा था कि उस वक्त तक

कांफ्रेंस द्वारा विवाह आदि में व्यर्थ के व्यय को रोकने व कुरीतियों को समाप्त करने में काफी सफलता मिली थी, और यह समझना अनुचित था कि कांफ्रेंस के प्रस्ताव प्रभावहीन होते थे व उनको मानने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती थी। यह तो सच था कि सम्मेलन के प्रस्तावों को सरकारी नियमों की तरह उन्हें न मानने पर दण्डित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था, किन्तु ऐसे लोग समाज की नजरों में गिर जाते थे। जो व्यक्ति घन के घमण्ड के प्रस्तावों की अवहेलना कर व्यर्थ के खर्च आदि करके यह समझते थे कि इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, यह गलत था क्योंकि अधिकाधिक धन खर्च करने की कोई सीमा नहीं थी और एक से एक अधिक धन खर्च करने वाले वर्तमान थे। व्यर्थ के खर्च करने व जातीय सम्मान की प्राप्ति में कोई सम्बन्ध नहीं था।

फिर सन् 1896 ई. में कांफ्रेंस के सैक्रेट्री मु. रामसिंह जी ने कहा कि कांफ्रेंस के प्रस्तावों की तामील नहीं होती थी, इस पर मु. मिट्ठन लाल जी ने कहा कि जितनी तामील हो रही थी वह काफी थी। सरकारी कानूनों की तामील भी ऐसे ही होती थी। उनके तो सामाजिक सुधार के प्रस्ताव थे और यदि उनमें 10 प्रतिशत की तामील भी हो जाती थी तो काफी थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी हो सकता था, जब कि 90 प्रतिशत की तामील हो और 10 प्रतिशत की नहीं। कांफ्रेंस से क्या यही फायदा कम था कि सब लोग मिल लेते थे और जिससे खुशी हासिल होती थी।

सन् 1899 ई. की अपनी रिपोर्ट में उपदेशक ने बतलाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कांफ्रेंस के प्रस्तावों का पालन करने को तैयार थे, यदि जाति के ऊँचे स्तर के लोग भी उनका पालन करें। इसी समय पं. ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि महिलाओं को कांफ्रेंस के प्रस्तावों की जानकारी कराने से उनका पालन ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता था। अतः प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा निर्णय लिया गया कि कांफ्रेंस के निर्णय हिन्दी व उर्दू में छपे जाएँ और अलवर के आसपास के क्षेत्रों व अन्य स्थानों में निःशुल्क वितरित किए जाएँ।

सन् 1901 ई. की अलवर कांफ्रेंस से नियमों के अनुपालन अथवा अवहेलना सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे, जिनसे प्रगट होता है कि उस वक्त के लोग भी इस समस्या के प्रति कितने सचेत थे तथा उन्होंने कितना व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया था—

- “(1) जिन्होंने नियमों की अवहेलना सन् 1901 में की थी और यदि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी, तो उन्हें क्षमा किया जाता है;
- (2) 1 जनवरी सन् 1902 ई. से नियमों का पक्की तरह से पालन होना चाहिए, विशेषकर शादी विवाह सम्बन्धी, परोजन, मुकलावा, जन्म और मरण व मिलनी सम्बन्धी नियमों आदि का। इन नियमों के पालन में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सम्पूर्ण जाति के हित व उन्नति के लिए आवश्यक था।
- (3) कुछ लोग अपनी सम्पन्नता के अनुसार खर्च करके नियमों का उल्लंघन करते थे, उनको चाहिए कि इस तरह खर्च किए हुए धन का आधा भाग बेवाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दें।

- (4) स्थानीय संस्थाओं का कर्तव्य था कि इन नियमों का पालन करावें।
- (5) स्थानीय सभाओं द्वारा जिन लोगों को इन नियमों के अनुपालना का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, उनकी नियुक्ति पहले से ही हो जानी चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि जहाँ नियमों के अनुपालन न होने की आशंका हो, उन व्यक्तियों अथवा परिवारों को समझावें व उन्हें नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करने के लिए तैयार करें। यदि इन प्रयत्नों का कोई प्रभाव नहीं हो तो उन्हें स्थानीय जाति के लोगों से निवेदन करना चाहिए कि वे उनके समारोह में सम्मिलित न हों एवं इसकी सूचना स्थानीय कमेटी को भी दे देनी चाहिए।
- (6) यदि वे लोग जिन्हें नियमों के पालन कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, वे न तो स्थानीय कमेटी को सूचना दें और न स्वयं ही कोई कार्यवाही करें तो वे भी सजा के मुस्तहक होंगे।
- (7) जो व्यक्ति केवल नाम और यश अर्जित करने के लिए अधिक धन खर्च कर नियमों की अवहेलना करे तो उसके आचरण की न केवल सराहना ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे घृणा की दृष्टि से भी देखेंगे।
- (8) प्रत्येक स्थानीय कमेटी उन लोगों का पता लगाने का प्रयत्न करे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना की हो और यदि उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों तो उसकी रिपोर्ट कांफ्रेंस को भेजनी चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि उसमें सफलता न मिले तो उनसे जातीय व्यवहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

जो लोग नियमों की अवहेलना करें उनके विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण रूप से निष्पक्ष भाव से की जानी चाहिए और प्रमाणित हो जाने पर ही उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।”

इसी कांफ्रेंस में प्रस्ताव संख्या 59 द्वारा उन लोगों की सूची, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, प्रस्तुत की गई थी व निर्णय लिया गया था कि इन लोगों से स्पष्टीकरण माँगा जाना चाहिए। इस सूची में निम्नलिखित नाम थे :—

- (1) पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर — वैवाहिक नियमों के उल्लंघन के लिए।
- (2) मु. बिहारीलाल जी, रिवाड़ी — मिलनी सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के लिए।
- (3) बा. हरदयाल सिंह जी, जयपुर —     ”     ”     ”     ”
- (4) बा. त्रिलोकीनाथ जी, आगरा —     ”     ”     ”     ”
- (5) बा. शंकरलाल जी, अलवर —     ”     ”     ”     ”
- (6) मु. संपतराम जी, अलवर —     ”     ”     ”     ”

पं. रामजीवन लाल जी प्रेसिडेंट ढोसी कांफ्रेंस ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग रिजोल्यूशन्स पास करते थे, उन्हें तो उनका पालन करना ही चाहिए क्योंकि उसका असर सब पर पड़ता था।

सन् 1970 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या [5] इस प्रकार पारित हुआ; “यह भार्गव सम्मेलन दृढ़ता से घोषित करता है कि समय-समय पर भार्गव सम्मेलनों द्वारा पारित रीति संग्रह संबंधी तथा अन्य



सभी प्रस्ताव समस्त जाति के लिए सदैव आदेशात्मक रहे हैं, जिनका परिपालन प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य रहा है। अतः जाति की सर्वोच्च सत्ता के रूप में यह सम्मेलन भार्गव सभा, स्थानीय भार्गव सभाओं तथा समस्त जाति के सदस्यों को पुनः आदेश देता है कि वे सम्मेलन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करें तथा करावें। साथ ही सभा को यह अधिकार देता है कि वह सम्मेलन की भावना के अनुरूप नियमोल्लंघन की रोकथाम का समुचित प्रयत्न करे।”

नियमों के अनुपालन की समस्या सनातन है, हमेशा से रही है और रहेगी भी परन्तु इस दिशा में निष्क्रियता एवं निराशा के लिए कोई औचित्य नहीं है। इस दिशा में निर्देश तो सन् 1901 ई. में प्राप्त हो गये थे और वे आज भी उतने ही समयानुकूल एवं व्यावहारिक हैं जितने कि उस समय रहे थे। हमारे सामाजिक संगठन व सामाजिक प्रगति की आधारशिला हमारी स्थानीय सभाएँ हैं और यह बहुत ही शुभ लक्षण है कि इन स्थानीय सभाओं को विकसित एवं गतिशील बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। भार्गव सभा सम्पूर्ण जाति की प्रतिनिधि संस्था है और उसका संचालन भी बहुत ही कुशलतापूर्वक किया जाता रहा है, परन्तु उसके पास स्थानीय सभाओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा माध्यम अथवा संस्था नहीं है जिसके द्वारा उसके निर्देश व नियम क्रियान्वित हो सकें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय सभाएँ इस दिशा में अपना उत्तरदायित्व समझें और उसे पूर्णतया निभाने की कोशिश करें। स्थानीय सभाओं का भार्गव सभा से संबद्धता का कोई अर्थ नहीं है, यदि वे अपने को सभा का आवश्यक अंग समझकर कार्यरत न रहें। नियमों के अनुपालन अथवा उल्लंघन सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर ही दृष्टिगोचर होते हैं और यदि स्थानीय सभाएँ उनका निष्पक्ष एवं जाति के हित की भावना से प्रेरित होकर समुचित प्रचार करने का प्रयत्न करें तो निश्चयपूर्वक स्थिति में सुधार हो सकता है।

\* \* \*

## 5. सभा व कांग्रेस के सम्बन्ध<sup>1</sup>

भार्गव सभा व भार्गव कांग्रेस का जन्म लगभग एक साथ ही सन् 1889 ई. में हुआ था और सन् 1893 ई. तक दोनों एक ही संस्था की तरह कार्य करती रही। सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष ही सभा व कांग्रेस की अध्यक्षता करते रहे, और दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं था। केवल सन् 1891 में रिवाड़ी के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता पं. बंसीधर जी ने की, जो न तो सभा के अध्यक्ष थे और न ही उपाध्यक्ष, परन्तु यह तभी हुआ जब कि राव बिहारी लाल जी उपाध्यक्ष ने कांग्रेस की अध्यक्षता सम्भालने में असमर्थता प्रगट की। वरना कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई अलहदा पद नहीं था।

सन् 1894 ई. में अजमेर में कांग्रेस के समय न तो सभा के प्रेसिडेंट और न ही कोई वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित थे, इसलिए अनिवार्य रूप से यह आवश्यक समझा गया कि जब तक सभा के प्रेसिडेंट अथवा वाइस प्रेसिडेंट न आ जाएँ तब तक सभा की कार्यवाही रोक दी जाए। उस वक्त यह विचार हुआ कि एक जलसा भार्गव कांग्रेस के नाम से ही क्यों न कर लिया जाए और उसी वक्त मु. रतिराम जी, नायब दीवान जयपुर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट व बा. रामसिंह जी, वकील, कानपुर कांग्रेस के सैक्रेट्री चुने गए और इसी से यह धारणा उत्पन्न हुई कि सम्भवतः सभा व कांग्रेस पृथक-पृथक संस्थाएँ थीं।

अतएव सन् 1895 ई. की कांग्रेस में सब से पहले कांग्रेस व सभा के सम्बन्धों पर चर्चा शुरू हुई। सभा के सैक्रेट्री साहब का मत था कि सभा व कांग्रेस अलहदा ही थी क्योंकि सभा में वे ही लोग वोट दे सकते थे, जो उसके सदस्य होते थे। कांग्रेस में सभा के विषय में किसी भी प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अनुमति से ही विचार किया जा सकता था, वैसे कांग्रेस किसी भी विषय के प्रति सभा का ध्यान दिला सकती थी किन्तु सभा की कार्यवाही कांग्रेस में अमल में नहीं लाई जा सकती थी। अन्त में यही विचार बना कि इस समस्या का समाधान कांग्रेस के नियम बन जाने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन तब तक के लिए प्रस्ताव सं. (2) द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस तरह उस वक्त तक सभा की कार्यवाहियाँ कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की जाती रही थीं, वैसे ही की जाती रहें। भविष्य में जब कांग्रेस के नियम बनाए जाएँ तो इस बात को स्पष्ट किया जाए कि सभा और सम्मेलन में क्या सम्बन्ध थे।

कांग्रेस के बुलाने में दिन-प्रतिदिन अधिक व्यय होना प्रारम्भ हो गया था और औपचारिकताएँ बढ़ती ही जा रही थीं, और इसी वजह से जातीय बन्धु अपनी खुशी से कांग्रेस को आमन्त्रित करने में आगा-पीछा करने लगे थे। अतः सन् 1897 ई. के मथुरा अधिवेशन में कांग्रेस के लिए धन का प्रबन्ध करने आदि के बारे में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सम्मेलन के लिए चन्दा किया

---

1. कार्यवाही अधिवेशन भा. स. व सोशल का. 1891 व 1894

कार्यवाही अधिवेशन भा. स. व कांग्रेस 1912 व 1920

जाए व एक सरमाया मुस्तकिल अर्थात् स्थाई फण्ड भी स्थापित किया जाये। बा. अनन्त राम जी ने कहा कि कान्फ्रेंस को जारी रखना आवश्यक था और उसके लिए धन एकत्रित करना भी अनिवार्य था। अतः कान्फ्रेंस को अपना स्वयं का एक फंड स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिसके अनुसार उन विभिन्न स्थानों की, जहाँ-जहाँ कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती थी, सूची तैयार की गई व उनके चन्दे की राशि भी निश्चित की गई। किन्तु इस योजना को वांछित सफलता नहीं मिली। इसी समय स्थायी फंड स्थापित करने का प्रश्न ताजा हुआ, एवं उसी की वजह से कान्फ्रेंस व सभा के संबंधों का स्पष्टीकरण एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया क्योंकि लोगों के मस्तिष्क में सभा व कान्फ्रेंस के पारस्परिक संबंधों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। भार्गव सभा आगरा के सैक्रेट्री की तरफ से यही कहा जाता रहा कि सभा के जलसे में सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं था।

इसके पश्चात् सन् 1908 ई. में कानपुर की कांफ्रेंस में जब सरमाया मुस्तकिल (स्थायी कोष) के बारे में चर्चा चली तो सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि भार्गव जाति के लिए जो भी चल व अचल सम्पत्ति थी और वह जिस रूप में भी थी, या भविष्य में प्राप्त हो, उसका प्रबन्ध पूरी तौर से एक ही जगह से होना उचित था और उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी निर्मित की गई और यह भी निश्चय किया गया कि इस स्टैंडिंग कमेटी को भी पंजीकृत करा दिया जाए एवं उसके पृथक से नियम बनाए जाएँ। किन्तु अगले ही वर्ष सन् 1909 ई. की मथुरा कान्फ्रेंस में पं. ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि पिछले जलसे में स्थायी कोष के लिए जो एक पृथक कमेटी अथवा संस्था को पंजीकृत कराने व उसके नियम बनाने का निर्णय लिया गया था वह गलत था, क्योंकि भार्गव सभा आगरा पूरी जाति की सभा थी और पंजीकृत भी थी; इसके अतिरिक्त भार्गव सभा आगरा के उद्देश्य भी वे सब ही थे, जिनके लिए इस स्थायी कोष को स्थापित किया जा रहा था, अर्थात् (1) भार्गव जाति की शिक्षा एवं उन्नति के लिए साधन उपलब्ध कराना, (2) भार्गव जाति के लाभ के लिए प्रयत्न करना और विधिवत् रूप से लाभ पहुँचाना, ताकि उपरोक्त उद्देश्य पूरे हों और सभा की उन्नति होती रहे। अतएव प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा निर्णय लिया गया कि कानपुर में हुई पिछली कान्फ्रेंस के प्रस्ताव संख्या 11 से 17 तक रद्द किए जाएँ और चूँकि भार्गव सभा आगरा पंजीकृत थी तथा किसी विशेष स्थान की भी नहीं थी, इसलिए अन्य किसी सोसाइटी या संस्था को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी।

सन् 1910 ई. के अधिवेशन में जब इस विषय पर फिर विचार हुआ तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि भार्गव सभा व कान्फ्रेंस के उद्देश्य एक ही थे और यदि जाति का प्रत्येक सदस्य नियमानुसार अपनी वार्षिक आय का बारहवाँ भाग देकर सभा का स्थायी सदस्य बन जाता है तो सभा और कांफ्रेंस में कोई अन्तर रह ही नहीं जाता। अतः प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव सभा व भार्गव कान्फ्रेंस एक ही सोसाइटी थी और केवल भ्रम के कारण दो समझी जाती रही थी।

इसके पश्चात् सन् 1912 ई. के अधिवेशन में फिर इस विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि जैसा कि बा. अनन्त राम जी वकील, अलीगढ़ ने कहा कि यद्यपि पिछले जलसे में यह निर्णय हो चुका था कि सभा व कान्फ्रेंस एक ही थी, लेकिन कुछ समय से इस सम्बन्ध में एक भ्रम पैदा हो गया था, क्योंकि सभा की स्थापना के समय से ही उसका मुख्यालय आगरा था व भार्गव सभा के सैक्रेट्री मुख्यतः आगरा बोर्डिंग

हाउस का काम ही कर रहे थे तथा सभा की मैनेजिंग कमेटी के लगभग सभी सदस्य आगरा के ही थे, जिससे यह विचार पैदा हो जाना स्वाभाविक था कि भार्गव सभा एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य कर रही थी, किन्तु गत वर्ष की कार्यवाही से स्पष्ट हो चुका था कि वास्तव में भार्गव सभा व कांग्रेस एक ही थीं। लेकिन भार्गव सभा के निर्णय समस्त जाति के निर्णय तभी कहे जा सकते थे जबकि जाति के लगभग सभी लोग सभा के सदस्य हो जाएँ। किन्तु यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका था। इसलिए जब तक कि भार्गव सभा के सदस्यों की संख्या इतनी न हो जाए कि भार्गव सभा पूरी जाति की संस्था और उसके निर्णय सम्पूर्ण जाति के निर्णय कहला सकें, तब तक कांग्रेस को पृथक रखना आवश्यक था। इसी के साथ बा. भगवान दास जी, वकील, इलाहाबाद ने कहा कि सभा व कांग्रेस को पृथक ही रहना चाहिये किन्तु मिलकर काम करना चाहिए। “भार्गव कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सोशियल रिफार्म था, क्योंकि कोई भी पंजीकृत जमात यह काम कानूनन नहीं कर सकती थी। एक्ट 21, 1860, के प्रिम्बल और धारा 20 के अनुसार, एक सोसाइटी केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ही पंजीकृत हो सकती थी, i.e. promotion of literature, science or fine arts of the diffusion of knowledge or charitable purposes; इनके अन्तर्गत सोशियल रिफार्म नहीं आतीं, इसलिए कांग्रेस का अलहदा से होना जरूरी था”। दूसरे यदि सभा व कांग्रेस को एक ही कर दिया जाएगा तो जाति के हर व्यक्ति को नहीं, बल्कि सभा के सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होगा; परन्तु यदि सोशियल प्रस्तावों का अनुपालन जाति के हर व्यक्ति से अपेक्षित था, तो यह भी आवश्यक समझा जाना चाहिए कि उन विषयों में राय देने का अधिकार भी जाति के हर व्यक्ति को प्राप्त हो। अन्त में वाद-विवाद के पश्चात् प्रस्ताव संख्या (5) द्वारा निर्णय लिया गया कि सभा व कांग्रेस के विषय पर वाद-विवाद किसी भ्रम से प्रारम्भ हो गया था, जिसे अब समाप्त किया जाए और “यह भ्रम कि सभा व कांग्रेस एक ही हैं -अलहदा-अलहदा नहीं, तयशुदा तसव्वुर किए जावें।”

सन् 1913 ई. की कांग्रेस में सिलेक्ट कमेटी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुधार तभी सम्भव हो सकते थे जब कि उनके प्रति पूरी जाति की सहमति हो, केवल भार्गव सभा द्वारा ही प्रस्ताव पास करने से सामाजिक सुधार सफल नहीं हो सकते थे; अतः गत वर्ष के प्रस्तावों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। मु. फूल चंद जी ने कहा कि भार्गव सभा व भार्गव कांग्रेस एक ही स्थान पर होने चाहिए और भार्गव सभा की कार्यवाही केवल सदस्यों की उपस्थिति में हो तथा सोशियल सुधार के प्रस्ताव समस्त जाति के लोगों के सामने प्रस्तुत हों ताकि जो निर्णय प्रसारित हों, सब लोग उनका समर्थन करें व उन्हें क्रियान्वित कराने का प्रयत्न करें। पं. सालगराम जी ने कहा कि उनकी राय में सभा व कांग्रेस दोनों का कायम रहना अनिवार्य था, क्योंकि एक ही ऐसी संस्था हो जिसमें जाति के सभी लोग राय दे सकें और दूसरी ऐसी हो जो जाति के धन की रक्षा करे और उसे अपनी संरक्षता में रखे। काफी वाद-विवाद हुआ और अन्त में प्रस्ताव संख्या (5) द्वारा, भार्गव सभा व भार्गव कांग्रेस के सम्बन्धों के बारे में निर्णय लिया गया कि “जलसा कांग्रेस का ताल्लुक सब कमेटी माली, अखलाकी व तमददुनी से होगा ..... जलसा कांग्रेस के साथ जलसा सालाना भार्गव सभा एक ही वक्त और एक ही जगह हुआ करेगा और दफ्तर कांग्रेस शामिले दफ्तर सब कमेटी माली, अखलाकी, जेरे निगरानी सैक्रेट्री सब-कमेटी

के रहेगा। जलसा कांफ्रेंस में हर शख्स को, जिसकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा हो, राय देने का हक होगा और भार्गव कांफ्रेंस के जो रिजोल्यूशन्स मुताल्लिक सोशियल तरक्की या सुधार पास होंगे, वे रिजोल्यूशन्स भार्गव सभा द्वारा पास किए हुए समझे जाएँगे।”

अन्ततः इस विवाद को अन्तिम रूप से स्पष्ट करने के लिए सन् 1920 ई. में प्रस्ताव संख्या 28 द्वारा निश्चय किया गया कि “जो गलतफहमी किसी वजह से बमुत्तालिक व बताल्लुक भार्गव कांफ्रेंस व भार्गव सभा मैम्बरान कौम फैल रही है, उसके रफ़ा करने के वास्ते यह जलसा इज़हार करता है कि भार्गव सभा भार्गव कांफ्रेंस की एक एक्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसके जरिये से भार्गव कांफ्रेंस के इग़राज व मकासिद की तकमील व अहकामे कांफ्रेंस की तामील होती है, और जो भार्गव कांफ्रेंस के सरमाये की निगरानी और तहफ़्फ़ज (हिफाजत) की भी जिम्मेदार है, मगर वाद वजह के कि भार्गव सभा एक रजिस्टर्ड शुदा इन्सटीट्यूशन है, इसके क़वायद की पाबन्दी जरूरी है, और क़वायद को मद्देनजर रखते हुए यह इज़हार किया जाता है कि यह मौक़ा सालाना जलसा मामूली के जो आम तौर पर जलसा कांफ्रेंस के नाम से मौसूम है जो साहबान शरीके जलसा हों वे अपनी इज़हारे राय व खयालात से कार्यवाही सभा में मदद दे सकते हैं, लेकिन राय मैम्बराने सभा की ही मुतल्लिके ब मामलाते इन्तजामी कानूनन बिनावर वोट तसव्वुर होगी।”

इस प्रकार सभा व कांफ्रेंस के मौलिक सम्बन्धों को समुचित रूप से परिभाषित करने में लगभग 25 वर्ष का समय लग गया, क्योंकि सभा की प्रथम नियमावली में कांफ्रेंस जैसी किसी संस्था का उल्लेख नहीं था, और परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि एक बार शुरू करने के बाद कांफ्रेंस को समाप्त भी नहीं किया जा सकता था। सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्धों का नियमित रूप से समावेश प्रथम संशोधित नियमावली में ही किया गया था और वे ही प्रावधान वर्तमान की 1985 की नियमावली में सम्मिलित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सन् 1920 ई. के प्रस्ताव द्वारा जो सभा व कांफ्रेंस के पारस्परिक सम्बन्धों का निरूपण किया गया था, वह इतना पूर्ण व व्यापक था कि उसमें आज तक भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई है। सभा की प्रथम संशोधित नियमावली में कांफ्रेंस को ‘सम्मेलन’ कहकर सभा के असाधारण अधिवेशन का रूप दिया गया था, जो आज तक भी कायम है, जैसा कि प्रथम संशोधित नियमावली की निम्नलिखित धाराओं से प्रकट होता है :—

#### 11. ई-असाधारण अधिवेशन या सम्मेलन :

- (1) प्रयत्न किए जाने पर भी जाति के बहुत-से स्त्री-पुरुष सभा के सभासद नहीं बने हैं। फलतः सभा केवल अपने सभासदों की राय से ही सामाजिक सुधार सम्बन्धी विषयों पर, जिनका सम्बन्ध समस्त जाति से है, उचित निर्णय नहीं कर सकती। इस कारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के साथ ही जाति के 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले समस्त स्त्री-पुरुषों का एक असाधारण अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें ऐसे जन, जो सभा के सभासद न हों, वाद-विवाद में भाग लेकर अपना मत प्रकट कर सकेंगे। इसका नाम ‘भार्गव सम्मेलन’ होगा।
- (2) सभा के सभासदों के अतिरिक्त उपस्थित स्त्री-पुरुषों को केवल इसी सम्मेलन के लिए सभासद माना जाएगा।

- (3) सम्मेलन की बैठक साधारण अधिवेशन से अन्यत्र होगी और उसके लिए अलग से सभापति चुना जाएगा।
- (4) इस सम्मेलन में साधारणतया सामाजिक सुधार सम्बन्धी विषयों पर ही विचार होगा और निर्णय उपस्थित सभासदों के बहुमत से होगा।
- (5) इस सम्मेलन को अधिकार होगा कि ऐसे विषयों पर, जिनमें सभा का द्रव्य व्यय होता हो, विचार करके अपना मत सभा को सुझाव के रूप में भेजे, परन्तु उसकी अन्तिम स्वीकृति का अधिकार केवल सभा के साधारण या विशेष अधिवेशनों को ही होगा।
- (6) यह सम्मेलन साधारणतया सभा के साधारण अधिवेशन के साथ ऐसे स्थान पर हुआ करेंगे जो गत सम्मेलन में निश्चय किया गया हो। यदि इस प्रकार कोई स्थान निश्चय न हुआ हो या वहाँ की बिरादरी किसी कारण से प्रबन्ध न कर सके तो प्रबन्धक समिति दूसरा स्थान निश्चित करेगी।

\* \* \*

### सभा का सरमाया मुस्तक़िल अथवा स्थायी धनराशि की प्राप्ति

सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्धों से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण विषय सरमाया मुस्तक़िल अथवा स्थायी कोष की स्थापना का था। जाति में जब से शिक्षा के प्रचार व प्रसार एवं सामाजिक उत्थान के विषयों पर चर्चा चली, लगभग तभी से सरमाया मुस्तक़िल की स्थापना का विचार भी प्रारम्भ हुआ। जाति की उन्नति व कल्याण के सभी कार्य, जैसे कि साधनहीन बच्चों को शिक्षा प्राप्ति की सुविधाएँ उपलब्ध कराना, व असहाय बेवाओं तथा अन्य निराश्रितों की सहायता करना आदि, ऐसे थे जिनकी पूर्ति बिना पर्याप्त धन के नहीं हो सकती थी। अतः सभा के संस्थापकों का ध्यान भी शुरू से ही इस ओर गया और इसे उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर प्रयत्न भी होते रहे।

सन् 1885 ई. में ही मेरठ में मु. नवल किशोर जी, लखनऊ ने कहा था कि यदि पूरी जाति मिलकर पचास हजार रुपया इकट्ठा कर ले, तो वे भी पचास हजार रुपया दे देंगे। इसके पश्चात् सन् 1890 ई. के अधिवेशन में फिर मुन्शी साहब ने एक स्थायी फण्ड की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा, कि सभा के आवश्यक खर्चों के लिए एक ऐसा फण्ड होना चाहिए जिसके सूद से सभी आवश्यक कार्य चलते रहें और वे इस फण्ड में पचास हजार रुपया देने को तैयार थे, यदि अन्य लोग मिलकर बाकी पचास हजार रुपया एकत्रित कर लें। सन् 1893 ई. में आगरा के जलसे में मु. नवल किशोर जी ने फिर कहा कि जितना भी धन जाति इकट्ठा कर लेगी, वे भी उतना ही दे देंगे। प्रस्ताव संख्या 19 द्वारा निर्णय लिया गया कि जाति के कल्याण के लिए स्थायी धनराशि एकत्रित करना सबका कर्तव्य था और उसके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

सन् 1894 ई. की कांफ्रेंस में मु. मिट्ठन लाल जी ने कहा कि इन दिनों जाति के टैक्स बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि आगरा सभा का चंदा, रिवाड़ी सभा का चंदा, बुक फंड; भार्गव पत्रिका का चन्दा, अमली

\*\*\*\*\*

कमेटियों का चंदा, किशोरी रमण पाठशाला का चंदा, बेवा फण्ड का चंदा, भार्गव रिफोर्म कमेटी अजमेर का चंदा, वगैरा-वगैरा। औसत दर्जे की आमदनी वाला व्यक्ति यह सब टैक्स कैसे दे सकता था, इसलिए एक ऐसा फंड इकट्ठा किया जाए, जिसके ब्याज से सब खर्चे चलते रहें, और बार-बार विभिन्न कार्यों के लिए चंदा न माँगना पड़े। इसी प्रकार के विचार सन् 1906 ई. के अधिवेशन में भी प्रकट किए गए। मु. हीरालाल जी व मु. कुन्दन लाल जी ने कहा कि यदि स्थायी धनराशि का प्रबन्ध कर लिया जाए तो न तो हर साल चंदा माँगने की जरूरत रहेगी और न खर्चों को चलाने में कोई दिक्कत आएगी। अतएव निश्चय हुआ कि जाति के खर्चों के लिए एक लाख रुपये की धनराशि से एक फंड स्थापित किया जाए और उसके सूद से निम्नलिखित खर्चे किए जाएँ :-

- (1) बेवाओं की सहायता,
- (2) बच्चों की शिक्षा,
- (3) कांफ्रेंस का व्यय।

यह भी निश्चय हुआ कि निम्नलिखित सज्जनों की कमेटी बना दी जाए जो इस मामले में प्रयत्न करके धनराशि इकट्ठी करे :-

- (1) बा. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर,
- (2) बा. प्रभुदयाल जी, देहली,
- (3) राय गंगा शरण दास जी, देहली,
- (4) मु. हीरालाल जी, जयपुर,
- (5) बा. जवाहरलाल जी, हिसार,
- (6) ला. बिहारीलाल जी, रिवाड़ी,
- (7) हकीम गोपाल सहाय जी, मथुरा,
- (8) बा. मिट्ठन लाल जी, वकील, अजमेर
- (9) बा. कांजी प्रसाद जी, अलवर।

सन् 1907 ई. के जलसे में जब हरेक वर्ष की तरह बोर्डिंग हाउसेज, ढोसी मन्दिर, बेवा फंड आदि के लिए चन्दे की माँग हुई तो पं. ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि बार-बार भीख-सी माँगना अच्छा नहीं लगता था, तथा एक धनराशि होनी चाहिए जैसा कि स्वर्गीय मु. नवल किशोर जी ने बार-बार कहा था, लेकिन जाति उसका लाभ न उठा सकी। मु. लीलाधर जी प्रेसिडेन्ट स्वागत समिति ने कहा कि कांफ्रेंस में क्या आए कि जेबकतरों का डर रहता था, उपस्थिति दिन पर दिन इसी कारण से कम होती जाती थी। अन्ततः दो प्रस्ताव स्वीकार किए गए। पहले के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया कि जाति का प्रत्येक सदस्य अपनी आय का बारहवाँ हिस्सा दे। जो नौकरीपेशा हैं अथवा जिनकी आय निश्चित थी, वे जनवरी सन् 1908 ई. की आमदनी दें व जिनकी आय निश्चित नहीं थी वे सन् 1907 ई. की आमदनी का बारहवाँ हिस्सा अदा करें। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया था, चूँकि स्थायी धनराशि के बिना जाति की उन्नति

के आवश्यक खर्चे, जैसे छात्रवृत्तियाँ देना, बेवाओं व अपाहिजों की सहायता करना व कांफ्रेंस आदि के व्यय नहीं किए जा सकते थे। अतः निर्णय लिया गया कि इन कार्यों के लिए और बार-बार के चन्दे से बचने के लिए कम से कम सवा लाख रुपये की स्थायी धनराशि स्थापित की जावे और उसकी प्राप्ति के वास्ते उचित प्रयत्न किए जावें। स्थायी धन राशि से तात्पर्य था कि मूल राशि से कुछ खर्च नहीं होगा, केवल उसके सूद या मुनाफे से ही उपरोक्त कार्य पूरे किए जायेंगे।

इसके बाद बा. अनन्त राम जी ने कहा कि स्थायी धनराशि के विषय में निर्णय के अनुसार जहाँ-जहाँ भार्गव बन्धु रहते थे वहाँ-वहाँ के वार्ड मैम्बरान अपने-अपने क्षेत्र का चन्दा वसूल करें। अतः प्रस्ताव संख्या 18 द्वारा निम्नलिखित मैम्बर हल्केवार दौरा करके चन्दा इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किए गए :—

### हल्का नं.

### नाम मैम्बरान

- |   |   |
|---|---|
| 1. बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बाँदा, कानपुर, इटावा एवं आसपास के मुकामात                                    | 1. बा. भगवानदास जी, वकील इलाहाबाद                                   |
| 2. गोंडा, रायबरेली, लखनऊ, फैजाबाद, नवाबगंज एवं आसपास के क्षेत्र   | 2. बा. रामशरण दास जी, इलाहाबाद                                      |
|   | 3. बा. रामसिंह जी, वकील कानपुर                                      |
| 3. आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलन्दशहर, अनूप शहर, सासनी, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर, झाँसी एवं आसपास के क्षेत्र    | 1. बा. प्यारेलाल जी, वकील लखनऊ                                      |
|   | 2. बा. रामजीदास जी, मैनेजर लखनऊ                                     |
|   | 3. बा. अयोध्या प्रसाद जी व सेठ सुखराम दास जी, गोंडा।                |
| 4. देहली, रेवाड़ी, गुड़गाँव, कोटकासिम, फरीदाबाद, मेरठ, सहारनपुर, थापल, हिसार, फिरोजपुर एवं आसपास के क्षेत्र | 1. बा. अनन्तराम जी, वकील अलीगढ़                                     |
|   | 2. बा. गोपाल प्रसाद जी, रईस आगरा                                    |
|   | 3. मु. जगन्नाथ प्रसाद जी, वकील मथुरा                                |
|   | 4. बा. राधाकिशन जी, मथुरा   |
|   | 5. मु. लीलाधर जी, अलीगढ़  |
|   | 6. मु. फकीर चन्द जी, वकील आगरा                                      |
|   | 7. बा. ज्योति प्रसाद जी, वकील सहारनपुर                              |
|   | 8. मु. प्राग नारायण जी, रईस लखनऊ।                                   |
|   | 1. बा. ज्योति प्रसाद जी, वकील सहारनपुर                              |
|   | 2. बा. बिहारीलाल जी, सैक्रेट्री रिवाड़ी सभा                         |
|   | 3. बा. जवाहरलाल जी, वकील हिसार                                      |
|   | 4. राय गंगादास जी, देहली  |
|   | 5. पं. शम्भूनाथ जी, वकील मेरठ                                       |
|   | 6. ला. कौशल किशोर जी, ला. जमनादास जी और लाला ज्वाला प्रसाद जी, मेरठ |
|   | 7. मु. रामचरण दास जी, रईस फिरोजपुर।                                 |



\*\*\*\*\*

- |   |  |
|---|--|
| 5. लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर, जावरा, स्यालकोट एवं आसपास के क्षेत्र   | 1. बा. हीरालाल जी, सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्टऑफिस<br>2. बा. माधो प्रसाद जी, मैनेजर डायमण्ड जुबली लॉक फैक्ट्री लाहौर ब्रांच<br>3. मु. जवाहर लाल सा. सैक्रेट्री चीफ कोर्ट पटियाला<br>4. मु. रामगोपाल जी, अमृतसर<br>5. बा. मनोहरलाल जी, अमृतसर।   |
| 6. अलवर, नारनौल, कानौड़, बावल व आसपास के क्षेत्र  | 1. मु. कांजी प्रसाद जी, वकील अलवर<br>2. मु. गौरीदयाल जी, वकील नारनौल<br>3. मु. दीनदयाल जी, कानौड़<br>4. मु. बिहारीलाल जी, अलवर<br>5. बा. रामचरण जी, तहसीलदार अलवर<br>6. मु. हीरालाल जी, जयपुर।   |
| 7. जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, आबू, नसीराबाद, नीमच, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं आसपास के क्षेत्र | 1. बा. बिहारीलाल जी, ब्यावर<br>2. मु. हीरालाल जी, रईस जयपुर<br>3. मु. श्रीराम जी, कोटा<br>4. बा. श्यामलाल जी, खजांची अजमेर<br>5. मु. गणेशीलाल जी, जयपुर<br>6. मु. रामजीवनलाल जी, वकील नीमच<br>7. निरंजनलाल जी, सरिश्तेदार बीकानेर<br>8. बा. अयोध्या प्रसाद जी, जोधपुर<br>9. मु. प्रभुदयाल जी, इन्दौर<br>10. बा. मनोहरलाल जी, उदयपुर। |
| 8. जबलपुर, सागर, नागपुर, खण्डवा, उज्जैन, इन्दौर, मुलताई, आष्टी,   | 1. बा. गौरीशंकर जी, वकील सिवनीचम्पारा<br>2. बा. छेदीलाल जी, रईस सागर<br>3. पं. राजबहादुर जी, वकील जबलपुर<br>4. बा. हरप्रसाद जी, सब जज नागपुर<br>5. ला. केदारनाथ जी, रईस आष्टी<br>6. ला. रूपनारायण जी, मुलताई<br>7. मु. कन्हैयालाल जी, उज्जैन<br>8. बा. निरंजनलाल जी, उज्जैन।   |

जो स्थान बच गए थे उनके विषय में बा. अनन्तराम जी ने सूची बनाकर जनरल सैक्रेट्री कांफ्रेंस के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दी थी। इनके अतिरिक्त अन्य मैम्बरान का आवश्यकतानुसार सहवरण किया जा सकता था। यह भी निर्णय लिया गया कि राय दुर्गा प्रसाद जी डिप्टी क्लैक्टर से निवेदन किया

जाए कि वे इस स्थायी फंड के मैनेजर होना स्वीकार करें और उनका मुख्य कार्यालय सहारनपुर में रहेगा। एकत्रित किए हुए धन की सूची सैक्रेट्री भार्गव सभा के पास भेजी जाएगी और रुपया बैंक ऑफ बंगाल की आगरा शाखा में जमा किया जाएगा। धन एकत्रित करने वालों का खर्चा जनरल सैक्रेट्री कांफ्रेंस अदा करेंगे।

किन्तु स्थायी धनराशि एकत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्योंकि सर्वप्रथम तो अभी तक सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्धों के विषय में लोगों को समुचित जानकारी नहीं थी और न उन्हें यह मालूम था कि जो धनराशि कांफ्रेंस के माध्यम से एकत्रित की जाएगी, वह कहाँ तो जमा होगी और कैसे खर्च होगी तथा वे कैसे आश्वस्त हो सकेंगे कि उनके धन का उपयोग सही तरीके से ही होगा। अतः निर्णय लिया गया कि जाति की समस्त धनराशि एक ही जगह रखी जाए और उसकी बढ़ोतरी एवं उसे सुरक्षित रखने का प्रबन्ध भी एक ही जगह पर किया जाए और उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस स्टैंडिंग कमेटी के नियम आदि बनाकर इसे रजिस्टर्ड भी करा दिया जाए। लेकिन पेश्तर इसके कि स्टैंडिंग कमेटी रजिस्टर्ड हो, सन् 1909 ई. में ही इस निर्णय को रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह विचार बना कि भार्गव सभा आगरा, जो कि पूरी जाति की सभा थी, रजिस्टर्ड थी, अतः अन्य किसी संस्था अथवा कमेटी को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मौजूदा भार्गव सभा आगरा के उद्देश्यों में वे सभी कार्य निहित थे, जिनके लिये कांफ्रेंस की ओर से स्थायी धन राशि एकत्रित की जा रही थी। सभा के उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

- (1) भार्गव जाति की उन्नति एवं शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराना;
- (2) भार्गव जाति के लाभ के लिए प्रयत्न करना व उसे उचित रीति से लाभ पहुँचाना अर्थात् उसके उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करना जिससे कि सभा की गतिविधियाँ सुचारु रूप से चलती रहें।

इस तरह यह स्पष्ट था कि सभा स्थायी धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकती थी, जिनके लिए धन प्राप्त किया जा रहा था। अतः यह निश्चय किया गया कि केवल भार्गव सभा के नियमों में सरमाया मुस्तकिल के प्रबन्ध आदि के विषय में कुछ और नियम बढ़ाने से काम चल सकता था, किन्तु यह भी विचार अव्यावहारिक एवं अनावश्यक था, क्योंकि सभा के नियमानुसार समस्त वित्तीय अधिकार सभा के हाथ में थे, किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के हाथ में नहीं। किन्तु फिर भी यह निश्चय किया गया कि जब तक सभा के नियमों में परिवर्तन न हो जाएँ तब तक जो रुपया स्थायी कोष में जमा हुआ था, वह बैंक में जमा कर दिया जाए और उसमें से कुछ भी खर्च न किया जाए और जाति के काम जैसे चल रहे थे, वैसे ही जारी रखे जाएँ व चन्दे की वसूली भी बदस्तूर वैसे ही चलती रहनी चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक भार्गव सभा के अतिरिक्त नियम सरमाया मुस्तकिल के बारे में न बन जाएँ तब तक सरमाया मुस्तकिल का प्रबन्ध एक 11 सदस्यों की कमेटी करेगी और वह ही इसे इकट्ठा करने का भी प्रयास करेगी और बैंक में जमा कराकर रसीद प्राप्त करेगी। इस कमेटी के प्रेसिडेंट राय बहादुर पं. ज्योति प्रसाद जी व सैक्रेट्री बा. गोपाल प्रसाद जी, आगरा नियुक्त किए गए। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस कमेटी के सब सदस्य धन इकट्ठा करने के लिए जगह-जगह

जाएँगे, व अपने सफर खर्च का भार स्वयं उठाएँगे, अन्य खर्चें छपाई व डाक खर्च आदि कार्यालय कांफ्रेंस से होंगे। सब कमेटी को अधिकार होगा कि स्थायी कोष के सूद को जरूरत के वक्त काम में लावे। स्थायी कोष का रुपया सैक्रेट्री भार्गव सभा (रजिस्टर्ड) के नाम से बैंक ऑफ बंगाल में जमा किया जावेगा और शुरू में एक वर्ष के लिए स्थायी जमा की तरह रखा जाएगा।

उपरोक्त विवरण से ऐसा भी लगता है कि जैसे धनराशि देने अथवा एकत्रित करने की ओर कम ध्यान था और अनावश्यक बातों की ओर अधिक ध्यान था, ऐसी सूरत में धनराशि की संतोषजनक प्राप्ति कैसे सम्भव हो सकती थी। सन् 1915 ई. तक चन्दे की सूची तो 36000/-रु. तक पहुँच गई थी, किन्तु नकद रुपया केवल 15211/- ही जमा हुआ था।

सन् 1912 ई. में अपने अध्यक्षीय भाषण में राय बहादुर पं. राधारमण जी, डिप्टी कलेक्टर ने कहा था कि इतनी सब कार्यवाही होने के बावजूद छोटी-सी रकम वसूल हुई थी, लेकिन जब तक सरमाया इकट्ठा करने वाले लोग स्वयं नहीं देंगे, तब तक औरों से वसूल नहीं किया जा सकता था। आजीवन सदस्यों को आकर्षित कर उनकी संख्या बढ़ाकर स्थायी धनराशि इकट्ठा करने के उद्देश्य से सन् 1919 ई. में प्रस्ताव संख्या 22 द्वारा निर्णय लिया गया कि आजीवन सदस्यों को चाँदी के बैज दिए जाएँ, लेकिन स्थायी धनराशि की प्राप्ति को वह गति न मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी।

सन् 1920 ई. में मु. गोपाल प्रसाद जी ने कहा कि स्थायी धन राशि का प्रश्न एक अर्से से दरपेश था, परन्तु जिस किसी को भी सरमाया एकत्रित करने का काम सौंपा जाता था, उसे अपने निजी कामों से इस कदर फुरसत नहीं मिलती थी कि वह इस कौमी खिदमत के काम को बखूबी अंजाम दे सके। वरना जिस तरह से पूर्व में सारे प्रदेश को हल्कों में बाँटा था व प्रत्येक में कुछ चुनिंदा महानुभावों को सरमाया इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था तो उससे सरमाया निश्चित रूप से इकट्ठा किया जा सकता था। किन्तु सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्धों का पूर्णतया स्पष्टीकरण न होने से लोगों में जो अनिश्चितता की भावना घर कर गई थी, वह एक ऐसा कारण बनी कि सरमाया इकट्ठा हो ही नहीं पाया। अतः सन् 1920 ई. में जब सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण हो गया और यह घोषित कर दिया कि सभा कांफ्रेंस की एक्जीक्यूटिव की तरह ही थी तो सरमाया मुस्तकिल की फराहमी की एक बाधा तो दूर हो गई, लेकिन निस्वार्थ एवं समर्पित भावना से कार्य करने वालों की कमी रही व आज भी बनी हुई है।

\* \* \*

## 6. सभा व कांफ्रेंस/सम्मेलन के अधिवेशन

भार्गव सभा व भार्गव कांफ्रेंस का जन्म लगभग एक साथ ही सन् 1889 ई. में हुआ था। भार्गव सभा के पंजीकृत होने के कारण उसके वार्षिक अधिवेशन होना अनिवार्य था और इसीलिए उसके अब तक सौ वार्षिक अधिवेशन हो चुके हैं, किन्तु कान्फ्रेंस की ऐसी नियमित स्थिति न होने के कारण उसके अब तक केवल 57 अधिवेशन ही हुए हैं।

भार्गव सभा आगरा के पहले वार्षिक अधिवेशन (दिसम्बर सन् 1889 ई.) के साथ ही भार्गव सभा आगरा के सैक्रेट्री मु. गिरधर लाल जी ने जाति के सर्वसाधारण को भी आमन्त्रित किया और इस परिषद को भार्गव कांफ्रेंस के नाम से प्रचलित किया गया।<sup>1</sup>

इस प्रथम जातीय जलसे को भार्गव सभा आगरा का प्रथम अधिवेशन कहा जाए या कान्फ्रेंस का पहला जलसा कहा जाए, कोई अन्तर नहीं है। वास्तव में इस जातीय सम्मेलन का आयोजन करने में मु. गिरधर लाल जी ने अपनी दूरदर्शिता का ही परिचय दिया था क्योंकि यदि भार्गव सभा की नियमावली से निर्धारित जाति के उत्थान व कल्याण सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति होनी थी तो उसमें समस्त जाति की संबद्धता एवं सक्रिय सहयोग अपेक्षित था। भार्गव सभा के अधिवेशनों में केवल उसके सदस्य ही, जिनकी कि संख्या बहुत ही कम अथवा नगण्य थी, भाग ले सकते थे, अतएव समस्त जाति की उन्नति का वास्तविक माध्यम तो कान्फ्रेंस जैसा आयोजन ही हो सकता था। सम्भवतः यही कारण था कि प्रारम्भ से ही सभा का कार्य बोर्डिंग हाउसेज की देखभाल एवं आय-व्यय का प्रबन्ध करना आदि ही रहा जबकि समस्त सामाजिक सुधार तथा नीति निर्धारण के कार्य कान्फ्रेंस के अधिवेशनों के माध्यम से ही किए जाते रहे।

भार्गव सभा आगरा व कान्फ्रेंस, दोनों के ही प्रथम अधिवेशनों का आयोजन फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा में बड़ी धूमधाम से किया गया था। अधिवेशन स्थल को समतल कराने व अन्य तैयारियों में मु. नवल किशोर जी के प्रभाव एवं मेलजोल के कारण कलैक्टर आगरा व कमिश्नर, बरेली, जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने पूरी रुचि दिखलाई एवं पूर्ण सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का आरम्भ वेद मन्त्रों से मु. नवल किशोर जी ने किया और मु. गिरधर लाल जी ने तब तक की गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। भार्गव सभा, आगरा के आजीवन वाइस प्रेसिडेन्ट, मु. नवल किशोर जी ने ही सभा व कान्फ्रेंस दोनों ही के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा के नियमों पर विचार करने के अतिरिक्त इस विषय पर कि रिवाड़ी की भार्गव सभा आगरा की सभा कही जा सकती थी या नहीं, काफी वाद-विवाद हुआ। कुछ लोगों का मत था कि आगरा सभा एक रजिस्टर्ड संस्था थी और उसकी शाखा कहीं भी हो सकती थी। रिवाड़ी वालों के मत को स्पष्ट करते हुए मास्टर राम जीवन लाल जी ने कहा कि रिवाड़ी सभा के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था कि आगरा सभा, शाखा हो या

1. भार्गव पत्रिका जनवरी, 1917

मुख्यालय हो, उसका तो यह विचार था कि दोनों सभाएँ अपना-अपना धन इकट्ठा करें और अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करें। जाति के महानुभावों को पूरी स्वतन्त्रता थी कि वे चाहे जिसे दान दें। अन्ततः, इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

नियमानुसार एक रजिस्टर्ड संस्था के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार के पास भेजना अनिवार्य होता था, अतएव यह निश्चय किया गया कि कान्फ्रेंस के समक्ष सभा की वार्षिक रिपोर्ट भी सुना दी जाया करे जिससे यह लाभ होगा कि जो लोग सभा के सदस्य नहीं थे, उनको भी सभा की गतिविधियों की जानकारी रहेगी, और जाति की उन्नति के विषयों पर विचार करने में सहायता मिलेगी। अतः इसी समय से सभा व कान्फ्रेंस के अधिवेशन साथ-साथ ही होने लगे।

भार्गव सभा आगरा व भार्गव कान्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन भार्गव सोशल कान्फ्रेंस के नाम से लखनऊ में, 27 दिसम्बर से 30 दिसम्बर सन् 1890 ई. तक सम्पन्न हुआ जिसमें अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त मु. दुर्गा प्रसाद जी, डिप्टी कलैक्टर गौंडा, बा. ज्योति प्रसाद जी वकील, सहारनपुर, लाला नरसिंह दास जी मास्टर, अलवर, मु. बलदेव सहाय जी रईस, देहली, मु. हिम्मत बहादुर जी रईस, कानपुर, मु. जानकी प्रसाद जी असिस्टेंट इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स व मु. गिरधर लाल जी उपस्थित थे।

राव बहादुर लाला बिहारीलाल जी, जबलपुर, मु. विशम्भर दास जी, मुनसिफ रावलपिंडी, राय भवानी सहाय जी डिप्टी कलैक्टर, बलिया भी उस समय लखनऊ में आए हुए थे और उन्होंने भी कान्फ्रेंस में शामिल होना स्वीकार किया। भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा के विद्यार्थी भी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए और लखनऊ की टीम के साथ एक क्रिकेट मैच भी खेला जिसमें आगरा की टीम विजयी रही। आगरा बोर्डिंग के छात्रों के लखनऊ आने का खर्चा मु. नवल किशोर जी ने व उनकी वापसी का खर्चा मु. गिरधर लाल जी ने अता किया।

भार्गव सभा के आजीवन प्रेसिडेंट मु. राम दयाल जी की एवं आजीवन वाइस प्रेसिडेंट मु. नवल किशोर जी के अतिरिक्त अन्य सभी वाइस प्रेसिडेंटों की अनुपस्थिति में मु. साहब ने इस शर्त पर अध्यक्षता करना स्वीकार किया कि जैसे ही कोई अन्य वाइस प्रेसिडेंट आ जायेंगे, तो वे हट जायेंगे और उन्हीं से अध्यक्षता कराएँगे। कान्फ्रेंस की अध्यक्षता भी मु. नवल किशोर जी ने ही की।

कान्फ्रेंस के प्रथम दिन कायस्थ प्रोविन्शियल सभा, सूबा-ए-अवध, की ओर से सेक्रेट्री श्री ठाकुर प्रसाद जी ने कान्फ्रेंस की सफलता के लिए शुभ कामनाओं का संदेश भेजा जिसका यथोचित उत्तर भिजवा दिया गया। कान्फ्रेंस के तीसरे दिन अन्य जातियों के लोग भी उपस्थित थे व विशेषकर बा. तोता राम जी और बाबू हरगोविन्द लाल जी कायस्थ सज्जनों ने वाद-विवाद में भाग लिया व भार्गव सभा के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। इसी दिन लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जज कर्नल न्यूबरी भी लगभग दो घंटे तक उपस्थित रहे। इस दिन चूँकि वाइस प्रेसिडेंट्स राय बहादुर पं. बिहारी लाल जी व मु. विशम्भर दास जी आ गए थे, इसलिए अपनी शर्त के अनुसार मु. नवल किशोर जी ने प्रस्ताव किया कि इन दोनों महानुभावों में से किसी को भी अध्यक्षता करने के लिए चुन लिया जाए। अतः रा. बा. पं. बिहारी लाल जी जबलपुर को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। इन अधिवेशनों का पूरा खर्चा मु. नवल किशोर जी ने स्वयं वहन किया था।

इस सोशल कांफ्रेंस में मुख्यतः सामाजिक विषयों, जैसे विवाह के लिए लड़के व लड़की की आयु, समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने तथा आर्थिक साधनों में वृद्धि के उपायों आदि पर चर्चा हुई। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता था कि कांफ्रेंस को सोशल कांफ्रेंस कहने का तात्पर्य यही था कि कांफ्रेंस के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक आदि विषयों पर निर्णय लिए जा सकते थे, केवल सभा के माध्यम से नहीं।

भार्गव सभा आगरा व भार्गव सोशल कांफ्रेंस का तीसरा अधिवेशन सन् 1891 ई. में रिवाड़ी में हुआ, जिसमें स्थानीय बन्धुओं के अतिरिक्त अन्य बंधुओं की उपस्थिति लगभग 95 थी। मु. रामदयाल जी व मु. नवल किशोर जी की अनुपस्थिति के कारण सभा की अध्यक्षता आगरा सभा के उपसभापति रा. ब. पं. बिहारी लाल जी, जबलपुर ने की और कांफ्रेंस की अध्यक्षता मु. बंशीधर जी वकील, अजमेर ने की और यह इसलिए हुआ कि जब कांफ्रेंस में जाति के कल्याण का विषय प्रस्तुत हुआ तो सभा की अध्यक्षता कर रहे रा. ब. पं. बिहारी लाल जी ने कहा कि वे अपने को इस योग्य नहीं समझते कि इस विषय को समझें। अतः मु. बन्शीधर जी को कांफ्रेंस की अध्यक्षता के लिए चुन लिया गया, वरन् कांफ्रेंस का कोई पृथक पदाधिकारी नहीं था। भार्गव सभा आगरा के प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट्स ही कांफ्रेंस की अध्यक्षता करते थे। सभा के सैक्रेट्री मु. गिरधर लाल जी ने ऑडिटेड हिसाबात व बजट पेश किए तथा भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा की प्रगति पर प्रकाश डाला।

भार्गव सभा आगरा व भार्गव सोशल कांफ्रेंस का चौथा अधिवेशन माह दिसम्बर सन् 1892 ई. में मथुरा में सम्पन्न हुआ। स्थानीय बन्धुओं के अतिरिक्त अन्य उपस्थिति 128 थी। प्रथम दिन राय जगन प्रसाद जी रईस मथुरा ने अध्यक्षता की व मु. गिरधर लाल जी सैक्रेट्री भार्गव सभा ने अपनी रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि “गत वर्ष यह अधिवेशन रिवाड़ी में होना निश्चित हुआ था लेकिन वह उचित नहीं होता क्योंकि ये सम्मेलन आदि अलहदा-अलहदा स्थानों पर ही होने चाहिए जिससे कि स्थानीय एवं आसपास के जातीय बन्धुओं को भी लाभ पहुँच सके, इसीलिए यह अधिवेशन मथुरा में आयोजित किया गया है। पता नहीं किस कारण से जयपुर, रिवाड़ी व अन्य कई जगहों के लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं। यदि दोनों सभाओं के अधिवेशन साथ-साथ ही हों तो बहुत उपयुक्त रहे।” दूसरे दिन की कार्यवाही की अध्यक्षता राय सीता राम जी ने की, क्योंकि राय जगन प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने पहले दिन अध्यक्षता इसलिए स्वीकार कर ली थी कि राय सीता राम जी उपस्थित नहीं थे। तीसरे दिन की कार्यवाही में मु. नवल किशोर जी आ गए थे, इसलिए उन्होंने ही अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया। इस अधिवेशन में व्यय के आधार पर विवाहों का वर्गीकरण किया गया व विवाहों के खर्चों में कटौती की गई। इनके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि भार्गव सभा, आगरा का वर्ष, 1 जनवरी सन् 1894 ई. से 31 दिसम्बर तक माना जाना चाहिए।

भार्गव सभा आगरा व कांफ्रेंस का पाँचवाँ वार्षिक अधिवेशन दिसम्बर सन् 1893 ई. में आगरा में मु. नवल किशोर जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। मु. गिरधर लाल जी, सैक्रेट्री भार्गव सभा आगरा, ने अपनी रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कहा गया था कि किसी अन्य जगह से निमन्त्रण न मिलने के कारण, यह अधिवेशन आगरा में हो रहे थे। उन्होंने भार्गव बोर्डिंग हाउस की प्रगति पर प्रकाश डाला, और कहा कि

“मथुरा में दिल्ली वाले लाला किशोरी लाल जी के द्वारा स्थापित ट्रस्ट ने सन् 1892 ई. में किशोरी रमण पाठशाला स्थापित की है, जिसकी प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष मु. नवल किशोर जी हैं तथा वे स्वयं ट्रस्ट के सदस्यों में से एक हैं। लेकिन यह संस्था आप सब लोगों के सहयोग से ही फल-फूल सकती है। ला. किशोरी लाल जी ने वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्य किया है और अब यह समस्त जाति का उत्तरदायित्व है कि इसकी देखभाल करें और यह देखें कि जो धन इसमें लगाया गया है या लगाया जाएगा, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं” आगे उन्होंने कहा कि “ढोसी, जो कि महर्षि च्यवन की तपोभूमि है, की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ढोसी में एक मौहल्ला है जिसका नाम मौहल्ला दूसरान है, यद्यपि वहाँ अब एक भी दूसर नहीं रहता है, किन्तु आसपास के क्षेत्र में जैसे नारनौल, अकबरपुर, बहादरपुर, बहरोड़, ताँगड़ी, बावल आदि में काफी संख्या में दूसर रहते हैं।”

सन् 1894 ई. के भार्गव सभा आगरा, भार्गव कांफ्रेंस व भार्गव सभा रिवाड़ी के छठे अधिवेशन अजमेर में हुए जिसमें उपस्थिति लगभग 400 की थी। प्रथम दिन भार्गव सभा आगरा के अध्यक्ष मु. राम दयाल जी व कोई भी वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित न होने के कारण सभा की कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः कांफ्रेंस की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए मु. रतिराम जी, नायब दीवान जयपुर कांफ्रेंस के प्रेसिडेंट चुने गए, व भोयड़े वाले बा. रामसिंह जी वकील, कानुपर कांफ्रेंस के सैक्रेट्री चुने गए। दूसरे दिन अर्थात् 28 दिसम्बर को सभा के वाइस प्रेसिडेंट मु. विशंभर दास जी आ गए, और उनकी अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही शुरू हुई। इसी वर्ष के प्रारम्भ में सभा के आजीवन प्रेसिडेंट मु. राम दयाल जी की मृत्यु हो गई थी, अतः उनके स्थान पर, यद्यपि नियमों में अन्य किसी को आजीवन प्रेसिडेंट नियुक्त करने का प्रावधान नहीं था तो भी, मु. नवल किशोर जी को संभवतः उनकी सम्माननीय एवं विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में आजीवन प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया व उनके स्थान पर मु. राम रतन जी जुडिशियल रिकार्डकीपर, लखनऊ को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा मु. मिट्ठन लाल जी का सुझाव कि आइन्दा भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन व भार्गव कांफ्रेंस एक ही स्थान पर हुआ करें, स्वीकार किया गया। रिवाड़ी कांफ्रेंस में स्वीकृत प्रस्ताव की, जिसके अनुसार लड़के का विवाह 16 वर्ष की आयु से कम में नहीं होना चाहिए, पुष्टि की गई व नियमावली में अनेक परिवर्तन किए गए। मु. मिट्ठन लाल जी ने एक स्थायी धनराशि की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन दिनों भार्गव जाति के टैक्स बढ़ते जा रहे थे, जैसे चन्दा भार्गव सभा आगरा, रिवाड़ी सभा, बुक फंड, भार्गव पत्रिका, अमली कमेटियाँ, बेवा फंड आदि। एक औसत दर्जे का आदमी ये सब कैसे दे सकता था, इसलिए एक ऐसी धनराशि होनी चाहिए जिसके ब्याज से सब खर्चे चलते रहें। आगामी वर्ष के लिए मु. राम सिंह जी को कांफ्रेंस का सैक्रेट्री नियुक्त किया गया और निर्णय लिया गया कि आगामी अधिवेशन रिवाड़ी में आयोजित किया जाए।

भार्गव सभा व कांफ्रेंस का सातवाँ वार्षिक अधिवेशन सन् 1895 ई. में 27 से 29 दिसम्बर तक रिवाड़ी में सम्पन्न हुआ। दुर्भाग्यवश सन् 1895 ई. के प्रारम्भ में मु. नवल किशोर जी की मृत्यु हो गई थी, अतः उनके स्थान पर राव बिहारीलाल जी, खजानची, जबलपुर को सभा का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कांफ्रेंस के अध्यक्ष पद के लिए सर्वप्रथम राय भवानी सहाय जी डिप्टी क्लैक्टर चुने गए। राय



साहब ने सब लोगों को उन्हें निर्वाचित करने के लिए धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वे उनका कहा मानेंगे। सबने अपने-अपने हाथ उठाकर स्वीकृति प्रदान की, इस पर राय साहब ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि अध्यक्ष पद के लिए राव बिहारीलाल जी जबलपुर को ही चुन लिया जाए। अतः वे कांफ्रेंस के अध्यक्ष पद के लिए भी चुन लिए गए। सन् 1894 ई. के अजमेर अधिवेशन में सभा व कांफ्रेंस के सैक्रेट्रीज पृथक-पृथक हो गए थे, इस कारण कुछ लोगों की यह धारणा हो चली थी कि सम्भवतः सभा व कांफ्रेंस पृथक-पृथक संस्थाएँ थीं। अतः इस अधिवेशन में सर्वप्रथम सभा व कांफ्रेंस के सम्बन्ध के विषय में चर्चा चली और प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस तरह गत वर्षों में सभा की कार्यवाहियाँ सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की जाती रही थीं, उसी प्रकार इस वर्ष भी किया जाए। भविष्य में जब कांफ्रेंस के नियम बनाए जाएँ तो इस बात को स्पष्ट किया जाए कि सभा व सम्मेलन में क्या सम्बन्ध रहे। मु. गणेशी लाल जी एकाउन्टेन्ट देहली से निवेदन किया गया कि कांफ्रेंस से सम्बन्धित नियमों का प्रारूप बना कर दें, ताकि उन पर विचार कर निर्णय लिया जा सके। पं. ज्योति प्रसाद जी, वकील सहारनपुर ने कहा कि कांफ्रेंस बहुत ही उपयोगी कार्य कर रही थी, इसलिए उसके अधिवेशन प्रतिवर्ष ही होने चाहिए, न कि हर तीसरे वर्ष, जैसा कि कुछ लोगों का विचार था। इस अधिवेशन में सिरौज वालों के मामले पर व सिलैक्ट कमेटी के गठन आदि पर भी विचार हुआ।

सन् 1896 ई. के अधिवेशन आगरा में आयोजित किए गए। यद्यपि गत वर्ष इनको आयोजित करने के लिए लखनऊ निश्चित किया गया था, किन्तु अकाल व अन्य किन्हीं कारणों से वहाँ न हो सके और आगरा में सम्पन्न कराए गए। कांफ्रेंस की अध्यक्षता मु. सुन्दरलाल जी, मैम्बर काउन्सिल, धौलपुर ने की व सभा की अध्यक्षता राव बिहारीलाल जी जबलपुर, ने की। इसी वर्ष मु. गिरधर लाल जी की मृत्यु के कारण मु. जगन्नाथ प्रसाद जी को एक वर्ष के लिए सभा का सैक्रेट्री नियुक्त किया गया। बा. त्रिलोकी नाथ जी सुपुत्र स्व. मु. गिरधर लाल जी ने मुन्शी जी की सेवाओं की सराहना करते हुए एक नोट पढ़ा। मु. गणेशी लाल जी द्वारा तैयार किया हुआ कांफ्रेंस के नियमों का प्रारूप, जिसे मु. अनन्त राम जी वकील, कानपुर ने कानूनी भाषा का आवरण देकर प्रस्तुत किया तथा 'दस्तूर-उल-अमल भार्गव कांफ्रेंस' के नाम से स्वीकार किया गया व उसे सन् 1897 ई. से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया।

भार्गव सभा आगरा व भार्गव कांफ्रेंस का नवाँ अधिवेशन 27 से 29 दिसम्बर सन् 1897 ई. तक पं. रामनाथ जी, सुपुत्र राय सीताराम जी के निमंत्रण पर मथुरा में सम्पन्न हुआ। कांफ्रेंस की अध्यक्षता के लिए राय सीताराम जी, रईस व ऑनरेरी मजिस्ट्रेट निर्वाचित हुए। दूसरे दिन के जलसे में अन्य जातियों के लोग भी आमन्त्रित थे। सैक्रेट्री भार्गव सभा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा की प्रगति एवं हिसाब-किताब का विवरण दिया गया था। ला. जगन्नाथ प्रसाद जी सभा के आगामी वर्ष के लिए सैक्रेट्री चुने गए व अध्यक्ष पद के लिए राव बहादुर पं. बिहारीलाल जी जबलपुर वाले ही निर्वाचित रहे। किशोरी रमण पाठशाला मथुरा की रिपोर्ट एवं कांफ्रेंस के नियमों पर विचार करने के बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें स्त्री शिक्षा विशेष था।

भार्गव सभा आगरा व कांफ्रेंस का दसवाँ जलसा दिसम्बर, सन् 1898 ई. में सहारनपुर में होना निश्चित हुआ था; लेकिन 15 नवम्बर सन् 1898 ई. को पं. ज्योति प्रसाद जी के भाई राय भवानी सहाय



जी की मृत्यु के कारण इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। कांफ्रेंस की अध्यक्षता बा. राम जीवन लाल जी, भूतपूर्व दीवान शाहपुरा ने की। सभा के प्रेसिडेंट राव बहादुर पं. बिहारीलाल जी के उपस्थित न होने के कारण, वाइस प्रेसिडेंट मु. राम रतन जी लखनऊ ने सभा की अध्यक्षता की। सभा के सैक्रेट्री मु. जगन्नाथ प्रसाद जी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि विद्यार्थियों और बेवाओं की सहायता सामान्य रूप से दी जाती रही तथा भार्गव बोर्डिंग हाउस की प्रगति पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि लखनऊ वाले मु. प्रयाग नारायण जी की कृपा से ढोसी में च्यवन जी के मन्दिर का काम चल रहा था और शीघ्र ही उसकी प्राणप्रतिष्ठा भी करानी होगी क्योंकि उसके बिना पटियाला नरेश द्वारा 1/-रु. प्रतिदिन की सहायता जारी नहीं रहेगी। आगामी वर्ष के लिए राव बहादुर पं. बिहारी लाल जी, जबलपुर सभा के प्रेसिडेंट व बा. जगन्नाथ प्रसाद जी सैक्रेट्री निर्वाचित हुए। इस अधिवेशन में उपस्थिति लगभग 193 थी। कांफ्रेंस के सैक्रेट्री बा. रामसिंह जी ने बलिया में भृगु ऋषि का मन्दिर बनवाने की अपील की। आगामी वर्ष के लिए राय गंगा शरण दास जी कांफ्रेंस के जनरल सैक्रेट्री निर्वाचित हुए। इसी के साथ रिवाड़ी भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन भी हुआ। राव बहादुर पं. बिहारी लाल जी के उपस्थित न होने के कारण अजमेर के मु. घासीराम जी ने अध्यक्षता की एवं निर्णय लिया गया कि रिवाड़ी सभा का अधिवेशन वहीं पर होना चाहिए जहाँ भार्गव सभा आगरा का अधिवेशन हो। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों सभाओं का बेवा फंड एक ही समझा जाए तथा इस फंड में जो भी आय-व्यय हो वह दोनों सैक्रेट्रीज के आपसी परामर्श से हुआ करे। आगामी अधिवेशनों का आयोजन मेरठ में करने का निर्णय लिया गया।

सन् 1899 ई. के सभा व कांफ्रेंस के अधिवेशन मेरठ में सम्पन्न हुए और उन दोनों की अध्यक्षता सभा के प्रेसिडेंट राव ब. पं. बिहारीलाल जी, खजानची, जबलपुर ने की। इस कांफ्रेंस में भी कुछ अन्य जाति के लोग उपस्थित थे, व कुछ समय के लिए, ले.क. ए.डब्लू.डी. कैम्पबैल कैन्टोनमेन्ट मजिस्ट्रेट मेरठ भी उपस्थित रहे। राव बहादुर साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा, जाति में जीविकोपार्जन के अवसर बढ़ाना आदि विषयों पर बल दिया तथा जाति के लोगों से अपील की कि वे धार्मिक संस्कार जैसे संध्या तर्पण, हवन व उपनयन आदि की ओर ध्यान दें। कांफ्रेंस के सैक्रेट्री की रिपोर्ट पढ़ी गई, जिसमें उपदेशक बा. मदनलाल जी के कार्य का विवरण देते हुए कहा था कि उपदेशक जी लगभग 2 महीने और 24 दिन दौरे पर रहे और वे जिन-जिन जगहों पर गए उनके नाम थे - हरसोली, बास किशनगढ़, बहादुरपुर, जावरा, जहारखेड़ा, अलवर, कोट कासिम, बावल शाहजहाँपुर, ताँगड़ी, ढोसी, नारनौल, मेरठ, बुलन्दशहर, अनूप शहर, डिबाई, अलीगढ़, मथुरा-वृन्दावन, सहार, आगरा, भरतपुर, कुम्हेर, डीग, भुसावर व कठूमर। उपदेशक जी ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कांफ्रेंस के प्रस्तावों का पालन करने को तैयार थे, यदि जाति के उच्च स्तर के लोग भी उनका पालन करें। पं. ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि महिलाओं को कांफ्रेंस द्वारा बनाए हुए नियमों की जानकारी नहीं थी, अतः इन नियमों की एक तालिका बनवाकर वितरित कर दी जाए तो उनका पालन और अच्छी तरह से हो सकता था। अतः निर्णय लिया गया कि कांफ्रेंस के निर्णय उर्दू व हिन्दी में छापे जाएँ और अलवर व अन्य क्षेत्रों में बाँटे जाएँ।

मास्टर राम रिछपाल जी देहली ने कहा कि ब्राह्मणों से कंठी बँधवाकर गुरु बनाना बिल्कुल गलत था और इस प्रथा को बन्द कर देना चाहिए। ये लोग कान में कुछ मंत्र कह देते थे और औरतों से कह देते थे कि किसी को बतलाना मत। निर्णय लिया गया कि इस तथ्य को रिपोर्ट में दर्ज कर लिया जाए व जाति के लोगों का इस ओर ध्यान दिलाया जाए। बा. रामलाल जी ने कहा कि भार्गव जाति के बारे में कहीं कुछ लिखा था और कहीं कुछ, इसलिए कोई ऐसी किताब लिखी जाए जिससे सब लोग अपने को ब्राह्मण कहना सिद्ध कर सकें। आइन्दा सरकारी जनगणना के समय सब लोगों को भार्गव ब्राह्मण प्रगट करना चाहिए, क्योंकि अलहदा-अलहदा जगहों पर अलग-अलग नाम बताने से भ्रम उत्पन्न होता है।

सन् 1900 ई. के अधिवेशन प्रयाग में हुए। कांफ्रेंस की अध्यक्षता मिर्जापुर के पं. बैनी प्रसाद जी ने की और उन्होंने अपने भाषण में जाति की सम्पन्नता एवं समृद्धि बढ़ाने के लिए व्यापार व व्यवसाय की ओर ध्यान देने पर बल दिया।

प्रयाग में हुई कांफ्रेंस में आगामी अधिवेशन के लिए कोई निमंत्रण नहीं था अतः यह निर्णय लिया गया कि आइन्दा जलसा कांफ्रेंस के फंड से ही आयोजित किया जाए। यह पहला ही अवसर था, जब कि इस प्रकार का निर्णय लिया गया था, वरना सदैव इन अधिवेशनों का व्यय स्थानीय जातीय बन्धु ही किया करते थे। अलवर के लोग कांफ्रेंस का जलसा अपने यहाँ आयोजित करना तो चाहते थे, परन्तु उन्हें यह बात पसन्द नहीं आई कि जलसा अलवर में हो और उसका व्यय कांफ्रेंस के फण्ड से किया जाए। अन्ततः उन्होंने निश्चय किया कि समस्त स्थानीय जाति बन्धुओं से परामर्श करके ही इस विषय में अन्तिम निर्णय लेंगे। अतएव उन्होंने स्थानीय लोगों की एक सभा बुलाई और उसमें निर्णय लिया कि कांफ्रेंस अलवर में ही होगी व उसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। इस प्रकार सभा व कांफ्रेंस का 13वाँ अधिवेशन अलवर में सम्पन्न हुआ, जिसमें स्थानीय लगभग 50 व्यक्तियों के अतिरिक्त बाहर से आने वालों की संख्या 100 थी। पं. कन्हैयालाल जी ज़िलेदार, जयपुर, कांफ्रेंस की अध्यक्षता के लिए निर्वाचित हुए। सभा के प्रेसिडेंट रा.ब. पं. बिहारीलाल जी जबलपुर उपस्थित नहीं थे, इसलिए प्रथम दिन की कार्यवाही सभा के वाइस प्रेसिडेंट पं. कन्हैया लाल जी, जयपुर की ही अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भार्गव सभा रिवाड़ी के प्रेसीडेंट मु. सुन्दर लाल जी उपस्थित नहीं थे, इसलिए रिवाड़ी सभा की अध्यक्षता भी मु. कन्हैया लाल जी ही ने की। कांफ्रेंस द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी अधिवेशन अलवर ही में कांफ्रेंस के व्यय से आयोजित किया जाए व उसके लिए सात सौ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी वर्ष के लिए भार्गव सभा आगरा के अध्यक्ष व सैक्रेट्री क्रमशः रा.ब. पं. बिहारीलाल जी जबलपुर व मु. जगन्नाथ प्रसाद जी ही निर्वाचित हुए।

सन् 1902 ई. में कांफ्रेंस का अधिवेशन एडवर्ड सप्तम के सिंहासनावरोहण के, 27 से 29 दिसम्बर तक, आयोजित समारोह के कारण नहीं हो सका और आगामी कांफ्रेंस का जलसा सन् 1903 ई. में ही अलवर में सम्पन्न हुआ किन्तु सन् 1902 ई. का, भार्गव सभा आगरा का, वार्षिक अधिवेशन तीन व चार अप्रैल सन् 1903 ई. को सम्पन्न हुआ। सन् 1903 ई. की कांफ्रेंस की अध्यक्षता के लिए राय बहादुर पं. बिहारीलाल जी खजानची जबलपुर निर्वाचित हुए थे, किन्तु उन्होंने इसको स्वीकार करने में असमर्थता प्रगट की, अतः बा. रामजीवन लाल जी, भूतपूर्व दीवान शाहपुरा व रईस अजमेर अध्यक्ष पद के लिए

निर्वाचित हुए। इस कांग्रेस में वैश्य कांग्रेस के सैक्रेट्री का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने इस जाति के एक डैलीगेट को उनकी कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। किन्तु पत्र समय पर न मिलने के कारण किसी डैलीगेट को न भेजा जा सका और उन्हें एक धन्यवाद का पत्र प्रेषित कर दिया गया।

सन् 1904 ई. में उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों पर प्लेग का प्रकोप होने के कारण न तो सभा का और न कांग्रेस का अधिवेशन हो सका।

सन् 1905 ई. के सभा व कांग्रेस के अधिवेशन इलाहाबाद में हुए। कांग्रेस की अध्यक्षता बा. रामसिंह जी, वकील कानपुर ने की व सभा के पदाधिकारी पूर्ववत् राय ब. प. बिहारीलाल जी जबलपुर, अध्यक्ष व मु. जगन्नाथ प्रसाद जी सैक्रेट्री रहे।

सन् 1906 ई. के अधिवेशन 24 से 26 दिसम्बर तक ढोसी में आयोजित किए गए। यद्यपि ढोसी में कोई भार्गव परिवार नहीं था, फिर भी उसके आसपास के क्षेत्र में नारनौल व कानौड़ जैसी बस्तियों के परिवारों के सहयोग से ये अधिवेशन यहाँ हो सके। अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले सदस्यगण च्यवन ऋषि जी के मन्दिर में दर्शन करने गए। कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए बा. रामजीवन लाल जी, भूतपूर्व दीवान शाहपुरा तीसरी बार निर्वाचित हुए।

सन् 1907 ई. के अधिवेशन अलीगढ़ में सम्पन्न हुए जहाँ कांग्रेस की अध्यक्षता मु. प्रयाग नारायण जी, लखनऊ ने की व सभा के अध्यक्ष व सैक्रेट्री पूर्ववत् ही रहे।

कांग्रेस का अठारहवाँ अधिवेशन माह दिसम्बर सन् 1908 ई. में कानपुर में सम्पन्न हुआ जिसमें उपस्थिति स्थानीय बन्धुओं के अतिरिक्त 48 थी। कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए राय दुर्गा प्रसाद जी, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, निर्वाचित हुए, उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजी में पढ़ा, जिसका अनुवाद उर्दू में किया गया। सन् 1909 में कांग्रेस का उन्नीसवाँ अधिवेशन राय कुन्दनलाल जी, डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में मथुरा में सम्पन्न हुआ। सन् 1910 ई. में बीसवाँ अधिवेशन इलाहाबाद में राय बहादुर ले. मनोहरलाल जी, रईस थापल स्पेशल मजिस्ट्रेट व ताल्लुकदार की अध्यक्षता में हुआ। आगामी अधिवेशन लाहौर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, किन्तु लाहौर में सब तैयारियाँ होने पर भी वहाँ सन् 1911 ई. का अधिवेशन न हो सका जिसका कारण यह था कि 17 दिसम्बर तक जाति के गुरुजन देहली में कौरोनेशन की वजह से रहे और उसके बाद फिर लाहौर का सफर करना उन लोगों के लिए मुश्किल था, अतः जो लोग दिल्ली में थे, उन्होंने एक बैठक करके लाहौर कांग्रेस को स्थगित कर दिया तथा आगामी कांग्रेस सन् 1912 ई. में आगरा में राय बहादुर पं. राधारमण जी, डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। सन् 1911 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी सन् 1912 को हुआ और जिसकी अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट मु. प्रयाग नारायण जी ने की। उपस्थिति केवल 22 की थी। इस समय तक सभा के आजीवन सदस्य केवल 85 ही थे। सन् 1912 ई. के भार्गव सभा के अधिवेशन के विषय में निर्णय लिया गया कि वह माह अक्टूबर सन् 1912 ई. में हो और उसकी वार्षिक रिपोर्ट आगामी कांग्रेस के जलसे में पेश की जाए। इस प्रकार कभी-कभी कांग्रेस व सभा के अधिवेशन साथ-साथ नहीं भी होते

थे। भार्गव सभा का एक साधारण अधिवेशन भी संविधान में संशोधन के लिए 7/8 अप्रैल को व दूसरा संशोधनों की पुष्टि के लिए 19 मई सन् 1912 ई. को हुआ। स्वीकृत संशोधनों के अनुसार प्रबन्धक समिति के लिए 37 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई व दो उपसमितियाँ (1) तालीमी उपसमिति (शिक्षा उपसमिति) व (1) माली अखलाकी व तमददुनी उपसमिति (समाज सुधार उपसमिति) स्थापित की गई।

सन् 1913 ई. के सभा व कांफ्रेंस के अधिवेशन उन्नीस वर्ष बाद अजमेर में हुए। अजमेर में पिछला कांफ्रेंस का अधिवेशन सन् 1894 ई. में हुआ था, जिसमें पं. रामसिंह जी कांफ्रेंस के प्रथम सैक्रेटरी निर्वाचित हुए थे। यह कैसा संयोग था कि यही रामसिंह जी उन्नीस वर्ष बाद अजमेर के ही अधिवेशन में कांफ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए कि इसी वर्ष यहीं पर सर्वप्रथम महिला कांफ्रेंस का जलसा भी श्रीमती दिलवर देवी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

सन् 1914 ई. में कांफ्रेंस का तेईसवाँ अधिवेशन चौबीस वर्ष बाद लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इससे पहले लखनऊ में कांफ्रेंस का अधिवेशन सन् 1890 ई. में हुआ था। कांफ्रेंस की अध्यक्षता दीवान बहादुर पं. बिहारीलाल जी, खजानची, जबलपुर ने की जो इस समय सभा के भी प्रेसिडेन्ट थे। जलसे में स्थानीय बन्धुओं के अलावा 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी वर्ष मु. गोपाल प्रसाद जी, आगरा सभा के सैक्रेटरी निर्वाचित हुए और सन् 1924 ई. तक इस पद पर रहे। सभा के प्रेसिडेन्ट तो दीवान पं. बिहारीलाल जी ही रहे जो कि इस पद पर सन् 1920 ई. में मृत्यु होने तक बने रहे। सन् 1915 ई. की कांफ्रेंस जबलपुर में राय ब. पं. मिट्ठनलाल जी अजमेर की अध्यक्षता में हुई व कांफ्रेंस का छब्बीसवाँ जलसा सन् 1916 ई. में लाहौर में दीवान बहादुर पं. दामोदरलाल जी, अलीगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सन् 1917 ई. का अधिवेशन बनारस में हुआ जहाँ जाति के 5-6 परिवार ही थे। कान्फ्रेंस की अध्यक्षता पं. अनन्त राम जी अलीगढ़ ने की। सभा के अध्यक्ष तो दी. ब. प. बिहारीलाल जी, जबलपुर ही थे।

भार्गव सभा का तीसवाँ व भार्गव कान्फ्रेंस का सत्ताईसवाँ अधिवेशन सन् 1918 ई. में दिल्ली में आयोजित किया गया। कांफ्रेंस की अध्यक्षता रा. ब. पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर ने की। सन् 1919 ई. के अधिवेशन 26 से 29 दिसम्बर तक आगरा में आयोजित किए गए जिनमें बाहर से आने वालों की संख्या 80 थी जो गत वर्ष से कम थी। कांफ्रेंस की अध्यक्षता पं. रामेश्वर प्रसाद जी, इलाहाबाद ने की। पं. अमीर सिंह जी, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर व स्वागत समिति के अध्यक्ष की रिपोर्ट में कहा गया था कि गत वर्ष कांफ्रेंस के लिए कहीं से भी निमंत्रण न मिलना बहुत ही खेदजनक था, क्योंकि कांफ्रेंस के माध्यम से ही आपस में मिल-बैठकर बातचीत करके ही जाति की उन्नति के रास्ते ढूँढ़े जा सकते थे। सन् 1920 ई. के सभा व कांफ्रेंस इलाहाबाद में हुए। इसी वर्ष दीवान बहादुर पं. बिहारीलाल जी जबलपुर की मृत्यु के कारण सभा की अध्यक्षता दीवान बहादुर पं. दामोदरलाल जी ने की। कांफ्रेंस की अध्यक्षता रा. सा. पं. बिहारीलाल जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट व रईस रिवाड़ी ने की। आगामी वर्ष के लिए पं. रामसिंह जी, वकील कानपुर सभा के प्रेसिडेन्ट चुने गए। सन् 1921 ई. में कहीं से भी निमंत्रण न मिलने के कारण कान्फ्रेंस का जलसा नहीं हो सका। सन् 1922 ई. के सभा व सम्मेलन के अधिवेशन अजमेर में आयोजित हुए। राय बहादुर पं. जवाहर लाल जी एम.एल.ए. ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। दुर्भाग्यवश इसी वर्ष

फरवरी में सभा के प्रेसिडेंट पं. राम सिंह जी की मृत्यु हो गई और आगामी वर्ष के लिए सभा के अध्यक्ष के पद पर राय साहब पं. ज्योति प्रसाद जी निर्वाचित हुए और वे इस पद पर सन् 1929 ई. तक बने रहे। सन् 1923 ई. में फिर कहीं से निमंत्रण न मिलने पर सम्मेलन का अधिवेशन नहीं हो सका, परन्तु भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में सम्पन्न हुआ। सन् 1924 ई. के अधिवेशन आगरा में आयोजित किए गए व सम्मेलन की अध्यक्षता राय बहादुर पं. राधा रमण जी रिटायर्ड कलेक्टर ने की। इसी वर्ष नवम्बर में मु. गोपाल प्रसाद जी सैक्रेट्री भार्गव सभा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर रा. ब. पं. राधा रमण जी रिटायर्ड कलेक्टर सभा के सैक्रेट्री चुने गए और इस पद पर वे सन् 1932 ई. तक कार्य करते रहे। सन् 1925 ई. के अधिवेशन अलवर में होने निश्चित हुए थे, किन्तु प्लेग फैलने के कारण वहाँ न हो सके और 25-12-25 को सभा की प्रबन्धक समिति ने निर्णय लिया कि भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन ईस्टर की छुट्टियों में अजमेर में आयोजित किया जाए। अतः भार्गव सभा का सैंतीसवाँ वार्षिक अधिवेशन 4/5 अप्रैल सन् 1926 ई. को अजमेर में सम्पन्न हुआ। इस प्रकार सन् 1925 ई. में भी सम्मेलन का अधिवेशन नहीं हो सका। भार्गव सभा के अड़तीसवें एवं सम्मेलन के बत्तीसवें अधिवेशन का आयोजन सन् 1926 ई. में अलवर में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पं. अनन्त राम जी वकील, अलीगढ़ ने की व सभा के अध्यक्ष राय ब. पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर थे ही। इन अधिवेशनों को सन् 1927 ई. में जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राय साहब पं. बिहारीलाल जी रईस रिवाड़ी ने की। ये अधिवेशन जयपुर में पहली बार ही आयोजित किए गए थे और उपस्थिति लगभग 150 के थी। सन् 1928 ई. में ये वार्षिक अधिवेशन कानपुर में सम्पन्न हुए। विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 150 के थी। सभा व सम्मेलन दोनों ही की अध्यक्षता रा. ब. पं. ज्योति प्रसाद जी सहारनपुर ने की। इस वर्ष पुरुष कांफ्रेंस की कार्यवाही सुनने व देखने के लिए महिलाओं के लिए दालान में चिकें डालकर प्रबन्ध किया गया था।

सन् 1929 ई. के मथुरा सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष मु. जगन्नाथ प्रसाद जी ने अपने भाषण में कहा कि गत वर्ष सन् 1928 ई. में सम्मेलन के लिए कोई निमंत्रण नहीं था, और चूँकि सम्मेलन का होना, विशेषकर बेवाओं आदि के लिए धन एकत्रित करने के लिए, आवश्यक समझा गया, अतः सभा की प्रबन्धक समिति ने सम्मेलन कराने का निर्णय लिया व उसके लिए आठ सौ रुपये स्वीकार किए गए। पहले ढोसी में सम्मेलन करने का विचार था, परन्तु वहाँ उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण मथुरा में आयोजित किया जा रहा था। प्रबन्धक समिति ने कोटा के राय साहब पं. श्रीराम जी से सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परन्तु सम्मेलन के प्रथम दिन राय साहब पं. श्रीराम जी न आ सके, अतः प्रस्ताव किया गया कि जब तक राय साहब पं. श्रीराम जी न आवें, तब तक के लिए अध्यक्षता करने को पं. मुकुट बिहारीलाल जी को नियुक्त कर दिया जाए। इस प्रस्ताव का समर्थन पं. अनन्त राम जी व पं. जवाहरलाल जी लाहौर ने किया। इसके विपरीत पं. विशम्भर नाथ जी आगरा ने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन के पूरे समय के लिए ही पं. मुकुट बिहारीलाल जी को अध्यक्ष चुन लिया जाए, क्योंकि प्रबन्धक कमेटी को सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार नहीं था और उसकी यह कार्यवाही सर्वथा अनुचित थी। इसके उत्तर में यह कहा गया कि समय की कमी के

कारण ही ऐसा किया गया था, क्योंकि मथुरा की स्वागत समिति का गठन ही 25-12-29 को हुआ था। वाद-विवाद के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ: “इस साल बावजह कमी-ए-वक्त स्वागत समिति कांफ्रेंस मथुरा बहुत देर से कायम हुई और अन्तखाब-ए-प्रेसिडेन्ट के मुताल्लिक जो जाब्ता पहले से अमल में आता रहा है, उसकी तामील इस साल नहीं हुई। यह जलसा सम्मेलन रिसेप्शन कमेटी मथुरा की इस तजवीज़ का कि जलसा सम्मेलन के प्रेसिडेन्ट राय साहब प. श्रीराम जी सैशन जज कोटा चुने जाएँ, मन्जूर करता है और जिस वक्त तक वे तशरीफ न लावें, पं. मुकुट बिहारीलाल जी जलसे का काम करें। मगर आइन्दा इन्तजाम-ए-प्रेसिडेन्ट के मुताल्लिक वही कायदे व तरीके अमल में लाए जावें, जो अब तक अमल से लाए जाते रहे हैं”। दूसरे दिन से रा. सा. पं. श्रीराम जी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी सम्मेलन में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किया गया जिसमें कहा गया था कि “यह जलसा भार्गव सम्मेलन उस रिज़ोल्यूशन को, जो जलसा कांफ्रेंस सन् 1897 ई. में करना पास किया था, इस प्रकार तरमीम करता है कि उस हालत में जब कि कांफ्रेंस का किसी जगह से बुलावा न आया हो, तो कांफ्रेंस का जलसा नीचे लिखे स्थानों में से किसी एक स्थान पर नम्बरवार किया जावे। अगर वहाँ के साहबान बिरादरी उसके खर्चे के इन्तजाम का जिम्मा अपने ऊपर लेने को तैयार न हों, तो उसी मुकाम पर सभा जलसे का इन्तजाम करे और उसके खर्चे का इन्तजाम चन्दा या फीस डैलीगेट्स से बतरीके मुनासिब किया जावे ताकि खर्चे का भार सभा के सरमाये पर न पड़े। अजमेर, आगरा, अलवर, जयपुर, देहली, लाहौर, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, मेरठ, रिवाड़ी, सिरोंज।” इसी वर्ष आगामी वर्ष के लिए सभा के प्रेसिडेन्ट रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी अजमेर निर्वाचित हुए।

सन् 1929 ई. के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि आगामी अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किए जाएँ, किन्तु वे स्थगित कर दिए गए। अतः सन् 1930 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा में सभा के खर्चे से आयोजित किया गया। सन् 1931 ई. के सभा व सम्मेलन के अधिवेशन इलाहाबाद में क्रमशः राय बहादुर पं. मिट्ठन लाल जी अजमेर व मु. जगन्नाथ प्रसाद जी भूतपूर्व सैक्रेट्री भार्गव सभा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए। सभा के अधिवेशन में उपस्थिति 32 व सम्मेलन में लगभग 200 के थी।

सन् 1932 ई. के अधिवेशनों का आयोजन लखनऊ में करने का निमंत्रण पं. दुलारेलाल जी ने दिया था, लेकिन वे न कर सके। उसके बाद देहली व आगरा वालों के कहा गया, लेकिन वे भी तैयार न हुए। अन्ततः भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन तो सभा के खर्चे से फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा में रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, परन्तु इस वर्ष सम्मेलन का अधिवेशन नहीं हो सका। भार्गव सभा के इस अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 24 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव सभा आगरा के नाम में से शब्द ‘आगरा’ निकाल दिया जाए और भविष्य में उसका नाम केवल ‘भार्गव सभा’ रहे।

सन् 1933 ई. के भार्गव सभा का तैतालिसवाँ व सम्मेलन का सैंतीसवाँ अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मु. मथुरा प्रसाद जी सासनी वालों ने की व सभा की अध्यक्षता रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी ने की। पं. मथुरा प्रसाद जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांफ्रेंस की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि सन् 1927 ई. से भार्गव महिला कांफ्रेंस इस कांफ्रेंस के साथ ही होना प्रारम्भ



हो गयी थीं, अतः अब यह कांफ्रेंस अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अवश्य सफल होगी क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाएँगे वे दोनों की सहमति से ही होंगे और उनका क्रियान्वयन सरल और निश्चित हो जाएगा। सम्मेलन में महिलाओं ने चिकों के अन्दर से भजन सुनाए व स्त्री शिक्षा पर लेख पढ़े। पं. मनोहरलाल जी को हरिद्वार में भार्गव आश्रम स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया गया।

सन् 1934 ई. के अधिवेशन मुलताई में हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता राय सा. बिहारीलाल जी रईस, रिवाड़ी ने की। उपस्थिति 200 के लगभग थी, जिसमें से 50 से अधिक बाहर से आए हुए थे। मुलताई में इस समय तीस भार्गव परिवार थे और उनकी कुल जनसंख्या 209 थी। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पास किए गए। आगामी अधिवेशनों का रिवाड़ी में होना निश्चित किया गया।

सन् 1935 ई. के रिवाड़ी में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता कानपुर निवासी रा. सा. पं. शंकरलाल जी ने की और सभा के अधिवेशन का सभापतित्व राय ब. पं. मिट्ठनलाल जी प्रधान भार्गव सभा की अनुपस्थिति में उपप्रधान पं. जगन्नाथ प्रसाद जी मथुरा ने किया। सम्मेलन में बाहर से आए हुए लोगों की उपस्थिति 600 पुरुषों और 200 स्त्रियों की थी। अलवर, रिवाड़ी, मथुरा, देहली व पंजाब से हॉकी की टीमों भी आई थीं। फाइनल मैच पंजाब व अलवर की टीमों में हुआ और दोनों बराबर रहीं। नाटक व प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था।

सन् 1936 ई. में सभा व सम्मेलन के अधिवेशन लखनऊ में हुए, सभा की अध्यक्षता रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी अजमेर ने की व सम्मेलन पं. भगवान दास जी, सिविल जज गोरखपुर की अध्यक्षता में हुआ। बाहर से आने वालों की उपस्थिति 350 पुरुष व 100 महिलाओं की थी। हॉकी की टीमों भी आई थीं। सन् 1937 ई. में भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन 25 दिसम्बर को भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी ने की। सदस्यों की उपस्थिति 24 थी। भार्गव सभा का वर्ष 1938 ई. का वार्षिक अधिवेशन भी बोर्डिंग हाउस आगरा में ही 8 अप्रैल सन् 1839 ई. को रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी के सभापतित्व में हुआ। उपस्थिति 22 सदस्यों की थी। आगामी वर्ष के चुनाव सम्पन्न हुए व हिसाबत व रिपोर्ट स्वीकृत किए गए।

सन् 1939 ई. का वर्ष भार्गव सभा की स्वर्ण जयन्ती का वर्ष था और सभा और सम्मेलन दोनों ही के अधिवेशन आगरा में हर्ष और उल्लास से 26 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक आयोजित किए गए। दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता रा.ब.पं. मिट्ठनलाल जी एडवोकेट अजमेर ने की। सम्मेलन के अवसर पर लेख प्रतियोगिताएँ, हॉकी व वॉलीबॉल के टूर्नामेंट, स्त्रियों के काम की प्रदर्शनी व लड़कियों के लिए संगीत प्रतियोगिताओं व कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। रा. सा. पं. बिहारी लाल जी ने भार्गव सभा का पचास वर्ष का इतिहास पढ़कर सुनाया। उपस्थिति लगभग 1000 के थी। 28 दिसम्बर सन् 1939 ई. को संविधान में संशोधनों पर विचार करने के लिए भार्गव सभा का एक असाधारण अधिवेशन हुआ और दूसरे ही दिन अर्थात् 29-12-39 को संविधान में पारित संशोधनों की पुष्टि के लिए फिर असाधारण अधिवेशन हुआ। पहले दिन उपस्थिति 32 की व दूसरे दिन 29 की थी।

इस सम्मेलन की कार्यवाही के सम्बन्ध में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं, एक तो यह कि जब रीति संग्रह में संशोधनों पर विचार हो रहा था तो धारा 6 को, जिसके अनुसार बिरादरी में हर प्रकार की भाजी बाँटना मना था, (यद्यपि हर शहर में गुड़-चीनी या गिंदोड़े बाँटे ही जाते थे) रीति संग्रह समिति ने इस प्रकार बदलना निश्चित किया था, “बिरादरी में भाजी बाँटना बन्द है, परन्तु स्थानीय रिवाज के अनुसार केवल विवाह के अवसर पर गिंदोड़े, चीनी या गुड़ बाँटा जा सकता है। रिश्तेदारों में भाजी बाँटी जा सकती है।” पक्ष-विपक्ष की राय ली गई तो यह निश्चय हुआ कि गिंदोड़े आदि कुछ न बाँटे जावें। स्त्रियों की तरफ से यह आपत्ति हुई कि पुरुषों की संख्या अधिक थी, इसलिए उनकी वोटों का ज्यादा होना जरूरी था, परन्तु उनकी सर्वसम्मति का कोई विचार नहीं किया गया और उनके विरुद्ध निश्चय हुआ, इसलिए वे आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी। इससे स्पष्टतया प्रतीत होता था, कि धीरे-धीरे महिला वर्ग कितना मुखर व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता जा रहा था। दूसरे धारा 52 के सम्बन्ध में रीति संग्रह समिति ने यह निश्चय किया था कि इस धारा के अन्त में यह शब्द “कि जो जाति के सज्जन बारात में जावें वे अपना-अपना किराया स्वयं दें, मान्यों तथा सवासनों का किराया वर पक्ष दे सकता है” जोड़ दिए जावें। काफी वाद-विवाद हो जाने पर वोट ली गई और दोनों पक्षों को 63-63 वोट मिले। इस समय महिलाएँ कार्यवाही में भाग तो नहीं ले रही थीं, परन्तु उन्होंने इस विषय का समर्थन सर्वसम्मति से रीति संग्रह संशोधन समिति के सामने किया था, इसलिए सभापति जी ने इस विषय के पक्ष में अपना मत प्रगट किया और रीति संग्रह समिति का संशोधन पारित घोषित कर दिया गया, परन्तु वोट गिनने के समय कुछ सज्जनों का कहना था कि वोटें गलत गिनी जा रही थीं इसलिए वे इस निर्णय को नहीं मानेंगे। अगले दिन अर्थात् 28 दिसम्बर की बैठक में इस विषय पर फिर से विचार शुरू हुआ। चूँकि स्त्रियों की ओर से यह माँग आई थी कि भाजी वाले मामले का निर्णय ठीक नहीं हुआ था और पुरुषों की ओर से यह कहा गया था कि बारातियों के किराए के सम्बन्ध में उचित प्रकार से मतगणना नहीं हुई थी, इसलिए सभापति जी ने निर्णय दिया कि दोनों विषयों पर फिर से वोट ले लिए जावें। दुबारा वोट लेने पर प्रथम प्रस्ताव के पक्ष में 216 व विरोध में 133 वोटें आईं, इसलिए समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार कर लिया गया व दूसरा प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया।

42वाँ भार्गव सम्मेलन व भार्गव सभा का 51वाँ वार्षिक अधिवेशन 26-27-28 दिसम्बर सन् 1940 ई. को प्रयाग में छठी बार पं. प्यारेलाल जी, रजिस्ट्रार अवध चीफ कोर्ट के सभापतित्व में हुआ। उपस्थित सज्जनों की संख्या लगभग 300 के थी। सदैव की भाँति प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, लेकिन इस वर्ष समय से उचित स्थान न मिलने के कारण खेलों का प्रबन्ध न हो सका। इसी वर्ष के अन्त में 7 वर्ष तक मन्त्री पद पर कार्यरत रहने के पश्चात् प्रो. सालगराम जी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया व उनके स्थान पर पं. भगवानदास जी नियुक्त हुए।

43वाँ भार्गव सम्मेलन व भार्गव सभा का 52वाँ वार्षिक अधिवेशन 26-27-28 दिसम्बर सन् 1941 ई. को मेरठ में क्रमशः प्रो. सालग राम जी व रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। उपस्थिति लगभग 600 के थी। इन अधिवेशनों का समस्त व्यय भार पं. छाजूमल जी भार्गव तथा उनके लघु भ्राता पं. अयोध्या प्रसाद जी ने वहन किया था। स्व. मु. नवल किशोर जी सी. आई. ई. के बाद यह



पहला ही उदाहरण था जब किसी एक व्यक्ति विशेष ने इन अधिवेशनों का समस्त व्यय भार स्वयं वहन किया हो। सम्मेलन में सर सीताराम, कर्नल गोयल और कुछ ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रो. सालग राम जी ने रीति संग्रह, अन्तर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा व बेकारी आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार प्रकट किए। सन् 1942 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा में रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। प्रस्ताव संख्या (7) द्वारा निर्णय लिया गया कि पं. दुलारे लाल जी, लखनऊ का नाम भार्गव सभा के सभासदों में से निकाल दिया जाए तथा प्रस्ताव संख्या (10) द्वारा 1 अप्रैल सन् 1942 ई. को भार्गव बोर्डिंग हाउस रिवाड़ी को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

भार्गव सभा का 54वाँ वार्षिक अधिवेशन 25 दिसम्बर सन् 1943 को, भार्गव बोर्डिंग हाउस, अलवर में रा. ब. पं. मिट्ठनलाल जी, अजमेर के सभापतित्व में हुआ। उपस्थिति 24 सदस्यों एवं 50-60 अन्य लोगों की थी। सभा के आगामी वर्ष सन् 1944-45 ई. वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में लगभग 5,000/- रुपए की कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए विभिन्न नगरों आदि की 24 कमेटियाँ बनाई गईं और यह आशा की गई कि वे अपने-अपने यहाँ से अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा करके भेजने की कृपा करेंगे। इस वर्ष अर्थात् सन् 1942-43 ई. में पदाधिकारियों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री पं. भगवान दास जी के मयूर भंज स्टेट में जज होकर जाने से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर प्रो. सालगराम जी नियुक्त किए गए। इस समय तक सभा के आजीवन सदस्य केवल 314 ही थे। सन् 1944 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन 26 दिसम्बर को आगरा में अजमेर निवासी रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति लगभग 24 के थी।

सन् 1945 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन रा.ब.पं. मिट्ठनलाल जी, अजमेर के सभापतित्व में दिल्ली में हुआ। आगामी वर्ष के लिए जब प्रधान के चुनाव का विषय पेश हुआ तो पं. हरिकृष्ण जी देहली ने प्रस्ताव किया कि रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी वर्ष सन् 1946 ई. के लिए सभा के प्रधान चुने जाएँ। इसका समर्थन देहली के एक सज्जन ने किया व उनका अनुमोदन रा.सा.पं. बनवारी लाल जी ने किया। इसके पश्चात् देहली के ही एक नवयुवक ने यह प्रस्ताव किया कि रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी लगभग 50 वर्ष से सदस्य के रूप में सभा व जाति की सेवा कर रहे थे, और 15 वर्ष से अधिक प्रधान के पद पर भी आसीन थे तथा हर तीसरे माह जब प्रबन्धक समिति की बैठक होती थी तो इस वृद्धावस्था में भी यात्रा का कष्ट सहकर उसमें भाग लेने के लिए उपस्थित होते थे, ऐसी दशा में उन सभी नवयुवकों का कर्तव्य था कि उन्हें ऐसे कष्टप्रद कार्यों से अवकाश दें, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता था कि उन्हें रेल यात्रा में व अधिवेशन के समय बहुत असुविधा व कष्ट होता था, जिसके लिए वे सब उनके प्रति पूर्ण आभारी थे व उनकी सुविधा के लिए यह प्रस्ताव रखा कि आपके स्थान पर रा. सा. पं. प्यारे लाल जी, रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट लखनऊ, को प्रधान चुना जाए। पं. जगन प्रसाद जी, अलवर ने इसका समर्थन किया। चुनाव की प्रक्रिया बैलट द्वारा आरम्भ हो गई। अभी कार्यवाही समाप्त भी न हो पाई थी कि रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी ने यह कह कर कि वे चुनावों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, अपना नाम वापिस ले लिया और रा. ब. पं. प्यारे लाल जी सभा के प्रधान चुने गए। इससे कुछ उपस्थित सज्जनों के

मन में असंतोष हुआ व यह प्रस्ताव किया गया कि रिटायरिंग प्रधान को सभा का पेट्रन (संरक्षक) नियुक्त किया जाए, किन्तु पं. शंकर प्रसाद जी, प्रिंसिपल राजर्षि कॉलेज अलवर ने यह आपत्ति की कि सभा के नियमों में पेट्रन का कोई स्थान नहीं था और जब तक कि नियमों में कोई परिवर्तन न किया जाए, ऐसा पद नहीं दिया जा सकता था। इस पर कई सज्जनों ने यह सम्मति प्रकट की कि यह कोई पद नहीं था व ऐसा करने का नियमों में निषेध भी नहीं था। इस पर कतिपय सज्जनों की यह सम्मति हुई कि, नियमों की विरुद्धता से बचने के लिए पेट्रन के स्थान पर कोई दूसरा शब्द काम में लाया जावे। इस पर सर्वसम्मति से रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी को 'भार्गव भूषण' की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके पश्चात् यह भी निश्चय किया गया कि रा. ब. पं. मिट्ठन लाल जी सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें, इसलिए उनको सर्वसम्मति से प्रबन्धक समिति का सदस्य चुना जावे।

आगामी वर्ष के लिए निर्वाचित सभा के प्रधान रा. ब. पं. प्यारे लाल जी ने अपने भाषण में कहा कि भार्गव सभा का यह वार्षिक अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण था, इस कारण उन लोगों के उत्तरदायित्व भी बहुत थे। जाति भाइयों के अधिकारों की रक्षा, उनकी उन्नति के उपाय सोचना, जाति के बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार ढूँढना व जाति की स्थायी सम्पत्ति का उचित उपयोग करना, उनका कर्तव्य था। प्रतिवर्ष सभा के अधिवेशन हुआ करते थे और रिपोर्ट, हिसाब, बजट आदि पास करके और चन्दा इकट्ठा करके अगले साल के लिए स्थगित हो जाते थे, परन्तु सभा के मुख्य उद्देश्य थे—जाति भाइयों तथा बहनों में परस्पर प्रेम और मेल-जोल बढ़ाना, उनकी हर प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा उनकी आत्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दशा में सुधार करना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना आदि और इनकी ओर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता था। केवल 30-40 बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ दे देने से और आगरा व अलवर बोर्डिंग हाउसों पर कुछ धन प्रतिवर्ष व्यय करने से सभा का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता था। आवश्यकता इस बात की थी कि नवयुवकों को ऐसे ढंग की शिक्षा भी दिलाई जाए जिसको प्राप्त करके वे अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें। गत वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि 3/-रुपए से 12/- तक की मासिक कुछ छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं, ऐसी छात्रवृत्तियाँ तो उस जाति में लाभदायक हो सकती थीं जहाँ अधिकतर जाति की संख्या अनपढ़ हो, उनकी जाति में तो अनपढ़ की संख्या बहुत कम थी। सभा की कार्यकारिणी समिति को औद्योगिक प्रशिक्षण की एक योजना तैयार करनी चाहिए। अभी हाल में गवर्नमेंट, बिड़ला और जुगगीलाल कमलापत ने अलग-अलग योजनाएँ बनाई थीं और नवयुवकों को भारत वर्ष में तथा अन्य देशों में पढ़ने और काम सीखने के लिए छात्रवृत्तियाँ देकर भेजने का प्रबन्ध भी किया था। ऐसी ही योजनाओं के आधार पर उनकी समिति भी योजना तैयार कर सकती थी और अपनी शिक्षा उपसमिति द्वारा उसको क्रियान्वित कर सकती थी। उनकी समिति दयाल बाग जैसे विशेष केन्द्र स्थानों पर, जहाँ या जिसके निकट उनकी जाति की अधिक संख्या रहती हो, बनाने के प्रश्न पर विचार कर सकती थी। ऐसे केन्द्रों के उनके बेकार नवयुवकों को रोजगार सीखने व करने के अवसर प्राप्त हो सकते थे। जाति भाइयों की आर्थिक दशा की ओर ध्यान देना चाहिए तथा उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत-से होनहार नवयुवक नए कामों में हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास धन की कमी थी। इस सभा का धन 3/- रुपया प्रतिशत सालाना ब्याज पर गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज में लगा

हुआ था। उनकी राय में एक को-ऑपरेटिव बैंकिंग योजना चालू की जा सकती थी।

सन् 1946 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन, हरदोई निवासी, राय बहादुर पं. प्यारे लाल जी प्रधान के सभापतित्व में लखनऊ में हुआ। उपस्थिति लगभग 64 सदस्यों एवं 27 अन्य लोगों की थी। सम्मेलनों के अधिवेशन तो सन् 1941 के बाद से ही नहीं हो रहे थे।

सन् 1947 ई. व 1948 व 1949 ई. में सभा के वार्षिक अधिवेशन क्रमशः प्रयाग, आगरा व दिल्ली में, माननीय न्यायमूर्ति पं. प्यारेलाल जी जज हाई कोर्ट, प्रयाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए।

सन् 1948 ई. के सभा के अधिवेशन में श्री कृष्ण मुरारी जी, लखनऊ ने प्रस्ताव किया कि भार्गव सभा का यह अधिवेशन समुचित विचार के पश्चात् यह निश्चय करना था कि भार्गव सम्मेलन का होना अत्यन्त आवश्यक हो गया था तथा उसके आयोजन के प्रयत्न करने चाहिए। अतः यह उचित प्रतीत होता था कि समय को देखते हुए जिस जगह सम्मेलन हो, वहाँ की स्थानीय सभा का केवल इतना ही कर्तव्य होना चाहिए कि वे सदस्यों के ठहरने का व सम्मेलन की कार्यवाही के लिए जगह का उचित प्रबन्ध कर दें और आने वाले सज्जन खाने-पीने का अपना व्यय स्वयं करें। प्रबन्धक समिति को अधिकार दिया जाता था कि वह स्थान और तिथि निश्चित कर दें। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन एवं भार्गव सभा का असाधारण अधिवेशन अर्थात् 44वाँ सम्मेलन माननीय न्यायमूर्ति पं. प्यारे लाल जी, जज हाई कोर्ट के सभापतित्व में 25-26-27 दिसम्बर सन् 1949 ई. को देहली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपस्थिति लगभग 500 के थी व सभा के अधिवेशन में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त 83 की थी। सम्मेलन में मुख्यतः अन्तर्जातीय विवाह पर वाद-विवाद हुआ एवं रीति संग्रह में कतिपय सुधार किए गए। सम्मेलन में सन् 1934 ई. के मुलताई के भरी खाट पर दूसरा विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव के सिद्धान्त का दुबारा समर्थन किया गया और निर्णय लिया गया कि एक स्त्री के होते हुए जिन सज्जनों ने दूसरा विवाह कर लिया था या करें, उनसे बिरादराना सम्बन्ध न रखे जाएँ। सभा के अधिवेशन में चुनावों के अतिरिक्त, निर्णय लिया गया कि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव संख्या 51 दिनांक 24 दिसम्बर सन् 1949 की अनुशंसा के अनुसार किशोरी रमण कॉलेज, मथुरा को वर्ष 1949-50 के लिए 250/- रुपए की सहायता दे दी जावे।

सन् 1950 ई. का भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन आगरा में प्रो. सालगराम जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति लगभग 50 के थी। सभा का 62वाँ अधिवेशन 30 व 31 दिसम्बर सन् 1951 ई. को जयपुर में प्रो. सालगराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उपस्थिति लगभग 80 के थी। इसी वर्ष नई रीति-संग्रह प्रकाशित की गई।

सन् 1952 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रयाग में 30-31 दिसम्बर को हुआ। निर्वाचित अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति पं. प्यारेलाल जी की मृत्यु के कारण उपाध्यक्ष प्रो. सालगराम जी ने अध्यक्षता की। आगामी वर्ष के लिए प्रो. सालगराम जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपस्थिति लगभग 70 की थी। सन् 1953 ई. का वार्षिक अधिवेशन 25 दिसम्बर को आगरा में हुआ। निर्वाचित अध्यक्ष प्रो. सालगराम जी की मृत्यु के कारण उपप्रधान मेजर जनरल जयदेव सिंह जी ने सभापतित्व किया। आगामी वर्ष के लिए मेजर जनरल जयदेव सिंह जी ही प्रेसिडेंट व पं. विष्णुदत्त जी सैक्रेट्री चुने गए। प्रस्ताव संख्या 25 द्वारा

निर्णय लिया गया कि सम्मेलन के अवसर पर स्वागतकारिणी केवल ठहरने व बैठकों का प्रबन्ध करे। खाने का ऐसा इन्तजाम हो कि जो शुल्क देने पर प्राप्त हो जावे क्योंकि सम्मेलन कई वर्षों से नहीं हो रहे थे। उपस्थिति लगभग 60 के थी।

45वाँ भार्गव सम्मेलन व भार्गव सभा का 65वाँ वार्षिक अधिवेशन दिनांक 30-31 दिसम्बर, सन् 1954 ई. व 1 जनवरी सन् 1955 ई. को प्रयाग में मेजर जनरल जयदेव सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ। इस वर्ष सम्मेलन के इतिहास में एक नई बात आरम्भ हुई। इससे पूर्व स्वागतकारिणी समिति बाहर से आने वाले सदस्यों के भोजन का व्यय स्वयं उठाती थी, परन्तु इस सम्मेलन के अवसर पर बाहर से आने वाले सदस्यों ने स्वयं भोजन का मूल्य कूपनों द्वारा दिया। यह व्यवस्था भार्गव सभा के प्रस्तावानुसार ही की गई थी। सम्मेलन के अवसर पर हॉकी तथा बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ व दस्तकारी की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। सम्मेलन में उपस्थित सज्जनों का आपस में परिचय कराया गया, सभा के फण्डों के लिये अपील की गई जिसके फलस्वरूप 10302/- रुपये नकद व 3063/- रुपये के वायदे प्राप्त हुए। स्व. प्रो. सालगराम जी के तैल चित्र का सभापति जी ने अनावरण किया। अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त रीति संग्रह की विभिन्न धाराओं पर विस्तार से विचार किया गया। प्रस्ताव संख्या (10) द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभा तथा उसकी समितियों के अधिवेशन ईश्वर प्रार्थना से आरम्भ व शान्ति पाठ से विसर्जित किए जाया करें।

सन् 1955 ई. का 46वाँ सम्मेलन व सभा का वार्षिक अधिवेशन मथुरा में 30-31 दिसम्बर व 1 जनवरी सन् 1956 ई. को क्रमशः पं. विष्णुदत्त जी इलाहाबाद व मेजर जनरल जयदेव सिंह जी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। हॉकी, बैडमिन्टन आदि के मैच आयोजित किए गए व रात्रि में रामलीला व अन्य मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भोजन का प्रबन्ध कूपनों द्वारा किया गया था व महिलाओं के बैठने का प्रबन्ध अलहदा किया गया था। रीति संग्रह में संशोधनों पर विचार किया गया। बारातियों की संख्या 25 ही रखी गई, व बारात को दो रोज से अधिक न ठहराने का निर्णय लिया गया। सगाई विच्छेद के विरुद्ध भी निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार यह अनुरोध किया गया कि वैवाहिक सम्बन्ध काफी सोच-विचार व जाँच-पड़ताल के बाद निश्चित करने चाहिए, ताकि बाद में अकारण ही सम्बन्ध विच्छेद की आवश्यकता न पड़े।

सन् 1956 ई. के भार्गव सम्मेलन व सभा का वार्षिक अधिवेशन 24 से 26 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पं. भगवानदास जी, मथुरा ने की व सभा के अधिवेशन का सभापतित्व मेजर जनरल जयदेव सिंह जी, बीकानेर ने किया। भोजन का प्रबन्ध कूपनों द्वारा ही किया गया था, जिनका मूल्य चौदह आने प्रौढ़ों के लिए व दस आने बच्चों के लिए था। सम्मेलन में बाहर से सम्मिलित होने वालों की संख्या 600 से अधिक व स्थानीय लोगों की संख्या 500-700 से अधिक थी। सभा के अधिवेशन में उपस्थिति लगभग 80 के थी। भार्गव पत्रिका के विषय में निर्णय लिया गया कि आगामी एक वर्ष और उसका सम्पादन पं. धर्मचन्द जी के पास ही रखा जाए, व पं. दीनानाथ जी 'दिनेश' जी का धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सभा के कार्यों के लिए 3349/- रुपए की राशि एकत्रित हुई।

सन् 1957 ई. का भार्गव सम्मेलन व सभा का वार्षिक अधिवेशन 29 से 31 दिसम्बर तक कानपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन व सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता क्रमशः पं. दीनानाथ जी 'दिनेश', देहली व मेजर जनरल जयदेव सिंह जी ने की। खेल प्रतियोगिताओं एवं विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों का सदैव की भाँति आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया जिसकी सलामी सभा के प्रधान मेजर जनरल जयदेव सिंह जी ने ली। 29 व 30 दिसम्बर को महिला सम्मेलन भी हुआ।

प्रयाग, मथुरा, जयपुर व कानपुर में लगातार चार वर्ष तक क्रमशः सन् 1954, 1955, 1956 व 1957 ई. तक होने के पश्चात् सन् 1958 ई. में सम्मेलन अजमेर में होना निश्चित हुआ था, परन्तु बड़े दिनों की छुट्टियों में कमी हो जाने से तथा स्कूल व कॉलेज आदि के भवन उपलब्ध न होने के कारण दिसम्बर में समुचित स्थान की व्यवस्था कठिन हो गई, अतः सन् 1958 ई. में सम्मेलन नहीं हो सका, किन्तु सन् 1958 ई. का सभा का 59वाँ वार्षिक अधिवेशन 28 दिसम्बर को देहली में हुआ। उपस्थिति लगभग 50 के थी व लगभग 20-25 स्थानीय महानुभाव भी उपस्थित थे। सभा के प्रधान मेजर जनरल जयदेव सिंह जी की अनुपस्थिति में पं. अयोध्या प्रसाद जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जिस स्थान पर सम्मेलन होने वाला हो उस स्थान की सुविधा के अनुसार बड़े दिन की छुट्टियों के अतिरिक्त और छुट्टियों में भी सम्मेलन हो सकता था। अतः 49वाँ भार्गव सम्मेलन अजमेर में 8, 9 व 10 अक्टूबर सन् 1959 ई. को पं. अयोध्या प्रसाद जी भार्गव, कलकत्ता के सभापतित्व में हुआ। स्थानीय लोगों के सहित उपस्थिति लगभग 400 के थी। गत वर्षों की तुलना में उपस्थिति कम होने का कारण नवरात्रि व्रत व दूरी का फासला था। खाने के प्रबन्ध के अनुसार एक समय के भोजन का मूल्य बड़ों के लिए दस आने व बच्चों के लिए आठ आने था। तीनों दिन के 6 कूपन एक साथ लेने पर 3/- रुपए में मिलते थे। एक कैटीन का भी आयोजन था। हॉकी, टेबिल टेनिस व बैडमिन्टन आदि की प्रतियोगिताएँ भी हुई। स्वागत समिति ने दर्शनीय स्थानों व तीर्थ गुरु पुष्कर में स्नान आदि व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था। एक नया आयोजन यह था कि प्रतिदिन एक समाचार पत्र प्रकाशित होने की व्यवस्था थी, जिसमें दिन भर की बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट और खेलों के परिणाम आदि प्रकाशित किए जाते थे।

भार्गव सभा का वर्ष सन् 1959 का वार्षिक अधिवेशन भी 10 अक्टूबर को अजमेर में ही सभा के प्रधान पं. विष्णुदत्त जी प्रयाग की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति लगभग 40 के थी। भार्गव सभा का 71वाँ वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में 25 दिसम्बर सन् 1960 ई. को सभा के प्रधान पं. विष्णुदत्त जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति 46 सदस्यों की व 13 अन्य की थी। प्रधानमन्त्री ने बताया कि जब डॉ. मोतीलाल हेमू के इतिहास के लिये सामग्री एकत्रित करके उसको पुस्तक के रूप में लिखने का कार्य कर रहे थे, उस समय सभा ने उन्हें 800/- रुपए दिए थे। डॉ. मोतीलाल ने उस समय लिखा था कि इतिहास तैयार हो जाने पर उसका कॉपीराइट भार्गव सभा का रहेगा। इतिहास लिखकर तैयार हो जाने पर डॉ. मोतीलाल ने उसका हिन्दी संस्करण 'हेमू और उसका युग' शीर्षक पुस्तक के रूप में भारतीय प्रकाशन मन्दिर द्वारा छपवा लिया और सभा को लिखा कि उन्होंने प्रकाशक से व्यवस्था की थी कि पुस्तक पर सभा को 5 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी। प्रबन्धक समिति ने सभा को 5 प्रतिशत की रॉयल्टी की व्यवस्था को

ठीक नहीं समझा और निश्चय किया कि डॉ. मोतीलाल जी को 800/- रुपए वापिस करने के लिए लिखा जाए। डॉ. मोतीलाल ने रुपया वापिस करने के उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया। 24 दिसम्बर सन् 1960 ई. की प्रबन्धक समिति की बैठक में डॉ. मोतीलाल ने अपनी ओर से स्थिति समझाई और यह भी बतलाया कि अंग्रेजी का संस्करण भी छप रहा था। इसके बाद प्रधान जी व प्रधानमन्त्री जी ने डॉ. मोतीलाल से बातचीत की जिसमें उन्होंने यह बात स्वीकार की कि इतिहास का कॉपीराइट सभा का था और उन्होंने कहा कि हिन्दी और अंग्रेजी के जो संस्करण अभी तक छपे थे, उन पर तथा भविष्य में हिन्दी अंग्रेजी तथा अन्य किसी भाषा में छपने वाले सब संस्करणों पर प्रकाशक सभा को 15 प्रतिशत रॉयल्टी देंगे। सभा को रॉयल्टी के रूप में जो धन राशि मिले उसमें से शोध और संशोधन आदि के कार्य के लिए सभा प्रति संस्करण के लिये 200/- रुपए डा. मोतीलाल को देगी। यह व्यवस्था सर्वसम्मति से स्वीकार हुई और प्रस्ताव संख्या 13 व 14 पारित हुए, जिनके द्वारा प्रधानमन्त्री को अधिकार दिया गया कि वह डॉ. मोतीलाल से इन पुस्तकों के कॉपीराइट का सभा के नाम बिक्री पत्र (Sale deed) लिखवा लें और उन्हें लिख दें कि जो धनराशि सभा को प्रकाशक से रॉयल्टी के रूप में मिलेगी, उसमें से शोध व संशोधन आदि के कार्य के लिए प्रति संस्करण सभा उनको 200/- रुपये देगी। इसी प्रकार प्रधानमन्त्री को अधिकार दिया गया कि वह 'हेमू व उसका युग' (Hemu and his times) पुस्तकों के सम्बन्ध में भारतीय प्रकाशन मन्दिर लखनऊ से अनुबन्ध पत्र लिखा लें, जिसमें यह व्यवस्था हो कि इन पुस्तकों के जो संस्करण अब तक छपे थे या भविष्य में छपेंगे उन पर सभा को 15 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी।

अक्टूबर सन् 1959 ई. में अजमेर सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली और आगरा की ओर से 50वाँ सम्मेलन आमंत्रित करने का विचार प्रगट किया गया था। बाद में केवल आगरा ने सम्मेलन की स्वर्ण जयन्ती मनाने का निश्चय किया परन्तु बाहर से आने वालों के ठहरने के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था न हो सकने के कारण सन् 1960 ई. में सम्मेलन का अधिवेशन नहीं हो सका। अतः सम्मेलन का 50वाँ स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन आगरा में माह दिसम्बर सन् 1961 ई. को हुआ। सम्मेलन के अधिवेशन के लिए पं. हरिकृष्ण जी एडवोकेट देहली सभापति निर्वाचित हुए। बाहर से आने वालों की संख्या 600 थी। भोजन का प्रबन्ध कूपनों द्वारा, जिनका शुल्क चौदह आने व दस आने था, किया गया था। विभिन्न फण्डों के लिए अपील की गई, जिसके फलस्वरूप 4956/- रुपए नकद व 3175/- रुपए के वायदे प्राप्त हुए। हरिद्वार आश्रम के लिए तीन पंखों के भी वायदे हुए। गत वर्षों की तरह खेल-कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सभा के वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व प्रधान पं. विष्णुदत्त जी की मृत्यु के कारण मेजर जनरल जयदेव सिंह जी, बीकानेर ने किया। उपस्थिति लगभग 35 के थी।

सन् 1962 ई. का सभा का वार्षिक अधिवेशन 30-31 दिसम्बर को देहली में मेजर जनरल जयदेव सिंह जी के सभापतित्व में हुआ। इसी प्रकार सभा का 74वाँ वार्षिक अधिवेशन 21 व 22 दिसम्बर सन् 1963 ई. को इलाहाबाद में मेजर जनरल जयदेव सिंह जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, उपस्थिति लगभग 55 के थी। सभा के सैक्रेट्री ने वर्ष 1962-63 की रिपोर्ट पढ़ी व साधारण प्रशासनिक मामले निबटाये गए। इस वर्ष की साधारण आय 25854/- रुपए थी, व व्यय 23725/- रुपए था।



सन् 1964 ई. का सभा का 75वाँ वार्षिक अधिवेशन व 51वाँ सम्मेलन 25 से 27 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित किया गया। सभा की अध्यक्षता मेजर जनरल जयदेव सिंह जी ने की व सम्मेलन पं. भगवत प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ। सभा के सैक्रेट्री ने वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि टैक्निकल शिक्षा निधि में 46531/- रुपये जमा हो चुके थे व भार्गव पत्रिका में उस वर्ष कोई घाटा नहीं था। सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या (3) द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्मेलनों के प्रस्तावों एवं नियमों के उल्लंघन की सूचना स्थानीय सभाओं को प्रधानमन्त्री के पास भेजनी चाहिए, जो उन्हें प्रबन्धक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव संख्या (4) द्वारा निश्चय किया गया कि अन्तर्जातीय विवाह भार्गव समाज के लिए अहितकर थे तथा प्रस्ताव संख्या (5) द्वारा निश्चय किया गया कि यह अनुचित था कि वर पक्ष कन्या पक्ष पर स्वयं या दूसरी प्रकार से दबाव डालकर, उसे वर पक्ष के नगर में जाकर विवाह संस्कार करने को बाध्य करे।

भार्गव सभा का 76वाँ वार्षिक अधिवेशन 25-26 दिसम्बर सन् 1965 ई. को आगरा में पं. वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति 63 की थी। सभा का 77वाँ वार्षिक अधिवेशन व 52वाँ भार्गव सम्मेलन 26-27-28 दिसम्बर सन् 1966 ई. को लखनऊ में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन व सभा दोनों के अधिवेशनों की अध्यक्षता न्यायमूर्ति पं. वशिष्ठ भार्गव, जज सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली ने की। सम्मेलन में उपस्थिति लखनऊ वालों के अतिरिक्त, 500 की थी व सभा के अधिवेशन में उपस्थिति 120 की थी। भार्गव सभा का एक विशेष अधिवेशन भी 28 दिसम्बर सन् 1966 ई. को नियमावली में कुछ प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए हुआ, जिसमें उपस्थिति 111 की थी। भोजन का प्रबन्ध कूपनों द्वारा था जिनका शुल्क 1/- रुपया व एक रुपया आठ आना था। अन्य सम्मेलनों की भाँति खेलकूद, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन भी किए गए थे। सभापति पं. वशिष्ठ जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि “हमारे पूर्वजों ने शिक्षा प्रसार, समाज सुधार तथा व्यावसायिक उन्नति के जो बीज अत्यन्त दूरदर्शितापूर्वक लगाए थे वे अंकुरित होकर आज फल देने लगे हैं। शिक्षा प्रसार काफी संतोषजनक गति से हुआ है। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण की भी स्थिति आशाजनक है। प्रशासकीय सेवा, न्याय, व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में भार्गव बन्धु उच्चतम स्थिति तक पहुँच गए हैं और यशोपार्जन किया है .... यह सब उन्नति हमें समृद्धि की ओर ले जाएगी, पर यह आवश्यक है कि आर्थिक अथवा भौतिक समृद्धि के साथ-साथ नैतिक विकास की ओर दुर्लक्ष्य न करें। हम भृगु के वंशज होने का अभिमान तभी कर सकते हैं जब कि हमारा आचरण, मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण ब्राह्मणों के उच्च आदर्श के अनुकूल हो। हमारे परिवारों में धार्मिक तथा नैतिक वातावरण की आवश्यकता है। हम में अपने पूर्वजों की भाँति कर्तव्यनिष्ठा हो ..... हम अपने पूर्वजों की कीर्ति में वृद्धि करें।” इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह पर अपने विचार प्रगट किए और ‘ठहराव’ की कुप्रथा को सर्वथा निन्दनीय बताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास था कि कोई भार्गव परिवार ऐसा करके अपयश का भागी नहीं बनेगा।

इस सम्मेलन में रीति संग्रह संबंधी अनेक प्रस्ताव पास किए गए।

सम्मेलन के अवसर पर 8049/- रुपये नकद व 5327/- के वायदे प्राप्त हुए।

सभा के सैक्रेट्री महोदय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बतलाया कि हेमू के इतिहास पर रॉयल्टी के हिसाब में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ नहीं मिला। अक्टूबर 65 में डॉ. मोती लाल से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि विश्वविद्यालय प्रेस हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकों का दूसरा संस्करण छापने को तैयार थे और सभा को 15 प्रतिशत रॉयल्टी देते रहेंगे, परन्तु प्रबंधक समिति ने निश्चय किया था कि प्रथम संस्करण की किताबों की बिक्री व रॉयल्टी के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलने के कारण वह दूसरा संस्करण छापने की अनुमति देने में असमर्थ थी। इसके बाद न तो डॉ. मोतीलाल से और न ही श्री रामचन्द्र जी लखनऊ से कोई सूचना मिली थी।

सन् 1967 व सन् 1968 के सभा के वार्षिक अधिवेशन क्रमशः मथुरा व वाराणसी में सभा के प्रधान पं. वशिष्ठ जी के सभापतित्व में हुए। अधिवेशनों की कार्यवाही सामूहिक प्रार्थना से शुरू हुई एवं प्रशासनिक विषय, जैसे कि उपसमितियों की रिपोर्ट, बजट व हिसाबों की स्वीकृति आदि निबटाए गए। इसी प्रकार सन् 1969 ई. का 80वाँ वार्षिक अधिवेशन 20 व 21 दिसम्बर को न्यायमूर्ति पं. वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, उपस्थिति लगभग 115 की थी। इस वर्ष पं. भगवत प्रसाद जी के स्थान पर पं. कैलाश नाथ जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर राजस्थान, प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए।

भारगव सभा का 81वाँ वार्षिक अधिवेशन व सम्मेलन का 54वाँ अधिवेशन 25, 26 व 27 दिसम्बर सन् 1970 ई. को प्रयाग में हुआ। सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता सभा के प्रधान न्यायमूर्ति पं. वशिष्ठ जी ने की व सम्मेलन की अध्यक्षता पं. भगवत प्रसाद जी ने की। 25 दिसम्बर को प्रातः भारगव सभा के अधिवेशन से सम्मेलन संबंधी कार्यक्रमों का श्रीगणेश हुआ। उपस्थिति अनुमानतः 50 की थी व स्थानीय व्यक्ति भी लगभग 300 रहे होंगे। सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम हवन व वेदमन्त्र पाठ तथा वंदना से प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष महोदय के सारगर्भित, युक्तिसंगत व समयानुकूल भाषण के पश्चात् पारस्परिक परिचय का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। स्थानीय सभा के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में पं. गिरधर लाल जी भारगव, प्रयाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप डाक तार विभाग ने एक अस्थायी डाकखाना सम्मेलन के स्थान पर खोला व इस अवसर पर स्व. मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई. की स्मृति में एक 20 पैसे का टिकट निकाला तथा लिफाफों पर विशेष मोहर लगाई गई। सम्मेलन के अवसर पर सदा की भाँति खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनी आदि आयोजित किए गए। इस अवसर पर 18424/- के दान एवं वायदे प्राप्त हुए।

भारगव सभा का 82वाँ अधिवेशन 6-7 मई 1972 ई. को ग्वालियर में हुआ। 55वाँ भारगव सम्मेलन व सभा का 83वाँ वार्षिक अधिवेशन देहली में 25, 26, 27 दिसम्बर 1972 ई. को संपन्न हुआ। सभा के अधिवेशन का सभापतित्व पं. वशिष्ठ जी ने किया व सम्मेलन की अध्यक्षता न्यायमूर्ति पं. शंकर प्रसाद जी ने की। इस वर्ष होने वाले 55वें भारगव सम्मेलन के प्रधान पद के लिए प्राप्त मतपत्रों की गणना में न्यायमूर्ति पं. शंकर प्रसाद जी, जबलपुर तथा पं. श्यामबिहारी लाल जी, जयपुर को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए। ऐसी दशा में स्वागत समिति के निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) द्वारा ही सम्मेलन के प्रधान का निर्वाचन होना था। किन्तु इस सम्माननीय पद का निर्वाचन सर्वसम्मति से होने के उद्देश्य से पं. श्याम



बिहारी लाल जी, जयपुर ने अपना नाम वापिस लेकर एक स्वस्थ परम्परा स्थापित की और न्यायमूर्ति पं. शंकर प्रसाद जी सम्मेलन के पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। सम्मेलन की कार्यवाही मंगलाचरण, ईश वंदना व गीता पाठ से शुरू हुई। सम्मेलन में सदैव की भाँति खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ व प्रदर्शनी, विवाह सूचना केन्द्र व डॉक्टरी सेवा आदि का आयोजन भी किया गया था। उपस्थिति 2000 से अधिक ही मालूम पड़ती थी।

भार्गव सभा का 84वाँ वार्षिक अधिवेशन 5 व 6 मई सन् 1974 ई. को उज्जैन में होना निश्चित किया गया था, वह स्थगित कर दिया गया तथा 28 जुलाई 1974 ई. को ग्वालियर में आयोजित किया गया। उपस्थिति लगभग 80 की थी। भार्गव सभा का 85वाँ वार्षिक अधिवेशन 28 व 29 दिसम्बर 1974 ई. को कानपुर में न्यायमूर्ति पं. शंकर प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति लगभग 106 की थी। इस अधिवेशन में विशेष रूप में प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव संख्या 75 दिनांक 9-6-74 के अनुसार युवा संघ व महिला सभा को अनुबंधित अथवा मान्यता दिए जाने हेतु जो उपसमिति पं. प्रकाश दत्त जी की अध्यक्षता में प्रबंधक समिति के प्रस्ताव संख्या 17 दिनांक 15-7-73 द्वारा गठित हुई थी, उसकी अनुशंसा पर विचार करना था। इस विषय पर काफी वाद-विवाद हुआ, परन्तु अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अन्ततः 28 सितम्बर सन् 1975 ई. को जो विशेष अधिवेशन जयपुर में हुआ उसके प्रस्ताव संख्या (3) द्वारा निम्नलिखित संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया :- “यह सभा भार्गव जाति की किसी भी अखिल भारतीय संस्था को अपने अन्तर्गत अनुबंधित एवं सम्बन्धित कर सकती है, यदि वह संस्था अनिवार्य रूप से भार्गव सभा एवं भार्गव सम्मेलन के संविधान, नियम, उपनियम आदि का पूर्णतया पालन करते हुए भार्गव सभा के आदर्श पर चलने एवं आदेशों का पालन करने को तत्पर एवं उद्यत हो और भार्गव सभा से मान्यता प्राप्त होने पर यह संस्था भार्गव सभा से किसी भी प्रश्न एवं विषय पर मतभेद होने पर भार्गव सभा का निर्णय एवं आदेश पूर्ण रूप से मान्य व पालन करेगी। साथ ही ऐसी संस्था की सदस्यता कम से कम 75 हो एवं कम से कम 10 विभिन्न नगरों में उसकी शाखाएँ हों तथा वह संस्था भार्गव सभा को निर्धारित सम्बद्धता शुल्क देती हो।”

भार्गव सभा का 86वाँ वार्षिक अधिवेशन 27, 28 दिसम्बर सन् 1975 ई. को आगरा में पण्डित गौरी शंकर जी, कानपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उपस्थिति लगभग 120 की थी। 26 दिसम्बर को भार्गव नवयुवक संघ का भी वार्षिक अधिवेशन होने के कारण उपस्थिति अच्छी रही। अधिवेशन का मुख्य आकर्षण चुनाव रहा। पण्डित गौरी शंकर जी के आगामी सत्र के लिए प्रधान पद पर खड़े होने की अनिच्छा प्रगट करने पर सर्वसम्मति से पण्डित श्री राम जी, दिल्ली सभा के प्रधान चुने गए। सभा का 87वाँ वार्षिक अधिवेशन 18 व 19 दिसम्बर सन् 1976 ई. को अलवर में प्रधान पण्डित श्री राम जी देहली के सभापतित्व में हुआ। उपस्थिति लगभग 90 की थी। प्रस्ताव संख्या (36) द्वारा स्थानीय सभाओं को अधिकृत किया गया कि सम्मेलन के अवसर पर अपनी आवश्यकता को देखते हुए प्रतिनिधियों से फीस के रूप में जितना उचित समझे, ले सकती थी।

56वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन व भार्गव सभा का 88वाँ वार्षिक अधिवेशन 25-26 व 27 दिसम्बर सन् 1977 को जयपुर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता पं. प्रकाश दत्त जी वकील, दिल्ली ने की

व सभा के अधिवेशन का सभापतित्व सभा के प्रधान न्यायमूर्ति पं. शंकर प्रसाद जी ने किया। सम्मेलन में 75 स्थानों से लगभग 2000 प्रतिनिधि आए थे व लगभग 1500 स्थानीय बन्धु भी सम्मिलित हुए। सम्मेलन के अवसर पर कतिपय राजकीय विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे व डाक-तार विभाग द्वारा 'हेमूनगर' पोस्ट ऑफिस खोला गया था। प्रथम दिवस का स्मारिका कवर भी जारी किया गया। सदैव की भाँति खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभा व सम्मेलन के समस्त जीवित प्रधानों व प्रधान मन्त्रियों का अभिनन्दन किया गया तथा दिवंगत व जीवित जातिसेवियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु ग्वालियर के पं. ओम प्रकाश जी व पं. भारत भूषण जी द्वारा संकलित व प्रकाशित ग्रन्थ 'दीप स्तंभ' तथा इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन राजस्थान के शिक्षा मन्त्री ने किया। आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित क्षेत्र की दुखी मानवता की सेवा के लिए 10,000 रुपये के वायदे हुए जिसमें से 5000/- रुपये एकत्रित भी हो गए। भार्गव सभा को भी 18,000 रुपये नकद व वायदे प्राप्त हुए। दिल्ली के पंडित श्री राम जी ने अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में वर्ष के अन्त तक एक लाख रुपये देने की घोषणा की। सभा की बैठकों में उपस्थिति लगभग 90 की थी। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित रीति संग्रह को क्रियात्मक रूप देने की दिशा में यह भार्गव सम्मेलन एक उपसमिति गठित करता है जो अपना निर्णय निकट भविष्य में प्रगट करे और भार्गव सभा उस निर्णय को एक विशेष अधिवेशन में शीघ्रातिशीघ्र पारित करके स्वीकार करे। यह रीति संग्रह समस्त भार्गव समाज को मान्य होगा और पुरानी रीति संग्रह निरस्त समझी जाएगी। इस सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय सभाओं के अध्यक्षों एवं मन्त्रियों की बैठक का तथा सामूहिक विवाह पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया जिसमें 4 पेपर पढ़े गए। भार्गव सभा का 89वाँ वार्षिक अधिवेशन 24-25 दिसम्बर सन् 1978 ई. को कानपुर में, न्यायमूर्ति श्री चन्द्रभान जी, जयपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, उपस्थिति लगभग 70 की थी। अधिवेशन की कार्यवाही झंडारोहण से शुरू हुई। यह भार्गव सभा के इतिहास में प्रथम अवसर था जब सभापति जी ने करतल ध्वनि के मध्य झंडारोहण कर अधिवेशन का उद्घाटन किया। झंडा बसन्ती रंग का था जो धर्म का प्रतीक था।

सभा का 90वाँ वार्षिक अधिवेशन 30-31 दिसम्बर सन् 1979 ई. को किशोरी रमण इण्टर कॉलेज मथुरा में, श्री प्रकाश दत्त जी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। उपस्थिति लगभग 125 की थी।

सभा का 91वाँ वार्षिक अधिवेशन 28-29 दिसम्बर सन् 1980 ई. को, माथुर वैश्य भवन आगरा में सम्पन्न हुआ। सभा के प्रधान पं. भगवत प्रसाद जी की अस्वस्थता के कारण, परम्परानुसार प्रथम उपप्रधान श्री प्रकाश दत्त जी देहली, अधिवेशनों की बैठकों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भार्गव सभा का 92वाँ वार्षिक अधिवेशन दिनांक 1 व 2 जनवरी सन् 1982 ई. को मेरठ में, सभा के प्रधान पं. प्रकाश दत्त जी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। उपस्थिति 200 के लगभग थी।

भार्गव सभा का 93वाँ वार्षिक अधिवेशन व 5 वर्षों के पश्चात् होने वाला चिर-प्रतिक्षित 57वाँ भार्गव सम्मेलन, 25, 26 व 27 दिसम्बर सन् 1982 ई. को लखनऊ में सम्पन्न हुआ। सभा के अधिवेशन

का सभापतित्व, प्रधान पं. महावीर प्रसाद जी के न आने के कारण, पं. पूर्णचंद्र जी, जयपुर ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. शांति प्रसाद जी आई.पी.एस. (रिटायर्ड) अवकाश प्राप्त महा निरीक्षक पुलिस ने की। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. शांति प्रसाद जी को एक जुलूस के साथ सम्मेलन के पंडाल में लाया गया, उनके इस जुलूस में सबसे आगे एक बैंड था, जिसके पीछे स्वागताध्यक्ष चल रहे थे तथा स्वागताध्यक्ष के पीछे भार्गव सभा की प्रबन्धक समिति के सदस्य थे। स्वागत भाषण के पश्चात्, अध्यक्ष जी ने अपना भाषण दिया जिसमें उन्होंने समाज की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला व उनके समाधान हेतु एक पाँच सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया। उन्होंने समाज के युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था व रीति संग्रह में दिए गए निर्देशों के पालन पर विशेष बल दिया तथा स्थानीय सभाओं को अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनाने तथा उनके माध्यम से समाज में व्याप्त व उभरती हुई कुरीतियों को दूर करने की अपील की। उन्होंने पारिवारिक व्यवस्थाओं के टूटने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, धार्मिक शिक्षा व सदाचार की आवश्यकता की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस सम्मेलन की विशेषता यह रही कि जितने भी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किए गए थे, उन सभी पर विचार होकर निर्णय ले लिए गए। सामाजिक सुधार सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए :—

प्रस्ताव संख्या (3) “यह 57वाँ भार्गव सम्मेलन समाज के बन्धुओं का ध्यान, भार्गव रीति संग्रह की एतत्सम्बन्धित धाराओं की ओर आकृष्ट करता है तथा यह अनुरोध करता है कि समस्त बन्धुगण विशेषकर सभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण रीति संग्रह के इन नियमों का निष्ठा के साथ पालन करें। साथ-साथ स्थानीय सभाओं को निर्देश देता है कि इनका निष्ठा से पालन करावें। परिच्छेद पहला, धारा (2) “विवाह आडम्बररहित एवं रीति संग्रह के अनुरूप होना चाहिए।”

धारा (4) “बाराती कम से कम संख्या में लाने चाहिए, जिससे कन्या पक्ष को असुविधा न हो।”

धारा (5) “विवाह दहेजमुक्त हो, उसमें किसी प्रकार की माँग अथवा वैभव का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।”

धारा (10) “समस्त मांगलिक अवसरों पर मद्यपान निषिद्ध है।”

परिच्छेद दूसरा, धारा (15) “अँगूठी सगाई — सोने की अँगूठी तथा अन्य उपहार इस अवसर पर भेजना तथा लेना वर्जित है।”

धारा (17) लेना-देना — “इसमें किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर वर पक्ष की ओर से कम से कम व्यक्तियों का ही जाना उचित है। दोनों पक्षों में द्रव्य का आदान-प्रदान न किया जावे।”

परिच्छेद पाँचवाँ-निकासी — “इसमें अनावश्यक आडम्बर तथा व्यय नहीं होना चाहिए।” “रास्ते में किसी प्रकार का नृत्य करना अवांछनीय एवं अशोभनीय है।”

प्रस्ताव संख्या (4) “यह सम्मेलन यह निर्देश देता है कि सम्बन्ध तय होने के पश्चात् सगाई की विधिवत् रस्म के अतिरिक्त (जो वर पक्ष के यहाँ विवाह से पूर्व होती है) भावी वर-कन्या द्वारा एक-दूसरे को अँगूठी पहनाने की उभरती हुई प्रवृत्ति अनुचित एवं अवांछनीय है। इसे बन्द किया जावे।”

प्रस्ताव संख्या (5) “यह सम्मेलन निर्देश देता है कि अपने समाज द्वारा वर्ष 1983 सामूहिक विवाह वर्ष के रूप में मनाया जाकर इस शुभ कार्य का शुभारम्भ किया जावे। इस कार्य को रचनात्मक व क्रियात्मक रूप देने का दायित्व स्थानीय सभाओं पर डाला जाए।”

प्रस्ताव संख्या (6) “इस सम्मेलन का दृढ़ मत है कि स्थानीय सभाएँ समय-समय पर समारोहों तथा रामायण पाठ, गीता पाठ, विद्वानों के प्रवचन, सन्त चरण दास जी की वाणियों, आदि का सामूहिक पाठ, पावन पुरुषों की जयन्ती, राम नवमी, जन्माष्टमी, आदि पर्वों का आयोजन नियमित रूप से करे।”

प्रस्ताव संख्या (7) “इस सम्मेलन का यह प्रस्ताव है कि सामूहिक आर्थिक उन्नति एवं बेकारी की समस्याओं के निदान हेतु जाति के समर्थ व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान, सहकारिता के उद्योगों की स्थापना के प्रयास करें जिससे भार्गव समाज के युवक-युवतियों को रोजगार अथवा सहभागी होने के उचित अवसर प्राप्त हों।”

भार्गव सभा का 94वाँ वार्षिक अधिवेशन 25-26 दिसम्बर सन् 1983 ई. को जयपुर में सभा के प्रधान पं. भारत भूषण जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति लगभग 65 के थी। आगामी वर्ष के लिए पं. प्रकाश दत्त जी, एडवोकेट देहली, सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए व पं. कैलाश नाथ जी प्रधानमंत्री चुने गए।

भार्गव सभा का 95वाँ वार्षिक अधिवेशन 12-13 जनवरी सन् 1985 ई. को देहली में, पं. प्रकाश दत्त जी की अध्यक्षता में हुआ। उपस्थिति लगभग 100 के थी। आगामी वर्ष अर्थात् 1 जनवरी सन् 1985 ई. से भार्गव पत्रिका का शुल्क 9/-रुपए वार्षिक से बढ़ा कर 15/-रुपए वार्षिक कर दिया गया व पं. किशोरी लाल जी वर्ष सन् 1985 ई. के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए, प्रधानमन्त्री पद पर पं. कैलाश नाथ जी जयपुर ही रहे। सन् 1983-84 ई. वर्ष की रिपोर्ट में प्रधानमन्त्री ने बतलाया कि इस वर्ष सभा की साधारण आय लगभग 210096/-रुपए थी व व्यय लगभग 217532/- था, जिसमें 42630/- रुपए छात्रवृत्तियों के, 50562/- रुपए बेवाओं व निराश्रितों की सहायता के, 27771/- रुपये कार्यालय खर्च व 11575/- रुपए भार्गव पत्रिका की सहायता के शामिल थे।

सभा का 96वाँ वार्षिक अधिवेशन 28 व 29 दिसम्बर सन् 1985 ई. को प्रयाग में सभा के प्रधान पं. किशोरी लाल जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उपस्थिति लगभग 130 के थी। आगामी वर्ष के लिए अध्यक्ष व प्रधानमन्त्री यथावत् ही रहे।

भार्गव सभा का 97वाँ अधिवेशन 27-28 दिसम्बर सन् 1986 ई. को अलवर में सभा के प्रधान पं. किशोरी लाल जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस वर्ष के अलवर में हुए अधिवेशन की विशेषता यह रही कि सभी लोगों, बाहर से आए हुए एवं स्थानीय परिवारों के लिए एक भार्गव सज्जन की ओर से निःशुल्क भोजन का प्रबन्ध किया गया था। सभा के इतिहास में यह तीसरा अवसर था, जब कि खाने-पीने का निःशुल्क प्रबन्ध किसी एक ही व्यक्ति ने वहन किया हो। इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सभा की साधारण आय 275515 रुपए 37 पैसे थी व व्यय भी 275515 रुपए 37 पैसे था, जिसमें छात्रवृत्तियों पर 48580/- रुपए, विधवाओं व अनाथों की सहायता पर 65640/- रुपए, कार्यालय

\*\*\*\*\*

व्यय 43417/- रुपए व भार्गव पत्रिका के 13302/- शामिल थे। आगामी वर्ष के लिए पं. राघवनाथ जी सभा के अध्यक्ष चुने गए व प्रधानमन्त्री कैलाश नाथ जी ही रहे।

भार्गव सभा का 98वाँ वार्षिक अधिवेशन 29-30 दिसम्बर सन् 1987 ई. को देहली में पं. राघवनाथ जी के सभापतित्व में हुआ। उपस्थिति लगभग 200 के थी। इस अधिवेशन की भी एक विशेषता यह रही कि अधिवेशन की कार्यवाही को रिकार्ड करने हेतु एक टेप रिकार्डर इक्विपमेंट 5068/- रुपए में खरीदा गया था, जिसकी पुष्टि प्रबन्धक समिति ने कर दी थी। इसी अधिवेशन में निम्नलिखित सम्पत्तियों को बेचने की स्वीकृति दी गई :-

- (1) बीकानेर का मकान।
- (2) कानपुर स्थित मकान।
- (3) मेरठ का मकान।
- (4) भार्गव धर्मशाला, मोरी गंज, इलाहाबाद।
- (5) श्री केशोलाल, इलाहाबाद का मकान।

सभा के विभिन्न फण्डों के लिए लगभग 12002/- रुपए नकद व वायदे प्राप्त हुए।

आगामी वर्ष के लिए पं. पूर्णचन्द्र जी, जयपुर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। प्रधानमन्त्री के पद पर पं. कैलाश नाथ जी ही रहे। प्रधानमन्त्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साधारण आय 329218 रुपए 34 पैसे रही व व्यय 332415 रुपए 68 पैसे रहा; जिसमें विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के 63110/- रुपए, विधवाओं, अनार्यों तथा अपाहिजों की सहायता के 78180/- रुपए, कार्यालय व्यवस्था के 47993/- रुपए व सामाजिक कार्यों के 52475/- रुपये शामिल थे।

भार्गव सभा का 99वाँ वार्षिक अधिवेशन व सभा के शताब्दी समारोह के उद्घाटन का कार्यक्रम 1, 2 व 3 जनवरी सन् 1989 ई. को आगरा में सभा के प्रधान पं. पूर्ण चन्द्र जी, जयपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

उद्घाटन समारोह की पूर्व सन्ध्या 31-12-88 को श्री शिव कुमार भार्गव 'सुमन' द्वारा श्री शिवराज जी के निवास स्थान पर एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भार्गव सभा के अध्यक्ष श्री पूर्ण चन्द्र जी ने व शताब्दी समारोह समिति के मन्त्री श्री रमेश जी, जयपुर ने पत्रकारों को भार्गव सभा व भार्गव समाज के बारे में आवश्यक जानकारी दी। 1 जनवरी सन् 1989 ई. को प्रातः 10 बजे सभा के अध्यक्ष श्री पूर्णचन्द्र जी द्वारा ध्वजारोहण के साथ समारोह का श्रीगणेश हुआ। तत्पश्चात् हवन किया गया। समारोह हेतु बहुत ही विशाल एवं सुसज्जित पंडाल निर्मित किया गया था व समारोह स्थल पर ही सूचना केन्द्र को स्थान दिया गया था तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं उपहार आदि की वस्तुओं के स्टॉल्स लगाए गए थे। सायं काल लगभग 5.30 बजे शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य अतिथि द्वारा दीप जलाकर श्रीगणेश हुआ व आगरा की भार्गव बालिकाओं के द्वारा सामूहिक रूप से ईश वंदना व स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् आगरा स्थानीय सभा के प्रधान श्री प्रेम नाथ जी ने मुख्य अतिथि महोदय, सभा के अध्यक्ष एवं मंच पर विराजमान अन्य गुरुजनों का माल्यार्पण द्वारा अभिनन्दन

किया एवं अपना स्वागत भाषण पढ़ा जिसमें समारोह में भाग लेने वाले सभी बन्धुओं का स्वागत किया गया व सभा के संस्थापकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात् शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष, श्री प्रकाश दत्त जी, एडवोकेट देहली ने शताब्दी समारोह के महत्त्व एवं उसके अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला एवं शताब्दी समारोह समिति के मन्त्री, श्री रमेश जी, जयपुर ने सभा के गत 99 वर्षों के विकास का संक्षिप्त वर्णन किया। इसके बाद भार्गव सभा के अध्यक्ष पं. पूरण चन्द्र जी ने अपने भाषण में शताब्दी समारोह के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सभा के संस्थापकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अनुरोध किया व कहा कि भार्गव सभा के रूप में जो धरोहर उनके पूर्वज उन्हें सौंप गए हैं, उसे उन्हें पूरी लगन व निष्ठा से आगे बढ़ाना था, ताकि आने वाली पीढ़ी को वे उस धरोहर को और भी सुदृढ़ एवं विकसित रूप से सम्भला सकें। उन्होंने भार्गव सभा के 100 वर्ष के कार्यकलापों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए व उनके दिखाए सेवा मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

अन्त में समारोह के मुख्य अतिथि, मेजर जनरल उमा शंकर भार्गव, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के स्वास्थ्य सेवाओं के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने अन्दर खेल भावना व अनुशासन को विकसित करना चाहिए जिससे समस्त समाज व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सके। इसके पश्चात् पं. ओम प्रकाश भार्गव, ग्वालियर द्वारा सम्पादित ग्रन्थ 'योगदान', डॉ. दयानन्द भार्गव, जोधपुर द्वारा सम्पादित नाटक 'भृगुवंश' व श्री शिव कुमार जी 'सुमन' द्वारा सम्पादित स्मारिका का विमोचन हुआ। समारोह के अवसर पर पं. श्री कृष्ण जी, ग्वालियर द्वारा तैयार कराए गए शताब्दी समारोह के स्मृति चिह्नों के रूप में चाँदी के सिक्कों को भी प्रचलित किया गया। इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त बहुत ही सुन्दर सांस्कृतिक कार्यक्रमों व प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

आगामी वर्ष के लिए डॉ. सुभाष भार्गव, देहली, सभा के अध्यक्ष व श्री सुरेश जी, रिवाड़ी, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुए। पं. कैलाश नाथ जी, जयपुर को उनकी 19 वर्ष की प्रधानमन्त्री के रूप में सम्मानीय एवं बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में भावभीनी विदाई दी गई व उन्हें 'भार्गव भूषण' की उपाधि से विभूषित किया गया।

आगामी 100वाँ सभा का वार्षिक अधिवेशन व शताब्दी समारोह जयपुर में 24, 25 व 26 दिसम्बर सन् 1989 को आयोजित होना निश्चित किया गया है।

\* \* \*

## 7. सामाजिक सुधार एवं समस्याएँ

सभा की स्थापना के समय भार्गव जाति में भी, अन्य जातियों की भाँति अन्धविश्वासों एवं परम्पराओं पर आधारित बहुत-से रीति-रिवाजों व व्यर्थ की खर्चीली प्रथाएँ प्रचलित थीं, जिनके कारण जाति के आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध-सा हुआ प्रतीत होता था। केवल शिक्षा प्रसार के माध्यम से ही सुधार वाला मार्ग बहुत लम्बा हो जाता और सम्भवतः भार्गव समाज प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाता। अतः सभा व सम्मेलनों में प्रारम्भ से ही सामाजिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

आज के युग में इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि 100 वर्ष पूर्व हमारी आज की सभ्य, सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समझी जाने वाली जाति में अनमेल विवाह होते थे, बड़ी आयु के दौलतमन्द लोग रुपया देकर छोटी उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते थे, आटे-साटे का रिवाज जारी था, पर्दा प्रचलित था, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था और वे घरों की चारदीवारी में बन्द रहती थीं। कम उम्र वाले व अबोध बालक-बालिकाओं की शादियाँ कर दी जाती थीं एवं शादी-विवाहों में अनेकानेक व्यर्थ की एवं खर्चीली प्रथाएँ प्रचलित थीं। ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए सतत एवं समर्पित प्रयत्नों की आवश्यकता थी। हमारी जाति का यह सौभाग्य ही था कि हमारे पूर्वजों ने अनवरत प्रयत्न कर समाज में एकरूपता एवं जागृति का प्रादुर्भाव किया एवं एक ऐसी सामाजिक शैली का विकास संभव किया कि जिससे जाति की एक पहचान बन सकी व बनी रही।

प्रारम्भ से ही जाति के संगठनात्मक प्रयत्नों का उद्देश्य, चाहे वे जयपुर, मथुरा, रिवाड़ी व आगरा आदि कहीं भी हुए हों, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समस्त सामाजिक जीवन के पिछड़ेपन को दूर कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना था।

सामाजिक सुधार का कार्य सर्वप्रथम सन् 1881 ई. में स्थापित हुई, जयपुर व मथुरा की सभाओं ने शुरू किया। 1 मार्च सन् 1882 ई. को हुई अपनी बैठक में भार्गवी सभा जयपुर ने निर्णय लिया कि कुआँ पूजन व चाक-भात की रस्में अपने-अपने घरों पर ही सम्पादित की जाएँ व भाजी बाँटने के लिए जातीय अथवा पारिवारिक महिलाओं की जगह विश्वसनीय सेवकों को ही भेजा जाए।

यह सर्वप्रथम सामाजिक रिवाज थे जिनको रोकने का जाति की ओर से प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार मथुरा सभा ने भी शादी-विवाह व आचार-विचार सम्बन्धी सुधार करने के प्रयत्न किए। सन् 1889 ई. में स्थापित भार्गव सभा ने भी इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

सन् 1890 ई. में लखनऊ में हुई सोशियल कांफ्रेंस में वैवाहिक रस्मोरिवाज आदि के विषय में चर्चा हुई, किन्तु निर्णय आगामी रिवाड़ी सम्मेलन के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि विचार यह बना कि चूँकि वैवाहिक रीति-रिवाजों आदि में परिवर्तन का असर समस्त जाति पर पड़ना था, अतः इस विषय पर चर्चा रिवाड़ी में ही, जहाँ जाति के स्थानीय परिवारों की संख्या सबसे अधिक थी, उचित रहेगी।



अतएव सन् 1891 ई. में पं. बंसीधर जी, वकील अजमेर के सभापतित्व में हुए कांफ्रेंस के अधिवेशन में हर स्थान के प्रमुख-प्रमुख सज्जनों के मत से एक किताब 'रसमियात कौम भार्गव' के नाम से तैयार की गई, जिसको जयपुर निवासी पं. हरदयाल सिंह जी, सम्पादक भार्गव पत्रिका, ने सन् 1894 ई. में प्रकाशित किया और जो 'लाल किताब' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें विवाह की चार श्रेणियाँ निश्चित की गई थीं व नेगी जोगियों के हकों का गोशवारा भी बना दिया गया था जिससे जाति के लोगों को बड़ी सुविधा एवं सहायता मिली। सन् 1894 ई. व सन् 1895 ई. में भी इन रीति-रिवाजों में अनेक परिवर्तन हुए तथा उसके बाद की कांफ्रेंसों में भी इस विषय पर विचार चलता रहा। सन् 1904 ई. में अलवर के सज्जनों ने एक रीति संग्रह बनाया और इसी वर्ष हकीम गोपाल सहाय भार्गव, मथुरा ने भी एक रीति संग्रह का सम्पादन कर प्रकाशित किया, जिसको संशोधन के बाद पं. अनन्त राम जी, वकील अलीगढ़ व पं. हरीहर लाल जी ने सन् 1909 ई. के मथुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया। सन् 1916 ई. में भार्गव सभा लाहौर के द्वारा रीति संग्रह बना कर प्रकाशित की गई जो सन् 1920 ई. में समाज सुधार उपसमिति द्वारा स्वीकार की गई एवं आगरा कांफ्रेंस में पारित होकर प्रचलित हुई। यह क्रम चलता रहा और लगभग प्रत्येक सम्मेलन में वैवाहिक तथा अन्य रीति-रिवाजों पर विचार-विमर्श होता रहा एवं समय-समय पर संशोधित रीति संग्रह भी प्रकाशित होते रहे। यहाँ तक कि सन् 1982 ई. में हुए 57वें सम्मेलन तक में रीति संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। वास्तव में जाति के सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य समस्त जाति की सहमति द्वारा सामाजिक समस्याओं पर विचार कर उनमें सुधार करना ही था।

गत वर्षों में जो-जो मुख्य सुधार किए गए उनकी सूची निम्नलिखित है जिनके अवलोकन से उस समय की सामाजिक स्थिति का स्पष्ट आभास मिलता है :—

1. सन् 1890 ई. में लड़कों की शादी के लिए मुनासिब उम्र 16 साल निश्चित की गई थी। सन् 1926 ई. में यह उम्र 15 व 21 वर्ष कर दी गई थी और अब यह 18 वर्ष व 23 वर्ष है।
2. लड़के व लड़की का विवाह रुपया लेकर व रुपया देकर या आटा-साटा करना, अनुचित था। जो लोग ऐसा विवाह करेंगे उनके यहाँ शादी में बिरादरी ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार तक शामिल न होंगे और वे दोनों पक्ष बिरादरी से निकाल दिए जाएँगे और उनको बिरादरी में उस समय तक न मिलाया जाएगा जब तक कि वे सम्मेलन में आकर माफी न माँगें।
3. शादी-विवाहों में बेहूदा गजलों का पढ़ा जाना, गालियों का गाया जाना व रण्डियों से गवाना बन्द किया जाता है।
4. शादियों में रात की सरगश्त बन्द की जाती है, रात के बजाय दिन में गश्त हो, जिसमें स्वाँग व आतिशबाजी वगैरा न हों।
5. चाक पूजन के लिए कुम्हार के घर न जावें व कुआँ पूजन के लिए कुएँ पर न जावें; ये रस्में घर पर ही अदा की जावें।
6. लड़की का पिता निम्नलिखित चार श्रेणियों की शादी में से जिस दर्जे की शादी चाहे, करे:— (1) इक्यावनवीं, (2) पच्चीसवीं, (3) ग्यारहवीं, (4) पाँचवीं। बाद में ये श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई।



\*\*\*\*\*

7. लड़के का पिता 51वीं शादी में 80, पच्चीसवीं में 50, ग्यारहवीं में 25 और पाँचवीं शादी में 11 से अधिक बाराती नहीं ले जाएगा। इस संख्या में वे सभी लोग गिने जाएँगे जिन्हें लड़के वाला लड़की के घर पर जाकर बाराती बनाएगा। इस संख्या में नाई, पुरोहित, भाट आदि, सभी शामिल होंगे। लड़की का पिता जिस श्रेणी की शादी करने का इरादा रखता हो, उसकी सूचना लड़के वाले को लगन पत्रिका में लिख देना चाहिए। शादियों की श्रेणियाँ समाप्त होने पर बारातियों की संख्या 50, फिर 25 व अब सन् 1982 के प्रस्ताव के द्वारा कम से कम निश्चित की गई है।
8. समझाने जो सिंधारा जुड़ावल भेजा जाता है उसे बन्द किया जाता है।
9. सगाई होने के बाद ही जेवर न भेजे जाएँ, बरी के साथ ही भेजे जाएँ।
10. रस्म परोजन बन्द की जाए।
11. सगाई के बाद लड़के की छठी के वक्त उसके ससुराल से भात न लिया जाए।
12. शादी की दावत में शामिल न होने वाले लोगों के पत्तल भेजना या देना बन्द किया जाता है। जिस घर से कोई न आया हो उसके यहाँ एक पत्तल जरूर दी जानी चाहिये।
13. यज्ञोपवीत 9 या 10 साल तक हो जाना चाहिए।
14. मिलनी में 5/- से ज्यादा न दिये जाएँ और अन्य रिश्तेदारों को 1/- रुपया से ज्यादा नहीं।
15. हज्जाम के तिलक नहीं किया जाए।
16. लड़की की शादी के मौके पर पूरी बिरादरी की दावत न की जाए। लड़के की शादी में भी बिरादरी की दावत अनावश्यक है।
17. चारों मुकलाई के समय लड़की को जनवासे में न भेजा जाए।
18. कँवर कलेवे में ऐसी लड़की न भेजी जाए जिसकी उमर 11 साल से अधिक हो।
19. पलंग बिठावनी में नाई से आरता न कराया जाए, वह केवल शीशा ही दिखलाए।
20. एक ही गौत्र और कुलदेवी में तथा लड़के या लड़की के ननसाल के गौत्र और कुलदेवी में संबन्ध वर्जित है — विशेषकर कुलदेवी का बचाना अनिवार्य है।
21. जाति में सम्बन्ध विच्छेद की घटनायें जाति के लिए हितकर नहीं हैं अतः दोनों पक्ष सब प्रकार की पूछताछ और संतोष के उपरांत ही सम्बन्ध की स्वीकृति दें। जहाँ तक हो सके विवाह के निकट ही मुद्रिका पहनावें।
22. सम्बन्ध दृढ़ होने के पश्चात् अपनी प्रतिष्ठा और वचन का महत्त्व विचार करके, संबंध विच्छेद को साधारण-सी बात न समझें।
23. जाति की किसी लड़की की शादी ऐसे लड़के से न की जाए जिसकी अवस्था लड़की की अवस्था से दुगनी या उससे ज्यादा हो।

24. जिस जगह पर लड़की की शादी हो, उस जगह के रहने वाले सज्जनों को जरूरी है कि बाहर से आई हुई बारात में बाराती न बनें और ऐसे बारातियों का होना बन्द किया जाता है। सिर्फ बहुत ही समीप के सम्बन्धियों के लिए मनाही नहीं है।
25. नैतिक दृष्टि से तथा भावी संतान का ह्रास रोकने के लिए विवाहार्थ वर अथवा कन्या का चुनाव करते समय अपने कुल तथा कुल के बाहर कम से कम अपनी तथा अपने माता-पिता की प्रथम और द्वितीय श्रेणी को छोड़ देना नितान्त आवश्यक है।
26. महिलाओं को बारात में ले जाने की प्रवृत्ति जो पिछले दो वर्षों (1957) से प्रगट हुई है, जाति के लिए व्यवहार योग्य नहीं है, क्योंकि यदि यह प्रवृत्ति प्रथा बन गई तो इस प्रथा के कारण विवाहों में सरलता और आदर्श रखना और भी कठिन हो जाएगा। कन्या पक्ष की समस्याओं के बढ़ने की आशंका है। अतः बारात में महिलाओं को ले जाना अनुचित है। महिलाओं की बैठक में भी इस विषय पर विचार हुआ और उसमें सभी महिलाओं का विचार था कि वे स्वयं बारात में जाना पसंद नहीं करतीं।  
बारातों में महिलाओं को ले जाना अनुचित है।
27. सगाई में एक चौपहला अँगूठी के अतिरिक्त सोने की अँगूठी भेजना व 1/- रु. से अधिक लड़के का तिलक भेजना वर्जित है।
28. यह अनुचित है कि वर पक्ष कन्या पक्ष पर स्वयं या दूसरी प्रकार से दबाव डालकर उसे वर पक्ष के नगर में जाकर विवाह संस्कार सम्पन्न करने को बाध्य करे।
29. अन्तर्जातीय विवाह भार्गव समाज के लिए अहितकर है।
30. विवाह आडम्बररहित एवं रीति संग्रह के अनुरूप होने चाहिए।
31. विवाह दहेजमुक्त हो, उसमें किसी प्रकार की माँग अथवा वैभव का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।
32. समस्त मांगलिक अवसरों पर मदिरापान निषिद्ध है।
33. अँगूठी सगाई—सोने की अँगूठी व अन्य सामान इस अवसर पर भेजना तथा लेना वर्जित है।
34. लेना-देना—इसमें किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर वर पक्ष की ओर से कम से कम व्यक्तियों को जाना चाहिए व दोनों पक्षों में द्रव्य का आदान-प्रदान न किया जाए।
35. निकासी में अनावश्यक आडम्बर नहीं होना चाहिए। रास्ते में किसी प्रकार का नृत्य नहीं होना चाहिए।
36. विवाह सम्बन्ध तय होने के पश्चात् सगाई की विधिवत् रस्म के अतिरिक्त (जो वर पक्ष के यहाँ विवाह से पूर्व होती है) भावी वर कन्या द्वारा एक-दूसरे को अँगूठी पहनाने की उभरती हुई प्रवृत्ति अनुचित एवं अवांछनीय है, इसे बन्द किया जावे।

37. समस्त बंधुगण, विशेषकर सभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, रीति संग्रह के नियमों का निष्ठा के साथ पालन करें। साथ-साथ स्थानीय सभाओं को भी चाहिए कि वे इनका निष्ठा से पालन करावें।

इस प्रकार प्रतिपादित सुधारों एवं निर्देशों का संकलन समय-समय पर रीति संग्रहों के रूप में प्रकाशित किया जाता रहा है और आगे भी जारी रहेगा तथा ऐसे संकलनों की आवश्यकता तथा उपयोगिता भी सभी स्वीकारते हैं, परन्तु अधिकांशतः यह सुनने को मिलता है कि रीति संग्रह व्यर्थ ही है क्योंकि इसकी अनुपालना कम व अवहेलना अधिक होती है। यह तो सत्य है कि समर्थ एवं सम्पन्न व्यक्ति तो इनकी अवहेलना करते ही हैं, परन्तु रीति संग्रह का लक्ष्य केवल यह ही नहीं है कि इसका अनुपालन सभी लोग अनिवार्य रूप से करें। इसका उद्देश्य तो सही मार्गदर्शन कर जाति में होने वाले विवाहों को एकरूपता प्रदान करना तथा जाति के उस वर्ग का नैतिक बल व आत्म विश्वास बढ़ाने का है जो स्वयं को अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति की तुलना में केवल इसी कारण से ही अपने को हीन न समझे कि विवाह में कम खर्च कर साधारण श्रेणी का विवाह कर रहा है। यह कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में इस प्रयास को सफलता भी मिली है।

**विधवाओं व अपाहिजों की सहायता :—** सभा के दूसरे उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण व आवश्यक अंग विधवाओं एवं अपाहिजों की सहायता करना रहा है। इसका आरम्भ जयपुर सभा की स्थापना के साथ ही हो गया था और मु. पन्ना लाल जी (नाजिम) अपनी ओर से निराश्रित विधवाओं को 2/-रु. मासिक सहायता देते थे। इसी प्रकार सन् 1888 ई. में रिवाड़ी सभा की स्थापना के समय से ही रिवाड़ी व उसके आसपास की निःसहाय व निराश्रित विधवाओं को 2/- रुपये मासिक पं. खुशवक्तराय जी, रिवाड़ी व लाला बिहारीलाल जी संघई की ओर से दिया जाता था। सन् 1894 ई. के अजमेर में हुए सम्मेलन के अवसर पर भार्गव सभा रिवाड़ी ने प्रस्ताव किया कि एक विधवा फंड की स्थापना की जाए परन्तु इस विषय पर विचार स्थगित कर दिया गया, और भार्गव सभा, रिवाड़ी व भार्गव सभा, आगरा — दोनों ही अपने-अपने आसपास के क्षेत्रों की बेवाओं को चन्दा इकट्ठा कर सहायता देती रहीं। शुरू में इस कार्य के लिए कोई अलहदा फण्ड नहीं था, बल्कि हर सभा व सम्मेलन के अवसर पर चन्दा इकट्ठा किया जाता था और उसी के हिसाब से सहायता दी जाती थी। उस समय इस मद पर करीब-करीब 500/- रु. वार्षिक व्यय होते थे। सन् 1893 ई. में मु. नवल किशोर जी, लखनऊ ने पनवाड़ी गाँव में कुआँ बनवाने के लिए 1000/- रु. अनुदान दिया और यह इच्छा प्रगट की कि इससे गाँव की आमदनी में जो वृद्धि हो उसका उपयोग विधवाओं की सहायता देने में किया जाए और जब तक यह कार्य सम्पन्न नहीं हो तब तक इस राशि को कोठी गिरधर लाल आगरा में 8 प्रतिशत सूद पर जमा करा दिया जाए और जो ब्याज मिले उससे विधवाओं की सहायता की जाए।

सन् 1898 ई. में विधवाओं की सहायता राशि में आठ आने की वृद्धि की गई। सन् 1897 ई. की मथुरा कांग्रेस में दो मुस्लिम सज्जन भी उपस्थित थे और उन्होंने बेवाओं के प्रति सहानुभूति में बहुत ही पुरजोश तकरीर भी की जिससे प्रेरित होकर उसी समय विधवाओं की सहायता के लिए 600 रुपये इकट्ठे हो गए जो उस समय की परिस्थितियों में एक अच्छी राशि थी। मुस्लिम सज्जनों ने भी इसमें अपना

योगदान दिया। सन् 1900 ई. में भार्गव सभा आगरा ने प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा निर्णय लिया कि कोढ़ी व अपाहिजों की सहायता भी विधवाओं की तरह ही की जाया करे। सन् 1904 ई. में 25 बेवाओं को भार्गव सभा आगरा व 14 को भार्गव सभा रिवाड़ी द्वारा प्रत्येक को दो रुपये आठ आने मासिक की सहायता दी जाती थी। सन् 1916-17 तक पहुँचते-पहुँचते यह राशि 8/- रुपये मासिक तक बढ़ गई थी। लेकिन यह राशि भी बहुत कम थी, यद्यपि इससे बेवाओं की सभी जरूरतें तो पूरी नहीं होती थीं, फिर भी उनकी कठिनाइयाँ काफी हद तक दूर हो जाती थीं। समय-समय पर कुछ दानी महानुभाव कपड़े आदि भी वितरित कर दिया करते थे। सन् 1912 ई. से समाज सुधार उपसमिति के स्थापित होने पर इस दिशा में काफी प्रगति हुई। सहायता पाने वाली बेवाओं एवं अपाहिजों की संख्या औसतन 25-30 के लगभग रही।

सन् 1935 ई. में प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा निश्चय किया गया कि भविष्य में विधवा फंड का नाम 'विधवा, अनाथ व अपाहिज फंड' कर दिया जाए, इससे विधवाओं के अतिरिक्त असहाय पुरुषों व अनाथ बच्चों व अपाहिज लोगों की सहायता करना भी सम्भव हो सका। इसी के साथ यह विचार भी जोर पकड़ता जा रहा था कि जिन विधवाओं, अनाथों तथा अपाहिजों को भार्गव सभा सहायता देती थी, उन्हें शिल्पकारी तथा अन्य किसी प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध समाज सुधार उपसमिति द्वारा किया जाए, जिससे कि कुछ समय बाद वे स्वयं अपनी जीविकोपार्जन करने में समर्थ हो सकें तथा उससे बचा हुआ धन अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सके। इसी दिशा में सन् 1946 ई. में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी तरह भार्गव सभा के सन् 1950 ई. के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या (9) द्वारा निर्णय लिया गया कि 'एक असहाय चिकित्सा राशि की स्थापना की जाए और इस फंड से स्वीकृति का अधिकार भी समाज सुधार उपसमिति को ही दिया गया। सन् 1938 ई. से सन् 1970 ई. तक विधवा व अपाहिज फंड से सहायता लेने वालों की संख्या 30-35 तक ही रही तथा कुल वार्षिक सहायता राशि 10,000/- रुपये से अधिक नहीं बढ़ी। इसी प्रकार चिकित्सा के लिए भी सहायता कभी-कभी छोटी-छोटी राशि द्वारा ही दी गई। किन्तु सन् 1970 ई. के बाद सहायता लेने वालों की संख्या एवं सहायता में दी जाने वाली राशि में काफी बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद आगामी लगभग 17-18 वर्षों में सहायता की राशि 40/- मासिक से बढ़कर 100/- रुपये मासिक तक पहुँची व सहायता लेने वालों की संख्या लगभग 50, विधवाएँ व असहाय पुरुष तथा आश्रितों की संख्या भी 50 के लगभग, जिनको 6/- रुपये से 12/- मासिक तक मिलता था, पहुँच गई थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधवा एवं असहाय पुरुष को 100/- रुपये वार्षिक व आश्रितों को 75/- रुपये वार्षिक कपड़ों के लिए दिया जाता था। कपड़ों का वितरण कभी-कभी दानी लोग अपनी तरफ से किया करते थे। सन् 1983 ई. में एक अमरीका में रहने वाले सज्जन ने विधवाओं आदि को कपड़े वितरण करने के लिए 5000/- रु. की राशि दान दी थी। इसी तरह से चिकित्सा के लिए भी समय-समय पर सहायता दी जाती रही थी। इसकी कोई निश्चित राशि तो नहीं थी और न हो सकती थी, किन्तु सन् 1978-79 ई. में दिल्ली के एक सज्जन को उनकी पत्नी की प्रार्थना पर 5000/- रुपये की धनराशि चिकित्सा फंड से दी गई थी और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी को यह अधिकार दे दिया गया था कि सदन के समक्ष इसके लिए जो अपील की गई थी, उसमें भी जो धन प्राप्त हो वह भी उन्हें दे दिया जाए। इन्हीं सज्जन को फिर सन् 1980-81 में 5370/- की सहायता इसी कोष से दी गई।

वर्तमान में इस मद, अर्थात् विधवाओं, अपाहिजों की सहायता, पर व्यय की राशि लगभग 80,000/- तक पहुँच गई है, जबकि प्रारम्भ में यह रकम तीन-चार सौ वार्षिक ही हुआ करती थी।

इसके अतिरिक्त विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को सिलाई व बुनाई की मशीनें भी प्रदान की जाती हैं, कि जिनसे वे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें व सम्भवतः आत्मनिर्भर भी हो सकें। यह भी सोचा गया था कि इन लोगों को कुछ घरेलू धंधे जैसे पापड़, मँगौड़ी बनाने आदि प्रारम्भ कराने में भी सहायता दी जाए।

इस प्रकार जाति द्वारा इस निराश्रित और निःसहाय वर्ग को सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने व एक सम्मानजनक जीवनयापन कराने हेतु विभिन्न प्रयत्न किए गए जो जाति के विकास एवं प्रगति का एक प्रभावशाली सफल प्रयास रहा है। ऐसा लगता है कि भार्गव सभा की वर्तमान आर्थिक क्षमता एवं जीवन शक्ति इन लोगों के आशीर्वाद एवं शुभ इच्छाओं के आधार पर ही निर्मित हुई है और भविष्य में भी इन्हीं पर आधारित रहेगी।

**विधवा विवाह :—** जाति की एक अन्य ज्वलंत समस्या विधवा विवाह की थी। छोटी-छोटी अबोध बालिकाओं के विवाह कर दिए जाते थे और उनमें से बहुत-सी दुर्भाग्यवश छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थीं। उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि परिवारों में विधवाओं को बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। न तो उन्हें मानवीय सहानुभूति मिलती थी और न उचित से खाने-पहनने को दिया जाता था। हर मांगलिक अवसर पर उन्हें अमंगलसूचक समझकर दूर ही रखने के प्रयत्न किए जाते थे। वे न तो पढ़ी-लिखी होती थीं और न उनमें कोई ऐसी योग्यता होती थी कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपना जीविकोपार्जन कर सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

जाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं था और न ही जनमत उसके पक्ष में था। अतः यद्यपि सन् 1910 ई. में अक्षत योनि बाल विधवा के विवाह की अनुमति तो दे दी गई थी, किन्तु फिर भी ऐसा पहला विवाह 18 वर्ष बाद अर्थात् सन् 1928 ई. में ही सम्भव हो सका था। सभा के सैक्रेट्री मु. जगन्नाथ प्रसाद जी का कहना था कि सन् 1910 ई. का प्रस्ताव उस समय पास कर लिया गया, जबकि काफी लोग प्रदर्शनी देखने चले गए थे और उपस्थिति बहुत कम हो गई थी। इससे स्पष्ट है कि प्रस्ताव के बावजूद अभी विधवा विवाह के पक्ष में जनमत विकसित नहीं हो रहा था। सन् 1919 ई. की कांग्रेस के प्रस्ताव संख्या 37 द्वारा निर्णय लिया गया कि सोशियल सब कमेटी के माध्यम से अक्षत योनि बाल विधवाओं की, जिनकी उम्र 25 साल तक की हो, सूची बनवाई जाए और कुल ऐसे साहबान की सूची जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा न हो और ऐसे अविवाहित साहबान की भी सूची, जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा और 35 साल से कम हो, तैयार कराई जाए और इसका ऐलान किया जावे कि ऐसे साहबान व वारिसान बेवगान इसके सम्बन्ध में बातचीत कर लेवें तो जाति उनके काम को अच्छी दृष्टि से देखेगी।

सन् 1920 ई. में सोशल सब कमेटी को एक प्रार्थना पत्र मिला था जिसमें अन्य जाति की बेवा औरत के साथ शादी करने की अनुमति माँगी थी, जिसकी स्वीकृति सोशल सब कमेटी ने नहीं दी तथा उससे अनुरोध किया कि वह जाति की विधवा से ही शादी करे।

सन् 1920 ई. में ही प्रस्ताव संख्या 28 में कहा गया था कि, चूँकि भार्गव जाति की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाती थी और लड़कों की तादाद लड़कियों से ज्यादा थी, जिसकी वजह से अंदेशा था कि कुछ समय के बाद जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और नामोनिशान न रहेगा, इसलिए “यह जलसा सम्मेलन तजवीज़ करता है कि अक्षत योनि बाल विधवाओं की शादी के मुताल्लिक, जो तजवीज़ पहले इलाहाबाद में सन् 1910 ई. में हो चुकी है और जिसकी तामील के वास्ते सन् 1919 ई. में प्रस्ताव संख्या 37 द्वारा भी तजवीज़ हो चुकी है, उसी को अब अमली जामा पहनाने के लिए यह जलसा एक कमेटी, जिसका नाम ‘बाल विधवा प्रचारक’ कमेटी होगा, नाम जद करती है, जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :— (1) पं. घासी राम जी, अजमेर, (2) पं. सालगराम जी, इलाहाबाद, (3) पं. सरजू प्रसाद जी, अलीगढ़, (4) राय. सा. पं. मिट्ठन लाल जी, अजमेर, (5) पं. फतह सिंह जी, मथुरा, (6) पं. द्वारकानाथ जी वकील, मथुरा (7) पं. गौरी शंकर जी, अजमेर।”

इसके बाद फिर सन् 1928 ई. के सम्मेलन में विधवाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित कमेटी नियुक्त की गई और उससे अनुरोध किया गया कि वह अपनी रिपोर्ट सोशल सब कमेटी को प्रस्तुत कर दे, जो उसे अपनी टिप्पणी के साथ भार्गव पत्रिका में प्रकाशित करा दे :—

- (1) रा. सा. पं. बिहारी लाल जी, रिवाड़ी;
- (2) पं. राज राजेश्वर सहाय जी, जज मुजफ्फरनगर;
- (3) पं. ठाकुर प्रसाद जी, सब इन्स्पेक्टर पुलिस, अजमेर;
- (4) पं. हर प्रसाद जी, जज, इन्दौर;
- (5) मेजर मोहनलाल जी, दिल्ली (कनवीनर)

अभी भी लोग विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे और जब सन् 1928 ई. में डॉ. गोपीचंद जी व श्रीमती दुलारी देवी जी का विवाह हुआ, तो बहुत वाद-विवाद हुआ और यह माँग की गई कि डॉ. साहब के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अतएव सोशल सब कमेटी ने निर्णय लिया कि चूँकि अब तक सम्मेलन ने ऐसे विवाहों को स्वीकृति नहीं दी थी, अतः डॉ. साहब व पं. जय नारायण जी की कार्यवाही पर अप्रसन्नता प्रगट की जाती है। इससे स्पष्ट है कि अभी तक भी अधिकांश पुरुष व महिलाएँ विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। परन्तु इस सम्बन्ध में बहुत वाद-विवाद होता रहा व भार्गव पत्रिका में अनेकानेक लेख भी प्रकाशित हुए जिनमें धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए अपने-अपने पक्ष को सिद्ध करने के प्रयत्न किए गए। अन्ततः सन् 1931 ई. के प्रयाग में हुए सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या 36 द्वारा निर्णय लिया गया कि, “अक्षत योनि विधवा स्त्रियों को, जो दुबारा विवाह करना चाहें और जो अपने मृत पति की सम्पत्ति और अपनी सन्तान से अपना सम्बन्ध तोड़ना स्वीकार कर लें और जो अपने ससुराल से मिला स्त्री धन मृत पति के निकट सम्बन्धियों को लौटा दें, तो उनको धर्मानुसार दुबारा विवाह करने की आज्ञा दी जाती थी। परन्तु यदि वे इन नियमों में से एक का भी उल्लंघन करें, तो सम्मेलन को उनको बिरादरी से निकाल देने का अधिकार होगा।” निश्चय हुआ कि जिन विधवा स्त्रियों को सन् 1910 ई. के प्रस्ताव के अनुसार विवाह करने का अधिकार नहीं था, वे भी अगर चाहें तो दुबारा विवाह कर सकती थीं। इसके पश्चात् धीरे-धीरे लोगों के विचारों में बदलाव आता रहा और सन् 1941 ई. में जब पं. जगदीश नारायण जी की

पुत्री शारदा जी का, जो तीन वर्ष पूर्व 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थीं, पं. ब्रजवासी लाल जी के साथ विवाह हुआ तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब जाति के लोग अन्य विभिन्न विचारधाराओं वाले परिवारों के सम्पर्क में आए तो इस प्रश्न की विशेषता प्रायः समाप्त-सी हो गई और सन् 1961 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा निर्णय लिया गया कि “इस सम्मेलन की राय में समय को देखते हुए भार्गव समाज में विधवा विवाह, अगर विधवा सहमत हो, तो अनुचित न समझा जाए।” महिलाओं की भी यही राय थी। इस प्रकार प्रारम्भ से ही चली आ रही इस समस्या का समाधान सदैव के लिए बड़ी सरलता से हो गया।

\* \* \*

**नैतिक सुधार एवं संस्कार निर्माण :** भृगु एवं च्यवन जैसे महर्षियों की सन्तान होने के नाते हमारे पूर्वजों की निश्चित धारणा थी कि च्यवनवंशी व दूसर कहलाने वालों की जाति के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह धार्मिक, सात्विक एवं संस्कृत जीवन यापन करे तथा उसका प्रयत्न सदैव यही रहा कि जाति के प्रत्येक पारिवारिक अथवा वैयक्तिक जीवन में संध्या व गायत्री का प्रयोग हो तथा निष्ठापूर्वक संस्कारों के प्रतिपालन द्वारा संयम एवं सात्विक जीवन शैली का विकास हो। उनका विश्वास था कि जिस प्रकार लोहा व सोना भी संस्कृत होने पर ही शुद्ध एवं उपयोगी होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संस्कारों द्वारा ही शुद्ध एवं शक्तिशाली होता है तथा उसमें आत्मिक बल व उत्तरदायित्व की अनुभूति का संचार होता है।

अतएव सन् 1895 ई. ही में निर्णय लिया गया कि समस्त संस्कारों का उर्दू में अनुवाद, यह स्पष्ट करते हुए कि कौन-कौन-से संस्कार कब और किस तरह होने चाहिए अर्थात् अमली या व्यावहारिक पद्धति से कराकर छपा दिया जाए और जाति का ध्यान उनके पालन के प्रति दिलाया जावे। इसी प्रकार सन् 1901 ई. में निर्णय लिया गया कि भार्गव जाति के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह अपने नित्य धर्म में सावधान रहे और संध्या नित्य प्रति किया करे तथा देव वाणी संस्कृत विद्या को सीखने व अध्ययन करने का प्रयत्न करे।

इसके अतिरिक्त उनकी धारणा यह भी थी कि सात्विक जीवन के विकास एवं तामसी प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने के लिए आचार-विचार एवं खान-पान की शुद्धता भी आवश्यक थी। इसी उद्देश्य से उन लोगों ने खान-पान पर विशेष बल दिया व सन् 1903 ई. में धर्मरक्षक प्रण पत्र व उसके नियम प्रतिपादित किए गए, जो इस प्रकार थे :—

**धर्मरक्षक प्रण पत्र :** “जिनके दस्तखत नीचे हैं, वे अपने इष्टदेव की रूह से हलफिया इकरार करते हैं कि इस अमर के काफी व कुतई सबूत पर कि बिरादरी के फलों-फलों शख्स गोश्त खाते हैं व शराब पीते हैं, उनका हम हुक्का-पानी बन्द रखेंगे और न उनसे बेटी व्यवहार करेंगे और नीज ऐसे अशखास से भी जो गोश्त खाने वालों से और शराब पीने वालों के साथ दीदये दानिस्ताँ, हुक्का-पानी रखें या उनको बेटी दें या बेटी लें, उनसे भी हुक्का-पानी व बेटी व्यवहार न रखेंगे।”

इसी के साथ धर्म रक्षा सम्बन्धी नियमों का प्रारूप भी तैयार किया गया, जो इस प्रकार था :—



1. हर मुकाम पर जहाँ भार्गव रहते हैं, एक धर्म रक्षा लोकल कमेटी कायम की जाए और साहबान मुकामी अपनी कमेटी का प्रेसिडेंट व सैक्रेट्री इन्तखाब करें;
2. अगर किसी शख्स की निस्बत किसी वजह माकूल से शुबहा हो कि वह यदि जिन चीजों को मना कर दिया हो, जैसे शराब व गोश्त का इस्तेमाल करता हो तो उसे लोकल कमेटी जिस तरह से मुनासिब समझे, अव्वल समझावे;
3. अगर लोकल कमेटी की राय में कोई शख्स यदि समझाइश के बावजूद उन निषिद्ध वस्तुओं को नहीं छोड़ता या गैर जाति की जूठ खाता है तो कमेटी उससे प्रायश्चित कराए और यदि तामील न करे तो उसके साथ बिरादराना बर्ताव छोड़ दे;
4. दफा (3) के फैसले की इत्तला सम्बन्धित व्यक्ति को दे दे, और एक माह के अन्दर अपने वजूहात पेश करे। लोकल कमेटी यदि चाहे तो आगे जाँच करे और अपने फैसले पर गौर करे, वरना एक माह के बाद सब कागजात स्थानीय कमेटी को भेज दे;
- 5-6. स्थानीय कमेटी 2 माह में अपनी राय के साथ जनरल सैक्रेट्री, कांफ्रेंस के पास भेज दे जो कांफ्रेंस के मौके पर एक विशेष जलसे में, जिसमें वे सभी लोग शामिल होंगे जिन्होंने धर्म रक्षा प्रण पत्र पर दस्तख्त किए हों, विचार के लिए सब कागजात पेश करें;
7. अन्तिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाए;
8. जनरल सैक्रेट्री, कांफ्रेंस उसके निर्णय की सूचना लोकल कमेटी, भार्गव पत्रिका व अन्य सभी को दे;
9. ऐसे शख्स के साथ, बावजूद फैसला कोई शख्स उससे सम्बन्ध रखता है तो उसके साथ भी वही कार्यवाही की जाएगी जो पहले वाले के साथ की गई थी।”

हस्ताक्षर रामजीवन प्रेसिडेंट

देवीदयाल सैक्रेट्री

इसी समय बाबू श्यामलाल ने बतलाया कि बा. रघुवर दयाल बजाज रिवाड़ी को गबन के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुड़गाँव की अदालत से तीन साल की कैद की सजा हुई थी। अदालती कार्यवाही से स्पष्ट था कि वह गोश्त और शराब का प्रयोग करता था। इसलिए उसे जाति से निष्काषित कर देना चाहिए और यदि उसके परिवार के लोग उसके साथ रहते थे तो उन्हें भी जाति से निकाल देना चाहिए। इस प्रस्ताव का अन्य लोगों ने भी समर्थन किया क्योंकि ब्राह्मणों एवं च्यवन वंशियों में इन चीजों का सेवन निषिद्ध था। परन्तु पं. मेवाराम जी, वकील रावलपिंडी ने कहा कि ऐसी कार्यवाही करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं था व ऐसे मामलों में मुकदमाती गवाहों के बयानों पर ही निर्भर रहना उचित नहीं था। सम्भव है, तीन वर्ष जेल में रहने से उसमें कुछ परिवर्तन आया हो। फिर भी यदि उसके विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी ही था तो इतनी सख्त सजा देने की आवश्यकता मालूम नहीं होती थी।

इसी प्रकार विदेश यात्रा के प्रति दृष्टिकोण में भी धर्म-कर्म व खान-पान को विशेष महत्त्व दिया जाता था। रूपदाद जलसा भार्गव कमेटी, जयपुर दिनांक 21 फरवरी सन् 1890 ई. के अनुसार बा. रामचन्द्र



जी के लन्दन जाने के लिए सहायता प्राप्त करने के आवेदन पर विचार हुआ। सर्वप्रथम तो यह मालूम करने के लिए कहा गया कि खाने-पीने का व संध्या आदि करने का क्या प्रबन्ध रहेगा और क्या इसके लिए कोई ब्राह्मण साथ जाएगा। यह भी मालूम करने के लिए कहा गया कि क्या इसका प्रायश्चित्त भी हो सकता था और क्या शास्त्रों में ब्राह्मणों को इस तरह विदेश जाने की अनुमति थी या वह भ्रष्ट हो जाता था। इस बैठक के प्रेसिडेंट मु. कन्हैया लाल जी व सैक्रेट्री मु. हीरा लाल जी थे। इसी के सम्बन्ध में रिवाड़ी सभा को वैसे तो जयपुर की सभा से इतिफाक था लेकिन उसकी राय यह थी कि खाने-पीने की जो चीजें प्रतिबन्धित थीं उनसे परहेज करना या न करना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। इस सम्बन्ध में किसी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु यह आवश्यक था कि वहाँ से वापिस आने पर गंगा स्नान करें। इन सबका उद्देश्य धर्म-कर्म के पालन से ही था वरना विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। सन् 1905 ई. में जब नवयुवकों को उच्च शिक्षा एवं टेक्निकल प्रशिक्षण आदि के लिए जापान भेजने के लिए सहायता देने की बात चली तो आर्थिक सहायता देने का आधार यही रखा गया था कि सहायता प्राप्तकर्ता को धर्म-कर्म से रहना आवश्यक होगा।

सन् 1906 ई. की ढोसी में हुई कांफ्रेंस में बा. भगवान दास ने कहा कि बच्चों की प्रारम्भ से धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने बतलाया कि 20 वर्ष पहले 75 प्रतिशत लोग तिलक लगाते थे, अब एक भी नहीं। पहले पूजा आदि किया करते थे, अब बहुत कम करते थे। ताश, चौपड़ व शतरंज में समय नष्ट करते थे, मगर पूजा नहीं करते। सनातन धर्म की शिक्षा बहुत आवश्यक थी व उसके प्रसार के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। लगभग इसी समय मु. हीरा लाल जी, जयपुर ने एक माहवारी रिसाला, जिसका नाम 'धर्म तत्व प्रबोधिनी पत्रिका' था, निकाला जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धान्तों एवं तदनुसार जीवन शैली के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करना था।

अधिकांश सामाजिक सुधार विशेषतः विवाह संस्कार सम्बन्धी शास्त्रोक्त पद्धति प्रस्थापित करने के उद्देश्य से ही प्रचलित किए गए थे। विवाह एवं यज्ञोपवीत संस्कार दोनों को ही इतना महत्वपूर्ण समझा गया था कि उनके विधि एवं निष्ठापूर्वक सम्पन्न कराने पर विशेष बल दिया गया। जातीय छात्रावासों की स्थापना के पीछे एक धारणा यह भी थी कि उनके माध्यम से जाति के बच्चों के धार्मिक कार्यक्रम सम्पन्न होते रहें व उनके संस्कार सुरक्षित रह सकें। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कराने के प्रयत्नों का भी उद्देश्य यही था कि संस्कृत विद्या के उपार्जन से जाति में नैतिक एवं सात्विक जीवन शैली का प्रादुर्भाव हो सके एवं जाति अपनी पहचान बनाने में सफल हो सके।

सन् 1954 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव जाति की सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक था कि जाति बन्धुओं में सेवा, प्रेम, सदाचार व शील की भावना उत्पन्न की जावे। इसके लिए सम्मेलन की दृष्टि में प्रत्येक भार्गव को धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय, संध्या वन्दन तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों तथा संस्कारों का पालन करना चाहिए। स्थानीय सभाओं और जातीय पत्रिकाओं को इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए एवं प्रस्ताव संख्या (4) में कहा गया कि भार्गव जाति के सांस्कृतिक विकास के लिए प्रत्येक भार्गव को संस्कृत की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का विकास हो सके।

सन् 1956 ई. में जयपुर में पारित प्रस्ताव संख्या (3) के अनुसार “भार्गव जाति में धार्मिक शिक्षा जागृत व अनुप्राणित करने के लिए यह सम्मेलन स्थानीय भार्गव सभाओं से अनुरोध करता है कि वह अपने-अपने नगरों में धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन, पठन-पाठन करने और धार्मिक महापुरुषों की शिक्षाएँ एवं उनके स्थानों के महत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुविधाएँ प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें। इस विषय में प्रत्येक स्थानीय सभा जो कार्यक्रम बनावे उसका विवरण भार्गव सभा कार्यालय को भेजती रहे। भार्गव सभा कार्यालय इस कार्य की सूचना अन्य स्थानीय सभाओं को उनके उत्साहवर्धन एवं पथ प्रदर्शन के लिए भेजती रहे। जाति के मान्य व्यक्ति धार्मिक व्यक्तियों पर जातीय पत्र में लेख लिखकर प्रोत्साहन दें।”

सन् 1961 ई. में हुए सम्मेलन में पं. गजाधर प्रसाद जी, इलाहाबाद ने पारिवारिक प्रार्थना, भजन, मन्त्र आदि सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि “हमें गिरते हुए धार्मिक और नैतिक स्तर के पतन को रोकने के लिए सक्रिय व प्रयत्नशील होना चाहिए जिससे हम अपने पूर्व गौरव और आदर्श को खो न बैठें। चरणदास जी के भक्ति सागर में कितने रत्न भरे पड़े हैं, पर इसमें से बहुतों ने कदाचित् भक्ति सागर देखी भी न हो। धार्मिक ग्रंथों और महात्माओं के उपदेशों को दैनिक जीवन में व्यवहार में लाने के लिए प्रार्थना, भजन, पठन, मनन आदि सरल साधन हैं, यदि हम परिवार सहित प्रतिदिन कुछ समय ईश गुणगान में लगावें तो धार्मिक प्रवृत्ति की जागृति स्वाभाविक है।” अतएव प्रस्ताव संख्या (3) द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव समाज में शुभ संस्कारों को जागृत करने के लिए माता-पिता और बड़े महानुभावों को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक घर में कम से कम पारिवारिक प्रार्थना, भजन, पाठ आदि नित्य नियमित रूप से करना चाहिए।

संस्कारों के पुनर्स्थापन एवं चरित्र निर्माण के प्रयत्नों में सन् 1968 ई. में स्थापित धार्मिक शिक्षा उपसमिति का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। धार्मिक शिक्षा उपसमिति द्वारा गीता व रामायण आदि की वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन से न केवल सर्वमान्य आदर्शों एवं मर्यादाओं को पुनर्जीवित किया गया है अपितु बच्चों, नवयुवकों एवं नवयुवतियों में अपने धर्म के प्रति आस्था को दृढ़ करने का भी प्रयत्न किया गया है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार पर बल दिया गया एवं आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देकर देव वाणी संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया। अभी भी कक्षा 9 से एम. ए. तक संस्कृत मुख्य विषय के रूप में लेकर अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा धार्मिक शिक्षा उपसमिति द्वारा की गई है।

सभा की बैठकें ईश प्रार्थना एवं हवन से प्रारम्भ होना तथा इनमें प्रारम्भ में ज्ञान चर्चा होना इस दिशा में सराहनीय प्रयत्न है तथा जाने-अनजाने इनका विचारों एवं दैनिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता ही है। इसी प्रकार स्थानीय सभाओं द्वारा रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वामी चरणदास जी की जयन्ती आदि पर समारोहों का आयोजन किया जाता है तथा स्थानीय सभाओं में भी इसी प्रकार के भजन-कीर्तन, रामायण पाठ आदि का आयोजन किया जाता है। इन सबसे सात्विक प्रवृत्तियों को बल मिलता है एवं जीवन में सुख व शान्ति के प्रादुर्भाव की सम्भावनाएँ प्रशस्त होती हैं। सन् 1982 ई. के लखनऊ में हुए सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआ :—

\*\*\*\*\*

“इस सम्मेलन का दृढ़ मत है कि स्थानीय सभाएँ समय-समय पर सत्संग समारोहों तथा रामायण पाठ, गीता पाठ, विद्वानों के प्रवचनों, संत चरण दास जी की वाणियों आदि का सामूहिक पाठ, पावन पुरुषों की जयन्ती, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर्वों का आयोजन नियमित रूप से करें।”

इन सबसे स्पष्ट है कि पूर्वजों के दिखलाए हुए मार्ग पर जाति निष्ठापूर्वक अग्रसर है एवं वर्तमान की अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे प्रकाश स्तम्भ की भाँति हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं।

\* \* \*

**सवर्ण एवं अन्तर्जातीय विवाह :—** जाति से बाहर विवाह करने की समस्या सर्वप्रथम सवर्ण अर्थात् ब्राह्मणों में शादी करने के विषय से प्रारम्भ हुई थी, और फिर जब विजातियों एवं दस्सों में शादियों के उदाहरण सामने आने लगे तो प्रश्न अन्तर्जातीय विवाह का बन गया।

सर्वप्रथम सन् 1914 ई. के अधिवेशन में पूना से बा. शंकर लाल, खुशी राम व कौशल किशोर ने तार देकर अनुशंसा की थी कि भार्गवों को अनुमति दी जाए कि “दीगर फिरका ब्राह्मणान में शादी कर सकें बशर्ते कि वे गोश्तखोर न हों।”

इसके पश्चात् सन् 1926 ई. के सम्मेलन में पं. मनोहर लाल जी, लाहौर ने अपने भाषण में कहा कि दिन-प्रतिदिन जाति की संख्या कम होती जा रही थी तथा प्रस्ताव किया कि ब्राह्मण वर्ण के अन्य वर्गों से शादी-विवाह का सम्बन्ध पैदा करने के लिए एक कमेटी बना दी जाए और आइन्दा साल उसकी रिपोर्ट पर विचार करके इस विषय पर निर्णय लिया जावे। प्रस्ताव का समर्थन कैप्टन मनोहर लाल जी, पं. गौरी शंकर जी, अजमेर; पं. अयोध्या प्रसाद जी, जोधपुर व पं. मुकुट बिहारी लाल जी, लखनऊ ने किया व विरोध पं. जय दयाल सिंह जी, आगरा, पं. हरि कृष्ण जी, देहली व राय बहादुर पं. राधारमण जी, मथुरा ने किया। अन्त में पक्ष में 40 व विपक्ष में 48 मत पड़े जिसके कारण प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

सन् 1927 ई. के सम्मेलन में फिर इस प्रश्न पर विचार हुआ और निम्नलिखित विषय पर प्रस्ताव स्वीकार किया गया :— “चूँकि इस जलसे की तवज्जह इस अग्र (विषय) पर दिलाई गई है कि गौड़ ब्राह्मणान के गोत्र, आचार-विचार, रहन-सहन वगैरा भार्गव जाति से मिलते-जुलते हैं और यह कि भार्गव कौम गौड़ ब्राह्मणान की उपजाति है, इसलिए निम्नलिखित सज्जनों की कमेटी मुकर्रर की जावे और वह इस मामले के मुताल्लिक मुकम्मिल तहकीकात करे, और गौड़ ब्राह्मणान के लीडरान व मैम्बरान एक्जीक्यूटीव कमेटी गौड़ महा सभा से गुप्तगू करके तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट सोशल सब कमेटी भार्गव सभा को पेश करे:— ”

- (1) राय ब. बा. राधारमण जी, दीवान नरसिंह गढ़।
- (2) पं. जगती प्रसाद जी, जयपुर।
- (3) पं. गिरधर दास जी, वकील, कानपुर।
- (4) रा. स. पं. मिट्ठन लाल जी, अजमेर।
- (5) रा. स. पं. बिहारी लाल जी, रिवाड़ी।
- (6) पं. गौरी शंकर जी, अजमेर।

- (7) पं. भजन लाल जी, जयपुर।
- (8) पं. मुकुट बिहारी लाल जी, लखनऊ।
- (9) पं. हीरा लाल जी, जयपुर।
- (10) पं. ठाकुर दास जी, एम. एल. ए. हिसार।
- (11) कैप्टन मनोहर लाल जी, आई. एम. एस. देहली—कनवीनर।

इसके पश्चात् सन् 1928 ई. के सम्मेलन में मेजर मनोहर लाल जी, आई. एम. एस. देहली ने गौड़ ब्राह्मणान व भार्गव जाति में कोई अन्तर न होना प्रमाणित किया और कहा कि “भार्गव जाति, जो इस वक्त तक अलहदा जाति समझी जाती है, वह एक ही ऋषि की औलाद है और इस वजह से एक ही खानदान कहा जाता है, न कि अलहदा जाति। दरअसल भार्गव गौड़ ब्राह्मणान की एक शाख है और एक ही खानदान में शादी-ब्याह करना जायज़ नहीं है, बल्कि हम लोगों को ब्राह्मणान के अभ्यन्तर दीगर शाखाओं से विवाह सम्बन्ध जारी रखना चाहिए।” अतएव वाद-विवाद के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्ताव संख्या (4) पारित हुआ :— “इस जलसा भार्गव सम्मेलन की राय में इस ख्याल से कि हम लोग भी गौड़ ब्राह्मणान में से ही हैं, जो बर्ताव बाहमी नहीं है, बाहमी कुव्वत बढ़ाने के लिए मुनासिब है कि हमारी बिरादरी के असहाब ब्राह्मणानों के गौड़ाम्यन्तर की दीगर शाखाओं से मिलें और विवाह सम्बन्ध जारी करें।” इस प्रकार सवर्ण विवाह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया और इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने व गौड़ाम्यन्तर की अन्य शाखों की सभाओं के साथ पत्र व्यवहार व अन्य तरीकों से इसी प्रकार के प्रस्ताव पास कराने के प्रयत्न करने के लिए प्रस्ताव संख्या (5) द्वारा निम्नलिखित कमेटी की नियुक्ति की गई :—

- (1) राय साहब पं. बिहारी लाल जी, रिवाड़ी।
- (2) राय साहब पं. मिट्ठन लाल जी, अजमेर।
- (3) पं. दुलारे लाल जी, लखनऊ।
- (4) पं. मथुरा प्रसाद जी, सासनी।
- (5) मेजर मनोहर लाल जी, देहली।

इसके पश्चात् सन् 1941 ई. के मेरठ सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या (3) में कहा गया कि — “यह सम्मेलन हिसार निवासी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र पं. ठाकुर दास जी का अवस्थी कन्या से विवाह भार्गव जाति के रीति-रिवाज और भार्गव सम्मेलन के प्रस्तावों के विरुद्ध होने के कारण बिलकुल अनुचित करार देता है और निश्चय करता है कि श्री जगदीश प्रसाद जी से बिरादराना व्यवहार और सम्बन्ध न रखा जावे।”

इस निर्णय पर टिप्पणी करते हुए मेरठ सम्मेलन के ही अध्यक्ष पं. प्यारे लाल जी ने भार्गव पत्रिका माह जनवरी 1942 पृष्ठ 18-19 पर प्रकाशित अपने लेख में लिखा कि “सन् 1928 के कानपुर सम्मेलन ने गौड़ ब्राह्मणों से विवाह सम्बन्ध जारी करने की आज्ञा दे दी थी, पर गौड़ ब्राह्मणों से कोई बाकायदा विवाह अब तक नहीं हुआ। कानपुर सम्मेलन में यह कहा गया था कि गौड़ ब्राह्मणों की सभा से पूछ तो लिया जाए कि उसके सदस्य हमसे विवाह सम्बन्ध करने को तैयार हैं भी या नहीं। उस समय स्व. कर्नल

मनोहर लाल जी के यकीन दिलाने पर कोई पूछताछ नहीं की गई। ..... श्री जगदीश प्रसाद के विवाह को अनुचित करार देकर तो मेरठ सम्मेलन ने सवर्ण विवाह को अनुचित करार दे दिया।”

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सवर्ण विवाहों के प्रति अभी तक कोई स्पष्ट जनमत उभरकर सामने नहीं आया था और मेरठ सम्मेलन में ही प्रस्ताव संख्या (3) द्वारा निर्णय लिया गया कि “पूर्व इसके कि सवर्ण विवाह पर विचार किया जाए, यह सम्मेलन निम्नलिखित सज्जनों की एक कमेटी बनाता है जो उन समस्त ब्राह्मण जातियों की तहकीकात करे, जिनके गुण-कर्म हमसे मिलते-जुलते हों और जिनके सम्मेलन हमसे विवाह सम्बन्ध करने को तैयार हों। यह कमेटी 15 सितम्बर सन् 1942 ई. तक अपनी रिपोर्ट मैनेजिंग कमेटी के पास भेज दे :—पं. सालग राम जी प्रयाग, पं. मुकुट बिहारी लाल जी लखनऊ, पं. रोशनलाल जी देहली, पं. प्यारेलाल जी लखनऊ, पं. शिव दत्त जी आगरा, पं. राज राजेश्वर सहाय जी मथुरा, पं. रामजीदास जी प्रयाग (कनवीनर)।”

### अन्तर्जातीय विवाह :

इसी दौरान विजातीय तथा दस्सों में शादी करने के अनेक उदाहरण सामने आए जिनके कारण अन्तर्जातीय विवाहों की समस्या प्रस्तुत हुई एवं उग्र वाद-विवाद का विषय बन गई। समाज सुधार उपसमिति की वर्ष सन् 1919 ई. की रिपोर्ट के अनुसार देहली के पं. बैनीप्रसाद जी ने अजमेर के एक दस्सा भार्गव साहब (दस्से वे लोग कहलाते थे जिनके माता-पिता पृथक-पृथक वर्ण अथवा जाति के होते थे) की लड़की से शादी कर ली थी। ऐसा ही एक मामला अन्य जाति में शादी करने का अजमेर में हुआ जहाँ एक अरोड़ा खत्रानी बेवा का विवाह बा. रघुवर दयाल जी पुत्र बा. श्यामलाल जी से हुआ। इन दोनों विवाहों के विषय में समाज सुधार उपसमिति की राय थी कि चूँकि ऐसी शादियाँ न तो जाति के रीति-रिवाजों के अनुसार थीं, और न शास्त्रों के अनुसार, जिनकी कौम पाबन्द थी, अतः समिति की राय थी कि उन व्यक्तियों से, जिन्होंने ऐसी नियम विरुद्ध शादियाँ की थीं, बिरादराना सम्बन्ध समाप्त कर दिए जाएँ व जो लोग ऐसी शादियों में शामिल हों उनसे भी बिरादराना सम्बन्ध बन्द कर दिए जाएँ। सन् 1920 ई. की कांफ्रेंस में पं. गिरधर दास जी, वकील कानपुर, ने अन्तर्जातीय विवाह के विरुद्ध बोलते हुए कहा कि अजमेर की लोकल कमेटी ने बा. रघुवर दयाल पुत्र बा. श्यामलाल व बा. राधा रमण पु. बा. राम जीवन लाल ने, जिन्होंने अन्य जाति की बेवाओं से शादी कर ली थी, के विषय में प्रस्ताव किया था कि इन लोगों के साथ बिरादराना सम्बन्ध न रखे जाएँ और मु. प्रभु दयाल जी लाहौर ने कहा कि बा. चिरंजीलाल पुत्र बा. नरसिंह दास, पुराने निवासी रिवाड़ी व वर्तमान में लाहौर ने एक अन्य जाति की औरत के साथ शादी कर ली थी; अतएव इस जलसे कांफ्रेंस से ही उसका ऐलान कर दिया जाए जिससे कि अन्य स्थानों के लोग भी उनसे बिरादराना सम्बन्ध न रखें और भविष्य में भी जो लोग ऐसा फैसला करें उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाए।

इसके पश्चात् समाज सुधार उपसमिति की सन् 1925 ई. की रिपोर्ट में बतलाया गया था कि लोकल कमेटी कोटा ने एक दरखास्त पं. रघुवर दयाल जी पुत्र पं. मंगत राम जी की इस कमेटी के पास भेजी थी, जिसमें यह जिक्र था कि पं. रघुवर दयाल को साहबान कौम कोटा ने अर्सा 6 साल से बिरादरी से

पृथक इस वजह से कर दिया था कि उनके ससुर पं. रामसरण दास जी पाटोदी निवासी ने अपने घर में एक अन्य जाति की औरत डाल रखी थी और उस औरत के पेट से जो लड़की पैदा हुई थी, उससे पं. रघुवर दयाल जी ने शादी कर ली थी। इसके सम्बन्ध में समाज सुधार उपसमिति ने भार्गव पत्रिका माह जून सन् 1925 ई. में कुछ प्रश्न प्रकाशित कराए थे व लोकल कमेटियों तथा अन्य व्यक्तियों से भी इस विषय में राय माँगी गई थी। उत्तर भी आए और अधिकतर राय यह थी कि जिन जातीय बन्धुओं ने दस्सा भार्गव या भार्गवी से या अन्य जाति की लड़कियों से, जिनसे आपस में विवाह-शादी नियमित नहीं थी, शादी कर ली थी, वे जाति के सदस्य न समझे जाएँ और उनको जाति से पृथक समझा जाए। अतएव समाज सुधार उपसमिति ने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव किया, “मुताल्लिक दरखास्त पं. रघुवर दयाल कोटा निवासी समाज सुधार उपसमिति की यह राय है कि जो तजवीज़ लोकल कमेटी कोटा ने की है, वह मुनासिब है।” .... इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि जिन असाहबाने कौम ने दस्सा भार्गवों या भार्गवी से या दीगर कौम की लड़कियों से, अलावा बाह्यनान की लड़कियों से, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है, शादी करनी है या आइन्दा शादी कर लें, तो बिरादरी से खारिज समझे जावें।” उपसमिति की यह रिपोर्ट भार्गव सभा द्वारा सन् 1926 ई. में प्रस्ताव संख्या 12 द्वारा स्वीकार की गई।

इसी प्रकार यद्यपि अनमेल विवाह को प्रारम्भ से ही अनुचित करार दे दिया गया था, किन्तु तो भी कतिपय उदाहरण ऐसे कार्यों के सामने आते रहते थे। सन् 1927 ई. में यह मालूम होने पर कि देहली के एक सज्जन पं. किशोरी लाल जी ने, जिनकी आयु 40-45 वर्ष की थी, एक 14-15 वर्ष की लड़की से शादी कर ली थी, निर्णय लिया गया कि वह जलसा पंडित किशोरी लाल जी और लड़की के पिता की इस कार्यवाही को घृणा की दृष्टि से देखता था।

सन् 1934 ई. के मुलताई सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि “जिन सज्जनों ने दस्सों में शादी कर ली है या भविष्य में करें, उनके इस कार्य को यह सम्मेलन घृणा की दृष्टि से देखता है और निश्चय करता है कि ऐसे सज्जनों को, जो मालूम हों, बिरादरी से निकाल दिया जाए और जो भविष्य में भी करें उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाए।”

सन् 1935 ई. में रिवाड़ी में हुए सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया गया कि “जो सज्जन बिना विवाह किए बिरादरी या अन्य जाति की औरतों को घर में डाल चुके हैं या डालेंगे, या जिन लोगों ने बाहर भी इसी प्रकार के सम्बन्ध कर रखे हैं, उन्हें यह सम्मेलन खराब निगाह से देखता है।” इसके पश्चात् कुमारी शकुन्तला देवी एम.ए. बी.टी. ने महिलाओं की ओर से व्याख्यान में कहा कि उन लोगों ने इस प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति किन्हीं कारणों से दे दी थी, लेकिन उसका यह तात्पर्य नहीं था कि वे इससे अधिक नहीं चाहती थीं। यदि पुरुष अपनी आदतों को नहीं सम्भालेंगे तो उन्हें भविष्य में इससे भी कड़ा दण्ड देने में संकोच नहीं होगा।

समाज सुधार उपसमिति ने अपनी वर्ष 1939-40 की रिपोर्ट में कहा कि सम्मेलनों के प्रस्तावों के विरुद्ध कई विवाह इस वर्ष हुए थे और इस उपसमिति के नोटिस में लाए गए थे। इस उपसमिति ने इन विवाहों को शास्त्रों तथा भार्गव जाति के रीति-रिवाजों और सम्मेलनों के प्रस्तावों के विरुद्ध होने के कारण

अनुचित करार दिया और सभा की प्रबन्धक समिति से सिफारिश की कि आगामी सम्मेलन में उचित कार्यवाही के लिए यह विषय प्रस्तुत किया जाए।

सन् 1940 ई. में प्रयाग में हुए सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :—“इस सम्मेलन का ध्यान समिति द्वारा कुछ ऐसे विवाहों की ओर आकर्षित कराया गया है कि जिनमें भार्गव जाति के सज्जनों ने अन्य वर्णों व धर्मावलम्बी महिलाओं से विवाह कर लिए हैं, विशेषकर श्री दुलारेलाल, डॉ. श्रीनाथ व श्री राजपाल के विवाहों की सूचना मिली है। इस सम्मेलन की राय में अन्तर्जातीय विवाह उचित नहीं है। इसलिए ऐसे विवाहों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे सज्जनों से बिरादराना सम्बन्ध न रखे जाएँ।” एक अन्य प्रस्ताव द्वारा निश्चय हुआ कि “चूँकि अजमेर निवासी पं. गौरी शंकर ने लड़के-लड़की, पोते, दुहितों के होते हुए लगभग 50 वर्ष की आयु में अन्य जाति की लड़की, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष की है, से विवाह किया है, ऐसे विवाह भार्गव जाति में और अन्य ब्राह्मणों में जायज नहीं हैं और अन्य जाति में भी ऐसे कार्य घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, इसलिए उनसे बिरादराना सम्बन्ध न रखे जाएँ।”

यहाँ यह भी लिख देना आवश्यक है कि रीति संग्रह के अनुसार अपनी जाति की लड़की की भी शादी उसकी आयु से दुगने या उससे अधिक आयु के लड़के से वर्जित की गई थी।

समाज सुधार उपसमिति की वर्ष 1943-44 की रिपोर्ट में कहा गया था कि “एक प्रार्थना पत्र पं. रघुवर दयाल जी ने अलवर में वार्षिक अधिवेशन के समय सभा के प्रधान को दिया था, जिसे सभा के प्रधान ने इस उपसमिति के मन्त्री को दे दिया था। इस समिति द्वारा पूर्ण खोज के पश्चात् सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि पं. रघुवर दयाल जी को बिरादरी से निकाले जाने का प्रस्ताव सम्मेलन में कभी नहीं हुआ। कोटा के सज्जनों ने सन् 1926 ई. के लगभग उनके साथ जातीय सम्बन्ध तोड़ दिया था। उस समय समाज सुधार उपसमिति ने इस कार्यवाही को उचित समझा, परन्तु इससे आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब कोटा की बिरादरी ने पं. रघुवर दयाल को जाति में शामिल करने के लिए दरखास्त सभा के प्रधान के नाम अलवर में दी थी। इस पर इस उपसमिति ने यह निश्चय किया कि जब पं. रघुवर दयाल जी को जाति से निकालने का प्रस्ताव सम्मेलन में नहीं हुआ, तो जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भी आवश्यक नहीं है।

अन्तर्जातीय अथवा विजातीय या अनमेल विवाहों के उपरोक्त कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट है कि जाति में उस समय इस सम्बन्ध में क्या स्थिति थी। किन्तु धीरे-धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा था और सन् 1940 ई. तक पहुँचते-पहुँचते कुछ लोग तो यह समझने लग गए थे कि अन्तर्जातीय विवाह जाति की उन्नति व उसकी वृद्धि के साधन हो सकते थे, जब कि कुछ लोगों का विचार था कि ऐसे विवाहों से जाति की अवनति व पतन होगा। सन् 1919 ई. में ही अजमेर में एक महाशय के अरोड़ा खत्री विधवा के साथ विवाह के सम्बन्ध में पं. दुलारे लाल जी सम्पादक ‘भार्गव’ ने मई 1919 के अंक में एक नोट छपा था जो इस प्रकार था—“ऐसा विवाह सदाचार और शास्त्र आज्ञा की नजर में बुरा नहीं; हाँ, जाति को इससे अवश्य हानि पहुँचती है।” लेकिन इन सबके बावजूद विजातीय अथवा अन्तर्जातीय



विवाहों की संख्या में वृद्धि होती रही और जाति में इनसे सम्बन्धी विचारों में भी परिवर्तन होते रहे। भार्गव सभा के सैक्रेट्री की सन् 1941 ई. से सन् 1949 ई. तक की आठ वर्षीय रिपोर्ट में कहा गया था कि “सन् 1941 से 1949 तक पाँच सज्जनों ने श्री महेश चन्द्र अजमेर, श्री सुरेश प्रसाद अजमेर, डॉ. कृष्ण प्रसाद कानपुर, श्री कामता प्रसाद देहली आदि और स्त्रियों में श्रीमती शकुन्तला देवी देहरादून व श्रीमती लज्जा अजमेर ने अन्य जातियों में विवाह कर लिया है। एक सज्जन श्री पृथ्वीनाथ कानपुर ने अपनी स्त्री के जीवन काल में अपनी छोटी साली से विवाह कर लिया। इन लोगों के साथ सम्मेलनों के प्रस्तावों के अनुसार व्यवहार हो रहा है।”

सन् 1949 ई. के दिल्ली सम्मेलन में अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में जब यह प्रश्न किया गया कि “क्या स्वाधीन भारत में जो विवाह सम्बन्धी नियम प्रचलित हैं उन्हें और देश तथा जाति की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जाति के प्राचीन रीति-रिवाजों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है” तब इस विषय पर पं. कृष्ण कान्त जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :—

“इस सम्मेलन की सम्मति में जातीय हितों को देखते हुए यथासंभव विवाह सम्बन्ध अपनी जाति में ही होने चाहिए, परन्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और वर्तमान विवाह सम्बन्धी राज्य कानूनों को देखते हुए यह सम्मेलन अन्तर्जातीय विवाह करने वाले सज्जनों से सम्बन्ध छोड़ने या घृणा प्रदर्शित करने का परामर्श नहीं देता।”

अपने प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए पं. कृष्ण कान्त जी ने कहा कि कुछ ही साल पहले हमारी बिरादरी में सब विवाह भार्गवों में ही होते थे। परन्तु लगभग 20 साल हुए जब कि गौड़ ब्राह्मणों में विवाहों की छूट दे दी गई, लेकिन ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ। प्रयाग और मेरठ के सम्मेलनों में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनका आशय यही था कि यदि कोई भार्गव गौड़ ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य जाति में विवाह करे तो उसका यह कार्य अनुचित समझा जावे, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जावे व ऐसा करने वालों से बिरादराना सम्बन्ध न रखा जाए परन्तु स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् सामाजिक कानूनों में कुछ परिवर्तन हो गए थे और कुछ हो रहे थे। हम लोगों की विचार धारा में भी परिवर्तन हो रहे थे, और विशेषकर नवयुवकों व कन्याओं पर जाति-पाँति तोड़क प्रगतिशील आन्दोलन का प्रभाव पड़ ही रहा था। अतः ऐसे समय में यह आवश्यक था कि भार्गव जाति इस सम्मेलन द्वारा अन्तर्जातीय विवाह पर अपनी सम्मति प्रगट कर दे ताकि विवाह योग्य लड़के व लड़की व उनके माता-पिता को अपना कर्तव्य निर्धारित करने में सहायता मिल सके। वैसे जाति ही में विवाह करने की प्राचीन प्रथा थी और उसका औचित्य भी निम्नलिखित कारणों से था :—

1. अपनी ही जाति में विवाहों की प्रथा सदियों से चली आ रही थी और अब इसे त्यागने से जाति का संगठन टूट जाएगा। इसके अतिरिक्त जब तक कि देश की सब जातियाँ अन्तर्जातीय विवाह की पद्धति को न अपनायें तब तक अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति देने पर भी सब लोग अन्य जातियों से विवाह नहीं कर सकते। संगठन तोड़ने से भार्गव सभा या सम्मेलन द्वारा जो कुछ प्रगति हो सकी थी, वह भी रुक जाएगी। इसलिए जाति का संगठन तोड़ा नहीं जा सकता था, ढीला किया जा सकता था।



\*\*\*\*\*

2. अपनी जाति में विवाहों से वर-वधू के खाने-पीने, आचार-विचार में समानता होने के कारण ऐसे विवाहों के सफल व सुखी होने की अधिक संभावना रहती थी।
3. अपनी जाति आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से अन्य जातियों से अच्छी दशा में थी, ऐसी दशा में साधारणतया अपनी जाति से बाहर विवाह करने से रहन-सहन आदि में हानि हो सकती थी।
4. भारतीय समाज में वर या वधू ढूँढ़ने में अधिकांशतः माता-पिता का हाथ था और इस कार्य में जाति का संगठन काफी सहायता करता था।
5. हमारी जाति में विवाह सम्बन्धी बहुत-से रीति-रिवाज अच्छे थे, जैसे दहेज न लेना व न देना, अतः अन्य संपन्न जातियों में विवाह करने से हमारी जाति के लड़के तो अन्य जातियों में ब्याहे जाएँगे व हमारी लड़कियाँ अच्छे लड़कों से वंचित रह जाएँगी।

परन्तु फिर भी अब समय आ गया था, जबकि सम्मेलन को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसा करने के निम्नलिखित कारण थे :—

1. देश के विधान और कानूनों के अनुसार अन्तर्जातीय विवाहों की पूर्ण अनुमति थी।
2. हमारी जाति के भी कुछ प्रतिष्ठित सज्जन अपनी ही छोटी-सी बिरादरी में विवाह को स्वास्थ्य व मानसिक विकास की दृष्टि से हानिकारक मानते थे। अतः यदि ऐसे सज्जन अपने दृढ़ विश्वास के कारण अपनी संतानों का विवाह अन्य जातियों में करना चाहें, तो उनके कार्य को घृणा की दृष्टि से देखने या उनसे बिरादराना ताल्लुकात तोड़ देना संकुचित विचारधारा का द्योतक होगा और अपनी जाति अप्रगतिशील समझी जाएगी।
3. हमारी जाति में कन्याओं की कमी के कारण बहुत से युवक बड़ी उम्र तक अथवा आजीवन अविवाहित रह जाते थे।

इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद के पश्चात् इसे बहुमत से निम्नलिखित रूप से स्वीकार किया गया :—

प्रस्ताव-4 “इस सम्मेलन की सम्मति में जाति के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विवाह अपनी जाति में ही होने चाहिए, परन्तु शास्त्रीय, राष्ट्रीय तथा विवाह सम्बन्धी राज्य कानूनों को देखते हुए यह सम्मेलन सवर्ण विवाह करने वालों से सम्बन्ध छोड़ने का परामर्श नहीं देता।”

इसके पश्चात् भी प्रत्येक अधिवेशन में किसी न किसी रूप में अन्तर्जातीय विवाह का प्रश्न उपस्थित होता रहा क्योंकि नये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण में ऐसे विवाहों का आकर्षण बढ़ रहा था तथा जातीय स्तर पर कोई निश्चित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य था। सन् 1966 ई. के 52वें सम्मेलन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ जी ने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार प्रगट किया, “मेरी राय में इस समस्या पर हमें कई पहलुओं से विचार करना चाहिए...कानूनी दृष्टि से तो इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि न तो कोई कानूनी बाधा ऐसे विवाह सम्बन्धों में आती है, और न ऐसा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही उदाहरणार्थ बहिष्कार आदि करना सम्भव है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि धार्मिक दृष्टि से भी कोई गम्भीर आक्षेप न तो उठाया गया है, न उठाना सम्भव ही है। जहाँ तक सामाजिक पहलू है वहाँ तक

यह बात विचारणीय है कि शिक्षा के प्रसार, युवक-युवतियों के सम्पर्क में आने के अवसर, परम्परागत बन्धनों का शिथिल होना तथा भारतीयता के व्यापक दृष्टिकोण के कारण जमाने की रफ्तार को नहीं रोका जा सकता। होता यह है कि इस प्रकार के विवाह करने वाले दम्पतियों को सगे, सम्बन्धी, मित्र आदि तो छोड़ते नहीं, न छोड़ सकते हैं और न छोड़ना चाहिए। जो आपत्तियाँ उठाई जाती हैं वे समय के प्रवाह में बह जाती हैं। हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हम यह सिद्धान्त क्यों न अपना लें कि जो वधू अन्य जाति से हमारे यहाँ आवे वह हमारी जाति का गोत्र अपना ले, और हमारे यहाँ से जो कन्या अन्य जाति में विवाह सम्बन्ध द्वारा जावे वह उस जाति में पूर्ण रूप से एकरस हो जावे। यह सर्वविदित है कि गंगाजी के पवित्र प्रवाह में मिलकर प्रत्येक अन्य जल धारा गंगा ही कहलाती है। यही बात भार्गव जाति में ब्याह कर आने वाली अन्य वर्गीय वधुओं के लिए लागू होनी चाहिए। हम लोग उन च्यवन ऋषि के वंशज कहलाते हैं, जिन्होंने दूसरे वर्ण की राजकुमारी सुकन्या से विवाह कर उदार सामाजिक परिपाटी स्थापित की थी। अपने प्रातः स्मरणीय पूर्वज का उदाहरण हमें बल दे सकता है।”

सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण सम्भवतः उस समय की प्रचलित विचारधारा का प्रतीक मात्र ही था एवं उससे अन्तर्जातीय विवाह के समर्थकों को शक्ति ही मिली होगी। दस्सों में विवाह का विरोध लगभग 50 वर्षों से चल रहा था, किन्तु धीरे-धीरे अन्तर्जातीय विवाहों के प्रति उदार व्यक्तियों एवं विचारों का प्रादुर्भाव होने के परिणामस्वरूप सन् 1970 ई. के प्रयाग में हुए सम्मेलन में बड़े भारी बहुमत से यह स्पष्ट निर्णय दे दिया गया कि तथाकथित जाति का पिछड़ा वर्ग, जिन्हें दस्सों की भी संज्ञा दी जाती थी, अब भार्गव जाति के अंग समझे जाएँगे, किन्तु केवल विवाहित पत्नी की संतान ही भार्गव मानी जायेगी। इस प्रस्ताव का समर्थन महिलाओं ने भी भारी बहुमत से किया। अतः एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आगरा और अन्य स्थानों के ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने आप को भार्गव कहते थे और जो भार्गवों के वंशज होने का प्रबन्ध समिति को संतोषजनक प्रमाण दे दें, तो उनको जाति में मिला लिया जाए। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही समस्या का सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान हो गया।

इस प्रकार वैवाहिक संबंधों के विषय में जद्दोजहद स्वतः ही समाप्तप्राय हो गई और किसी हद तक विवशतापूर्वक ही तथा उदार मनोवृत्तियों के उदय के कारण सवर्ण अथवा अन्तर्जातीय विवाह अप्रासंगिक-से प्रतीत होने लगे तथा वर्तमान में तो उनके प्रति किसी का ध्यान भी आकृष्ट नहीं होता है।

**अन्य लोगों को समाज में मिलाया जाना :**—ऐतिहासिक कारणों से अपने को दूसर भार्गव कहलाने वाले बहुत-से लोग देश के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। जब तक उन्हें एक-दूसरे के विषय में जानकारी नहीं थी तथा आवागमन आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, तब तक उन्होंने एक दूसरे वर्ग के साथ सम्पर्क साधने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया, परन्तु सन् 1857 ई. के पश्चात् जैसे ही प्रशासन में स्थिरता आई और आवागमन व संचार की व्यवस्था आदि का विकास हुआ, सभी लोगों को आपस में सम्पर्क के अवसर मिलने लगे। अतः भार्गव जाति की प्रतिनिधि संस्था के रूप में भार्गव सभा की स्थापना के साथ ही इन सभी लोगों को च्यवनवंशी दूसर भार्गवों में सम्मिलित होने की उत्कंठा उत्पन्न हुई एवं उसके लिए प्रयत्नशील हुए। इन लोगों में मुख्यतः सिरौज, बासौदा, भडूच व सूरत आदि में रहने वाले दूसर भार्गव थे।

सन् 1889 ई. में ही (बिलोनियावंशी) पं. हेतराम जी बी.ए., एल.एल.बी. व पंसारीवंशी पं. नानक राम जी ने, जो टोंक राज्य में नौकर थे, यह विषय पेश किया कि सिरौंज व बासौदा में कुछ भार्गव ऐसे थे जिनके रहने-सहने, पहिनाव-उढ़ाव व विवाह सम्बन्धी रस्मों से ऐसा मालूम होता था कि वे भार्गव जाति के अंग थे और ऐतिहासिक कारणों से अलग-अलग पड़ जाने के कारण उन्हें विवाह आदि में बड़ी कठिनाई होती थी। अतः उन्हें जाति में मिला लिया जाये तो बहुत लाभ हो सकता था।

सन् 1892 ई. के अधिवेशन में एक साहब ने जो अमलदारी सिरौंज से आए थे, उन लोगों को बिरादरी में शामिल करने की प्रार्थना की। मु. फकीर चंद जी ने कहा कि यदि सिरौंज के लोग जाँच कमीशन का खर्चा देने को तैयार हों तो तहकीकात के नतीजों के आधार पर पंच फैसला किया जा सकता था। मु. जगन्नाथ प्रसाद जी ने कहा कि चूँकि इस शख्स ने कोई क़यास भी अपने भार्गव होने का प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए यदि इस बात का जरा-सा भी प्रमाण हो तभी कमीशन की बात की जाए, वरना फिजूल था।

सन् 1895 ई. में रिवाड़ी में हुई कांफ्रेंस में सिरौंज के दूसरों को जाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में लाला अनन्त राम जी, सैक्रेट्री भार्गव एसोसिएशन इलाहाबाद की रिपोर्ट पर विचार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सिरौंज के दूसरों से पूछताछ करने पर उन्होंने बतलाया कि वे लोग सिरौंज में अकबर के समय से ही रह रहे थे, किन्तु आवागमन के समुचित साधन उपलब्ध न होने के कारण, बाहर के लोगों से उनका सम्पर्क नहीं रहा, वैसे सिरौंज के लोग दूसरों के नाम से ही जाने जाते थे। वहाँ एक मौहल्ले का नाम दूसर खाना भी मौजूद था। उन लोगों के रिश्तेदार इलाहाबाद में भी थे जिसकी पुष्टि जाँच द्वारा हो चुकी थी। उनको 23 प्रश्न देकर उनके उत्तर माँगे गए थे, वे भी संतोषजनक पाए गए थे। इन प्रश्नों व उत्तरों को माह जुलाई-अगस्त सन् 1895 ई. की भार्गव पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया था। उनके रीति-रिवाजों व गोत्रों के बारे में भी पूछताछ की गई थी जिससे भी यही पता चला था कि वे दूसर जाति के ही अंग थे। पूछताछ के वक्त यह भी कहा गया कि यदि वे लोग दूसर नहीं होते तो वे दूसर जाति ही में मिलने के लिए क्यों प्रतिवेदन करते। अन्ततः पूरी जाँच के बाद भार्गव एसोसिएशन इलाहाबाद की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो भी कागजात प्रस्तुत किए गए और जो कुछ लाला चुन्नीलाल जी व लाला कन्हैयालाल जी ने बतलाया उससे ऐसा मालूम पड़ता था कि वे लोग दूसर ही थे। उनके दावे के विरुद्ध कुछ भी सामने नहीं आया था। इसलिए इस विषय को आगे विचार करने के लिए भार्गव कांफ्रेंस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और यदि उपलब्ध प्रमाण और अन्य जो तथ्य सामने आएँ, यदि वे पर्याप्त समझे जाएँ, तो इन लोगों को जाति में सम्मिलित होने से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

कांफ्रेंस में वाद-विवाद व अन्य सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि सिरौंज व बासौदा जाकर स्थानीय जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करना आवश्यक था, जिसका व्यय सिरौंज के लोग ही वहन करेंगे। कमीशन के सदस्यों की संख्या 21 से अधिक व 11 से कम नहीं होगी, जिसमें चार सदस्य रिवाड़ी के होंगे।

सन् 1901 ई. के अलवर में हुए सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि पूर्व निश्चय के अनुसार कमीशन अपनी जाँच पूरी करे। कमीशन के सदस्य अपना खर्चा स्वयं करेंगे और वे अपनी रिपोर्ट अप्रैल सन्

1902 ई. तक प्रस्तुत कर देंगे। बा. ज्योति प्रसाद जी सहारनपुर को कमीशन का संयोजक नियुक्त किया गया।

यह कमीशन 6 अक्टूबर सन् 1902 ई. को सिरौंज पहुँचा और जाँच-पड़ताल शुरू की। कमीशन में जाति के योग्य व धर्म में प्रवीण व विचारवान सज्जन सम्मिलित थे, जैसे कि पं. सुख राम दास जी, नवाब गंज, पं. मथुरा प्रसाद जी (कानौड़िये) कोटा, पं. कांजी प्रसाद जी वकील, अलवर, पं. रामजीवन लाल जी मास्टर अलवर, पं. काली चरण जी वकील बासौदा, पं. राम चरण जी तथा पं. ज्योति प्रसाद जी, प्रधानमन्त्री कांफ्रेंस, सहारनपुर।

कमीशन के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया था कि, “क्या साहिबाने सिरौंज जो अपने आपको दूसर जाहिर करते थे, वास्तव में दूसर थे?” इसके विषय में कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि इसमें सन्देह नहीं था कि किसी समय में सिरौंज तथा बासौदा में दूसर आबाद हुए, लेकिन ये लोग संख्या में कम थे, यह भी सच था कि सिरौंज एक ऐसी जगह थी जहाँ पहुँचना कठिन था, इसका रास्ता कठिन था व रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी द्वारा सिरौंज पहुँचने में 13 घण्टे लगते थे। संभव था कि किसी अत्याचार से बचने के लिए अथवा व्यापार के लिए यह जनसमूह सिरौंज में बस गया था। ये लोग विभिन्न खानदानों व पृथक-पृथक गोत्र व कुलदेवी के थे। संख्या में कम होने की वजह से और रास्ता कठिन होने के कारण संभवतः इन लोगों ने सिरौंज के बाहर कदम नहीं रखा और भिन्न-भिन्न खानदान होने के कारण सिरौंज में ही अपने शादी-विवाह करते रहे। एक परिवार रिवाड़ी में चला आया जो रोड़ीवाला के नाम से मशहूर था, एक परिवार किसी समय इलाहाबाद आया, लेकिन फिर वापिस चला गया, संभव था कि और भी चले गए हों। इस समय चन्द घर बासौदा में मौजूद थे, कि जो सिरौंज से जाकर आबाद हुए और कुछ वर्षों बाद अब चन्द घर भोपाल चले गए। बहुत-से घर बन्द हो गए। इस समय सिरौंज में केवल 20 घर, 5 बासौदा में और 7 भोपाल में थे।

इन मौजूदा दूसरों के गोत्र बंदलश, गागलश, कुचलश व कश्यप थे और कुलदेवी भी मुखतलिफ थी जैसे कि एटन, नागन फूसन, रौसा, चानोड़ आदि। इन लोगों से सम्बन्धित कागजात व अन्य शहादत से कोई सन्देह नहीं था कि ये लोग दूसर थे, इसमें कमीशन को कोई शक नहीं था। कमीशन ने खुद देखा था कि सिरौंज में एक बाजार था जो दूसर खाने के नाम से मशहूर था। इसमें 15-16 दुकानें थीं, जिनके मालिक दूसर ही थे। इसके अलावा एक मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी का मौजूद था, कि जिसके खर्चे के लिए दूसरों के अलावा अन्य कोई जाति उत्तरदायी नहीं थी तथा दूसर ही इस मन्दिर में उत्सव वगैरा करते थे। मन्दिर में जाकर कमीशन ने खुद तहकीकात की थी और खुफिया तहकीकात से भी कमीशन को पूरा विश्वास हुआ कि यह मन्दिर दूसरों का ही था। इसके अलावा बाग, बावड़ी व शिवालय आदि दूसरों के द्वारा बनवाए हुए थे और उनके ही कहलाते थे। बासौदा में एक मुहल्ला दूसरान के नाम से मौजूद था। इससे मालूम होता था कि ये असहाब दूसर थे, वरना बहुत-से कुएँ वगैरा दूसरों के नाम से नहीं होते। इसके अलावा बहुत-से दस्तावेज पेश किए गए जो राज की मुहर देखकर वापिस कर दिए गए; इससे यह स्पष्ट था कि सिरौंज के साहिबान दूसर थे।

यह मालूम करने पर कि इन दूसरों से अन्य लोगों के क्या सम्बन्ध थे, मालूम हुआ कि ये लोग आपस में ही शादी-ब्याह करते थे व अन्य किसी जाति से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं था। एक श्री बुलाकीदास से यह मालूम हुआ कि एक हरगोविन्द दास दूसर ने, जिनके यहाँ किसी जमाने में नवलखी चिराग जलता था, उन्होंने अपनी बीवी के इन्तकाल के बाद अपनी साली को बतौर बीवी के रख लिया था। इस पर सिरौज के लोगों ने उनको बिरादरी से पृथक कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी बीवी से सिरौज के दूसरों ने कोई सम्बन्ध नहीं रखा। यह बात 30-32 साल पहले की थी और किसी अन्य दूसर परिवार की कोई ऐसी बात नहीं मालूम हुई, जिससे किसी दूसर को बिरादरी से पृथक किया गया हो।

**दूसरान सिरौज के आचरण :-** कमीशन ने विश्वास के साथ लिखा था कि इन लोगों के आचार, व्यवहार व स्वच्छताई प्रशंसनीय थे। जाँच से मालूम हुआ कि ये लोग रोजाना स्नान करके श्री लक्ष्मीनारायण जी के दर्शन करने के बाद ही भोजन करते थे। सखरे व निखरे का विचार रखते थे, चौंके ही में सखरी रसोई खाते थे। कच्ची रसोई गौड़ व सनाद्य ब्राह्मणों के हाथ की ही बनाई खाते थे। खानपान इनका ठीक था, जनेऊ विवाह के समय मेखला की रीति से होती थी। सामान्यतः ये जनेऊ पहने हुए रहते थे। विश्वसनीय गवाहों से मालूम हुआ कि इन लोगों को प्याज, शलजम, लहसुन आदि वस्तुओं से परहेज था और छूते तक नहीं थे। कमीशन ने खुद इन दूसरों के घरों को जाकर देखा, बड़ी-बड़ी इमारतें थीं, घर-घर में तुलसी जी के थाँवले, रसोई में संगमरमर के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान थे, रसोई तैयार हो जाने पर ठाकुर जी का भोग लगाया जाता था, तब भोजन करते थे।

कमीशन की राय में सिरौज वालों के यहाँ वैसे ही त्यौहार पाए जाते थे, जैसे कि यहाँ के दूसरों में। मुसम्मात वृद्धा रामबाई से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बड़े त्यौहार जैसे होली, दिवाली के अलावा बहल चौथ, ओग द्वादश, नाग पंचमी, भइया पंचमी, करवा चौथ, तीज, गनगौर, बड़ मावस आदि भी मनाते थे और उसी तरह से जैसे कि यहाँ के दूसर परिवारों में किया जाता था। इसी तरह शादी-विवाह के रस्मो-रिवाज भी यहाँ वैसे ही थे, जैसे कि हाथ, बिरद, तेलताई, बनवारे ब्राह्मण का, बहन-बुआ का, चाचा-ताऊ का व घुड़चढ़ी आदि।

अन्त में कमीशन ने मत प्रगट किया कि यदि सिरौज के लोगों को जाति में सम्मिलित नहीं किया जाता तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा।

सन् 1903 ई. की अलवर कांफ्रेंस में कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई। मु. मिट्ठन लाल जी ने कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी व पं. ज्योति प्रसाद जी ने, जो कागजात वगैरह लाए थे, पेश किए। ये कागजात 100-150 वर्ष पुराने थे और इन पर राज की मुहर भी थी, इनमें सिरौज के साहबान को दूसर लिखा हुआ था। सब लोगों ने इन कागजातों को देखा। कमीशन की रिपोर्ट करीब-करीब सबको ठीक लगी। मु. मक्खन लाल जी जयपुर ने कहा कि इस सम्बन्ध में एक जलसा जयपुर में हुआ था, जिसकी कार्यवाही बा. हरदयाल सिंह जी बयान करेंगे, जिससे मालूम होगा कि जयपुर के लोगों की क्या राय थी।

कमीशन की जाँच अधूरी समझी गई क्योंकि उससे तो यही मालूम होता था कि लगभग 150 वर्ष या पहले ये लोग कहीं से आकर सिरौज में बस गए थे और दूसर कहलाए। लेकिन संक्षिप्त रूप से की

गई जाँच से यह समझना कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं से आ जाएँ और उनके रिश्तेदारों आदि को ध्यान न आए। इसलिए इसमें आगे जाँच की आवश्यकता थी। मथुरा वालों की राय भी यही रही कि जाँच अधूरी थी। लाहौर सभा ने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार करने की राय दी। मु. मिट्ठन लाल जी ने कहा कि इस मुद्दे पर वकीलों की तरह बहस नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ सभा ने भी कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन किया। लोकल कमेटी रियासत कोटा ने अपनी 24 दिसम्बर सन् 1903 ई. की बैठक में निर्णय लिया कि दूसरान सिरोंज को फौरन बिरादरी में शामिल कर लिया जाए क्योंकि यदि ये लोग दूसर नहीं होते तो दूसर जाति में मिलने के प्रयत्न क्यों करते। सिरोंज में ये लोग सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। लखनऊ भार्गव सभा की राय थी कि यदि ये लोग कहीं अन्य जगह से आए होते तो कभी न कभी इन लोगों को वहाँ जाने की इच्छा अवश्य होती। अन्त में प्रस्ताव संख्या 71, सन् 1903 ई. द्वारा निर्णय लिया गया कि सिरोंज के सम्बन्ध में अभी मतभेद थे अतः यह विषय आइन्दा प्रस्तुत किया जावे।

सन् 1905 ई. की कांफ्रेंस के 15वें अधिवेशन में इस विषय पर फिर वाद-विवाद हुआ तथा यह राय प्रगट की गई कि इस प्रश्न का निर्णय ऐसे वक्त किया जाए जब कि जाति के अधिक से अधिक लोग राय दे सकें। यह विषय ऐसा था जो समस्त बिरादरी की राय से तय होना चाहिए। यह भी कहा गया कि कमीशन की कार्यवाही अधूरी थी, क्योंकि केवल सरकारी कागजातों व कुछ रस्मो-रिवाजों के आधार पर इन्हें नहीं मिलाया जा सकता था। कमीशन ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि ये लोग क्यों अलहदा हुए, सिर्फ यह वजह कि सिरोंज सब जगह से कटा हुआ था, काफी नहीं थी। रावलपिंडी भी दूर था और कटा हुआ भी था। अन्ततः यही तय पाया गया कि इस विषय को स्थगित रखा जावे और आइन्दा जलसा ऐसी जगह रखा जावे जो केन्द्रीय हो व जहाँ अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हो सकें। प्रस्ताव संख्या (7) द्वारा निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट कमीशन व दीगर हालात पर विचार करने से सिरोंज के लोग जाति में शामिल करने के योग्य तो थे परन्तु शामिल करने का फैसला आइन्दा जलसे के लिए स्थगित किया जावे।

सन् 1906 ई. की ढोसी में हुई कांफ्रेंस में इस विषय पर फिर विचार हुआ। ला. ठाकुर प्रसाद जी सिरोंज निवासी ने कहा कि “उनका मामला 18 साल से लटक रहा था। अगर वे आपके खून के न होते व उन्हें आपकी कौम में दिलचस्पी नहीं होती तो वे आपकी कौम में मिलने की दरखास्त क्यों देते। आज यह जलसा महर्षि के स्थान पर हो रहा था, इसलिए इस पर फैसला हो ही जाना चाहिए।” बा. कुन्दनलाल जी ने कहा कि विचार करने की पहली बात तो यह थी कि कमीशन नियमित था या नहीं क्योंकि कमीशन के सदस्यों की संख्या 11 थी और कोई कोरम निश्चित नहीं किया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि केवल निर्दिष्ट व्यक्ति ही कमीशन में शामिल होने चाहिए, लेकिन कमीशन में केवल तीन सदस्य ही चयनित थे, अतः यह जाँच रिपोर्ट नियमित कही जा सकती थी या नहीं। दूसरी बात यह थी कि सिरोंज के साहबान को मिलाने में कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सर्वप्रथम तो उनकी संख्या कम हो गई थी और दूसरे उनमें लड़कियों की संख्या भी कम हो गई थी जिससे वे लोग फायदा उठाना चाहते थे। ऐसी सूरत में हमारा कोई फायदा नहीं था अतः उन्हें जाति में नहीं मिलाना चाहिए। जयपुर के मु. हीरा लाल जी ने इनका समर्थन किया। बा. राम सिंह जी ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट कांफ्रेंस द्वारा मन्जूर हो चुकी थी

और अब उस पर आपत्ति नहीं हो सकती थी। बा. श्रीकृष्ण देव ने कहा कि कमीशन की कार्यवाही नियमित हो या नहीं किन्तु सिरौंज के लोगों को ही इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि वे वास्तव में दूसरे थे। अन्य जातियाँ भी ऐसी थीं कि जिनमें रसूमात हमारी जैसी होती थीं, मगर वे दूसरे नहीं हो सकते थे। बहुत-से लोग स्यालकोट वगैरा में दूसरे कहलाए जाते थे लेकिन वे भी हमारी जाति से सम्बन्ध नहीं रखते थे। यदि बिना सोचे-समझे साहबान सिरौंज को मिला लिया जाता है तो बहुत कुछ आपस में मतभेद बढ़ सकते थे। प्रेसिडेन्ट साहब ने कहा कि यह मामला धर्म का था और जब तक पूरा विश्वास न हो जाए, तब तक कोई निश्चित राय कायम नहीं की जा सकती थी। यह विषय केवल बहुमत से ही तय नहीं हो सकता था, सब की राय से होना चाहिए। मु. मिट्ठन लाल जी ने कहा कि जब तक समस्त जाति एकमत न हो जावे तब तक सिरौंज वालों को जाति में शामिल नहीं किया जा सकता था। अन्त में प्रस्ताव 47 द्वारा निर्णय लिया गया कि जब तक इस विषय में जाति के प्रत्येक व्यक्ति की सहमति न हो तब तक सिरौंज वालों को जाति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था।

इसके पश्चात् जब सन् 1915 ई. की जनगणना से मालूम हुआ कि नित्य प्रति जाति की संख्या कम होती जा रही थी (सन् 1901 ई. की जनगणना में कुल जनसंख्या 5883 थी और सन् 1915 में 5330 रह गई थी) तब इसी आधार पर सिरौंज का मामला पेश हो गया और बहस शुरू हो गई। बनारस, भरतपुर आदि लोकल कमेटियों से जो पत्र सिरौंज वालों को जाति में शामिल करने के विषय में प्राप्त हुए थे, पढ़कर सुनाए गए। जयपुर के कुछ सज्जनों ने उन्हें पृथक रखने के बाबत ही लिखा था। सभा में जितने भी सज्जन उपस्थित थे उन सबका अभिप्राय यही था कि सिरौंज के लोग सम्मिलित कर लिए जाएँ। साहबान सिरौंज की ओर से इस समय कोई आवेदन पत्र नहीं था, और न यह मालूम था कि कमीशन की तहकीकात के बाद उनके आचरण कैसे रहे, अतएव लाहौर सम्मेलन सन् 1916 ई. में जो कि पं. दामोदर लाल जी के सभापतित्व में हुआ, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव संख्या 37 स्वीकार हुआ :— “चूँकि गत सम्मेलनों की कार्यवाही से प्रगट हो चुका है कि सिरौंज के सज्जन मिलाये जाने के योग्य हैं, और केवल इस कारण से कि जाति का हर व्यक्ति इस निर्णय से सहमत नहीं था, उनको उत्तर ‘नहीं’ में दिया गया था, परन्तु अब भिन्न-भिन्न स्थानों से जो पत्र आए हैं, तथा उपस्थित सज्जनों के मत से प्रकट होता है कि जाति के अधिकांश व्यक्तियों का यह मत है कि इनको (सिरौंज वालों को) मिला लिया जाए। चूँकि सिरौंज वालों की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र इस सम्मेलन के सामने नहीं है और न वे यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए यह निश्चय हुआ कि यदि उन लोगों की ओर से लिखित प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में आवे, और यदि 10 वर्ष में उनके आचार-विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो तो उन्हें मिला लिया जावे।”

इसी सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या 38 द्वारा निर्णय लिया गया कि “लिखित प्रार्थना पत्र के आने पर तीन मास के अन्दर समाज सुधार उपसमिति, पं. ज्योति प्रसाद जी सहारनपुर, पं. बिहारी लाल जी, रिवाड़ी; पं. हरी चन्द्र जी, देहली द्वारा, उनके आचार-विचार सम्बन्धी पूछताछ करा लें और रिपोर्ट विश्वासजनक होने पर उनके मिलाये जाने की घोषणा कर दी जावे।”



अतः तीनों सज्जनों ने जाँच-पड़ताल कर 17 अप्रैल सन् 1917 ई. को सिरौंज वालों को बिरादरी में मिलाए जाने की घोषणा दिल्ली में कर दी जो इस प्रकार थी—

“जहाँ तक समाज सुधार उपसमिति के सदस्यों ने, जिनके ऊपर मिलाए जाने की घोषणा करने का भार रखा गया था, पूछताछ की और उनके आचार-विचार के सम्बन्ध में यकायक यह शेर याद आया:

न थी हाल की जब हमें अपने खबर,  
रहे देखते औरों के ऐबो हुनर।  
पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर,  
तो निगाहों में कोई बुरा न रहा॥

हमें तो उनके आचार-विचार वैसे ही मालूम होते हैं जैसे कि गत कमीशन की रिपोर्ट में थे जिसमें सेठ सुखराम इत्यादि थे। हमने जो पूछताछ की तो हमको तो उसके बाद से कोई फर्क मालूम नहीं हुआ। वहाँ के लोगों के आचार-विचार में फर्क न आने का कारण यह साफ मालूम होता है कि वहाँ अंगरेजी ढंग प्रचलित नहीं हुआ है, वे लोग व्यापार व लेन-देन द्वारा अपना काम चलाते हैं। उनके आचार-विचार अच्छी दृष्टि से देखने योग्य हैं। यदि बिना पक्षपात के देखा जाए तो यह कहना अत्युक्ति न होगा कि उनके आचार-विचार अनुकरणीय हैं। अतः हमको इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि हम उक्त प्रस्ताव (प्रस्ताव नं. 38 सन् 1916 ई.) के अनुसार सिरौंज वाले सज्जनों को, जिनमें से कुछ भोपाल व बासौदा में रहते हैं और जिनकी गणना की सूची भी इसी विवरण के साथ है, भार्गव जाति में मिलाया जाता है और आज से वे हमारे सहजाति हो गये।”

हस्ताक्षर  
ज्योति प्रसाद

हस्ताक्षर  
बिहारी लाल

हस्ताक्षर  
हरी चन्द

इस प्रकार 20-25 वर्षों से चले आ रहे मामले का निपटारा हुआ और जिस तरह से यह निर्णय लिया गया, उससे स्पष्ट है कि सम्मेलनों में इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय कितने सोच-विचार के पश्चात् लिया गया तथा यह प्रयत्न किया गया था कि ऐसे विषयों में यथासम्भव समस्त अथवा अधिकांश लोगों की सहमति हो।

### स्यालकोट (पंजाब) व गुजरात के सज्जनों के मिलाये जाने का प्रश्न

स्यालकोट (पंजाब) व गुजरात के भार्गव सज्जनों को मिलाये जाने के सम्बन्ध में पं. लखपत राय जी सेखा निवासी का पत्र मेरठ में सन् 1899 ई. के अधिवेशन में पेश हुआ था और वाद-विवाद के पश्चात् निश्चय हुआ कि सम्मेलन के मन्त्री जी इसकी जाँच-पड़ताल के पश्चात् आगामी अधिवेशन में पेश करें परन्तु काफी समय तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सन् 1927 ई. में स्यालकोट के सज्जनों ने अपनी जनगणना, रस्मो-रिवाज व अन्य बातों का विवरण समाज सुधार उपसमिति के पास भेजा, जिस पर उन्होंने निर्णय लिया कि समस्त कागजात जाँच-पड़ताल के लिए पं. केशव देव जी, चीफ एकाउंटेंट के पास भेज दिए जाएँ। परन्तु समय न मिलने के कारण वे

इस काम को पूरा न कर सके और उन्होंने सुझाव दिया कि इस काम के लिए एक सब कमेटी बना दी जाए जिसमें वे स्वयं भी काम करने को तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में ही ये सज्जन हमारी जाति के अंश थे तो उन्हें सम्मिलित करना उनका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।

कानपुर सम्मेलन सन् 1928 ई. में स्यालकोट व गुजरात के सज्जनों के मिलाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव नं. 6 इस प्रकार स्वीकार हुआ —

“इस सम्मेलन की राय में यह उचित मालूम होता है कि स्यालकोट व गुजरात के भार्गव सज्जनों के असली हाल मालूम करने के लिए कि वह दस्से तो नहीं हैं और उनके रस्मो-रिवाज क्या हैं, निम्नलिखित सज्जनों की एक कमेटी बनाई जाती है जो अपनी रिपोर्ट आगामी सम्मेलन में पेश करे— (1) राय साहब पं. केशव देव जी, (2) पं. जवाहर लाल जी, (3) पं. गौरी शंकर जी लाहौर, (4) पं. हरी कृष्ण जी देहली, (5) मास्टर सूरज भान जी देहली, (6) पं. जयन्ती प्रसाद जी देहली और (7) पं. रामजी दास जी भटिंडा।”

मथुरा सम्मेलन सन् 1929 ई. के द्वारा जो राय बहादुर पं. श्रीराम जी सैशन जज कोटा के सभापतित्व में हुआ, इस प्रकार प्रस्ताव स्वीकार हुआ—

“भार्गव सम्मेलन का यह अधिवेशन पं. जवाहर लाल जी लाहौर व उनकी कमेटी के मैम्बरों का उनके परिश्रम के लिए, जो उन्होंने स्यालकोट व गुजरात वाले भार्गव सज्जनों के हालात की जाँच-पड़ताल में की है, धन्यवाद देता है। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि कमेटी ने हर बात का विचार रखते हुए पूर्ण जाँच-पड़ताल की है इसलिए यह बैठक उक्त कमेटी को बधाई देती है।”

“कमेटी की रिपोर्ट से सम्मेलन को इस बात में कोई सन्देह नहीं रहा कि ये लोग हमारी ही जाति के अंश हैं। अतः यह सम्मेलन यह निश्चय करता है कि उक्त भार्गव सज्जनों को भार्गव जाति में मिलाया जावे और उनके साथ भाईचारे का सम्बन्ध आरम्भ किया जावे।” प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद जो साहबान स्यालकोट से तशरीफ लाए थे उनका सब लोगों से परिचय कराया गया और उसके बाद उन्हें खाने में शामिल किया गया।

\* \* \*

## 8. शिक्षा का प्रसार

जाति में शिक्षा का प्रसार सभा का एक प्रमुख उद्देश्य था और प्रारम्भ से ही इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। आज से सौ वर्ष पूर्व जाति के बच्चों को न तो शिक्षा की सुविधाएँ और न ही साधन उपलब्ध थे। भार्गव जाति के अधिकांश परिवार उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व छोटे-छोटे कस्बों में रहते थे जहाँ पाठशालाओं का अथवा उच्च शिक्षण संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। इसके अतिरिक्त उन लोगों के पास इतने आर्थिक साधन भी नहीं थे कि वे अपने बच्चों को अन्य स्थानों पर भेज सकते। ऐसी परिस्थिति में जाति में शिक्षा प्रसार के दो ही रास्ते थे, एक तो ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना कि जिनके द्वारा बच्चे घर से दूर रह कर शिक्षा प्राप्त कर सकें और दूसरा यह कि अभावग्रस्त बच्चों को छात्रवृत्ति आदि की सहायता देना जिससे कि वे स्वयं साधनहीन होने पर भी शिक्षा का लाभ उठा सकें। अतः इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना ही जाति के संगठनात्मक प्रयत्नों का उद्देश्य रहा।

भार्गव सभा आगरा व भार्गव सभा रिवाड़ी दोनों की स्थापना एवं प्रारम्भिक गतिविधियाँ मुख्यतः बोर्डिंग हाउसेज की स्थापना से ही जुड़ी हुई थीं तथा दोनों ही सभाओं ने शुरू से इन्हीं की स्थापना एवं निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के प्रयास किए। वास्तव में भार्गव सभा आगरा ने तो 10 अक्टूबर सन् 1889 ई. को औपचारिक स्थापना से पूर्व ही 21 दिसम्बर सन् 1887 ई. को फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा की नींव रखवा दी थी एवं उसके पश्चात् धन इकट्ठा कर 26 दिसम्बर सन् 1889 ई. को उसका उद्घाटन करा दिया था।

इसी प्रकार भार्गव सभा रिवाड़ी के द्वारा भी सन् 1891 ई. में डायमंड भार्गव बोर्डिंग हाउस रिवाड़ी की स्थापना कर दी गई थी। इन छात्रावासों को स्थापित करने का शिक्षा के लिए सुविधाएँ व साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त एक अन्य उद्देश्य भार्गव छात्रों के संस्कारों एवं आचार-विचारों को सुरक्षित रखना था। सभी बोर्डिंग हाउसेज में छात्रों के लिए संध्या व गायत्री पाठ आदि अनिवार्य था जिसके लिए एक पण्डित रखने का प्रावधान था यद्यपि धनाभाव के कारण इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सका था। सभी छात्रों के लिए यह आवश्यक था कि वे बोर्डिंग हाउस में ही भोजन करें जहाँ पर जाति में निषिद्ध वस्तुओं जैसे प्याज, लहसुन व अंडे आदि पर प्रतिबन्ध रखा गया था। यह उद्देश्य अन्य बोर्डिंग हाउसेज में सभी जातियों के छात्रों के साथ रहकर पूरा नहीं हो सकता था।

इसके अतिरिक्त अपने स्वयं के बोर्डिंग हाउसेज होने पर भार्गव जाति के छात्रों की अधिक से अधिक सहायता भी की जा सकती थी व उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती थीं जो अन्य छात्रावासों में सम्भव नहीं हो सकता था। अतएव समय-समय पर सभा की ओर से निम्नलिखित पाँच बोर्डिंग हाउसेज स्थापित या संचालित किए गए:—

\*\*\*\*\*

- (1) फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा।
- (2) डायमंड भार्गव बोर्डिंग हाउस, रिवाड़ी।
- (3) भार्गव बोर्डिंग हाउस, अलवर।
- (4) भार्गव बोर्डिंग हाउस, लाहौर।
- (5) भार्गव बोर्डिंग हाउस, देहली।

इन बोर्डिंग हाउसेज का प्रबन्ध स्थानीय लोकल कमेटियों के माध्यम से होता था और इनकी वार्षिक रिपोर्ट सभा को प्रस्तुत की जाती थी। प्रारम्भ में कुछ वर्षों तक सभा की ओर से इनके निरीक्षण के लिए आई. जी. बोर्डिंग हाउसेज भी नियुक्त किए जाते रहे थे, जिनमें मुख्य-मुख्य महानुभाव निम्नलिखित थे—

- (1) बा. रामसिंह जी (1903)
- (2) पं. बिहारी लाल जी (1914)
- (3) बा. छोटेलाल जी, बी.ए. हैडमास्टर, मेरठ (1916)
- (4) प्रो. सालग राम जी व डॉ. गोपी चन्द जी (1917)
- (5) प्रो. गोपाल स्वरूप जी एम.एस-सी. (1920)

### फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा

सर्वप्रथम आगरा में फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस स्थापित किया गया, क्योंकि आगरा कॉलेज में, जो कि उस समय उत्तरी भारत के उस क्षेत्र का, जिसमें भार्गव जाति के अधिकांश परिवार रहते थे जैसे कि मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, रिवाड़ी, अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर आदि एकमात्र ख्याति प्राप्त उच्च शिक्षा का केन्द्र था। पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण एक तरह से भार्गव छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इसलिए जाति बन्धुओं का यह विचार बना कि यदि आगरा में भार्गव बोर्डिंग हाउस स्थापित कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो सकती थी। इसके पीछे यह तो धारणा थी ही कि अपना स्वयं का बोर्डिंग हाउस होने पर न केवल जाति के छात्रों के आचार-विचारों की रक्षा हो सकती थी, अपितु साधनहीन बच्चों की सहायता भी की जा सकती थी। अतः 21 दिसम्बर सन् 1887 ई. को उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर व अवध के चीफ कमिश्नर सर ऑकलैंड द्वारा बोर्डिंग हाउस की नींव रखी गई व उसका नाम, आगरा के कलेक्टर श्रीमान फिनले साहब की शिक्षा के क्षेत्र में सेवा के उपलक्ष्य में, फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस रखा गया। 26 दिसम्बर सन् 1889 ई. को आगरा के कलेक्टर फिनले साहब ने इसका उद्घाटन किया। शीघ्र ही बोर्डिंग हाउस में 25-30 जातीय छात्र दाखिल हो गए जिनमें मुख्य-मुख्य थे—मु. मिट्ठन लाल जी सुपुत्र पं. चतुर्भुज जी अजमेर, श्री राम प्रसाद जी नीमच, श्री राधारमण जी सुपुत्र पं. लच्छी राम जी मथुरा, श्री हरीहर लाल जी अलीगढ़, बा. मनोहर लाल जी अलवर, वृन्दा नन्द चन्द जी डिबाई, बा. रघुवीर शरण जी छत्तई आदि। प्रारम्भ में वार्डन का बैंगला नहीं बना था और न ही रसोई व गुसलखाना बना था। जहाँ पर बाद में वार्डन का बैंगला बना था वहाँ पर एक झोपड़ी थी जिसमें तीन चौके थे और उसके नजदीक ही नल था जो गुसलखाने का काम देता था। मु.

गिरधर लाल जी हर रोज कचहरी से लौटते समय बोर्डिंग हाउस तशरीफ लाते थे व हरेक बोर्डर से उसकी कुशलक्षेम पूछा करते थे।

उस समय आगरा कॉलेज में स्कूली कक्षाएँ भी थीं इसलिए बोर्डिंग हाउस में भी मिले-जुले छात्र ही रहते थे। सन् 1890 ई. में स्थानाभाव के कारण आगरा कॉलेज में स्कूली कक्षाएँ समाप्त करने का प्रस्ताव था; यदि ऐसा हो जाता तो बोर्डिंग हाउस में रहने वाले स्कूली कक्षाओं के छात्रों को बड़ी हानि होती। अतः मु. नवल किशोर जी सी. आई. ई. ने 5000/- एलबर्ट हाई स्कूल को बिल्डिंग बनाने को दिए जिससे यह योजना टल गई। इस समय तक मैनेजिंग कमेटी किसी उपयुक्त वार्डन का प्रबन्ध नहीं कर पाई थी। यद्यपि प्रो. नीलमणि धर के नाम की अनुशंसा की गई थी किन्तु रहने की सुविधा न होने के कारण कोई भी वार्डन बनना नहीं चाहता था। क्योंकि कोई भार्गव उपलब्ध नहीं था इसलिए सन् 1891 ई. में पं. तुलसी राम जी को 50/- मासिक पर वैतनिक सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किया गया। चिकित्सा व खेलकूद की सुविधाओं के लिए चन्दा किया गया जिससे 300/- जमा हुए। इसी वर्ष कलकत्ता हाई कोर्ट के जज श्री गुरु दास बनर्जी बोर्डिंग हाउस में तशरीफ लाए व बिल्डिंग आदि देखकर बड़े प्रभावित हुए एवं जाति के प्रयत्नों की प्रशंसा की। बी.ए. व एम.ए. में पढ़ने वाले छात्रों को मु. नवल किशोर जी 12/- मासिक की छात्रवृत्ति देते थे जो कि दो वर्ष तक मु. मिट्ठन लाल जी ने भी प्राप्त की। सन् 1892 ई. में मु. छीतरमल जी को बोर्डिंग का अवैतनिक सुपरिन्टेन्डेन्ट इस आशा से नियुक्त किया गया कि आइन्दा हालात में सुधार हो सकेगा। सन् 1895 ई. में मु. मातादीन जी भार्गव को वार्डन नियुक्त किया गया।

सन् 1897 ई. तक बोर्डिंग हाउस में छात्रों की संख्या 24 से 36 तक रही। किन्तु सन् 1898 ई. में अन्य स्थानों पर जैसे कि मेरठ, जयपुर, अजमेर, अलीगढ़ आदि में कॉलेज खुल जाने की वजह से छात्रों की संख्या केवल 18 रह गई जिसमें 11 कॉलेज कक्षाओं के व 7 स्कूली विद्यार्थी थे। इसके अलावा सन् 1897 ई. में आगरा कॉलेज ने कुछ फीस में भी वृद्धि कर दी थी जिसकी वजह से भी सम्भव है कि छात्रों की संख्या पर असर पड़ा हो। लेकिन आगामी वर्षों में यह संख्या घटती-बढ़ती रही। सन् 1901 ई. में यह निर्णय लिया गया कि बोर्डिंग हाउस में अन्य जाति के छात्रों को दाखिल करना मुनासिब नहीं था। इसी समय से धीरे-धीरे यह महसूस किया जाने लगा था कि बोर्डिंग हाउस के कुशल प्रबन्ध एवं आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए अंग्रेजी जानने वाला वार्डन नियुक्त किया जाना चाहिए एवं इसी उद्देश्य से यह परम्परा प्रारम्भ हुई कि बोर्डिंग हाउस के वार्डन की नियुक्ति आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल से परामर्श के बाद ही की जाया करे क्योंकि बोर्डिंग हाउस के अधिकांश विद्यार्थी आगरा कॉलेज में ही पढ़ते थे। इसी प्रकार बाद के सभी वार्डन जैसे डॉ. वाई. प्रसाद, प्रो. एस. सुन्दरम, डॉ. शान्ति प्रसाद भार्गव, डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव, प्रो. चौपड़ा आदि नियुक्त किए गए थे।

यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार कॉलेजी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ स्कूली कक्षा के छात्रों को नहीं रखा जा सकता था, इसलिए सन् 1916 ई. के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जुलाई सन् 1917 से बोर्डिंग हाउस में स्कूली कक्षाओं के छात्रों को न रखा जाए, यद्यपि आगामी सत्र में प्रिंसिपल की विशेष अनुमति से कुछ स्कूली छात्र रहते रहे जिनकी आइन्दा शिक्षा के लिए सेंट जोन्स स्कूल में निवेदन किया गया।

सन् 1919 ई. में बोर्डिंग हाउस में केवल 16 छात्र थे, जिनमें भी आठ अन्य जातियों के थे जिन्हें बिना शिक्षा उपसमिति की अनुमति के ही रखा गया था व उनसे 5/- माहवार किराया लिया जाता था। सन् 1920 ई. में फिर यह निर्णय लिया गया कि भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा में अन्य जाति के छात्रों को न रखा जाए। लेकिन इस पाबन्दी का पूरी तरह से पालन नहीं हो सका क्योंकि भार्गव छात्रों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही थी और खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा था। सन् 1916 ई. में कुल 16 छात्रों में से 10 अन्य जातियों के थे व सन् 1930-31 में कुल 22 छात्र थे, जिनमें से 7 भार्गव व शेष 15 अन्य जातियों के थे।

सन् 1945 ई. में जब वार्डन पं. श्याम सुन्दर चतुर्वेदी थे तो छात्रों की संख्या 38 थी, जिसमें 17 भार्गव व 21 अन्य जातियों के थे। व्यय 1535/- व आय केवल 585/- ही थी। सन् 1947 ई. में निर्णय लिया गया कि भार्गव छात्रों को केवल एक सीट निःशुल्क दी जावेगी और उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन आर्थिक असंतुलन बढ़ता ही जा रहा था और अपनी दिनांक 25-12-48 को हुई बैठक में प्रबन्धक समिति ने निर्णय लिया कि 1 जुलाई सन् 1949 ई. में बोर्डिंग हाउस के सभी छात्र बिना किसी भेदभाव के एक समान किराया देंगे। इस प्रकार भार्गव छात्रों व अन्य में भेद समाप्त हो गया।

सन् 1951 ई. में प्रधानमन्त्री जी ने बतलाया कि आगरा विश्वविद्यालय ने कई बार निश्चय किया था कि उसके अधीन जिन छात्रावासों के नाम सांप्रदायिक थे, उन्हें बदलने के प्रयत्न किए जाएँ। प्रधानमन्त्री जी की राय थी कि यदि नाम बदलने की आवश्यकता ही हो तो भार्गव बोर्डिंग हाउस का नाम भृगु छात्रावास रख दिया जाए। प्रस्ताव संख्या 22 द्वारा यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रकार दिन-प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं और जाति के छात्रों को कोई विशेष सुविधा अथवा सहायता नहीं मिल रही थी, अतः यह विचार होने लगा कि ऐसी स्थिति में बोर्डिंग हाउस को बन्द कर दिया जाए। सन् 1965-66 ई. में बोर्डिंग हाउस में 40 छात्रों ने प्रवेश लिया जिसमें केवल 2 ही भार्गव थे और उनमें से भी एक सत्र के मध्य में ही छोड़ गया। अन्ततः बोर्डिंग हाउस की इमारत को आगरा कॉलेज को ही बेचने की बातचीत चली, व माह अक्टूबर सन् 1965 ई. में सभा के विशेष अधिवेशन में सर्व सम्मति से बोर्डिंग हाउस को आगरा कॉलेज को एक लाख बीस हजार रुपये में बेचने का निर्णय ले लिया गया और माह फरवरी सन् 1966 ई. में रजिस्ट्री आदि कराकर बोर्डिंग हाउस आगरा कॉलेज को सौंप दिया गया। सन् 1966 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या (3) द्वारा भार्गव छात्रावास आगरा के फर्नीचर व बर्तन आदि को भी आगरा कॉलेज को बेचने की पुष्टि की गई व निर्णय लिया गया कि छात्रावास के नवल किशोर हॉल में जो भार्गव महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थीं, और जो छात्रावास बेचने पर वहाँ से हटा ली गई थीं, उन्हें भार्गव आश्रम हरिद्वार के कमरों में लगा दिया जाए।

इस प्रकार अन्य सभी भार्गव छात्रावासों से अधिक समय अर्थात् लगभग 76 वर्ष तक जाति की अत्यन्त उपयोगी सेवा करने के पश्चात् फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा का अस्तित्व समाप्त हुआ। इस छात्रावास के माध्यम से अनेकानेक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई, जो उन्हें अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती थी। इस छात्रावास के संस्थापकों का यही उद्देश्य था व उसकी पूर्ति में

पूर्ण सफलता मिली। अपने सेवा काल में इस छात्रावास की अपनी विशिष्ट छवि थी तथा आगरा के छात्रावासों में इसका सम्मानजनक स्थान था। यहाँ के भोजन, अनुशासन की सब जगह प्रशंसा होती थी तथा यहाँ के वार्डन भी अधिकतर आगरा कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक ही होते थे। विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि जिन-जिन छात्रों को इस छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ होगा, उन्हें यहाँ की सुखद एवं गौरवपूर्ण स्मृतियाँ सदैव याद रही होंगी।

### डायमंड भार्गव बोर्डिंग हाउस, रिवाड़ी

आज से 100 वर्ष पूर्व भार्गव जाति के सबसे अधिक परिवार रिवाड़ी व उसके आसपास के क्षेत्र में रहते थे एवं उनमें से अधिकांश ऐसे थे कि जो अपने बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा भी दिलाने की स्थिति में नहीं थे। बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के बिना उच्च शिक्षा की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, अतः नवम्बर सन् 1888 ई. में स्थानीय सज्जनों की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि रिवाड़ी में बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से आवास की सुविधा उपलब्ध कराने एवं बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए धन इकट्ठा किया जाए कि जिसके सूद से बच्चों को वजीफे एवं अन्य सहायता दी जा सके तथा जैसे ही पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाए तो एक बोर्डिंग हाउस का निर्माण कराया जाए। अतः धन इकट्ठा किया गया व बोर्डिंग हाउस के लिए जमीन आदि प्राप्त कर उसका निर्माण कराया गया और माह दिसम्बर, सन् 1891 ई. में श्रीमान डायमंड साहब डिप्टी कमिश्नर के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन सम्पन्न हुआ।

बोर्डिंग हाउस का प्रबन्ध स्थानीय मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया जाता था और बच्चों को वजीफों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहायता भी दी जाती थी, जैसे किताबों का देना व रोशनी व नौकरों का प्रबन्ध आदि। परन्तु प्रारम्भ से ही भार्गव जाति के छात्रों की संख्या बहुत कम रही और कभी भी 10-12 से अधिक नहीं बढ़ी। सन् 1913 ई. में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार सन् 1899 ई. में बोर्डिंग में केवल 2 छात्र रह गये थे, अतः उपदेशक से कहा गया था कि वह जहाँ भी जाए वहाँ बच्चों के माता-पिता तथा अभिभावकों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे अपने बच्चों को रिवाड़ी बोर्डिंग में पढ़ने भेजें, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि वे बोर्डिंग हाउस के प्रबन्ध से सन्तुष्ट नहीं थे। अतः सन् 1905 ई. में ही निर्णय लिया गया कि यदि बोर्डिंग में कोई स्थान खाली रहे, तो अन्य जाति के लड़कों को किराये पर दे दें या जैसा मैनेजिंग कमेटी उचित समझे, वैसे प्रयोग में लाए।

सन् 1906 ई. की कांफ्रेंस में रिवाड़ी बोर्डिंग की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि इस वर्ष इन्तजाम खराब रहा व मैनेजिंग कमेटी ने कोई रुचि नहीं ली। इस पर मु. हीरालाल जी जयपुर ने कहा कि हालात भार्गव बोर्डिंग हाउस रिवाड़ी सुने गए, तादाद तुलबा देखी गई व खर्च पर गौर किया गया। मुनासिब यही मालूम होता था कि रिवाड़ी के छात्रों को अलवर बोर्डिंग हाउस में भेज दिया जाए व उनका खर्चा दे दिया जाए। अन्यथा मैनेजिंग कमेटी रिवाड़ी रुचि लेकर समुचित प्रबन्ध करे और खर्चा कम करे। मु. जवाहर लाल जी ने कहा कि दोनों जगह की पढ़ाई अलहदा-अलहदा थी, इससे छात्रों को दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए मैनेजिंग कमेटी को ही चाहिए कि इन्तजाम ठीक करे।



रिवाड़ी व उसके आसपास के क्षेत्र के भार्गव जाति के परिवार विभिन्न कारणों से अन्यत्र जाने लगे थे, इसलिए सन् 1913 ई. में स्कूल में ही भार्गव छात्र केवल 20 थे, तो फिर बोर्डिंग हाउस में पर्याप्त संख्या में कहाँ से हो सकते थे। इस समय केवल 1 ही भार्गव छात्र था। सन् 1916 ई. में एक भी भार्गव छात्र नहीं था। भार्गव छात्रों की कमीबेशी का यह सिलसिला चलता रहा और सन् 1933 ई. में 3-4 भार्गव व 30 अन्य जातियों के विद्यार्थी थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसकी आवश्यकता समाप्त होती गई तो 1-4-42 से बोर्डिंग हाउस बन्द कर दिया गया व इमारत 30/- मासिक पर सरकार को किराये पर दे दी गई। बाद में अक्टूबर सन् 1945 ई. को सरकार द्वारा खाली करने पर हिन्दू हाई स्कूल रिवाड़ी को 500/- वार्षिक किराए पर दे दी गई। अगस्त सन् 1960 ई. से 100/- मासिक पर हिन्दू हाई स्कूल के पास किराये पर है।

इस प्रकार लगभग 50 वर्ष तक अस्तित्व में रहने के पश्चात् इस छात्रावास को बंद कर दिया गया। जिस भव्य इमारत में एवं जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ इस छात्रावास की स्थापना की गई थी, उससे तो ऐसा विश्वास होता था कि यह जाति की आशातीत सेवा कर सकेगी, किन्तु कुछ हालात ऐसे बने कि ये आशाएँ पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुईं। इस क्षेत्र के भार्गव परिवारों का अन्य जगह जाकर बसना, अलवर में बोर्डिंग हाउस का खुलना व प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएँ धीरे-धीरे सभी जगह उपलब्ध होना आदि, कुछ कारण ऐसे थे जिनसे कि इस छात्रावास में भार्गव छात्रों की संख्या कभी भी संतोषजनक नहीं रही। फिर भी रिवाड़ी की स्थानीय सभा को यह श्रेय था कि 40 वर्ष तक उसे कायम रखा। अभी भी इस छात्रावास की भव्य इमारत पुरानी शानदार स्मृतियों की याद दिलाती है।

### भार्गव बोर्डिंग हाउस, अलवर

आगरा और रिवाड़ी में भार्गव बोर्डिंग हाउसों की स्थापित करने के बाद अलवर ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ इस प्रकार की विशेष आवश्यकता थी। मु. राम सिंह जी ने राजपूताना का दौरा करने के बाद कहा कि अलवर व उसके आसपास के स्थानों में बिरादरी के ऐसे अनेक परिवार थे जो शिक्षा के अभाव में घोर संकट में थे। जाति को उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बतलाया कि इन परिवारों के लड़के शिक्षित न होने के कारण अविवाहित रह जाते थे और इस प्रकार बहुत से परिवार नष्टप्राय होते जा रहे थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सन् 1897 ई. में मु. राम सिंह जी व पं. ज्योति प्रसाद जी तथा कुछ अन्य उपस्थित सज्जनों ने अलवर व उसके आसपास के लड़कों के लिए किराए का मकान लेकर बोर्डिंग हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् अलवर में सन् 1901 ई. में हुए सम्मेलन के प्रस्ताव संख्या 47 द्वारा निर्णय लिया गया कि :-

- (1) अलवर में शीघ्र से शीघ्र भार्गव बोर्डिंग स्थापित किया जावे।
- (2) बोर्डिंग हाउस के लिए 40 विद्यार्थियों के रहने योग्य कोई मकान किराए पर ले लिया जावे।
- (3) अलवर के सज्जनों की इच्छा के अनुसार इसके व्यय के लिए 15/- माहवार मंजूर किए जाएँ जिनमें से 7/- रुपये आठ आने भार्गव सभा, आगरा व 7/- रुपये आठ आने भार्गव सभा, रिवाड़ी द्वारा प्रति माह दिए जावें।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए जिनके अनुसार बोर्डिंग हाउस के इन्तजाम के लिए 5 सदस्यों की एक लोकल कमेटी स्थापित की गई व निर्णय लिया गया कि बोर्डिंग के प्रत्येक छात्र के लिए संध्या वन्दन करना आवश्यक होगा।

सभी लोगों से बोर्डिंग की सहायता करने की अपील की गई और 4-5 छात्रवृत्तियों की घोषणा तो उसी समय कर दी गई।

इस प्रकार सन् 1902 ई. में भार्गव बोर्डिंग हाउस अलवर की स्थापना हुई।

बोर्डिंग हाउस के प्रथम सुपरिन्टेन्डेन्ट पं. कांजी प्रसाद जी थे, जिनके प्रयत्नों से बोर्डिंग हाउस के लिए एक सरकारी मकान किराये पर प्राप्त कर लिया गया था। इसी वर्ष पं. सुखराम दास जी ने बोर्डिंग के छात्रों को सर्दी के कपड़े दान दिए। बोर्डिंग हाउस अलवर में सन् 1902 ई. में 23 व सन् 1903 ई. में 38 छात्र थे। बोर्डिंग हाउस में दो प्रकार के विद्यार्थी थे — एक तो वे जिनका पूरा खर्चा सभा उठाती थी, व दूसरे वे जिनसे 5 रु. माहवार बतौर फीस के लिए जाते थे, जो सन् 1922 ई. में घटकर 4 रु. कर दिए गए थे, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र बोर्डिंग का लाभ उठा सकें। वैसे सभा शुरू से ही बोर्डिंग के खर्चों में सहायता देती रही थी, क्योंकि जो भी फीस लड़कों से ली जाती थी उससे प्रति छात्र पर अधिक खर्चा होता था।

सन् 1908 ई. में बोर्डिंग हाउस में 40 छात्र थे। इस वर्ष की रिपोर्ट में एक विशेष घटना का उल्लेख था। बोर्डिंग हाउस के सुपरिन्टेन्डेन्ट मु. कांजी प्रसाद जी ने दो लड़कों को दुर्व्यवहार व अनुशासनहीनता के लिए बोर्डिंग से निकाल दिया था। इन लड़कों ने इसके विरुद्ध मैनेजिंग कमेटी के समक्ष अपील की। मैनेजिंग कमेटी ने एक लड़के की सजा को बहाल रखा व दूसरे लड़के को बोर्डिंग हाउस में रखना चाहा। इससे नाराज होकर मु. कांजी प्रसाद जी ने त्याग पत्र दे दिया और उनकी अनुपस्थिति में ला. खुशवक्त राय जी ने सुपरिन्टेन्डेन्ट का कार्यभार सँभालना स्वीकार कर लिया। सभा के अधिवेशन में इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर पं. ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि लोकल मैनेजिंग कमेटी की कार्यवाही ठीक नहीं थी। उनके पास जो शिकायत लड़कों की तरफ से आई थी वह मजमून लड़कों का नहीं था बल्कि स्थानीय लोगों का था। मु. कांजी प्रसाद जी का काम बहुत अच्छा रहा था और उन्होंने अनुशासन भी बनाए रखा था। अन्त में प्रस्ताव संख्या 20 पारित हुआ जिसमें कहा गया कि मु. कांजी प्रसाद जी की सेवाओं को, जो उन्होंने बोर्डिंग हाउस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में दी थीं, उनकी प्रशंसा करती है तथा मु. कांजी प्रसाद जी की कार्यवाही पर कांफ्रेंस को पूरा विश्वास था, अतः मु. कांजी प्रसाद जी कांफ्रेंस के निर्णयानुसार बोर्डिंग हाउस अलवर के सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में कार्य करते रहे व पं. खुशवक्त राय जी ने उनकी अधीनता से असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट की तरह काम करना स्वीकार कर लिया था।

अलवर बोर्डिंग हाउस के छात्रों की संख्या 43 तक पहुँची व 24-25 से कभी कम न रही। इससे स्पष्ट था कि इस बोर्डिंग हाउस की कितनी आवश्यकता थी और कितने लड़कों ने इसका लाभ उठाया।

परन्तु जगह-जगह स्कूल व कॉलेज खुलने के कारण बोर्डिंग हाउस में भार्गव छात्रों की कमी होती गई और खर्च का भार बढ़ता ही गया। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए अन्य जातियों के छात्र रखने

प्रारम्भ किए गए। सब छात्रों से किराया लेना शुरू किया गया व कॉलेज के छात्रों को भी प्रवेश देना प्रारंभ किया गया, किन्तु अन्त में यह प्रतीत होने लगा कि बोर्डिंग को चलाने से जाति को कोई लाभ नहीं हो रहा था तथा विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतएव 1-5-51 से बोर्डिंग हाउस बन्द कर दिया गया व बोर्डिंग हाउस की इमारत बेच दी गई। उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे जमीन क्रय कर एक नई इमारत भार्गव आश्रम के नाम से बन गई। जिसका उपयोग वर्तमान में जाति के विभिन्न कार्यों के लिए हो रहा है।

इस प्रकार लगभग 50 वर्ष तक जाति सेवा करने के पश्चात् इस छात्रावास को समाप्त किया गया। यद्यपि यह बोर्डिंग हाउस मुख्यतः रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस की तरह ही प्रारंभिक तथा हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, किन्तु इसने जाति को जो लाभ पहुँचाया वह किसी अन्य छात्रावास से कम नहीं था। प्रारंभ से ही इस बोर्डिंग हाउस के व्यय में सभा सहायता करती रही थी व छात्रों पर व्यय का भार केवल उनसे जो फीस ली जाती थी उसी तक सीमित था, अतः आसपास तथा जयपुर आदि के साधनहीन परिवारों के बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं कि जब बहुत से बच्चे बिना इस छात्रावास के शिक्षा का लाभ उठा ही नहीं सकते थे।

### भार्गव बोर्डिंग हाउस, लाहौर

लाहौर पंजाब का प्रमुख शिक्षा का केन्द्र था, जहाँ मेडिकल कॉलेज, टैक्निकल व अन्य सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अतः इस क्षेत्र के भार्गव छात्रों को लाहौर में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1903 ई. में निर्णय लिया गया कि लाहौर में एक किराए का मकान लेकर एक बोर्डिंग हाउस प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समय धर्म-कर्म पर बड़ा जोर दिया जा रहा था और चूँकि लाहौर एक ऐसी जगह थी जहाँ छुआछूत आदि बहुत कम थी, इसलिए भार्गव छात्रों के धर्म-कर्म आदि को सुरक्षित रखने के लिए भी लाहौर में भार्गव बोर्डिंग स्थापित करना आवश्यक समझा गया था तथा शुरू से ही सब छात्रों के लिए संध्या व गायत्री जाप आदि अनिवार्य रखे गए थे। प्रारंभ में केवल 9 छात्र थे जिनमें 1 अन्य बिरादरी का था। बोर्डिंग हाउस के प्रबन्ध के लिए स्थानीय लोकल सभा ही मैनेजिंग कमेटी की तरह कार्य करती थी। प्रारंभ में बोर्डिंग के छात्रों में से ही किसी एक को सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता था, परन्तु सन् 1908 ई. के पश्चात् सुपरिन्टेन्डेन्ट का पृथक् से इन्तजाम करना अनिवार्य हो गया था क्योंकि यूनीवर्सिटी के नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक था।

सन् 1903 ई. के प्रस्ताव संख्या 43 द्वारा निर्णय लिया गया था कि भार्गव सभा आगरा लाहौर बोर्डिंग हाउस की मदद, बतौर भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा की शाखा की तरह किया करेगी किन्तु इस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि भार्गव सभा आगरा के पास मदद देने के लिए आवश्यक साधन ही नहीं थे, इसलिए यह उत्तरदायित्व स्थानीय सज्जनों पर ही छोड़ दिया गया। अतः प्रतिवर्ष धन के लिए अपील की जाती थी और कुछ चन्दा भी जमा हो जाता था परन्तु वह बोर्डिंग हाउस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता था तथा धन का अभाव एक समस्या बनी ही रही थी। एक समय यह

भी सोचा गया कि लाहौर के छात्र भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा में भेज दिए जाएँ लेकिन यह सम्भव नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ मैडिकल कॉलेज आदि नहीं थे।

सन् 1906 ई. के सभा के अधिवेशन में पं. मनोहर लाल जी ने लाहौर बोर्डिंग हाउस की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि बोर्डिंग हाउस में केवल 14 लड़के रह सकते थे तथा जगह व धन की कमी के कारण लाइब्रेरी, वर्जिश आदि के सामान व फर्नीचर आदि की आवश्यकताएँ पूरी नहीं की जा सकती थीं। पं. कौशल किशोर जी सुपुत्र पं. रामजीलाल जी ने कहा कि बोर्डिंग हाउस चलाने के लिए कोई स्थायी फंड नहीं था जिसकी वजह से बड़ी कठिनाई अनुभव की जाती थी। पं. गिरधर दास जी वकील कानपुर ने कहा कि लाहौर में बोर्डिंग हाउस रखना बहुत आवश्यक था क्योंकि वहाँ लॉ कक्षाएँ, मैडिकल कॉलेज व उच्च शिक्षा की सभी सुविधाएँ उपलब्ध थीं जो सम्भवतः अन्यत्र उपलब्ध नहीं थीं। पं. मिट्ठन लाल जी ने पं. गिरधर दास जी का समर्थन करते हुए कहा कि यदि धन के अभाव के कारण लाहौर बोर्डिंग हाउस बन्द करना होगा तो वह बहुत खेदजनक बात होगी। पं. मनोहर लाल जी के कार्य की प्रशंसा की गई लेकिन पैसे का सवाल जहाँ था, वहीं रहा।

सन् 1907 ई. की रिपोर्ट पं. शौ लाल जी ने पढ़ी, जिस पर टिप्पणी करते हुए पं. ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि लोकल सभा की तरफ से बोर्डिंग हाउस को नौकरों का वेतन, मकान के किराये व रोशनी के खर्च की इमदाद दी जाती थी जो बहुत ही अपर्याप्त थी। लेकिन यह समस्या स्थायी फंड के निर्माण से ही दूर हो सकती थी तथा अब तो ऐसा लगने लगा था कि शायद बोर्डिंग हाउस के छात्रों को ही जाकर धन जुटाना पड़ेगा। प्रतिवर्ष फकीरों की तरह चन्दा माँगना अच्छा नहीं लगता था। सन् 1908 ई. में बतलाया गया कि गत 5-6 वर्षों में इस बोर्डिंग हाउस से 4 ने बी.ए., 11 ने एम.ए., 5 ने एन्ट्रेन्स, कुछ ने डॉक्टरी व एल.एल.बी. पास किया व कुछ टेलीग्राफ का प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी करने चले गए।

इस प्रकार बोर्डिंग हाउस की प्रगति होती रही। परन्तु छात्रों की संख्या 16-17 से कभी नहीं बढ़ी। सन् 1917 ई. में सत्र के प्रारम्भ में तो छात्र संख्या 10 थी किन्तु अन्त में 4 ही रह गई। सन् 1918 ई. में केवल 2 छात्र रहे। अतः शिक्षा उपसमिति ने बोर्डिंग हाउस को बन्द करने की अनुशंसा कर दी तथा सन् 1919 ई. में प्रस्ताव संख्या 15 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव बोर्डिंग हाउस तभी जारी रखा जाए जब कि कम से कम 6 या उससे अधिक छात्र रहें। सन् 1920 ई. में छात्रों की संख्या 6 से कम होने के कारण बोर्डिंग हाउस जारी नहीं रखा गया व आइन्दा के लिए बन्द कर दिया गया। इस प्रकार करीब 17 साल चलकर यह छात्रावास बन्द कर दिया गया। इस छात्रावास के लिए धन की कमी हमेशा ही रही और न तो केन्द्रीय सभा और न ही स्थानीय सभा कुछ सहायता कर सकी। वैसे लाहौर जैसी जगह पर, जहाँ शैक्षणिक सभी सुविधाएँ उपलब्ध थीं, एक छात्रावास के चलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन समुचित प्रबन्ध तथा साधन उपलब्ध न होने के कारण कुछ विशेष सफलता नहीं मिली।

### भार्गव बोर्डिंग हाउस, देहली

सन् 1926 ई. में कांफ्रेंस के प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा निर्णय लिया गया कि देहली में भार्गव छात्रों के लिए, जो वहाँ शिक्षा पाते थे, एक बोर्डिंग हाउस स्थापित किया जाना जरूरी था, इसलिए यह जलसा

भार्गव सभा से सिफारिश करता था कि अगर इसके सम्बन्ध में किसी व्यय की आवश्यकता हो तो भार्गव सभा इस विषय पर ध्यान दे। अतः इसी वर्ष भार्गव सभा ने प्रस्ताव संख्या 20 व 22 द्वारा निर्णय लिया कि वादा करने वालों से रुपया वसूल किया जाए और रुपया वसूल हो जाने पर शिक्षा उपसमिति माह मई सन् 1927 ई. से भार्गव बोर्डिंग हाउस खुलवा दे व भार्गव बोर्डिंग हाउस को किराये के लिए 300/- रुपये व फर्नीचर के लिये 640/- रुपए मंजूर किए जावें।

अतः अक्टूबर सन् 1927 ई. से 5 छात्रों को लेकर देहली बोर्डिंग हाउस प्रारम्भ हुआ। किन्तु सन् 1928 ई. में ही प्रस्ताव संख्या 13 द्वारा निर्णय लिया गया कि बोर्डिंग हाउस देहली माह जुलाई सन् 1929 ई. से बन्द कर दिया जाए क्योंकि छात्रों की संख्या 5 ही होने की वजह से प्रति छात्र 100/- रुपये प्रति मास खर्चा होता था जो उपलब्ध साधनों से कहीं अधिक था।

### शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति आदि देना

छात्रावासों के माध्यम से आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शिक्षा प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अभावग्रस्त छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। भार्गव सभा रिवाड़ी व भार्गव सभा आगरा दोनों ने प्रारम्भ से ही जरूरतमन्द बच्चों को छात्रवृत्तियाँ अथवा अन्य किसी रूप में आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ कर दिया था। रिवाड़ी सभा स्कूल की फीस के लिये छात्रवृत्ति देकर, बुकफंड से पुस्तकें उपलब्ध कराकर तथा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान कर छात्रों की सहायता करती थी। इसी प्रकार आगरा सभा आगरा में निःशुल्क आवासीय सुविधा के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध भी करती थी। फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस के प्रथम बैच में ही कई विद्यार्थी सभा से सहायता प्राप्त करने वाले थे।

प्रारम्भ में कोई ऐसी पृथक अथवा निश्चित धन राशि नहीं थी जिससे शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा सकती थी परन्तु सभा के प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मेलनों के अवसर पर जो धन चन्दे, दान तथा निजी छात्रवृत्तियों के द्वारा प्राप्त होता था उसी से यह सहायता प्रदान की जाती थी। सन् 1890 ई. में ही सर्वप्रथम बा. बासदेव लाल जी वकील हाई कोर्ट लखनऊ ने 60/- रुपए वार्षिक की एक 5/- रुपए मासिक की छात्रवृत्ति देने का वायदा किया था। इसी प्रकार मु. नवल किशोर जी, सी.आई.ई., बी.ए. व एम.ए. में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 12/- रुपए मासिक छात्रवृत्ति देते थे जिसका फायदा दो वर्ष तक प्रथम बैच के मु. मिट्ठन लाल जी, अजमेर ने भी उठाया। सन् 1893 ई. व सन् 1894 ई. में रिवाड़ी सभा 31 बच्चों की सहायता करती थी व 3 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति देती थी।

छात्रवृत्तियों की आवश्यकता एवं महत्त्व की दृष्टि से सन् 1897 ई. में प्रस्ताव संख्या 50 द्वारा निर्णय लिया गया कि एक ऐसा फण्ड स्थापित किया जाए जिससे देहात में रहने वाले बच्चों की, जिनके माँ-बाप उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करने में असमर्थ हों, शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए। इसी प्रकार सन् 1898 ई. में प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए धन का प्रबन्ध करना आवश्यक था इसलिए जाति बन्धुओं को चाहिए कि जगह-जगह से चन्दा भेजें और जो महानुभाव उस समय वहाँ मौजूद थे, वे वायदा करें कि अपने-अपने स्थान से चन्दा वसूल करके भेज

देंगे। इसके पश्चात् सन् 1900 ई. में प्रयाग में हुई कांफ्रेंस में फिर निर्णय लिया गया कि देहात के बच्चों को हिन्दी की शिक्षा आवश्यक थी, अतः हर शहर, देहात व कस्बे के लोग आपस में यह तय करके कि वे कितने लड़कों की पढ़ाई का खर्च वहन कर सकते थे, उसकी इत्तला जनरल सैक्रेट्री कांफ्रेंस को भेज दें, जिससे कि उन लड़कों का इन्तजाम रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस में किया जा सके। सभा के प्रयत्नों के अतिरिक्त यह एक सामूहिक सहायता देने का ऐसा प्रस्ताव था जिससे न केवल जाति में एकता एवं पारस्परिक सद्भावना का प्रादुर्भाव होता अपितु अधिक से अधिक बच्चों की शिक्षा में सहायता दी जा सकती थी। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के महान अनुष्ठान में हर प्रकार से सहायता देने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

सन् 1901 ई. की भार्गव सभा आगरा की रिपोर्ट के अनुसार आगरा बोर्डिंग हाउस में चार छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं। इनके अतिरिक्त दस-दस रुपये मासिक की तीन छात्रवृत्तियाँ क्रमशः फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज व एग्रीकल्चर स्कूल कानपुर के विद्यार्थियों को दी जाती थी। इस वर्ष छात्रवृत्तियों पर 660 रुपए व्यय हुए। इस प्रकार प्रारम्भ से ही टैक्निकल शिक्षा को भी आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा था। अलवर बोर्डिंग हाउस की स्थापना के साथ ही 2/- रुपए मासिक से लेकर 6/- रुपए मासिक तक की पाँच-छह छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हो गयी थीं।

सन् 1903 ई. को अलवर कांफ्रेंस में पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर व मु. मिट्ठन लाल जी, अजमेर ने कहा कि जिन लोगों को वजीफा मिलता था उन्हें चाहिए कि पढ़ाई के बाद जैसे ही कमाना शुरू करें, वजीफे में प्राप्त हुई रकम वापिस करने का प्रयत्न करें, जिससे कि अन्य जरूरतमंद बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। यदि ये लोग स्वयं इच्छा से धन वापिस न करें तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यह रकम वसूल हो जाए। भविष्य में वजीफा देने से पहले यह शर्त लगा देनी चाहिए। अतः निर्णय लिया गया कि सैक्रेट्री को इस सम्बन्ध में वर्तमान व पहले से वजीफा प्राप्त करने वालों को, इसके अनुसार लिखना चाहिए।

सन् 1904 ई. में रिवाड़ी सभा द्वारा 8 छात्रावास में रहने वाले व 8 घरों पर रहने वाले विद्यार्थियों को सहायता दी गई। सन् 1906 ई. में रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस में 6 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका पूरा खर्चा सभा देती थी। सन् 1905 ई. में आगरा बोर्डिंग हाउस में छात्रों को चार छात्रवृत्तियाँ क्रमशः 10/- रुपए, 9/- रुपए, 8/- रुपए व 7/- रुपए मासिक सभा की ओर से व दो को निजी तौर पर दी जाती थीं। इस वर्ष इन छात्रवृत्तियों पर 501/- रुपए व्यय हुए।

सन् 1905 ई. के सम्मेलन में जब पं. बिशन नारायण जी, लखनऊ ने उच्च शिक्षा तथा औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए भार्गव नवयुवकों को जापान भेजने का सुझाव प्रस्तुत किया तो पं. ज्योति प्रसाद जी ने बतलाया कि मु. मातादीन जी के सुपुत्र पं. काशी नाथ जी ने लिखा था कि उनका छोटा भाई जापान जाने का इरादा रखता था परन्तु वहाँ जाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतः प्रस्ताव सख्या 9 द्वारा निर्णय लिया गया कि जो लोग “मुल्क जापान बगर्जे तरक्की-ए-तिजारत व तालीम जाना चाहें तो उन्हें कौम की तरफ से जाने की मुमानियत नहीं थी मगर धर्म-कर्म में रहना फर्ज था”।

बा. बिहारी लाल जी ने कहा कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उच्च कोटि की शिक्षा के लिए जापान जावे तो उसे वे 50/- रुपए किताबों के लिए देंगे। बा. रामनाथ जी, मथुरा ने कहा कि इस प्रकार जो शख्स वहाँ धर्म-कर्म से रहेगा उसे वे दो-दो सौ रुपए देंगे। इसी प्रकार अन्य पाँच महानुभावों ने प्रत्येक ने 200-200 रुपये सहायता के रूप में देने का वायदा किया। बा. जगन्नाथ प्रसाद जी ने कहा कि मु. प्रयाग नारायण जी लखनऊ ने वायदा किया था कि वे एक लड़के का जापान जाने का खर्चा देंगे यदि वह वहाँ से आने पर तीन साल तक उनके यहाँ काम करे और अपना खर्चा स्वयं करे।

इससे यह स्पष्ट है कि जाति के लोग जाति में हर प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं सहायता देने को सदैव तत्पर थे। सन् 1910 ई. में अलवर बोर्डिंग हाउस में 30 छात्र थे जिनमें से 14 इमदादी थे व 16 को छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं। इसी प्रकार आगरा बोर्डिंग हाउस में पढ़ने वालों को भी आवश्यकतानुसार सहायता मिलती ही रहती थी।

सन् 1917 ई. में निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने सभा से छात्रवृत्तियाँ प्राप्त की थीं उनकी सूची बनाई जाए व जो इस स्थिति में थे कि छात्रवृत्ति में प्राप्त रकम वापिस कर सकते थे उनसे ऐसा करने के लिए आग्रह किया जाए ताकि दूसरे जरूरतमन्द बच्चों को भी लाभ मिल सके। इसके पश्चात् सन् 1929 ई. में फिर सभा के प्रस्ताव सं. 8 द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन लड़कों को छात्रवृत्तियाँ व अन्य सहायता सभा से दी जाती थी उनसे एक तहरीरी इकरारनामा इस आशय का लिखाया जाया करे कि जिस वक्त वे बारोजगार हो जाएँगे तो सभा के नियमानुसार अपनी एक माह की आमदनी अता करके सभा के स्थायी सदस्य बन जाएँगे। सन् 1929 ई. में ही एक अन्य प्रस्ताव संख्या द्वारा निर्णय लिया गया कि छात्रवृत्ति स्वीकार करते समय शिक्षा उपसमिति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो छात्र टैक्निकल व व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हेतु उपयुक्त हों उन्हें साधारण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जावे।

सन् 1935 ई. में प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा निर्णय लिया गया कि जो लड़के सभा के धन से शिक्षा पाते थे उनसे एक बौंड लिखवा लिया जाए कि विद्या समाप्ति के पश्चात् जब उनकी आय 50/- रुपए मासिक से अधिक हो तो वे वजीफे का धन आसान किशतों में वापिस देंगे।

इस प्रकार सन् 1903 ई. से ही यह प्रयत्न किए जा रहे थे कि छात्रवृत्तियों में दी गई राशि वापिस सभा को प्राप्त हो जिससे अन्य जरूरतमन्द छात्र व छात्राओं को भी सहायता मिल सके, किन्तु इन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली। अन्ततः सन् 1954 ई. के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा निर्णय लिया गया कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति बिना सूद के कर्ज के रूप में ही दी जावे और जब छात्रवृत्ति पाने वाले की आय 100/- रुपए मासिक से ज्यादा व 200/- रुपए मासिक से कम हो तो 5 प्रतिशत मासिक और जब 200/- रुपए से ज्यादा हो तो 10 प्रतिशत मासिक, जब तक वजीफे की राशि चुक न जाए, अदा करे।

इस प्रकार अध्ययन ऋण की एक नई योजना प्रारम्भ की गई और इससे लाभ भी बहुत हुआ परन्तु ऋण की वापसी की समस्या तो बनी रही और अभी भी वर्तमान है।



इस योजना के प्रारम्भ होने तक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 25-30 से अधिक नहीं हुई थी व व्यय पाँच हजार रुपए तक ही सीमित रहा। इसके पश्चात् छात्रवृत्तियाँ व अध्ययन ऋण लेने वालों की संख्या व व्यय तो बढ़े परन्तु ऋण की वापसी बड़ी असन्तोषप्रद रही। जुलाई सन् 1955 ई. से जून सन् 1960 ई. तक 16147/- रुपए के अध्ययन ऋण दिए गए जिनमें से केवल 130/- रुपए की ही वापसी हुई। इसी प्रकार जुलाई सन् 1955 ई. से 30 जून सन् 1978 ई. तक एक लाख उनतालीस हजार छह सौ सत्तावन रुपए के ऋण दिए गए जिसमें से केवल 6294/- रुपए की वसूली हुई और 30 जून सन् 1978 ई. तक बकाया वसूली 133363/- रुपए थी। ऋणों की वापसी के लिए एक उपसमिति भी बनाई गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

सन् 1973-74 ई. में शिक्षा हेतु निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध थीं—

- (1) 11वीं कक्षा तक के लिए छात्रवृत्तियाँ।
- (2) 11वीं कक्षा के ऊपर अध्ययन ऋण।
- (3) कलावती जयन्ती प्रसाद ट्रस्ट—अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ।
- (4) श्री निरंजन लाल भार्गव ट्रस्ट—200/-रुपए मासिक की छात्रवृत्ति टैक्निकल शिक्षा हेतु।
- (5) श्री प्रकाश चन्द भार्गव ट्रस्ट—टैक्निकल, व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ।
- (6) एस.आर.बी. ट्रस्ट—टैक्निकल व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
- (7) राजन भार्गव छात्रवृत्तियाँ—50/-रुपए मासिक की दो या तीन छात्रवृत्तियाँ।
- (8) टैक्निकल शिक्षा निधि—टैक्निकल शिक्षा हेतु सहायता।

इनके अतिरिक्त सितम्बर सन् 1976 ई. में स्व. रामेश्वर प्रसाद जी सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ने सत्यरमन शिक्षा चेरिटेबिल सोसाइटी की ओर से 250/- रुपए मासिक की एक अथवा उसी राशि के अन्तर्गत एक से अधिक छात्रवृत्तियाँ पाँच वर्ष के लिए जाति के होनहार एवं जरूरतमन्द विद्यार्थी, जो मैडिकल अथवा किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स जैसे बी. फार्मा., बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंटिंग टेक्नोलोजी आदि के अध्ययन कर रहे हैं, देने की घोषणा की, मैडिकल छात्रों को प्राथमिकता दी जानी थी।

इनके अतिरिक्त सभा ने शोध कार्यो एवं उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने के लिए भी समय-समय पर सहायता दी। 8 जनवरी सन् 1969 ई. को श्री बी.एस. भार्गव ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें इतिहास के उच्च अध्ययन के यू.जी.सी. से सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई थी और इसके लिए उन्हें 2000/- रुपए की आवश्यकता थी, जिसे वह 100 रुपए मासिक की किश्त से 20 महीनों में वापिस कर देंगे। 16 फरवरी सन् 1969 ई. को रिवाड़ी में प्रबन्धक समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा श्री बी.एस. भार्गव को 2000/- रुपए का ऋण मंजूर कर दिया गया जिसे 100/- रुपए मासिक की किश्त से वापिस किया जाना था।

इसी प्रबन्धक समिति द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जी सुपुत्र पं. मुरारी लाल जी को जहाज द्वारा अमेरिका जाने के लिए 4827/- रुपए का ऋण दिया गया जिनको कैलीफोर्निया के संजोस सेंट कॉलेज में प्रवेश मिल चुका था।

इसके पश्चात् 31 अगस्त सन् 1969 ई. को देहली में हुई प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव संख्या 40 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जी, कैशियर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अजमेर को शोध कार्य के लिए 2500/- रुपए का बिना ब्याज का ऋण स्वकरण लिखने पर स्वीकार किया गया और यह ऋण 500/- रुपए की प्रति किश्त द्वारा दिया जाना था तथा दूसरी किश्त, प्रथम किश्त के हिसाब से प्राप्त होने पर ही दी जानी थी।

इसी प्रकार 6 मई सन् 1978 ई. को ग्वालियर में हुई प्रबन्धक समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 82 द्वारा श्री महेश कुमार जी सुपुत्र स्व. पं. प्यारेलाल जी, रीडर मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर को जर्मनी जाने के लिए, जहाँ डॉक्ट्रेट के लिए उनका प्रवेश हो चुका था, यात्रा व्यय हेतु 3000/- रुपए तक ऋण स्वीकार किया गया।

सन् 1963 ई. में सभा के प्रधान मेजर जनरल जयदेव सिंह जी, सैक्रेट्री पं. भगवत प्रसाद जी व ज्वाइन्ट सैक्रेट्री पं. कृष्ण प्रसाद जी ने एक अपील निकाली जिसके फलस्वरूप सन् 1964 ई. में एक टैक्निकल शिक्षा फंड स्थापित किया गया था जिससे टैक्निकल शिक्षा के लिए बिना सूद के ऋण के रूप में सहायता दी जाती थी। इस फण्ड से अनेक छात्रों ने मैडिकल व इन्जीनियरिंग की शिक्षा हेतु सहायता प्राप्त की लेकिन ऋण की वापसी इस फण्ड में भी असन्तोषप्रद रही।

छात्रवृत्तियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती रही और मूल्यों में वृद्धि के कारण छात्रवृत्तियों की राशि में भी वृद्धि होती रही, यहाँ तक कि सन् 1982-83 में 50 छात्र व 69 छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ दी गई जिस पर लगभग 49000/- रुपए व्यय हुए। सन् 1986-87 में विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों पर 63110/- रुपए व्यय हुए।

इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इतनी सुविधा उपलब्ध रही है कि कोई भी छात्र, जिसे कुछ भी और कितना भी पढ़ने की अभिलाषा हो, उसे साधनों की कमी नहीं रह सकती थी। विश्वसनीय आँकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह कहा जा सकता है कि आज भार्गव जाति में डॉक्टरों, इन्जीनियरों की जो संख्या है व जो भी व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है उसमें सभा का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

\* \* \*

## 9. महिला शिक्षा एवं प्रगति

आज से 100 वर्ष पूर्व हमारी जाति ही में नहीं अपितु भारत की समस्त जातियों में ही महिला प्रगति का मूल आधार स्त्री शिक्षा का चलन नहीं था, कुछ महिलाएँ केवल हिन्दी जानती थीं और मुश्किल से सही चिट्ठी लिख पाती थीं। अधिकांशतः महिलाएँ घर की चारदीवारी में ही बन्द रहती थीं और उन्हें बाहरी दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। वैसे हमारे पूर्वजों के महिला प्रगति एवं स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत ही प्रगतिशील एवं आधुनिक विचार थे।

सन् 1881 ई. में सेठ दामोदर लाल जी, झज्जर ने भार्गवी सभा जयपुर को अपने पत्र में स्त्रियों को शिक्षा देने के सम्बन्ध में लिखा था कि बिना स्त्रियों की प्रगति के किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती थी व स्त्रियों की शिक्षा ही समाज की उन्नति का आधार था। इसके अतिरिक्त यह किसी भी साहित्य में नहीं लिखा था कि स्त्रियों को अशिक्षित व घर में बन्द करके रखा जाए और यदि ऐसा किया जाता था तो उन सब लोगों को ईश्वर के प्रति जवाब देना होगा। स्त्रियों को शिक्षा न देकर उनके व्यक्तित्व के विकास में अवांछित रुकावट डालने का किसी को कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की शिक्षा से अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षित माताएँ ही बच्चों का समुचित रूप से पालन-पोषण कर सकती थीं, यह सच ही कहा गया है कि एक शिक्षित माता सौ गुरुओं से अच्छी होती है। शिक्षा से ही अज्ञानता, संकीर्णता एवं अन्धविश्वास आदि नष्ट होते हैं। शिक्षित महिलाएँ ही अच्छी गृहणी भी हो सकती हैं।

एक बार नेपोलियन ने एक महिला से प्रश्न किया था कि बच्चों को शिक्षा एवं संयम की दीक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? महिला ने उत्तर दिया कि यह कार्य शिक्षित माताओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। बिना शिक्षित महिलाओं के कोई भी देश या समाज सम्पन्न व संस्कृत नहीं हो सकता। ऐसे ही विचार सन् 1905 ई. की कांफ्रेंस में पं. गंगा प्रसाद जी द्वारा पढ़े गए लेख में प्रगट किए गए थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि यदि एक लड़का पढ़ाया जाता था तो उसे ही शिक्षित किया जाता था परन्तु यदि एक लड़की को पढ़ाया जाता था तो उसका अर्थ पूरे परिवार को शिक्षित करना होता था। जिस जाति में महिलाएँ अशिक्षित होती थीं वे जातियाँ कभी भी उन्नति नहीं कर सकती थीं।

महिलाओं में शिक्षा के अभाव का कारण साधनों एवं अवसरों की कमी तो थी ही, किन्तु पर्दा एवं छोटी उम्र में शादी, दो प्रथाएँ ऐसी थीं जिनके कारण शिक्षा की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध ही सा हो गया था। अतः भार्गव सभा व सम्मेलन की स्थापना के साथ ही सर्वप्रथम उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना निश्चित किया गया था। फिर भी सम्मेलनों के माध्यम से जैसे-जैसे बिरादरी के लोग आपस में मिलकर विचारों का आदान-प्रदान करने लगे तो यह भावना जागृत होने लगी कि बिना स्त्री शिक्षा के न

तो लड़कों की शिक्षा ही फलीभूत हो सकती थी और न ही सामाजिक सुधार में सफलता प्राप्त हो सकती थी। अतएव मथुरा सम्मेलन सन् 1897 ई. में राय सीता राम जी रईस, मथुरा के सभापतित्व में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ :-

प्रस्ताव संख्या 9 “यथाशक्ति जाति के सज्जनों को स्त्री शिक्षा के लिए अच्छे ढंग निकालने चाहिए। जो वर्तमान ढंग हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।” इसी के साथ-साथ एक अन्य प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्त्रियों व लड़कियों को ‘मजहबी अखलाकी तालीम’ दी जानी चाहिए।

इसके पहले भी सन् 1889 ई. की प्रथम भार्गव कांफ्रेंस से वापसी पर मु. नवल किशोर जी, बा. नत्थू लाल जी, राय गंगा शरण दास जी, बा. रामेश्वर प्रसाद जी इलाहाबाद व पं. गिरधर लाल जी वकील आगरा, 30 दिसम्बर को मथुरा पहुँचे और 31 दिसम्बर को कुछ स्थानीय बन्धुओं के साथ मोहल्ला घाटी में जमा हुए और निर्णय लिया गया कि उनकी जाति की लड़कियाँ अब तक अशिक्षित थीं इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए और एक कन्या पाठशाला लेडी मु. नवल किशोर जी के नाम से खोली जानी चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि स्थानीय सज्जनों की एक सभा शाम ही को बुलाई जाए, जिसके अनुसार शाम 4.30 बजे एक बैठक हुई जिसमें बा. राधा रमण जी व मु. गिरधर लाल जी व सेठ लछमन दास जी ने तकरीर की और निर्णय लिया कि एक गर्ल्स स्कूल खोला जाए जिसके लिए मु. नवल किशोर जी ने 5000/- रुपए देने का वायदा किया।

सन् 1905 ई. में प्रस्ताव किया गया कि जहाँ-जहाँ भार्गव जाति के लोगों की काफी संख्या हो वहाँ कन्या पाठशाला द्वारा या अन्य किसी तरह से लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जावे व उन्हें धर्मानुकूल शिक्षा दी जावे।

सभा के प्रारम्भिक 10-15 वर्षों में जो सामाजिक सुधार, विशेषकर विवाह सम्बन्धी, हुए उनसे समाज के सभी वर्गों में जागृति आई। महिलाओं को तो यह महसूस होने लगा कि जो सुधार किए जा रहे थे उनका उनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, तथा इसीलिए ऐसे सुधारों के विषय में नियम बनाने में उनका भी हाथ होना चाहिए और पुरुष वर्ग को भी ऐसा लगने लगा था कि इन सुधारों की सफलता महिलाओं के सक्रिय सहयोग पर ही निर्भर थी। अतः जैसे ही महिलाओं ने इस दिशा में प्रयत्न किए वैसे ही पुरुषों ने उनका पूरी तरह से स्वागत किया और उन्हें हर प्रकार से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। सन् 1910 ई. की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती कैलाशी देवी सुपुत्री पं. जय नारायण दास जी ने स्त्री शिक्षा के बारे में तकरीर की और शिक्षा की कमी से औरतों में जो जहालत पाई जाती थी उसका ऐसा खाका खींचा कि लोगों की आँखों से आँसुओं की झड़ लग गई। जलसे की तरफ से उन्हें 20/-रु. का इनाम दिया गया। बा. नवलकिशोर जी, मालिक रोशन लाल प्रेस लखनऊ ने 40/-रुपए की किताबें और दीगर सामान कन्या पाठशाला इलाहाबाद, जहाँ श्रीमती कैलाशी देवी शिक्षा पाती थी, देने का वायदा किया। इसी समय कांफ्रेंस के प्रेसीडेन्ट ले.क. मनोहर लाल जी थापल ने रिवाड़ी में एक मकान, इस शर्त पर वक्फ किया कि वहाँ एक कन्या पाठशाला स्थापित की जाए और 50/-रुपए सालाना उसके खर्च के लिए देना स्वीकार किया, जब तक कि भार्गव सभा में पाठशाला के लिए स्थायी राशि इकट्ठी न हो जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि यह पाठशाला भार्गव सभा की निगरानी में रहेगी व उसका प्रबन्ध रिवाड़ी की मैनेजिंग कमेटी के सुपुर्द

रहेगा। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 13 स्वीकार किया गया जिसके अनुसार जाति के लोगों का कर्तव्य था कि वे अपनी-अपनी लड़कियों को तब तक पढ़ावें जब तक उनकी शादी न हो।

सन् 1913 ई. में प्रथम बार महिला परिषद् की स्थापना अजमेर में हुई, जिसका अंकुर लगाने वाली ध. प. पं. फूल चन्द जी, ध. प. पं. देवी दयाल जी व ध. प. पं. मिट्ठन लाल जी थी (इस समय प्रायः महिलाओं का नाम प्रगट नहीं किया जाता था, इसलिए सबके नाम के आगे धर्म प. पं. लिखा जाता था)। परिषद् के इस प्रथम अधिवेशन में मुख्यतः स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया जिससे वे अर्द्धांगिनी होने का अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में सक्षम हो सकें। यह भी निर्णय लिया गया कि पुरुष सभा से प्रार्थना की जाए कि अपनी सभा की भाँति उनकी सभा की भी रजिस्ट्री कराई जाए व उनके अधिवेशन भी पुरुष सभा के साथ ही हुआ करें। इसके बाद इस परिषद् के अधिवेशन लखनऊ व जबलपुर में हुए लेकिन उनमें कोई विशेष प्रगति न हो पाई। फिर सन् 1916 ई. में जो अधिवेशन लाहौर में पुरुष कांग्रेस के साथ हुआ, वह बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि उससे उस समय की महिलाओं की विचारधारा के स्पष्ट संकेत मिलते थे।

सन् 1916 ई. की लाहौर कांग्रेस में बाहर से आने वाली महिलाओं की संख्या 15 से कुछ अधिक थी। पंडिता दिलवर देवी जी प्राज्ञ विशारदा, मुख्य अध्यापिका भार्गव पुत्री पाठशाला नवा शहर (पंजाब) भी पधारी थीं। प्रधाना का आसन ध.प. पं. मिट्ठन लाल जी ने ग्रहण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पुरुष कांग्रेस से निवेदन किया जाए कि उनकी कांग्रेस की स्वागत समिति ही महिला कांग्रेस का प्रबन्ध भी किया करे तथा पुरुष सभा से प्रार्थना की जाए कि स्थान-स्थान पर भार्गव कन्या पाठशाला खोलने के प्रयत्न करे जिससे शिक्षित माताएँ स्वयं सन्तानों को शिक्षा देने में समर्थ हो सकें। बहुत-सी महिलाओं का तो यह विचार था कि प्रतिवर्ष पुरुष सभा द्वारा बहुत-सा द्रव्य विधवाओं की सहायता में व्यय किया जाता था जो उनके लिए परम आश्रय था, परन्तु उसे उत्तम दान की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि जो धन बेढंगे तरीके से व्यय किया जाए यदि वही उत्तम रीति से प्रयोग किया जाए तो जाति को बड़ा लाभ हो सकता था। प्रथम तो विधवा आश्रम खोलने चाहिए और जो विधवाएँ सहायता पाने योग्य हों उनको पूरी सहायता मिलनी चाहिए और उन विधवाओं में से जो पढ़ी-लिखी हों वे भार्गव कन्या पाठशालाओं में शिक्षा दें और जो अशिक्षित हों वे भोजन आदि बनाने की शिक्षा दें।

इसके पूर्व लाहौर स्वागतकारिणी समिति की प्रधाना ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब से महिला कांग्रेस होने लगी थी, स्त्रियों में विद्या बढ़ गई थी। अब भार्गव पत्रिका में भी स्त्रियों के लिखे हुए लेख छपने लगे थे। इसी उत्साह को देखकर पं. अनन्त राम जी वकील ने अलीगढ़ में भार्गव पुत्री पाठशाला स्थापित की और पं. अयोध्या प्रसाद जी नवाब गंज गौड़ा ने स्त्रियों की भाषा सुधारने हेतु भार्गवी पत्रिका की सम्पादकी की।

लाहौर महिला कांग्रेस में जो प्रस्ताव स्वीकार किए गए उनमें विशेष निम्नलिखित थे :—

- (1) भार्गव पत्रिका में भार्गवी पत्रिका को मिला देने का झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था। इस भार्गवी पत्रिका ने एक साल में जो कार्य किया था वह किसी से छिपा नहीं था। स्त्रियों की भाषा व लेखन शैली सुधारने का मुख्य कार्य इस पत्रिका का ही था। अतएव पं. अयोध्या

\*\*\*\*\*

प्रसाद जी भार्गव, नवाब गंज जिला गोंडा निवासी को, जो इस पत्रिका के सम्पादक थे, सभा ने धन्यवाद देते हुए यह प्रस्ताव पास किया कि दोनों पत्रिकाएँ पृथक-पृथक रहें।

- (2) पुरुष सभा के जो प्रस्ताव स्त्रियों के समझने और उनके करने योग्य हैं, उन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया जाए।
- (3) लड़कों की तरह परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों को भी इनाम दिया जाना चाहिए। जरूरत मन्दों को छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए।
- (4) उन दिनों विधवाओं की दशा शोचनीय थी और जो द्रव्य सभा से दिया जाता था वह पूरे खर्च का नहीं होता था, अतएव सभा से निवेदन किया जाए कि एक विधवा आश्रम खोला जाए (जैसा कि प्रधान जी ने अपने भाषण में निवेदन किया था)।

इसके बाद आगामी महिला कांग्रेस का जलसा बनारस में हुआ, जिसमें 6-7 महिलाएँ बाहर से आई थीं व 33 अन्य महिलाएँ बनारस की सम्मिलित हुईं। जलसे की अध्यक्षता ध.प. पं. केदार नाथ जी, प्रयाग ने की। इस अधिवेशन में स्त्रियों सम्बन्धी विषयों पर महिलाओं के भाषण हुए व विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजों के बारे में कतिपय प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

महिलाओं की इन गतिविधियों में पुरुषों ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया। सन् 1913 ई. में ही निर्णय लिया गया था कि जहाँ कहीं भी भार्गव सभा का जलसा हो उसी के साथ महिला कांग्रेस का भी जलसा हुआ करे एवं महिला कांग्रेस के प्रबन्ध में भार्गव सभा पूरी मदद किया करे। सन् 1914 ई. के जलसे के अवसर पर अलहदा कनात व शामियाना लगवा दिया गया था, जिसमें जाति की कुछ स्त्रियाँ भी मौजूद थीं जिनमें से एक देवी ने संस्कृत में ईश्वर प्रार्थना की व दिलवर देवी जी ने परदे के अन्दर से एक लेख पढ़कर सुनाया, जिसमें स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था व विधवा आश्रम की जरूरत के प्रति ध्यान दिलाया गया था। इसके बाद मु. मिट्ठन लाल जी ने तकरीर की और दिलवर देवी जी को एक सोने का मैडल प्रदान किया जो गत वर्ष भार्गव बिरादरी मंडल अजमेर ने देना निश्चय किया था। पं. कौशल किशोर जी ने भी एक चाँदी का मैडल दिलवर देवी जी को दिया क्योंकि वे पहली भार्गव महिला थीं जिन्होंने संस्कृत में बी.ए. पास किया था।

सन् 1919 ई. की कांग्रेस में प्रस्ताव संख्या 36 द्वारा निर्णय लिया गया कि महिला कांग्रेस का जारी रखना आवश्यक व उपयोगी था और ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि जिनसे पुरुषों को महिलाओं के और महिलाओं को पुरुषों के विचार मालूम होते रहें। इसलिए जलसे की यह राय थी कि सामाजिक सुधार के जो प्रस्ताव कांग्रेस में पेश होने को हों, उन पर महिलाएँ अपनी कांग्रेस में वाद-विवाद करें और अपनी राय से पुरुष कांग्रेस को सूचित करें और पुरुष कांग्रेस में जब वे विषय वाद-विवाद के लिए पेश किए जाएँ, उस समय महिलाओं के अलहदा पर्दे में बैठने का प्रबन्ध किया जाए ताकि वे बहस को सुनकर फायदा उठा सकें और कांग्रेस के फैसले के प्रति प्रतिबद्ध हों।

सन् 1920 ई. में महिला कांग्रेस का आठवाँ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ जिसमें कुल उपस्थिति लगभग 40 के थी। स्वागत समिति की अध्यक्षता श्रीमती रतन देवी जी, ध. प. पंडित विशम्भर नाथ जी

ने स्वागत किया व ध. प. पं. प्यारे लाल जी, लखनऊ, कांफ्रेंस की अध्यक्ष निर्विवाद चुने। श्रीमती गुलाब देवी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि महिलाओं को जाति की उन्नति में योगदान देने के अवसर मिलने लगे थे। कांफ्रेंस में सोशियल सबकमेटी द्वारा तैयार कराये हुए रीति संग्रह को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया, विधवा आश्रम व उसके साथ ही कन्या पाठशाला खोलने के लिए आग्रह किया गया तथा निश्चय किया गया कि भार्गव सभा की भाँति भार्गव महिला सभा को इस तरह से संगठित किया जाए कि उसकी सदस्यता हो, एक नियमावली हो व एक मुख्यालय हो, जो लखनऊ या अन्य किसी जगह भी हो सकता था।

स्त्री शिक्षा एवं कन्या पाठशाला की आवश्यकता तो सर्वमान्य थी किन्तु कठिनाई यह थी कि छोटी सी जाति होने के कारण किसी कन्या पाठशाला या अन्य किसी ऐसी संस्था का प्रबन्ध केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा नहीं किया जा सकता था। यह कार्य तो स्थानीय प्रबन्ध से ही किया जा सकता था। अतएव सन् 1920 ई. के प्रस्ताव संख्या 20 द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर रिवाड़ी के महानुभाव एक कन्या पाठशाला लड़कियों की शिक्षा के लिए रिवाड़ी में खोल दें और उसका प्रबन्ध शिक्षा उपसमिति की निगरानी में रखें तो सभा से 300/-रुपए सालाना तक की सहायता दी जा सकती थी लेकिन सहायता की राशि उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो रिवाड़ी के महानुभाव स्वयं इकट्ठी करें।

सन् 1925 ई. में फिर प्रस्ताव संख्या 16 द्वारा निर्णय लिया गया कि स्त्री शिक्षा के लिए 500/-रुपए तक का प्रावधान बजट में रखा जाए और शिक्षा उपसमिति मैनेजिंग कमेटी की स्वीकृति से उसको खर्च करे, मगर किसी खास मुकाम पर कन्या पाठशाला खोलने के काम में न लाया जावे।

इसके पश्चात् सन् 1927 ई. के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 18 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव कन्याओं के विद्या पाठन का हर शहर व कस्बे में प्रबन्ध किया जावे और जिस-जिस शहर में अपने धार्मिक नियमों के अनुसार शिक्षा के प्रबन्ध नहीं थे, वहाँ-वहाँ कन्या पाठशाला खोलने का प्रबन्ध किया जावे, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा व धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार स्त्रियों के योग्य शिक्षा प्रदान की जाए और अगर ऐसा न हो सके तो जाति के सामान्य हिन्दू धार्मिक कन्या पाठशाला की स्थापना करने का प्रयत्न करें।

यह भी निश्चय किया गया कि एक कन्या पाठशाला लड़कियों के लिए जयपुर में खोल दी जावे जिसके लिए उसी समय कुछ चन्दा भी हुआ। पं. दुलारे लाल जी ने एक साल तक किताबें देने का वायदा किया व पं. हीरा लाल जी जयपुर ने स्लेट और कॉपियाँ हरेक भार्गव लड़की को देने का वायदा किया। निम्नलिखित सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई जो हर तीन महीने के बाद भार्गव पत्रिका में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कराया करे तथा जयपुर के सभी लोगों से भी सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाएँ और फिर भी यदि कमी रहे तो भार्गव सभा से भी इमदाद ली जावे। इसके अतिरिक्त एक जुलाई सन् 1930 ई. से भार्गव कन्या पाठशाला जयपुर को भार्गव सभा से 20/- मासिक की सहायता स्वीकृत की गई:—

- (1) पं. वैदेही शरण जी, प्रेसीडेन्ट
- (2) पं. जगती प्रसाद जी, सैक्रेट्री



\*\*\*\*\*

- (3) पं. श्याम बिहारी लाल जी, सदस्य
- (4) पं. बाबू लाल जी, सदस्य
- (5) पं. रामकिशोर जी, सदस्य

इसी समय एक कन्या पाठशाला रिवाड़ी में भी प्रारम्भ की जा चुकी थी जिसके लिए श्रीमती सावित्री देवी जी ने 10,000/- तक का वक्फ कर दिया था जिसके सूद से यह पाठशाला चलती थी।

सन् 1928 ई. में 25 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक महिला सम्मेलन कानपुर में श्रीमती दिलवर देवी भार्गवी विशारदा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसमें लगभग 67 विभिन्न 27 स्थानों से आई हुई व 50 कानपुर की महिलाओं ने भाग लिया। इस समय भी महिलाओं के नाम कार्यवाही में नहीं लिखे गए थे बल्कि धर्म प. पं., भूआजी पं., चाची जी पं.—की तरह ही लिखे गए थे।

महिला सम्मेलन की स्वागत समिति की प्रधाना, ध. प. पं. गिरधर लाल जी ने अपना वक्तव्य पढ़ कर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि “हमको इस बात का क्षोभ है कि पुरुष कांग्रेस के साथ ही महिला कांग्रेस शुरू नहीं की गई, वरना इतनी ही उन्नति आज के दिन हमारे स्त्री समाज में भी दिखलाई पड़ती। इस वक्त हमारी हालत ऐसी खराब है कि न हम लोगों में विद्या है, न शारीरिक बल है और न ऐसी बुद्धि है कि हम अपना लाभ और हानि समझ सकें। ..... हम लोगों को विद्या बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, जिसकी वजह से हम लोग जन्म भर वज्र मूर्ख बनी रहती हैं, हमको कुछ खबर नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है ..... पिछले समय में स्त्रियाँ ऐसी विद्वान् होती थीं कि पुरुषों से शास्त्रार्थ कर सकती थीं ..... जब तक ऐसा इन्तजाम न हो कि जिस तरह से विद्या लड़कों को पढ़ाई जाती थी, उसी तरह लड़कियों को भी पढ़ाई जावे और जितना समय और रुपया लड़कों को पढ़ाने में खर्च किया जाता था उतना ही समय और रुपया लड़कियों को पढ़ाने में भी खर्च किया जावे, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। लड़कियों की जल्दी शादी कर देने से उनकी पढ़ाई में बड़ा विघ्न पड़ता है ..... तीसरी बात जो निहायत जरूरी है, वह धार्मिक शिक्षा है, हम लोगों को अपना धर्म बिल्कुल मालूम नहीं, हम यह नहीं जानतीं कि आदर्श पुत्री, आदर्श वधू, आदर्श धर्म पत्नी और आदर्श माता कैसी होनी चाहिए ..... पतिव्रत धर्म, जो भारतवर्ष की स्त्रियों का खास भूषण था, बिल्कुल उठ गया और उठता जा रहा है, उसके एवज में आजकल विधवा विवाह की आवाज सुनाई पड़ती है .....” इस तरह इस वक्तव्य में उस समय की महिलाओं की स्थिति व उनकी आकांक्षाओं का बड़ा ही वास्तविक चित्रण किया गया था।

महिला कांग्रेस के तीन दिन के अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए:—

प्रस्ताव संख्या 2 (शिक्षा सम्बन्धी) सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि कन्याओं और स्त्रियों को धार्मिक और गृह कर्म सम्बन्धी शिक्षा दी जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 (आरोग्यता सम्बन्धी) इस अधिवेशन की अनुमति में यदि स्त्रियाँ अपने घर वालों सहित हवा खाने जाना चाहें तो जा सकती थीं।

प्रस्ताव संख्या 4 (सगाई सम्बन्धी) जन्मपत्री को मिलाने के बारे में स्त्री सम्मेलन की राय मिलाने और न मिलाने पर बराबर थी, ऐसी हालत में पुरुष जो उचित समझें, सो करें।

प्रस्ताव संख्या 5 (विवाह सम्बन्धी)—यह अधिवेशन निश्चित करता है कि विवाह के समय कन्या की आयु 14 या 15 वर्ष और वर की आयु 21 से 25 वर्ष तक की हो।

प्रस्ताव संख्या 6 (पतियों से छोड़ी हुई स्त्रियों सम्बन्धी)—इस अधिवेशन की अनुमति में पतियों द्वारा छोड़ी हुई स्त्रियों की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह आवश्यक था कि उनके गुजारे का खर्चा पतियों से दिलाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 (मातम सम्बन्धी)—यह अधिवेशन निश्चय करता था कि मृत्यु के पश्चात् जाति भाइयों के भोजन की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु मातमपुरसी के लिए जाना आवश्यक था।

प्रस्ताव संख्या 8 (पर्दा सम्बन्धी)—पर्दे का जारी रखना आवश्यक था, अतएव पर्दा उठा देने का जो प्रस्ताव जयपुर कांग्रेस से पास किया गया था, वह रद्द किया जाता था।

प्रस्ताव संख्या 9 (विवाह सम्बन्धी)—तीयल और बायनों में अब अधिक कमी की आवश्यकता नहीं थी, प्रथम ही कमी हो चुकी थी।

प्रस्ताव संख्या 10—विधवा विवाह के विरुद्ध 67 राय और पक्ष में केवल 11, छह स्त्रियों ने अपनी राय देना उचित नहीं समझा।

प्रस्ताव संख्या 11—यह अधिवेशन पुरुष कांग्रेस के उस प्रस्ताव को, जो उसने गौड़ ब्राह्मणों से शामिल होने के बाबत पास किया था, अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखता था।

महिला कांग्रेस के इन निर्णयों से स्पष्ट था कि अब तक उनकी प्रगति एवं गतिविधियों से उनमें महिला सम्बन्धी विषयों पर विचार करने एवं निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो गई थी तथा उनमें इतने साहस का प्रादुर्भाव भी हो गया था कि जिससे पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध भी मत प्रगट कर सकें। बड़े आश्चर्य की बात थी कि जब पुरुष कांग्रेस में पर्दा समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका था तब भी महिलाएँ पर्दे के पक्ष में थीं। इसी तरह ब्राह्मणों से मिलने के विषय में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना मत प्रगट किया। विधवा विवाह के विरुद्ध तो उन्होंने बहुमत से निर्णय लिया, जब कि पुरुष वर्ग अपने विचारों को निर्णायक रूप देने में असमर्थ ही रहे।

इस प्रकार महिलाएँ अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती जा रही थीं और इसमें पुरुष वर्ग का पूरा-पूरा सहयोग भी उन्हें प्राप्त था। जो भी छात्राएँ अथवा महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने में प्रतिभा का परिचय देती थीं, उन्हें सभा व सम्मेलन के अधिवेशनों में पुरस्कृत किया जाता था, जिससे उनमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बलवती होती थी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे छात्राएँ पढ़ने के लिए आगे आने लगीं तो उन्हें छात्रवृत्तियाँ भी दी जाने लगीं और बहुत जल्दी ही समाज में स्त्री वर्ग का रूप बदलने लगा। महिलाएँ प्रतिवर्ष सभा व सम्मेलन के अधिवेशनों में सक्रिय भाग लेने लगीं व सामाजिक विषयों पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार प्रगट करने लगीं। भार्गव पत्रिका में भी उनके लेख छपने लगे और उनकी प्रतिभा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई।

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में विकास एवं प्रगति की जो लहर चली उससे भार्गव महिला समाज भी पूर्णतया प्रभावित हुआ और जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के प्रतियोगी के रूप में उभरकर

सामने आया। यद्यपि कुछ समय तक उनकी पृथक संगठनात्मक गतिविधियाँ तो कुछ कम हो गई थीं, क्योंकि सभा व सम्मेलनों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होने पर पृथक महिला कांफ्रेंसों का न तो उतना महत्त्व ही रह गया था और न आवश्यकता ही। वर्तमान में महिलाएँ हर क्षेत्र में सक्रिय हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरी, प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में साहित्य, वकालत व विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में भार्गव महिलाएँ देश सेवा में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

वैसे अखिल भारतीय महिला समाज भी सन् 1981 ई. से सक्रिय है, (जिसका अधिकृत विवरण परिशिष्ट VIII-अ में प्रस्तुत किया जा रहा है) तथा विभिन्न नगरों में भी स्थानीय महिला सभाएँ गतिशील हैं। वास्तव में ऐसा लगने लगा है कि समस्त समाज मिलकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है और यदि वर्तमान गतिविधियों के आधार पर भावी उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आने वाले समय में हमारा महिला समाज देश की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।

\* \* \*

## 10. व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयास

सभा के संस्थापकों की प्रारंभ से ही यह निश्चित धारणा थी कि जब तक जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक जाति की उन्नति नहीं हो सकेगी। मु. गिरधर लाल जी, सैक्रेट्री भार्गव सभा ने 1890 ई. में ही अपनी पहली रिपोर्ट में जाति की आर्थिक स्थिति सुधारने के संबन्ध में कहा था कि देश में वकीलों व डॉक्टरों की संख्या इतनी बढ़ गई थी व सरकारी नौकरियाँ इतनी सीमित थीं कि जिनके कारण भार्गव नवयुवकों को रोजगार मिलना मुश्किल था। इसलिए उन्हें कोई कारखाना या धंधा शुरू करना चाहिए जिससे जाति के नवयुवकों को काम व नौकरी मिल सके। इन कार्यों के लिए जाति के लोगों को ही धन जुटाना पड़ेगा। यदि वे इस विषय पर अभी निर्णय लेना संभव न समझें तो इस पर आइन्दा विचार किया जा सकता था। इसी सम्बन्ध में बा. अयोध्या प्रसाद जी ने तकरीर की कि नवयुवकों की शिक्षा के साथ-साथ व्यवसाय व धंधों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि पढ़े-लिखे युवकों को काम मिल सके व जाति की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सके। उन्होंने एक बैंक स्थापित करने का भी सुझाव दिया जिस पर प्रस्ताव संख्या 10 के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक लाख रुपये की पूँजी से एक भार्गव बैंक खोला जाए जिसके आधे हिस्सेदार भार्गव हों और आधे के अन्य लोग हों। यह भी निश्चय किया गया कि इस बैंक का मुख्यालय जबलपुर में राय साहब पं. बिहारी लाल जी की सरपरस्ती में खोला जाए व आवश्यकतानुसार उसकी शाखायें अन्य जगह भी खोली जाएँ। अतः 1 फरवरी सन् 1893 ई. तक समस्त औपचारिकताएँ पूरी करके 27 फरवरी सन् 1893 ई. को बैंक का भार्गव कॉमर्शियल बैंक के नाम से उद्घाटन किया गया व उसका रजिस्टर्ड कार्यालय जबलपुर रखा गया।

सन् 1898 ई. में देहली में हुई 10वीं कांग्रेस में मु. गणेशी लाल जी एकाउन्टेन्ट देहली, ने प्रस्ताव किया कि कोई तिजारती काम भार्गव ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से देहली में जारी किया जावे जिसकी पचास हजार की पूँजी के लिए 50-50 रु. के हिस्से बेचे जाएँ और प्रारंभ में यह कम्पनी कपड़े और गोटे का काम करे तथा मुनाफे का एक चौथाई भाग जाति के कामों में लगाया जाए। इससे जाति में बेकारी भी कम होगी और आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार भी होगा। इसका विस्तृत विवरण तैयार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जा सकती थी। अतः प्रस्ताव संख्या 15 व 16 द्वारा निर्णय लिया गया कि जाति की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाए जो इस बात की रिपोर्ट तैयार करे कि क्या जाति के चन्दे से कोई व्यापार या व्यवसाय स्थापित किया जा सकता था :—

1. राय गंगा शरण दास जी, देहली
2. ला. खुशवक्त राय जी, रिवाड़ी
3. ला. मथुरा प्रसाद जी, देहली
4. ला. गणेशी लाल जी, एकाउन्टेन्ट, देहली

\*\*\*\*\*

5. ला. राम लाल जी, बजाज, रिवाड़ी
6. ला. चिरंजी लाल जी, बजाज, रिवाड़ी
7. ला. कन्हैया लाल जी, रिवाड़ी
8. ला. गंगा शरण दास जी, रिवाड़ी।

सन् 1899 ई. की कांफ्रेंस में यह मालूम होने पर कि प्रस्तावित भार्गव ट्रेडिंग कम्पनी के 2500/-रु. के हिस्से बेचे जा चुके थे, तो आम राय से यह निर्णय हुआ कि इस साल तो इस योजना को स्थगित रखा जावे और साल भर में इस प्रस्ताव पर जाति बन्धु और विचार कर लें।

सन् 1900 ई. में इलाहाबाद की कांफ्रेंस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, पं. बैनी प्रसाद जी, मिर्जापुर ने कहा कि उनकी जाति की सम्पन्नता बढ़ाने के लिए लन्दन में उन्हें एक ट्रेडिंग कम्पनी खोलनी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं एक लन्दन की कम्पनी को 10,000/-रुपये वार्षिक कमीशन दे रहे थे, और यदि ऐसी एक कम्पनी अपने लोगों की वहाँ पर हो तो यह सारा कमीशन उनकी जाति की उन्नति में काम आ सकता था, तथा उन्हें अपनी जाति की संपन्नता एवं समृद्धि को बढ़ाने के लिए व्यापार व व्यवसाय की ओर ध्यान देना चाहिए।

सन् 1905 ई. की कांफ्रेंस में बा. बिशन नारायण जी ने कहा कि अन्य जातियाँ तिजारत व दस्तकारी की ओर ध्यान दे रही थीं तथा यह जानने की कोशिश कर रही थीं कि दुनिया के अन्य लोग अपनी उन्नति के लिए क्या कर रहे थे। वे किसी को जापान भेजते थे व किसी को यूरोप। कूपमंडूकियत से अपना काम नहीं चलने वाला था। हम लोगों को चाहिए कि बड़े-बड़े शहरों जैसे इलाहाबाद, आगरा, मथुरा व जयपुर आदि में क्लब स्थापित करें और वहाँ तिजारत व दस्तकारी आदि से सम्बन्धित पुस्तकें रखी जाएँ। माहवारी अथवा साप्ताहिक मीटिंग हों और इस सम्बन्ध में बातचीत हों, जिसके अच्छे परिणाम हो सकते थे। नवयुवकों को ट्रेनिंग दी जावे और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें खर्चा देकर जापान भेजा जावे जो वापिस आने पर अदा किया जावे। इन तरीकों से काफी प्रगति हो सकती थी।

अतः प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा निर्णय लिया गया कि “जो साहब मुल्क जापान बगर्ज तरक्की-ए-तिजारत जाना चाहें उन्हें कौम की तरफ से जाने की मुमानियत नहीं थी, मगर धर्म-कर्म से रहना फर्ज था।” मु. जगन्नाथ प्रसाद जी सैक्रेट्री ने सभा में बतलाया कि मु. प्रयाग नारायण जी, लखनऊ ने कहा था कि वे एक लड़के का खर्चा जापान जाने का देंगे, यदि वह वहाँ से आकर 3 साल तक उनके यहाँ काम करे और अपना खर्चा स्वयं करे। बा. बिहारी लाल जी ने कहा कि जो शख्स आला दर्जे का तालीमयाप्ता हो और वह बगर्जे तालीम आला जापान जाना चाहे तो वे उसे 50/- रुपये किताबों के लिए देंगे। इसी तरह निम्नलिखित सज्जनों ने भी सहायता देना स्वीकार किया, यदि वे लोग कम से कम बी.ए. पास हों और वापिस आने पर कारखानों में काम करें :-

1. बा. राम नाथ जी, मथुरा 200/- रु. यदि वह धर्म-कर्म से रहें।
2. मु. गोविन्द सहाय जी, इलाहाबाद 200/- रु.
3. बा. केदार नाथ जी, इलाहाबाद 200/- रु.

4. पं. मुनीश्वर प्रसाद जी, इलाहाबाद 200/- रु.
5. पं. कांता नाथ जी, इलाहाबाद 200/- रु.
6. पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर 200/- रु.

सन् 1928 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या 12 द्वारा निर्णय लिया गया कि जाति में बेरोजगारी दूर करने के उपायों पर विचार करने हेतु निम्नलिखित कमेटी बनाई जाए, जिसका कर्तव्य होगा कि ऐसे उपाय सोचे जिनसे बेरोजगारी दूर हो सके तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए व्यावहारिक प्रयत्न करे, और इस कमेटी के खर्च के लिए बजट में 200/- की धनराशि निश्चित की जाए :-

1. पं. हर प्रसाद जी, इन्दौर, संयोजक
2. पं. विशेश्वर नाथ जी, बम्बई
3. मै. डी.एच. ब्रादर्स, अजमेर
4. पं. जयन्ती प्रसाद जी—सर्विस सिक्वोरिंग एजेन्सी, देहली।

सन् 1930 ई. में सभा ने निर्णय लिया कि जिन बेरोजगारों को रोजगार की तलाश हो, वे अपने आवेदन पत्र सभा के सैक्रेट्री के पास भेजें, जो उन्हें यथासंभव सहायता करेंगे और यदि वे चाहें तो उनके विज्ञापन भार्गव पत्रिका में निःशुल्क छापे जा सकेंगे। सन् 1935 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या (5) द्वारा निर्णय लिया गया कि युवकों को दुकानों और कारखानों में काम सिखाने का प्रबन्ध किया जाए, ताकि वे काम सीखने के पश्चात् अपनी जीविका उपार्जित कर सकें।

सन् 1939 ई. के सम्मेलन में प्रस्ताव सं. 21 द्वारा निश्चय हुआ कि भार्गव सभा के निम्नलिखित सभासदों की एक समिति बनाई जाए, जो कि जाति के नवयुवकों को कारोबार में लगाने और टैक्निकल काम सीखने में सहायता करे। यह समिति भार्गवों तथा अन्य लोगों के समस्त इन्डस्ट्रियल प्रतिष्ठानों की सूची बनावे और जहाँ-जहाँ हमारी जाति के युवकों को काम मिलने की संभावना हो, वहाँ के मालिकों से अनुरोध करे कि वे उनको अपने यहाँ काम पर लगा लें। यदि कोई युवक किसी रोजगार सम्बन्धी विषय में समिति की सहायता चाहे तो इस समिति का कर्तव्य होगा कि उसकी उचित सहायता करे।

- (1) राय साहब पं. शंकर जी कानपुर, (संयोजक)।
- (2) पं. ब्रह्मदत्त जी, जनरल मैनेजर, जनरल ऐश्योरेन्स सोसाइटी, अजमेर।
- (3) मु. रामकुमार जी, लखनऊ।
- (4) पं. कृष्ण प्रसाद जी, आगरा।
- (5) पं. अयोध्या प्रसाद जी, कलकत्ता।
- (6) पं. परमेश्वरी सरन जी, यू.आई.सी. पेपर मिल्स, लखनऊ।
- (7) पं. श्री कृष्ण देव जी, अपर इंडिया शुगर फैक्ट्री, खतौली।
- (8) पं. विष्णु दत्त जी, प्रयाग।

इसी वर्ष निम्नलिखित सज्जनों की जो बेकारी निवारण कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया गया था कि माह अक्टूबर में भार्गव पत्रिका में नोटिस प्रकाशित किया गया था, जिसमें

कहा गया था कि जो बेकार हों वे अपना-अपना प्रतिवेदन अपनी योग्यताओं के साथ लिखकर भेजें। इसके जवाब में केवल दो प्रतिवेदन ही प्राप्त हुए, एक तो एक ओवरसीयर का था, जो नौकरी की तलाश कर रहा था और दूसरे महाशय मोटर या साइकिल की एजेन्सी चाहते थे, जिसमें कमेटी कोई सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि एजेन्सी प्राप्त करने के लिए दुकान आदि विभिन्न शर्तें होती थीं। इसी प्रकार दुबारा भी नोटिस निकाला गया, लेकिन अन्य कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ :—

- (1) राय साहब पं. शंकरलाल जी, ब्यावर (संयोजक)
- (2) मु. रामकुमार जी, लखनऊ
- (3) पं. कृष्ण प्रसाद जी, आगरा
- (4) पं. अयोध्या प्रसाद जी, कलकत्ता।

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में जाति में बेकारी जैसी कोई समस्या थी ही नहीं। इस प्रकार की योजनाएँ प्रारम्भ करने से पूर्व जाति में बेकारी का पूर्व सर्वेक्षण आवश्यक होता है, जो न उस समय हुआ और न आज ही हो रहा है।

सन् 1946 ई. के भार्गव सभा के अधिवेशन में, प्रधान रा.ब. पं. प्यारेलाल जी ने प्रबन्धक समिति का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया —

“इस समिति की राय में एक लिमिटेड कम्पनी खोली जाए जिसके मैनेजिंग एजेन्ट्स भार्गव सभा हो। प्रारम्भ में पूँजी एक लाख रुपया रखी जाए और एक हिस्सा 10/- का हो। सभा को दस हजार रुपये के हिस्से लेने होंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि जाति के लोगों को काम मिले। निम्नलिखित सज्जनों की एक कमेटी बनाई जाती है, जो इस सम्बन्ध में पूरी योजना तैयार करे।” इस प्रस्ताव पर अनेक लोगों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। पं. पुरुषोत्तम लाल जी अलवर ने कहा कि यदि दयाल बाग के ढंग पर काम किया जाए तो अच्छा हो। पं. विष्णु दत्त जी प्रयाग ने लिमिटेड कम्पनी खोलने के विचार का विरोध करते हुए कहा कि सभा विधिवत् मैनेजिंग एजेन्ट नहीं बन सकती थी, और न अपने धन को किसी लिमिटेड कम्पनी में ही लगा सकती थी। पं. कृष्ण प्रसाद जी व पं. शिव नारायण जी ने इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक लाख रुपये की धनराशि से खोलने का प्रस्ताव किया। पं. गंगा नारायण जी ने कहा कि यू.पी. गवर्नमेंट कॉटेज इन्डस्ट्रीज के प्रचार के लिए औद्योगिक केन्द्र खोल रही थी, और उन्हें भी सरकार से सहायता मिल सकती थी। अन्ततः निम्नलिखित प्रस्ताव संख्या 18 सर्वसम्मति से पास हुआ :—

“भार्गव सभा का यह वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित सज्जनों की एक कमेटी बनाता है, जो जाति की आर्थिक उन्नति के साधनों पर विचार करे व अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर पेश करे। उक्त कमेटी को अधिकार होगा कि जाति के अन्य सदस्यों की भी सहायता के लिए सभासद बना ले :—

- (1) प्रो. सालगराम जी, (संयोजक)।
- (2) पं. विष्णु दत्त जी, प्रयाग।
- (3) पं. हरीनाथ जी, लखनऊ।



- (4) पं. अयोध्या प्रसाद जी, कलकत्ता।
- (5) पं. कृष्ण प्रसाद जी, आगरा।
- (6) पं. परमेश्वरी शरण जी, आगरा।
- (7) पं. देवीसिंह जी, कानपुर।

सन् 1947 ई. के भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत समाज सुधार उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में एक अन्य योजना का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार एक लिमिटेड कम्पनी 5 लाख रुपये के मूल धन से खोलने व दस-दस रुपये के हिस्से रखने का प्रस्ताव था, जिसमें से केवल ढाई लाख रुपया उसी समय 5/- रुपये प्रति हिस्सा, ढाई रुपये दरखास्त के साथ व ढाई रुपये अलाट करने पर वसूल किए जावें। कम्पनी के डायरेक्टर इत्यादि की नियुक्ति भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन से हो जाए। सबसे प्रथम कम्पनी का उद्देश्य यह हो कि वह छोटी-छोटी पूँजी से विविध प्रकार के काम करे और जैसे-जैसे सफलता मिलती जाए, कार्य बढ़ती जाए।

पं. कृष्ण प्रसाद जी आगरा निवासी ने यह सुझाव दिया कि एक इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाए। इस सोसाइटी का मूल धन तीन लाख रुपये हो, 50-50 रुपये के छह हजार हिस्सों में बाँटा जाए, प्रारम्भ में तो एक लाख रुपये के हिस्से जारी किए जाएँ और 1 लाख रुपया जमा किया जाए। इस रुपये में लघु उद्योग जैसे साबुन बनाना, तेल निकालने का काम, फलों का रस बनाने का काम, बटन व कंधे बनाने का काम इत्यादि खुलवाए जावें और हरेक उद्योग में दस हजार से ज्यादा न लगाया जाए। यदि इन कामों को सीखे हुए व्यक्ति जाति में उपलब्ध न हों तो उनको शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जाए, उनकी शिक्षा का आधा खर्चा सभा दे और आधा वे स्वयं वहन करें। दस हजार रुपये से लेकर वह सज्जन उद्योग खोले और अपने साथ के 3 या 4 सज्जन ले ले। 10 साल में उस सोसाइटी को दस हजार रुपये वापिस करने होंगे। रुपया वापिस हो जाने पर उक्त सज्जन को आधे का मालिक व उनके अन्य साथी बाकी आधे के मालिक होंगे। इस प्रकार हर उद्योग के साथ 4-5 आदमियों को काम मिल जाएगा।

उपरोक्त दोनों योजनाओं पर विचार-विमर्श के पश्चात् बहुमत से प्रस्ताव संख्या 11 इस प्रकार स्वीकृत हुआ :— “निश्चय हुआ कि इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निम्नलिखित सज्जनों की एक उपसमिति बनाई जाए :—

- (1) पं. कृष्ण प्रसाद जी, आगरा (संयोजक)।
- (2) पं. विष्णु दत्त जी, प्रयाग।
- (3) प्रो. सालगराम जी, प्रयाग।
- (4) पं. देवीसिंह जी, कानपुर।
- (5) पं. परमेश्वरी शरण जी, आगरा।

सन् 1947 ई. के प्रस्ताव संख्या 23 द्वारा निर्णय लिया गया कि समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बैंक चालू किया जाए और उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए पं. मुरली मनोहर जी

इन्सपेक्टर रिजर्व बैंक से प्रार्थना की जाए कि वे इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार करके सभा के पास भेज दें और अपना सहयोग दें।

सन् 1948 ई. के भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन में उपरोक्त आर्थिक उपसमिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पं. कृष्ण प्रसाद जी ने कहा कि आजकल की बदली हुई परिस्थितियों में जातीय इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्य न कर सकेगी और उनकी इस धारणा के कारण निम्नलिखित थे :—

- (1) जातीय इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकारी कारपोरेशन की अपेक्षा अधिक सुविधा न दे सकेगी, क्योंकि उसकी पूँजी बहुत ही सीमित रहेगी;
- (2) उनके कॉरपोरेशन में जातीयता रहेगी और वह कॉरपोरेशन की प्रगति में बाधा सिद्ध हो सकती थी, क्योंकि सरकार इस जातीयता को प्रोत्साहन तो दूर रहा, इसे राष्ट्र के लिए बाधक समझेगी;
- (3) अगर उन लोगों ने कॉरपोरेशन स्थापित भी कर लिया और जो नवयुवक कोष से सहायता पाकर कार्य प्रारम्भ करेंगे, उन्हें बाद में यदि सहयोग न मिला तो जिन उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेशन की स्थापना होगी, उनमें बहुत बड़ी ठेस पहुँचेगी;
- (4) आजकल के समय को देखते हुए पचास हजार रुपये भी इकट्ठा होना, असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल होगा।

अतः उन्होंने सुझाव रखा कि कॉरपोरेशन की स्थापना को स्थगित करना चाहिए और उन्हें अपने जाति के नवयुवकों को उद्योग धन्धों की शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिकांश सज्जन इसी मत से सहमत हुए।

दिसम्बर, सन् 1955 ई. के मथुरा में हुए सभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या (34) द्वारा निम्नलिखित समिति बनाई गई जो यह विचार करके कि किन-किन साधनों से जाति की आर्थिक दशा में सुधार हो सकता था, रिपोर्ट करे :—

- (1) पं. अयोध्या प्रसाद जी, कलकत्ता
- (2) पं. कृष्ण प्रसाद जी, आगरा
- (3) पं. दीनानाथ जी, आगरा
- (4) पं. श्याम बिहारी लाल जी, जयपुर
- (5) पं. धरमचंद जी, अमृत इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा
- (6) पं. राधा कान्त जी, प्रयाग
- (7) पं. हर चरणदास जी, लखनऊ
- (8) पं. नन्द किशोर जी, बनारस
- (9) पं. वेद प्रकाश जी, चन्दौसी
- (10) पं. द्वारका प्रसाद जी, जबलपुर

इसी वर्ष सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जो भार्गव महानुभाव जाति के युवकों को उद्योग में लगा सकें और औद्योगिक शिक्षा दिला सकें, उनसे यह सम्मेलन प्रार्थना करता था कि वे प्रधानमन्त्री जी को

सूचना दें तथा भार्गव पत्रिका में भी प्रकाशित करवा दें।

सन् 1973 ई. में फिर भार्गव सभा द्वारा एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था, जिसके संयोजक पं. भारत भूषण जी थे। इस समिति ने अनेक औद्योगिक योजनाओं पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी ऐसे नगर में, जहाँ जातीय बन्धु पर्याप्त संख्या में रहते हों, एक मध्यम श्रेणी के आधुनिक मुद्रण संस्थान की स्थापना की जाए, तो जातीय युवकों को रोजगार व ट्रेनिंग के अवसर उपलब्ध हो सकते थे। इसके लिए तीन लाख रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें से यदि जातीय बन्धु पचास हजार रुपये की व्यवस्था कर सकें तो शेष के लिए सरकारी ऋण का प्रयास किया जा सकता था।

इस प्रकार जाति की आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न व्यावसायिक एवं व्यापारिक योजनाएँ बनती रही थीं और आज तक भी यह प्रक्रिया जारी है। परन्तु यह एक विचारणीय प्रश्न है कि आज तक किसी भी योजना को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया तथा इन योजनाओं से जाति को क्या लाभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ये योजनाएँ जाति की सम्भवतः वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं, अर्थात् जाति के लोगों को ऐसी योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी। किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि पहले सर्वेक्षण किया जाए और फिर तथ्यों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार योजनाएँ बनाई जाएँ। दूसरे योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए जो उनको व्यावहारिक रूप दे सके एवं उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सके। हमारी जाति में इन दोनों चीजों का ही अभाव रहा। हमारी केन्द्रीय सभा, जिसका वर्ष में एक अधिवेशन होता था व जिसकी प्रबन्धक समिति की 3-4 बैठकें होती थीं, वह किसी भी योजना के क्रियान्वयन का माध्यम नहीं हो सकती थी। सन् 1934 ई. में जब बेकारी निवारण कमेटी बनाई गई और उसने भार्गव पत्रिका में यह सूचना प्रकाशित करवाई कि जो बेकार हों वे अपना प्रतिवेदन अपनी योग्यताओं आदि के साथ कमेटी के पास भेज दें, तो समस्त जाति से केवल दो दरखास्ते प्राप्त हुई, एक तो किसी ओवरसीयर की, जो नौकरी तलाश कर रहा था और दूसरी उसकी जो साइकिल अथवा मोटर की एजेन्सी प्राप्त करने का इच्छुक था। इससे स्पष्ट है कि जाति में उस समय बेकारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। अतः ऐसी किसी भी योजना का आधार जाति की वास्तविक आवश्यकता होना चाहिए और उसकी कसौटी सर्वेक्षण एवं वास्तविक स्थिति ही होनी चाहिए।

वास्तव में जाति की वर्तमान आर्थिक प्रगति अथवा उन्नति में सबसे अधिक योगदान योजनाओं से नहीं, टैक्निकल शिक्षा निधि से हुआ है, जिसकी सहायता से सैकड़ों नवयुवक व युवतियाँ डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य टैक्निकल प्रशिक्षण प्राप्त कर जाति को समृद्ध बनाने में योगदान दे रहे हैं।

\* \* \*

## 11. भार्गव पत्रिका

भार्गव पत्रिका का जन्म एक जातीय पत्रिका के रूप में \*माह सितम्बर सन् 1888 ई. में हुआ था और प्रारम्भ में इसका नाम मजहर-उल-इसलाह था। इसके जन्मदाता व प्रथम सम्पादक मु. हरदयाल सिंह जी, अध्यापक महाराजा कॉलेज, जयपुर थे। इसके दूसरे अंक के मुख पृष्ठ पर जिल्द 1 अंक 2



मु. हरदयाल सिंह जी  
(सन् 1867-1927 ई.)

लिखा हुआ था और इसको 'भार्गव पेपर' मजहर-उल-इसलाह कहा गया था। जिल्द 1 अंक 3 माह दिसम्बर के मुख पृष्ठ पर 'भार्गव पत्रिका' मजहर-उल-इसलाह छपा हुआ था व इसकी ग्राहक संख्या 50 के लगभग हो गई थी। जयपुर में छपाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण पत्रिका के अंक समय पर भेजने में कठिनाई होती थी। यद्यपि वार्षिक शुल्क डाक महसूल सहित दो रुपए दस आने से बढ़ाकर तीन रुपए दस आने कर दिया गया था, किन्तु ग्राहकों की संख्या 80-82 ही होने के कारण आर्थिक कठिनाई भी अनुभव की जा रही थी। जब यह कठिनाई मु. नवल किशोर जी, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत की गई तो उन्होंने पत्रिका को कानपुर में मु. रामसिंह जी की निगरानी में छपवाने की पेशकश की और यह भी कहा कि यदि ग्राहकों की सूची व डाक खर्च भिजवा दिया जाए तो कानपुर से ही मु. रामसिंह जी सीधे ग्राहकों के पास भेज देंगे। परन्तु यह बात स्वीकार्य नहीं मालूम हुई, किन्तु फिर भी मु. साहब ने पत्रिका की सहायता के लिए 50/- रुपए वार्षिक देने का वायदा किया।

प्रारम्भ से ही भार्गव पत्रिका उर्दू में छपती थी। मु. दुरगा प्रसाद जी, तहसीलदार ठाकरवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 13 दिसम्बर सन् 1888 ई. में सुझाव दिया था कि यदि पत्रिका का आधा भाग उर्दू में व आधा भाग नागरी में प्रकाशित किया जाए तो महिलाओं को भी, जो केवल हिन्दी ही जानती थीं, पत्रिका पढ़ने का अवसर मिल सकता था व उससे वे लाभान्वित हो सकती थीं तथा विषय ऐसे भी होने चाहिए जिनसे बच्चों के पालन-पोषण में सहायता मिल सके।

---

\* भार्गव पत्रिका माह जनवरी सन् 1889 ई.।

इसी समय कुछ पाठकों ने भी यह मत प्रगट किया कि हिन्दी में एक पर्चा निकाला जाए, जिसकी भाषा सरल हो व उसमें ऐसी बातें लिखी जाएँ जो स्त्रियों के लिए उपयोगी हों। मु. दुरगा प्रसाद जी, तहसीलदार, ठाकरया ने भी इस पर्चे को माहवारी मदद देने का वायदा किया। मु. हरदयाल सिंह जी ने कहा कि वे 5 अप्रैल सन् 1889 ई. से एक 16 सफे का हिन्दी रिसाला, अच्छे कागज पर छपा, निकालना चाहते थे, लेकिन 500 प्रतियाँ छापकर प्रकाशित करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होगी और जब तक पर्याप्त धन इकट्ठा न हो जाए उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता था।

भार्गव पत्रिका के चौथे अंक माह जनवरी सन् 1889 ई. के अनुसार पत्रिका का सर्वप्रथम कर्तव्य भार्गव सभा व कमेटियों की कार्यवाहियाँ प्रकाशित करना था। इसके अतिरिक्त 8 से 14 वर्ष तक की आयु के लड़कों के टेवे व विभिन्न स्थानों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूचियाँ भी प्रकाशित की जाती थीं, जिससे मालूम होता है कि विवाह छोटी आयु में हो जाते थे, तथा बड़ी-बड़ी उम्र के लड़के, जो अधिकांशतः शादीशुदा होते थे, छोटी-छोटी कक्षाओं में ही पढ़ते थे।

भार्गव पत्रिका के मजहर-उल-इसलाह का पाँचवाँ अंक माह फरवरी सन् 1889 ई. में आगरा में छपकर प्रकाशित हुआ, इसी प्रकार भार्गव पत्रिका मजहर-उल-इसलाह के अंक संख्या 6, 7 व 8 माह मार्च, अप्रैल व मई सन् 1889 ई. में प्रकाशित किए गए।

मजहर-उल-इसलाह के नवें अंक पर 'भार्गव पत्रिका' न लिखकर 'किताब खयालात व हालात कौम भार्गव' बमाह जून सन् 1889 के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसके संकलनकर्ता मु. हरदयाल सिंह जी थे व इसकी छपाई मथुरा में हुई थी। इसी प्रकार मजहर-उल-इसलाह के 10वें, 11वें व 12वें अंक बमाह जुलाई, अगस्त व सितम्बर सन् 1889 ई. पर भी 'भार्गव पत्रिका' न लिखकर, केवल 'रिसाला हालात व खयालात कौम भार्गव' ही लिखा गया था। इस समय तक इसके 145 ग्राहक बन चुके थे। ये अंक हीरालाल प्रेस, जयपुर में ही छपे थे। सन् 1890 ई. के अंकों में फिर से भार्गव पत्रिका लिखना प्रारम्भ कर दिया गया था।

भार्गव पत्रिका में जाति की आवश्यकताओं एवं उसके हितों के अनुरूप ही सामग्री प्रकाशित होती थी, अतः सभा की स्थापना के साथ-साथ ही जाति बन्धुओं का ध्यान इसकी ओर गया और कांग्रेस के अधिवेशनों में इसकी चर्चा प्रारम्भ हुई। जाति और सभा को एक ऐसी पत्रिका की आवश्यकता तो थी ही कि, जिसके माध्यम से सभा के उद्देश्यों व उसकी गतिविधियों का प्रचार व प्रसार हो सके, किन्तु उसके पास पृथक से अपना पत्र प्रकाशित करने के साधन नहीं थे और जब जाति की एक पत्रिका विद्यमान थी, जिसका सम्पादन भी पं. हरदयाल सिंह जी जैसे योग्य व्यक्ति के हाथ में था, तो इसी पत्रिका को एक जातीय पत्रिका के रूप में स्वीकार करना आवश्यक भी था और उपयोगी भी। अतएव सन् 1891 ई. की कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि मु. हरदयाल सिंह जी, सम्पादक, भार्गव पत्रिका से निवेदन किया जाए कि पत्रिका को जाति के लिए अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से, जातीय लेखों को यथासम्भव हिन्दी में भी प्रकाशित किया करें और भार्गव जाति का ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि वे इसकी सहायता करें और समय-समय पर लेख व सूचनाएँ भेजते रहें।

माह दिसम्बर सन् 1892 ई. व जनवरी सन् 1893 ई. के अंकों के मुख पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि उस रिसाले का राजनीतिक, धार्मिक व सामान्य समाचारों से कोई सम्बन्ध नहीं था। जाने-अनजाने में इस प्रकार मु. हरदयाल सिंह जी ने पत्रिका की नीति का एक ऐसा मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया कि जो आज तक भार्गव पत्रिका के सम्पादन का आधार बना हुआ है।

सन् 1893 ई. की अपनी रिपोर्ट में मु. गिरधर लाल जी, सैक्रेटरी भार्गव सभा ने कहा कि भार्गव पत्रिका का कुछ भाग हिन्दी भाषा में छपना चाहिए कि जिससे महिलाएँ भी उससे लाभ उठा सकें तथा इसमें अच्छे-अच्छे लेख प्रकाशित होने चाहिए। यदि आगरा व रिवाड़ी सभा सहमत हों और यदि भार्गव पत्रिका सभाओं की रिपोर्ट व कार्यवाहियाँ प्रकाशित करने को तैयार हो, तो सभा उसके घाटे को कम करने में सहायता दे सकती थी। इसी रिपोर्ट में मुन्शी साहब ने कहा कि जयपुर में भार्गव पत्रिका छपने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आगरा में एक प्रैस स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके लिए मु. नवल किशोर जी, लखनऊ ने एक प्रैस दान के रूप में आगरा भेज दिया और मु. हरदयाल सिंह जी ने सम्पादन का कार्य करते रहना स्वीकार किया।

सन् 1895 ई. में फिर प्रस्ताव पास किया गया कि बा. हरदयाल सिंह जी, सम्पादक, भार्गव पत्रिका, का ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि जाति के रीति-रिवाजों से सम्बन्धित विषय यथासम्भव नागरी में छापे जाएँ और जाति के लोगों का ध्यान इस जातीय पत्रिका की सहायता के लिए दिलाया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पादक भार्गव पत्रिका को चाहिए कि, समय-समय पर अविवाहित लड़कों की सूची मय पतों के प्रकाशित किया करें तथा भार्गव पत्रिका प्रति माह समय पर प्रकाशित होनी चाहिए व जाति के सभी लोगों से अपील की गई कि उन्हें पत्रिका के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने के प्रयत्न करने चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न कठिनाइयों के कारण भार्गव पत्रिका जयपुर से सम्भवतः सन् 1900 ई. के प्रारम्भ तक ही प्रकाशित हो पाई व उसके कुछ माह बाद अक्टूबर सन् 1900 ई. से अजमेर से प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ।

15 जुलाई सन् 1900 ई. को अमली कमेटी अजमेर की एक बैठक, राय दामोदर लाल जी, ई.ए. सी. के मकान पर मु. घासी राम जी की अध्यक्षता में हुई। राय दामोदर लाल जी ने कहा कि भार्गव पत्रिका, जो जयपुर से प्रकाशित होती थी, वह बन्द हो गई थी, इसलिए अब यह जातीय पत्रिका अजमेर से प्रकाशित होनी चाहिए। अतः निर्णय लिया गया कि अजमेर से एक जातीय पत्रिका भार्गव अमली कमेटी की ओर से जे. निगरानी बा. रामजीवन लाल जी, प्रकाशित की जावे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि सूचना व प्रसार आदि के लिए विशेष चन्दा इकट्ठा किया जावे और निम्नलिखित सज्जनों ने प्रत्येक ने पाँच-पाँच रुपए चन्दा दिया:—

- (1) मु. मिट्ठन लाल जी,
- (2) राय दामोदर लाल जी,
- (3) मु. प्रभु दयाल जी,
- (4) बा. राम जीवन लाल जी।

इसके पश्चात् 14 अक्टूबर को एक और बैठक हुई, जिसमें मु. मिट्ठन लाल जी को पत्रिका का संपादक व बा. राम जीवन लाल जी, भूतपूर्व दीवान शाहपुरा को मैनेजर नियुक्त किया गया और अक्टूबर 1900 का, पत्रिका का पहला अंक अजमेर से प्रकाशित हुआ। वर्ष के अन्त तक ग्राहक संख्या 120 तक पहुँच गई थी।

सन् 1900 ई. की इलाहाबाद कांफ्रेंस में प्रस्ताव संख्या 13 में कहा गया कि भार्गव पत्रिका जातीय पर्चा हो गया था और उसका जो हानि-लाभ होगा, वह जाति का समझा जाएगा। भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा में जो प्रेस था, वह बा. मिट्ठन लाल जी, अजमेर को दे दिया जाए, जो उनसे भार्गव पत्रिका बन्द होने पर अथवा उसमें नुकसान होने पर वापिस ले लिया जाएगा।

माह मई सन् 1901 ई. की भार्गव पत्रिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि मेरठ में हुए अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उनमें एक यह भी था कि हिन्दी पत्रिका निकालने का प्रबन्ध किया जाए और उस समय जोश में करीब 21 लोगों ने कुछ चन्दा हिन्दी पत्रिका के लिए देने का वायदा भी किया था मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद नियमित रूप से तो नहीं मगर साधारणतया लखनऊ के लोगों की तरफ से मु. नत्थू लाल जी ने यह सुझाव दिया कि एक आठ पृष्ठ का रिसाला हिन्दी में प्रकाशित किया जाए और उसकी 200 प्रतिलिपियाँ भार्गव पत्रिका के साथ उन लोगों के पास भेजी जाएँ जो पत्रिका के ग्राहक थे और बाकी कॉपियाँ और जगह भेजी जाएँ और आठ आने वार्षिक मूल्य निश्चित किया जाए। अतः एक नमूने की प्रतिलिपि माह अप्रैल के अंक के साथ प्रकाशित की गई मगर खरीदारों की स्वीकृति नहीं आई। परीक्षा के रूप में माह मई के अंक के साथ भी हिन्दी पर्चा निकाला गया, मगर पर्चे के ग्राहकों की संख्या केवल 155 ही होने के कारण भार्गव पत्रिका इसके अतिरिक्त भार को वहन नहीं कर सकती थी, जब तक कि पत्रिका की और सहायता न की जाए और जो तीन तरह से की जा सकती थी। सर्वप्रथम तो ऐसे कि भार्गव पत्रिका के वर्तमान ग्राहकों के अतिरिक्त आठ आने वार्षिक देने वाले 200 ग्राहक हो जावें; दूसरे यह कि लखनऊ के लोग या अन्य कोई संस्था स्थायी तौर पर 100/- रुपये वार्षिक का वायदा फरमाए; और तीसरे यह कि वर्तमान आठ आने वाली पत्रिका के वार्षिक चन्दे में वृद्धि कर दी जाए। जब तक उपरोक्त में से कोई सी भी बात नहीं की जाती है, तब तक हिन्दी की पत्रिका प्रकाशित नहीं हो सकेगी और आगामी जून से ही बन्द करना होगा।

सन् 1901 ई. के अधिवेशन में अजमेर से प्रकाशित होने वाली भार्गव पत्रिका के लिए 5/- माहवार पर एक क्लर्क की मन्जूरी दी गई और कहा गया कि लोकल कमेटी पत्रिका का कुछ भाग हिन्दी में भी छापने का प्रयास करें। सन् 1903 ई. की रिपोर्ट में कहा गया था कि राव बिहारीलाल जी, जबलपुर ने विचार प्रकट किया था कि कभी-कभी पत्रिका में प्रकाशित विषय आपत्तिजनक होते थे, जिसके जवाब में मु. मिट्ठन लाल जी ने कहा कि सम्पादक को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार था और साधारणतया निष्पक्षता ही बरती जाती थी, फिर भी आदेशों का पालन किया जाएगा।

अन्ततः सन् 1906 ई. में ढोसी में हुए कांफ्रेंस के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि भार्गव पत्रिका में ऐसे लेख छपा करें जिनसे सभा व सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति और जाति का सनातन धर्म के अनुसार उत्थान हो। लेकिन इस प्रस्ताव में यह ब्यौरा नहीं था कि वास्तव में किस प्रकार के लेख पत्रिका में छपा



करें, अतः पूर्ण विचार के बाद सन् 1907 ई. में अलीगढ़ में हुए अधिवेशन में निश्चय किया गया कि पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर लेख छपा करें:-

1. जातीय समाचार,
2. अन्य समाचार
3. सम्मेलन के प्रस्तावों तथा नियमों के पालन अथवा उल्लंघन होने की सूचनाएँ,
4. सदाचार सम्बन्धी,
5. सम्मेलनों में पेश होने वाले विषयों पर वाद-विवाद,
6. स्थानीय सभाओं एवं कार्यकर्ताओं की कार्यवाही व
7. स्त्री शिक्षा सम्बन्धी (नागरी में)।

इस प्रकार भार्गव पत्रिका का प्रकाशन सन् 1914 ई. तक अजमेर से मु. मिट्ठन लाल जी की सम्पादकता में होता रहा। इससे पहले सन् 1912 ई. में प्रस्ताव था कि भार्गव सभा स्वयं एक पत्रिका निकाले और उसे यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह उचित समझे तो वर्तमान भार्गव पत्रिका को ही अपना पर्चा स्वीकार कर ले।

माह जून सन् 1915 ई. से भार्गव पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से प्रारंभ हुआ और उसमें उर्दू के पृष्ठों के अतिरिक्त 16 पृष्ठ हिन्दी के भी छपने प्रारंभ हुए। इससे पहले भी कभी-कभी 4-6 पृष्ठ हिन्दी के सम्मिलित कर लिए जाते थे।

सन् 1916 ई. में निर्णय लिया गया कि — (1) भार्गव पत्रिका सभा की सम्पत्ति थी, (2) भार्गव पत्रिका सोशियल उप-समिति की देख-रेख में कार्य करेगी, (3) भार्गव पत्रिका के प्रबंधक पं. मनोहर लाल जी, बी.ए. रहेंगे, व (4) यदि पं. रामजी दास जी सम्पादन का कार्य करना स्वीकार न करें तो सम्पादन का प्रबन्ध भी पं. मनोहर लाल जी करेंगे। हिन्दी भाग का सम्पादन पं. अयोध्या प्रसाद जी, नवाबगंज गौडा करेंगे। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि भार्गव सभा के बजट में भार्गव पत्रिका के खर्च के लिए 100/- रुपये रखे जाएँ।

सन् 1915 ई. से सन् 1923 ई. तक भार्गव पत्रिका, लखनऊ से प्रकाशित होती रही। सन् 1919 ई. में पत्रिका हिन्दी में छपी, लेकिन उससे आमदनी में बहुत कमी हो गई, अतः सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव पत्रिका का आधा भाग हिन्दी में व आधा भाग उर्दू में छपा करे। अतः माह जनवरी सन् 1920 ई. से भार्गव पत्रिका हिन्दी-उर्दू दोनों में ही छपने लगी। सन् 1920 ई. में यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि हिन्दी का हिस्सा पृथक से छपाकर उन्हीं लोगों के पास भेजा जाए, जो केवल हिन्दी जानते थे, तो उससे खर्च में काफी कमी हो सकती थी लेकिन यह विचार भी स्वीकार नहीं किया गया।

सन् 1919 ई. की कांफ्रेंस में जब यह मालूम हुआ कि भार्गव पत्रिका का हिसाब न तो उसकी रिपोर्ट में दर्ज किया गया था और न सैक्रेट्री सभा के पास भेजा गया था तो, प्रस्ताव संख्या (6) द्वारा निश्चय किया गया कि पत्रिका के मैनेजर से हिसाब माँगा जाए और आइन्दा से पत्रिका का हिसाब सालाना जलसे में पेश हुआ करे।

सन् 1924 ई. से मार्च सन् 1925 ई. तक भार्गव पत्रिका, आगरा से पं. जैदयाल सिंह जी की देख-रेख में प्रकाशित हुई। इस समय इसके उर्दू भाग के सम्पादक पं. हर दयाल सिंह जी व पं. गोपाल प्रसाद जी व हिन्दी के सम्पादक पं. कैलाश नाथ जी व पं. मोती लाल जी थे। इस समय भार्गव पत्रिका के ग्राहकों की संख्या 225 थी व सालाना चन्दे की दर 3/- रुपये आठ आना थी। सभा के बजट से 300/- रुपये वार्षिक सहायता मिलती थी।

1 अप्रैल सन् 1925 ई. से सन् 1926 ई. तक भार्गव पत्रिका का प्रकाशन अजमेर से पं. गौरी शंकर जी की देख-रेख में हुआ। इसी समय सन् 1925-26 ई. की भार्गव सभा के सैक्रेट्री की रिपोर्ट में कहा गया कि भार्गव पत्रिका सभा का (Organ) मुखपत्र था और इसमें सभा की खबरें व रिपोर्ट आदि प्रकाशित होती थीं।

सन् 1927 ई. में भार्गव पत्रिका का प्रकाशन सोशियल सबकमेटी की देख-रेख में इलाहाबाद से प्रारम्भ हुआ। उर्दू के सम्पादक पं. राम जीवन लाल जी थे व हिन्दी भाग के संपादक पं. रेवती रमण जी थे। इलाहाबाद से भार्गव पत्रिका का प्रकाशन सन् 1930 ई. तक चलता रहा। सन् 1929 ई. में यह भी निर्णय लिया गया था कि सभा भार्गव पत्रिका की आमदनी व खर्च की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। इसलिए पं. जैदयाल सिंह जी, आगरा की योजना, जिसके अनुसार वे स्वयं हानि-लाभ के आधार पर पत्रिका के प्रकाशन का ठेका लेना चाहते थे, स्वीकार की गई, व सोशियल सबकमेटी को उनसे शर्तें आदि तय करने का काम सौंपा गया।

सन् 1931 ई. से भार्गव पत्रिका का प्रकाशन सोशियल सबकमेटी की देख-रेख में दिल्ली से प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक पं. जैनारायण व मैनेजर मॉडल प्रेस दिल्ली के मालिक पं. जयन्ती प्रसाद जी थे। सोशियल सबकमेटी द्वारा निर्धारित की हुई शर्तों के अनुसार पत्रिका के सम्पादक व मैनेजर पत्रिका के हानि व लाभ के स्वयं जिम्मेदार थे, परन्तु भार्गव पत्रिका सभा व सम्मेलन का अंग (Organ) ही समझा जाना था। सोशियल सबकमेटी ने पत्रिका की स्थानीय देख-रेख के लिए एक लोकल कमेटी भी बना दी थी। इस व्यवस्था से पत्रिका में बहुत कुछ सुधार हुआ। एक नया विषय, जिस पर सामग्री प्रकाशित होनी शुरू हुई, वह था जाति के प्रमुख महानुभावों की जीवनी व उनके चित्रों का प्रकाशित करना, यद्यपि इस कार्य में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। दिल्ली से प्रकाशित भार्गव पत्रिका में प्रारम्भ से ही हानि रही क्योंकि पत्रिका के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। सन् 1931 ई. में ही आमदनी 494/- रुपये व खर्च 690/- रुपये था। अतएव सन् 1932 के अधिवेशन में भार्गव सभा ने निर्णय लिया कि यदि सन् 1933 ई. में भी पत्रिका में नुकसान रहे तो उसका पचास प्रतिशत नुकसान, अधिक से अधिक 100/- रुपये तक, सभा वहन करेगी।

सन् 1935 ई. में भार्गव सभा के प्रस्ताव संख्या 14 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव पत्रिका भार्गव सभा का 'मुख पत्र' था तथा प्रस्ताव संख्या 15 द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में भार्गव पत्रिका के सम्पादन, मुद्रण और प्रकाशन का प्रबन्ध सभा के मुख्य कार्यालय से प्रधानमन्त्री की देख-रेख में हुआ करेगा।

सन् 1937 ई. में भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 12 द्वारा निर्णय लिया गया कि (1) भार्गव पत्रिका का दोनों भाषाओं, हिन्दी व उर्दू में प्रकाशित होना आवश्यक था, (2) पत्रिका 4 फर्मे अर्थात् 32 सफे की निकालनी चाहिए और (3) पत्रिका का चंदा दो रुपये आठ आना कर दिया जाए।

सन् 1939 ई. के सभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रथम तो प्रस्ताव सं. 34 द्वारा निर्णय लिया गया कि भार्गव पत्रिका के वर्तमान प्रबन्ध में परिवर्तन की जरूरत थी। उसके बाद प्रस्ताव सं. 38 द्वारा निश्चय किया गया कि अभी भार्गव पत्रिका दोनों भाषाओं में ही प्रकाशित हो। क्योंकि जयपुर के सज्जन व पं. मुकुट बिहारीलाल जी सुमित्रा जी भार्गव की ओर से दोनों भाषाओं में पत्रिका निकालने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बहुमत से पत्रिका के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं. 36 स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार निर्णय लिया गया कि पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन व सम्पादन का भार लाहौर वाले सज्जनों को निम्नलिखित शर्तों पर दे दिया जाए:— (1) भार्गव पत्रिका हिन्दी व उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होगी, (2) उसमें 28 पृष्ठ होंगे (एक फर्मा उर्दू, 2 फर्मे हिन्दी व 2 सफे टाइटिल पेज) (3) लाहौर वाले स्वयं शुल्क निश्चित करेंगे, (4) सभा को 5 प्रतिलिपि तक निःशुल्क देनी होगी, (5) भार्गव पत्रिका पर 'भार्गव सभा का मुख पत्र' लिखने का अधिकार नहीं होगा, (6) भार्गव पत्रिका की नीति सभा के उद्देश्यों के विपरीत नहीं होगी, (7) पत्रिका के प्रकाशन में यदि कोई हानि होगी तो वह उसे स्वयं वहन करेंगे, उन्हें सभा से किसी आर्थिक सहायता का अधिकार नहीं होगा, (8) सभा की कार्यवाही के लिए 6 पृष्ठ देने होंगे, और (9) सभा को 3 वर्ष बाद प्रबन्ध में परिवर्तन का अधिकार होगा।



स्व. पं. धर्मचंद जी भार्गव  
(संपादक 1940-1957)

इस वर्ष पत्रिका की कुल ग्राहक संख्या 138 थी व वार्षिक शुल्क 2 रुपये आठ आना था और सभा को हानिपूर्ति के लिए 233/- देने पड़े थे।

इस प्रकार फिर से भार्गव पत्रिका एक तरह से निजी हाथों में चली गई, किन्तु उसका सम्पादन निश्चित शर्तों के अनुसार ही होना था। इस समय इसके सम्पादक पं. धर्मचन्द जी व उर्दू विभाग का सम्पादन पं. बनवारी लाल जी करते थे। अगस्त सन् 1947 ई. में भारत के विभाजन के फलस्वरूप सम्पादक पं. धर्मचन्द जी लाहौर से आगरा आ गए व उन्होंने पत्रिका का प्रकाशन आगरा से पुनः प्रारम्भ कर दिया। सन् 1948 ई. में जब से कि पत्रिका आगरा से प्रकाशित होने लगी थी, सभा के प्रस्ताव सं. 10 द्वारा निर्णय लिया गया कि आइन्दा पत्रिका केवल हिन्दी में ही छपा करेगी। प्रेसिडेंट साहब ने प्रस्ताव किया कि जब तक पंजाब से आने वाले भार्गव परिवारों की देश के विभाजन से उत्पन्न कठिनाइयाँ ठीक न हो जाएँ, तब तक सभा को पत्रिका की कुछ मदद

करनी चाहिए, किन्तु पं. धर्मचन्द जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। सन् 1951 ई. में पत्रिका का चंदा दो रुपये आठ आना से बढ़ाकर 3 रुपये आठ आना कर दिया गया। सन् 1953 ई. की पत्रिका की रिपोर्ट में पं. धर्मचन्द जी ने बतलाया कि जब उन्हें पत्रिका दी गई थी उस वक्त ग्राहक संख्या 150 भी नहीं थी जो उस वक्त बढ़कर लगभग 425 हो गई थी और यद्यपि शुल्क भी बढ़ा दिया गया था, परन्तु फिर भी पत्रिका को आर्थिक क्षति सहन करनी पड़ रही थी। शुल्क के अलावा कुछ धनराशि दान आदि में भी मिल जाती थी, लेकिन उससे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती थी व प्रकाशन में हानि ही रहती थी जिसे वे स्वयं वहन करते थे। गत कुछ वर्षों का आय-व्यय का विवरण इस प्रकार था :—

सन्	आय	व्यय
1950	1010/- रु.	1468/- रु. 10 आने
1951	1478/- रु.	1737/- रु. आठ आने
1952	1440/- रु.	1661/- रु. आठ आने
1953	1702/- रु.	2600/- रु.

सन् 1957 ई. तक पत्रिका का सम्पादन पं. धर्मचन्द जी के पास रहा जो गत 18 वर्षों से इसका सम्पादन एवं प्रकाशन कर रहे थे व उनके अनुज पं. पूर्ण चन्द जी इसके सहसम्पादक थे।

वर्ष 1958-59 ई. में पत्रिका सभा कार्यालय से सभा के मुखपत्र के रूप में प्रकाशित हुई। दिसम्बर, सन् 1958 ई. में निर्णय लिया गया कि अप्रैल, सन् 1959 ई. से भार्गव पत्रिका देहली से प्रकाशित होगी व उसके लिए निम्नलिखित समिति बनाई गई :—

- (1) पं. अयोध्या प्रसाद जी, कलकत्ता
- (2) पं. दीनानाथ जी 'दिनेश' देहली
- (3) पं. गोपीनाथ जी, देहली
- (4) पं. सुन्दर लाल जी, देहली
- (5) पं. कृष्ण जीवन जी, जयपुर

(6) पं. विशेश्वर नाथ जी को सम्पादन, प्रबन्ध व प्रकाशन का काम सौंपा गया और सन् 1965 ई. तक पत्रिका देहली से प्रकाशित होती रही। भार्गव पत्रिका के देहली से प्रकाशन के छह वर्ष बीत जाने पर उसके सम्पादक पं. विशेश्वर नाथ जी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बतलाया कि पत्रिका के देहली से प्रकाशन के लिए एक कमेटी स्थापित करते वक्त यह व्यवस्था की गई थी कि यदि पत्रिका के प्रकाशन में कोई घाटा हुआ तो समिति के सदस्य उसे पूरा करेंगे तथा समिति के प्रत्येक सदस्य ने इस हेतु दो-दो सौ रुपये जमा भी करा दिए थे। लेकिन सौभाग्य से पत्रिका के प्रकाशन में इन वर्षों में कोई घाटा नहीं रहा और प्रत्येक सदस्य को रुपया वापिस कर दिया गया।

उसके बाद पत्रिका कलकत्ता से पं. गिरराज सिंह जी की सम्पादकता में प्रकाशित हुई। सन् 1968 ई. के प्रस्ताव संख्या 22 द्वारा निश्चय किया गया कि, क्योंकि श्री गिरराज किशोर सिंह जी, कलकत्ता को आशा थी कि वह शीघ्र ही भार्गव पत्रिका के अप्रकाशित अंक अर्थात् मई सन् 1968 ई. तक के अंकों

को निकालने की व्यवस्था कर सकेंगे इसलिए उस समय मार्च, सन् 1969 ई. तक पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं प्रतीत होता था। यह भी निश्चय किया गया कि प्रबन्धक समिति को माह अप्रैल, सन् 1969 ई. से भार्गव पत्रिका के प्रकाशन के लिए उचित व्यवस्था करने का अधिकार होगा।

सन् 1969 ई. से सन् 1977 ई. तक भार्गव पत्रिका का प्रकाशन पं. कृष्ण जीवन जी जयपुर द्वारा किया गया, जो इसके प्रधान सम्पादक थे, पं. पूर्णचन्द जी इसके सम्पादक व व्यवस्थापक पं. रमेश चन्द जी थे। इस काल में पत्रिका की ग्राहक संख्या 800 से ऊपर तक पहुँच गई व पत्रिका की पृष्ठ संख्या भी बढ़ी। इसी दौरान सन् 1975 ई. में आगरा में हुए अधिवेशन में पत्रिका का चन्दा 3 रुपये आठ आने से बढ़ाकर 6/- वार्षिक कर दिया गया।

जनवरी सन् 1978 ई. से भार्गव पत्रिका के प्रकाशन की व्यवस्था पुनः बदली, अब यह भार्गव सभा के मुख पत्र के रूप में भार्गव सभा के प्रधानमंत्री जी की देख-रेख में, जो इसके प्रधान सम्पादक, प्रकाशक व मुद्रक हैं, प्रकाशित होने लगी व अब भी हो रही है। श्री पूर्णचन्द जी इसके सम्पादक का कार्य करते आ रहे हैं। यही व्यवस्था वर्तमान में भी जारी है।

सन् 1978 ई. से पत्रिका के सम्पादन व प्रकाशन की व्यवस्था तो निश्चित कर दी गई, किन्तु आगामी दस वर्षों में जो घाटे का सिलसिला चालू हुआ तो ऐसा लगने लगा कि व्यवस्था परिवर्तन सम्भवतः शुभ घड़ी में नहीं किया गया था। कागज व अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण महँगाई इस कदर बढ़ गई कि सभी व्यवस्थाएँ लड़खड़ा गईं।

सन् 1978-1979 ई. वर्ष में तो पत्रिका के हिसाब में केवल 325 रु. 20 पैसे का घाटा रहा, परन्तु वह घाटा निरन्तर बढ़ता ही रहा। सन् 1981-82 ई. में पत्रिका को सभा से सहायता के रूप में तो कुछ नहीं दिया गया, परन्तु कार्यवाही अंक की छपाई के लिए अलग से लगभग 6267/- रुपये अदा करने पड़े। सन् 1982 ई. में पत्रिका का शुल्क 6/- रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 9/- रुपये वार्षिक कर दिया गया।

सन् 1983 ई. के वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी ने बतलाया कि गत वर्ष पत्रिका के प्रकाशन में लगभग 1700/- की हानि थी, जिसके कारण पत्रिका में प्रकाशित किए जा चुके थे। प्रबन्धक समिति ने अपनी बैठक दिनांक 25-12-82 में पत्रिका के वार्षिक मूल्य व विज्ञापन दरों में वृद्धि की अनुशंसा की, जिसके अनुसार वार्षिक मूल्य 9/- रुपये से बढ़ाकर 15/- रुपये व विज्ञापन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। पं. कृष्ण जीवन जी, जिन्होंने गत वर्षों में पत्रिका का प्रकाशन किया था, ने शुल्क में वृद्धि का विरोध करते हुए प्रस्ताव किया कि पत्रिका के वार्षिक शुल्क व विज्ञापन की दरों में वृद्धि न की जाए तथा भार्गव पत्रिका के प्रकाशन में 10,000/- रुपये से अधिक जितनी हानि होगी उसे वे स्वयं वहन करेंगे। अतः निर्णय लिया गया कि भार्गव सभा का वह वार्षिक अधिवेशन अनुभव करता था कि भार्गव पत्रिका के प्रकाशन व भार्गव सभा को होने वाली हानि को कम किया जाए। इस सम्बन्ध में श्री कृष्ण जीवन जी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया कि भार्गव पत्रिका का वार्षिक शुल्क व

विज्ञापन दरें न बढ़ाई जाएँ तथा भार्गव पत्रिका के प्रकाशन में सभा को 10,000/- रुपये से अधिक की जो हानि होगी उसे श्री कृष्ण जीवन जी स्वयं वहन करेंगे। प्रधानमन्त्री जी भार्गव सभा भार्गव पत्रिका के मुख्य सम्पादक तथा श्री पूर्णचन्द जी सम्पादक रहेंगे तथा जहाँ प्रधानमन्त्री का कार्यालय रहेगा पत्रिका वहीं से प्रकाशित होगी। श्री कृष्ण जीवन जी भार्गव इसके सलाहकार रहेंगे व भार्गव पत्रिका के प्रकाशन में जो आधारभूत नीति (Basic Policy) अभी तक चली आ रही थी, वह यथावत् रहेगी।

इसके बाद 12.1.85 को देहली में हुई प्रबन्धक समिति की बैठक में प्रधानमन्त्री जी ने बतलाया कि गत वर्ष भार्गव पत्रिका के प्रकाशन में 12,000/- का नुकसान रहा, जिसमें से 10,000/- का घाटा भार्गव सभा को वहन करना था। उन्होंने सुझाव रखा कि 10,000/- के आंशिक घाटे की पूर्ति हेतु पत्रिका का वार्षिक शुल्क 9/- से बढ़ाकर 15/- कर दिया जाए। आजीवन सदस्यता शुल्क 75/- से 100/- कर दिया जाए, व विज्ञापन की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए। प्रबन्धक समिति ने प्रथम दोनों प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिए परन्तु विज्ञापन की दरों में वृद्धि करना स्वीकार नहीं किया। सभा के अधिवेशन ने भी प्रबन्धक समिति की अनुशंसा स्वीकार कर ली, और सन् 1985 ई. से पत्रिका का वार्षिक शुल्क 15/- व आजीवन सदस्यों का शुल्क 100/- हो गया। इस प्रकार बढ़ती हुई महँगाई के कारण दो ही वर्ष बाद शुल्क में इतनी वृद्धि करनी पड़ी व इस शुल्क वृद्धि से यह आशा की गई थी कि इससे पत्रिका की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, किन्तु सन् 1985 ई. में ही पत्रिका के कुल लगभग 48579/- के व्यय में सभा को सहायता के रूप में अथवा घाटे पूर्ति के लिए, 30,882/- देने पड़े।

अतः इलाहाबाद में हुए सभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव सं. 6/85 द्वारा निर्णय लिया गया कि “भार्गव पत्रिका के प्रकाशन पर वर्ष 1985 में लगभग 30,000/-रु. की जो हानि हुई है उसके प्रति यह सदन अपनी घोर चिन्ता व्यक्त करता है। इस आर्थिक हानि के कारणों की समीक्षा करने के लिए व आगे के लिए भार्गव पत्रिका को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने हेतु एक भार्गव पत्रिका एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जावे जिसके सदस्य इस प्रकार हों:—

1. श्री मनमोहन जी, देहली
2. श्री योगेश जी, देहली
3. श्री रविशंकर जी, देहली
4. श्री ओमप्रकाश जी, ग्वालियर
5. श्री रमेश चन्द जी, जयपुर
6. श्री पूर्ण चन्द जी, जयपुर (संयोजक)
7. पं. कैलाश नाथ जी प्रधानमन्त्री (पदेन सदस्य)।

यह समिति शीघ्र से शीघ्र अपनी बैठक आयोजित कर स्थिति पर विचार करे व अपने सुझाव प्रस्तुत करे। यह सदन इस समिति को उन उपायों के तुरन्त क्रियान्वयन हेतु अधिकार भी प्रदान करता है।”

काफी विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि भार्गव सभा का मुख पत्र होने के कारण भार्गव पत्रिका का प्रकाशन भार्गव सभा कार्यालय से हो। पृष्ठ संख्या 32 हो एवं यह प्रयास किया जावे कि 5000/- रु. से अधिक का घाटा सभा पर नहीं पड़े व वार्षिक शुल्क 15/- रु. ही रहे।

इसके पश्चात् सभा के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा निर्णय लिया गया कि (1) वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भार्गव पत्रिका पूर्ववत् सभा के मुख पत्र के रूप में सभा कार्यालय से ही प्रकाशित हो तथा प्रधानमन्त्री, प्रधान सम्पादक तथा श्री पूर्ण चन्द जी, जयपुर सम्पादक के रूप में रहें, (2) पृष्ठ संख्या 32 रहे, (3) वार्षिक चन्दा 15/-रु. रहे, कोई वृद्धि न की जाए, (4) भार्गव पत्रिका एडवाइजरी कमेटी पत्रिका की ग्राहक संख्या बढ़ाने के प्रयत्नों को और गति प्रदान करते हुए, विज्ञापनों से इसकी आय में समुचित वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित करे कि भार्गव पत्रिका के प्रकाशन में भार्गव पत्रिका को 5000/-रु. से अधिक हानि वहन न करनी पड़े। इस प्रकार घाटा अवश्यम्भावी समझने के कारण पत्रिका को स्वावलम्बी बनाने के प्रयत्नों के बजाय घाटा कम करने की ही बात कही गई।

उक्त पत्रिका एडवाइजरी कमेटी द्वारा सुझाए गए उपायों की क्रियान्विति से पत्रिका की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ व वर्ष 1987 में इसके प्रकाशन में कोई घाटा नहीं हुआ।

इस प्रकार भार्गव पत्रिका ने, सितम्बर सन् 1887 ई. में जन्म लेकर विभिन्न कठिनाइयों एवं उपलब्धियों के बीच आज तक जाति के संगठन, उन्नति एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपनी लम्बी यात्रा पूर्ण की है। वर्ष 1989 में इसकी ग्राहक संख्या 1100 तक पहुँच गई। यह देश-विदेश में दूर-दूर तक फैले जाति बन्धुओं में तथा सभा व समाज के बीच आज भी सम्पर्क सूत्र के रूप में सफलतापूर्वक सेवा कर रही है। यदि कोई भी जातीय पत्रिका इतने लम्बे समय तक अपना रूप एवं कलेवर अक्षुण्ण रखते हुए अनवरत रूप से सेवा कार्य में लगी रहती है तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर उसकी संस्थापना हुई थी उसका पालन उसी तत्परता से किया जाता रहा है और आज भी उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर उसका संचालन हो रहा है। प्रारम्भ से ही इसका सर्वप्रथम उद्देश्य जातीय समाचार एवं भार्गव सभा व कमेटियों की कार्यवाहियों आदि को प्रकाशित करना था। दूसरा उद्देश्य जैसा कि पत्रिका के सम्पादक एवं प्रकाशक पं. हरदयाल सिंह जी ने प्रारम्भ के कुछ अंकों के मुख पृष्ठ पर छपा भी था, राजनीतिक व धार्मिक वाद-विवादों से दूर रहना था। इसका तीसरा उद्देश्य जाति के नैतिक मूल्यों, संस्कारों एवं रीति-रिवाजों के प्रचार के माध्यम से जाति में एकरूपता एवं एकता को प्रस्थापित करना था। चौथे इसके संचालन को व्यावसायिकता से दूर रखना था। यद्यपि अधिकांशतः इसका प्रकाशन निजी हाथों में ही रहा किन्तु इसका लक्ष्य लाभ अर्जित करना नहीं अपितु जाति की सेवा करना ही रहा है। सतत प्रयत्न यही रहा कि शुल्क की दर कम से कम रखी जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। स्पष्ट है कि आज भी इन्हीं उद्देश्यों एवं मूल्यों के आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है। ऐसी सेवाभावी एवं आदर्शों के प्रति समर्पित पत्रिका पर कोई भी आधुनिक समाज गर्व कर सकता है।

\* \* \*



## 12. जाति निर्णय

जाति निर्णय के विषय की विवेचना सभा की स्थापना के समय से पूर्व ही प्रारम्भ हो गई थी और इन वाद-विवादों का काफी विस्तृत विवरण सभा की कार्यवाहियों में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारी जाति के विद्वान् पंडितों ने भी, जिनमें 'भृगु दीपिका' के रचयिता पं. ज्वाला प्रसाद जी, 'च्यवन कुल दीपक' के लेखक पं. चतुर्भुज सहाय जी, मुख्य थे, अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का गहन अध्ययन कर इस समस्या के समाधान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उसके पश्चात् पं. सूरज भान जी च्यवनवंशी भार्गव ब्रह्मन निवासी कृपाल नगर अलवर, पं. मनोहर लाल जी बी.ए., सुपरिन्टेन्डेन्ट लाहौर व मेजर मनोहरलाल जी गालव, भार्गव आई.एम.एस., जिन्होंने सन् 1900, 1915 व 1930 ई. में हुई जनगणनाओं पर आधारित डायरेक्टरियों की भूमिकाओं में अनेक तथ्य उजागर कर इस समस्या का पूर्णतया निराकरण किया। अतएव इस विषय की समुचित जानकारी के लिए (1) पं. मनोहरलाल जी भार्गव बी.ए. सुपरिन्टेन्डेन्ट लाहौर द्वारा सन् 1917 ई. में प्रकाशित डायरेक्टरी में लिखा हुआ लेख 'कौम भार्गव की उत्पत्ति का मुख्तसिर हाल' व (2) मेजर मनोहर लाल जी, आई.एम.एस. द्वारा सन् 1932 ई. में प्रकाशित डायरेक्टरी की भूमिका के रूप में लिखे जाति के इतिहास के कुछ अंश इस आशा से प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उनमें प्राप्त जानकारी जाति के सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

**(अ) कौम भार्गव की उत्पत्ति का मुख्तसिर (संक्षिप्त) हाल** — पं. मनोहर लाल जी भार्गव, लाहौर

(1) कौम भार्गव, जैसा कि लफ्ज (शब्द) भार्गव से स्पष्ट है कि वह लोग हैं जो भृगु ऋषि के वंश में पैदा हुए हैं।

(2) यह कौम ज्यादातर राजपूताना, पंजाब के पूरब और पश्चिमी हिस्से में आबाद है और कुल आबादी इस कौम की पिछली मर्दुम शुमारी (जनगणना) के मुताबिक (अनुसार) 5330 है जिसमें 2881 मर्द और 2449 औरतें हैं।

(3) भार्गव, जो दूसरे के नाम से भी मशहूर हैं, उनकी उत्पत्ति का हाल महाभारत में मिलता है और यह इस कौम की खुशकिस्मती है कि वह एक ऐसी प्राचीन पुस्तक को अपने प्रमाण में पेश कर सकती है। महाभारत को देखने से मालूम होता है कि इस सृष्टि के पैदा करने वाले ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के शुरू में सिरिच, अगिरा, वशिष्ठ व भृगु वगैरा दस ब्रह्मन पैदा किए। उन ही भृगु ऋषि से इस कौम की उत्पत्ति है और यह वही ऋषि हैं जो उन सप्त ऋषियों में शुमार किए जाते हैं, जिनसे तमाम ब्रह्मन जातियाँ पैदा हुई हैं। भृगु ऋषि की पलुमा नाम की स्त्री थी, जो बहुत पतिव्रता व साध्वी थी। एक दफा पलुमा अपने आश्रम में अकेली थी। भृगु ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे। मौका पाकर एक राक्षस, जो पलुमा की खूबसूरती को देखकर फरेफ़ता हो गया था, आश्रम में पहुँचा। पलुमा ने उसको अतिथि समझकर कन्द-मूल-फल खाने को दिए क्योंकि उसको उसकी बदनीयती का मुतलक ख्याल न था। लेकिन वह

बदनीयत पलुमा की सादगी का फायदा उठाकर उसको जबरदस्ती उड़ा ले जाने का ख्वाहिशमन्द हुआ और आनन-फानन में अपने मकसद में कामयाब हुआ लेकिन थोड़ी दूर ही गया था कि पलुमा, जो गर्भवती थी, उसके वितन से एक लड़का, जो मारे गुस्से के अन्धा हो गया था, पैदा हुआ। वह राक्षस इस तेजस्वी बालक को देखकर डरा और पल की पल में जल कर राख हो गया। पलुमा बच्चे को लेकर रोती हुई आश्रम की तरफ चली। उसके आँसुओं से एक नदी बहने लगी जो वधुसरा नाम से मशहूर हुई व इस तेजस्वी बालक का नाम च्यवन हुआ। च्यवन ऋषि ने अपना आश्रम उस नदी के किनारे बनाया। यह सब हाल महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। च्यवन महाराज एक छोटी सी पहाड़ी पर तप करने लगे। बहुत अर्से तक समाधि में बैठने से बदन के चारों तरफ मिट्टी जमा हो गई और तमाम बदन मिट्टी से ढक गया, सिवाय आँखों के, जो मिस्ल किसी चमकदार शीशे के, जो मिट्टी के तोड़े में बारिश के असर से जम गया हो, चमकती थी और कुछ नजर न आता था। एक दफा राजा शर्याति शिकार खेलने को उस तरफ आया और उसका लश्कर, जहाँ ऋषि तपस्या करते थे, उनके पास डेरा डालकर पड़ा। राजकन्या घूमती हुई उधर चली गई, लड़की ने मिट्टी में कोई चीज चमकती देखकर खेल ही खेल में एक तिनका चुभो दिया, जिससे महात्मा की आँख से खून बहने लगा। लड़की यह हाल देखकर सहम कर वापिस वली गई। परमात्मा अपने भक्तों को दुःख देने वाले को सजा दिए बगैर नहीं रहते, नतीजा यह हुआ कि राजा के तमाम लश्कर में बीमारी आ पड़ी। रफता-रफता यह भेद राजा को मालूम हुआ। वह लड़की को, जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे, ले गया और लड़की को ऋषि की सेवा में छोड़कर चला आया। लड़की ऋषि के बदन के चारों तरफ से मिट्टी साफ करती रही। कई बरस गुजर गए, ऋषि की समाधि खुली तो राजकन्या को सेवा में हाजिर पाया। सब हाल जानकर च्यवन महाराज ने एक कुंड बनवाया जिसमें स्नान करने से वे बिल्कुल जवान हो गए और राजकन्या के साथ विवाह करके वहाँ रहने लगे। सुकन्या नाम की इस स्त्री से च्यवन ऋषि से एक पुत्र प्रमति नामक हुआ। प्रमति ने रुरु नामक पुत्र पैदा किया, रुरु के श्रुनक व श्रुनक के पुत्र शौनकादिक तमाम दुनिया में मशहूर हुए।

(4) च्यवन ऋषि के दूसरे पुत्र का नाम और्य था, और्य का पुत्र रिचिक हुआ, रिचिक के जमदग्नि हुए, जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए, परशुराम और जमदग्नि ऋषि की और चारों लड़कों की औलाद जमदग्नि ब्राह्मण मशहूर हुई और और्य के सौ पुत्र और हुए और वे च्यवन वंश में होने से च्यवनवंशी ब्राह्मण कहलाए। यहाँ यह शंका करना फिजूल है कि च्यवन ऋषि की जो औलाद क्षत्रिय कन्या से हुई, ब्राह्मण क्यों कहलाई। च्यवन महाराज में वह शक्ति थी कि उन्होंने राजा कौशिक को, जो कौम से क्षत्रिय था, वरदान देकर उसके वंश को आयन्दा ब्रह्मन कर दिया। इस वंश के सैकड़ों ब्रह्मन कौशिक मौजूद हैं। इसलिए ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष की औलाद ब्रह्मन न कहलावे, यह फिजूल खयाल है। शास्त्रों में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ ऋषियों ने राज कन्याओं से शादी की है और उनकी औलाद ऋषि ब्रह्मन कहलाई है। पहले ब्रह्मन चारों वर्ण से सम्बन्ध कर सकते थे और उनकी औलाद ब्रह्मन ही होती थी, इसका सबूत आज तक भी इसी तरह मालूम होता है कि जिस वक्त लड़के-लड़की का जायचा मुताबिक कराते हैं तो अगर लड़का ब्रह्मन वर्ण होता है तो लड़की क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की से सम्बन्ध के लायक समझा जाता है, खिलाफ इसके अगर लड़की ब्रह्मन वर्ण की हो और लड़का और वर्ण का तो जायचा

मुताबिक नहीं होता यानी ऊँचे वर्ण की लड़की नीचे वर्ण के लड़के को नहीं दी जा सकती।

(5) ये च्यवनवंशी जो हजारों की तादाद में तमाम दुनिया में फैल गए थे, सगोत्र हुए। कुछ अर्से बाद थोड़ा सा हिस्सा इन च्यवनवंशियों का, अपने बुजुर्गों के तपस्या स्थान अर्चक पर्वत पर, जो च्यवन ऋषि के पोते रिचिक के नाम से ऐसा कहलाता था, आबाद हुए। चूँकि यह पर्वत वधुसरा नदी के किनारे पर था, कुछ अर्से बाद ढोसी के नाम से मशहूर हुआ। महाभारत के वन पर्व में जहाँ अर्चक पर्वत का बयान है, व वहाँ लिखा है कि मध्य देश में यह वो पर्वत है जहाँ चन्द्रमा का तीर्थ स्थान है। मौजूदा मुकाम ढोसी में च्यवन का आश्रम होना, चन्द्रकूप का उस वक्त तक मौजूद होना, सिवा अर्चक पर्वत के और किसी ऐसे पर्वत का न होना, जिसका च्यवनवंशियों के साथ सम्बन्ध हो और जहाँ ये सब बातें मौजूद हों, कोई शुबह नहीं छोड़ता कि मौजूदा ढोसी पर्वत पर उसके चारों इर्द-गिर्द में च्यवन वंश के लोग आबाद हुए थे। महात्मा चरण दास जी, जिनके कलाम में हजारों लोग आज भी हैं, जिनकी इबादत की शौहरत आज तक मशहूर है; जिनके पहुँचे हुए महात्मा होने की जिन्दा मिसाल उन जागीरों की शक्ल में इस वक्त मौजूद है जो खास देहली राजधानी व दीगर मुकामात में एक गैर मजहब के बादशाहों ने नजर की थी, अपने वंश का हाल जहाँ अपने चेलों को बतलाते हैं, लिखते हैं—

“परम तपस्वी ऋषि जो कहिए। च्यवन नाम मुनि तिनको कहिए।

मुनि ऋषि के सन्तान भई जो। तिनको दूसर कहिए तहाँ सो।

ढोसीपुर में बास जो पाया। तासों दूसर नाम कहाया।

च्यवन ऋषि सो कुल मम जान, दूसर कुल प्रगट भयो सुनरे शिष्य सुजान।”

गर्ज कि जो च्यवनवंशी इस अर्चक या ढोसी पर्वत के इर्द-गिर्द आबाद हुए, वे दूसर कहलाने लगे, जिस तरह कनौज के रहने वाले ब्रह्मन कनौजिए कहलाते हैं, गौड़ देश के रहने वाले गौड़ कहलाने लगे, इसी तरह यह भी दूसर कहलाए और ये लोग ज्यादातर ढोसी के आसपास के मुकामात मिस्ल कानौड़, नारनौल, रिवाड़ी, देहली वगैरा में आबाद होते गए।

(6) भार्गवों का गोत्र भार्गव वदीजर, साखा, मांधनी, सूत्र कातिया में प्रवर भार्गव च्यवन है।

(7) भार्गव वंश के नीचे लिखे हुए सात गोत्र हैं जो मिस्ल और ब्रह्मनों के ऋषियों के नाम से हैं और दीगर अकवाम की तरह पुरोहितों के नाम पर नहीं हैं :—

नाम गौत्र मौजूद	असली नाम	नाम ऋषि
बछलस	वत्सस	वत्स
बाछलस	वात्स्यस	वात्स्य
बिन्दलस	बिदस	विद
काश्यप	काश्यपस	काश्यप
गागलस	गंगायनस	गांगायन
कच्छलस	कौत्सस	कोत्स
गोलिस	गोष्ठायनस	गोष्ठायन

(8) इस कौम का मुख्य कर्म पहले मिस्ल दीगर ब्रह्मनों के वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना था। शान्ति पर्व में जिक्र है कि किसी जमाने में भृगु और च्यवन वंश के लोग क्षत्रियों के गुरु थे। ये भी महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि कृतबैरज नामी भार्गव ब्रह्मनों का यजमान था, अलावा उसके व्यास जी महाराज ने महाभारत के शुरू में भार्गव गुरुओं का महात्म बयान किया है।

(9) पुराणों को पढ़ने और तवारीख के देखने से यह बात जाहिर है कि यह कौम शुरू से क्षत्रिय राजाओं के पास अच्छे औहदों पर रही है। अनुशासन पर्व में जिक्र आता है कि एक दफा क्षत्रियों पर मुसीबत आई कि जिससे वे निर्धन हो गए और वे तंग आकर भृगु वंश के गुरुओं के पास गए और कहा कि हमने आपको बहुत धन दान किया है, उसमें से कुछ इस वक्त हमको दे दो। भृगु गुरुओं ने दान लिए हुए धन को वापिस देना बुरा समझकर इनकार किया जिससे क्षत्रिय राजा नाराज हुए और जबरदस्ती धन लेना चाहा। बहुत से स्त्री-पुरुष कत्ल कर दिए गए। कुछ जान बचाकर भागे। क्षत्रियों ने वहाँ भी पीछा किया। एक गर्भवती स्त्री बची रही, उसको भी नष्ट करना चाहा तो उस समय उसका गर्भ गिर गया और एक लड़का रिचक नामक पैदा हुआ, जिसको देख सभी क्षत्रिय अन्धे हो गए और माफी माँगने लगे।

(10) महमूद गजनवी के हमलों में भी इस कौम के खानदान मन जुमला और ब्रह्मनों के तबाह हो गए। मुसलमानों के राज में जमाना बदला देख, आहिस्ता-आहिस्ता इस जाति ने अपने असली कर्मों को छोड़कर इधर-उधर राजकीय मुलाजमत या व्यौपार शुरू कर दिया। राजा दीपसिंह जिस वक्त देहली में था बहुत से लोग राज में नौकर होकर और अच्छे-अच्छे औहदों पर मुमताज हुए, सिवा उन लोगों के जो राजाओं के पुरोहित थे। इस कौम से उस वक्त से पुरोहिताई का काम उठने लगा और दीगर वंशों से जीवन निर्वाह में फायदे की सूरत देखकर इन्हीं में पुश्त जमाना गुजारने लगे। 'मनुस्मृति' में इजाजत है कि अगर ब्रह्मन अपने काम से आजीविका पैदा न कर सके तो क्षत्रिय के कर्म से पैदा करे, अगर इससे भी न हो सके तो वैश्य के कर्म से और अगर इससे भी न हो सके तो खेती वगैरा से गुजारा करे। इसलिए अगर जमाने के उतार-चढ़ाव की वजह से इस कौम के लोगों ने दीगर वसाइल माश अख्तयार किए तो ताज्जुब न था।

(11) सन् 1555 ई. में शेरशाह के वक्त में इस कौम के एक शख्स हिम्मत बहादुर नामी ने, जो कि मामूली हैसियत का आदमी था, अपने जौहर व लियाकत से रसूख हासिल किया और धीरे-धीरे देहली के पाए तख्त मालिक हुआ और हेमू शाह के नाम से मशहूर हुआ, मगर पानीपत की लड़ाई में अकबर ने उसे शिकस्त दी और बैरम खाँ ने उसे अपने हाथ से कत्ल किया। दुश्मन की जाति वालों और रिश्तेदारों से जैसा सलूक हुआ करता है वैसा ही इस कौम के लोगों के साथ हुआ। लोग भागकर पहाड़ों में जा छुपे, जो पकड़े गए उनके यज्ञोपवीत उतरवा दिए गए, जो लोग बच गए वे दुकानदारी तिजारत वगैरा से पेट भरने लगे। अपने आपको दूसर बतलाने से खौफ खाने लगे और बहुत से आदमियों ने अपने आपको वैश्य मशहूर किया। चूँकि जमाना मुसलमानी था, अरबी, फारसी, उर्दू ने संस्कृत की जगह ले ली थी, इसलिए राज में मुलाजमात करने के लिए मिस्ल दीगर कौमों की इस कौम के लोगों को भी उर्दू-फारसी में मल्का पैदा करनी पड़ी। रफ्ता-रफ्ता अपने असली कर्मों से बिल्कुल नावाकिफ होते गए और पुरोहिताई

करने वालों को नीची निगाह से देखने लगे, परन्तु मजहबी जरूरियात की अदायगी के लिए दूसरे ब्रह्मनों को अपना पुरोहित बनाया और संस्कृत से नावाकिफ हो जाने की वजह से जरा-जरा सी बातों में ब्रह्मनों के मोहताज हो गए। पुरोहितों ने अपना सीगाए आमदनी को मद्देनजर रखकर यह जहननशी करना शुरू किया कि ब्रह्मन का काम तो सिर्फ उनकी तरह हलवा माँड़े बटोरने का है इसलिए ब्रह्मन कहना छोड़कर, लाला मुन्शी वगैरा का खिताब अता किया क्योंकि उस जमाने में यही इज्जत के खिताब शुमार किए जाते थे।

(12) यहाँ यह लिखना भी नामुनासिब नहीं होगा कि तवारीख में जहाँ हेमू का जिक्र आया है, उसको कहीं नीच कौम का बतलाया है और कहीं बक्काल का शब्द इस्तेमाल किया है, अगर उस हेमू की निस्बत जिसने इस कदर जोर के साथ मुगल बादशाहों की मुखालफत की उससे भी ज्यादा खराब लफ्ज इस्तेमाल किए जाते जो मुस्लिम हिस्टोरियनों ने लिखे हैं, तो भी कोई ताज्जुब नहीं था। यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे नामौजू अलफाज एक दुश्मन के नाम के साथ मुस्लिम हिस्टोरियनों ने किस नीयत से इस्तेमाल किए और उनकी कहाँ तक वकत हो सकती है।

(13) ऊपर हम लिख आए हैं कि पै दर पै मुसीबतों से तंग आकर भार्गवों ने अपना असली कर्म छोड़कर दीगर वसाइल माश अख्तयार किए जो इस वक्त तक जारी हैं, इस कौम के लोग आजकल मिस्ल दीगर कौम ब्रह्मनों या क्षत्रियों के सरकारी मुलाजिम हैं, या तिजारत वगैरा करते हैं।

(14) जबान हिन्दी है मगर चूँकि एक अर्से तक उर्दू-फारसी का रिवाज रहा है, मामूली बोलचाल में उर्दू के लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्त्रियों की जबान खालिस हिन्दी है। कुछ अर्से से संस्कृत जबान को दुबारा राइज करने की तमाम हिन्दू जाति कोशिश कर रही है और इस कौम में भी संस्कृत व हिन्दी का प्रचार फिर से ज्यादा हो चला है। इस कौम के कुछ महात्माओं व महापुरुषों के नाम भी यहाँ लिख देना खाली अर्ज दिलचस्पी न होगा। महात्मा चरण दास जी, जोग जीत जी, आत्माराम जी, सोगराम जी, हर प्रसाद जी, सहजो बाई, वगैरा-वगैरा इस कौम से ताल्लुक रखते थे और उनको गुजरे हुए चूँकि ज्यादा अर्सा नहीं हुआ है इसलिए उनके हालात लोगों की याद में ताजा हैं।

(15) उन्नीसवीं सदी के अन्दर जो महापुरुष इस कौम के गुजरे हैं, उनमें पं. ज्वाला प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रन्थों की भाषा में उल्था की है, पं. चतुर्भुज सहाय जी जिन्होंने 'च्यवन कुल दीपक', 'भृगु कुल दीपक', 'मुक्ति सचिन्द्र' वगैरा काबिल कदर पुस्तकें लिखी हैं, पं. सूरज भान जी वगैरा-वगैरा संस्कृत के विद्वान् पंडित हुए हैं। मु. नवल किशोर जी, सी.आई.ई. मरहुम ने जो हिस्सा संस्कृत विद्या के प्रचार में लिखा है, उसका न सिर्फ इस कौम को ही फख्र है, बल्कि तमाम हिन्दू मात्र को शुक्रगुजार होना चाहिए। राय सालगराम जी, मु. गिरधर लाल जी, राव बहादुर बिहारी लाल जी संघई, सेठ सुखराम दास जी बुजुर्ग हो गुजरे हैं, जिनके अहसान को कौम कभी भूल नहीं सकती है।

(16) भार्गवों में ब्रह्मनों की तरह यज्ञोपवीत कम उमर में होती है क्योंकि शादी पहले आम तौर पर 16 साल की आयु से पहले हो जाती थी। 'मनुस्मृति' में लिखा है कि ब्राह्मणों में 16 साल तक यज्ञोपवीत हो सकता है।

(17) हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह, जो 'मनुस्मृति' के अनुसार केवल ब्राह्मणों को जायज होता है, बाज खानदानों में चन्द जाइद रसूमात का, दीगर कौमों से आमदरफ्त होने से देश व काल के अनुसार होना मुमकिन है। कन्या का बाप अपनी तरफ से जेवर और कपड़े पहना कर कन्या का दान करता है। शाखाचार के वक्त निकास ढोसी पर्वत से बतलाया जाता है, अग्नि की साक्षी में 4 फेरे होते हैं, इसी तरह मृतक संस्कार शास्त्रोक्त होता है।

(18) भार्गवों में न पुनर्विवाह जारी है और न एक से ज्यादा स्त्री रखने की इजाजत है। उनके विवाह अपनी ही जाति में होते हैं, एक गोत्र व कुलदेवी में शादी (नाजायज) मना है।

(19) खान-पान में शुद्धता ज्यादा है, गोश्त-शराब बन्द है, औरतों में कच्चे-पक्के व छुआछूत बहुत ज्यादा है।

(20) तालीम के हिसाब से निरक्षर बहुत कम हैं, मस्तूरात में भी तालीम का रिवाज है।

(21) लियाकत, मेहनत व दयानतदारी की वजह से जिस सीगे या काम में इस किस्म के लोगों ने हिस्सा लिया है, कामयाबी हासिल की है।

(22) ये कौम, दूसर बनियों से, जो महाजनों में एक अदना कौम बताई जाती है और मुमालीक मुत्तहदा में पाई जाती है, बिल्कुल अलहदा है।

मगर चूँकि यह दोनों कौमों तकरीबन हम वजन थीं, लिहाजा सरकारी मर्दुम शुमारी में गड़बड़ डालती रही और उसका नतीजा यह हुआ था कि मर्दुम शुमारी सन् 1891 ई. में गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस बात की तहकीकात करने को बनाई थी, कि वह यह देखे कि भार्गव दूसरों के आचरण ब्राह्मणों के हैं या नहीं। मर्दुम शुमारी की राय हस्ब जैल है।

“Enquiry on the subject was made in all districts and figures regrouped according to result. The Dhusars who claim a Brahmanical origin and according to Todd perform Brahmanical functions have been shown as separate caste Dhusar Bhargava. They include many men of distinction in the province.

On the other hand Dhusar is a sub-caste of Banias permitting widow marriage who have no connection with the Bhargava Caste.”

तमाम इजला में इस मामले की तहकीकात की गई और जो नतीजा बरामद हुआ उसके बमुजिब तादाद में कमीबेशी की गई। दूसरों को जो ब्राह्मण होने का दावा करते हैं और जो बमुजिब तहरीर टौड साहब ब्रह्मणों के फराइज अदा करते हैं, दूसर ब्रह्मणों के मद में अलहदा दिखलाया गया है। इसमें बहुत से लोग सूबे में मशहूर व मारूफ हैं। बरखिलाफ इसके दूसर एक बनिया का फिरका है जिसमें बेवाओं की शादी की जाती है, उनका भार्गवों से कोई ताल्लुक नहीं है।

(23) बाज लोगों ने भार्गव दूसरों को मौजूदा ब्रह्मणों की तरह दान न लेते हुए, नौते न जीमते देखकर, यह अन्दाजा लगा लिया कि ये ब्रह्मण नहीं हैं और ब्रह्मणों ने इस डर से कि वे हमारे फन्दे से निकल जाएँगे, उसकी ताइद करने में कोताही नहीं की। मगर यह बात पिछली किताबों के देखने से साफ जाहिर है कि भृगु व च्यवन ऋषि की सन्तान यही कौम भार्गव है। जमाने के मुताबिक सब कौमों के

आचरण भ्रष्ट होते रहे हैं, सब अपने बर्ताव से हटते जा रहे हैं और अगर इस कौम में भी कुछ खराबियाँ ऐसी पैदा हो गई हों कि जो अहकाम बिरादरी के खिलाफ हों तो उनसे यह नतीजा निकाल लेना कि ये अपनी जाति को खो बैठे हैं, खाम खयाली होगी वरना मौजूदा जमाने को देखकर यह कहा जा सकता है कि कोई जाति जो अपना अन्दरूनी हाल जानती है, दूसरे पर नुक्ताचीनी करने के काबिल नहीं रही।

\* \* \*

### तर्जुमा व्यवस्था

#### नदिया के भारी पंडितों के आगे हमारी प्रार्थना

विद्यावान लोगो : नारनौल ग्राम के नजदीक पटियाला राज के तहत में ढोसी के निवासी उर्फ दूसर जाति भार्गव ब्रह्मन च्यवन जी के असल वंश में पैदा हुए, हमारे ब्रह्मनों के मुनासिब दस संस्कार वगैरा मौजूद होने पर, पुरोहिताई व दान वगैरा लेने की नामौजूदगी से और वैश्यों के उचित रोजगार, व्यौपार व नौकरी से निर्वाह करने की वजह से, मर्दुम शुमारी में हमारे ब्रह्मन होने का शक किया जाता है। इसलिए आप मुताबिक शास्त्र यह शक रफा कर दें, व्यवस्था हम लोगों को देकर कृपा कीजिए — निवेदक भार्गव।

#### नदिया के पण्डितों की तरफ से जवाब

नारनौल ग्राम के नजदीक पटियाला राज्य के तहत में ढोसी ग्राम निवासी उर्फ दूसर भार्गव ब्रह्मन के च्यवनवंशी होने से और ब्रह्मनों के उचित दस संस्कार गोत्र प्रवर और दस दिन के सूतक पातक की व्यवस्था होने से और नाम के आखिर में शर्मा नाम होने से और सिलसिलेवार और बुजुर्गों की परम्परा से ब्रह्मन व्यवहार करने से, अपनी इच्छानुसार आजीविका के उपाय दान ग्रहण करना और पुरोहिताई करना न होने पर भी, नौकरी और व्यौपार वगैरा से निर्वाह करने पर भी वे ब्रह्मन हैं, हम सब पंडितों की यह सम्मति है।

#### सबूत

भृगु जी की स्त्री च्यवन ऋषि जी की माता पुलोमा नामी के आँसुओं से बधुसरा नामी नदी पैदा हुई; उस बधुसरा लफ्ज के बिगड़ते-बिगड़ते उनके पास रहने वाले ब्रह्मनों का नाम दूसर हो गया और भृगु की औलाद होने से उनका नाम भार्गव कहा जाना बखूबी प्रसिद्ध है। भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि का जिक्र और बधुसरा नदी का पूरा वृत्तान्त श्रीमद् भगवत् और महाभारत में मौजूद है।

#### हस्ताक्षर

1. सर्व भौम पाद्धिक, श्री यदुनाथ शर्मा
2. महा महोपाध्याय, तर्क पंचा नरोपाधिक श्री राजकृष्ण शर्मा
3. विद्या वाचस्पति उपाधिक श्री शौ नाथ शर्मा
4. विद्या रत्न उपाधिक श्री रजनीकान्त शर्मा



\*\*\*\*\*

5. तर्क रत्न उपाधिक श्री जयनारायण शर्मा
6. रवि भूषण श्री अजीत नाथ न्याय रत्न शर्मा
7. सुमान्य उपाधिक श्री तारा प्रसाद शर्मा
8. श्री श्रीकान्त शर्मा
9. विद्यारत्न उपाधिक श्री कृष्ण कुमार शर्मा
10. तर्क विज्ञेश श्री मथुरा नाथ शर्मा
11. भगवत रत्न उपाधिक श्री ब्रजराज शर्मा
12. स्मृति भूषण उपाधिक श्री नरसिंह प्रसाद शर्मा
13. विद्या भूषण उपाधिक श्री निरंजन शर्मा
14. तर्क पंचाइन उपाधिक श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा

(ब) मेजर मनोहर लाल गालव भार्गव आई.एम.एस. द्वारा सन् 1932 में प्रकाशित भार्गव डायरेक्टरी की भूमिका के रूप में प्रस्तुत जाति के इतिहास के कुछ अंश :

#### इतिहास

वैदिक और संस्कृत साहित्य से स्पष्ट प्रकट होता है कि प्राचीन काल में समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मण एक ही बिरादरी या आजकल की बोली के अनुसार एक ही जाति में सम्मिलित थे और अपने गोत्रों (अति प्राचीनकाल में भार्गव आंगिरस आदि 7 मूल गोत्र और पश्चात् काल में जामदग्न्य, शौनक आदि अठारह गण) आर्ष प्रवरों और सपिंडों (पिता की ओर के सात पीढ़ी के और माता की ओर के पाँच पीढ़ी के नातेदारों) को छोड़कर अन्य सब के साथ विवाह सम्बन्ध कर लेते थे। ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी तक के जो शिला-लेख और ताम्र पत्र आदि अब तक मिले हैं, उनमें ब्राह्मणों का वर्णन केवल उनके गोत्रों, प्रवरों तथा चरणों (वैदिक शाखाओं) द्वारा ही हुआ है। उनमें अवांतर-भेदों और उपभेदों का वर्णन नहीं है, परन्तु बारहवीं शताब्दी के लेखों में ब्राह्मणों के अवांतर भेदों का वर्णन आरम्भ हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों में निवास के प्रान्तों के अनुसार भेदभाव ईसा के 1000 वर्ष पश्चात् उत्पन्न हुआ। स्कंदपुराण के दो श्लोकों के अनुसार, जो इस समय के पश्चात् बने थे, ब्राह्मण वर्ण पहले पहल प्रान्तों की दृष्टि से 10 अवान्तर-भेदों में विभक्त हुआ (1) सारस्वत, (2) गौड़, (3) कान्य कुब्ज, (4) मैथिल, (5) उत्कल (विंध्या के उत्तर में रहने वाले पञ्च गौड़ों), (6) गुर्जर, (7) महाराष्ट्र, (8) तैलिंग, (9) कर्नाटक और (10) द्राविड़ (विंध्या के दक्षिण में निवास करने वाले पंचद्राविड़)।

इनमें से प्राचीन ब्रह्म-ऋषि देश के अर्थात् प्राचीन कौरव, उत्तर पांचाल, मत्स्य और शौरसेनक जनपदों के ब्राह्मण गौड़ कहलाए। ज्ञात होता है, लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी ई. में, कुरुक्षेत्र के आसपास के देशों में, गुड़-वंशी अर्थात् गौड़-गोत्री राजपूतों का राज्य था। पाँचवीं शताब्दी ई. में ये लोग, हूणों के आक्रमणों के कारण यहाँ से भागकर, अजमेर के आसपास के देश में जा बसे। उस समय तक, भारत में देशों के नाम प्रायः अपने राज्य वंश के नाम से विख्यात होते थे। इस कारण तीसरी या चौथी शताब्दी ई. में कुरुदेश का नाम 'गुड़' या 'गौड़' देश पड़ा।

इन्हीं सब कारणों से पश्चात् काल में, कुरुक्षेत्र को अपना केन्द्र मानने वाले प्रान्त के ब्राह्मण 'गौड़' और उनके नाम से समस्त उत्तर भारत के ब्राह्मण 'पंचगौड़' कहलाए।

समय पाकर उस काल की गति के अनुसार ये दसों अवान्तर-भेद सैकड़ों उपभेदों में विभक्त हो गए और प्रत्येक उपभेद ने अपने को पृथक् जाति (Caste) मान कर दूसरे उपभेदों के ब्राह्मणों से विवाह-सम्बन्ध त्याग दिया। गौड़ अवान्तर-भेद के ब्राह्मण भी 40 से अधिक शाखाओं में बँट गए। इनमें से मुख्य उपभेद तो 'आदि गौड़' कहलाया और अन्यो ने और-और नाम धारण किए। इनमें से एक का नाम 'वधूसर भार्गव' है। इस विषय के विख्यात लेखक पादरी शैरंग ने अपनी पुस्तक 'Hindu Tribes and Castes' के प्रथम भाग के पृष्ठ 68 पर भार्गवों को ब्राह्मणों के गौड़-अवान्तर-भेद (Tribe) का चौथा उपभेद बताया है।

वधूसर-भार्गव नाम दो शब्दों से मिल कर बना है। वधूसर शब्द की व्याख्या इस प्रकार है—'पूर्वजों के गाथानुसार यह नाम च्यवनाश्रम (जो रिवाड़ी-फुलेरा-कार्ड रेलवे पर बसी नारनौल नगरी से लगभग 5 मील पश्चिम की ओर ढोसी नाम के पहाड़ पर स्थित है) के समीप बहने वाली 'बधूसरा' नाम की नदी पर पड़ा। प्राचीन काल में इस उपभेद के पूर्वज इस नदी (जो आजकल 'दुहान' कहलाती है) के तट पर बसते थे। इसी नदी के तट पर बसा हुआ उनका प्राचीन गाँव अब भी 'बधूसरी' के प्राकृत अपभ्रंश 'ढोसी' के नाम से विख्यात है। इसी कारण निकट का पर्वत, जिस पर च्यवनाश्रम है, 'ढोसी का पर्वत' कहलाता है। महाभारत में इस पहाड़ को 'आर्चीक' पर्वत कहा गया है। इसके तीन कूट हैं और इस पर तीन सर 'चन्द्र-कूप', 'सूर्य-कुंड' और 'शिव-कुंड' हैं। इसकी एक गुफा 'च्यवन गुफा' कहलाती है। पहाड़ के ऊपर एक वट वृक्ष के नीचे, च्यवन ऋषि का तप स्थान बतलाया जाता है। इसी के समीप वह सिद्ध कुंड है जिसमें राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से विवाह करने के पश्चात् च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों के साथ डुबकी लगाई थी और फिर से युवावस्था प्राप्त करके अश्विनी कुमारों के समान ही दिव्य रूप धारण किया था। इस कुंड को 'बधूसर कुंड' भी कहा गया है। महाभारत में वर्णित 'चन्द्रतीर्थ' अर्थात् 'चन्द्र-कूप' भी इसी कुंड के समीप है। निकट ही एक प्राचीन मन्दिर और गौशाला है। मन्दिर में श्री च्यवन ऋषि की प्रतिमा विराजमान है।

ढोसी का पहाड़, वधूसर कुंड, चन्द्र-कूप, सूर्य-कुंड, और शिव-कुंड वर्तमान काल में भी आसपास के प्रदेश में, तीर्थ स्थान माने जाते हैं और चन्द्र-ग्रहण, सूर्य-ग्रहण तथा अन्य पर्वों के समय उस प्रदेश के सब हिन्दू वहाँ जाकर इन सरों में स्नान करके, च्यवन ऋषि की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। जनश्रुति यह है कि बधूसर-भार्गव इस पर्वत पर तप करने वाले, सुकन्या के पति और वधूसर-कुंड में स्नान करके युवा होने वाले च्यवन ऋषि की सन्तान हैं। इसी कारण इनके पूर्वज प्राचीन काल में, च्यवनाश्रम के निकट, आर्चीक पर्वत की तलहटी में, 'बधूसरा' नदी के तट पर 'वधूसरी' (ढोसी) नामक ग्राम में बसते रहे। इस कथा का उल्लेख ऋग्वेद, शतपथ-ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, महाभारत और भागवत तथा अन्य पुराणों में पाया जाता है।

शतपथ ब्राह्मण, माध्यन्दिनी शाखा, 4-1-5-1 से 13 तक में महर्षि च्यवन के राजा शर्याति मानव की पुत्री सुकन्या से विवाह करने का और अश्विनी देवताओं की कृपा से पुनः युवा, सुन्दर तथा कन्या

के पति होने योग्य हो जाने का सविस्तार वर्णन है।

महाभारत में भी च्यवन ऋषि की कथा विस्तार के साथ दी हुई है। परन्तु इनमें और ब्राह्मण ग्रंथों में मतभेद हैं।

महाभारत आदि पर्व, 121 से 125 अध्यायों में बताया गया है कि महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन ने उस सर (वधूसर) के निकट तप किया था। वह वीरासन लगाकर, चुपचाप एक ही स्थान पर बैठे रहे और उनके चारों ओर बंबई (मिट्टी की ढेरी) लग गई, जिस पर लताएँ फैल गईं। एक समय राजा शर्याति अपने परिवार सहित उस मनोहर सर में विहार करने आया। उनके साथ उनकी इकलौती पुत्री सुकन्या भी थी। वह पूर्ण यौवना और अत्यन्त रूपवती थी। वह काम के मद से भरी और क्रीड़ा की इच्छा करती हुई, दिव्य आभूषण पहने, अपनी सखियों से घिरी हुई, घूमती-फिरती उस बम्बई के पास आई, जहाँ च्यवन ऋषि बैठे थे। वहाँ आकर खेलने और वृक्षों की टहनियाँ और पुष्प तोड़ने लगी। तब च्यवन ने उसे अकेले बिजली की तरह इधर-उधर दौड़ते और केवल एक वस्त्र और आभूषण पहने देखा। निर्जन वन में देखकर ऋषि उस पर मोहित हो गए और उसे पुकारा, परन्तु उसने उनकी आवाज नहीं सुनी। तब कन्या ने बंबई में ऋषि की आँखों को चमकता देखकर उन्हें काँटों से फोड़ दिया। इससे च्यवन ऋषि को बहुत पीड़ा हुई और क्रोधवश होकर उन्होंने शर्याति की सेना का मल-मूत्र बन्द कर दिया। अपनी सेना को दुखी देखकर राजा अपनी पुत्री सुकन्या सहित ऋषि के पास गए और हाथ जोड़कर अपनी कन्या के अपराध की क्षमा माँगी। तब च्यवन ऋषि ने कहा — “यह अपराध केवल तुम्हारी सुन्दरी कन्या का मेरे साथ विवाह होने पर क्षमा हो सकता है।” राजा ने तुरन्त कन्या दान कर दिया और क्षमा प्राप्त करके सेना सहित अपने नगर को चले गए। सुकन्या पति के पास रहकर उनकी सेवा करने लगी। कुछ काल पश्चात् अश्विनी देवता वहाँ आए और सुकन्या को स्नान के पश्चात् नंगी देखकर तथा उसके उगम अंगों को निहार कर उससे उसका पता पूछा। यह जानकर कि वह च्यवन की पत्नी है, उन्होंने कहा, “तुम्हारे पिता ने उस मृत्यु के निकट पहुँचे हुए पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह क्यों किया? तुम इस वन में विद्युत के समान चमकती हो। हमने देवलोक में भी तुम्हारे समान सुन्दरी नहीं देखी। यद्यपि तुमने सुन्दर वस्त्र और आभूषण नहीं पहन रखे हैं तो भी तुम इस वन को बहुत सुहावना बना रही हो। परन्तु हे निर्दोष अंगों वाली, तुम इस प्रकार कीचड़ और धूल में सनी होने पर जितनी सुन्दर प्रतीत होती हो, उतनी समस्त सुन्दर वस्त्राभूषण पहन कर नहीं हो सकती हो। फिर ऐसी दशा में तुम एक जीर्ण और वृद्ध पति की, जो तुमसे आनन्द नहीं उठा सकता और तुम्हारा निर्वाह भी नहीं कर सकता, क्यों सेवा करती हो? हे दिव्यरूपिणी, च्यवन को छोड़ कर हममें से किसी एक को अपना पति बना लो और अपना यौवन वृथा मत गँवाओ। सुकन्या ने कहा — “मैं च्यवन की पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम इसमें सन्देह मत करो।” तब अश्विनों ने कहा, “हम देव वैद्य हैं। तुम्हारे पति को युवा और रूपवान बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से एक को चुन लेना।” तब सुकन्या अपने पति के पास गई। उसकी बात सुनकर च्यवन ने कहा, “अच्छ, ऐसा ही करो।” सुकन्या ने जाकर अश्विनों से कहा — “अच्छ, ऐसा ही होगा।” अश्विनों ने कहा — “अपने पति को इस जल में प्रवेश कराओ।” तब च्यवन और दोनों अश्विनों ने जल में डुबकी लगाई और तीनों उस सर में से दिव्य रूप, युवा शरीर और सुन्दर कुंडल धारण किए हुए निकले और एकरूप होकर

बोले— “तुम हम तीनों में से जिसको चाहो, वर लो।” सुकन्या ने सोच-विचार कर अपने पति को पहचाना और उन्हीं को वरा। तब च्यवन ने इच्छानुसार रूप, यौवन और पत्नी पाकर अश्विनो से कहा—“मुझ बूढ़े ने तुम्हारी ही जवानी, खूबसूरती और इस स्त्री को पाया है, मैं तुम्हें देवराज के सामने सोमरस पिलाऊँगा।” यह बात सुनकर अश्विनी देवता देव लोक चले गए और च्यवन और सुकन्या सुखपूर्वक रहने लगे।

वधूसरा नदी का भी वर्णन महाभारत में कई स्थानों पर आता है। आदि पर्व के छठे अध्याय (बंगाल संस्करण) में कहा गया है—“महर्षि भृगु की पत्नी (च्यवन की माता) पुलोमा की अश्रुधारा से एक नदी जारी हुई जो उनके पीछे-पीछे चली। ब्रह्मा ने, जो अपनी पुत्र-वधू को सान्त्वना देने आए थे, उस नदी का नाम, उसको अपनी पुत्र-वधू के पीछे चलते देखकर, ‘वधूसरा’ रखा। यह नदी च्यवनाश्रम के पास से बहती है। वनपर्व के 99वें अध्याय में महाबली परशुराम भार्गव के पवित्र ‘वधूसरा’ नदी में स्नान करके पुनः तेज प्राप्त करने का वर्णन है। इसी अध्याय में कहा गया है कि महर्षि भृगु ने इसी नदी के दीप्तोद नामक तीर्थ पर बहुत समय तक तप किया था। इस नदी पर स्थित अनेक तीर्थों में एक भृगु तीर्थ कहलाता था, जो तीनों लोकों में विख्यात और महर्षियों द्वारा पूजित किया जाता था। सम्भवतः ऋग्वेद 8-96-13. 14 और 15 में वर्णित अंशुमी नदी, यही वधूसरा नदी थी।

125वें अध्याय में कुछ आगे चलकर ‘आर्चीक’ नामक पर्वत का वर्णन है, जिसको महात्मा-साधुओं का निवास स्थान बतलाया गया है। इस पर्वत पर तीन कूट और तीन सर बताए गए हैं। इसी के सम्बन्ध में ‘चन्द्र-तीर्थ’ का भी वर्णन है। स्पष्ट है कि आर्चीक ढोसी के पहाड़ का ही प्राचीन नाम है। ‘आर्चीक’ का अर्थ ऋचीक का है। ऋचीक ऋषि महर्षि च्यवन की सन्तान थे। तात्पर्य यह है कि च्यवन के वंशज ऋचीक के इस पहाड़ पर रहने के कारण ही यह आर्चीक पर्वत कहलाता था। महाभारत के वनपर्व के 112वें अध्याय में भी च्यवनाश्रम को पश्चिम के तीर्थों में बताया गया है।

महर्षि च्यवन की कथा भागवत पुराण के नवम स्कन्ध के तीसरे अध्याय में भी पाई जाती है। अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख है।

महर्षि भृगु का तप-स्थान ‘दीप्तोद’ वधूसरा नदी के तट पर बताए जाने, वधूसर नामक सिद्ध-कुंड के चन्द्र-कूट के निकट, ढोसी के पहाड़ पर, होने तथा इस पहाड़ का प्राचीन नाम आर्चीक पर्वत होने से विदित होता है कि प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण, बहुत समय तक वधूसरा नदी के तट पर आर्चीक पर्वत और उसके निकटवर्ती प्रदेश में, बसते रहे होंगे। पश्चात् काल में बहुत से, भिन्न-भिन्न समय में; अपने आदि निवास को छोड़ कर भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जा बसे, जो वर्तमान काल में ब्राह्मणों के दसों अवान्तर भेदों के भिन्न-भिन्न उपभेदों में पाए जाते हैं। जिस समय गौड़ अवान्तर भेद के ब्राह्मणों में शासन अर्थात् निवास स्थान के नाम पर उपमान पड़ने की प्रथा चली, तो जो भृगुवंशी प्राचीन वधूसरा नदी के समीप, ढोसी के पर्वत पर, च्यवनाश्रम में या उसकी तलहटी में वधूसरा (ढोसी) ग्राम में बसते थे, वे वधूसर कहलाए। यही वधूसर शब्द प्राकृत भाषा में बिगड़ कर धूसर या दूसर हो गया। श्री गौड़पादाचार्य कृत ‘आदि गौड़ब्राह्मणोत्पत्ति’, द्वितीय भाग के पृष्ठ 50 पर भार्गव गोत्र के शासनों में ‘च्यवनाश्रमी’ तथा धूसरा, पृष्ठ 58 पर च्यवन गोत्र के शासनों में च्यवनाश्रमी और ‘दूसिया’, तृतीय भाग के पृष्ठ 42 पर

भार्गव गोत्र के शासनों में च्यवनाश्रमी, पृष्ठ 51 पर च्यवन गोत्र के शासनों में 'च्यवनाश्रमी' तथा दूसिया और चतुर्थ भाग के पृष्ठ 49 पर च्यवन गोत्र के शासनों में 'ढोसीवाल' और धूसरा नामों के शासनों का वर्णन है। उसके शिष्य श्री गौड़पाद स्वामी के कथनानुसार शासकों की ये सूचियाँ गौड़ ब्राह्मणों के जागों से एकत्रित की हुई हैं। च्यवनाश्रमी का अर्थ 'च्यवनाश्रम के निवासी' हैं और च्यवन आश्रम ढोसी पर्वत पर है। 'धूसरा' वधूसरा का अपभ्रंश है और दूसिया, दूसी या ढोसी पर निवास करने के द्योतक हैं। वधूसर भार्गवों के सब वर्तमान गोत्र भार्गव मूल गोत्र की शाखाएँ हैं और उनमें से पाँच च्यवन गोत्र की। अतः इन शासनों का सम्बन्ध वधूसर, धूसर या भार्गवों से ही हो सकता है। वास्तव में वधूसर, धूसर या दूसर इनका प्राचीन शासन उपनाम है।

'भार्गव' शब्द का अर्थ 'भृगु की सन्तान' है। वधूसर भार्गवों के विख्यात पूर्वज महर्षि च्यवन महर्षि भृगु के पुत्र थे। वधूसर भार्गवों के प्रवरों से भी यही सिद्ध होता है कि ये लोग महर्षि भृगु की औरस या आश्रित संतान हैं। इनके सब वर्तमान गोत्रों (वास्तव में वर्गों) का प्रथम प्रवर 'भार्गव' है।

जब यह उपभेद अन्य गौड़ ब्राह्मणों से पृथक हुआ, तो वह अपने जनों के शासन के नाम पर वधूसर और वंश के नाम पर भार्गव कहलाया। ये लोग महर्षि च्यवन के नाम से च्यवनवंशी भी कहलाए हैं।

मुगल बादशाहों के समय के जो लेख मिले हैं, उनमें इन लोगों को धूसर या दूसर लिखा पाया जाता है। सन् 1559 ई. के लिखे सम्राट अकबर के दान-पत्र में महिपाल धूसर लिखा हुआ है। राज्य सम्बन्धी लेखों में भी यही नाम पाया जाता है। राधावल्लभी गोस्वामियों के ग्रन्थ 'अनन्यरसिक-माल' में उस सम्प्रदाय के एक गोस्वामी नवलदास का, जिनको उनके बन्धुओं के वंश-वृत्त में किशोरदास भी कहा गया है और जो रिवाड़ी के निवासी नवल किशोर नामक वधूसर भार्गव थे, दूसर कुल में उत्पन्न बताया जाता है :-

'अब श्री हितहरि वंश के शिष्य नवल ही जान। दूसर-कुल पावन कियौ, तिनको करूँ बखान॥'

गोस्वामी सूरि वंश के बादशाहों के तथा अकबर के समकालीन थे और 'अनन्य-रसिक-माल' वंशावलियों के लेखानुसार हेमू की मृत्यु के पश्चात् वधूसर भार्गवों को बैरम खाँ के कोप से इन्होंने ही बचाया था।

18वीं शताब्दी में लिखे गए 'गुरु-भक्ति-प्रकाश' नामक ग्रन्थ में, जो चरणदास सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी चरणदास (रणजीत राय वधूसर-भार्गव) का जीवन चरित्र है और जिसके कर्ता उनके अपने ही शिष्य स्वामी रामरूप (दीवान गुरु भक्तानंद) आदि गौड़ ब्राह्मण थे, गोस्वामी जी को च्यवन ऋषि की सन्तान तथा धूसर या च्यवनवंशी लिखा है :-

परम तपस्वी ऋषि जो कहिए,  
च्यवन नाम पुनि तिनको लहिए।  
पुनि ऋषि की सन्तान भई जो,  
तिनको दूसर कहिए तहै सो।

ढोसी-पुर में बास जो पायो,  
ता सौं दूसर नाम कहायो।  
दूसर-जाति, च्यवन-वंशी भयौ;  
अब दिल्ली में बासा लयौ।  
च्यवन ऋषि सों मम कुल जान:

दूसर-कुल प्रकट भयौ सुनिए शिष्य सुजान।

यह भी विचारणीय विषय है कि महाभारत, आदिपर्व अध्याय 53 में महाराज जनमेजय के यज्ञ में होता चंड भार्गवों को च्यवनवंशी कहा गया है। ऋषियों के नामों में और भी भृगुवंशी ब्राह्मणों का वर्णन है, परन्तु चंड को ही भार्गव और च्यवनवंशी कहा गया है। सम्भावना यही होती है कि वह दूसर-भार्गवों के पूर्वज थे। जैसा पहले बताया जा चुका है, पादरी शैरिंग ने अपनी पुस्तक Hindu Castes and Tribes प्रथम भाग में गौड़ ब्राह्मणों के इस उपभेद का नाम भार्गव लिखा है। द्वितीय भाग के पृष्ठ 23 पर ब्राह्मण वर्ण के भेदों-उपभेदों की सूची में दिल्ली, कोयल (आगरा), अवध तथा गुजरात-प्रांतों के निवासी भार्गवों का वर्णन है। पं. परशुराम शास्त्री (सहकारी मन्त्री 'श्रीगौड़ ब्राह्मण महासभा, कुरुक्षेत्र' और सम्पादक 'ब्राह्मण-समाचार') विरचित 'गौड़-ब्राह्मण वंशोत्पत्ति' प्रथम भाग में, पृष्ठ 61 पर, ब्राह्मण-वर्ण के भेदों में 1254वें भेद का नाम भार्गव दिया गया है, जिसके निवास स्थान दिल्ली, कोयल, अवध तथा गुजरात प्रान्त बताए गए हैं। इसी प्रकार श्रीगौड़पादाचार्य-76 पर ब्राह्मणों के 1283वें भेद का नाम भार्गव बताकर उनके देश दिल्ली, कोयल, राजपूताना तथा गुजरात प्रान्त लिखे हैं। गुजरात प्रान्त में गुर्जर अवांतर-भेद का भार्गव नामक उपभेद उपस्थित है, परन्तु दिल्ली, कोयल, अवध तथा राजपूताना प्रान्तों में वसूधरों के सिवा और कोई हिन्दू ऐसे नहीं जो अपने आपको भार्गव कहते हों। स्पष्ट है कि लेखकों का आशय वधूसरों (धूसरों या दूसरों) से ही है।

भृगु वंश ब्राह्मण वर्ण में प्राचीनतम है। महाभारत आदिपर्व, अध्याय 5 में इसको ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम और इन्द्रादि देवताओं तथा ऋषियों और मरुतों द्वारा पूजित कहा गया है। भगवत् गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं — “ब्राह्मणों में मैं भृगु (अर्थात् श्रेष्ठतम) हूँ।” श्रौत सूत्रों के परिशिष्ट भागों में प्रवर कांडों तथा गोत्रावलियों और अन्य ग्रन्थों में, प्राचीन ऋषियों के वर्णन में, महर्षि भृगु का नाम सर्वप्रथम पाया जाता है। बहुवचन में भृगुव अर्थात् भृगुवंशियों या भार्गव गोत्रियों का बारम्बार भूतकाल में वर्णन है। उनको विशेषतः अग्नि को प्रकट करने वाला बताया गया है। ऋग् 1-1-2 में पूर्व ऋषियों का वर्णन है, जो सायण भाष्यानुसार भृगु, अंगिरस आदि थे। 1-58-6 में कहा गया है कि भृगवों ने अग्नि को मनुष्यों के लाभार्थ मनुष्यों में स्थापित किया। 1-60-1 के अनुसार मातरिश्वन् देवता ने गुप्त अग्नि भृगु को दान दी। 1-71-4 में भृगु को अग्नि का साथी बताया गया है। 1-127-7 में भृगवों को स्तुतियों द्वारा अग्नि का आवाहन करने वाला, अर्णियों को रगड़ कर अग्नि को उत्पन्न करने वाला तथा उसमें हवि की आहुति देने वाला कहा गया है। 1-143-4 में बताया गया है कि भृगुवंशी अपनी सामर्थ्य से अग्नि को पृथ्वी पर लाए। 2-4-2 में कहा गया है कि भृगुओं ने, जो जल के घर (अंतरिक्ष) में अग्नि (विद्युत्) की सेवा करते थे, उसको मनुष्यों के घरों में स्थापित किया। 3-2-4 में अग्नि को भृगु की देन माना गया है।

4-7-1 में अज्जवान् (भार्गव) और भृगवों द्वारा अग्नि के प्रचंड किए जाने का वर्णन है। 8-43-13 में भृगु को मनु और अंगिरस सहित प्राचीन पितृ बताया गया है। 10-14-6 में भृगवों, अंगरसों तथा अथर्वणों को सोमरस का भागी और प्राचीन पितृ कहा गया है। 10-46-2 में भृगवों द्वारा अग्नि को समुद्र में से खोज कर लाए जाने का वर्णन है।

स्पष्ट है कि भृगु ऋग्वैदिक काल के प्राचीनतम भाग में अर्थात् आर्य सभ्यता के आरम्भ काल में जन्मे थे और अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। इसी कारण महाभारत में भृगु वंश को उत्तम और इन्द्रादि देवताओं तथा ऋषियों का पूज्य कहा गया है।

महर्षि भृगु आर्यों के प्रथम राजा मनु के समकालीन थे। ऋग्वेद से हमें भृगुवंशी च्यवन-अज्जवान्, ऊँचे, जमदाग्नि, परशु (पर्शु) राम तथा जमदग्नि ऋषि जी की अन्य सन्तानों के आर्य हिन्दुओं के इतिहास अति प्राचीन काल में, उपस्थित होने के प्रमाण मिलते हैं।

वैदिक साहित्य में महर्षि भृगु को वारुण अर्थात् वरुण का पुत्र कहा गया है। सम्भव है, वरुण उनके पिता का नाम हो। परन्तु वरुण नाम आर्यों के एक अति प्राचीन देवता का भी है। अतः यह भी सम्भव है कि महर्षि भृगु को, वरुण देवता का उपासक होने के कारण, वरुण कहा गया हो। महर्षि भृगु की दो पत्नियाँ बताई गई हैं। पहली पत्नी का नाम दिव्या पुलोमा था। वह असुरों के पुलोम वंश की कन्या थी। इसकी सगाई पहले अपने ही वंश के एक पुरुष से, जिसका नाम महाभारत शांतिपर्व, अध्याय 13 के अनुसार दंस था, हुई थी। परन्तु उसके पिता ने वह सम्बन्ध छोड़कर उसका विवाह महर्षि भृगु से कर दिया। जब महर्षि च्यवन उसके गर्भ में थे, तब महर्षि भृगु की अनुपस्थिति में, एक दिन, अवसर पाकर, दंस (पुलोमासुर) उसको हर ले गया। शोक और दुःख के कारण उसका गर्भपात हो गया और शिशु पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस कारण वह च्यवन (गिरा हुआ) कहलाया। कहा गया है, सूर्य के समान दिव्य शिशु को गर्भ से च्युत देखकर असुर ने पुलोमा को छोड़ दिया और स्वयं जलकर भस्म हो गया, तत्पश्चात् पुलोमा दुःख से रोती हुई, शिशु को गोद में उठाकर, आश्रम को लौटी। तब उसके आँसुओं से एक नदी बह चली जिसका नाम ब्रह्मा ने (जिसको यहाँ भृगु का पिता बताया गया है) वधूसरा रखा। महर्षि च्यवन ने अपना आश्रम इसी के तट पर बनाया था।

दिव्या पुलोमा की सन्तान में एक विख्याति शुक्र या उशनस काव्य हुए। यह असुरों के गुरु या पुरोहित थे। महाभारत तथा पुराणों में प्रायः उनको भृगु का पुत्र बताया गया है, परन्तु ऋग्वेद अनुक्रमणिका से ज्ञात होता है कि वह भृगु के पौत्र और कवि ऋषि के पुत्र थे। महर्षि शुक्र के दो विवाह हुए, परन्तु भारतवर्ष के ब्राह्मणों में उनकी सन्तान का कोई पता नहीं चलता। यह भी संभव है कि उनका वंश निर्बीज हो गया हो। पुलोमा के गर्भ से पाँच और पुत्र बताए गए हैं, परन्तु उनकी जाति का कोई वर्णन नहीं मिलता। सम्भवतः उनका वंश नहीं चला।

महर्षि च्यवन के भी दो विवाह हुए थे। पहली स्त्री राजा मनु की पुत्री आरुषी थी और उसके दो पुत्र अप्तवान और दधीचि उत्पन्न हुए। अप्तवान के पुत्र उर्व ऋषि हुए। महर्षि उर्व के पुत्र ऋचीक ऋषि हुए, जिनके नाम से च्यवनाश्रम का पर्वत आर्चीक पर्वत कहलाया। ऋचीक ऋषि की स्त्री राजा गाधि की



पुत्री सत्यवती थी, जो महर्षि विश्वामित्र की भगिनी थी। इसके सौ पुत्र बताए गए हैं जिनमें सबसे बड़े पुत्र महर्षि जमदाग्नि थे।

महर्षि च्यवन की दूसरी स्त्री राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से प्रमति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम रुरु था, जिसके पुत्र 25 तक ऋषि हुए।

पुराणों में से ऐतिहासिक विषय के संग्रहकर्ता और भारतवर्ष की ऐतिहासिक कथाओं के संशोधक मिस्टर पारजिटर के मतानुसार उक्त वंशावली शुद्ध नहीं है। उनके विचारानुसार इन ऋषियों में प्रायः पिता-पुत्र का सम्बन्ध नहीं था, वरन् एक-दूसरे के कई पीढ़ियों पश्चात् जन्मे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक Ancient Indian Historical Tradition में भारतवर्ष के बहुत से ब्राह्मण और क्षत्रिय वंशों की वंशावलियाँ एकत्रित करके उनका क्रमानुसार संग्रह किया है। इन वंशावलियों को संवतवार जमाना तो असम्भव था, इस कारण वे पीढ़ियोंवार जमाई गईं और मनु के काल से आरम्भ होकर महाभारत युद्ध के पश्चात् समाप्त होती हैं। उसके मतानुसार निम्नलिखित विख्यात पुरुष उनके आगे लिखी पीढ़ियों में भृगुवंश में जन्मे थे :—

- |   |                      |
|---|----------------------|
| (1) च्यवन                                   | दूसरी पीढ़ी में      |
| (2) उशनस (शुक्र)                            | पाँचवीं पीढ़ी में    |
| (3) शंड, मर्क और अप्तवान                    | छठी पीढ़ी में        |
| (4) उर्व                                    | तीसवीं पीढ़ी में     |
| (5) ऋचीक                                    | इकतीसवीं पीढ़ी में   |
| (6) जमदाग्नि और अजगर्ति                     | बत्तीसवीं पीढ़ी में  |
| (7) राम और शुनः शेफ                         | चौत्तीसवीं पीढ़ी में |
| (8) अग्नि और वीतहव्य                        | चालीसवीं पीढ़ी में   |
| (9) वध्यश्व                                 | बासठवीं पीढ़ी में    |
| (10) दिवोदास                                | तिरेसठवीं पीढ़ी में  |
| (11) मित्रयुव और परुच्छेपिदेवोदास           | चौंसठवीं पीढ़ी में   |
| (12) मैत्रयुव, प्रतर्दन, देवोदास और प्रचेतस | पैंसठवीं पीढ़ी में   |
| (13) अर्नीति पालच्छेपि और वाल्मीकि          | छासठवीं पीढ़ी में    |
| (14) सुमित्र वाध्यश्व                       | सड़सठवीं पीढ़ी में   |
| (15) देवापि शौनक                            | इकहत्तरवीं पीढ़ी में |
| (16) इन्द्रोत देवापि शौनक                   | बहत्तरवीं पीढ़ी में  |
| (17) वैशंपायन                               | चौरानवीं पीढ़ी में   |

च्यवनवंशी चंड भार्गव महाराज जनमेजय पांडव के समकालीन थे।

\* \* \*

## 13. जनगणना

जनगणना किसी भी देश अथवा जाति की संख्या एवं वास्तविक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति की जानकारी के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। भार्गव जाति को भी, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरी हुई थी, एक विश्वसनीय जनगणना अथवा डायरेक्टरी की आवश्यकता थी। सन् 1988 ई. की ही कांफ्रेंस में बाबू रामलाल जी ने कहा था कि “हमारी जाति के बारे में कहीं कुछ लिखा है और कहीं कुछ, इसलिए कोई ऐसी किताब लिखी जाए जिससे हम लोग अपने को ब्राह्मण कहना सिद्ध कर सकें।” बाबू केदार नाथ जी डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि “कौम के हालात मालूम करने के लिए एक डायरेक्टरी तैयार की जाए, जिससे यह मालूम हो सके कि कौम में किस कदर बेवा हैं जिन्हें मदद की जरूरत है और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी मदद मिलने पर अच्छी तालीम मिल सकती है।” इसी सम्बन्ध में बाबू कुन्दनलाल जी डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि, “वाकई ऐसी किताब की सख्त जरूरत है क्योंकि एक अंग्रेज की लिखी हुई पुस्तक में झाँसी में दूसरों की तादाद 4020 लिखी हुई है, जबकि वहाँ अपनी कौम का एक ही घर है। इसी प्रकार फतहपुर में 680 परिवार लिखे हैं जबकि वहाँ शायद एक या दो ही घर हों।” इसी प्रकार सरकारी जनगणना में भी दूसर भार्गवों की वास्तविकता की अनभिज्ञता के कारण सही स्थिति नहीं दर्शाई जा सकी थी। अतः प्रारंभ में जब-जब भार्गव जाति की डायरेक्ट्रियाँ तैयार की गईं तब-तब ही न केवल जाति की सही संख्या पर बल दिया गया बल्कि जाति निर्णय, अर्थात् दूसर भार्गव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास की विवेचना पर भी विशेष ध्यान दिया गया। भार्गव जाति की प्रथम डायरेक्ट्री सन् 1901 ई. में कांफ्रेंस के दफ्तर से प्रकाशित की गई थी।

इस डायरेक्ट्री की भूमिका में पं. सूरज भान जी च्यवनवंशी भार्गव ब्रह्मन्, निवासी कृपाल नगर, रियासत अलवर का भार्गवों की उत्पत्ति आदि का विवरण था, व जो सूचनाएँ विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई थीं उनका संकलन तथा विश्लेषण पं. मदन लाल जी के द्वारा किया गया था। किन्तु कुछ स्थानों से फार्म प्राप्त नहीं हुए थे जिसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि जाति की प्रस्तुत संख्या कितनी सही थी। यह कमी आगामी सभी डायरेक्ट्रियों में भी रही और आज तक भी वर्तमान है। वास्तव में जनगणना को शत-प्रतिशत सही तो कभी कहा ही नहीं जा सकता है, और उसमें प्रस्तुत आँकड़े अनुमान के रूप में ही समझे जाने चाहिए। परन्तु फिर भी ऐसे सर्वेक्षणों की अपनी उपयोगिता होती है कि जिससे जाति अथवा देश की समस्याओं को समझने एवं समाधान में सहायता मिल सकती है।

अतएव भार्गव जाति की जनगणना अब तक सात बार सन् 1900, 1915, 1930, 1941, 1951, 1961 व 1971 ई. में हुई है। जिसके आँकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सन् 1900 से 1961 ई. तक हुई जनगणना की डायरेक्ट्रियाँ तो प्रकाशित की जा चुकी हैं, किन्तु सन् 1971 ई. की जनगणना पर आधारित डायरेक्ट्री को अपने खर्चों से छापने के लिए कोई सज्जन न मिलने के कारण आँकड़े ही प्रकाशित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

### सन् 1900 ई. की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	3017	1385	391	1241
महिलाएँ	2866	1385	653	828
कुल संख्या	5883	2770	1044	2069
कुल परिवार	1278			

### कतिपय नगरों के परिवारों की संख्या

नगर	परिवार	नगर	परिवार	नगर	परिवार
इलाहाबाद	32	रिवाड़ी	150	सीतापुर	7
आगरा	44	टांगड़ी	6	नवाबगंज	3
मथुरा	80	कुतुबपुर	19	अलवर	38
सहार	5	बावल	8	जहारखेड़ा	13
चंदौसी	4	अम्बाला	9	बानसूर	5
मेरठ	26	रावलपिंडी	10	बेरोज	4
सहारनपुर	9	लाहौर	14	बहादुरपुर	14
सासनी	5	पटियाला	7	कृपाल नगर	11
अलीगढ़	19	नारनौल	6	हरसोली	11
झाँसी	7	अमृतसर	5	बहरोड़	14
कानपुर व सुलतानपुर	20	फिरोजपुर	8	जयपुर	97
		हिसार	9	कोट कासिम	20
अनूप शहर	6	शाहजहाँपुर	8	अजमेर	33
बुलन्दशहर	3	जबलपुर	18	ब्यावर या	
देहली	38	सिउनी	4	नया नगर	8
गुड़गाँव	9	मुलताई	14		
भोयड़ा कलाँ	10	लखनऊ	51		
नीमच	8	बीकानेर	8	ग्वालियर	8
उज्जैन	6	धौलपुर	12	भरतपुर	12
कुम्हेर	5	कोटा झालावाड़ क्षेत्र	23	जोधपुर	7

साक्षर एवं शिक्षित पुरुष लगभग 80 प्रतिशत

साक्षर एवं शिक्षित महिलाएँ लगभग 23 प्रतिशत

\*\*\*\*\*

### सन् 1915 ई. की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	2881	1143	365	1373
महिलाएँ	2449	1143	528	778
कुल संख्या	5330	2286	893	2151

कुल परिवार संख्या — 1049

### जाति में शिक्षितों की स्थिति इस प्रकार थी :—

ग्रेजुएट	72	3 प्रतिशत से भी कम
अन्डर ग्रेजुएट	139	5 प्रतिशत से भी कम
पढ़ रहे विद्यार्थी	759	36 प्रतिशत
साक्षर महिलाएँ	775	27 प्रतिशत

### सन् 1930 की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	3835	1366	405	2064
महिलाएँ	3117	1366	506	1245
कुल संख्या	6952	2732	911	3309

कुल परिवार संख्या — 1306

जाति की आर्थिक स्थिति इस प्रकार थी। पूरी बिरादरी में कमाने वालों की संख्या 1543 थी, जिनमें —

सरकारी नौकरी में	794	बड़े व्यवसायी	28
डॉक्टर	34	अन्य आय वाले	134
वकील	105		
तिजारती पेशा	448	कुल	1543

जो औसत दर्जे के व्यवसायी थे उनकी मासिक आय केवल 50 रु. थी, व जो अन्य तरीकों से जीविका उपार्जित करते थे, उनकी मासिक आय 8 रु. से 30 रु. तक थी।

### सन् 1941 ई. की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	4590	1600	326	2664
महिलाएँ	3999	1600	517	1882
कुल संख्या	8589	3200	843	4546

कुल परिवार संख्या — 1562

\*\*\*\*\*

### सन् 1951 ई. की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	4379	1496	247	2636
महिलाएँ	4020	1496	341	2183
कुल संख्या	8399	2992	588	4819

कुल परिवार संख्या — 1424

शिक्षा की स्थिति इस प्रकार थी :—

हिन्दी या उर्दू जानने वाले पुरुष	423
पोस्ट ग्रेजुएट	216
ग्रेजुएट	463
एल.एल.बी.	63
एम. बी. बी. एस.	105
साक्षर एवं शिक्षित महिलाएँ	86.6 प्रतिशत
जीविका उपार्जित करने वाले	2001 थे।

### सन् 1961 ई. की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	5845	2062	162	3644
महिलाएँ	5386	2062	408	2893
कुल संख्या	11231	4124	570	6537

कुल परिवारों की संख्या — 1722

### कतिपय नगरों एवं प्रान्तों की परिवार संख्या

नगर	परिवार	प्रांत	परिवार
देहली	242	यू. पी.	609
जयपुर	224	राजपूताना	560
लखनऊ	105	देहली	242
कानपुर	105	मध्य प्रदेश	162
अजमेर	97	पंजाब	57
अलवर	76	बॉम्बे	42
मथुरा	73	बैंगलोर	27
इलाहाबाद	71	अन्य	23

\*\*\*\*\*

आगरा	58
रिवाड़ी	45
मेरठ	42
जोधपुर	37
बॉम्बे	37
ग्वालियर	36

### सन् 1971 ई. की जनगणना के आँकड़े

		विवाहित	विधुर/विधवा	अन्य
पुरुष	6930	2779	168	3983
महिलाएँ	6600	2779	509	3312
कुल संख्या	13530	5558	677	7295

कुल परिवारों की संख्या — 2095

### कतिपय नगरों एवं प्रांतों की परिवार संख्या

नगर	परिवार	प्रांत	परिवार
देहली	269	यू. पी.	750
जयपुर	211	राजस्थान	657
लखनऊ	161	देहली	269
अजमेर	110	मध्य प्रदेश	216
कानपुर	104	पंजाब व हरियाणा	89
अलवर	92	अन्य	114
इलाहाबाद	86	विदेश	10
मथुरा	89		
आगरा	59		
रिवाड़ी	57		
जोधपुर	61		
बीकानेर	47		
मेरठ	27		
कोटा	42		
बम्बई	54		
अलीगढ़	33		
ग्वालियर	34		

\*\*\*\*\*

### जीविकोपार्जन करने वालों की आय का सन् 1961 व 1971 ई. का तुलनात्मक ब्यौरा

विवरण	1961 व्यक्ति	1971 व्यक्ति
100 रु. तक मासिक आय	297	112
101 से 200 रु. तक आय	894	282
201 से 300 रु. तक आय	538	462
301 से 400 रु. तक आय	265	430
401 से 500 रु. तक आय	215	486
501 से 1000 रु. तक आय	294	1037
1000 रु. से अधिक आय	119	556

सन् 1961 ई. व सन् 1971 ई. के आँकड़ों की तुलना से स्पष्ट होता है कि अब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाकर निवास कर रही थी व उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर उन्नति हो रही थी।

### भारगव जाति के सन् 1900 से 1971 ई. तक के तुलनात्मक आँकड़े

विवरण	1900	1915	1930	1941	1951	1961	1971
विवाहित पुरुष	1385	1143	1366	1600	1496	2062	2779
विवाहित महिलाएँ	1385	1143	1366	1600	1496	2062	2779
विधुर	391	365	405	326	247	162	168
विधवाएँ	653	528	506	517	341	408	509
अन्य	2069	2151	3309	4546	4819	6537	7295
योग	5883	5330	6952	8589	8399	11231	13530

\* \* \*



## 14. भार्गव सभा आगरा व भार्गव सभा रिवाड़ी का एकीकरण

भार्गव सभा आगरा व भार्गव सभा रिवाड़ी ऐसी दो संस्थाएँ रही हैं, जिनके उद्देश्य, संगठन व कार्यप्रणाली एक ही समान थे एवं लगभग 30-32 वर्ष तक दोनों संस्थाएँ समानान्तर रूप से ही कार्य करती रहीं। भार्गव सभा आगरा 10 अक्टूबर सन् 1889 ई. को व भार्गव सभा रिवाड़ी 25 नवम्बर सन् 1888 ई. को स्थापित हुई थी; दोनों के ही उद्देश्य जाति की उन्नति करना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, शिक्षा की उन्नति करना व बेवाओं व अपाहिजों आदि की सहायता करना था। दोनों ही सभाएँ सर्वप्रथम बच्चों और नवयुवकों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए साधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने में प्रयत्नशील थीं व दोनों के दस्तूर-उल-अमल भी एक ही प्रकार के थे तथा दोनों ही अपने-अपने वार्षिक अधिवेशन अलहदा-अलहदा अधिकांशतः एक ही स्थान पर किया करती थीं। इससे स्पष्ट है कि दोनों सभाएँ एक ही तरह से अपनी-अपनी गतिविधियों में संलग्न थीं।

परन्तु भार्गव सभा आगरा प्रारम्भ से ही अपने को मुख्य सभा के रूप में व भार्गव सभा रिवाड़ी को अपनी शाखा के रूप में प्रस्थापित करना चाहती थी, जबकि रिवाड़ी सभा अपना स्वतन्त्र व पृथक अस्तित्व कायम रखना चाहती थी।

25 नवम्बर सन् 1888 ई. की जिस बैठक में रिवाड़ी सभा की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता मु. उमराव सिंह जी चौकड़ायत ने की थी व ला. बिहारी लाल जी के भाषण को उनके भाई पं. सुन्दर लाल जी ने पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि 30 दिसम्बर सन् 1887 को मु. गिरधर लाल जी आगरा से वहाँ उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु एक बोर्डिंग हाउस के निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने को आए थे। उस वक्त रिवाड़ी के बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर कोई विचार नहीं किया गया था, जिसके बिना उच्च शिक्षा सम्भव ही नहीं हो सकती थी। रिवाड़ी के लोगों का रुझान शुरू से ही मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा की आवश्यकता की ओर था। उनके विचार में रिवाड़ी ही एकमात्र ऐसा स्थान था जो सभा के मुख्यालय के लिए उपयुक्त था तथा इसीलिए रिवाड़ी में ही एक सभा स्थापित होनी चाहिए थी जो समस्त च्यवनवंशी दूसरों के लाभ के लिए हो। इसी सभा में यह भी निर्णय लिया गया था कि रिवाड़ी सभा की रजिस्ट्री करा दी जावे।

रिवाड़ी सभा के प्रस्तावित दस्तूर उल अमल के अनुसार सभा का नाम 'भार्गव सभा' व उसका सदर मुकाम रिवाड़ी रखा गया था। इसकी शाखाएँ अन्य स्थानों पर वहाँ के निवासियों की दरखास्त पर स्थापित की जा सकती थीं। इसी प्रकार भार्गव सभा आगरा के दस्तूर-उल-अमल में उसका नाम 'भार्गव सभा' व उसका सदर मुकाम आगरा रखा गया था और इस सभा की दो शाखाएँ एक रिवाड़ी में व दूसरी जयपुर में स्थापित करने का प्रावधान था। इन दो शाखाओं के अतिरिक्त सभा के सदस्यों की अनुमति से अन्य

स्थानों पर भी शाखाएँ स्थापित की जा सकती थीं। इस प्रकार दोनों सभाओं के दस्तूर-उल-अमल एक ही तरह के बने थे।

किन्तु जो प्राथमिकता आगरा सभा को प्राप्त हुई वह रिवाड़ी सभा को न मिल सकी। इसके दो मुख्य कारण थे : पहला तो यह कि भार्गव सभा का रजिस्ट्रेशन उसकी स्थापना के साथ ही हो गया था। रिवाड़ी सभा ने भी अपनी स्थापना के साथ ही पंजीकरण कराने का निर्णय तो ले लिया था लेकिन समय रहते उसका पंजीकरण नहीं हो सका। और बाद में जब एक सभा का रजिस्ट्रेशन हो चुका था तो दूसरी अन्य किसी ऐसी सभा के रजिस्ट्रेशन के लिए सहमति नहीं हो सकती थी, विशेष रूप से जयपुर की सभा इसके पक्ष में नहीं थी। दूसरे प्राथमिक शिक्षा का अपना एक महत्त्व तो था, किन्तु उस समय की परिस्थितियों में जो महत्त्व उच्च शिक्षा का था वह उसे प्राप्त नहीं हो सकता था। चूँकि आगरा सभा आगरा में जो उच्च शिक्षा का केन्द्र था, बोर्डिंग हाउस का निर्माण करना चाहती थी, इसीलिए उसे जो महत्त्व एवं प्राथमिकता मिली वह रिवाड़ी सभा को नहीं मिली व जिस तरह से बाहर के लोगों ने आगरा सभा को सहयोग दिया एवं सहायता उपलब्ध कराई, वह भी रिवाड़ी सभा को न मिल सकी।

भार्गव सभा रिवाड़ी की 13 फरवरी सन् 1890 ई. को हुई बैठक के विवरण के अनुसार प्रारम्भ से ही मु. गिरधर लाल जी, सैक्रेट्री भार्गव सभा आगरा, की यह इच्छा थी कि रिवाड़ी सभा आगरा की सभा से अलहदा न समझी जावे और न किसी किस्म का चन्दा अलहदा वसूल किया जावे। समय-समय पर उनसे यह भी कहा गया कि कुछ समय तक रिवाड़ी को मसलहतन पृथक समझा जाए ताकि रिवाड़ी सभा के निर्धारित उद्देश्य किसी हद तक पूरे हो सकें और उसके पश्चात् दोनों को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रिवाड़ी के लोगों का कहना था कि कुछ आवश्यक कार्य जैसे बोर्डिंग हाउस का निर्माण करना, छात्रवृत्तियों व पुस्तकों आदि के लिए धन इकट्ठा करना, जिसकी जानकारी सरकार को भी थी, पूरे करने थे और यदि आगरा की सभा रिवाड़ी सभा के सब खर्चों का इन्तजाम कर दे और उन्हें विश्वास हो जाए कि वह कर सकेगी, तो उन्हें शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी व उसकी शाखा बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु व्यय सब रिवाड़ी सभा करेगी, जिसके लिए आगरा सभा की अनुमति अथवा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। जो धन राशि खर्च होगी उसका हिसाब नियमानुसार भेज दिया जाएगा और यदि ऐसा न हो सके तो रिवाड़ी सभा को वर्तमान स्थिति में ही रहने दिया जावे। यदि फिर भी मु. साहब सन्तुष्ट न हों तो एक विशेष जलसा जयपुर या रिवाड़ी में बुलावें जहाँ सब मसलों पर विचार हो जावेगा।

किन्तु वस्तुतः सम्पूर्ण जाति से सम्बन्ध रखने वाले सभी कार्यों का, जैसे कि शिक्षा की प्रगति, सामाजिक सुधार व उन्नति, सेवाओं—अपाहिजों एवं साधनहीन बच्चों की सहायता, सफलतापूर्वक सम्पादन तभी हो सकता था जबकि उनका संचालन एक ही जगह से होता। सम्भवतः इसी विचार से प्रेरित होकर सन् 1898 ई. में निर्णय लिया गया था कि दोनों सभाओं का बेवा फण्ड एक ही समझा जाए तथा जो भी आमद खर्च हो वह दोनों सैक्रेट्रीज के आपसी सलाह-मशवरे से हो। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि रिवाड़ी व कुतुबपुर की बेवाओं की सहायता यथावत रिवाड़ी सभा से ही की जाती रहे।

सन् 1901 ई. की कांफ्रेंस के प्रस्ताव संख्या 44 द्वारा जब भार्गव बोर्डिंग हाउस अलवर की स्थापना का निर्णय लिया गया, तो उसकी सहायता के लिए यह भी तय किया गया था कि अलवर के लोगों की इच्छानुसार उसे 15/-रुपए माहवार की सहायता दी जावे, जिसमें से आधे-आधे अर्थात् सात-सात रुपए और आठ-आठ आने दोनों सभाएँ दें। इस प्रस्ताव को दोनों सभाओं के सैक्रेट्रीज ने स्वीकार कर लिया।

इसके पश्चात् जब स्थायी धन राशि के विषय पर वाद-विवाद चला तो सन् 1913 ई. में यह निर्णय लिया गया कि जो स्थायी धनराशि रिवाड़ी सभा के पास थी, वह भार्गव सभा आगरा को, जो पंजीकृत थी, भेज दिया जाए। रिवाड़ी सभा की रिपोर्ट में इसका यह कह कर विरोध किया गया कि ऐसा करने से जिन लोगों ने रिवाड़ी सभा को रुपया दिया था उनकी स्वीकृति इस विषय में लेनी आवश्यक थी। किन्तु इसके उत्तर में यह दलील दी गई कि जो रुपया रिवाड़ी सभा में जमा हो गया था वह सम्पूर्ण जाति की धन राशि था और उस पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं था तथा जाति की धन राशि एक ही जगह रखना आवश्यक था और जहाँ तक रिवाड़ी सभा के उन लोगों की सदस्यता का सवाल था कि, जो स्थायी फण्ड में रुपया देने के आधार पर ही मैम्बर बने थे, उनकी सूची सैक्रेट्री, भार्गव सभा आगरा को भेज दी जाए और उनकी सदस्यता की शरियत आदि देख कर भार्गव सभा (रजिस्टर्ड) में शामिल कर लिए जाएँगे। इसी के साथ यह विचार भी दृढ़ होता जा रहा था कि सामाजिक सुधार के कार्य समस्त जाति के निर्णय के बाद ही व्यवहार में लाए जा सकते थे, केवल रिवाड़ी सभा में ही विचार के बाद नहीं। जहाँ तक विद्यार्थियों व बेवाओं की सहायता का प्रश्न था, जब समस्त धन राशि एक जगह स्थापित हो जाएगी तो पूरी सहायता एक ही जगह से दी जा सकेगी। सन् 1913 ई. की रिवाड़ी सभा की रिपोर्ट में मु. बिहारी लाल जी ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट में कहा गया था कि वैसे तो दोनों सभाएँ जातीय संस्थाएँ ही थीं और दोनों के उद्देश्य भी एक ही थे, प्रेसिडेन्ट्स न वाइस प्रेसिडेन्ट्स भी एक ही थे, केवल दो अन्तर थे, एक तो यह कि दोनों के सैक्रेट्रीज पृथक-पृथक थे और दूसरे एक पंजीकृत थी और दूसरी नहीं। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जनवरी सन् 1913 ई. में उन्होंने चन्दोली नामक बेवा की सहायता के लिए दरखास्त भार्गव सभा आगरा के पास भेजी थी, जिसका उत्तर 14 फरवरी सन् 1913 ई. को मिला कि जैसे ही प्रबन्धक कमेटी का निर्णय होगा, सूचना भेज दी जाएगी। लगभग एक वर्ष तक कोई उत्तर नहीं मिला। इसी के साथ बेवाओं की बकाया राशि भेजने को भार्गव सभा आगरा के सैक्रेट्री को लिखा, तो उत्तर मिला कि इस सम्बन्ध में सोशल सबकमेटी को लिखा जाए जिसका मुख्यालय अजमेर में था। इसलिए मु. मिट्ठन लाल जी, अजमेर को लिखा गया, वहाँ से सोशल सबकमेटी के सैक्रेट्री बा. श्याम लाल जी का उत्तर मिला कि उन्होंने इस सम्बन्ध में सभा के सैक्रेट्री बा. गोपाल प्रसाद जी को लिख दिया था और वे बकाया राशि की अदायगी कर देंगे। लेकिन वर्ष सन् 1913 ई. के अन्त तक कोई अदायगी नहीं हुई। इस कार्यवाही से यह स्पष्ट था कि एक ही जगह से कार्यवाही के क्या परिणाम होंगे।

इसके पश्चात् सन् 1916, 1917 व 1918 ई. में लगातार प्रस्ताव पास होते रहे, जिसमें बार-बार यही निर्णय लिया गया कि रिवाड़ी सभा की स्थायी धन राशि भार्गव सभा (आगरा) के स्थायी फण्ड में शामिल कर दी जावे व उससे सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जावे। यह भी निर्णय

लिया गया कि सैक्रेट्री रिवाड़ी सभा लाला बिहारी लाल जी से निवेदन किया जाए कि रिवाड़ी सभा की जो धन राशि ला. चन्द्रभान बिहारी लाल व ला. देवकी नन्दन बिहारी लाल जी के यहाँ जमा थी उस पर सूद उसी दर से देना स्वीकार करें जो अलायंस बैंक शिमला में मिलता था, और यदि वे इसको स्वीकार न करें तो धन राशि को एलायंस बैंक शिमला में जो ब्याज की अधिक से अधिक दर मिल सकती हो, उस पर जमा करा दें।

इसके पश्चात् सन् 1920 ई. में निर्णय लिया गया कि रिवाड़ी सभा की धनराशि, रिवाड़ी सभा के नाम से भार्गव सभा के स्थायी फण्ड में जमा की जावे व भार्गव सभा रिवाड़ी की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर सन् 1887 ई. के निम्नलिखित प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार निर्णय लिया गया कि पं. बिहारीलाल जी से निवेदन किया जावे कि वे 3 माह के अन्दर रिवाड़ी सभा की बैठक बुला के उसकी अनुपालना करावें और जहाँ-जहाँ उसका रुपया जमा है वहाँ-वहाँ सूचना दे दें कि वह राशि भार्गव सभा के नाम से उसी ब्याज की दर व उसी अवधि के लिए जमा करें और सैक्रेट्री सभा को एक सूची मैम्बरान सभा रिवाड़ी की व बैठक की तारीख व कार्यवाही की सूचना कर दें।

(2) खत व किताबात सैक्रेट्री से मालूम हुआ कि स्व. मु. नवल किशोर जी ने पाँच हजार की रकम दान करके उसका ब्याज विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के लिए दिया था। इसलिए मु. बिशन नारायण जी से निवेदन किया जावे कि उस जमा राशि का ब्याज जो रिवाड़ी सभा के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाता था, भार्गव सभा आगरा को भेज दिया करें क्योंकि रिवाड़ी सभा का रुपया सभा में स्थानान्तरित हो गया था और रसीद जमा सैक्रेट्री भार्गव सभा के पास भेज दी जावे। स्मृति पत्र में यह भी लिखा जावे कि डिपोजिट दि. 12 जुलाई सन् 1893 ई. व नवम्बर सन् 1895 ई. का था। सैक्रेट्री भार्गव सभा इस सम्बन्ध में आवश्यक पत्र व्यवहार करें।

प्रतिलिपि उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 3, बा “इत्तफाक राय तजवीज हुआ कि वास्ते रफा व फलाए कौम भार्गव सभा कायम हो और बा जाब्ता उसकी रजिस्ट्री कराई जावे और सदर मुकाम आगरा में हो और बमातहती इस भार्गव सभा की एक शाख मुकाम रिवाड़ी कायम हो और वास्ते इन्तजाम तालीम तुलबा-ए-कौम भार्गव एक सब कमेटी मुन्तजिम बमुकाम रिवाड़ी कायम हो और वह सबकमेटी बमंजूरी व इत्तफाक राय सदर सभा के अपना जरे चन्दा जो बमुकाम रिवाड़ी जमा करे, उसका जरे सूद व मुनाफा तालीम तुलबा रिवाड़ी वगैरा मुकामात ताबए पंजाब यूनिवर्सिटी के सर्फ करे और अगर वह आमदनी काफी न हो तो बशर्त गुंजाइश सभा के मुख्यालय से मदद चाहे, और अगर आमदनी सरमाया मुकाम रिवाड़ी के सर्फ से ज्यादा हो तो उसको बजरूरत हैड सभा से तलब करे, लेकिन असल सरमाया बगैर कसरते राय मैम्बरान मुन्तजिम शाख सभा के हैडक्वार्टर या दूसरे मुकाम पर मुन्तकिल न करे।” सन् 1937 ई. में सैक्रेट्री भार्गव सभा की रिपोर्ट के अनुसार भार्गव सभा रिवाड़ी की समस्त सम्पत्ति सभा के नाम मुन्तकिल हो गई थी और वक्फनामा नियमानुसार रजिस्ट्री होकर सभा के कार्यालय में आ गया था।

इस प्रकार दोनों सभाओं का, जो लगभग एक ही समय में स्थापित हुई थीं, एकीकरण हुआ।

\* \* \*

## 15. सभा और किशोरी रमण पाठशाला, मथुरा

15 दिसम्बर, सन् 1889 ई. को जातीय बन्धुओं की एक बैठक महल ठाकुर किशोरी रमण जी महाराज मथुरा में हुई और यह निर्णय लिया गया कि एक पाठशाला, जिसमें भार्गव लड़के व लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें, स्थापित की जावे और उसकी कुछ सहायता खजाना मन्दिर से की जावे।

सन् 1892 ई. में दिल्ली वाले लाला किशोरीलाल जी द्वारा स्थापित टैम्पल ट्रस्ट ने किशोरी रमण पाठशाला स्थापित की, जिसकी प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष मु. नवल किशोर जी साहब सी.आई.ई. थे और मु. गिरधरलाल जी साहब वकील आगरा ट्रस्ट के सदस्यों में से एक थे। ला. रघुवर दयाल जी पाठशाला के अवैतनिक सैक्रेट्री थे, जिन्होंने कांफ्रेंस के अधिवेशन में बतलाया कि इस संस्था की स्थापना अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और उस वक्त तक निम्नलिखित सज्जनों ने इसके लिए धन दिया था :—

(1) मन्दिर श्री ठाकुर किशोरी रमण जी महाराज	600/- प्रतिवर्ष
(2) सेठ लछमन दास जी सी.आई.ई.	200/- प्रतिवर्ष
(3) मु. नवल किशोर जी	101/- प्रतिवर्ष
(4) सेठ हरदयाल जी व सेठ विशम्बर दयाल साहब	120/- वार्षिक वायदा किया।

सन् 1893 ई. में अपनी रिपोर्ट में मु. गिरधर लाल जी, सैक्रेट्री भार्गव सभा, ने कहा कि ला. किशोरी लाल जी ने पाठशाला स्थापित कर बड़ा सहायनीय कार्य किया था और अब यह समस्त जाति का उत्तरदायित्व था कि इसकी देखरेख करे और यह देखे कि जो धन इसमें लगाया था या लगाया जायेगा, उसका सही उपयोग हो रहा था या नहीं। चूँकि गवर्नमेंट इस समय अनुदान देने की स्थिति में नहीं थी इसलिए उसकी सहायता के लिए धनी-मानी व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। इसी के साथ टैम्पल ट्रस्ट के भी सदस्य होने के नाते उन्होंने निवेदन किया कि किशोरी रमण पाठशाला की संरक्षणता भार्गव सभा ग्रहण करे, जिसे सभा ने निहायत खुशी से स्वीकार किया और यह भी निर्णय लिया गया कि पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट इस पाँचवें अधिवेशन की रिपोर्ट के साथ रखी जाए और साथ में यह भी निवेदन किया गया कि संस्कृत की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मदद करें। पाठशाला की रिपोर्ट में कहा गया था कि उसका उद्देश्य संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू व नसुआ की शिक्षा प्रदान करना व उसकी उन्नति में योगदान देना था। संस्कृत के विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। पहले वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :—

संस्कृत	25	अध्यापक 9 थे
अंग्रेजी	46	हैडमास्टर का वेतन 15/- मासिक था
उर्दू	13	अंग्रेजी के अध्यापक का वेतन 10/-
नसुआ	24	मासिक था। बाकी अध्यापकों के 6/-, 7/- व 8/- रुपये थे।

सन् 1897 ई. में मथुरा में हुई कांफ्रेंस के अधिवेशन में बा. मथुरा प्रसाद जी ने किशोरी रमण पाठशाला की रिपोर्ट पढ़ी, जिससे यह मालूम हुआ कि पं. घासीराम जी के जाने के बाद पाठशाला की प्रगति संतोषप्रद नहीं रही थी और पाठशाला मन्दिर के ट्रस्ट से प्राप्त हुई राशि पर ही पूर्णतया निर्भर थी। अतः प्रस्ताव संख्या 25 द्वारा पाठशाला की देखभाल के लिए मथुरा में लोगों की एक प्रबन्धक समिति का गठन किया गया जिसमें भार्गवों के अतिरिक्त पं. शिव गोपाल चौबे सदस्य थे। कमेटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार थे :—

(1) राय जगन प्रसाद जी रईस, (2) बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी वकील, (3) बाबू राम नाथ जी, (4) बा. राधा रमण जी, (5) बा. दयाशंकर जी वकील, (6) बा. मथुरा प्रसाद जी, (7) मु. रामनारायण जी साहब, (8) बा. बंशीधर जी वकील, (9) बा. माधो प्रसाद जी साहब, गाय घाट वाले, (10) बा. माधो प्रसाद जी, सासनी, (11) ला. लक्ष्मी नारायण जी, (12) ला. कन्हैयालाल जी अत्तार, (13) हकीम गोपाल सहाय जी व (14) बा. बैजनाथ जी वकील।

प्रस्ताव संख्या 26 द्वारा निर्णय लिया गया कि राय जगन प्रसाद जी साहब इस प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष होंगे, पं. शिव गोपाल जी चौबे उपाध्यक्ष एवं बा. जगन्नाथ प्रसाद जी वकील सैक्रेट्री होंगे।

प्रस्ताव संख्या 28 द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कमेटी को अपना दस्तूर-उल-अमल बनाने को कहा जाए और जब तक उन नियमों को कांफ्रेंस द्वारा स्वीकृति न मिल जाए तब तक उन नियमों के अनुसार ही पाठशाला का संचालन होता रहेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कमेटी को आदेश दिया जाए कि स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए व कमेटी को चाहिए कि एक अच्छे चरित्र वाली महिला की नियुक्ति की जाए जो लड़कियों को घर से लाने व वापिस पहुँचाने का कार्य करे।

कांफ्रेंस की वर्ष सन् 1900 ई. की रिपोर्ट में कहा गया था कि चूँकि किशोरी रमण पाठशाला मथुरा के सैक्रेट्री व प्रबन्धक कमेटी की नियुक्ति जलसा कांफ्रेंस से हुई थी और जो सम्बन्ध पाठशाला का सभा व कांफ्रेंस से, स्व. पं. गिरधर लाल जी के समय में था, वही जारी रखना था, इसलिए आवश्यक था कि पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट कांफ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में आती रहे और कांफ्रेंस भी पाठशाला की उन्नति के लिए पूरे प्रयत्न करती रहेगी। पाठशाला की सहायता शादी में दिए हुए चन्दों से होती रही थी और होती रहेगी।

किशोरी रमण पाठशाला के सैक्रेट्री की वर्ष सन् 1901 ई. की रिपोर्ट में कहा गया था कि लड़कियों की शिक्षा बन्द कर दी गई थी, क्योंकि न तो लड़कियों की संख्या काफी थी और न जगहें ही उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त लड़कों व लड़कियों का एक साथ पढ़ना भी उचित नहीं था। इस समय पं. रामनाथ

जी सैक्रेट्री का काम कर रहे थे। विद्यार्थियों की संख्या सन् 1893 ई. के 108 की तुलना में सन् 1901 ई. में 76 थी। इस समय आमदनी के साधन थे, मन्दिर का अनुदान 600/- रुपये वार्षिक, म्यूनिसिपल कमिटी की सहायता 120/- रुपये वार्षिक व फीस आदि से लगभग 195/- रुपये। बजट पास किया गया व बा. रामनाथ जी की सैक्रेट्री के पद पर नियुक्ति की पुष्टि की गई। प्रेसिडेंट बदस्तूर राय जगन प्रसाद जी थे।

इसके बाद पाठशाला की प्रगति तो सन्तोषप्रद ढंग से होती रही, किन्तु पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट आना कम हो गया। सन् 1908 ई. की कांफ्रेंस में निर्णय लिया गया कि सैक्रेट्री किशोरी रमण पाठशाला से पूछा जाए कि किस कारण से वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट कांफ्रेंस को नहीं भेज रहे थे।

इसके बाद कांफ्रेंस की सन् 1913 ई. की रिपोर्ट में बयान किया गया था कि, किशोरी रमण पाठशाला की रिपोर्ट आया करती थी, मगर अब चार साल से उसकी कोई खबर नहीं थी। यह एक जातीय संस्था थी और इसमें भार्गव जाति मथुरा के छोटे-छोटे बच्चे ही तालीम पाते थे। किशोरी रमण मन्दिर से मदद मिलती थी, लेकिन अब हालत खराब थी। आगरा के इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से मान्यता वापिस लेने अथवा बन्द करने की सिफारिश की थी। भार्गव सभा ट्रस्टी लोगों से कहे कि अगर संस्था को कायम रखने की जरूरत हो तो किशोरी रमण मन्दिर से कम से कम 100/- रुपये मासिक की मदद दी जानी चाहिए और यदि यह मदद बढ़ा दी जाएगी तो सरकार भी मदद दे सकेगी।

सन् 1914 ई. में निर्णय लिया गया कि सैक्रेट्री किशोरी रमण पाठशाला से कहा जाए कि पाठशाला की देखरेख के लिए एक प्रबन्धक कमिटी की स्थापना की जावे व पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष सभा को भेज दी जाया करे।

सन् 1919 ई. में आगरा के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 18 द्वारा सर्वसम्मति से तजवीज हुई कि नीचे लिखे हुए महाशयों की एक सबकमेटी इस प्रयोजन से बनाई जाए कि इसके सम्बन्ध में सब कागजात इकट्ठे करे, नकलें वगैरा प्राप्त करे, ट्रस्टी लोगों से पत्र व्यवहार करे व अपनी रिपोर्ट यथासम्भव शीघ्र तैयार करके जाति को सूचित करने के लिए प्रकाशित करावे और यदि आवश्यक हो तो सभा के सैक्रेट्री को लिख दे कि वह सभा की एक विशेष बैठक करावें, परन्तु इस बैठक में सभा के मैम्बरों की उपस्थिति पर पाबन्दी न लगाई जाए बल्कि सब जाति भाइयों को पत्रिका के द्वारा या दूसरे ढंग से नोटिस दिया जावे :-

(1) पं. राधाकृष्ण जी मथुरा, (2) पं. श्यामलाल जी अजमेर, (3) पं. वासदेव सहाय जी वकील आगरा, (4) पं. शिवदत्त जी वकील आगरा, (5) पं. प्रभुदयाल जी वकील अजमेर सैक्रेट्री।

प्रस्ताव संख्या 19 द्वारा निर्णय लिया गया कि किशोरी रमण हाई स्कूल मथुरा के साथ एक भार्गव बोर्डिंग हाउस भी स्थापित किया जावे और उसके लिए 360/- रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति बजट में दी जाए। विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम न होगी और इसका इन्तजाम तालीमी सबकमेटी की देखरेख में होगा। पं. रामचन्द्र जी हैडमास्टर उसके सुपरिन्टेन्डेन्ट रहेंगे।

सन् 1920 ई. की रिपोर्ट में बतलाया गया कि पूर्व के निर्णय के अनुसार किशोरी रमण पाठशाला



की प्रबन्धक कमेटी की देखरेख में 20 सितम्बर 1920 ई. से बोर्डिंग हाउस स्थापित किया गया था और सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिए 10/- रुपये माहवार का अलाउंस भी निश्चित किया गया था। 20 सितम्बर से दिसम्बर तक का हिसाब तो शिक्षा उपसमिति को भेज दिया गया व निर्णय लिया गया कि माह मई सन् 1921 ई. तक ही बोर्डिंग चलता रहे व आइन्दा इमदाद बन्द की जाती है।

इसके पश्चात् किशोरी रमण संस्थाओं की रिपोर्ट लगभग आनी बन्द हो गई, परन्तु संस्थाएँ लगातार आगे बढ़ती रहीं और सन् 1947 ई. में डिग्री स्तर की कक्षाओं को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गई।

सन् 1949 ई. में हुए 44वें सम्मेलन में प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव संख्या 51 तारीख 24-12-49 पेश हुआ, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि किशोरी रमण कॉलेजों की सहायता के रूप में 250/- रुपये वर्ष 1949-50 के दे दिए जावें, प्रस्ताव संख्या 26 द्वारा निश्चय किया गया कि प्रबन्धक समिति की उपरोक्त सिफारिश स्वीकार थी।

वर्तमान में सभा का किशोरी रमण संस्थाओं से केवल इतना ही सम्बन्ध है कि किशोरी रमण शिक्षा समिति मथुरा की नियमावली के अनुसार सभा का एक प्रतिनिधि शिक्षा समिति का सदस्य होता है।

\* \* \*

## 16. स्थानीय सभाएँ एवं अन्य संबद्ध संस्थाएँ

भार्गव जाति में संगठनात्मक गतिविधियों का सूत्रपात वास्तव में स्थानीय सभाओं, जैसे कि जयपुर, मथुरा, रिवाड़ी आदि की स्थापना के साथ ही हुआ था। इन स्थानीय सभाओं के उद्देश्य जाति की उन्नति, सामाजिक सुधार व शिक्षा का प्रसार करना था। इनकी अपनी-अपनी नियमावलियाँ थीं, जिनके अनुसार इनकी सदस्यता किसी स्थान विशेष अथवा नगर तक ही सीमित नहीं थी, किन्तु कोई भी जातीय बन्धु, चाहे वह कहीं भी रहता हो, इनका सदस्य बन सकता था एवं उनकी गतिविधियों में भाग ले सकता था।

किन्तु जैसे ही आगरा व रिवाड़ी सभाओं ने सम्पूर्ण जाति की उन्नति एवं कल्याण के लिए ठोस कदम, जैसे कि जाति में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रावासों की स्थापना, समाज के सभी अभावग्रस्त वर्गों में सहायता करना आदि, उठाने प्रारम्भ किए वैसे ही एक केन्द्रीय सभा की परिकल्पना जागृत हुई, जिसके परिणामस्वरूप भार्गव सभा आगरा एक केन्द्रीय सभा के रूप में प्रस्थापित हुई एवं उसकी प्रथम नियमावली में जयपुर व रिवाड़ी में उसकी शाखाएँ स्थापित करने का प्रावधान रखा गया और यह भी निश्चित किया गया कि इन शाखाओं के अतिरिक्त सभा के सदस्यों की राय से अन्य स्थानों पर भी शाखाएँ स्थापित की जा सकती थीं। किन्तु इस सभा की नियमावली में स्थानीय सभाओं के संगठन अथवा कार्यों को परिभाषित नहीं किया गया था तथा यह कार्य भार्गव सभा की सहयोगी संस्था भार्गव कांफ्रेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया।

भार्गव सभा का अधिकार एवं कार्यक्षेत्र उसके सदस्यों तक ही सीमित होने के कारण, सामाजिक सुधार के कार्य भार्गव कांफ्रेंस जैसी सम्पूर्ण जाति की संस्था द्वारा ही, समस्त जातीय बन्धुओं की सहमति एवं सहयोग से ही सम्पन्न किए जा सकते थे और उसी के माध्यम से ये सब कार्य हुए भी। सन् 1897 ई. में स्वीकृत कांफ्रेंस की नियमावली में निर्धारित व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्थान पर एक कमेटी या सभा स्थापित करने का निश्चय किया गया था। नियमावली में यह प्रावधान रखा गया था कि कांफ्रेंस के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि स्थानीय कमेटियों द्वारा ही मनोनीत किए जाएँगे तथा यदि कांफ्रेंस के प्रस्तावों अथवा नियमों का कहीं किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन होता था तो स्थानीय कमेटी या अन्य किसी सभा के लिए यह आवश्यक होगा कि, यदि वह आरोप प्रमाणित कर पावे तो उल्लंघन करने वालों का नाम कांफ्रेंस में एवं लोकल कमेटियों की स्थापना के 1899 ई. में कांफ्रेंस द्वारा प्रतिपादित नियमों के प्रचार, प्रसार प्रस्तुत करावें। इसी प्रकार के प्रयत्न करने के लिए एक उपदेशक की नियुक्ति की गई थी।

इसके पश्चात् सन् 1901 ई. की अलवर में हुई कांफ्रेंस द्वारा कांफ्रेंस के नियमों के अनुपालन अथवा अवहेलना सम्बन्धी जो निर्देश प्रचलित किए गए थे, उनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्थानीय संस्थाओं का कर्तव्य था कि वे उन नियमों का पालन करावें तथा प्रत्येक स्थानीय कमेटी उन लोगों

का पता लगाने का प्रयत्न करें जिन्होंने नियमों की अवहेलना की हो और यदि उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों तो उसकी रिपोर्ट कांफ्रेंस को भेज दें। सर्वप्रथम उन्हें सुधारने के प्रयत्न करने चाहिए और यदि उसमें सफलता न मिले तो उनसे जातीय व्यवहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सन् 1907 ई. में अलीगढ़ में हुए कांफ्रेंस के अधिवेशन में जब स्थायी फंड के विषय में चर्चा चली तो बा. अनन्त राम जी ने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के न होने से, न तो स्थानीय कमेटियाँ ही बन सकी थीं और न धनराशि एकत्रित करने में वांछित सफलता ही मिल सकी थी। कांफ्रेंस तो एक जनसमूह ही था जो स्वयं से कुछ नहीं कर सकती थी। अतएव स्थानीय कार्यकर्ताओं का चयन किया गया तथा उन्हें लोकल कमेटियों की स्थापना व अन्य कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकल कमेटियाँ तथा स्थानीय सभाओं की परिकल्पना, जाति की उन्नति एवं सुधार के लिए प्रतिपादित नियमों को क्रियान्वित व पालन कराने के उद्देश्य से की गई थी। भार्गव सभा भी अपने कार्यों में सहयोग के लिए स्थानीय सभाओं की उपयोगिता एवं आवश्यकता समझने लगी थी और अपने संशोधित संविधान में स्थानीय सभाओं का समावेश कर, उन्हें संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी थी।

सन् 1939 ई. में भार्गव सभा की संशोधित नियमावली में स्थानीय सभाओं के विषय में धारा संख्या 15 में इस प्रकार का विवरण दिया गया था :—

1. प्रत्येक स्थान पर जहाँ भार्गवों के कम से कम 5 परिवार या 18 वर्ष से अधिक आयु के 15 परिवार रहते हों, स्थानीय सभा स्थापित की जाएगी।
2. प्रत्येक स्थानीय सभा को यदि उसके सदस्यों की संख्या 20 हो तो 1 और 40 से अधिक हो तो 2 प्रतिनिधि सभा की प्रबन्धक समिति में भेजने का अधिकार होगा। इन प्रतिनिधियों का सभा का सदस्य होना आवश्यक है और उनका निर्वाचन महासभा के वार्षिक अधिवेशन से 15 दिन पूर्व होकर उनके नाम प्रधानमंत्री को भेजे जाने चाहिए।
3. इन सभाओं को अपने कार्य संचालन के लिए उचित नियम बनाने का अधिकार है।

इन स्थानीय सभाओं का कर्तव्य होगा कि सम्मेलन तथा भार्गव सभा व उसकी प्रबन्धक समिति के प्रस्तावों के अनुसार अपनी जगहों पर कार्य करवाएँ और समय-समय पर सम्मेलन के लिए उचित प्रस्ताव भेजती रहें। यदि किसी समय किसी स्थानीय सभा को मालूम हो कि उसका कोई सभासद सम्मेलन या भार्गव सभा के प्रस्तावों के विरुद्ध कार्य करने वाला है तो उसको ऐसा करने से रोकना चाहिए और रोकने में सफलता प्राप्त न हो तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री को कर दें और भार्गव पत्रिका में प्रकाशित करा दें। जिन स्थानों में 5 परिवार या 15 व्यक्तियों से भी कम भार्गव हों, वहाँ के भार्गवों को अधिकार होगा कि वे किसी अन्य स्थानीय सभा के सभासद हो जावें, ताकि जो अधिकार सभासदों को हैं, उनसे लाभ उठा सकें।

इस प्रकार विभिन्न भार्गव कांफ्रेंसों में जो लोकल कमेटियाँ अथवा स्थानीय सभाओं के कर्तव्यों का निरूपण किया गया था, वस्तुतः उन सबका समावेश सभा की नियमावली में कर दिया गया था। इनमें

यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि स्थानीय सभाओं के भार्गव सभा के प्रति क्या उत्तरदायित्व थे व सभा की कार्य व्यवस्था में उनका क्या स्थान व महत्त्व था।

इन्हीं परिस्थितियों एवं कारणों से स्थानीय सभाओं की उत्पत्ति एवं विकास होता रहा, किन्तु उनका विवरण उपलब्ध न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न स्थानीय सभाओं की क्या गतिविधियाँ रहीं और कब तक वे कार्यरत रहीं। परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि जहाँ-जहाँ सभा व सम्मेलनों के अधिवेशन होते रहे, वहाँ-वहाँ तो स्थानीय सभाएँ वर्तमान भी थीं और क्रियाशील भी। किन्तु सभा के संविधान द्वारा नियमित करने के पश्चात् ही सभा की रिपोर्टों के आधार पर उनके विषय में कुछ-कुछ जानकारी उपलब्ध होती है।

सन् 1958 ई. में 27 स्थानीय सभाएँ थीं जिनमें से सन् 1958 ई. में 14 से व सन् 1959 ई. में 17 से ही संबद्धता शुल्क प्राप्त हुआ था। इसी वर्ष की अपनी रिपोर्ट में सभा के सैक्रेट्री ने बतलाया था कि जाति की प्रगति व संगठन में स्थानीय सभाओं का विशिष्ट स्थान था तथा उनके सहयोग व परिश्रम के बिना जाति के हित का कोई कार्य नहीं हो सकता था। यदि सभा के वार्षिक अधिवेशन से पहले प्रत्येक संबद्ध स्थानीय सभा वर्ष भर का कार्य विवरण प्रधानमन्त्री के पास भेज दें और यदि प्रधानमन्त्री की रिपोर्ट में विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के कार्य और प्रगति का उल्लेख हो तो उससे स्थानीय सभाओं को सहायता मिलेगी और उनमें एक ही शृंखला की कड़ियाँ होने की भावना बढ़ेगी। इसके पश्चात् सन् 1964 व 1982 ई. में पारित प्रस्तावों में सभा व सम्मेलनों द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं प्रस्तावों के अनुपालन के प्रति स्थानीय सभाओं के उत्तरदायित्व व कर्तव्यों के पालन पर बल दिया गया था। इससे प्रकट होता है कि सभा के द्वारा स्थानीय सभाओं के विषय में क्या परिकल्पना की गई थी और उनसे क्या-क्या अपेक्षाएँ थीं।

किन्तु स्थानीय सभाओं ने अपने और सभा के पारस्परिक सम्बन्धों की वस्तुस्थिति कभी समझी ही नहीं और अधिकांशतः केवल कतिपय औपचारिकताओं का ही पालन करती रहीं। सभा के नियमानुसार स्थानीय सभाओं को संबद्धता शुल्क देना व उनके संविधान का सभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक था तथा स्थानीय सभाएँ यही समझती रहीं कि सभा के प्रति उनका दायित्व इन्हीं दोनों बातों को पूरा करने से पूरा हो जाता था। स्थानीय सभाएँ न तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट सभा को नियमित रूप से भेजती थीं और न ही जो स्थानीय सभाओं के मन्त्रियों आदि की बैठक सभा के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आयोजित करने के प्रस्ताव किए गए थे, उन्हें उपयोगी बनाने में उनकी कोई रुचि थी। समय-समय पर सभा द्वारा स्थानीय सभाओं को गतिशील एवं उन्हें अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्व का समुचित बोध कराने के प्रयत्न किए गए किन्तु वांछित सफलता उपलब्ध न हो सकी। सन् 1977 ई. को जयपुर में हुए सभा के 88वें वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या 17 द्वारा स्थानीय सभाओं को अधिक क्रियाशील एवं उपयोगी बनाने हेतु एक उपसमिति बनाई गई थी। यह उपसमिति कई वर्ष तक कार्यरत रही, किन्तु इस उपसमिति के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों के अभाव में यह कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। अतः माह दिसम्बर सन् 1986 ई. को अलवर में हुई प्रबन्धक समिति की बैठक में, समाज सुधार उपसमिति से

प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श के पश्चात् स्थानीय सभाओं को गतिशील बनाने हेतु, स्थानीय भार्गव सभा समन्वय समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व निश्चित किए गए :—

1. स्थानीय सभाओं के सम्बन्ध में वांछित वार्षिक तथा मासिक विवरण एकत्रित करना तथा उन्हें गतिशील बनाने हेतु सुझाव देना;
2. स्थानीय सभाओं के वित्तीय वर्ष व प्रति वर्ष वार्षिक चुनावों को नियमित करते हुए एकरूपता लाने का प्रयत्न करना;
3. स्थानीय सभाओं के मन्त्रियों व प्रधानों को वर्ष में एक बार यथासम्भव वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर एकत्रित करते हुए उनकी गोष्ठी (सेमिनार) आयोजित करना;
4. जिन स्थानों पर सभाओं के विधान अब तक नहीं बन पाए थे, उन्हें बनवाने में वांछित सक्रिय सहयोग देना;
5. स्थानीय सभाओं की मासिक बैठकों व उत्सवों के आयोजनों में वांछित सक्रिय सहयोग देना;
6. स्थानीय सदस्यों के माध्यम से भार्गव पत्रिका के अधिक से अधिक सदस्य बनाना एवं उसके हेतु विज्ञापन तथा विवाह आदि अवसरों पर (दान) एकत्रित करना;
7. स्थानीय सभाओं और उसके मन्त्रियों के कार्य का आकलन करते हुए प्रति वर्ष सभा के वार्षिक अधिवेशन पर उन्हें पुरस्कृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना;
8. स्थानीय सभाओं द्वारा आम तौर से मनाए जाने वाले उत्सवों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध कराना तथा मनाने में सहयोग प्रदान करना;
9. स्थानीय सभाओं के संगठन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना;
10. जहाँ स्थानीय सभाएँ नहीं हैं वहाँ नियमानुसार स्थानीय सभाओं की स्थापना कराना तथा उन्हें नियमित कराना;
11. स्थानीय सभाओं से प्राप्त मासिक विवरणों के आधार पर समय-समय पर विशेष उल्लेखनीय गतिविधियों से प्रबन्धक समिति के सदस्यों को अवगत कराना;
12. अन्य दायित्वों को जो भार्गव सभा द्वारा स्थानीय सभाओं के सम्बन्ध में सौंपे जावें।

इनसे स्पष्ट रूप से प्रगट होता है कि स्थानीय सभाओं की गतिविधियाँ किस रूप से चल रही थीं व उनसे क्या अपेक्षित था।

सभा की वर्तमान नियमावली में भी धारा 15(अ) में स्थानीय भार्गव सभाओं के संगठन, अधिकार आदि को परिभाषित करने के अतिरिक्त उनके निम्नलिखित कार्य और उत्तरदायित्व निश्चित किए गए हैं :—

धारा 15(5) इन स्थानीय सभाओं का कर्तव्य होगा कि सम्मेलन तथा भार्गव सभा व उसकी प्रबन्धक समिति के प्रस्तावों के अनुसार अपनी-अपनी जगहों पर कार्य करावें तथा समय-समय पर सम्मेलन के

लिए उचित प्रस्ताव भेजती रहें। यदि किसी समय किसी स्थानीय सभा को मालूम हो कि उसका कोई सभासद सम्मेलन या भार्गव सभा के प्रस्तावों के विरुद्ध कार्य करने वाला है, तो ऐसा करने से रोकना चाहिए और यदि रोकने में सफलता न मिले तो उसकी सूचना प्रधानमन्त्री को कर दें और वे भार्गव पत्रिका में प्रकाशित करा दें।

उपरोक्त विवरण में स्थानीय भार्गव सभाओं का सम्मेलन व सभा के नियमों व प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु उनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है और स्थानीय सभाओं को सौंपा गया यह उत्तरदायित्व मूल रूप से उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है, जिनको प्रारम्भ से ही कांफ्रेंस व सभा ने निश्चित किया था।

वर्तमान में यदि स्थानीय सभाओं की गतिविधियों पर दृष्टि डाली जाए तो मालूम होगा कि उनकी गतिविधियाँ कतिपय उत्सवों व समारोहों को आयोजित करने तक ही सीमित हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय जाति बन्धुओं में एकता एवं प्रेमभाव को उत्पन्न करना ही है। यदि स्थानीय सभाओं की भार्गव सभा से सम्बद्धता की कोई सार्थकता है तो वह यही है कि उसके माध्यम से सभा द्वारा निर्मित नियमों एवं नीतियों का पालन कराने में पूरा-पूरा सहयोग दिया जाए। भार्गव सभा केवल एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में ही कार्य करती है तथा स्थानीय सभाएँ ही उसके हाथ और पाँव कहे जा सकते हैं। आज वर्षों से यह सुना जाता रहा है कि सम्मेलन व सभा के प्रस्ताव व नीतियाँ निरर्थक ही होती हैं क्योंकि उनका कोई पालन नहीं करता है। यदि यह आरोप सत्य है तो इसके लिए स्थानीय सभाओं को अपना उत्तरदायित्व स्वीकारना होगा। यदि किसी स्थान पर रीति संग्रह के नियमों अथवा अन्य प्रतिबन्धित रीति-रिवाजों का, जैसे विवाह आदि अवसरों पर सड़कों पर महिलाओं का नाचना व मदिरा पान आदि का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होता है तो उसके लिए स्थानीय सभाओं को अपना दायित्व स्वीकार करना ही होगा। यदि और कुछ न करके उनकी सूचना ही नियमानुसार प्रधानमन्त्री को दे दी जाए व भार्गव पत्रिका के माध्यम से प्रचार भी कर दिया जाए तो किसी हद तक इन नई पनपती हुई कुरीतियों की रोकथाम हो सकती है।

अतएव यदि भार्गव जाति को अपने सामाजिक सुधारों को सफल बनाना है और यदि भारतीय समाज में अपनी पहचान को अक्षुण्ण रूप से बनाए रखना है तो अनिवार्य रूप से स्थानीय सभाओं को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होकर निर्भीकतापूर्वक गतिशील रहना होगा।

वर्तमान में लगभग 60 स्थानीय सभाएँ हैं, उनमें से जिनके विवरण प्राप्त हो सके हैं, परिशिष्ट IX में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

### अन्य सम्बद्ध संस्थाएँ

भार्गव सभा से सम्बद्ध संस्थाओं में स्थानीय सभा के अतिरिक्त अन्य अखिल भारतीय भार्गव संस्थाओं का भी प्रावधान रखा गया है, जो इस प्रकार हैं :—

नियमावली धारा 15 (ब)

(1) भार्गवों के किसी वर्ग महिला, युवक, कुमारी आदि की वह अखिल भारतीय संस्था जिसकी सदस्य संख्या 150 से कम न हो तथा जिसकी कम से कम 12 नगरों में विधिवत् शाखाएँ कार्यरत हों तथा

जो अनिवार्य रूप से भार्गव सभा के संविधान, नियम, उपनियम, उद्देश्य आदि एवं भार्गव सम्मेलनों के निर्णयों एवं आदेशों का पूर्णतया पालन करने हेतु वचनबद्ध हों, भार्गव सभा को लिखित आवेदन देते हुए सभा के निश्चय पर भार्गव सभा से सम्बद्धता प्राप्त कर सकेंगी। ऐसी संस्थाएँ भार्गव सभा द्वारा केवल सम्बद्ध संस्थाएँ मानी जावेंगी तथा उसके किसी पावने की जिम्मेदारी सभा की न होगी।

(2) भार्गव सभा द्वारा सम्बद्धता स्वीकार होने पर सभा को प्रति वर्ष रुपये 51/- सम्बद्धता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(3) भार्गव सभा से सम्बद्धता प्राप्त अखिल भारतीय भार्गव सभा से किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में भार्गव सभा के निर्णयों एवं आदेशों को पूर्ण रूप से मानते हुए पालन करेगी।

(4) उपर्युक्त धारा (1), (2) व (3) के विरुद्ध आचरण करने पर भार्गव सभा को संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने का पूरा अधिकार होगा।

इस समय सभा से सम्बद्ध दो (1) अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा, तथा (2) अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ हैं, जिनके विवरण उनके मन्त्राणी एवं मन्त्री द्वारा लिखे हुए परिशिष्ट VIII में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

\* \* \*



## 17. सभा का शताब्दी वर्ष एवं वार्षिक अधिवेशन

सभा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास से आगरा में 1, 2 व 3 जनवरी सन् 1989 ई. को सम्पन्न हुआ। समारोह की पूर्व सन्ध्या अर्थात् 31 दिसम्बर सन् 1988 ई. को एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भार्गव सभा के प्रधान पं. पूर्णचन्द्र जी एवं शताब्दी समारोह समिति के मन्त्री श्री रमेश जी ने पत्रकारों को भार्गव सभा एवं भार्गव समाज की गतिविधियों एवं प्रगति से अवगत कराया। अगले दिन 1 जनवरी सन् 1989 ई. को प्रातः 10 बजे सभा के प्रधान पं. पूर्ण चन्द्र जी द्वारा झण्डारोहण के साथ समारोह के श्री गणेश की घोषणा की गई एवं हवन किया गया। प्रातः ही 10.30 बजे शताब्दी खेल-कूद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन पुनसुमि इण्डिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विष्णु कुमार भार्गव ने भार्गव सभा के ध्वजारोहण के साथ किया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली सभी सातों टीमों ने पुलिस बैंड की मधुर ध्वनि के साथ 'मार्च पास्ट' किया जो अपने आप में एक आकर्षण था। प्रतियोगिताओं के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण कराई गई। सायंकाल 5.30 बजे समारोह के उद्घाटन का कार्यक्रम एक सुसज्जित एवं विशाल पंडाल में प्रारम्भ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल उमा शंकर भार्गव, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, हैल्थ सर्विसेज रक्षा मन्त्रालय ने दीप जला कर समारोह का उद्घाटन किया व आगरा की भार्गव बालिकाओं द्वारा ईश वन्दना व स्वागत गान प्रस्तुत किया गया।

ईश वन्दना के पश्चात् पं. पूर्ण चन्द्र जी द्वारा वैदिक मन्त्रों तथा रामचरितमानस की चौपाइयों से मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। आगरा स्थानीय सभा के अध्यक्ष श्री प्रेमनाथ जी ने मंच पर विराजमान महानुभावों का माल्यार्पण द्वारा अभिनन्दन किया एवं उनके भाषण के पश्चात् शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष पं. प्रकाश दत्त जी ने शताब्दी समारोह के महत्त्व व उसके अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला तथा शताब्दी समारोह के मन्त्री श्री रमेश जी ने भार्गव सभा की गत लगभग 100 वर्षों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् भार्गव सभा के प्रधान पं. पूर्ण चन्द्र जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में शताब्दी समारोह का महत्त्व बतलाते हुए उपस्थित बन्धुओं से अपील की कि वे अपने उन पूर्वजों के प्रति नतमस्तक हो श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस सभा की स्थापना की और जिन्होंने सभा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इसे आज 100वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर ला खड़ा किया है, तथा भार्गव सभा के वर्तमान रूप में जो धरोहर उनके पूर्वजों ने उन्हें सौंपी है, उसे पूरी लगन व निष्ठा से आगे बढ़ाना है ताकि हम भी आने वाली पीढ़ी को यह धरोहर पूर्ण विकसित रूप से सम्भला सकें। अन्त में मुख्य अतिथि ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें अपने अन्दर खेल भावना व अनुशासन को विकसित करना चाहिए जिससे कि हमारा समाज सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सके।

इसके पश्चात् निम्नलिखित पुस्तकों का विमोचन किया गया :—

(1) श्री शिव कुमार 'सुमन' आगरा द्वारा सम्पादित 'स्मारिका',

(2) पं. ओम प्रकाश जी ग्वालियर द्वारा सम्पादित 'योगदान',

(3) डॉ. दयानन्द जी जोधपुर द्वारा लिखित नाटक 'भृगुवंश'।

इसके अतिरिक्त इसी अवसर हेतु विशेष रूप से तैयार कराए हुए हेमू व भृगु ऋषि के चित्रों से युक्त चाँदी के सिक्कों एवं शताब्दी लोगो युक्त कॉलर/टाई पिन आदि का इस अवसर के स्मृति चिह्न के रूप में विमोचन किया गया।

इस अवसर पर सदैव की भाँति प्रदर्शनी तथा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

उद्घाटन समारोह के पश्चात् शताब्दी वर्ष को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से शताब्दी समारोह समिति ने स्थानीय सभाओं से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने स्तर पर इस वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करें ताकि सम्पूर्ण भार्गव जाति में एकता एवं समाज में सभा की सेवाओं एवं उपलब्धियों के प्रति जागरूकता का प्रादुर्भाव हो सके। अतएव कतिपय स्थानीय सभाओं ने अपने-अपने नगरों में समारोह आयोजित किए, जिनमें सर्वप्रथम मार्च सन् 1989 ई. में कलकता स्थानीय भार्गव सभा ने गंगासागर तीर्थ की यात्रा का सफल आयोजन किया जिसमें समस्त भारत के लगभग 80 परिवारों ने भाग लिया। इसी श्रृंखला में स्थानीय भार्गव सभा किशनगढ़ ने दिनांक 3 सितम्बर को, रिवाड़ी सभा ने 17 सितम्बर को, जोधपुर सभा ने 23 सितम्बर को, कानपुर सभा ने 21-22 अक्टूबर को, देहली सभा ने 3 दिसम्बर को, इलाहाबाद सभा ने 10 दिसम्बर को व जयपुर सभा ने 25 दिसम्बर सन् 1989 को अवसर की गरिमा के अनुरूप बहुत ही रोचक एवं सुन्दर कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्मारिकाएँ प्रकाशित करना, गोष्ठियाँ आयोजित करना, विवाह परामर्श केन्द्र स्थापित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, स्मृति चिह्न प्रदान करना आदि सम्मिलित थे। लगभग सभी स्थानों पर स्थानीय सभाओं के इतिहास एवं गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया।

शताब्दी वर्ष की इन गतिविधियों से समारोह समिति के मन्त्री एवं अन्य उनके सभी सहयोगी आयोजक सफलता का अनुभव कर सकते हैं। किन्तु इसी वर्ष में निम्नलिखित कतिपय ऐसी अप्रत्याशित घटनाएँ भी हुई, जो जाति एवं सभा की छवि को धूमिल करने के अतिरिक्त भविष्य के लिए अमंगलसूचक भी कही जा सकती हैं :-

### (1) चुनावी प्रक्रिया का विकृतिकरण

व्यक्तिगत पद लिप्सा की सन्तुष्टि के लिए चुनावी प्रक्रिया को विकृत करने के प्रयत्न सर्वप्रथम सन् 1986 ई. में अलवर में हुए सभा के वार्षिक अधिवेशन के समय देखने को मिले थे, जबकि मतदाताओं का समस्त व्यय वहन कर उन्हें चुनाव स्थल पर लाने व ले जाने का प्रबन्ध करने की दुष्प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई थी। उसके पश्चात् सन् 1987 ई. देहली में हुए व सन् 1988-1989 ई. आगरा में हुए वार्षिक अधिवेशनों में तो इसका उग्र रूप सामने आया जबकि चुनावों में विजय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही एक बड़ी संख्या में साधारण सदस्य बनवाए गए एवं केवल वोट डलवाने के लिए ही उन्हें चुनाव स्थान पर लाने व वापिस भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया था। इन ही दो वर्षों में साधारण सदस्यों की संख्या नौ सौ तक

पहुँच गई थी जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान ही नहीं अपितु एक अप्रत्याशित घटना भी थी। गत वर्षों में वार्षिक चन्दा देकर साधारण सदस्यों की संख्या औसतन पचास-साठ से अधिक कभी नहीं हुई थी, क्योंकि साधारण सदस्य वे ही लोग बनते थे जो या तो चन्दे के रूप में दी गई राशि से सभा की थोड़ी बहुत सहायता करना चाहते थे, या सुविधानुसार वार्षिक अधिवेशन विशेष में भाग लेने के इच्छुक होते थे। केवल वोट डालने अथवा चुनावी प्रक्रिया को असन्तुलित करने का उनका उद्देश्य नहीं होता था। व्यक्तिगत पदलोलुपता के लिए धन का दुरुपयोग कर वोट खरीदना किसी भी संस्था के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता है, और यदि ऐसा होता भी है तो उसके दुष्परिणाम शीघ्र ही प्रगट होने लगते हैं, विशेषकर भार्गव सभा जैसी स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं में यदि चुनाव योग्यता एवं सेवाओं के आधार पर न होकर वोटों की गणना के आधार पर होने लगते हैं तो उस संस्था का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है एवं उसकी भावी प्रगति पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है। अतः भविष्य में इस दुष्प्रवृत्ति को न पनपने देने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना होगा।

### (2) चुनावी न्यायाधिकरण को गतिशील न होने देना

चुनावी विवादों का निर्णय करने हेतु सभा की नियमावली में चुनावी न्यायाधिकरण का प्रावधान रखा गया है। अतएव सन् 1988-89 ई. के आगरा में हुए चुनावों में कथित संवैधानिक व अन्य अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर चुनावी याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। न्यायाधिकरण ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद 'स्टे ऑर्डर' जारी कर दिया जिससे प्रभावित क्षेत्रों में खलबली मच गई एवं भय व्याप्त हो गया। इसके पश्चात् कतिपय कानूनी बिन्दुओं के आधार पर न्यायाधिकरण के गठन की वैधता को ही चुनौती दे दी गई जिसके स्वीकार हो जाने पर 'स्टे ऑर्डर' निरस्त हो गया एवं दूसरा न्यायाधिकरण गठित किया गया। परन्तु इस नवगठित न्यायाधिकरण को गतिशील ही नहीं होने दिया गया और वर्ष समाप्त होते-होते याचिकाएँ स्वतः ही निरर्थक हो गईं। किसी भी व्यक्ति के न्यायाधिकरण द्वारा न्याय प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, एवं किसी भी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी को इतना निरंकुश नहीं होने देना चाहिए कि जिससे वह न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सके अन्यथा संस्था के नैतिक एवं लोकतान्त्रिक आधार ही नष्ट हो सकते हैं। सभा के इतिहास में यह पहला ही अवसर था जब कि इस प्रकार की चुनावी याचिकाएँ प्रस्तुत की गई थीं और वास्तव में यह नई घटना चुनावी प्रक्रिया के विकृतिकरण का ही प्रत्यक्ष परिणाम था।

### (3) सम्मेलन का निरस्तीकरण

छह वर्षों के पश्चात् 58वाँ सम्मेलन 24-25 व 26 दिसम्बर सन् 1989 को जयपुर में आयोजित करने का निश्चय किया गया था, तथा सम्मेलन से दो माह पूर्व सम्मेलन के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई थी, एवं दो प्रत्याशियों को बराबर-बराबर वोट मिलने के कारण नियमानुसार लॉटरी द्वारा 22-10-89 को कानपुर में होने वाली प्रबन्धक समिति के समक्ष निर्णय करने का प्रस्ताव था, किन्तु इस तिथि के एक रोज पूर्व ही रिवाड़ी की एक कोर्ट से प्रेसिडेन्ट के चुनाव कराने पर स्थगन आदेश द्वारा प्रतिबन्ध लगवा दिया गया। अतः सम्मेलन से दो माह पूर्व प्रेसिडेन्ट का चुनाव न हो सकने के कारण

प्रबन्धक समिति ने अपनी उक्त बैठक में सम्मेलन को केवल स्थगित न कर निरस्त ही कर दिया जिसका उसे संवैधानिक अधिकार नहीं था।

सभा के इतिहास में इस प्रकार की यह पहली ही घटना थी जो सभा की नियमावली की मूल भावना एवं पूर्व की परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल थी।

#### (4) वार्षिक साधारण अधिवेशन का नियमित रूप से सम्पन्न न होना एवं तदर्थ प्रबन्धक समिति का गठन होना :

नियमावली में वर्ष में एक बार साधारण अधिवेशन आयोजित करने का प्रावधान है, जिसमें सामान्यतः निम्नलिखित विषय प्रस्तुत किए जाते हैं :—

1. प्रबन्धक समिति की स्वीकृत रिपोर्ट।
2. लेखा परीक्षक द्वारा जाँचा हुआ पिछले वर्ष का हिसाब तथा उसकी रिपोर्ट।
3. आगामी वर्ष का अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा।
4. सभा के पदाधिकारियों एवं प्रबन्धक समिति तथा अन्य उपसमितियों के सदस्यों का निर्वाचन।
5. अन्य आवश्यक विषय, आदि।

अतएव सभा का 100वाँ वार्षिक अधिवेशन जयपुर में ही 24-25 व 26 दिसम्बर सन् 1989 ई. को आयोजित करने का निश्चय किया गया, तथा निश्चित तिथि पर अर्थात् 24-12-89 को इसका कार्यक्रम अर्थात् पहली बैठक प्रारम्भ की गई। पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की प्रक्रिया प्रारम्भ ही हो पाई थी कि वर्ष भर में हुई विभिन्न घटनाओं के सन्दर्भ में आक्रोशपूर्ण वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। कई सभासद सभा के कार्यालय एवं कतिपय पदाधिकारियों के कार्यों से रुष्ट थे ही, अतः आरोपों एवं प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई और ऐसा उग्र वातावरण बन गया जैसा कि सभा की बैठकों में 100 वर्ष के इतिहास में देखने अथवा सुनने को कभी नहीं मिला था और आशा की जा सकती है कि हमारी जाति के सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होने के कारण भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सभासदों द्वारा पदाधिकारियों एवं प्रबन्धक समिति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एवं पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र देने की पेशकश की गई, जिन पर उस समय विचार करना न तो स्वस्थ परम्परा के अनुरूप होता और न भविष्य के लिए कोई समुचित दृष्टांत प्रतिपादित किया जा सकता था। अतः परिस्थितियों को अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए एवं पारस्परिक बातचीत, सद्भावना एवं सहमति से समस्या का सर्वसम्मत समाधान खोजने के उद्देश्य से सभा की यह बैठक स्थगित कर दी गई।

इसके पश्चात् 25-12-89 को सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें रिवाड़ी के सब जज द्वारा चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने व प्रबन्धक समिति के कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन स्थगित करने व सभा के कार्यों की देखरेख के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।

सभा की तृतीय एवं अन्तिम बैठक 26-12-89 को हुई। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के त्यागपत्र देने तथा सब जज रिवाड़ी द्वारा चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण एवं कार्यकारिणी के

चुनाव सम्भव न हो सकने के कारण, न्यायमूर्ति पं. सुरेन्द्र नाथ जी बैठक के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा एक प्रस्ताव पारित कर 'भार्गव भूषण' पं. कैलाश नाथ जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भार्गव सभा की अध्यक्षता में एक तदर्थ प्रबन्धक समिति का गठन किया गया, जिसे 31 मार्च सन् 1990 ई. से पहले सभा की बैठक बुलाकर आगे की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया जो एक आपातकालीन निर्णय होने के कारण अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः यह स्पष्ट है कि इस शताब्दी वर्ष में सभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सम्पन्न नहीं हो सका तथा अधिवेशन के नाम से जो तीन बैठकें हुई, उन्हें अधिवेशन का रूप नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि न तो उनमें उन विषयों पर विचार किया गया जो सामान्यतः नियमानुसार होने चाहिए थे और न ही चुनाव हो सके जो वार्षिक अधिवेशन के अनिवार्य अंग होते हैं।

**चुनावों का सम्पन्न न होना:—** यह भी एक अभूतपूर्व घटना ही थी कि जो चुनाव गत सभी वर्षों से नियमानुसार होते चले आ रहे थे, वे भी इस शताब्दी वर्ष में सम्पन्न न हो सके। न तो सम्मेलन के प्रेसिडेंट का चुनाव हो सका और न ही सभा के वार्षिक चुनाव हो सके और दोनों ही बार कोर्ट के स्थगन आदेश द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण ऐसा हुआ। भार्गव सभा के इतिहास में यह पहला ही अवसर था जबकि सभा के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप आमन्त्रित किया गया हो और वह भी एक वर्ष में दो बार। यह भी एक विचित्र संयोग था कि दोनों ही बार चुनावों पर प्रतिबन्ध रिवाड़ी की कोर्ट द्वारा ही लगाया गया था, जहाँ सभा के प्रधानमंत्री का मुख्यालय था तथा इन प्रतिबन्धों के निराकरण हेतु समय पर प्रभावी प्रयत्न भी किए जा सकते थे।

इस प्रकार शताब्दी वर्ष, जो इतनी आशाओं एवं आकांक्षाओं के साथ प्रारम्भ हुआ था, उसका पटाक्षेप इन अप्रत्याशित एवं दुःखद घटनाओं से हुआ।

इसी संदर्भ में भार्गव सभा के मुखपत्र भार्गव पत्रिका माह दिसम्बर सन् 1989 ई. की सम्पादकीय टिप्पणी उद्धरण करने योग्य है :—

### भार्गव सभा का 100वाँ वार्षिक अधिवेशन :

“भार्गव सभा का 100वाँ वार्षिक अधिवेशन, जो 24, 25 व 26 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित हुआ, उसमें जो कुछ भी देखा, उसे लिखने में बहुत दुःख होता है—अब तक सभा से सम्बन्धित मतभेदों को निपटाने हेतु कोर्ट में जाने का जो नैतिक संकोच था—वह भी इस वर्ष समाप्त हो गया। स्टे ऑर्डर्स द्वारा प्रदूषित वातावरण में पारस्परिक मतभेदों ने वैमनस्य का इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि अध्यक्ष महोदय के पूरे प्रयत्नों के बावजूद सभा की कार्यवाही नहीं चल पाई —

हाल जो देखा सभा में लिख न पायेंगे उसे,  
सोचते हैं क्या थे कल और आज हम क्या हो गये।  
लेकर के जो उद्देश्य कायम की गई थी यह सभा,  
वे सभी उद्देश्य जैसे रंजिशों में खो गए।”

### शताब्दी समारोह का समापन :

भार्गव सभा के शताब्दी समारोह का समापन भी 24 दिसम्बर से 26 दिसम्बर सन् 1989 ई. तक जयपुर में ही बड़ी धूमधाम व सजधज के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

समारोह का आयोजन राम निवास बाग में रवीन्द्र मंच के समीप विशाल ओपिन एयर थिएटर में किया गया था, जिसे बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। समारोह के मुख्य अतिथि श्री कान्त किशोर जी भार्गव, आई.एफ.एस. थे जो वर्तमान में काठमांडू (नेपाल) में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव के प्रतिष्ठापूर्ण पद पर कार्यरत हैं। मुख्य अतिथि एवं अन्य सभी के स्वागत के पश्चात्, शताब्दी समारोह समापन स्वागत समिति के अध्यक्ष पं. गिरधारी लाल जी भार्गव एम.पी. ने सभा के 100 वर्षों की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर, तथा शताब्दी समारोह के मन्त्री श्री रमेश जी ने शताब्दी समारोह की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सभा के प्रधान डॉ. सुभाष एवं डॉ. ऋषि ने भी अपने-अपने संक्षिप्त भाषण में अवसर के उपयुक्त दो-दो शब्द कहे एवं सबके प्रति आभार प्रगट किया।

समापन समारोह का संचालन आकाशवाणी के उद्घोषक श्री कृष्ण कुमार भार्गव ने बड़े प्रभावी ढंग से किया।

अन्त में मुख्य अतिथि जी ने सभा की भावी प्रगति एवं कार्यक्रमों के लिए कतिपय दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात् जयपुर भार्गव सभा स्वर्ण जयन्ती एवं भार्गव सभा शताब्दी समापन समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका का डॉ. सुधा भार्गव संयोजिका स्मारिका उपसमिति द्वारा विमोचन कराया गया तथा इसी अवसर पर डॉ. शान्ति प्रसाद भार्गव जयपुर द्वारा लिखित एवं भार्गव सभा द्वारा प्रकाशित 'भार्गव सभा के इतिहास' का विमोचन सम्पन्न हुआ।

समापन समारोह के पश्चात् खचाखच भरे ओपिन एयर थिएटर में बहुत ही सुन्दर एवं रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम, शताब्दी समारोह सांस्कृतिक उपसमिति द्वारा विभिन्न नगरों से चयनित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समापन समारोह के कार्यक्रमों की शृंखला में ही दि. 25-12-89 को स्थानीय स्तर पर गठित सांस्कृतिक उपसमिति द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें जन्म से लेकर अन्त तक के संस्कारों का राजस्थानी नृत्य एवं गायन के माध्यम से प्रदर्शन किया गया।

शताब्दी समारोह को सफल बनाने में सराहनीय योगदान के लिए निम्नलिखित आयोजकों को शताब्दी समारोह का प्रतीक स्मृति चिह्न भेंट किया गया :—

- (1) श्री नरेन्द्र नाथ जी, बम्बई।
- (2) श्री रवि शंकर जी, देहली।
- (3) श्री ओम प्रकाश जी, ग्वालियर।
- (4) श्री श्रीकृष्ण जी, ग्वालियर।
- (5) डॉ. शान्ति प्रसाद जी, जयपुर।
- (6) श्री रमेश जी, जयपुर।

\*\*\*\*\*

- (7) श्री चरणदास जी, देहली।
- (8) डॉ. ऋषि कुमार जी, जयपुर।
- (9) डॉ. दयानंद जी, जोधपुर।
- (10) श्री विष्णु कुमार जी, देहली।

इसी अवसर पर एक प्रदर्शनी एवं विवाह परामर्श केन्द्र का भी सफल आयोजन किया गया। विवाह परामर्श समिति का यह केन्द्र आकर्षण का प्रमुख स्थल रहा।

इस प्रकार शताब्दी समारोह से सम्बन्धित समस्त कार्यों में जाति के लोगों ने जिस उत्साह, उमंग एवं अनुराग से भाग लिया उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन उद्देश्यों से इस समारोह का आयोजन किया गया था उनकी पूर्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस आयोजन के माध्यम से ही समस्त समाज को सभा के गत 100 वर्षों की सेवाओं एवं उपलब्धियों की अनुभूति हुई है तथा उनमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना जागृत हुई, जो ही वास्तव में भावी प्रगति का प्रेरणा स्रोत एवं आधार बन सकती है।

वे लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं जिन्हें इस महान आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसा पुनीत एवं स्वर्णिम अवसर किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति के जीवन में 100 वर्ष में एक ही बार उपलब्ध होता है।

\* \* \*



## 18. भार्गव सभा की प्रगति के कर्णधार

गत 100 वर्षों में भार्गव सभा एवं सम्मेलन जाति की उन्नति एवं प्रगति के मुख्य माध्यम रहे हैं। सभा ने संगठन के प्रशासनिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व को निभाया है तथा सम्मेलनों ने नीति निर्धारण, सामाजिक सुधार एवं अन्य समस्याओं के निवारण में योगदान दिया है। सभा एवं सम्मेलनों के अध्यक्षों एवं मन्त्रियों ने, जिन्होंने इस उन्नति का मार्गदर्शन किया है व प्रगति के प्रवाह को निरन्तर गति देने की प्रेरणा दी है, उनका संक्षिप्त परिचय इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है कि उनके जीवन की साधना, समर्पण की भावना एवं जाति प्रेम से वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को जाति की एक उज्ज्वल एवं सम्माननीय छवि के निर्माण हेतु एक प्रेरणा मिल सके।

सभा के प्रथम एवं आजीवन अध्यक्ष

**मु. राम दयाल जी (सन् 1815-1894 ई.)**

मु. राम दयाल जी का जन्म सन् 1815 ई. में हुआ था। इनके पिता मु. बलदेव सहाय जी सागर (मध्य प्रदेश) में रहते थे। सागर ही में शिक्षा प्राप्त कर आपने सन् 1836 ई. में सरकारी सेवा में सागर निजामत में मुहर्रिर के पद से प्रवेश किया। सन् 1844 ई. में निजामत सागर में ही नायब सरिश्तेदार के



मु. राम दयाल जी

पद पर नियुक्त हुए। सन् 1846 ई. में आप पंजाब चले गए, वहाँ उनकी नियुक्ति निजामत पिंडदादन खाँ में सरिश्तेदार के पद पर हुई। सन् 1851 ई. में आप इसी पद पर झेलम चले गए और सन् 1856 ई. तक बड़ी कुशलता एवं सफलता के साथ कार्य किया। अतएव जब सन् 1856 ई. में अवध प्रांत की स्थापना हुई तो आपको लखनऊ में 10 मार्च सन् 1856 ई. से तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया। उसके पश्चात् गदर के जमाने में जब लखनऊ में लूटपाट शुरू हुई, तो निजामत को भी लूट लिया गया और मुन्शी जी को, जिनको उस वक्त फौजों के लिए खाने आदि की सामग्री उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वे छिपते-छिपाते ठाकुर गिरधर सिंह जी की सहायता से कानपुर पहुँचे और जनरल हैबलॉक की सेना में शामिल हो गए और उन्हें सदर कैम्प कानपुर का कोतवाल नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर उन्होंने दरोगागिरी का इन्तजाम

बड़ी कुशलतापूर्वक किया। जब जनरल ओटरम की फौज लखनऊ आने लगी तो आप उस फौज के साथ लखनऊ आए और बैली गार्ड की फौज में शामिल हुए। घेरे के सम्पूर्ण काल में आपने रसद आदि उपलब्ध कराने में बड़ा उपयोगी व सराहनीय कार्य किया था और अपनी जानिसाराना मेहनत व कारगुजारी से स्थानीय उच्च अधिकारियों को इस कदर प्रभावित किया कि 30 जून सन् 1857 ई. में पूरे समय के लिए तहसीलदार करार दिए गए और तहसीलदारी का पूरा वेतन दिया गया। जब लखनऊ पर पूरा-पूरा नियन्त्रण हो गया तो सरकार इंगलीसिया ने आपकी सेवाओं व वफादारी का व जो सेवाएँ गदर के वक्त कानपुर में की थीं, उनके लिए आधा गाँव प्रदान किया गया व मु. साहब का जो गदर के वक्त नुकसान उनके लुट जाने से हुआ था, उसके मुआवजे के रूप में पच्चीस हजार रुपए नकद दिए। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों ने आपकी बहुत कदर की और आपको एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर के पद पर नियुक्त किया। आप सन् 1864 ई. को पेन्शन पर रिटायर हुए और उसके बाद सर महाराजा मानसिंह जी बहादुर के एक जागीरी ताल्लुका के प्रबन्ध के लिए नियुक्त हुए। सन् 1871 ई. में आप अलवर तशरीफ लाए और हाकिम-ए-अदालत दीवानी नियुक्त हुए। सन् 1873 ई. में आप हाकिम अपील व सेशन जज नियुक्त हुए और इसी उच्च पद पर सन् 1887 ई. तक बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य किया। दुर्भाग्यवश उसी साल आप गाड़ी से गिर पड़े और पाँव में चोट लग गई, इसलिए आपने अयोध्या जाकर रहने का इरादा किया। वहाँ पहुँच कर आप मुन्तजिम रियासत अयोध्या नियुक्त हुए। सन् 1891 ई. में आप फिर अलवर आ गए और आप बदस्तूर हाकिम अपील मुकर्रर हुए और अन्त समय 17 नवम्बर सन् 1894 ई. तक इसी पद पर कार्य करते रहे। आपकी प्रतिष्ठा व सम्मान का आदर करते हुए ही राय सालग राम जी, मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई. व मु. गिरधर लाल जी जातीय मामलों में आपकी सलाह मानते थे और उसी सम्बन्ध में जब भार्गव सभा पंजीकृत होकर स्थापित हुई तो आप उसके सर्वप्रथम व आजीवन प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। यह जाति का दुर्भाग्य ही था कि मुन्शी जी जैसे अनुभवी व सफल व्यक्ति का सभा को मार्गदर्शन अधिक समय तक प्राप्त न हो सका।

\* \* \*

#### सभा के संस्थापक एवं आजीवन उपाध्यक्ष

##### **मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई. (सन् 1836-1895 ई.)**

मु. नवल किशोर जी का जन्म एक भार्गव परिवार में मथुरा मण्डल के अन्तर्गत रीढ़ा ग्राम में संवत् 1892 विक्रमी की पौष पूर्णिमा तदनुसार रविवार 3 जनवरी सन् 1836 ई. को उनके ननिहाल में हुआ।

कहते हैं कि मु. नवल किशोर जी के पूर्वज अलवर राज्य के निवासी थे। इनमें से एक पं. कृपाल दास जी थे, जिनके नाम से किशन गढ़ तहसील अलवर में कृपाल नगर नाम का एक गाँव था। इसी परिवार में मु. नवल किशोर जी के पितामह हुए जो मुगल सम्राट शाह आलम के मुख्य कोषाधिकारी थे।

मु. नवल किशोर जी के पिता पं. जमुना प्रसाद जी भार्गव अलीगढ़ जिले के एक बड़े जमींदार थे। उनकी माता का नाम श्रीमती यशोदा देवी था। 10 वर्ष तक की आयु तक आपने सासनी में रहकर पंडित



मु. नवल किशोर जी

से शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात् आपने आगरा आकर लगभग 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी व अरबी का ज्ञान प्राप्त किया। इसी बीच में आपको अखबार पढ़ने व लेख लिखने में रुचि उत्पन्न हुई तथा आगरा के 'सफीर' नामक अखबार में लेख भी लिखने लगे। पढ़ने में भी आप कुशाग्र बुद्धि के थे और आपकी योग्यता एवं प्रतिभा के कारण सरकार से छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी। सन् 1850 ई. में आपका विवाह इलाहाबाद निवासी पं. राम रतन जी की सुपुत्री सरस्वती देवी जी से हुआ। 18 वर्ष की आयु में आप 'कोहिनूर' पत्रिका लाहौर के प्रकाशक मु. हरसुख राय जी के सम्पर्क में आए और वे इनकी बहुमुखी प्रतिभाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए और इन्हें अखबार नवीसी व मुद्रण कला में शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त कराने लाहौर ले गए, जहाँ उन्होंने मुद्रण कला का ज्ञान प्राप्त किया और छापेखाने के मैनेजर के पद पर पहुँचे।

इक्कीस वर्ष की आयु में मुन्शी जी स्वयं छपाखाना खोलने और अखबार निकालने के विचार से लखनऊ चले आए। उनका विचार तो आगरा जाने का था लेकिन चूँकि सन् 1857 ई. की क्रांति के कारण, उस समय की भाषा, उर्दू के अधिकांश प्रसिद्ध शायर, लेखक व विद्वान् भाग कर लखनऊ आ गए थे, और इस प्रकार लखनऊ साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र बनता जा रहा था। अतः मुन्शी जी सन् 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् लखनऊ आए और प्रारम्भ में रकाब गंज में 'नवल किशोर प्रेस' के नाम से छपाखाना खोला, जिसे बाद में हजरत गंज में स्थापित किया।

इसी समय की मु. नवल किशोर जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पं. सुन्दर लाल जी देहली ने भार्गव पत्रिका माह फरवरी सन् 1970 ई. में प्रकाशित अपने लेख में किया है, जिसके अनुसार एक बार आप किसी कार्यवश कलकत्ता जा रहे थे। उस समय रेल मार्ग का साधन तो था नहीं, ताँगों में जाया करते थे। रास्ते में आपने देखा कि एक अंग्रेज दम्पती अपना ताँगा टूट जाने के कारण सड़क पर खड़ा था और उसके पास कोई और साधन नहीं था जिससे वे अपना सफर पूरा कर सकते। यह देखकर मुन्शी जी को दया आई और उन दोनों को अपने साथ ताँगे में बिठा लिया और अपने साथ कलकत्ता तक ले आए। जब कलकत्ता में पहुँचे तो उस अंग्रेज साथी ने कहा, आप हम से मिलकर वापिस जाइएगा। वहाँ से वापिस चलते समय मुन्शी जी उनसे मिले, तो उन्होंने आपका बड़ा आभार प्रगट किया और उन्होंने मुन्शी जी को कागज की गाँठें भेंट करने का विचार प्रगट किया। उस सज्जन का कागज का एक जहाज विलायत से आया था। यह माल रास्ते में जहाज क्षतिग्रस्त होने के कारण भीग गया था। इस पर मुन्शी जी ने बहुत मना किया कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे उनका भुगतान कर सकें। इस पर उन्होंने कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, माल ले जाइएगा, वहाँ पहुँच कर माल बेच

कर पेमेंट भेज देना। आपने हमारी जान बचाई है, हम आपके आभारी हैं। हम तो आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसे अवश्य स्वीकार करें। वे नहीं माने व उन्होंने माल लखनऊ रवाना कर दिया। माल के लखनऊ पहुँचने पर जब खोला गया तो देखा कि भगवान की कृपा से केवल ऊपर-ऊपर का थोड़ा सा कागज खराब निकला, अन्दर बिल्कुल साफ और नया माल था। मुन्शी जी ने इसे बेच कर और काम में लाने के पश्चात् कागज का पेमेंट भेज दिया और उसके पश्चात् भी मुन्शी जी को काफी पैसा बच गया। यह एक उनके जीवन की प्रारम्भिक घटना थी।

26 नवम्बर सन् 1858 ई. को मुन्शी जी ने उत्तर भारत का सर्वप्रथम दैनिक पत्र 'अवध अखबार' सर्वाधिक प्रचलित भाषा उर्दू में निकाला। इस अखबार का कुछ ही समय में उत्तरी भारत, बर्मा, पश्चिम एशिया तथा इंग्लैण्ड तक प्रसार हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो. ई.एच. जैसे ब्रिटिश विद्वान् तथा भाषा विज्ञ इसके संवाददाता थे। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर 'अवध रिव्यू' के नाम से एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया।

इस समय विभिन्न भाषाओं जैसे उर्दू, संस्कृत, अरबी, हिन्दी, गुरुमुखी व फारसी आदि के दुर्लभ ग्रन्थ अमुद्रित पड़े थे, जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाशित करने का गौरव मुन्शी जी को प्राप्त हुआ। जिस भाषा में भी धार्मिक, साहित्यिक एवं अन्य हस्तलिखित ग्रन्थ मिले, उन्हें उसी भाषा में प्रकाशित किया व अन्य भाषाओं में अनुवाद कराकर इतने कम मूल्य पर प्रकाशित किया कि जन साधारण भी उन पुस्तकों से लाभ उठा सकें। वास्तव में नवल किशोर प्रेस उस काल में भारतीय नव जागरण का बौद्धिक केन्द्र बन गया था।

मुन्शी जी विद्वानों का बड़ा आदर करते थे व उन्हें आश्रय देते थे। मिर्जा गालिब अपनी सभी रचनाएँ मुन्शी जी के पास ही प्रकाशन के लिए देते थे। यहाँ तक कि रंगून से अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह 'जफर' ने भी अपनी रचनाएँ मुन्शी जी के पास ही प्रकाशन हेतु भेजी थीं। उस समय भारतीय साहित्य में मुन्शी जी व उनके प्रेस की भूमिका कैसी थी, यह गालिब के इस कथन से स्पष्ट है कि "इस छापेखाने ने जिसका भी दीवान छपा है, उसको जमीन से आसमान पर पहुँचा दिया है"। मुन्शी जी ने अपने जीवन काल में लगभग 4000 पुस्तकों का प्रकाशन किया जो आज भी भारत की किसी अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या से कहीं अधिक है।

सरकार ने उनकी सामाजिक सेवाओं एवं उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उन्हें सी.आई.ई. की उपाधि से अलंकृत किया व केसर-ए-हिन्द पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

31 मार्च सन् 1887 ई. को जब शाह अफगानिस्तान, अमीर अब्दुर रहमान के स्वागत में, ले. गवर्नर द्वारा दरबार आयोजित किया गया व जिसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन भी उपस्थित थे, तो मुन्शी जी को सभी भारतीय नरेशों की अपेक्षा उच्च स्थान प्रदान किया गया था, इससे जब राजा-महाराजाओं ने अप्रसन्नता प्रगट की तो गवर्नर ने उनसे कहा कि "ऐसे व्यक्ति की आलोचना करना उचित नहीं, जिसका मूल्य आप नहीं जानते"..... वह व्यक्ति महान मु. नवल किशोर हैं।" जैसे ही शाह अब्दुर रहमान ने मुन्शी जी का नाम सुना, उन्होंने अपने वजीर को बुलाकर पूछा कि "क्या ये वही मु. नवल किशोर हैं —

जिन्होंने दक्षिणी एशिया में साक्षरता की ज्योति प्रज्वलित की है, इनको मेरे पास लाओ।” जैसे ही मुन्शी जी उस ओर चले, अफगानिस्तान के शाह ने अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत कर कहा — “खुदा का शुक्र है हम आपको देख पाये, हिन्दुस्तान में आने से जो मसरत आपको देखने से हुई और किसी काम में नहीं।” इन शब्दों के साथ शाह ने मुन्शी जी को अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाया। गवर्नर ने इस अवसर पर कहा — “क्या इस समय हिन्दुस्तान में ऐसे सम्मान के योग्य और कोई है।” भारतीय नरेशों ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि वाकई मुन्शी जी सम्मान के योग्य हैं। मुन्शी जी ने जब बादशाह को नजर पेश करनी चाही तब शाह ने कहा कि “तुम हमको क्या नजर पेश करते हो, नजर तो हम तुम को पेश करेंगे, क्योंकि ज्ञान के बादशाह तो तुम हो” और बादशाह ने एक बड़ा सुन्दर थाल अशर्फियों से भरकर मुन्शी जी को भेंट किया।

इसी दौरान ईरान के शाह का भी भारत आगमन हुआ। जब उनसे पूछा गया कि वे भारत क्यों पधारे हैं तो उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों से मिलने—एक वायसराय और दूसरे मुन्शी नवल किशोर।

मुन्शी जी उच्च शिक्षा शास्त्री, उर्दू व फारसी के विद्वान् भी थे। उन्होंने कर्नल टॉड की मशहूर पुस्तक ‘एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान’ का उर्दू में तर्जुमा किया था व ‘निगारे दानिश’ जैसी सुप्रसिद्ध फारसी की पुस्तक की भूमिका भी लिखी थी।

मुन्शी जी महान दानवीर थे। उनके धन का बहुत बड़ा भाग सामाजिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, विधवाओं एवं अपाहिजों को जाता था। एक ओर उन्होंने आगरा कॉलेज आगरा, एम.ए.ओ.कॉलेज अलीगढ़, कैनिंग कॉलेज एवं जुबली कॉलेज लखनऊ व अन्य विभिन्न संस्थाओं को दान देकर शिक्षा के प्रसार को सुलभ किया, वहीं दूसरी ओर डफरिन अस्पताल, पुस्तकालयों आदि को बहुत सा धन प्रदान कर उनके विकास में योगदान दिया।

भार्गव जाति के उत्थान में भी मुन्शी जी की सेवाएँ अभूतपूर्व एवं चिरस्मरणीय हैं। आप भार्गव सभा के संस्थापकों में से एक थे एवं आजीवन उपसभापति रहे। इसके अतिरिक्त सन् 1889, 1890 व 1893 ई. में सम्मेलनों के अध्यक्ष रहे एवं आजीवन सभापति मु. रामदयाल जी की मृत्यु के पश्चात् सभा के अध्यक्ष चुने गए। आपने पनवाड़ी गाँव खरीद कर सभा को भेंट किया एवं अपने पुत्र पं. प्रयाग नारायण जी की शादी के अवसर पर सभा को आठ हजार रुपये का दान दिया। भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा के निर्माण में सरकार से निःशुल्क जमीन दिलवाकर व धन देकर बड़ा सहयोग दिया। आपने सभा के लिए स्थायी फंड स्थापित करने के लिए 50000/- रुपये इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि इतनी ही रकम जाति के अन्य लोग एकत्रित कर लें।

यद्यपि 59 वर्ष की आयु में 19 फरवरी सन् 1895 ई. को आप परलोक सिधारे, फिर भी वे अपनी अलौकिक सेवाओं एवं उपलब्धियों के कारण अभी भी हम सबके बीच हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में उनकी मृत्यु के 75 वर्ष बाद सन् 1970 ई. में 19 फरवरी को उनकी स्मृति में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया जो उस महान आत्मा के प्रति राष्ट्र की पुनीत श्रद्धांजलि है तथा जाति के लिए प्रेरणादायक एवं गौरव की बात है।

किसी भी दृष्टि से देखा जाए, मुन्शी जी एक महान आत्मा थे। एक मुस्लिम सज्जन जो भार्गव सभा की उर्दू की रिपोर्टों को पढ़कर लेखक को सुनाने आते थे, उन्हें मुन्शी जी का नाम आने पर जब यह पता चला कि ये वही मुन्शी नवल किशोर जी थे जिनका प्रेस लखनऊ में नवल किशोर प्रेस के नाम से चलता था, तो उन्होंने मुन्शी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा व सम्मान के भाव प्रकट करते हुए कहा कि इनके प्रेस में उनकी कुरान की छपाई होती थी और उनकी हिदायत थी कि छपने के बाद कुरान के फर्माओं को धोया हुआ पानी किसी अन्य जगह नहीं बल्कि गोमती नदी में ही डाला जाए और इस हिदायत की पूरी तरह तामील होती थी। यदि आज 100 वर्षों के बाद भी मुसलमानों में उनके प्रति यह भावना व सम्मान है तो उनके हृदय की उदारता, उच्च विचारों एवं महानता का प्रतीक ही है।

\* \* \*

### सभा के संस्थापक एवं आजीवन सैक्रेट्री

#### **मु. गिरधर लाल जी (सन् 1837-1895 ई.)**

मु. गिरधर लाल जी का जन्म सन् 1837 ई. में रिवाड़ी में हुआ। आपकी शिक्षा रिवाड़ी व मथुरा में हुई। इसके पश्चात् आपने आगरा में वकालत प्रारम्भ की व अपने ही नाम से आगरा में एक साहूकारी प्रतिष्ठान स्थापित किया, जो कागज का भी व्यापार करता था। यही प्रतिष्ठान प्रारम्भ से वर्षों तक भार्गव



मु. गिरधर लाल जी

सभा आगरा के खजानची के रूप में कार्य करता रहा। मुन्शी जी एक प्रतिष्ठित, लगनशील एवं ख्याति प्राप्त वकील थे व सामाजिक तथा जाति के कार्यों में विशेष रुचि रखते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत कार्य किया व वर्षों तक किशोरी रमण ट्रस्ट, मथुरा के ट्रस्टी रहे व किशोरी रमण संस्थाओं के मुख्य प्रेरक आप ही थे। सन् 1884 ई. से ही आपको भार्गव सभा आगरा व भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा की स्थापना का उत्तरदायित्व सौंपा गया था व यह मुख्यतः उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि दिसम्बर सन् 1887 ई. में ही भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा की नींव रखी गई व उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तथा सन् 1889 ई. में उसका उद्घाटन सम्पन्न हुआ। मु. नवल किशोर जी का इस पुण्य कार्य में सहयोग प्राप्त करने का श्रेय आपको ही था। मुन्शी जी ने आप ही के माध्यम से पनवाड़ी गाँव क्रय करके सभा को दान दिया। आप ही ने विभिन्न नगरों जैसे मथुरा, अलवर, रिवाड़ी, अलीगढ़, कानपुर व लाहौर आदि जाकर न केवल धन इकट्ठा किया बल्कि सभी जातीय बन्धुओं की भार्गव



सभा आगरा व बोर्डिंग हाउस की स्थापना के लिए सहयोग एवं सहमति भी प्राप्त की। समयानुसार भार्गव सभा आगरा की नियमावली तैयार कर सभा को 10 अक्टूबर सन् 1889 ई. को पंजीकृत करवाया। भार्गव बोर्डिंग हाउस का पालन-पोषण तो आपने अपने शिशु की भाँति किया व अदालत से शाम को लौटते हुए प्रतिदिन बोर्डिंग हाउस जाते थे व सबका कुशल क्षेम पूछते थे। उनका भार्गव सभा आगरा के संस्थापकों में विशेष स्थान है। उनकी बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य ही मैं आपको सभा का आजीवन सैक्रेट्री नियुक्त किया गया था। किन्तु यह जाति व सभा का दुर्भाग्य ही था कि उनकी सेवाएँ अधिक समय तक उपलब्ध न हो सकीं व सन् 1895 ई. में आपका स्वर्गवास हो गया। मुन्शी जी का नाम भार्गव सभा से सदैव ही जुड़ा रहेगा व उनको हमेशा सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा।

\* \* \*

25 वर्ष तक भार्गव सभा के सभापति एवं पाँच बार कांफ्रेंस के निर्वाचित अध्यक्ष

**दीवान बहादुर पं. बिहारीलाल जी, खजानची जबलपुर (सन् 1851-1920 ई.)**

दीवान बहादुर पं. बिहारीलाल जी का जन्म अनुमानतः सन् 1851 ई. में टाँकड़ी में हुआ था। आपके पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। अतः जबलपुर में पं. चन्द्रभान जी के यहाँ आप गोद आए। आपकी माता का नाम श्रीमती राधा था।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा जबलपुर में हुई। जब आप पढ़ रहे थे तब उन्हीं दिनों जबलपुर में एक दरबार हुआ। वहाँ के कमिश्नर साहब ने आपको ही एड्रेस पढ़ने के लिए तैयार किया। आपने उसे निडर होकर इतनी अच्छी तरह पढ़ा कि तमाम ऑफिसर खुश हो गए एवं आपका नम्बर दरबारियों में बढ़ गया।

आप मुन्शी नवल किशोर जी जैसे नवरत्नों में से थे, जो अपने पैरों पर आप ही खड़े होकर अपनी उन्नति करते हैं। आपने अपने बाहुबल एवं परिश्रम से काफी धन और सम्मान अर्जित किया। जबलपुर, नागपुर और रामपुर की प्रसिद्ध एजुकेशनल बुक डिपो में आप साझी थे तथा म.प्र. में कई जगह आपकी जमींदारी थी। सन् 1893 ई. में आपने 'भार्गव कॉमर्शियल बैंक' जबलपुर में स्थापित किया था तथा अपनी पूज्य माता के नाम पर जबलपुर में 'राधा कन्या पाठशाला' खोली थी।

आपकी कोठी में सरकारी खजाना रहता था, इसी कारण आप खजानची कहलाते थे। आपको पहले 'राव साहब', फिर 'राव बहादुर' और अन्त में 'दीवान बहादुर' की पदवी मिली। सार्वजनिक कार्यों में आप आरम्भ से ही भाग लेते रहे। आप हितकारिणी हाई स्कूल, जबलपुर के जन्मदाताओं में से एक थे। आप उसके तथा किशोरी रमण ट्रस्ट, मथुरा के बहुत दिनों तक सभापति रहे। भार्गव बोर्डिंग हाउस, रिवाड़ी की स्थापना में मुख्यतः आपका हाथ रहा। आप भार्गव सभा के सबसे अधिक समय तक, अर्थात् सन् 1896 ई. से सन् 1920 ई. तक जीवनपर्यन्त, सभापति रहे व चार कांफ्रेंस के अर्थात् सन् 1890, 1895, 1899 व 1914 ई. में हुए अधिवेशनों की अध्यक्षता की। इनके अतिरिक्त सन् 1903 ई. में अलवर में हुई कांफ्रेंस के आप अध्यक्ष तो निर्वाचित हुए थे, किन्तु आपने अध्यक्षता करना स्वीकार नहीं किया।



इससे प्रगट होता है कि आपकी जाति के प्रति सेवाओं का कितना सम्मान था व आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कितनी सर्वमान्य थी। आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट चुने गए थे। आपका सन् 1920 ई. में स्वर्गवास हो गया।

### पं. बंशीधर जी (सन् 1840-1892 ई.)

आपका जन्म सम्राट हेमू के कुल में पं. प्रेमसुख जी के पुत्र के रूप में, अजमेर में अनुमानतः सन् 1840 ई. में हुआ था। सन् 1818 ई. में जबकि अजमेर का राज्य अंग्रेजों के हाथ में आया, उसी समय पं. बंशीधर जी के पूर्वज अजमेर आ गए थे व उनकी नियुक्ति नायब सरिश्तेदार के पद पर हुई। कुछ दिनों तक पं. बंशीधर जी ने कचहरी में भी काम किया। सन् 1860 ई. तक अजमेर में सनद प्राप्त वकील नहीं थे व सन् 1865 ई. में जब सनद प्राप्त वकीलों का कानून बना तो पंडित जी अदालत की पैरोकारी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा उसमें उत्तीर्ण होकर सनद प्राप्त की तथा सन् 1866 ई. में अजमेर में वकालत प्रारम्भ की। सच्चाई एवं ईमानदारी की बदौलत आपने वकालत में बहुत प्रसिद्धी प्राप्त की तथा आपकी गणना गणमान्य वकीलों में की जाने लगी।

आपका हृदय प्रारम्भ से ही दयालु एवं परोपकारी वृत्ति का था। आप अनेक छात्रों को छात्रवृत्ति, विधवाओं को प्रतिमास सहायता, लूले-लैंगड़े, अपाहिजों को प्रतिमास सहायता तथा अनाथ कन्याओं के विवाह में पूर्ण सहायता देते थे। पुष्कर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में आप अग्रगण्य थे। रायबहादुर पं. मिट्ठन लाल जी के साथ आपने 'दयानन्द अनाथालय' के लिए हैदराबाद से बहुत कुछ चन्दा वसूल किया। आप सच्चे व ईमानदारी से काम की बदौलत हाकिमों में अत्यन्त सम्मानीय दृष्टि से देखे जाते थे।

आप भार्गव सभा के प्रारम्भिक कार्यकर्ता थे व बिरादरी के कार्यों में आपका सहयोग अवश्य होता था। सन् 1866-1892 ई. तक आपने वकालत की; और सन् 1891 ई. में आप भार्गव सम्मेलन रिवाड़ी के सभापति चुने गए।

आपके कोई सन्तान नहीं थी, अतः आपने अपने भाई के पुत्र पं. देवी दयाल जी को गोद लिया। ईश्वर की असीम कृपा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके 3 पौत्र, महादेव प्रसाद जी, बैरिस्टर महावीर प्रसाद जी व द्वारका प्रसाद जी हुए। आपकी सन् 1892 ई. में अचानक मृत्यु से सभा व सम्मेलन के कामों में बड़ा धक्का लगा। आपकी सेवाएँ जाति के लिए चिरस्मरणीय रहेंगी।

### पं. रतीराम जी (सन् 1845-1905)

पं. रतीराम जी का जन्म सन् 1845 ई. में हुआ। जयपुर राज्य में आपका पदार्पण सन् 1867 ई. के लगभग हुआ। उनका प्रथम भार्गव परिवार था जो जयपुर नगर में आकर बसा और जयपुर दरबार से जिसको यथेष्ट मान और सम्मान प्राप्त हुआ।

आपने आगमन के एक वर्ष पश्चात् ही पं. रतीराम जी शासकीय सेवा में उत्तरदायित्व के पद पर नियुक्त हुए एवं कुशाग्र बुद्धि, ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करते हुए थोड़े समय में ही एक सफल

वरिष्ठ प्रशासक बन गए तथा नायब दीवान के पद पर आसीन होकर आपने यश अर्जित किया। आपका अवलम्बन प्राप्त करके कई भार्गव परिवारों ने जयपुर में आकर आवास लिया तथा जीविका हेतु शासकीय विभागों में नियुक्त हुए।

आप लगन से समाज सेवा करते रहे तथा सन् 1894 ई. में अजमेर में हुए भार्गव सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपका निधन सन् 1905 ई. के आसपास जयपुर में हुआ।

### स्व. पं. सुन्दर लाल जी

स्व. पं. सुन्दर लाल जी का जन्म सन् 1856 ई. के आसपास जयपुर नगर में हुआ था। आपकी शिक्षा जयपुर में हुई तथा वहीं आपने सन् 1880 ई. में राजस्व विभाग में शासकीय सेवा ग्रहण की। प्रतिभासम्पन्न मृदु स्वभाव वाले पं. सुन्दर लाल जी शनैः-शनैः पदोन्नत होते हुए उच्च पद पर आसीन हुए तथा सन् 1890 ई. में जयपुर दरबार में मैम्बर काउन्सिल के वरिष्ठ पद पर पहुँच गए। एक सफल प्रशासक के रूप में जयपुर राज्य में आपने यश अर्जित किया। राज्य के विभिन्न विभागों में सुधार करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में आपने प्रशंसनीय कार्य किया तथा भार्गव सम्मेलन के, जो आगरा में सन् 1896 ई. में आयोजित हुआ, आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

### राय सीता राम जी (सन् 1844-1903 ई.)

पं. सीताराम जी का जन्म सन् 1844 ई. में मथुरा में हुआ। आपकी शिक्षा-दीक्षा का केन्द्र भी मथुरा नगर रहा जहाँ आपने कानून का ज्ञान अर्जित कर बाद में आगरा में विधिवत् कानून की शिक्षा ग्रहण की। कालान्तर में आप मथुरा में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुए तथा नगर के सम्भ्रान्त, सुसंस्कृत एवं आदरणीय व्यक्तियों में आपकी गणना की जाने लगी। निर्धन जन बहुधा आपके पास आश्रय एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने आते थे तथा उनकी कठिनाइयों का निवारण पं. सीताराम भार्गव द्वारा किया जाता था।

सन् 1897 ई. के मथुरा में हुए भार्गव सम्मेलन के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कुशल प्रकाशक एवं कानूनविद के रूप में मथुरा नगर में आपकी ख्याति थी। सन् 1903 ई. में आपका स्वर्गवास हुआ।

### पं. राम जीवन लाल जी (सन् 1847-1916 ई.)

पं. राम जीवन जी (मास्टर साहब) का जन्म स्व. पं. छीतर मल जी रिवाड़ी निवासी के घर सन् 1847 ई. में हुआ था। आपके पिता अजमेर के कस्टम विभाग में चपरासी थे। आपने अजमेर में शिक्षा ग्रहण की एवं उस समय में भी 20 वर्ष से कम की अवस्था में एफ.ए. पास किया। शिक्षा समाप्त कर आप छपरा में मास्टर हो गए और थोड़े ही समय में उपअध्यापक कर दिए गए और वहाँ से आपकी नियुक्ति गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में हुई और कुछ समय में आप वाइस प्रिंसिपल हो गए। सन् 1870 ई. के लगभग बहुत प्रयत्न करके आपने मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई। सन् 1884 ई. में महाराजा साहब शाहपुरा ने आपकी सेवाएँ माँग लीं और आप शाहपुरा में दीवान नियुक्त किए गए। इस पद से आप 1890

ई. में रिटायर हुए। अपनी रिटायर्ड लाइफ आपने प्रायः अजमेर में ही व्यतीत की तथा जाति भाइयों एवं मानव समाज की जी भर कर सेवा की। आपका पहनावा अचकन, चोगा व दुपट्टा था।

सम्वत् 1956 वि. के अकाल की जब भी याद आती है तो आपका नाम स्वयं याद आ जाता है। आप उस समय डूंगरपुर में दीवान थे तथा जनता की जान बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। आप दो बार सन् 1898 ई. और सन् 1906 ई. में भार्गव कांफ्रेंस के सभापति भी चुने गए। सन् 1903 ई. में अलवर में हुई कांफ्रेंस की भी, निर्वाचित अध्यक्ष रा.ब.पं. बिहारी लाल जी द्वारा अध्यक्षता अस्वीकार करने पर, आपने ही अध्यक्षता की। आपके द्वारा स्थापित अजमेर की संस्कृत पाठशाला अब संस्कृत कॉलेज का रूप धारण किए हुए है, गोशाला और बूढ़े पुष्कर में भगवान राधा कृष्ण जी का मन्दिर अब भी आपकी स्मृति जागरूक किए हुए है। जनरल एश्योरेन्स सोसाइटी, भारत व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा भार्गव कॉमर्शियल पेपर एजेन्सी को भी आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त था। सन् 1916 ई. में आप अपने पुत्र राय साहब स्व. पं. जगत नारायण भार्गव तथा पौत्र पं. राम चन्द्र जी भार्गव व पं. राम शरण जी भार्गव (ऑडीटर) को छोड़ कर परलोक सिधारे।

#### पं. बैनी प्रसाद जी, मिर्जापुर (सन् 1860-1912 ई.)

पं. बैनी प्रसाद जी का जन्म सन् 1860 ई. में हुआ। आपके पूर्वज मथुरा के रहने वाले थे और किसी समय मिर्जापुर आ गए थे। शिक्षा समाप्त होने पर आपका हृदय व्यवसाय की ओर झुका और कुछ दिनों तक अन्य कार्यों को करते हुए कारीगरी के कामों को आपने अच्छा समझा। इसके पूर्व आपका विवाह हो चुका था। आपके पूज्य पिता पं. लक्ष्मीनारायण जी मिर्जापुर के गणमान्य, प्रतिष्ठित और प्रमुख लोगों में से थे। अपने मित्रों से परामर्श कर आपने कालीन बनाने का कारखाना स्थापित किया और धीरे-धीरे इस कारखाने के बने कालीन केवल भारत में ही नहीं बल्कि काबुल, बगदाद, गजनी, मिस्र, परशिया, फ्रांस और इंग्लैंड भी भेजे जाते थे। केवल पलंग के ही कालीन नहीं बल्कि पूरे कमरे के कालीन सूती और ऊनी बहुत उत्तम तैयार होते थे।

जाति के लिए आपका हार्दिक भाव इतना प्रशंसनीय था कि किसी भी जाति के व्यक्ति के पहुँच जाने पर आपको इतनी प्रसन्नता होती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जातीय कामों में आप सदा अग्रसर रहते थे। आपका जातीय प्रेम देखकर सर्वसम्मति से आप सन् 1900 ई. में प्रयाग में हुए सम्मेलन के सभापति चुने गए और योग्यतापूर्वक आपने उसका संचालन किया। आप श्री दुर्गा जी के अनन्य भक्त थे। विंध्याचल (मिर्जापुर के समीप) में देवी का दर्शन करने आप आठवें दिन जाया करते थे।

आपका देहान्त सन् 1912 ई. में हुआ। आप भी जीवन के अन्त तक जाति के परम हितैषी बने रहे।

#### पं. कन्हैया लाल जी (सन् 1840-1906 ई.)

पं. कन्हैया लाल जी का जन्म सन् 1840 ई. में हुआ। श्री कन्हैया लाल जी के पूर्वज रिवाड़ी के रहने वाले थे। महाराजा जयपुर का कृपापात्र होने के कारण यह परिवार जयपुर आ गया। आपकी शिक्षा

कुछ रिवाड़ी में और शेष जयपुर में हुई। आपने पूर्व प्रथा के अनुसार फारसी में अच्छी योग्यता प्राप्त की। लगभग 23 वर्ष की अवस्था में आप राज्य सर्विस में आ गए थे। उसके पूर्व प्रायः 14 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हो गया था। राज्य सर्विस में रह कर आप नाजिम तक पहुँचे। राज्य में आपका बहुत अच्छा मान था। बिरादरी के कितनों ही को राज्य में नौकरियाँ दिलवाई, कितनों ही को जागीरदारों के यहाँ नौकरी दिलवाई एवं कितनों ही को अपने यहाँ रखकर रोजी में लगवाया।

बिरादरी के कामों में हर एक के यहाँ आप शामिल होते थे। सभा और कांफ्रेंस से आपको बहुत प्रेम था। सिरौज के भाइयों को जाति में मिलाने में आपका पूर्ण सहयोग था। अलवर बोर्डिंग हाउस में धार्मिक शिक्षा के प्रचार का बहुत कुछ श्रेय आपको ही था। बिरादरी के साथ इतनी संवेदना, उपकार एवं हार्दिक प्रेम को देखते हुए सर्वसम्मति से आप सन् 1901 ई. में अलवर कांफ्रेंस के सभापति चुने गए। आगे चलकर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और सन् 1906 ई. में आपका स्वर्गवास हुआ।

### पं. रामसिंह जी (सन् 1850-1922 ई.)

पं. रामसिंह जी का जन्म सन् 1850 ई. में भोयड़ा कलाँ जिला गुड़गाँव में हुआ। आपके पिता पं. गोवर्द्धन दास जी थे। 14 वर्ष की आयु तक भोयड़ा कलाँ में रह कर फारसी की शिक्षा प्राप्त की। सन् 1865 ई. में अपने पिता के पास कानपुर आ गए और फारसी के अलावा अंग्रेजी व अरबी भाषा की शिक्षा प्राप्त की। सन् 1872 ई. में इलाहाबाद में लॉ कक्षा में प्रवेश लिया और सन् 1874 ई. में लॉ की शिक्षा समाप्त कर सन् 1875 ई. में कानपुर में वकालत शुरू की। उस समय के अनुसार आपने उर्दू, फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त करते हुए, घर पर, संस्कृत शिक्षा का भी काफी अभ्यास किया था। आपके पिता फौज की नौकरी छोड़कर कानपुर आ गए थे। मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप आप उत्तम श्रेणी के वकीलों में गिने जाने लगे। अतः हुक्काम आपकी बड़ी ही इज्जत करते थे। आपने ताजिरात हिन्द पर एक पुस्तक 'मजमुए उलन जायर' लिखी थी, जिससे उस समय तक की प्रत्येक धारा की हाईकोर्ट की नजीरें आ गई थीं।

आपके लिए यह मशहूर था कि आप झूठा मुकदमा नहीं लेते थे। अतएव जिस मुकदमे में आप होते थे उसको लोग सच्चा समझते थे।

आपको जातीय सेवा की लगन खूब थी। आपमें यह गुण प्रारम्भ से ही था। आप ही के परिश्रम व सद्प्रयत्नों का परिणाम था कि अलवर में भार्गव बोर्डिंग हाउस स्थापित किया गया। आपकी सम्पूर्ण सेवा में बिछड़े हुए सिरौज के भाइयों को मिलाना स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य है। आप सिरौज कमीशन में गए थे। यद्यपि बहुत से लोग उन्हें जाति में मिलाने के विरुद्ध थे तथापि आपके अटूट परिश्रम और लगन की सत्यता को ईश्वर ने पूरा किया और सिरौज भाई जाति में मिला लिए गए। दूसरा प्रशंसनीय कार्य आपका विधवा विवाह सम्बन्धी था। सन् 1913 ई. में आप अजमेर कांफ्रेंस के सभापति चुने गए व सन् 1895-98 ई. तक भार्गव कांफ्रेंस के मन्त्री रहे व सन् 1921-22 ई. से मृत्युपर्यन्त भार्गव सभा के प्रधान रहे।

सन् 1916 ई. में मोतियाबिन्द हो जाने से आपने वकालत का कार्य कम कर दिया था, केवल उन्हीं का काम करते थे कि जिनसे मुलाहिजे में कुछ नहीं कह सकते थे। आपने सन् 1871 ई. से प्रारम्भ करके सन् 1919 ई. तक 48 वर्ष वकालत करके छोड़ दी। जाति और समाज के सेवा कार्यों के लिए समाज सदा ही आपको याद करता रहेगा। अपने अन्तिम समय तक जातीय जीवन को निभाते हुए 73 वर्ष की आयु में 27 फरवरी सन् 1922 ई. को रात्रि के समय आप स्वर्ग को सिधारे।

### राय बहादुर पं. प्रयाग नारायण जी (सन् 1872-1916 ई.)

मुन्शी नवल किशोर जी के दत्तक पुत्र पं. प्रयाग नारायण जी का जन्म इलाहाबाद में सन् 1872 ई. में हुआ था। आपने कैनिंग कॉलेज, लखनऊ से बी.ए. किया।



राय बहादुर पं. प्रयाग नारायण जी

बी.ए. करने के बाद आप लखनऊ में प्रेस देखने लगे। प्रेस के अतिरिक्त आपने लखनऊ में 'आयरन वर्क्स', 'द एन. के. इम्पोरियम', 'द फायर आर्म्स डीपो' तथा 'द नवल किशोर आइस फैक्ट्री' को स्थापित किया।

आप ताल्लुकेदार एसोसिएशन के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, 'अपर इण्डिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स' के प्राथमिक सभापति, 'भार्गव कॉमर्शियल बैंक' (जबलपुर) तथा 'भारत नेशनल बैंक' (दिल्ली) के डायरेक्टर थे।

आप मुन्शी नवल किशोर जी की भाँति बड़े दानी थे। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रत्येक को 51000/- रु. का दान दिया। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को 31000/-रुपए दान दिये। आप लखनऊ मैडिकल कॉलेज के संस्थापकों में से थे। आपने अपनी माता की स्मृति में गोमती तट पर सरस्वती घाट बनवाया तथा वहीं मुन्शी नवल किशोर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। आपको 25 जून सन् 1909 ई. को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई, फिर यूनाइटेड प्रॉविन्स की लेजिस्लेटिव कौंसिल

के सदस्य चुने गए और मृत्युपर्यन्त 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल ऑफ इण्डिया' के सदस्य रहे।

अपने पिता की तरह आप भी जातीय कार्यों में रुचि लेते थे। ढोसी के मन्दिर के जीर्णोद्धार करवाने एवं भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा में वार्डन का बँगला बनवाने में सहयोग देने का श्रेय आपको ही था। सन् 1907 ई. के अलीगढ़ में हुए भार्गव सम्मेलन में आपको सभापति चुना गया। आपकी मृत्यु 44 वर्ष की अल्पायु में सन् 1916 ई. में हुई।

### राय दुर्गाप्रसाद जी (सन् 1848-1925 ई.)

राय दुर्गा प्रसाद जी का जन्म सन् 1848 ई. में राजा जयमल जी के खानदान में राय गोपाल सहाय जी, एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर के द्वितीय पुत्र के रूप में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा पिताजी के पास रह कर ही हुई। आप पढ़ ही रहे थे कि 30-11-70 को आपके पिताजी का देहान्त हो गया।

आप बहुत ही जल्द अध्ययन समाप्त करके पिताजी के परिचित अधिकारियों की सहायता से सन् 1871 ई. में महाराजा पटियाला के यहाँ ए.डी.सी. नियुक्त हुए। परन्तु आपने इस स्थान को छोड़ दिया क्योंकि आपको रियासती नौकरी पसन्द नहीं थी यद्यपि महाराजा पटियाला ने आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में, विशेषकर जो उन्होंने कलकत्ता में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में की थी, आपको सम्मानित किया था। तत्पश्चात् आप सहारनपुर चले आए और स्थानीय कलेक्टर ई.जी. जेनकिन्स ने आपको सरिश्तेदार फौजदारी के पद पर नियुक्त कर दिया और थोड़े ही समय में आपने वरिष्ठ लोगों के होते हुए पदोन्नति प्राप्त कर ली।

गोंडा के रईसों ने आपको सन् 1891 ई. में एक 'मानपत्र' दिया। सन् 1896 ई. के अकाल के समय में आपने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किए तथा सन् 1908-1909 ई. में प्लेग के इन्तजाम के उपलक्ष्य में विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इसी प्रकार आपको समय-समय पर बड़े-बड़े अधिकारियों से प्रशंसा पत्र मिलते रहे।

आपने अपने सेवा काल में निम्नलिखित पदों पर काम किया :— (1) महाराजा पटियाला के ए.डी.सी., (2) सरिश्तेदार फौजदारी, (3) रेवेन्यू सुपरिन्टेन्डेन्ट, (4) तहसीलदार, (5) मैनेजर कोर्ट ऑफ वाड्स, (6) असिस्टेन्ट कलेक्टर (अवध और रुहेलखंड रेलवे के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए) स्पेशल ड्यूटी, (7) डिप्टी कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, (9) ऑफिशिएटिंग कलेक्टर व मजिस्ट्रेट।

जयपुर दरबार ने आपकी सेवाओं को प्राप्त कर अपनी स्टेट कौंसिल में रेवेन्यू मैम्बर के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए भी आपने प्रशंसनीय कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आमदनी 40 प्रतिशत बढ़ गई। आप छह सौ रुपये मासिक पेन्शन पर डिप्टी कलेक्टर एण्ड मजिस्ट्रेट के पद से ता. 1-1-1907 ई. को रिटायर हुए। आपके जातीय प्रेम एवं सेवाओं के उपलक्ष्य में आप सन् 1908 ई. में हुए कानपुर सम्मेलन के सभापति चुने गए। आगे चलकर वृद्धावस्था के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 16 जनवरी सन् 1925 ई. को 77 वर्ष की आयु में सहारनपुर में आपका देहान्त हो गया। आप जाति के गण्यमान पुरुषों में से एक थे। गृहस्थाश्रम के फलस्वरूप आपके एक कन्या थी जिसका विवाह फैजाबाद निवासी पं. बैजनाथ जी रोजीनेदार जयपुर से हुआ।

### राय साहब पं. कुन्दन लाल जी (सन् 1864-1925 ई.)

राय साहब पंडित कुन्दनलाल जी का जन्म सन् 1864 ई. में हुआ। आपके पिता श्री हरि प्रसाद जी थे। पं. कुन्दनलाल जी का अध्ययन पाँच वर्ष की अवस्था में लखनऊ में प्रारम्भ हुआ और लखनऊ में ही समाप्त करते हुए आपने बी.ए. पास किया और सरकारी नौकरी में आ गए।

आपकी कार्यकुशलता एवं निष्ठा ने आपको गवर्नमेंट का विश्वासपात्र बना दिया था तथा इस बात का विश्वास हो गया था कि आप अंग्रेजों के स्थान पर काम करने के योग्य थे। अतः आप कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, यह वह समय था जब कि उँगलियों पर गिने हुए ही अत्यन्त विश्वासपात्र लोगों को यह स्थान दिया जाता था।

सन् 1904 ई. में आप फैजाबाद में थे। अयोध्या के संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी आपसे मासिक छात्रवृत्ति पाते थे। सन् 1914-15 ई. में आप प्रयाग में रहे। संस्कृत साहित्य से आपको विशेष प्रेम था। प्रत्येक पूर्णमासी को आपके यहाँ श्री सत्यनारायण जी की कथा होती थी।

कांफ्रेंस और सभा के प्रति प्रेम तथा जाति सेवा के उपलक्ष्य में आप सर्वसम्मति से सन् 1909 ई. में मथुरा कांफ्रेंस के सभापति चुने गए। आपकी मृत्यु सन् 1925 ई. में हुई।

### राय बहादुर लेफ. मनोहर लाल जी थापल (सन् 1869-1913 ई.)

आपका जन्म सन् 1869 ई. में एक जमींदार घराने में हुआ था। आपके पिता श्री शिव नारायण जी बैंकिंग काम भी करते थे। आप सन् 1904 ई. में Volunteer Forces of India के मैम्बर चुने गए। उस समय इसके आप ही केवल एक भारतीय मैम्बर थे। सन् 1909 ई. में आपको 2<sup>nd</sup> लैफ्टिनेंट की उपाधि प्रदान की गई व आपके मरणोपरान्त सन् 1913 ई. में आपको Major बनाया गया — 18 वर्ष की उम्र में आपका विवाह आगरा के सम्पन्न परिवार में हुआ, परन्तु आप निःसन्तान रहे। अतः आपने सन् 1901 ई. में रिवाड़ी निवासी श्री दामोदर लाल भार्गव को गोद लिया। सन् 1909 ई. में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने आपके कार्य से खुश होकर आपको राय बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। सन् 1910 ई. में दो बड़े कार्यों की अध्यक्षता की—एक तो आप उस वर्ष इलाहाबाद में हुई भार्गव कांफ्रेंस के सभापति व दूसरे हरिद्वार में हुए कुम्भ के मेले के प्रशासक थे। आपकी मृत्यु 44 वर्ष की आयु में अचानक बम्बई में हो गई।

### राय बहादुर पं. राधारमण जी (सन् 1868-1949 ई.)

रायबहादुर पंडित राधारमण जी का जन्म मथुरा नगर में भार्गव स्ट्रीट (दूसरा पाड़ा) में 22-6-1868 ई. में हुआ था। आपके पूज्य पिता पं. सीताराम जी थे। आपकी माताजी ने आपको केवल दो वर्ष का ही छोड़कर इस क्षणभंगुर संसार से विदा ले ली थी। उनके पश्चात् आपका पालन आपके पिताजी एवं दादी ने किया। उस समय की परिपाटी के अनुसार आपने प्रथम मकतब में फारसी की शिक्षा प्राप्त की, फिर आवश्यकतानुसार अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की। आगरा कॉलेज में आप अपनी कक्षाओं में सदा प्रथम उत्तीर्ण हुए एवं आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. प्रथम श्रेणी में सन् 1889 ई. में पास किया और हाई प्रोफिसिएन्सी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिर हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा दी और बड़ी योग्यता के साथ पास की।

23 वर्ष की अवस्था में 14-5-1891 ई. को भारत सरकार ने आपको डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त करके सर्वप्रथम झाँसी भेजा। सन् 1913 ई. में भारत सरकार ने आपको कलेक्टर के पद पर



नियुक्त किया। उस समय आप दूसरे भारतवासी थे जो कलेक्टर हुए थे। जिलाधीश होने के पूर्व सन् 1908 ई. से आपकी सर्विस सरकार ने जम्मू सरकार को दे दी थी जहाँ पर आप सन् 1910 ई. तक वजीर रहे।

आपने अपनी निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण कार्यशैली के कारण गवर्नमेंट और सर्वसाधारण के हृदयों में परम मान्य स्थान प्राप्त कर लिया था। अतः गवर्नमेंट ने आपको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानपूर्वक विभूषित किया।

सन् 1923 ई. में आपने गवर्नमेंट सर्विस से अवकाश प्राप्त कर मथुरा में आकर निवास किया। सन् 1926 ई. में पूज्य महामना श्री मदनमोहन मालवीय जी ने आपको नर्सिंहगढ़ (मालवा) के रीजेन्ट को सलाह देकर पोलिटिकल विभाग के द्वारा दीवान नियुक्त कराया। वहाँ से लौटकर आप मथुरा में रहने लगे। सन् 1925 ई. से 1932 ई. तक आप भार्गव सभा के मन्त्री रहे, इस समय में आपने जो कुछ भी किया वह स्वर्णाक्षरों से अंकित करने योग्य है। सभा के कोष को बढ़ाने में आपका प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय रहा। आपके हार्दिक प्रेम और मनोगत सुन्दर भावनाओं ने सभा के कार्यक्रम को इतना सुन्दर बना दिया था कि किसी भी कार्य के सम्पादन में रुकावट नहीं होती थी।

भार्गव सभा को आपने जितना भी अमूल्य समय दिया, जाति का उससे बहुत कुछ उपकार हुआ। आपकी इतनी सुन्दर और आदरणीय सेवाओं को देखते हुए सर्वसम्मति से आप सन् 1912 ई. और सन् 1924 ई. में आगरा (दोनों बार) में होने वाली भार्गव कांग्रेस के सभापति चुने गए।

अन्त समय तक आप अच्छी तरह से गंगा जल पीते रहे, इसके साथ ही गीता पारायण भी सुना करते थे। पूरी गीता को सुन कर अन्तिम श्लोक के अन्तिम स्मरण के साथ ही साथ राम-राम कहते हुए 14-2-1949 ई. को मध्य रात्रि के समय 81 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार से आपने अपनी आँखें सदा के लिए बन्द कर लीं।

#### 16 वर्ष तक भार्गव सभा के सभापति रहे

#### **भार्गव भूषण राय बहादुर पं. मिट्ठन लाल जी (सन् 1870-1956 ई.)**

पं. मिट्ठन लाल जी का जन्म 20 फरवरी सन् 1870 ई. को एक प्रभावशाली परिवार में हुआ था। आपके पिता पं. चतुर्भुज सहाय जी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आपकी शिक्षा ब्यावर, अजमेर एवं आगरा में हुई। आगरा में इन्होंने बी.ए. तथा एल.एल.बी. की परीक्षाएँ पास कीं तथा सन् 1892 ई. में अजमेर में वकालत प्रारम्भ की।

वकालत के साथ-साथ आपने लगभग 34 वर्षों तक जन सेवा की। अपने सामाजिक जीवन में उन्होंने आर्य समाज की महान सेवा की। तीस हजार रुपये की धनराशि सरकार से सहायता प्राप्त कर 'श्रीमद् दयानन्द अनाथालय भवन' तथा एक लाख रुपये एकत्रित कर 'दयानन्द कॉलेज भवन' का निर्माण कराया। आप लगभग 40 वर्ष तक आर्य समाज, डी.ए.वी. स्कूल तथा कॉलेज एवं श्रीमद् दयानन्द अनाथालय की प्रबन्धकारिणी सभा के अध्यक्ष रहे।

आपने अजमेर में म्यूजिक कॉलेज एवं संगीत स्कूल की स्थापना की तथा उसके संरक्षक रहे। पुष्कर में शामलात कमेटी के अपने अध्यक्ष काल में जनाना घाट बनवाया। पुष्कर गौ आदि पशुशाला के तथा गौशाला फैडरेशन के अध्यक्ष रहे। आर्य साहित्य मण्डल अजमेर की स्थापना की तथा उसके डायरेक्टर मण्डल के अध्यक्ष रहे। श्री कृष्ण गोपाल आयुर्वेद औषधालय के ट्रस्ट मण्डल के अध्यक्ष रहे तथा मुस्लिम मोइनिया सईदिया यतीमखाना तथा अन्जुमन अदब-ए-उर्दू के अध्यक्ष तथा संरक्षक रहे। श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि., दिल्ली के डायरेक्टर तथा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक की अजमेर शाखा के डायरेक्टर रहे थे। इस प्रकार आप 25 से ऊपर संस्थाओं के अध्यक्ष तथा लगभग इतनी ही संस्थाओं के सदस्य थे। एक विशेषता उनमें यह थी कि इतनी संस्थाओं में होने पर भी प्रत्येक सभा में टाइम पर जाते थे, कहीं भी देर से नहीं पहुँचते थे।

सन् 1907 ई. में आपने अपने भाई पं. बिहारी लाल जी तथा पं. पी.डी. भार्गव व अन्य सज्जनों के सहयोग से 'जनरल एश्योरेन्स सो. लि.' की स्थापना की। आप इसके समय-समय पर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर व अध्यक्ष के पद पर जीवनपर्यन्त रहे।

आपने भार्गव जाति की बहुमूल्य सेवा की। सभा की स्थापना से ही उसके कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। आपने सन् 1900 ई. से सन् 1914 ई. तक भार्गव पत्रिका का सम्पादन किया। आप समाज सुधार समिति के कई वर्ष मन्त्री रहे। भार्गव वर्ण व्यवस्था में नदियापुर, शांतिपुर इत्यादि के पंडितों से व्यवस्था प्राप्त करने में आप जो कुछ भी कर सके वह स्वर्णार्कित करने योग्य है। आपकी बहुमूल्य सेवाओं को देखते हुए सन् 1915 में जबलपुर में सम्मेलन के अवसर पर आपको सभापति चुना गया। आप भार्गव सभा के सन् 1930 ई. से सन् 1945 ई. तक प्रधान रहे। अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा आपको 'भार्गव भूषण' की उपाधि से विभूषित किया गया। सन् 1939 ई. में आपको आगरा में भार्गव सभा के स्वर्ण जयन्ती समारोह का सभापति मनोनीत किया गया।

आपने कई छात्रों की शिक्षा एवं अनेक असहायों के विवाह का भार वहन किया था। आपकी मृत्यु 23 फरवरी सन् 1956 ई. को हुई।

### दीवान बहादुर पं. दामोदर लाल जी (सन् 1857-1927 ई.)

दीवान बहादुर पं. दामोदर लाल जी का जन्म सन् 1857 ई. में हुआ। आपके पिता राय सालग राम जी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे जो लगभग 40 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहे तथा उन्होंने भार्गव सभा की स्थापना व उन्नति में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दी. ब. पं. दामोदर लाल जी ने 5 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारम्भ कर बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन समाप्त कर वे सरकारी नौकरी में आए और लगभग 33 वर्ष तक अर्थात् सन् 1886 ई. से सन् 1919 ई. तक सरकारी नौकरी में रहे। अपने सेवा काल में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर अजमेर, सन् 1902 ई. में भरतपुर स्टेट काउन्सिल में फाइनेन्स मैम्बर, सन् 1908 ई. में करौली स्टेट काउन्सिल के चीफ मिनिस्टर व सन् 1914 में अजमेर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन्स जज रहे। सन् 1919 ई. में

अवकाश प्राप्त करने के बाद आपको उदयपुर का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया और फिर उसके पश्चात् जोधपुर रीजेन्सी काउन्सिल के मैम्बर रहे। सरकार के प्रति विशिष्ट एवं प्रशंसनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में राय साहब, राय बहादुर एवं दीवान बहादुर की उपाधियों से अलंकृत होकर I.S.O. (Imperial Service Order) में नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सराहनीय सेवाओं के कारण 29 जुलाई सन् 1919 ई. के गजट ऑफ इन्डिया में आपके नाम की चर्चा की गई थी। आपकी जातीय सेवाओं के उपलक्ष्य में सन् 1916 ई. में लाहौर में हुए सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। आपकी मृत्यु सन् 1910 ई. में हुई।

### पं. अनन्त राम जी (सन् 1874-1934 ई.)

पवित्र भूमि राजापुर जिला बांदा में (जो गोस्वामी तुलसीदास जी की विख्यात जन्मभूमि है) पं. अनन्त राम जी का जन्म एक प्रतिष्ठित कुल में भाद्र कृष्ण 14 सम्वत् 1931 तदनुसार सन् 1874 को हुआ। आपके पिता श्री मुन्नीलाल जी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

सन् 1886 ई. में आपके पिता श्री मुन्नीलाल जी का स्वर्गवास हो गया और अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी आपने एन्ट्रेंस की परीक्षा पास की।

सन् 1892 ई. में आपका विवाह श्री रामशरण दास जी की ज्येष्ठ पुत्री से हुआ। आगरा में रहकर सेन्ट जोन्स कॉलेज से सन् 1895 ई. में बी.ए. की परीक्षा पास की। तत्पश्चात् सन् 1895 ई. में ही आपको प्रयाग म्युनिसिपैलिटी में एक अच्छा स्थान मिल गया।

सन् 1896 ई. में आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रान्सलेटर हो गए और इस कार्य को योग्यता के साथ किया। सन् 1899 ई. में आपने वकालत की परीक्षा पास की। सितम्बर सन् 1900 ई. में अलीगढ़ में आपने वकालत प्रारम्भ की और थोड़े ही दिनों में आपने दीवानी के वकीलों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया।

सिरौंज के भार्गव सज्जनों को जाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपने विशेष शोध और परिश्रम किया और सफल हुए। सन् 1917 ई. में बनारस और सन् 1926 ई. में अलवर कांग्रेस के आप सभापति रहे। सन् 1916 ई. में आप म्युनिसिपल कमिशनर चुने गए। कई वर्ष आपने धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ के सैक्रेट्री रहकर, बड़ी ही योग्यता से कॉलेज का संचालन किया। आप कई वर्ष तक बार एसोसिएशन अलीगढ़ के अध्यक्ष रहे। देश, जाति और समाज की सेवा करते हुए 15 जनवरी सन् 1934 ई. को अलीगढ़ में रहते हुए आपने स्वर्ग यात्रा की।

सात वर्ष तक सभा के अध्यक्ष रहे

### राय बहादुर पं. ज्योति प्रसाद जी (सन् 1852-1937 ई.)

पं. ज्योति प्रसाद जी का जन्म आपके पिता राय गोपाल सहाय जी के तीसरे पुत्र के रूप में सन् 1852 ई. में हुआ। आपके पिता पं. गोपाल सहाय जी एक्सट्रा असिस्टेंट कमिशनर करनाल की सन् 1870



रायबहादुर पं. ज्योति प्रसाद जी

ई. में मृत्यु के बाद आपका शेष अध्ययन काल आपके बड़े भाई राय भवानी सहाय जी के पास रहकर समाप्त हुआ। सन् 1872 ई. में वकालत की परीक्षा पास कर सहारनपुर में वकालत प्रारम्भ की, यद्यपि आपकी जायदाद व जमींदारी बावल व देहरादून में थी। वकालत में परिश्रम, सर्वसाधारण से सप्रेम व्यवहार, निष्पक्षता, निर्भीकता और ईमानदारी से काम करने के फलस्वरूप आप प्रतिष्ठित एवं गणमान्य वकीलों में गिने जाने लगे। वर्षों तक आप सिविल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। आप सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और अनेक धार्मिक संस्थानों के संचालक व विधान सभा के सदस्य रहे। आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य भी रहे। आपने सहारनपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई कं. स्थापित की।

आपकी जातीय सेवा भी अत्यन्त सराहनीय थी। आप दस वर्ष तक कांग्रेस के मंत्री रहे तथा सभा की स्थायी सम्पत्ति बढ़ाने तथा सोशल रिफॉर्म में बहुत ही उपयोगी सेवाएँ कीं, जिनके उपलक्ष्य में सन् 1918 ई. में देहली और सन् 1928 ई. में कानपुर में हुए सम्मेलनों के अध्यक्ष चुने गए।

आपकी विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको सन् 1923 ई. में राय बहादुर की सनद प्रदान की गई। आप सन् 1937 ई. में 85 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए।

\* \* \*

### 19 वर्ष तक सभा के मन्त्री रहे

#### **मु. जगन्नाथ प्रसाद जी (1860-1938 ई.)**

मु. जगन्नाथ प्रसाद जी का जन्म भाद्र शुक्ल सम्वत् 1917 तदनुसार सितम्बर सन् 1860 ई. चतुर्थी (गणेश चौथ) मथुरा में हुआ। यह तिथि आपके वंश में बड़े समारोहों के साथ इसलिए मनाई जाती थी कि आपके पितामह श्री गनेशी लाल जी का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। दो सौ वर्ष पूर्व गनेशी लाल जी के पितामह रिवाड़ी के समीप बीकानेर, एक छोटे से गाँव में रहते थे। आप बहुत ही उच्च कोटि के हकीम थे और इसी कारण सम्भव है, आपने छोटी जगह पर रहना पसन्द न किया हो अतः आप मथुरा चले आए और यहाँ आकर हिकमत करने लगे। आपके चार पुत्र हुए। इनमें से एक गोपाल सहाय जी प्रसिद्ध हकीम हुए। जगन्नाथ प्रसाद जी के पिता श्री बंशीधर जी ने वकालत में बहुत नाम पैदा किया। श्री जगन्नाथ जी की प्रारम्भिक शिक्षा मथुरा में ही हुई और आप राजकीय हाई स्कूल मथुरा से एन्ट्रेंस की परीक्षा पास करके इलाहाबाद गए और वहाँ से सन् 1885 ई. में वकालत की परीक्षा पास करके मथुरा में वकालत प्रारम्भ की।



मु. जगन्नाथ प्रसाद जी

सन् 1890 ई. में आपने आगरा जाकर वकालत शुरू की। जाति के प्रसिद्ध नेता एवं भार्गव सभा आगरा के आजीवन सैक्रेट्री मुन्शी गिरधर लाल जी वकील का सन् 1895 ई. में देहान्त होने पर आप भार्गव सभा के सैक्रेट्री नियुक्त हुए। इस पद पर आपने सन् 1914 ई. तक योग्यतापूर्वक कार्य किया। सन् 1913 ई. में आपने आगरा से वापिस आकर मथुरा में वकालत शुरू की। आपको देश-जाति और समाज सेवा का बहुत कुछ उत्साह था। सार्वजनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए आप सदैव तत्पर रहते थे। आपकी जाति सेवा भी आदरणीय दृष्टि से देखी जाती है अतः आप सन् 1931 ई. में प्रयाग में होने वाले सम्मेलन के सभापति चुने गए।

आपके छह पुत्र व चार कन्याएँ हुईं। इनमें से सबसे बड़े पुत्र श्री विशम्भर नाथ जी और एक विवाहिता कन्या का युवावस्था में ही निधन हो गया था।

अन्य पाँच पुत्र थे, श्री द्वारका नाथ जी एडवोकेट मथुरा, डॉ. श्रीनाथ जी मथुरा, श्री हरीनाथ जी मथुरा, श्री ओमकार नाथ जी और श्री विद्यानाथ जी बोम्बे। 15 नवम्बर सन् 1938 ई. को आपने स्वर्ग यात्रा की।

### पं. रामेश्वर प्रसाद जी (सन् 1851-1933 ई.)

पं. रामेश्वर प्रसाद जी का जन्म सन् 1851 ई. में इलाहाबाद में हुआ था। आपके पिता पं. जानकी प्रसाद जी थे। पं. रामेश्वर प्रसाद जी ने उस विशाल अट्टालिका, जो कि 'वंशीधर की कोठी' के नाम से आज भी प्रसिद्ध है, में रहकर शिक्षा प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए. की शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह छोटी अवस्था में ही हो गया था। परन्तु जिस समय वे 21 वर्ष के थे उनकी पत्नी का देहान्त हो गया था। लोगों ने दुबारा विवाह करने के लिए आग्रह किया परन्तु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा विवाह एक बार हो चुका तथा विवाहित जीवन मेरे भाग्य में नहीं था।

पेंशन मिलने के पश्चात् श्री रामेश्वर प्रसाद जी को डॉक्टर ऐनी बेसेन्ट ने, जिन्होंने सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज बनारस की स्थापना की थी, बनारस बुलाकर अपने होस्टल का अवैतनिक सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किया। 4 वर्ष तक वे वहाँ कार्य करने के पश्चात् अखिल भारतीय भार्गव सभा के मन्त्री पं. जगन्नाथ प्रसाद भार्गव, मथुरा वालों के आग्रह से भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा का प्रबन्ध करने लगे। विद्यार्थी समुदाय के सन्मुख धर्ममय जीवन का लक्ष्य उपस्थित करना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बोर्डिंग हाउस के विद्यार्थी गण उनका बहुत आदर करते थे। आगरा की जलवायु उनके अनुकूल न होने के कारण इलाहाबाद वापिस आ गए।

सन् 1919 ई. में आगरा में होने वाली भार्गव कांफ्रेंस के वे सभापति चुने गए थे और उन्होंने यह कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक निभाया। सन् 1933 ई. में कुछ वर्षों तक बीमार रहने के पश्चात् आपका स्वर्गवास हो गया।

### राय साहब पं. बिहारी लाल जी (सन् 1864-1941 ई.)

राय साहब पं. बिहारी लाल जी पंडित खुशवक्त राय जी रईस जो रिवाड़ी के हेमू शाह की 11वीं पीढ़ी में तीसरे पुत्र थे। आपका जन्म सन् 1864 ई. को रिवाड़ी नगर में हुआ।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल रिवाड़ी में हुई। आपने सन् 1881 ई. में मिडिल और सन् 1883 ई. में एन्ट्रेंस पास किया। तत्पश्चात् सेंट स्टीफंस कॉलेज देहली और गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर आदि में शिक्षा प्राप्त की। आपका शिक्षण काल बहुत ही ओजस्वितापूर्ण था।

पाँच महीने तक आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में कानून विभाग में शिक्षा प्राप्त की, तत्पश्चात् बन्दोबस्त की शिक्षा हिसार में पाई। सन् 1886 ई. में नायब तहसीलदारी की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए कमिश्नरी से आज्ञा पाकर, सन् 1890 ई. में नायब तहसीलदारी की ट्रेनिंग पूरी की। इतना होने पर भी आपके पिताजी ने अपने साथ व्यवसाय में ही लगाया। आपने इम्पीरियल बैंक और इन्दौर बैंक तथा गवर्नमेन्ट पोलिटिकल एजेन्सी आदि की खजानचीगिरी बड़ी योग्यतापूर्वक की।

आपका विचार एक शुगर मिल लगाने का हुआ। इस विचार की पूर्ति आपने खतौली में मित्रों के सहयोग से की। जिसमें उस समय सैकड़ों व्यक्ति काम करते थे। जाति को आदर्श बनाने में आपकी पूरी लगन थी। कितने ही समय तक आपने सोशल सबकमेटी के प्रेसीडेन्ट रहकर काम किया एवं शिक्षा समिति के वाइस प्रेसिडेन्ट रहकर योग्यतापूर्ण कार्य किया। आप सन् 1920 ई. में इलाहाबाद, सन् 1927 ई. में जयपुर और सन् 1934 ई. में मुलताई भार्गव सम्मेलन के सभापति थे। सभा की गोलडन जुबली के अवसर पर आपने पचास वर्षीय इतिहास लिखकर जो जाति सेवा की वह अमर रहेगी। रिवाड़ी में भार्गव सभा और भार्गव बोर्डिंग हाउस आप ही के परिश्रम से स्थापित हुए। रिवाड़ी शहर में जानवरों का अस्पताल और वाटर वर्क्स बनाने में आपने पूर्ण सहयोग किया और काफी चन्दा दिया। रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस का काम सैक्रेटरी रहते हुए आपके हाथ में रहा। बोर्डिंग हाउस की उन्नति आपके प्रशंसनीय कार्यों के साक्षी रूप में है।

आपकी आदर्श बुद्धि और योग्यता के फलस्वरूप सन् 1913 ई. में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और सन् 1935 ई. में वृद्धता के कारण आपने त्याग पत्र दे दिया। यूरोपीय लड़ाई में सरकार को सहायता देने इत्यादि के कार्यों को पूर्णतया करने में आप सन् 1913 ई. में राय साहब की उपाधि से विभूषित हुए। सन् 1928 में आपने अपनी बहन के नाम से एक कन्या पाठशाला (सावित्री कन्या पाठशाला के नाम से) खोली। तत्पश्चात् गवर्नमेन्ट को दस हजार रुपये देकर रिवाड़ी में एक गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कराई और स्कूल बन जाने तक कार्य चलाने के लिए अपने रहने का मकान खाली कर दिया, यह उदारता की पराकाष्ठा थी।

आपकी मृत्यु सम्राट बाबर की भाँति हुई। आपने अपने बीमार पुत्र पं. बनवारी लाल जी की जीवन रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उनकी जगह आप बीमार पड़ गए। आपकी मृत्यु 26 फरवरी, सन् 1941 ई. को दो बजे रात्रि में हुई।

### राय बहादुर पं. जवाहर लाल जी (सन् 1871-1934 ई.)

पं. जवाहर लाल जी का जन्म सन् 1871 ई. में हिसार में हुआ था। आपके पिता पं. कन्हैया लाल जी थे। आप अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। डॉ. गोपीचन्द जी, पं. ठाकुर दास जी आदि आपके भतीजे थे। आपने बी.ए., एल.एल.बी. तक शिक्षा पाई। फिर हिसार में वकालत करने लगे। आप एक ख्याति प्राप्त एडवोकेट थे। आपका विवाह पं. मदन लाल जी की पुत्री बसन्ती देवी से हुआ था। आप भार्गव सभा के कार्यों में सदैव रुचि लेते थे। इसी कारण सन् 1922 ई. में अजमेर में भार्गव सम्मेलन के सभापति चुने गए। आपकी मृत्यु दिसम्बर सन् 1934 ई. में हुई।

दस वर्ष तक सभा के सैक्रेट्री रहे

### पं. गोपाल प्रसाद जी (सन् 1893-1927 ई.)



पं. गोपाल प्रसाद जी का जन्म सन् 1893 ई. में हुआ। आप पं. गिरधर लाल जी, प्रथम व आजीवन मन्त्री के कनिष्ठ पुत्र थे।

आपकी शिक्षा आगरा में ही हुई। आप एक श्रेष्ठ कवि थे, व समाज सेवा के प्रति रुझान आपको विरासत में मिला था।

आप निरन्तर जाति सेवा में लगे रहे व सन् 1915-1924 ई. तक भार्गव सभा के सैक्रेट्री रहे।

आपका निधन सन् 1927 ई. में देहली में हुआ।

पं. गोपाल प्रसाद जी

### राय बहादुर पं. श्रीराम जी (सन् 1873-1938 ई.)

राय बहादुर पं. श्रीराम जी का जन्म सन् 1873 ई. में हुआ। आप रिवाड़ी के पंडित शम्भू नाथ जी के छोटे पुत्र थे।

आपने 6 वर्ष की अवस्था से विद्यारम्भ की। आपको कभी परीक्षा में निराश नहीं होना पड़ा। आप सदा योग्यता के साथ उत्तीर्ण होते रहे।



आपका विद्याध्ययन 20 वर्ष की अवस्था में समाप्त हुआ और उसी समय से राज्य सर्विस में आ गए। सबसे पहली सर्विस सन् 1893 ई. में आपको स्वर्गीय गंगासिंह जी (महाराज बीकानेर) के पढ़ाने (ट्यूटर) की प्राप्त हुई। इसको आपने उत्तम रीति से किया। सब ही लोग प्रसन्न रहे।

आपकी चतुरता और तत्परता को देख कर ब्रिटिश सरकार ने आपको सन् 1896 ई. में फॉरेन एण्ड पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट में नियुक्त किया। इस पद पर आपने अत्यन्त सफलता से काम किया।

आपकी कार्यकुशलता को देखकर कोटा दरबार ने आपकी सेवाएँ ब्रिटिश सरकार से लेकर सन् 1908 ई. में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोटा के पद पर तरक्की के साथ नियुक्त किया। इस पद पर आप लगातार सन् 1922 ई. तक कार्य करते रहे और इसी बीच में कोटा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन ग्यारह वर्ष तक रहे।

आप एक सच्चे जाति प्रेमी थे। अपने जीवन काल में कितने ही भार्गवों को सर्विस दिलवाई एवं व्यवसाय में लगाया। कई भार्गव छात्रों को वृत्ति देकर अध्ययन कराया।

यथासाध्य आप जाति की उन्नति के लिए सदा अग्रसर रहा करते थे। समुचित सेवाओं के होते हुए आप सन् 1929 ई. में मथुरा कांग्रेस के सभापति नियुक्त हुए। उस समय महिला कांग्रेस में कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ था जिसे आपने जैसी सुगमता के साथ निबटारा, वह आप ही का काम था।

आपकी नियुक्ति सन् 1923 ई. में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, कोटा के पद पर हुई। इस पर आपने 14-15 वर्ष तक कार्य किया। सन् 1930 ई. में प्रशंसनीय राज्यसेवा के उपलक्ष्य में जॉर्ज पंचम की वर्षगाँठ पर रायबहादुरी की उपाधि प्राप्त हुई। सन् 1938 ई. में कोटा में हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो आप जज, हाईकोर्ट नियुक्त हुए। कुछ ही दिन आप इस पद पर कार्य कर पाये थे कि 20 दिसम्बर सन् 1938 ई. को आपका स्वर्गवास हो गया।

### पं. मुकुट बिहारी लाल जी (सन् 1882-1944 ई.)

पं. मुकुट बिहारी लाल जी का जन्म सन् 1882 ई. में रिवाड़ी में हुआ। इनके पिता का नाम पं. सालिगराम जी था। इनकी बाल्यावस्था में ही इनके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। स्कूल की शिक्षा रिवाड़ी में प्राप्त करके इन्होंने जसवन्त कॉलेज, जोधपुर में प्रवेश किया। वहाँ से सन् 1904 ई. में इन्होंने बी.ए. पास किया। बी.ए. करने के कुछ ही समय बाद इनको अलवर काँसिल के दफ्तर में हैडक्लर्क की जगह मिली परन्तु शीघ्र ही अपनी योग्यता और कार्य कुशलता से वहाँ के सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर पहुँच गए।

सन् 1910 ई. में इनको नहान में एक अच्छी जगह मिल गई परन्तु दो वर्ष बाद राज्य के किसी अन्याय से असहमत होकर इन्होंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। सन् 1913 ई. में ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उर्दू दैनिक 'अवध अखबार', जो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित होता था, के सम्पादक नियुक्त हुए। सन् 1921 ई. में इन्होंने 'अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस' की स्थापना की। इनकी योग्यता और

अथक परिश्रम से इस कम्पनी ने कुछ ही वर्षों में भारत के प्रमुख प्रकाशनालयों में स्थान पा लिया।

पंडित जी जाति व देश के अनमोल रत्न थे। इन्होंने सन् 1923 ई. में मथुरा में हुए सम्मेलन के प्रथम दिन अध्यक्षता की। जाति की उन्नति के लिए इन्होंने 'भार्गव सेवक' नामक मासिक पत्र भी निकाला था। इसकी सम्पादिका इनकी पुत्री श्रीमती सुमित्रा देवी थी। अन्त समय तक जाति सेवा में इनकी रुचि कम नहीं हुई थी।

इनकी सेवाओं का कार्यक्षेत्र भार्गव जाति तक ही सीमित नहीं था। सन् 1919 ई. में वे यू.पी. इण्डस्ट्रियल कांफ्रेंस के सभापति चुने गए थे। हिन्दू संगठन और स्वदेशी प्रचार में इन्होंने बड़ा उपयोगी कार्य किया था। वे कई वर्षों तक अवध प्रान्तीय हिन्दू सभा और लखनऊ स्वदेशी लीग के सेक्रेटरी रहे।

इन्हें शिक्षा के प्रसार में भी बड़ी रुचि थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य की हैसियत से, इन्होंने ही सबसे पहले हिन्दुस्तानी को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव पास कराया था। वे अंग्रेजी के बड़े अच्छे लेखक थे और इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं।

पंडित जी का विश्वास काम में था, नाम में नहीं। वे निःस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करते थे। उनका स्वर्गवास सितम्बर सन् 1944 ई. में हुआ।

### राय साहब पं. मथुरा प्रसाद जी (सन् 1887-1940 ई.)

राय साहब पं. मथुरा प्रसाद जी का जन्म मथुरा में भाद्र शु. 13 सं. 1944 तदनुसार 31-8-1887 ई. को हुआ। इसी आधार पर (मथुरा में जन्म होने से) आपका नाम मथुरा प्रसाद रखा गया। आपके पूज्य पिता श्री बद्री प्रसाद जी एक अत्यन्त प्रतिष्ठित एवं गणमान्य पुरुषों में से थे।

राय साहब का शिक्षण पाँच वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ हुआ। आप अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि एवं चैतन्य थे। अपने अध्ययन काल में आपकी बीमारी के कारण आपको बहुत कुछ रुकना पड़ा। अलीगढ़ गवर्नमेन्ट स्कूल से इन्ट्रेंस पास करके सन् 1907 ई. में लखनऊ जुबली कॉलेज में भरती हुए। शिक्षा काल के अन्तर्गत ही आपका विवाह हो गया, तदन्तर पिताजी का देहान्त हो जाने पर आपने जमींदारी और व्यवसाय को बहुत कुछ बढ़ाया। आप बहुत ही मिलनसार और एक बहुत उदार हृदय के लोगों में से थे।

सन् 1914 ई. में आपकी राज्य सेवा के उपलक्ष्य में आप राय साहब की उपाधि से विभूषित हुए और सन् 1920 ई. से सन् 1935 ई. तक आप स्पेशल मजिस्ट्रेट रहे।

आपको सर्वगुण सम्पन्न देखते हुए सर्वसम्मति से आपका चुनाव सन् 1933 ई. के लाहौर कांफ्रेंस के सभापति के लिए हुआ। आपका कार्यक्रम इतना प्रशंसनीय रहा कि लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आप विधवाओं की सहायता, लड़कों और स्त्री शिक्षा, उपनयन संस्कार और संध्या इत्यादि के अत्यन्त प्रेमी थे।

आपका स्वास्थ्य कुछ समय से सामान्य रीति से गिरता चला गया और अन्त में आपने 53 वर्ष की असामयिक अवस्था में 14-8-1940 को स्वर्ग यात्रा कर दी।

### स्वर्गीय राय साहब पं. शंकर लाल जी

राय साहब पं. शंकर लाल जी का जन्म रिवाड़ी में सन् 1876 ई. को हुआ। आपके पिता बंसीधर जी स्थानीय प्रतिष्ठित पुरुषों में से थे। समयान्तर में आप रिवाड़ी से ब्यावर आ गए और यहीं रहने लगे।

राय साहब का अध्ययन पाँच वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ हुआ एवं आप सुचारु रूप से पढ़ने वालों में से थे। बी.ए. तक पहुँच कर आपने अध्ययन छोड़ दिया। प्राचीन नियमानुसार आपका विवाह छात्रावस्था के अन्तर्गत ही हो गया था। अध्ययन समाप्त करके आप डाकखाना सम्बन्धित सर्विस में आ गए। आपने अपने समय में कितने ही भार्गवों को रोजगार से लगाया। अपने कार्य में आप इतने कुशल थे कि अधिकारी वर्ग सदा आपसे प्रसन्न रहा और प्रशंसा ही की।

अपने कार्य सम्बन्धी उत्कृष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आपको सम्मानपूर्वक राय साहब की उपाधि से विभूषित किया। आपके हृदय में देश, जाति और समाज सेवा का अंकुर प्रारम्भ से ही था। आप सभा और कांग्रेस के सदा ही भक्त रहे। बिरादरी के लोगों से आपका व्यवहार अत्यन्त प्रशंसनीय था। आप सन् 1935 ई. में रिवाड़ी कांग्रेस के सभापति चुने गए। इसमें आपका कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय रहा।

### पं. भगवान दास जी (सन् 1885-1968 ई.)

राजापुरा जिला बांदा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और स्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान होने से ऐतिहासिक पवित्र स्थानों में गिना जाता है। यहीं पर सन् 1885 ई. में श्री भगवानदास जी का जन्म एक प्रतिष्ठित भार्गव कुल में हुआ।

आपने अपने बड़े भाई पं. अनन्त राम जी के साथ रह कर विद्याध्ययन किया। पं. अनन्त राम जी उन दिनों अपने पूज्य पिताजी की मृत्यु के पश्चात् अपने नाना पं. बंशीधर जी, चीफ कोर्ट, पंजाब के पेशकार थे। भगवानदास जी ने डी.ए.वी. कॉलेज, लाहौर से एफ.ए. पास किया तथा इलाहाबाद आकर एक वर्ष म्योर सेन्ट्रल कॉलेज में पढ़ाई की। तत्पश्चात् आपने भार्गव बोर्डिंग हाउस में रहकर सेन्ट जॉस कॉलेज से बी.ए. किया। तत्पश्चात् आप इलाहाबाद चले आए जहाँ आपकी नियुक्ति इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड में हो गई और उन्होंने पूरे परिवार को अपने पास ही बुला लिया। सन् 1904 ई. में आपका विवाह पं. जगन्नाथ प्रसाद जी वकील मथुरा की आयुष्मति कन्या से हुआ। सन् 1907 ई. में आप एल.एल.बी. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सन् 1908 ई. में आपकी सहधर्मिणी का स्वर्गवास हो गया। सन् 1908 ई. में ही अलीगढ़ में आपने वकालत प्रारंभ की। सन् 1920 ई. में आपका द्वितीय विवाह पण्डित श्याम लाल जी, अजमेर की आयुष्मति कन्या से हुआ।

सन् 1908 ई. से सन् 1913 ई. तक अभिभाषक का कार्य करने के उपरान्त आप शासकीय सेवा में आए तथा मोहमदाबाद गोहना जिला आजमगढ़ में मुन्सिफ पद का चार्ज लिया। विविध स्थानों पर मुंसिफ रहते हुए मार्च सन् 1925 ई. में आप मेरठ में सब जज नियुक्त हुए। वहाँ से सन् 1929 ई. में एक बहुत

बड़े मुकदमे का फैसला करने के लिए, जो टिकारी राज केस के नाम से प्रसिद्ध था और जिसकी मालियत तीन करोड़ रुपए थी, आप मथुरा भेजे गए। सन् 1932 ई. में आपका स्थानान्तरण मथुरा से गोरखपुर हुआ जहाँ आप पदोन्नत होकर एडिशनल सेशन जज बने। कई जिलों में रहते हुए मई सन् 1904 ई. में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज होकर इलाहाबाद आए और इसी पद से आपने अवकाश ग्रहण किया।

आपके हृदय में जाति, देश और समाज सेवा की भावना ने छात्रावस्था से ही स्थान पा लिया था और यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। अतः सन् 1936 ई. में आप भार्गव सम्मेलन लखनऊ व सन् 1956 ई. में भार्गव सम्मेलन जयपुर के सभापति निर्वाचित हुए।

भार्गव सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आपको भार्गव सभा के प्रधानमन्त्री का कार्य सौंप दिया, जिसके उत्तरदायित्व का निर्वाह आपने कुशलतापूर्वक किया। आपके समय में सभा की असाधारण उन्नति हुई। सन् 1941 ई. में आपने भार्गव सम्मेलन मेरठ के स्वागताध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। सन् 1943 ई. तक सभा के प्रधानमन्त्री रहकर आप मयूरभंज स्टेट उड़ीसा प्रांत में हाईकोर्ट जज के पद पर नियुक्त होकर गए और वहाँ आप वरिष्ठ जज के पद पर सन् 1946 ई. तक रहे। आपकी मृत्यु सन् 1968 ई. में हुई।

### न्यायमूर्ति पं. प्यारे लाल जी (सन् 1893-1952 ई.)

आपका जन्म चंदौसी जिला मुरादाबाद में सन् 1893 ई. में हुआ। आपके पिता पं. राम चन्द्र थे। आप 2 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई श्री मोहनलाल जी के साथ लखनऊ आए और आपकी पढ़ाई लखनऊ से शुरू हुई। उसके बाद अपने बड़े भाई पं. किशोरीलाल जी के संरक्षण में चार साल तक लाहौर में रहे, फिर सन् 1908 ई. में लखनऊ में आकर पढ़ाई जारी रखी और सन् 1915 ई. में बी.ए. पास किया। सन् 1915 ई. में आपने एल.एल.बी. की डिग्री इलाहाबाद से प्राप्त की और आपकी नियुक्ति जुडीशियल कमिश्नर्स कोर्ट में हुई और सन् 1923 ई. में आप मुंसिफ के पद को सुशोभित करने लगे, सन् 1933 ई. में आपकी पदोन्नति हुई और आप असिस्टेंट सेशन जज हुए तथा सन् 1939 ई. में जज हुए। सन् 1940 ई. में आप रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट लखनऊ हुए और सन् 1946 में आप डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज नियुक्त हुए। 1948 ई. में आप हाईकोर्ट के जज बनाए गए।

भार्गव जाति की सेवा आपने भार्गव क्लब लखनऊ के सदस्य के रूप में 1922 ई. में आरम्भ की। कुछ समय बाद आप इस क्लब के मन्त्री और बाद में उसके प्रधान हो गए। सन् 1918 ई. में जब 'भार्गव' लखनऊ से निकला तो आप उसके मैनेजर नियुक्त हुए, उसका आपने सराहनीय कार्य किया।

आपने स्थायी कोष के बढ़ाने में विशेष कार्य सफलतापूर्वक किया। आप भार्गव सभा में भिन्न-भिन्न पदों पर रहे। आप सन् 1940 ई. के प्रयाग में एवं सन् 1949 ई. के देहली में हुए सम्मेलनों के अध्यक्ष रहे तथा सन् 1946 ई. से सन् 1949 ई. तक सभा के प्रधान का पद सुशोभित किया। सन् 1952 ई. में सभा के अध्यक्ष निर्वाचित होकर जीवनपर्यन्त उस पद पर रहे।

आपकी दुखद मृत्यु 24-12-1952 को हुई। उस समय भी आप सभा के सभापति पद को सुशोभित कर रहे थे।

### 13 वर्ष तक सभा के मन्त्री रहे

#### **प्रोफेसर पं. सालगराम जी (सन् 1888-1953 ई.)**

आपके पिता पं. लच्छी राम जी अलवर निवासी थे, उनके तीन पुत्र थे। आपका जन्म 12-12-1888 को गुड़गाँव जिले के खोरी नामक स्थान में हुआ था और आपके पिता का देहावसान केवल आपकी 12 वर्ष की अवस्था में हो गया और आपकी शिक्षा सन् 1898 ई. से उचित रीति से प्रारम्भ हुई और सन् 1905 ई. में आपने अलवर हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और सन् 1909 ई.



**प्रो. सालगराम जी**

में आगरा कॉलेज से बी.एस.-सी. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आपका छठवाँ नम्बर था और आपको 20/- रु. मासिक की छात्रवृत्ति सरकार से मिली। सन् 1909 ई. में आप एक वर्ष तक डिमान्स्ट्रेटर के पद पर 100/- रु. मासिक पर काम करते रहे। सन् 1919 ई. में आपने म्योर सेन्ट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश कर सन् 1912 ई. में एम.एस.-सी. परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष जुलाई में उसी विद्यालय में भौतिक शास्त्र में डिमान्स्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किए गए।

सन् 1910 ई. में आप भौतिक विज्ञान के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए और संयुक्त प्रांत की प्रान्तीय एजुकेशनल सर्विस में भी रहे, फिर जब प्रयाग विश्वविद्यालय की पुनः व्यवस्था हुई तो आप सरकारी नौकरी छोड़कर फिजिक्स के रीडर पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ गए। सन् 1946 से 1949 ई. तक आप भौतिक विभाग के अध्यक्ष रहे और 1 मई को अवकाश ग्रहण किया।

भारगव जाति के कार्य प्रोफेसर साहब ने इतने किए हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती, कौन सा ऐसा कार्य सभा का होता था जिसमें प्रोफेसर साहब न हों। सादा वेश और महान् विचार आपकी विशेषता थी, सदा मुस्कराता चेहरा आपका ही था। हर प्रश्न को शांतिपूर्वक निपटाना, सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार रखना और कभी न घबराना प्रोफेसर साहब का ही कार्य था।

जाति का हित सदा ही उनके चिन्तन का विषय बना रहा, वे अपना निर्भीक मत सदा देते रहे।

लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने सभा के मन्त्री के रूप में कार्य किया। सन् 1950-51 ई. में आप भार्गव सभा के अध्यक्ष चुने गए और सन् 1953 ई. में भी जीवनपर्यन्त भार्गव सभा के अध्यक्ष रहे।

प्रोफेसर साहब का जीवन आदर्श था। यदि जाति के कुछ ही युवक आपका शतांश भी अनुकरण करेंगे तो धन्य हो जाएँगे।

प्रोफेसर साहब प्रयाग जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अगाध प्रेम था।

प्रोफेसर साहब ने सबसे प्रथम विज्ञान सरीखे जटिल विषय पर हिन्दी में पत्रिका निकालने का साहस किया और इसी उद्देश्य से विज्ञान परिषद् की स्थापना की। उस परिषद् के सभापति कई बार रहे और कई पुस्तकें विज्ञान के विषय में लिखीं।

आपकी मृत्यु सन् 1953 ई. में हुई।

आठ वर्ष तक सभा के प्रधान रहे

**मेजर जनरल जयदेव सिंह जी**

**(सन् 1895-1966 ई.)**

स्व. ब्रिगेडियर दीनदयाल जी के तृतीय पुत्र मेजर-जनरल जयदेव सिंह जी का जन्म सन् 1895 ई. में बीकानेर में हुआ था।

जनरल जयदेव सिंह जी का बाल्यकाल से ही सैनिक कार्यों की तरफ झुकाव रहा। सन् 1913 ई. में जब उनके पिताजी ने सैनिक परंपराओं को बनाए रखने की इच्छा प्रकट की तो जनरल जयदेव सिंह जी, जो कि उस समय केवल 18 वर्ष के थे और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तत्काल ही बीकानेर राज्य की सेना में सम्मिलित हो Direct Commissioned Officer के पद पर नियुक्त हो गए। आपका प्राथमिक सैनिक शिक्षण समाप्त ही हो पाया था कि आपको अक्टूबर सन् 1913 में शस्त्र शिक्षण के लिए मेरठ भेज दिया गया। आपकी इस ओर रुचि तथा योग्यता इतनी प्रखर हो उठी थी कि उस शिक्षण में आए हुए विद्यार्थियों में आपने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया।

सन् 1914 ई. में, जबकि विश्व महायुद्ध छिड़ गया, जयदेव सिंह जी अपनी सैनिक नियुक्ति के साथ-साथ कॉलेज में उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे थे, किन्तु सैनिक प्रवृत्तियों से उत्साहित हो, कॉलेज छोड़कर उन्होंने युद्धक्षेत्र के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया।

उस समय आप 'शार्दूल लाइट इन्फैन्ट्री' में थे, जिसका संचालन उनके पिता श्री दीनदयाल जी करते थे और जो अभी युद्ध में जाने के लिए नियुक्त नहीं हुई थी। जयदेव सिंह जी ने अपनी युद्ध में जाने की उत्कट इच्छा अपने पिता तथा अन्य कूटुम्बियों पर प्रकट की और अपनी बदली 'गंगा रिसाला' (बीकानेर राज्य की ऊँटों की सेना) में करा ली जिसके साथ वे अगस्त सन् 1914 ई. में विदेशों की जल-यात्रा पर चले गए।

बीकानेर की ऊँटों की सेना ने मिस्र, फिलिस्तीन तथा पश्चिमी मोर्चों पर बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। जयदेव सिंह जी को भी पहले कम्पनी कमांडर व बाद में एडज्यूटेंट के पद पर अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त हुए। युद्ध क्षेत्र में वीरता तथा असाधारण योग्यता के कारण उनका उल्लेख मिस्र तथा फिलिस्तीन में नियुक्त मुख्य ब्रिटिश सेनापति जनरल एडमण्ड एलन्नी के पत्रों (despatches) में कई बार हुआ तथा केवल 21 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने अन्य सेनानियों के साथ महायुद्ध के तीनों सम्मान पदक प्राप्त किए।

युद्ध की समाप्ति पर जयदेव सिंह जी सन् 1920 ई. में अपनी यूनिट (सेना) के साथ भारत लौट आए। यहाँ आकर उनको मेजर का पद देकर, 'सादुल लाइफ इन्फैन्ट्री' का 'सैकण्ड-इन-कमांड' (Second in Command) नियुक्त किया गया।

सन् 1925 ई. में जब बीकानेर सेना में नई ढंग की तोपों से सुसज्जित एक तोपखाने की यूनिट (unit) तैयार की गई तो उसके कमांड के लिये जयदेव सिंह जी को चुना गया। अंग्रेजों के समय में इस पद के लिए भारतीयों को अवसर नहीं दिया जाता था।

सन् 1927 ई. में जयदेव सिंह जी उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत स्थित काबुल के आर्टिलरी स्कूल में भेजे गए और वहाँ से लौटने पर यूनिट के प्रथम ऑफीसर कमांडिंग बनाये गए।

सन् 1928 ई. में आप लेफ्टिनेन्ट कर्नल, सन् 1937 ई. में ब्रिगेडियर तथा बीकानेर सेना के 'चीफ ऑफ स्टाफ' (Chief of Staff) बनाए गए।

भारत के दो वायसराय लॉर्ड लिन्लिथगो तथा लॉर्ड वैवल के (Honorary A.D.C.) होने का भी आपको सम्मान मिला।

सन् 1942 ई. में योग्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको C.I.E. (Companionship of the Most Eminent Order of Indian Empire) की उपाधि से विभूषित किया गया।

सन् 1944 ई. में जयदेव सिंह जी पूर्वी रणस्थल इम्फाल, कोहिमा आदि गए जहाँ बीका-सेना का उन्होंने निरीक्षण किया।

सन् 1945 ई. में द्वितीय महायुद्ध (1939-1945) के समाप्त होने पर राजेन्द्र शिरोमणि महाराज बीकानेर ने आपको 'ताजीम' देकर उच्च सम्मान प्रदान किया तथा स्वर्ण कड़ा और अन्य मैडल, बैज आदि पदक प्रशंसनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिए।

सन् 1949 ई. में जब राजपूताने की सब रियासतों का सम्मिश्रण (Integration) हुआ, जयदेव सिंह जी अफसर होने के नाते राजधानी फौजों के प्रथम सेनानायक नियुक्त हुए।

सन् 1950 ई. में मेजर जनरल जयदेव सिंह जी बहादुर C.I.E., O.B.I. ने 37 वर्ष की सेवाओं के पश्चात् Voluntary retirement ग्रहण कर लिया तथा उनके लिए 810/- रुपए मासिक की पेन्शन दी गई।

सन् 1951 ई. में राज्य सेनाओं के अफसरों को चुनने के लिए मेरठ व बंगलौर में बनाए गए Selection Board में आपको नामजद किया गया।



श्रीमान् His Highness महाराज जयपुर राज प्रमुख ने आपको A.D.C. General बनाया तथा Bikaner Camel कोर का Honorary Colonel नियुक्त कर सम्मान प्रदान किया।

बीकानेर की सेना के वही एकमात्र गैर राजपूत प्रमुख अफसर थे। 500 सेनानियों के ऊपर कप्तान बनने, किसी भी राज्य के प्रथम भारतीय अफसर होने के अतिरिक्त बड़े ही लोकप्रिय तथा परामर्श के लिए सदा ही महत्त्वपूर्ण माने जाते रहे। उनका सादा जीवन नेताओं, कुटुम्बियों एवं जाति बन्धुओं के लिए एक उज्ज्वल उदाहरण है।

मेजर जनरल जयदेव सिंह जी भार्गव सभा के स्थायी सदस्य थे। इसके अतिरिक्त अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् आप भार्गव सभा की कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए तथा सन् 1954 ई. से सन् 1958 ई. तक व सन् 1962 से 1964 ई. तक सभा के प्रधान रहे एवं सन् 1954 ई. में सम्मेलन की अध्यक्षता भी की।

9 वर्ष तक सभा के सैक्रेट्री एवं 3 वर्ष तक प्रधान रहे

**न्यायमूर्ति पं. विष्णुदत्त जी (सन् 1901-1964 ई.)**

प. विष्णुदत्त जी का जन्म 30 अप्रैल सन् 1901 ई. को प्रयाग के एक विशिष्ट परिवार में हुआ था। आपके पिता पं. भगवान दास जी प्रयाग के प्रतिष्ठित वकील तथा केन्द्रीय भार्गव सभा के सक्रिय सदस्य थे।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा सी.ए.वी. स्कूल, प्रयाग में हुई। म्योर कॉलेज से आपने इन्टर की परीक्षा पास की। आपका विवाह मुलताई निवासी पं. केदार नाथ जी की पुत्री श्रीमती मथुरा देवी से हुआ। सन् 1922 ई. में आपके पिताजी की मृत्यु हो गयी, अतः आपको गृहस्थी सम्हालनी पड़ी। सन् 1925 में बी. ए. तथा सन् 1927 में एल.एल.बी. की परीक्षा पास की।

सन् 1927 ई. में आपने वकालत प्रारम्भ की तथा 30 मार्च सन् 1955 ई. तक हाईकोर्ट में वकालत करते रहे। 31 मार्च सन् 1955 ई. में आप हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए तथा 29 अप्रैल सन् 1961 को इस पद से रिटायर हुए।

आप भार्गव सभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सन् 1921 ई. से बराबर सभा के कार्यों में रुचि लेते रहे। सन् 1933 ई. में आप भार्गव सभा की शिक्षा उपसमिति के मंत्री एवं भार्गव सभा के उपमन्त्री चुने गए। सन् 1949 ई. तक आपने इन पदों पर कार्य किया। सन् 1950 में आप भार्गव सभा के प्रधानमन्त्री चुने गए और सन् 1958 तक इस पद पर रहे। सन् 1959 ई. में मथुरा सम्मेलन के सभापति चुने गए। सन् 1959 ई. में भार्गव सभा के प्रधान चुने गए और मृत्युपर्यन्त प्रधान रहे। आपने जाति की जो सेवा की, वह अनुकरणीय है।

आप प्रयाग की अनेक संस्थाओं जैसे आर्य समाज, गूँगे-बहरोँ का स्कूल, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज, सी.ए.वी., डी.ए.वी., आर्य कन्या इन्टर कॉलेज आदि की जान थे व 'मानस प्रचारिणी समिति' के प्रधान थे।

आपको छोटे-बड़ों का ख्याल न था। सबसे प्रेम से मिलते थे। जो बच्चे उनके सम्पर्क में आए वे उनके विनोद को कभी नहीं भूल सकते।

आपकी मृत्यु 12 अगस्त सन् 1961 को हुई।

### गीता वाचस्पति स्व. पं. दीना नाथ जी 'दिनेश'

पं. दीना नाथ जी का जन्म सन् 1910 ई. में विजय दशमी के दिन दिल्ली के एक सामान्य परिवार में पिता पं. शम्भू दयाल जी के यहाँ हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने उज्जैन, ग्वालियर में तथा उच्च शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की। 18 वर्ष की आयु में सौ. कलावती जी से आपका विवाह अलवर में हुआ। आपके दो पुत्र और पाँच पुत्रियाँ हैं।



पं. दीना नाथ जी 'दिनेश'

अपने विद्यार्थी जीवन से ही दिनेश जी का झुकाव लेखन और काव्य रचना में तथा साधु-सन्तों की खोजबीन में रहा। ग्वालियर में अध्यापन करते हुए वे मुरैना में स्थित अपने आध्यात्मिक गुरु बाबा लोचन दास जी से मिलने प्रति रविवार साइकिल पर आया-जाया करते थे।

सन् 1931 ई. में दीना नाथ जी कांग्रेस प्रेस के प्रबन्धक रहे। सन् 1933 ई. में आपने आपका जगत प्रसिद्ध गीता पद्यानुवाद 'श्री हरिगीता' किया तथा इसके साथ ही अपना प्रेस 'जमुना प्रिंटिंग प्रेस' दिल्ली में खोला। सन् 1941 ई. में 'मानव धर्म' मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया व 'मानव धर्म कार्यालय' की स्थापना की।

सन् 1950 ई. में दिल्ली में हुए भार्गव सम्मेलन में आपने सक्रिय सहयोग दिया। स्थानीय भार्गव सभा दिल्ली तथा भार्गव सभा एवं उपसमितियों के विभिन्न पदों पर रहकर दिनेश जी ने निःस्वार्थ भाव से जाति सेवा की। भार्गव पत्रिका के कई वर्षों तक वे प्रधान सम्पादक भी रहे। कवि समाज, सनातन धर्म युवक मण्डल, गीता प्रचारक मंडल, गीता रामायण सभा आदि संस्थाओं की स्थापना देश भर में आपके प्रयासों से ही हुई।

दिनेश जी ने गीता ज्ञान भाषा, उपनिषद् ज्ञान, गीता के निप्तस्वर, शक्ति साधना, योगेश्वर श्रीकृष्ण, कृष्णायन, श्री हरिगीता आदि लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं। वेद आदि महामन्त्रों से लेकर स्मृति पुराणों तक बहुत से छन्दों का सरल पद्यानुवाद किया है। आपकी विख्यात रचना 'श्री हरि गीता' के 14 संस्करण

निकल चुके हैं। दिनेश जी के प्रभावोत्पादक प्रवचनों के रिकार्ड 'हिज मास्टर्स वायस' ने तैयार किए हैं।

उनकी योग्यता, ख्याति एवं सेवाओं के उपलक्ष्य में कानपुर में सन् 1958 ई. में हुए भारगव सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए व सम्मेलन का बड़ी योग्यता से संचालन किया।

दिनेश जी कई वर्षों तक दिल्ली भारगव सभा के प्रधान रहे तथा समाज सुधार व शिक्षा उपसमिति के प्रधान तथा मन्त्री रहे।

भारगव जाति में ऐसे धार्मिक, निष्ठावान, विवेकी एवं गीता मर्मज्ञ संत शिरोमणि पुरुष होना गौरव की बात है। आपका निधन 19 अप्रैल 1974 को हुआ।

### पं. अयोध्या प्रसाद जी (सन् 1885-1970 ई.)

पं. अयोध्या प्रसाद जी का जन्म प्रसिद्ध सम्राट हेमू के कुल में सन् 1885 ई. में हुआ था। आपके पिता पं. द्वारिका प्रसाद जी थे।

आपकी शिक्षा मिडिल तक हुई थी। आपका प्रथम विवाह गुड़गाँव में हुआ था, दूसरा विवाह मथुरा निवासी पं. ठाकुर प्रसाद जी की पुत्री श्रीमती सुमित्रा देवी से हुआ।

आपने अपना अध्यावसाय अपने बल पर पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त एक ट्रेडिल वाली मशीन से 'स्टार प्रेस' खोल कर किया। इसके अतिरिक्त 'द कलकत्ता फोटोटाइप कम्पनी लि.', 'जेम्स ग्लेन्डाई कं.', 'डब्ल्यू न्यूमैन एण्ड कं. लि.', 'मेटक्लेफ प्रॉपर्टीस प्रा. लि.', 'अपर इण्डिया इनवेस्टमेन्ट कोर्पोरेशन लि.' के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तथा 'जे.के. बिजनेस मशीन्स लि.' के डायरेक्टर थे। आप भारगव सभा के उपप्रधान व सन् 1959 ई. में अजमेर सम्मेलन के सभापति थे।

आपकी मृत्यु 7 अक्टूबर सन् 1970 ई. को कलकत्ता में सायं साढ़े छह बजे हुई।

आपके दो पुत्र हुए। प्रथम पत्नी से पण्डित कैलाश नाथ जी एवं द्वितीय पत्नी से पण्डित पृथ्वी नाथ जी।

### पं. हरी कृष्ण जी (सन् 1898-1970 ई.)

पं. हरिकृष्ण जी का जन्म जनवरी सन् 1898 में हुआ था। आपके पिताजी पं. मक्खन लाल जी थे। 9 वर्ष की आयु में पिता की छत्रछाया से आप वंचित हो गए।

आपने दिल्ली से सन् 1917 ई. में बी.ए. तथा सन् 1919 ई. में एल.एल.बी. पास किया तथा सन् 1921 ई. से वहाँ वकालत करने लगे। सन् 1939 ई. के पश्चात् आपकी गणना दिल्ली के उच्च कोटि के वकीलों में की जाने लगी।

पढ़ाई के अतिरिक्त आपकी रुचि साहित्य की ओर भी रही है। आपने एक पुस्तक 'दी ट्रेजर ट्रोव' अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में लिखी। यह पुस्तक सबको मुफ्त बाँटी गयी। इसकी प्रशंसा बड़े-बड़े वकीलों तथा न्यायाधीशों ने की।

सन् 1951 ई. में आप 'दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी' के सीनियर म्युनिसिपल कौंसिलर चुने गए। आप 'दिल्ली बार एसोसिएशन', बेन्च एण्ड बार क्लब', 'भार्गव लोकल सभा, दिल्ली', 'समाज सुधार उपसमिति' (भार्गव सभा) के कई वर्ष तक मन्त्री रहे। सन् 1961 ई. में आगरा सम्मेलन के सभापति चुने गए।

आप प्रमुख जाति सेवकों में से थे तथा जाति की विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पद पर सुशोभित थे। 28 नवम्बर, 1970 ई. को आपकी मृत्यु हो गयी।

### 10 वर्ष तक सभा के सैक्रेट्री रहे

#### **स्व. पं. भगवत प्रसाद जी**

आगरा के एक सम्भ्रान्त परिवार में 26 मई सन् 1901 ई. को एक बालक का जन्म हुआ जिसके आगमन से परिजनों में एक हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। पिता पं. शिवदत्त जी ने हर्ष विभोर हो इस उपलब्धि को भगवत कृपा का प्रसाद मानकर बालक का नाम भगवत प्रसाद रखा। जन्मजात सौजन्य एवं कुशाग्र बुद्धि वाले इस बालक की शिक्षा-दीक्षा आगरा में ही 'मुफीद ग्राम हाईस्कूल' एवं तदुपरान्त आगरा कॉलेज में हुई तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान की स्नातक परीक्षा में सफल होकर 'भगवतजी' हाईकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर के ऑयल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए चुने गए। सन् 1920 ई. में अजमेर के पं. ओंकार प्रसाद जी की शुभ लक्षणा कन्या सुशीला देवी से आपका परिणय हुआ और सन् 1924 ई. में कानपुर से आपने 'ऑयल टेक्नोलॉजी' का डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया।

दृढ़ निश्चयी भगवत जी को बिहार की एक बड़ी तेल मिल में कैमिस्ट के पद की नियुक्ति का पत्र मिला तभी सहसा आपका स्वास्थ्य गिरता सा जान पड़ा और डॉक्टरों ने आपको क्षय रोग का रोगी घोषित कर दिया। उन दिनों यह रोग प्रायः असाध्य माना जाता था। समस्त परिजनों एवं माता-पिता की परेशानी का कोई अन्त ही न था। एक दिन आपने व्यथित होकर अपने पूज्य पिताजी से कह दिया कि यदि मुझे नौकरी से वंचित रखा गया तो अवश्य ही तपेदिक का शिकार हो जाऊँगा, अतः तीन माह पश्चात् ही आपने कलकत्ता की ऑयल मिल की नौकरी स्वीकार कर ली और अन्ततः वहाँ चले भी गए। होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक इलाज चलते रहे किन्तु स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अन्त में कलकत्ता के ट्रॉपिकल ऑफ मेडिसन संस्था में स्वास्थ्य परीक्षा के हेतु प्रविष्ट हुए और स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् निर्णय यह मिला कि उदर में तेजाब की कमी है। भोजन के पश्चात् हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूँदों को पीने से ही वर्षों की खाँसी चली गई। क्षय रोग से निदान पाते ही आपने भारत सरकार के अधीन सन् 1935 ई. में तिलहन के मार्केटिंग ऑफीसर का पद स्वीकार कर लिया और फिर धीरे-धीरे उन्नति कर डायरेक्टर जनरल फूड के पद पर पहुँच गए, जहाँ से आप सन् 1958 ई. में सेवानिवृत्त हुए। बीच में सन्

1947 ई. में भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आप चीफ डायरेक्टर ऑफ परचेज के पद पर नियुक्त हुए और इस उत्तरदायित्व को आपने प्रशंसात्मक रूप से सम्भाला।

श्री भगवत प्रसाद जी को समाज एवं जाति सेवा की भावना वंशानुगत प्राप्त हुई। आपके पिता स्व. पं. शिवदत्त जी भार्गव सभा के केन्द्रीय शिक्षा समिति के सदस्य एवं भार्गव सभा तथा भार्गव छात्रावास आगरा के वरिष्ठ प्रबन्धकों में से थे और भार्गव सभा आगरा की गतिविधियों के वे वर्षों तक संचालक रहे। उन्हीं के प्रयासों का फल था कि राय साहब बिहारीलाल जी, श्री सुन्दर लाल जी, श्री श्रीकृष्ण देव जी आदि ने मिलकर खतौली शुगर मिल की स्थापना की जिसके द्वारा भार्गव युवकों को नौकरी व ट्रेनिंग के अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार 15-16 वर्ष की आयु से ही श्री भगवत प्रसाद जी की भार्गव सभा के कार्यों में रुचि रही और सन् 1919 ई. में जब आगरा में भार्गव सम्मेलन हुआ तब आपने स्वयं सेवक बनकर जाति सेवा को अपनाया। 20 वर्ष पश्चात् सन् 1939 ई. में देहली में हुए सम्मेलन में आप स्वागत समिति में रहे और तत्पश्चात् समाज सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में कई वर्षों तक जाति की सेवा में रत रहे। शासकीय सेवा से निवृत्त होते ही आपने अपना समस्त समय समाज सेवा को दे दिया तथा भार्गव सभा के प्रधानमंत्री के रूप में सन् 1959 से 1969 ई. तक निर्बाध्य रूप से वे जाति की सेवा के कार्य में रहे। निष्ठापूर्ण जातीय सेवाओं की प्रशंसा करते हुए आपको सन् 1964 ई. में जयपुर सम्मेलन का एवं सन् 1970 ई. में इलाहाबाद सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया।

श्री भगवत प्रसाद जी का जीवन एक ऐसा जीवन रहा जिसका अनुसरण हमारी युवा पीढ़ी को करना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व श्री भगवत प्रसाद जी का निधन आगरा में हो गया। अंतिम समय में उनके भ्राता महावीर प्रसाद जी एवं उनके पुत्र-पुत्रियाँ उनके समीप थे। उनकी सादगी, सरलता, सौम्यता एवं मधुर व्यवहार तथा समाज सेवा की मौन निष्ठा सब प्रकार से अनुकरणीय है।

आठ वर्ष तक सभा के प्रधान रहे

**स्वं न्यायमूर्ति पं. वशिष्ठ जी**

पं. वशिष्ठ जी का जन्म 5 फरवरी सन् 1906 ई. को हुआ था। आपके पिता पं. छोटे लाल जी भार्गव थे।

आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन् 1927 में प्रथम श्रेणी में बी.एस.सी. पास किया। सन् 1929 ई. में भौतिक शास्त्र में एम.एस-सी. किया। आप सन् 1930 ई. में आई.सी.ए. में नियुक्त हुए। आपका विवाह वाराणसी निवासी पं. काशी प्रसाद जी की पुत्री से हुआ।

आप सन् 1930 ई. में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए एवं 5 वर्ष तक इस पद पर रहे। सन् 1935-37 ई. तक सेशन जज रहे और सन् 1937-47 तक डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज रहे। सन् 1947 ई. में उ.प्र. में एडिशनल कमिशनर रहे। सन् 1948-49 ई. में उ.प्र. सचिवालय के कानूनी सलाहकार नियुक्त हुए। सन् 1949 ई. में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। 25 फरवरी सन् 1966 ई. को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त हुए। फिर 8 अगस्त सन् 1966 ई. को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायाधीश नियुक्त हुए।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त आप प्रमुख जाति सेवकों में से एक हैं। इसी कारण सन् 1966 ई. में लखनऊ सम्मेलन का आपको सभापति चुना गया। आप सन् 1965 ई. से सन् 1872 ई. तक भार्गव सभा के अध्यक्ष रहे एवं जाति की उन्नति का मार्गदर्शन किया।

\* \* \*

### 19 वर्ष तक सभा के प्रधानमंत्री रहे

#### **‘भार्गव भूषण’ पं. कैलाशनाथ जी**

पं. कैलाश नाथ जी का जन्म अलवर के पं. श्यामलाल जी के घर में 1 जून 1910 ई. को हुआ। सन् 1928 ई. में विज्ञान में स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। रुड़की विश्वविद्यालय से सन् 1932 ई. में इंजीनियरिंग में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपका विवाह रिवाड़ी के पं. माधो प्रसाद जी की सुपुत्री सुशीला जी से हुआ।



**‘भार्गव भूषण’ पं. कैलाश नाथ जी**

आपने अलवर रियासत में असि. इंजीनियर के पद से राजकीय सेवा में प्रवेश किया और राजस्थान सरकार के चीफ इंजीनियर के पद से सन् 1967 ई. में सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान की पेयजल योजना के निर्माण व विस्तार के लिए आपकी सेवायें सदैव याद रहेंगी। आपने भारत के प्रतिनिधि के रूप में बैंकॉक के इंजीनियरिंग राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जयपुर व अलवर के चेयरमैन एवं केन्द्रीय जन स्वास्थ्य अनुसंधान समिति के सदस्य के रूप में आपने लोकाहितकारी योजनाओं को सफल बनाया।

राजकीय सेवा से अवकाश के पश्चात् आपने अपना समय समाज सेवा में लगाया और सन् 1970 से 1988 ई. तक आप भार्गव सभा के प्रधानमंत्री रहे। यह एक रिकॉर्ड है किसी भी संस्था के शीर्ष स्थान को गौरवशाली तरीके से सुशोभित करने का। उनकी यह सेवा निष्पृहता, शांति व सौम्यता के साथ रही। उनके इस काल में भार्गव सभा ने चतुर्मुखी प्रगति की। सन्

1988 ई. के शताब्दी समारोह के अवसर पर आगरा सम्मेलन में उनको ‘भार्गव भूषण’ की उपाधि से विभूषित कर भार्गव सभा ने अपने आपको गौरवान्वित किया। आपके द्वारा राजकीय सेवा में नियुक्त किए

हुए कई व्यक्ति आज उच्चाधिकारी हैं। कितने ही परिवार कृतज्ञ हैं पं. कैलाशनाथ जी के, जिनका जीवन स्तर सुधारने में आपका सहयोग रहा है।

ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सदगुणों की जीवंत मूर्ति का दूसरा नाम है कैलाश नाथ। आप कई सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के सदस्य हैं। वर्तमान में आप के. एन. भार्गव एण्ड कं., जो आयकर विभाग द्वारा सम्पत्ति के मान्यताप्राप्त वैल्युअर है, के मालिक हैं।

### पं. गौरी शंकर जी

पं. गौरी शंकर जी का जन्म सन् 1898 ई. में कुरुक्षेत्र में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा फरुक नगर (जिला गुड़गाँव) तथा भार्गव बोर्डिंग हाउस अलवर में रहकर पाई। बी.ए. तक की शिक्षा आगरा भार्गव बोर्डिंग हाउस में रहकर पाई। एम.ए., एल.एल.बी. की शिक्षा प्रयाग में प्राप्त की। सन् 1921 ई. में कानपुर के प्रसिद्ध अभिभाषक पं. गिरधर लाल जी भार्गव वकील के जूनियर रहकर वकालत का कार्य आरम्भ किया। सन् 1924 ई. में अलवर रियासत में 18 मास तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रहे। बाद में कानपुर वापिस आकर फौजदारी की वकालत प्रारम्भ की और बड़ी ख्याति प्राप्त की। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में विशेष रुचि रही। 20 वर्ष तक सनातन धर्म महामण्डल के मन्त्री रहे, वर्षों तक भार्गव सभा के उपप्रधान व शिक्षा उपसमिति के प्रधान व कार्यकारिणी के सदस्य रहे। बनारस में हुए 53वें भार्गव सम्मेलन के सभापति चुने गए।

कानपुर स्थानीय सभा के आप कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे तथा सभा की रजिस्ट्री कराके उसके अन्तर्गत पाँच हजार रु.का सुरक्षित कोष एवं भार्गव कन्या विवाह सहायता कोष आपके ही प्रयासों का फल है। आपकी जातीय सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा टैक्निकल शिक्षा निधि के लिए धन एकत्रित कर टैक्निकल शिक्षा हेतु सहायता प्रदान कराना रहा है।

### न्यायमूर्ति पं. शंकर प्रसाद जी

श्री शंकर प्रसाद जी का जन्म सन् 1911 ई. में उज्जैन में पं. राम प्रसाद जी भार्गव वकील के यहाँ हुआ। आपके पिता स्व. पं. रामप्रसाद जी, चाचा स्व. बैरिस्टर पं. पन्नालाल जी सिवनी एवं बैरिस्टर स्व. पं. अयोध्या प्रसाद जी इन्दौर अपने समय के विख्यात अभिभाषक थे। अतः कानूनी ज्ञान तो आपको विरासत में ही प्राप्त हुआ था। साधारण शिक्षा समाप्त कर आपने कानून की परीक्षा पास की तथा अपने पूज्य पिताश्री के पथ प्रदर्शन में अभिभाषक का व्यवसाय ग्रहण कर लिया। वकालत शीघ्र ही चमक उठी और ग्वालियर राज्य एवं तत्पश्चात् मध्य भारत के वरिष्ठ वकीलों तथा कानून विज्ञों में आपकी गिनती होने लगी।

आपका विवाह झाँसी के प्रसिद्ध अभिभाषक स्व. पं. विष्णु नारायण जी की पुत्री सुश्री सावित्री देवी से हुआ। सन् 1960 ई. में आपको शासन द्वारा न्यायमूर्ति के पद के लिए चुना गया तथा इन्दौर एवं जबलपुर हाईकोर्ट में आपने 13 वर्ष तक कार्य किया और इस अवधि में आपके कई निर्णय कानूनी



विश्लेषण की दृष्टि से देश में प्रसिद्ध हुए। सन् 1973 ई. में उच्च न्यायालय से विश्राम लेने के उपरान्त आपकी नियुक्ति औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष पद पर की गई।

समाज सेवा के प्रति आपकी गहन रुचि रही। अतः कई समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य रहकर आप निःस्वार्थ सेवा में लगे रहे। उज्जैन निगम के आप 15 वर्ष तक निर्वाचित सदस्य एवं उपाध्यक्ष रहे। ग्वालियर राज्य परिषद में मनोनीत सदस्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय के लगातार कई वर्षों तक सीनेट सदस्य रहकर आपने शिक्षा जगत की सेवा की। भार्गव सभा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवाएँ प्रशंसनीय रहीं तथा सन् 1973 ई. में आप जयपुर भार्गव सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए एवं तत्पश्चात् भार्गव सभा के प्रधान पद पर आपको चुना गया।

### पं. श्रीराम जी (सन् 1907-1978 ई.)

भारत के गुलाबी नगर जयपुर में पं. श्रीराम जी का जन्म 16 फरवरी सन् 1907 ई. को एक सम्भ्रांत भार्गव परिवार में हुआ। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' लोकोक्ति के अनुसार आप जन्म से ही प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर आप लाहौर में उच्च शिक्षा के लिए गए तथा पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से आपने प्रथम श्रेणी में बी.ए. सन् 1926 ई. में तथा एल.एल.बी. की परीक्षा सन् 1928 ई. में पास की। आपका विद्यार्थी जीवन अत्यन्त ही सफल रहा तथा कक्षाओं में आप सदैव ही प्रथम स्थान पाते रहे।

सन् 1929 ई. में जयपुर की चीफ कोर्ट में आप अभिभाषक के रूप में प्रविष्ट हुए। आपका विवाह मथुरा के पं. गंगाप्रसाद जी की पुत्री सरला देवी से हुआ। सन् 1930 ई. में आपने स्वतन्त्र रूप से अभिभाषक का कार्य हिसार (पंजाब) में प्रारम्भ किया तथा अपनी कार्य कुशलता, मेधावी बुद्धि एवं कठिन परिश्रम से आप शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए तथा टैक्सेशन की प्रैक्टिस करने आप देहली चले आए, जहाँ से आपने 'टैक्सेशन' नाम की पत्रिका का सम्पादन किया जो इस समय भी सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रही है तथा इन्कम टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, वैल्थ टैक्स आदि के क्षेत्र में सर्वमान्य है। इस बीच आपने विदेश भ्रमण कर अपने कार्य क्षेत्र का विशाल अनुभव प्राप्त किया तथा इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैण्ड, इटली, आयरलैंड आदि की टैक्सेशन प्रणाली का इन देशों में जाकर ज्ञान अर्जन किया एवं इस क्षेत्र में आप एक वरिष्ठ आयकर सलाहकार के रूप में देहली में कार्य करने लगे। इस कार्य में आपकी प्रतिष्ठा उच्च कोटि की रही।

आपका भार्गव सभा से लगाव वर्षों पुराना रहा तथा जाति के हित में आप मुक्त हस्त से दान देते रहे तथा सक्रिय रूप से सेवा करते रहे। सन् 1971-72 ई. में भार्गव सम्मेलन, जो देहली में हुआ था, उसके आप स्वागताध्यक्ष थे तथा स्थानीय सभा देहली के भी उसी वर्ष अध्यक्ष थे। आप टैक्निकल एज्युकेशन कमेटी के अध्यक्ष एवं भार्गव सभा के उपाध्यक्ष रह चुके थे। सन् 1976 ई. में भार्गव सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर आपने मुक्त हस्त से दान देकर अलवर भार्गव आश्रम में एक कमरे के नवीन निर्माण

कार्य में सहयोग प्रदान किया। जाति सेवा की लगन सदैव आपको लगी रही तथा प्रत्येक जाति बन्धु की यथाशक्ति सहायता करना आप अपना कर्तव्य समझते थे। आपने 'श्रीराम भार्गव जनहित न्यास' की स्थापना कर लोक सेवा के क्षेत्र में अपना सक्रिय सहयोग दिया है। इस न्यास से इच्छुक निर्धन विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा की गति प्रशस्त करने हेतु छात्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं।

आप अखिल भारतीय टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन के सन् 1970 ई. से सन् 1977 ई. तक कोषाध्यक्ष रहे तथा टैक्सेशन पब्लिशर्स लि. एवं इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन प्रा. लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे।


टैक्सेशन साहित्य का निरन्तर और शिखिर अभिभाषकों से विचार-विमर्श के कारण आपकी सलाह इस क्षेत्र में अत्यन्त मूल्यवान समझी जाती रही।

स्वभाव से सरल, धार्मिक चिन्तन में रत आपका जीवन सादगी से परिपूर्ण रहा तथा वेदान्त, गीता, उपनिषद् का सतत अभ्यास आपको रुचिकर रहा।

समाज सेवा के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। कुछ वर्ष पूर्व आपका हृदयाघात से निधन देहली में हुआ। निधन से पूर्व अपनी महान दानशीलता के स्वरूप आपने करोड़ों की अपनी सम्पत्ति भार्गव सभा को दान में दी है।

वे एक प्रतिभासम्पन्न निष्ठापूर्ण समाज सेवा हेतु समर्पित महान दानवीर व्यक्ति थे।

### न्यायमूर्ति पं. चन्द्र भान जी



पं. चंद्रभान जी

न्यायमूर्ति पं. चन्द्रभान जी सुपुत्र पण्डित शंकर लाल जी का जन्म 30 सितम्बर सन् 1909 ई. को कोट कासिम (जयपुर रियासत) में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गुड़गाँव व लाहौर में हुई। सेंट स्टीफन कॉलेज, देहली से बी.ए. व देहली विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. किया। सन् 1931 ई. में जयपुर में वकालत प्रारम्भ की। सन् 1932 ई. में आप झुन्झुनू चले गए और वहाँ वकालत शुरू की, और वहाँ सन् 1951 ई. तक वकालत की। झुन्झुनू में आप उच्च कोटि के एवं लोकप्रिय वकील समझे जाते थे। यहाँ पर आपने सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया। आप कई वर्षों तक सनातन धर्म स्कूल झुन्झुनू, पब्लिक लाइब्रेरी, कन्या पाठशाला, म्युनिसिपल कमेटी व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। सन् 1945-48 ई. में जयपुर लैजिस्लेटिव काँसिल के सदस्य निर्वाचित हुए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झुन्झुनू के आप

वाइस प्रेसिडेन्ट रहे। सन् 1952 ई. से सन् 1959 तक आप जयपुर व जोधपुर में डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट व 1-9-59 से 31-1-60 तक गवर्नमेन्ट एडवोकेट रहे। 12-1-60 से 12-1-71 तक राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे। आप जोधपुर यूनिवर्सिटी एनक्वायरी कमीशन के अध्यक्ष रहे। भार्गव सभा में भी आपने बड़ा सक्रिय भाग लिया। आप शिक्षा उपसमिति के सदस्य एवं समाज सुधार उपसमिति के अध्यक्ष रहे। सन् 1965-66 ई. में आप सभा के उपप्रधान रहे व सन् 1977-78 ई. में सभा के प्रधान रहे। आप स्वामी चरणदास मैमोरियल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन हैं।

### पं. महावीर प्रसाद जी

श्री महावीर प्रसाद जी आत्मज स्व. श्री शिवदत्त जी आगरा का जन्म 30 दिसम्बर सन् 1917 ई. को हुआ। आपका विवाह चन्द्रकान्ती भार्गव से मई सन् 1938 ई. में सम्पन्न हुआ।

आपने सन् 1937 ई. में बी.एससी. करने के पश्चात् जल विश्लेषण में प्रशिक्षण लेकर एन्ड्रयूलस एण्ड कं. में चीफ केमिस्ट के पद पर सन् 1942 ई. तक कार्य किया। उसके पश्चात् गोपाल पेपर मिल्स फैजाबाद के वितरक के रूप में सन् 1947 ई. तक व्यवसाय किया। सन् 1945 ई. में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए एवं अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल कांफ्रेंस के मन्त्री नियुक्त हुए। सन् 1947 ई. से सन् 1957 ई. तक आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी मन्त्री रहे। सन् 1956 ई. में आप उत्तर प्रदेश में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए एवं सन् 1970 ई. तक इसके सदस्य रहे। इस काल में आपने सन् 1955 ई. में राष्ट्र संघ की असेम्बली में तथा सन् 1966 ई. में ओटावा में आयोजित कॉमनवेल्थ संसदीय कांफ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया। आप सन् 1960 से 1970 ई. तक राज्य सभा के उपाध्यक्षों के पैनल के सदस्य रहे।

आप सन् 1957 ई. के चुनावों में स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री के निर्वाचन अभिकर्ता थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन एवं श्री वी.वी. गिरि के राष्ट्रपति चुनाव में उनके पोलिंग एजेन्ट रहे। कई वर्षों तक आप राज्य सभा के पदाधिकारियों एवं कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी रहे। कई वर्षों तक कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। संसद के दोनों सदनों की तीन सिलेक्ट कमेटियों एवं मर्चेन्ट नेवी प्रशिक्षण बोर्ड के अध्यक्ष व जहाजरानी बोर्ड के सदस्य रहे। इस काल में आपने अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान एवं योरोप के अनेक देशों की यात्रा कर वहाँ की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया। आपने स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू एवं स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्बन्ध में अपने सम्मेलनों पर कई लेख लिखे हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत समुद्री बीमा सम्बन्धी विधेयक एक्ट बना जो भारतीय स्टेटयूट पुस्तक का एक अंग है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन तक आप प्रगाढ़ रूप से जुड़े रहे परन्तु विभाजन के पश्चात् आपने राजनीति के स्थान पर अपने आपको समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया। कई वर्षों तक भारत एवं अन्य देशों से शतवर्षीय लोगों का सम्मान करने वाली 'वृद्ध जन सम्मान समिति आगरा' के अध्यक्ष रहे। आगरा में आयोजित नई 'अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक कांफ्रेंस', जिसमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों

ने भाग लिए, स्वागताध्यक्ष थे। आप मोतीलाल नेहरू स्मारक न्यास के न्यासी एवं फिरोज स्मारक व्याख्यान समिति के कोषाध्यक्ष हैं।

भार्गव सभा की गतिविधियों में आप सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। केन्द्रीय भार्गव सभा की कार्यकारिणी एवं अनेक उपसमितियों के अनेक वर्षों तक सदस्य रहे हैं। आपने केन्द्रीय भार्गव सभा के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है एवं एक वर्ष तक सभा के अध्यक्ष रहे हैं। अमरनाथ विद्या आश्रम एवं किशोरी रमण शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आगरा की भार्गव सभा के अनेक पदों को आपने सुशोभित किया है।

### डॉ. शान्ति प्रसाद जी

डॉ. शान्तिप्रसाद जी का जन्म 14 अक्टूबर सन् 1912 ई. को अलवर में बेरोजियों के एक सम्भ्रान्त परिवार में स्व. पं. प्यारे लाल जी के यहाँ हुआ। आपकी शिक्षा अलवर के राजर्षि कॉलेज व आगरा कॉलेज में हुई। आपने बी.ए. की परीक्षा में आगरा कॉलेज से अंग्रेजी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया। आप एल.एल.बी. प्रथम डिवीजन, एम.ए. (इतिहास) आगरा विश्वविद्यालय से व एम.ए. राजनीति शास्त्र नागपुर विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण हुए। आपने सन् 1951 ई. में राजनीति शास्त्र में पी-एच.डी. की डिग्री प्राप्त की।



डॉ. शान्ति प्रसाद जी

सन् 1936 ई. में आपका विवाह भार्गव भवन जयपुर निवासी स्व. पं. निरंजन लाल जी की पुत्री एवं स्व. पं. पन्नालाल जी नाजिम की पौत्री कु. रतन देवी से हुआ।

सन् 1938 ई. से सन् 1952 ई. तक आप रायपुर (म.प्र.) आगरा कॉलेज व राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के व्याख्याता रहे। सन् 1952 ई. में आप आई.पी.एस. में चुन लिए गए। आप आई.पी.एस. में चुने जाने वाले जाति के प्रथम व्यक्ति थे। सन् 1971 ई. में आप आई.जी. पुलिस के पद से सेवानिवृत्त हुए।

आपको पुलिस में विशिष्ट एवं प्रशंसनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया।

सेवानिवृत्त होने के पश्चात् सन् 1971-72 ई. में देवली, राजस्थान में राजबन्दियों के शिविर के

कमांडेन्ट रहे तथा सन् 1972-77 तक डी.सी.एम. की इकाई श्रीराम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, कोटा में कोऑर्डिनेशन एडवाइजर रहे।

आपने दो पुस्तकें (1) एलीमेंट्स ऑफ पोलिटिकल थ्योरी व (2) सरल नागरिक शास्त्र की रचना की तथा दो वर्ष तक आप अखिल भारतीय पोलिटिकल साइन्स कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य रहे।

भार्गव जाति एवं भार्गव सभा के कार्यों में आपकी विशेष रुचि रही है। आप कोटा एवं जयपुर की सभाओं के अध्यक्ष रहे एवं सभा की कार्यकारिणी तथा समाज सुधार उपसमिति के सदस्य रहे।

आप लखनऊ में हुए सन् 1982 के सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए एवं अध्यक्षता की। आपने भार्गव सभा के 100 वर्षों का इतिहास लिखा जिसे सभा ने अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित किया।

आप गत लगभग 8 वर्षों से किशोरी रमण शिक्षा उपसमिति मथुरा के अध्यक्ष हैं एवं मथुरा की लगभग सभी किशोरी रमण संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं।

### पं. भारत भूषण जी


पं. भारत भूषण जी का जन्म 24 मार्च सन् 1930 ई. को लाहौर में पं. प्रकाश चन्द्र जी के यहाँ हुआ। आपके पिता रेफ्रीजरेशन तथा एयर कंडीशन मशीन मैनुफैक्चरिंग के व्यवसाय में अग्रणी थे तथा भारत भूषण जी शिक्षा के उपरान्त इसी कार्य को आगे बढ़ाने में लग गए। ग्वालियर के सामाजिक जीवन में आपने उत्साह, कार्य कुशलता एवं निष्पक्ष व्यवहार से एक विशिष्ट स्थान बना लिया। किशोरावस्था में लाहौर में क्रान्तिकारी विचारधारा से जुड़ कर देश की आजादी की लड़ाई में आपने भाग लिया तथा इन्हीं विचारों के कारण राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में आप सतत कार्यशील रहे। आपका सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी आपने भार्गव सभा की गतिविधियों के लिए समय निकालकर सराहनीय कार्य किया। व्यावसायिक जगत की आप 13 संस्थाओं से सम्बन्धित हैं जिनमें प्रमुख हैं — ग्वालियर उद्योग वाणिज्य संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, फ़ैडरेशन ऑफ एसोसिएशन स्मॉल इण्डस्ट्रीज, ऑल इण्डिया मैनुफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन, बम्बई आदि। आप ग्वालियर नगर निगम के मेयर रह चुके हैं तथा गन्दी बस्ती उन्मूलन सम्बन्धी योजना के सम्मेलन में आपने ग्वालियर का प्रतिनिधित्व किया।

भार्गव सभा आपके कार्यक्षेत्र का एक प्रमुख अंग रही तथा सभा की अध्यक्षता का भार वहन कर आपने सभा की सम्पत्ति की देख-रेख एवं हिसाब-किताब रखने की शैली को नया रूप दिया। स्व. पं. श्रीराम भार्गव का श्री भारत भूषण जी पर अटूट विश्वास था अतः उनके इच्छा पत्र के अनुसार आपके सुझाव पर पं. श्रीराम जी की अचल सम्पत्ति का काफी भाग सभा को प्राप्त हुआ जिसके लिए आपके प्रयास प्रशंसनीय रहे। आपने ग्वालियर में कैंसर शोध प्रयोगशाला की स्थापना की तथा रोटरी क्लब की अध्यक्षता की अवधि में अनेक प्रगतिशील कार्य हाथ में लिए। आप रोटरी गवर्नर का प्रतिष्ठित पद भी

सम्भाल चुके हैं। इस पद को सुशोभित करने वाले आप अपने समाज के प्रथम व्यक्ति हैं। उत्साह और शक्ति से ओतप्रोत एवं निःस्वार्थ सेवा के व्रती पं. भारत भूषण जी की उपलब्धियाँ सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक हैं।

### पं. प्रकाश दत्त जी (सन् 1901-1989 ई.)

पं. प्रकाश दत्त जी का जन्म अजमेर में सन् 1909 ई. में पं. चन्दूलाल जी के यहाँ हुआ। पं. प्रकाश दत्त जी का रुझान बाल्यावस्था से ही आजादी के आंदोलन की ओर था। एम.ए., एल.एल.बी. की शिक्षा सन् 1936 ई. में समाप्त कर देहली को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। आपका प्रथम विवाह सन् 1936 ई. में पं. कन्हैया लाल जी की पुत्री शांता देवी से हुआ। जिनका निधन कुछ वर्षों पश्चात् हो गया। दूसरा विवाह पं. लक्ष्मी नारायण जी सिवनी की बहन शांति देवी से हुआ।



पं. प्रकाश दत्त जी

आप युवावस्था से गुरु गोलवालकर के सम्पर्क में आए और फिर उन्हीं के हो गए। सन् 1962 ई. में आप दिल्ली डिवीजन के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक हो गए और अपने स्वर्गवास के समय दिल्ली प्रांत के संघ चालक थे।

समाज सेवा के व्रती पं. प्रकाश दत्त जी ने सन् 1947 ई. के दंगों में निराश्रित शरणार्थियों के जीवन की रक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था की। सन् 1948 व 1952 ई. में गोहत्या बंद के आंदोलन में जेल यातनाएँ भी आपने सहੀं। सन् 1975 ई. में इंदिरा शासन ने मीसा में आपको बन्द किया।

सरल स्वभाव एवं परहितकारी प्रकाश दत्त जी सन् 1943-44 से ही भार्गव सभा से जुड़े रहे। सन् 1972 ई. के दिल्ली सम्मेलन के संयोजक, भार्गव सभा की शिक्षा उपसमिति व समाज सुधार उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में तथा सन् 1979, 1981 व 1984 ई. में सभा के अध्यक्ष के रूप में व सन् 1977 ई. के सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में आपकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी। वे एक सफल वकील, मृदुभाषी, भव्य व्यक्तित्व के धनी थे।

सन् 1988 ई. में ज्येष्ठ पुत्र श्री रवीन्द्र दत्त जी के आकस्मिक निधन ने उनको झकझोर दिया और एक वर्ष के अंदर पुत्र वियोग से भार्गव सभा का एक दीप स्तम्भ 29 अगस्त 1989 को बुझ गया।



### पं. किशोरी लाल जी

पं. किशोरी लाल जी का जन्म भार्गव कुल के एक संप्रान्त परिवार में सन् 1912 ई. में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा किशोरी रमण हाई स्कूल में लेने के बाद आपने कानपुर से बी.एस-सी. तथा एम.एस-सी. (प्रीवियस) पास किया।

सन् 1935 ई. में आपका विवाह देहली निवासी पं. हेमचन्द्र जी की पौत्री गीता देवी से हुआ।



पं. किशोरी लाल जी

चाँदनी चौक देहली में सन् 1900 ई. से स्थापित 'हेमचन्द्र भार्गव एण्ड कं.' का चित्र प्रकाशन का कार्य श्री किशोरी लाल जी ने सन् 1943 ई. में सम्भाला व उसे सुचारु रूप से प्रगति की ओर ले जा रहे हैं।

श्री किशोरी लाल जी बहुत ही सरल स्वभाव के धार्मिक एवं सामाजिक व्यक्ति हैं जो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आपका दरियागंज स्थित 'सत्संग भवन' सदैव जाति बन्धुओं के लिए खुला रहता है। भार्गव सभा की बैठकें भी हर वर्ष एक बार अवश्य सत्संग भवन में होती हैं जहाँ श्री किशोरी लाल जी बहुत ही उदार व प्रेमभाव से अतिथि सत्कार का परिचय देते हैं।

पं. किशोरीलाल जी स्थानीय सभा देहली के स्तम्भों व विशेष विभूतियों में से एक हैं। भार्गव सभा देहली के 25 वर्ष तक लगातार कोषाध्यक्ष रहे और लगभग 45 वर्षों से लगातार भंडारी के रूप में जाति बन्धुओं की सेवा करना व बर्तनों की ठीक प्रकार से देखरेख करना आपकी एक

विशेष उपलब्धि रही है। भार्गव सभा देहली की कार्यकारिणी के अनेक पदों पर रहते हुए आप 2 वर्षों तक सभापति के पद पर रहे हैं।

पं. किशोरी लाल जी की केन्द्रीय भार्गव सभा के कार्यों में रुचि व योगदान सदैव रहा है। आप भार्गव सभा की प्रबन्धक समिति के सन् 1960 ई. से सदस्य रहे हैं एवं सन् 1966 ई. से सभा के उपप्रधानों में लगातार चुने गए। भार्गव सभा की समाज सुधार उपसमिति, शिक्षा उपसमिति तथा विवाह परामर्श उपसमिति के सदस्य व पदाधिकारी रहकर आपने हर प्रकार से जाति की सेवा की। दो वर्षों तक आपने टैक्निकल शिक्षा उपसमिति के मन्त्री पद पर कार्य किया। किशोरी रमण शिक्षा समिति मथुरा के आप कई वर्षों तक सदस्य रहे। सन् 1985 व 1986 ई. में आप भार्गव सभा के प्रधान रहे।



### पं. राघवनाथ जी (सन् 1919-1988 ई.)

पं. राघवनाथ जी का जन्म 30 अक्टूबर सन् 1919 ई. को मथुरा में हुआ। आपके पिता पं. द्वारिकानाथ जी मथुरा के प्रसिद्ध वकील एवं विख्यात समाजसेवी थे।

राघवनाथ जी की शिक्षा-दीक्षा किशोरी रमण स्कूल, मथुरा एवं ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में हुई। अपने ज्येष्ठ भ्राता स्व. पं. कैलाश नाथ जी द्वारा सन् 1937 ई. में स्थापित नोवेक्स ड्राइक्लीनर्स नामक प्रतिष्ठान को दिल्ली के औद्योगिक जगत में आपने प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। सन् 1966 ई. में लन्दन में आयोजित ड्राइक्लीनर्स की गोष्ठी एवं प्रदर्शनी में आप अकेले भारतीय थे जिन्हें निमन्त्रित किया गया था। सन् 1983 ई. को शिकागो की 'क्लीन' नामक प्रदर्शनी में भी आप निमन्त्रित हुए।

रोटरी क्लब दिल्ली के विभिन्न वर्गों में अध्यक्ष और सचिव रहे तथा गवर्नर के ग्रुप प्रतिनिधि के पद के उत्तरदायित्व का आपने सफलतापूर्वक निर्वह किया। पं. बेनी प्रसाद भार्गव ट्रस्ट देहली, गंगा आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार, प्रेमनिधि ट्रस्ट दिल्ली तथा रेडक्रॉस सोसाइटी से आप सम्बन्धित रहे। नई दिल्ली के ट्रेडर एसोसिएशन और दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स फ़ैडरेशन के अध्यक्ष पदों पर रहे। अमरनाथ विद्या आश्रम ट्रस्ट, मथुरा द्वारा संचालित पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व ग्रहण कर उसका सफलतापूर्वक निर्वह किया। इन्द्रप्रस्थ एज्युकेशनल ट्रस्ट और छात्राओं के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली की गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य रहे।

सन् 1987 ई. में सभा के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने के पूर्व आपने टैक्निकल शिक्षा उपसमिति, समाज सुधार उपसमिति एवं औद्योगिक प्रशिक्षण उपसमितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

आपका आकस्मिक निधन दिल्ली में 4 जनवरी, 1988 को हो गया।

### 37 वर्षों से भार्गव पत्रिका सम्पादन से जुड़े

#### पं. पूर्णचन्द्र जी

पं. पूर्णचन्द्र जी का जन्म 22 अप्रैल सन् 1921 ई. को लाहौर में स्व. श्री रत्न चन्द जी शाखा प्रबन्धक, इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के यहाँ हुआ। आपने बी.कॉम. की परीक्षा हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लाहौर से सन् 1939 ई. में पास की। सन् 1943 ई. में आपका विवाह सुश्री कमला देवी से हुआ। शिक्षा समाप्त करते ही आपने अपने पैतृक व्यवसाय अमृत इलैक्ट्रिक प्रेस, लाहौर में कार्य करना प्रारम्भ किया और देश विभाजन के पश्चात् आगरा में इसी नाम से प्रेस के खुलने पर उसमें कार्यरत रहे।

सन् 1956-61 ई. तक आपने चन्द्रोदय प्रेस, ग्वालियर एवं तत्पश्चात् राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रेस मैनेजर के पद पर कार्य किया। इस अवधि में आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के राजकीय मुद्रण विभाग की नियुक्तियों के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञ तथा कई राजकीय व अर्धशासकीय



पं. पूर्णचंद्र जी

प्रकाशन व मुद्रण समितियों के तकनीकी सदस्य भी रहे। आपकी योग्यता व उत्तम कार्यकुशलता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया।

सामाजिक कार्यों में सदैव ही आप उत्साह पूर्वक भाग लेते रहे। सन् 1945 ई. में आप भार्गव स्थानीय सभा, लाहौर के उपमन्त्री बने व तत्पश्चात् जिस नगर में भी आप रहे वहाँ की स्थानीय सभा के पदाधिकारी रहे। स्थानीय भार्गव सभा आगरा के कई वर्षों तक मन्त्री तथा भार्गव सभा जयपुर के मन्त्री व अध्यक्ष भी रहे। भार्गव सभा से आपका बहुत ही निकटतम सम्बन्ध रहा। इस सभा के उपप्रधान के पद को आपने कई वर्षों तक सुशोभित किया। विवाह उपसमिति के संयोजक के रूप में विगत 9 वर्षों में आपने अत्यन्त ही सराहनीय कार्य किया व इस उपसमिति को जाति सेवा का सबल व सफल माध्यम बनाया।

भार्गव पत्रिका के सन् 1940 ई. से वर्ष 1957 तक व सन् 1969 ई. से आज तक सम्पादन का भार ग्रहण करते हुए निरन्तर जाति और समाज की सेवा कर रहे हैं। 37 वर्ष से भी अधिक समय से भार्गव पत्रिका के सम्पादन से जुड़े व इतने लम्बे समय तक भार्गव पत्रिका का सम्पादन करने वाले अपने समाज के आप प्रथम व्यक्ति हैं।

धर्मपरायण रामायण एवं कीर्तन के अनुरागी तथा आध्यात्मिक प्रवचनों में गहनतम रुचि लेने वाले पं. पूर्णचन्द्र जी वर्ष 1988 में भार्गव सभा के अध्यक्ष रहे तथा सभा के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन उन्हीं की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

### श्री सुरेश जी

श्री सुरेश जी का जन्म रिवाड़ी में 19 जून सन् 1936 ई. को श्री त्रिजुग्गी नाथ जी के यहाँ हुआ। आपका विवाह सुश्री राधा जी से सन् 1961 ई. में हुआ। देहली विश्वविद्यालय के स्नातक श्री सुरेश जी पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरणों एवं खेलकूद के सामान के व्यवसाय में लगे रिवाड़ी के प्रमुख व्यवसायी हैं।



श्री सुरेश भार्गव जी

समाज सेवा में आप प्रारम्भ से ही रुचि लेते रहे तथा भार्गव सभा, रिवाड़ी के 5 वर्षों तक मन्त्री रहे। आप अखिल भारतीय भार्गव सभा के कार्यकारिणी सदस्य, समाज सुधार उपसमिति के सदस्य, शिक्षा उपसमिति एवं ढोसी मन्दिर उपसमिति के मंत्री भी रहे।

सन् 1988 ई. में आप भार्गव सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए व अपने विशेष सेवाकार्य के लिए आपने राघवनाथ पुरस्कार प्राप्त किया। रिवाड़ी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का श्रेय आपको ही है जिसे आप बहुत परिश्रम से निभा रहे हैं। इसी प्रकार मोहिनी धर्मशाला रिवाड़ी को व्यवस्थित करने का श्रेय भी आपको ही है।

आप अत्यन्त मिलनसार व मृदुभाषी हैं। आप वर्ष 1989 ई. के लिए भार्गव सभा के प्रधानमन्त्री पद पर निर्वाचित हुए।

\* \* \*

श्री कृष्ण भार्गव एवं सतीश कुमार भार्गव के सौजन्य से प्राप्त

**मु. हरदयाल सिंह जी (1867-1927 ई.)**

मुन्शी हरदयाल सिंह जी पुत्र स्व. श्री बंशीधर जी का जन्म 20 मार्च सन् 1867 ई. को रिवाड़ी में हुआ। रियासत के समय जीवन की शुरुआत पी.डब्ल्यू.डी. में नौकरी से की। बाद में कुछ दिन विल्स स्कूल जयपुर में अध्यापक के पद पर कार्य किया एवं इसके साथ-साथ वकालत पढ़ी और जयपुर में हाईकोर्ट स्थापित होने पर वकालत शुरू की।

चीफ जस्टिस शीतल प्रसाद जी से सम्पर्क होने पर महाराजा मानसिंह जी की नाबालगी में आपको पब्लिक की ओर से मैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी (एम. एल. सी.) चुना गया। इस दौरान मुन्शी जी का कानून बनाने में काफी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आपने कानून से सम्बन्धित कुछ किताबें भी लिखीं। नायला के अनुरोध पर आपने जयपुर रियासत के इतिहास का, जो कि उर्दू में था, अंग्रेजी में रूपान्तरण भी किया। रियासत के समय आपने लॉ रिपोर्ट बनाने का व उसको पब्लिश करने का कार्य बड़े अच्छे ढंग से किया। उस समय पुस्तकों की अच्छी प्रिंटिंग करने में काफी दिक्कत होती थी, अतः आपने सन् 1926 ई. में श्री राधा कृष्ण प्रेस, जो मनिहारों का रास्ता जयपुर में स्थित था, खोला और स्टेशनरी, किताबों की बढ़िया छपाई आरम्भ की। आपने अपने समय में एक स्टेशनरी एवं बुकसेलर की दुकान भी खोली, जो त्रिपोलिया बाजार में स्थित थी।

\*\*\*\*\*

मुन्शी हरदयाल सिंह जी जयपुर रियासत के कोर्ट ऑफ वाड्स महकमे में व अन्य ठिकानों के सलाहकार भी नियुक्त किए गए। उन्होंने स्व. श्री पन्ना लाल जी एवं श्री हीरा लाल जी, जयपुर के सहयोग से देश में सर्वप्रथम भार्गव पत्रिका की शुरुआत की।

आपने अपने जीवन काल में काफी लोगों की परवरिश की जिनमें से एक कृष्ण शरण भार्गव पुत्र गोविन्द शरण जी थे। आपके कोई सन्तान न होने के कारण आपने अपने छोटे भाई सूरजभान जी के छोटे लड़के श्री राधा रमण जी को गोद ले लिया, जिनका आपकी वकालत व प्रेस चलाने में काफी सहयोग रहा। मुन्शी राधा रमण जी के तीन लड़के (श्री राजेश्वर प्रसाद, जयपुर; बसन्त किशोर, कोटा एवं सतीश कुमार, जयपुर) हैं एवं तीन पुत्रियाँ (श्रीमती कुसुम, मथुरा; श्रीमती राजेश्वरी, झुन्झुनू एवं श्रीमती सरला, लखनऊ) हैं।

मुन्शी हरदयाल सिंह जी का देहान्त दिनांक 9-6-1927, गंगादशमी के दिन हुआ। आपके जीवन की उपरोक्त संक्षिप्त जीवनी आज भी उस समय की याद दिलाती है।

\* \* \*

## 19. उपसंहार

भार्गव सभा देश की उन अपूर्व एवं अनुपम संस्थाओं में से एक है, जो सौ वर्षों तक समाज की निरन्तर सेवा करते रहने पर भी, आज उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही प्रभावशाली ढंग से कार्यरत है, जैसे कि प्रारम्भ में थी। अतः यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि मूलतः इस संस्था में कौन-सी ऐसी जीवन शक्ति निहित रही है, जिसके कारण इतनी दीर्घ आयु होने के उपरान्त भी, यह युवावस्था, सुलभ उत्साह एवं शक्ति से परिपूर्ण है।

सभा के संगठन एवं विकास की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसे सदैव ही सम्पूर्ण जाति की प्रतिनिधि संस्था के रूप में प्रस्थापित करने के निष्ठापूर्वक प्रयत्न किए जाते रहे हैं तथा किसी भी समय व किसी के भी द्वारा ऐसे प्रयत्न नहीं किए गए कि जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, निजी सम्पन्नता के आधार पर सभा का संचालन अथवा उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना रहा हो। यद्यपि हमारी जाति में ऐसे अनेक महानुभाव थे, जो अपने बलबूते पर ही सभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इतना धन स्थायी राशि के रूप में दे सकते थे कि जिसके ब्याज से ही सभी आवश्यक कार्य पूरे हो सकते थे, किन्तु उन्होंने सदैव सभा को सर्वसाधारण की संस्था के रूप में ही विकसित होने के अवसर प्रदान किए एवं उन लोगों की यही धारणा रही कि यदि समाज सेवा जैसा पुनीत कार्य सम्पूर्ण जाति की भागीदारी पर आधारित हो, तभी उस संस्था में उस शक्ति का संचार होगा, जिसके द्वारा वह प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सकेगी। मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई. ने सभा के विभिन्न कार्यों के लिए तथा अनेक अन्य संस्थाओं को उदारतापूर्वक धन दिया, किन्तु जहाँ तक सभा के लिए ऐसी संचित धनराशि स्थापित करने का प्रश्न था, कि जिसके ब्याज से ही सभा के सब सामान्य कार्य चलते रहें, उनका यही दृढ़ विश्वास था, कि ऐसी स्थायी धनराशि केवल जाति के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ही स्थापित की जानी चाहिए जिससे कि सभा को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुचित आधार उपलब्ध हो सके तथा सर्वसाधारण सभा के संचालन में अपनी भागीदारी की अनुभूति अनुभव कर सके। सम्भवतः यही मौलिक भावना सभा की सफलता का एक मुख्य आधार बनी और बननी भी चाहिए थी। सभा की औपचारिक स्थापना के 2-3 वर्ष पूर्व ही मुन्शी जी ने घोषणा की थी कि सभा के आवश्यक कार्यों को केवल ब्याज द्वारा ही सम्पन्न करने के लिए, कम से कम एक लाख रुपये की स्थायी धनराशि की आवश्यकता होगी और यदि इसका आधा भाग अर्थात् पचास हजार रुपये समस्त जाति मिलकर एकत्रित कर लेगी, तो वे स्वयं भी पचास हजार रुपये दे देंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका और सभा का कार्य प्रतिवर्ष एकत्रित दान व चन्दों से ही चलता रहा। अन्ततः सन् 1906 ई. में स्थायी धनराशि एकत्रित करने की प्रक्रिया तो प्रारम्भ हुई, किन्तु ऐसी धनराशि स्थापित करने में 50 वर्ष से भी अधिक का समय लग गया। इससे स्पष्ट है कि सभा के कार्यों में सम्पूर्ण जाति की भागीदारी को कितना महत्त्व दिया गया था तथा सभा को

सर्वसाधारण की संस्था के रूप में ही विकसित करने के प्रयत्न किए जाते रहे थे। सम्भवतः यही मुख्य कारण था कि जिससे सभा में किसी के निहित स्वार्थ न पनप सकें।

इस प्रकार सभा के संचालन में वास्तविक लोकतांत्रिक भावना एवं सिद्धान्तों का ही अनुकरण किया गया था। सामान्यतः सभा व सम्मेलनों में निर्णय तो बहुमत के आधार पर ही लेने की प्रणाली थी, परन्तु बहुमत के साथ-साथ महत्वपूर्ण विषयों पर जाति की सहमति प्राप्त करने की भी परम्परा थी। उदाहरण के लिए, सिरौंज के लोगों को जाति में सम्मिलित करने के योग्य तो सन् 1905 ई. में ही घोषित कर दिया गया था, परन्तु उसका अन्तिम निर्णय स्थगित कर दिया गया था तथा जब सन् 1906 ई. में ढोसी में हुई कांग्रेस में फिर इस विषय पर वाद-विवाद हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि जब तक जाति का प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में सहमत न हो जाए, तब तक सिरौंज वालों को जाति में मिलाने का निर्णय नहीं लिया जा सकता था। अन्ततः विवश होकर सन् 1971 ई. में, जब इस बात का विश्वास हो गया कि इस विषय पर सब ही की सहमति थी, तब ही सिरौंज वालों को जाति में मिलाने की घोषणा की गई। इस प्रकार सभा के कार्यों में कभी भी, किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष ने अपने धन अथवा प्रभाव का दुरुपयोग कर हस्तक्षेप करने के प्रयत्न नहीं किए व सबकी सहमति को यथोचित सम्मान दिया गया।

सन् 1895 ई. में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राय भवानी सहाय जी डिप्टी कलेक्टर चुने गए। राय साहब ने अपना आसन ग्रहण किया और सब लोगों को उन्हें निर्वाचित करने के लिए धन्यवाद दिया और फिर पूछा कि क्या वे सब उनका कहा मानेंगे। सबने अपने-अपने हाथ उठा कर स्वीकृति प्रदान की। इस पर राय साहब ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि अध्यक्ष पद के लिए राव पं. बिहारी लाल जी, खजानची जबलपुर, को ही चुन लिया जाए। अतएव राव पं. बिहारी लाल जी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी चुन लिए गए। वास्तव में ऐसी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं पारस्परिक सम्मान के आधार पर ही सभा फली-फूली है। किसी भी संस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका संचालन ऐसी ही भावनाओं व समर्पित सेवाओं के सम्मान की परम्पराओं पर आधारित हो, अन्यथा उसकी कार्यशैली एवं सफलता पर अनिवार्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दीवान बहादुर पं. बिहारीलाल जी खजानची 23 वर्षों तक, 'भार्गव भूषण' व पं. मिट्ठन लाल जी 16 वर्ष तक सभा के प्रधान रहे। अन्ततः यह सब उन ही परम्पराओं का प्रतीक था जो समर्पित एवं लगनशील सेवाओं के सम्मान तथा व्यक्तिगत प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा पर आधारित थी। यदि जातीय कार्यों में कभी भी समय के प्रभाव अथवा नवविकसित स्वार्थ व प्रवृत्तियों के कारण इन मौलिक मान्यताओं तथा परम्पराओं की अवमानना की गई तो उसके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं।

भार्गव सभा के सेवा-कार्यों के मुख्य उद्देश्य जाति में अभावग्रस्त वर्गों की सहायता करना ही रहा है और यह सेवा इतनी व्यापक एवं प्रभावी रही है कि जिसने भी सहायता माँगी, उसे प्राप्त हुई और वह अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल हो सका। यह सच भी है कि गत सौ वर्षों में ऐसे उदाहरण खोजने पर ही दो-चार मिल सकेंगे कि जब किसी ने सभा से सहायता माँगी हो, और न मिली हो, चाहे वह सहायता विदेश यात्रा व्यय के लिए हो अथवा शोध कार्य में सहायता के रूप में ही क्यों न रही हो। किन्तु निश्चित

रूप से यह कहना कठिन है कि सब ही जरूरतमन्द लोगों को वांछित सहायता प्राप्त हो सकी है। इसका सबसे मुख्य कारण तो यह हो सकता है कि सभा के पास सब लोगों को एवं सब स्थानों तक आवश्यक सूचना प्रसारित करने के समुचित साधन नहीं रहे हैं। केवल भार्गव पत्रिका इस दिशा में उपयुक्त माध्यम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भार्गव पत्रिका के ग्राहकों की संख्या जाति की संख्या के अनुपात में बहुत ही नगण्य रही है। इसके अतिरिक्त यह कहना भी कठिन है कि इन ग्राहकों में से कितने ऐसे थे जो स्वयं अभावग्रस्त थे अथवा कितने ऐसे थे कि जो आवश्यक सूचनाएँ उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते, जिनको सहायता की आवश्यकता थी। सम्भव है, कुछ लोग ऐसे भी रहे हों, जो सभा से सहायता लेना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझते हों। यदि सभा को अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है, तो यह निश्चित करना ही होगा कि सब जरूरतमन्द लोगों तक आवश्यक सहायता पहुँचती है। अतः इन कठिनाइयों के निराकरण हेतु समय-समय पर प्रयत्न तो हुए, किन्तु सफलता प्राप्त न हो सकी।

सन् 1882 ई. में पं. दुर्गा प्रसाद जी असिस्टेंट कलेक्टर ने जयपुर भार्गवी सभा को लिखे अपने पत्र में सुझाव दिया था कि प्रत्येक मुहल्ला प्रभारी अपने क्षेत्र की विधवाओं की सूची गुप्त रूप से अपने पास रखे व उन्हें सभा की सहायता वितरित कराने का प्रयत्न करे। इसके पश्चात् सन् 1907 ई. में प्रतिपादित कांफ्रेंस के नियमों में स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं कमेटियों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सभी बेवाओं, बच्चों एवं अपाहिजों की सूचना कांफ्रेंस के कार्यालय को दें, ताकि सभी इच्छुक व्यक्तियों तक सभा की सहायता का लाभ पहुँचाया जा सके। वर्तमान में भी स्थानीय सभाओं का यह कर्तव्य है कि वे सभा के उद्देश्यों की पूर्ति में पूरा-पूरा सहयोग दें तथा यह निश्चित करें कि उनके क्षेत्र के सभी जरूरतमन्द वर्गों तक सभा की सहायता पहुँच सके। अतएव यदि सभा को अपने वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो इस मौलिक भावना का परिपालन करना ही होगा कि सभा की सहायता से कोई भी जरूरतमन्द वंचित न रह जाए।

इसी प्रकार सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में सभा को वांछित सफलता उपलब्ध नहीं हो सकी है। वैवाहिक व अन्य सुधारों से जाति में समाज द्वारा स्वीकृत रीति-रिवाजों एवं जीवन शैली के प्रति चेतना व जागृति तो अवश्य उत्पन्न हुई है, किन्तु उनके व्यावहारिक अनुपालन के लिए सभा के पास स्थानीय सभाओं के सहयोग के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी साधन नहीं हैं। सन् 1907 ई. में प्रतिपादित कांफ्रेंस के नियमों में स्थानीय सभाओं व कमेटियों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि जब सभा अथवा कांफ्रेंस द्वारा स्वीकृत नियमों की अवहेलना हो, तो उसकी सूचना भार्गव पत्रिका के माध्यम से केन्द्रीय संगठन को दी जाए व उल्लंघन करने वालों की सूची प्रकाशित की जाए। वर्तमान में भी सभा से संबद्धित स्थानीय सभाओं का ही यह उत्तरदायित्व है कि वे सभा द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं सुधारों को क्रियान्वित करने में अपना सहयोग प्रदान करें, अन्यथा सभा से उनकी प्रतिबद्धता की कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। अतएव स्थानीय सभाओं का अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता से सक्रिय होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

यह एक बहुत ही शुभ लक्षण है कि हमारे समाज के सभी प्रमुख अंग अपने को संगठित कर, सामाजिक प्रगति के महाअनुष्ठान में योगदान दे रहे हैं। कोई भी समाज तभी पूर्ण उन्नति कर सकता है,



जबकि उसके सभी वर्ग एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित रूप से प्रयत्नशील हो जाएँ। हमारे समाज की महिला एवं युवा शक्ति ही संगठित होकर अखिल भारतीय महिला सभा एवं अखिल भारतीय युवा संघ के रूप में स्थापित एवं विकसित हुई हैं, तथा वे नियमानुसार सभा से संबद्धित हैं। समाज की अधिकांश समस्याएँ वे ही होती हैं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं एवं युवा वर्ग से होता है। वर्तमान में हमारी सामाजिक समस्याएँ मुख्यतः पारिवारिक ही हैं। सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक विग्रह एवं दुर्व्यवहार तथा दहेज की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति आदि कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जिनका निराकरण महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। पारिवारिक तथा ऐसी ही अन्य समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान खोजने की क्षमता महिलाओं में ही हो सकती है। इसी प्रकार दहेज के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर भी महिलाएँ ही अपने पारिवारिक प्रभाव एवं महत्त्व के द्वारा अंकुश लगा सकती हैं। यदि महिलाएँ स्वतः ही सड़क आदि सार्वजनिक स्थानों पर नाच का प्रदर्शन बन्द कर दें, तो यह दिनों-दिन पनपती हुई कुप्रथा बड़ी आसानी से समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार अन्य सामाजिक समस्याएँ जैसे कि समाज में संयत, अनुशासित एवं जाति के आदर्शों के अनुकूल जीवन शैली का विकास युवा शक्ति के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों के जाति में नैतिक, संस्कृत एवं धार्मिक जीवन शैली प्रचलित करने के स्वप्न तभी साकार हो सकते हैं, जबकि आधुनिकता एवं भौतिकतावाद के दुष्प्रभावों का निराकरण कर हमारी समाज की युवा शक्ति सक्रिय हो जाए। हमारी जाति के कर्णधारों के सदैव यही प्रयत्न रहे हैं कि हमारे समाज में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन शैली ब्रह्मनत्व के संस्कारों एवं सात्विक आचार-विचारों पर आधारित हों। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति से ही महिला सभा एवं युवा संघ की सार्थकता सिद्ध होगी एवं आशा की जा सकती है कि वे अपने सद्प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन एवं सुधार का मुख्य माध्यम कांग्रेस अथवा सम्मेलन ही रहे हैं। कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास सम्पूर्ण जाति के जनसमूह अथवा सर्वसाधारण की संस्था के रूप में ही हुआ है तथा इसके मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार ही रहे हैं। सामाजिक रीति-रिवाजों में परिवर्तन व रहन-सहन के ढंग में सुधार ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं, जिनका मुख्य आधार समस्त जाति की सहमति एवं स्वीकृति ही हो सकती है। अतः सामाजिक सुधार का महत्त्वपूर्ण कार्य केवल सभा द्वारा सम्पादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता सदस्यों तक ही सीमित है। सभा व सम्मेलन के एक-दूसरे की पूरक संस्था होने की परिकल्पना को ही सन् 1920 ई. के प्रस्ताव द्वारा मूर्त रूप दिया गया था, जिसके अनुसार सभा को सम्मेलन की कार्यकारिणी के रूप में ही निरूपित किया गया था।

प्रारम्भिक कुछ समय तक तो कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते रहे, किन्तु धीरे-धीरे कांग्रेस के अधिवेशन के व्यय को वहने करने में कठिनाई अनुभव होने लगी, क्योंकि प्रथम तो उस समय जाति बन्धुओं की संख्या नगरों में अधिक केन्द्रित न होकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई थी तथा उस समय खाने-पीने, रहने-सहने आदि सभी प्रबन्ध स्थानीय जाति बन्धुओं द्वारा ही किया जाता था। सम्भवतः इसी कारण से यह चर्चा भी चली थी कि कांग्रेस के अधिवेशन प्रति वर्ष के स्थान पर दूसरे या तीसरे वर्ष ही

आयोजित किए जाएँ, परन्तु इस सुझाव पर सहमति प्राप्त न हो सकी और वार्षिक अधिवेशन सामान्य रूप से आयोजित किए जाते रहे। किन्तु धीरे-धीरे कांफ्रेंस अथवा सम्मेलन के अधिवेशनों में अन्तर बढ़ता ही गया और वर्तमान में तो यह अन्तर सात-सात वर्ष तक का हो गया है। सभा के प्रथम 50 वर्षों में तो सम्मेलनों के 41 अधिवेशन हुए हैं जबकि बाद के 50 वर्षों में केवल 17 ही हुए हैं, परन्तु इतना अन्तर न तो उचित है और न ही वांछित।

प्रारम्भिक वर्षों में तो सम्मेलनों के आयोजनों का अधिभार वहन करने में कठिनाई भी हो सकती थी, यद्यपि बनारस जैसे स्थानों पर भी, जहाँ जाति के केवल 5-6 परिवार ही रहते थे, कांफ्रेंस के अधिवेशन हो जाया करते थे। परन्तु वर्तमान में जब कि अधिकांश जाति की जनसंख्या नगरों में ही रहती है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक है, तब तो सम्मेलनों के आयोजन में इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सम्मेलनों एवं सभा के अधिवेशनों को आयोजित करने वाली स्थानीय सभाओं को तीन प्रकार की अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। पहली तो यह है कि स्थानीय सभाओं को प्रतिनिधियों के खाने-पीने का प्रबन्ध, शुल्क के आधार पर, करने को अनुमति दे दी गई है, दूसरे उन्हें यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वे आवश्यकतानुसार डेलीगेट फीस द्वारा अपने आर्थिक साधनों में वृद्धि कर सकती हैं तथा तीसरे सभा की ओर से इन आयोजकों को अनुदान भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में सम्मेलनों को इतने लम्बे अन्तराल से आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जाति का सम्मेलन एक संवैधानिक संस्था है और उसकी एक सामाजिक उपयोगिता भी है तथा समाज की प्रगति में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। सम्मेलनों के माध्यम से ही सम्पूर्ण जाति को सामाजिक समस्याओं एवं सुधारों की विवेचना कर आवश्यक निर्देश देने का अवसर प्राप्त होता है तथा सम्मेलनों के अवसर पर ही जाति को अपनी प्रतिनिधि संस्था भार्गव सभा के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा कर, अपने सुझावों एवं विचारों से उसे अवगत कराने के अवसर उपलब्ध होते हैं। सभा का जाति के प्रति अपना एक उत्तरदायित्व है, जिसको निभाना सभा का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही भावना सभा की लोकतांत्रिक प्रणाली का मूल आधार है। अतएव सभा का यह कर्तव्य हो जाता है कि सम्मेलनों के अधिवेशन समयानुसार सुनिश्चित करे और जाति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे और उसके द्वारा प्रतिपादित सुधारों एवं प्रस्तावों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करे। जाति द्वारा समीक्षा ही सभा की कार्य कुशलता की कसौटी है।

अन्ततोगत्वा यह कहा जा सकता है कि भार्गव सभा के गत सौ वर्षों के विकास एवं उसकी गतिविधियों के दो मुख्य आधार रहे हैं, एक तो संपूर्ण जाति की उसके प्रति आस्था और दूसरा उसकी लोकतांत्रिक कार्यशैली। जाति की सभा के प्रति आस्था का आधार, उसके कर्णधारों एवं संचालकों की कर्तव्यपरायणता, निष्ठा एवं निःस्वार्थ सेवा भाव ही रहा है एवं इसी से प्रेरित होकर जाति के सभी लोग निःसंकोच होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन अथवा सम्पत्ति का दान भी देते हैं। इसी प्रकार सभा की गतिविधियों एवं विचारधारा में जाति के लोग अपने व्यक्तित्व एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित पाते हैं और यह भावना सभा की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का ही परिणाम है तथा इसी से प्रेरित होकर सभी लोग सभा के सेवा कार्यों में सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं। अतएव यदि कभी भी सभा के इन मौलिक आधारों को क्षति पहुँची तो संभव है कि क्षणिक निहित स्वार्थों की पूर्ति तो हो जाए, किन्तु जाति एवं सभा के हितों को ऐसी हानि

हो सकती है कि जिसकी पूर्ति करना कठिन होगा। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सचेत एवं सजग रहना होगा कि कभी भी व्यक्तिगत उच्च आकांक्षाओं, दलीय गुटबन्दी व वोटों पर ही आधारित चुनावी रणनीति, वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं निःस्वार्थ सेवा भाव का स्थान ग्रहण न कर ले तथा यदि कभी ऐसा होता भी है, तो वह सभा एवं समाज का दुर्दिन ही कहा जाएगा, परन्तु हमारे समाज की जनशक्ति में पूर्ण जागरूकता एवं अपूर्व कर्तव्यनिष्ठा निहित है, अतएव यह विश्वास किया जा सकता है कि जब कभी ऐसा कोई संकट उपस्थित होगा तो वह इस महान संस्था को सुरक्षित रखने में सक्षम रहेगी।

भार्गव सभा ने संपूर्ण जाति को एक सूत्र में ही नहीं बाँधा है, अपितु उसे ऐसी पहचान भी प्रदान की है जिससे कि भारतीय समाज में उसे एक सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है एवं जाति का प्रत्येक व्यक्ति सभा की उपलब्धियों से अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता है। सभा के माध्यम से ही भार्गव समाज की भावी प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी, अतः सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि इसे अक्षुण्ण एवं निरापद रूप में सुरक्षित रखने के सतत प्रयत्न करते रहें।

ईश्वर इस महान संस्था को चिरायु प्रदान करें एवं सतत सेवा कार्य में अग्रसर रखें।

\* \* \*

## संदर्भ परिचय

1. कार्यवाही जलसा भार्गवी सभा जयपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 1 नवम्बर, 1 दिसम्बर व 28 दिसम्बर सन् 1881 ई.।
2. रूएदाद भार्गवी सभा जयपुर जिल्द 2 सन् 1882 ई. मय दस्तूर-उल-अमल भार्गवी सभा जयपुर।
3. मुरासला भार्गवी सभा, मथुरा माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई सन् 1882 ई. मय दस्तूर-उल-अमल भार्गवी अंजुमन।
4. रूएदाद जलसा भार्गव सभा लाहौर दिनांक 31 अक्टूबर सन् 1886 ई.।
5. रूएदाद जलसा कमेटी भार्गव सभा आगरा 26 दिसम्बर सन् 1887 ई.।
6. रूएदाद आगरा सभा।
7. रिसाला भार्गव सभा रिवाड़ी, रूएदाद जलसा हाय 24-25 नवम्बर व दिसम्बर सन् 1888 ई.।
8. भार्गव पेपर-मजहर-उल-इसलाह जिल्द 1 अंक 2 माह नवम्बर सन् 1888 ई.।
9. भार्गव पत्रिका मजहर-उल-इसलाह जिल्द 1 अंक 3 माह दिसम्बर सन् 1888 ई.।
10. भार्गव पत्रिका मजहर-उल-इसलाह जिल्द 1 अंक 4 माह जनवरी, अंक 5 माह फरवरी, अंक 6 माह मार्च, अंक 7 माह अप्रैल व अंक 8 माह सन् 1889 ई.।
11. किताब खयालात व हालात कौम भार्गव मजहर-उल-इसलाह अंक 9 सन् 1889 ई.।
12. अरबाब कौम भार्गव अंक 10 बाबत माह जून सन् 1889 ई.।
13. रिसाला हालात व खयालात कौम भार्गव जिल्द 1 अंक 11 माह जुलाई व अंक 12 माह सितम्बर सन् 1889 ई.।
14. कैफियत अमली कमेटी, अजमेर दिनांक 10-9-1889।
15. कार्यवाही जलसा सालाना भार्गव सभा कानौड़ (स्थापित 7 दिसम्बर सन् 1888 ई.) दिनांक 26 दिसम्बर सन् 1889 ई.।
16. हालात-ए-भार्गव सोशियल कांफ्रेंस आगरा 27 से 29 दिसम्बर सन् 1889 ई. (भार्गव पत्रिका प्रकाशन)।
17. भार्गव सभा की पहली रिपोर्ट मय नियमावली 1889।
18. भार्गव अमली कमेटी जयपुर दिनांक 13-2-89 व माह मार्च सन् 1889 ई.।
19. कार्यवाही दोयम जलसा आम भार्गव सभा लखनऊ सन् 1890 ई.।
20. कार्यवाही वार्षिक अधिवेशन भार्गव सभा रिवाड़ी दिनांक 30-9-1890।
21. कार्यवाही भार्गवी अमली कमेटी अजमेर, जनवरी व अगस्त सन् 1890 ई.।

\*\*\*\*\*

22. वार्षिक रिपोर्ट भार्गव अमली कमेटी अजमेर सन् 1890 ई.।
23. कैफियत जलसा भार्गव सभा रिवाड़ी दिनांक 13 फरवरी सन् 1890 ई.।
24. कैफियत भार्गव कमेटी अमली जयपुर दिसम्बर सन् 1890 ई. से अगस्त सन् 1890 ई.।
25. भार्गव पत्रिका जिल्द 2 अंक 9 व 13 माह जून व अक्टूबर सन् 1890 ई. तक।
26. भार्गव पत्रिका जिल्द 3 अंक माह मार्च, अप्रैल, मई व जून से दिसम्बर सन् 1891 ई. तक।
27. जलसा भार्गवी अमली कमेटी जयपुर माह मई व जून सन् 1891 ई.।
28. जलसा आम भार्गवी कमेटी जयपुर माह अक्टूबर व नवम्बर सन् 1891 ई.।
29. सालाना रिपोर्ट भार्गव सभा रिवाड़ी 1891-92, 1892-93 व 1893-94।
30. भार्गव पत्रिका माह दिसम्बर सन् 1892 ई. व माह जनवरी व फरवरी सन् 1893 ई.।
31. भार्गव पत्रिका माह जुलाई, अगस्त व नवम्बर सन् 1894 ई., माह जनवरी सन् 1895 ई., माह जनवरी से दिसम्बर सन् 1897 ई. तक, माह जनवरी से दिसम्बर सन् 1898 ई. तक, माह जनवरी से अगस्त तक व माह दिसम्बर सन् 1899 ई.।
32. कार्यवाही भार्गवी कमेटी कोटा दिनांक 3 जून सन् 1897 ई.।
33. भार्गव सभा व सम्मेलनों की सन् 1889 ई. से सन् 1988 ई. तक की कार्यवाहियाँ।
34. रिपोर्ट सिरौज कमीशन 1901।
35. भार्गव कांफ्रेंस के मजमूआ रिजोल्यूशन्स हाय इब्तदाय 1889 लगायत 1913 मुरत्तिव भार्गव सभा लाहौर।
36. भृगु वाणी 1953, 1954, 1955
37. भार्गव सेवक 1941, 1942।
38. भार्गव डायरेक्टरी 1901, 1915, 1930, 1941, 1951, 1961, 1971।
39. भार्गव सभा प्रयाग स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 1970।
40. भार्गव पत्रिका नवम्बर, दिसम्बर 1900, 1901, 1902, 1903, 1910, जनवरी से जुलाई 1911, मार्च से दिसम्बर, 1912 जनवरी से सितम्बर, 1913 से 1917 तक, 1928, 1929, 1932, 1933, 1936, 1937 व 1941 से 1987 तक।
41. भार्गव सभा की स्वर्ण जयन्ती का कार्य विवरण 1939।

\* \* \*

## ऐतिहासिक तिथियाँ

क्र.सं.	तिथि	विवरण
1.	सन् 1881 ई.	भार्गवी सभा जयपुर की स्थापना।
2.	सन् 1881 ई.	भार्गव सभा मथुरा की स्थापना।
3.	सन् 1881 ई.	प्रथम भार्गव सभा रिवाड़ी की भी स्थापना, जो चल न सकी।
4.	सन् 1887 ई.	फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा की नींव रखी गई (21 दिसम्बर)।
5.	सन् 1888 ई.	रिवाड़ी भार्गव सभा की दुबारा स्थापना (माह नवम्बर)।
6.	सन् 1888 ई.	भार्गव पत्रिका का प्रथम अंक (माह अक्टूबर) जयपुर से पं. हरदयाल सिंह जी द्वारा प्रकाशित किया गया।
7.	सन् 1888 ई.	अलीगढ़ भार्गव सभा की स्थापना (माह दिसम्बर)।
8.	सन् 1889 ई.	अमली कमेटी अजमेर की स्थापना (माह फरवरी)।
9.	सन् 1889 ई.	भार्गव सभा आगरा की रजिस्ट्री के साथ औपचारिक स्थापना (10 अक्टूबर)
10.	सन् 1889 ई.	भार्गव सभा आगरा की प्रथम नियमावली का लागू होना।
11.	सन् 1889 ई.	फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा का उद्घाटन (26 दिसम्बर)।
12.	सन् 1891 ई.	भार्गव बोर्डिंग हाउस रिवाड़ी का उद्घाटन।
13.	सन् 1894 ई.	भार्गव कांग्रेस के प्रथम सैक्रेट्री का निर्वाचन।
14.	सन् 1895 ई.	भार्गव सभा आगरा के संस्थापक, भार्गव सोशियल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, सभा के प्रधान व आजीवन उपप्रधान मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई. लखनऊ का देहावसान (19 फरवरी)।
15.	सन् 1895 ई.	भार्गव सभा आगरा व फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा के संस्थापक व सभा के आजीवन सैक्रेट्री मु. गिरधर लाल जी आगरा का स्वर्गवास (18 जुलाई)।
16.	सन् 1898 ई.	ढोसी में एक बड़ा मन्दिर बनवाया गया व चंद्र कूप की मरम्मत करवाई गई।
17.	सन् 1900 ई.	भार्गव पत्रिका का प्रकाशन अजमेर से प्रारम्भ हुआ।

\*\*\*\*\*

क्र.सं.	तिथि	विवरण
18.	सन् 1902 ई.	भार्गव बोर्डिंग हाउस अलवर की स्थापना।
19.	सन् 1905 ई.	लाहौर में बोर्डिंग हाउस की स्थापना।
20.	सन् 1906 ई.	भार्गव कांफ्रेंस की नियमावली (दस्तूर-उल-अमल) स्वीकार की गई।
21.	सन् 1910 ई.	अक्षय योनि बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का औचित्य स्वीकार किया गया।
22.	सन् 1912 ई.	नियमावली में संशोधन द्वारा शिक्षा उपसमिति व समाज सुधार उपसमिति का गठन किया।
23.	सन् 1913 ई.	महिला सम्मेलन का पहला अधिवेशन अजमेर में सम्पन्न हुआ।
24.	सन् 1913 ई.	संत चरणदास जी की जन्मभूमि डहरा (अलवर) के उत्सव का प्रारम्भ हुआ।
25.	सन् 1917 ई.	सिरौंज वालों को बिरादरी में मिलाने की घोषणा कर दी गई।
26.	सन् 1920 ई.	भार्गव सभा आगरा व रिवाड़ी भार्गव सभा का एकीकरण।
27.	सन् 1920 ई.	लाहौर बोर्डिंग हाउस बन्द कर दिया गया।
28.	सन् 1920 ई.	भार्गव 'कांफ्रेंस' का नाम परिवर्तित कर 'सम्मेलन' कर दिया गया।
29.	सन् 1927 ई.	देहली में बोर्डिंग हाउस प्रारम्भ किया गया।
30.	सन् 1928 ई.	18 वर्ष बाद पहला अक्षय योनि बाल विधवा विवाह (रिवाड़ी-अजमेर) संपन्न हुआ।
31.	सन् 1929 ई.	देहली बोर्डिंग हाउस बन्द कर दिया गया।
32.	सन् 1932 ई.	भार्गव सभा आगरा के नाम से शब्द 'आगरा' निकाल दिया गया।
33.	सन् 1935 ई.	भार्गव पत्रिका को भार्गव सभा का 'मुखपत्र' घोषित किया गया।
34.	सन् 1939 ई.	भार्गव सभा की स्वर्ण जयन्ती मनाई गई व संविधान संशोधित हुआ। भार्गव पत्रिका का प्रकाशन जाति के 'मुखपत्र' के रूप में लाहौर से प्रारम्भ हुआ।
35.	सन् 1942 ई.	रिवाड़ी बोर्डिंग हाउस बन्द कर दिया गया (1 अप्रैल से)
36.	सन् 1948 ई.	भार्गव पत्रिका का केवल हिन्दी में आगरा से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ।
37.	सन् 1948 ई.	सभा व सम्मेलन के अधिवेशनों को आयोजित करने वाली स्थानीय सभाओं को शुल्क के आधार पर खाने-पीने का प्रबन्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई।
38.	सन् 1951 ई.	भार्गव बोर्डिंग हाउस अलवर पहली मई से बन्द कर दिया गया।



\*\*\*\*\*

क्र.सं.	तिथि	विवरण
39.	सन् 1955 ई.	कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वालों को छात्रवृत्तियों के बजाय, बिना सूद का अध्ययन ऋण दिया जाए, जो बाद में वापिस किया जाए।
40.	सन् 1962 ई.	भार्गव कांफ्रेंस अथवा सम्मेलन का स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन आगरा में सम्पन्न हुआ।
41.	सन् 1964 ई.	टैक्निकल शिक्षा निधि स्थापित की गई।
42.	सन् 1966 ई.	फिनले भार्गव बोर्डिंग हाउस को आगरा कॉलेज को एक लाख बीस हजार रुपए में बेच दिया गया (माह फरवरी)
43.	सन् 1976 ई.	सभा व सम्मेलनों के अधिवेशन आयोजित करने वाली स्थानीय सभाओं को आवश्यकतानुसार डैलीगेट्स फीस लगाने को अधिकृत किया गया।
44.	सन् 1989 ई.	भार्गव सभा के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन समारोह आगरा में 1-2 व 3 जनवरी को सम्पन्न हुआ।
45.	सन् 1989 ई.	भार्गव सभा का 100वाँ वार्षिक अधिवेशन व 58वाँ सम्मेलन व सभा के शताब्दी समारोह के समापन के आयोजन 24-25 व 26 दिसम्बर को जयपुर में होना निश्चित किया गया।

\* \* \*

## भार्गव सम्मेलनों के अध्यक्षों की सूची

क्र.सं.	सम्मेलन		अध्यक्ष
	वर्ष	सन् ई. स्थान	
1.	1889	आगरा	मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई., लखनऊ।
2.	1890	लखनऊ	1. मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई., लखनऊ। 2. राय साहब बिहारीलाल जी, जबलपुर।
3.	1891	रिवाड़ी	पं. बंशीधर जी वकील, अजमेर।
4.	1892	मथुरा	राय जगन प्रसाद जी, रईस, मथुरा।
5.	1893	आगरा	मु. नवल किशोर जी सी.आई.ई., लखनऊ।
6.	1894	अजमेर	पं. रतीराम जी, नायब दीवान, जयपुर।
7.	1895	रिवाड़ी	राव बिहारीलाल जी, जबलपुर।
8.	1896	आगरा	मु. सुन्दरलाल जी, मैम्बर काउंसिल जयपुर।
9.	1897	मथुरा	राय सीताराम जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, मथुरा।
10.	1898	देहली	पं. रामजीवन लाल जी भू.पू. दीवान, शाहपुरा।
11.	1899	मेरठ	राव बिहारीलाल जी, जबलपुर।
12.	1900	प्रयाग	पं. बैनी प्रसाद जी, रईस, मिर्जापुर।
13.	1901	अलवर	पं. कन्हैयालाल जी, रईस, जयपुर।
14.	1903	अलवर	मास्टर राम जीवन लाल जी भूतपूर्व दीवान, शाहपुरा।
15.	1905	प्रयाग	पं. रामसिंह जी, वकील, कानपुर।
16.	1906	ढोसी	मास्टर रामजीवन लाल जी, भूतपूर्व दीवान शाहपुरा।
17.	1907	अलीगढ़	राय बहादुर मु. प्रयाग नारायण जी, लखनऊ।
18.	1908	कानपुर	राय दुर्गा प्रसाद जी रिटायर्ड डिप्टी कलैक्टर, सहारनपुर।
19.	1909	मथुरा	राय कुन्दनलाल जी कलैक्टर, लखनऊ।
20.	1910	प्रयाग	राय बहादुर लेफ्टीनेंट मनोहर लाल जी स्पेशल मजिस्ट्रेट।
21.	1912	आगरा	रा.ब.पं. राधारमण जी कलैक्टर, मथुरा।
22.	1913	अजमेर	पं. रामसिंह जी वकील, कानपुर।
23.	1914	लखनऊ	दीवान बहादुर पं. बिहारीलाल जी, जबलपुर।
24.	1915	जबलपुर	रा.ब.पं. मिट्ठन लाल जी, अजमेर।
25.	1916	लाहौर	दी.ब.पं. दामोदर लाल जी एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज, अजमेर।
26.	1917	बनारस	पं. अनन्त राम जी वकील, अलीगढ़।
27.	1918	दिल्ली	रा.ब.पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर।
28.	1919	आगरा	पं. रामेश्वर प्रसाद जी, प्रयाग।

\*\*\*\*\*

29.	1920	प्रयाग	रा.सा.पं. बिहारीलाल जी, रिवाड़ी।
30.	1922	अजमेर	ऑनरेबिल रा.ब.पं. जवाहरलाल जी, हिसार।
31.	1924	आगरा	रा.ब.पं. राधारमण जी कलैक्टर, मथुरा।
32.	1926	अलवर	पं. अनन्त राम जी वकील, अलीगढ़।
33.	1927	जयपुर	रा.सा. पं. बिहारीलाल जी, रिवाड़ी।
34.	1928	कानपुर	रा.ब.पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर।
35.	1929	मथुरा	रा.ब.पं. श्रीराम जी जज हाईकोर्ट, कोटा। पं. मुकुट बिहारी लाल जी, लखनऊ।
36.	1931	इलाहाबाद	पं. जगन्नाथ प्रसाद जी भूतपूर्व मन्त्री सभा, वकील, मथुरा।
37.	1933	लाहौर	पं. मथुरा प्रसाद जी, सासनी।
38.	1934	मुलताई	रा.सा. पं. बिहारीलाल जी, रिवाड़ी।
39.	1935	रिवाड़ी	रा.सा. पं. शंकरलाल जी, कानपुर।
40.	1936	लखनऊ	पं. भगवान दास जी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज।
41.	1939	आगरा	पं. मिट्ठन लाल जी, अजमेर।
42.	1940	प्रयाग	न्यायमूर्ति पं. प्यारेलाल जी जज, इलाहाबाद।
43.	1941	मेरठ	प्रो. सालिगराम जी, इलाहाबाद।
44.	1949	देहली	न्यायमूर्ति पं. प्यारेलाल जी जज, इलाहाबाद।
45.	1954	प्रयाग	मे.ज. जयदेव सिंह जी, बीकानेर।
46.	1955	मथुरा	जस्टिस पं. विष्णु दत्त जी, प्रयाग।
47.	1956	जयपुर	पं. भगवान दास जी रिटायर्ड जज, मथुरा।
48.	1957	कानपुर	पं. दीनानाथ जी 'दिनेश', दिल्ली।
49.	1959	अजमेर	पं. अयोध्या प्रसाद जी, कलकत्ता।
50.	1962	आगरा	पं. हरीकृष्ण जी एडवोकेट, दिल्ली।
51.	1964	जयपुर	पं. भगवत प्रसाद जी, आगरा।
52.	1966	लखनऊ	न्यायमूर्ति पं. वशिष्ठ जी, दिल्ली।
53.	1968	वाराणासी	पं. गौरी शंकर जी, एडवोकेट, कानपुर।
54.	1970	इलाहाबाद	पं. भगवत प्रसाद जी, देहली।
55.	1972	देहली	जस्टिस पं. शंकर प्रसाद जी, देहली।
56.	1977	जयपुर	पं. प्रकाश दत्त जी, देहली।
57.	1982	लखनऊ	डॉ. शान्ति प्रसाद जी आई.पी.एस. रिटा. (जयपुर)।

### सम्मेलनों सम्बन्धी अन्य विवरण

#### (1) जिन वर्षों में सम्मेलन नहीं हुए :

1902, 1904, 1911, 1921, 1923, 1925, 1930, 1932, 1937, 1938, 1942 से 1948, 1950 से 1953, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 से 1976, 1978 से 1981, 1983 से 1989 तक।

\*\*\*\*\*

(2) स्थान जहाँ-जहाँ पर सम्मेलन हुए :

स्थान	वर्ष	स्थान	वर्ष
आगरा	1889	मेरठ	1899
	1893		1941-2
	1896	प्रयाग	1900
	1912		1905
	1919		1910
	1924		1920
	1939		1929
	1962-8		1931
लखनऊ	1890		1940
	1914		1954
	1936		1970-9
	1966	दोसी	1906-1
रिवाड़ी	1982-5	अलीगढ़	1907-1
	1891	कानपुर	1908
	1895		1928
	1935-3		1957-3
मथुरा	1892	जबलपुर	1915-1
	1897	अलवर	1901
	1909		1903
	1955-4		1926-3
अजमेर	1894	लाहौर	1916
	1913		1933-2
	1922	बनारस	1917
	1959-4		1968-2
देहली	1898	जयपुर	1927
	1918		1956
	1949		1964
	1972-4		1977-4
		मुलताई	1934-1
			कुल : 57

## भार्गव सभा के सभापतियों की सूची

क्र.सं.	वर्ष (सन्-ई.)	सभापति
1.	1889-1894	मु. रामदयाल जी (आजीवन), अलवर।
2.	1895	मु. नवलकिशोर जी सी.आई.ई. (जीवनपर्यन्त) लखनऊ।
3.	1896-1920	दीवान ब.पं. बिहारीलाल जी खजानची, जबलपुर (जीवनपर्यन्त)।
4.	1921-22	पं. रामसिंह जी वकील, कानपुर (जीवनपर्यन्त)।
5.	1923-29	राय सा. पं. ज्योति प्रसाद जी, सहारनपुर।
6.	1930-45	राय सा. पं. मिट्ठन लाल जी, अजमेर।
7.	1946-49	रा. ब. पं. प्यारेलाल जी।
8.	1950-51	प्रो. सालगराम जी, प्रयाग।
9.	1952	न्यायमूर्ति पं. प्यारेलाल जी, (जीवनपर्यन्त)।
10.	1953	प्रो. सालगराम जी, प्रयाग (जीवनपर्यन्त)।
11.	1954-58	मेजर जनरल जयदेव सिंह जी, बीकानेर।
12.	1959-61	जस्टिस पं. विष्णु दत्त जी, प्रयाग।
13.	1962-64	मेजर जनरल जयदेव सिंह जी, बीकानेर।
14.	1965-72	जस्टिस पं. वशिष्ठ जी, देहली।
15.	1973-74	जस्टिस पं. शंकर प्रसाद जी, देहली।
16.	1975	पं. गौरीशंकर जी, कानपुर।
17.	1976	पं. श्रीराम जी, देहली।
18.	1977	जस्टिस पं. शंकर प्रसाद जी, देहली।
19.	1978	जस्टिस पं. चन्द्र भान जी, जयपुर।
20.	1979	पं. प्रकाश दत्त जी, देहली।
21.	1980	पं. भगवत प्रसाद जी, देहली।
22.	1981	पं. प्रकाश दत्त जी, देहली।
23.	1982	पं. महावीर प्रसाद जी, आगरा।
24.	1983	पं. भारत भूषण जी, ग्वालियर।
25.	1984	पं. प्रकाश दत्त जी, देहली।
26.	1985-86	पं. किशोरी लाल जी, देहली।
27.	1987	पं. राघव नाथ जी, देहली।
28.	1988	पं. पूर्ण चन्द्र जी, जयपुर।
29.	1989	डॉ. सुभाष जी, देहली।

\* \* \*

## भार्गव सभा के मन्त्रियों/प्रधान मन्त्रियों की सूची

क्र.सं.	वर्ष (सन्-ई.)	मन्त्री/प्रधानमन्त्री
1.	1889-95	मु. गिरधर लाल जी, आगरा (आजीवन)
2.	1896-1914	मु. जगन्नाथ प्रसाद जी, आगरा।
3.	1915-24	मु. गोपाल प्रसाद जी, आगरा।
4.	1925-32	राय ब. पं. राधा रमण जी, कलैक्टर, मथुरा।
5.	1933-30. 6.40	प्रो. सालग राम जी, प्रयाग।
6.	1.7.40-1943	पं. भगवान दास जी।
7.	1944-49	प्रो. सालगराम जी, प्रयाग।
8.	1950-58	पं. विष्णुदत्त जी, प्रयाग।
9.	1959-69	पं. भगवत प्रसाद जी, आगरा।
10.	1970-88	पं. कैलाश नाथ जी, जयपुर।
11.	1989-	श्री सुरेश जी, रिवाड़ी।

\* \* \*

## समाज सुधार उपसमिति के मुख्यालय एवं पदाधिकारियों की सूची (स्थापित सन् 1912 ई. : 11 सदस्य)

वर्ष (सन्-ई.)	मुख्यालय	प्रेसीडेन्ट	सैक्रेट्री
1913-14	अजमेर	पं. ज्योति प्रसाद जी	पं. श्याम लाल जी, अजमेर
1915	लखनऊ	" "	पं. रामकिशोर जी, लखनऊ
1916	लखनऊ	" "	पं. प्यारे लाल जी, लखनऊ
1917-18	रिवाड़ी	" "	पं. बिहारी लाल जी, रिवाड़ी
1919	देहली	" "	पं. भवानी प्रसाद जी, देहली
1920-23	लखनऊ	पं. बासुदेव लाल जी	पं. प्यारे लाल जी, लखनऊ
1925-26	अजमेर	रा. स. पं. मिट्ठनलाल जी	पं. श्याम लाल जी, अजमेर
1927-37	देहली	रा. सा. पं. बिहारीलाल जी, रिवाड़ी	पं. हरिकिशन जी, देहली
1938-39	देहली	रा.सा.पं. मनोहरलाल जी	पं. हरिकिशन जी, देहली
1940	लखनऊ	पं. प्यारे लाल जी जज, फैजाबाद	पं. शिवदयाल जी, लखनऊ
1941-43	लखनऊ	पं. प्यारे लाल जी	पं. शिव दयाल जी
1944-45	रिवाड़ी	पं. हरी किशन जी, देहली	रा.सा. पं. बनवारी लाल जी, रिवाड़ी
1946	देहली	पं. हेम चन्द जी	पं. हरिकिशन जी
1947-48	कानपुर	पं. गिरधर दास जी	पं. प्रेम नाथ जी
1949	कानपुर	श्री देवी सिंह जी	पं. प्रेम नाथ जी
1950-55	देहली	पं. भगवत प्रसाद जी	पं. दीनानाथ जी 'दिनेश'
1956-57	देहली	पं. दीनानाथ जी दिनेश	पं. भगवत प्रसाद जी
1958	जयपुर	पं. रामेश्वर प्रसाद जी	पं. परमेश्वर नाथ जी
1959-60	देहली	पं. दीनानाथ जी दिनेश	पं. राधेश्याम जी
1961-62	देहली	" "	पं. सुन्दर लाल जी
1963-64	देहली	" "	पं. विशेश्वर नाथ जी
1965	जयपुर	पं. रामेश्वर प्रसाद जी	पं. कृष्ण जीवन जी
1966-67	आगरा	पं. कृष्ण प्रसाद जी	पं. बैकुण्ठ नाथ जी



\*\*\*\*\*

1968-69	लखनऊ	पं. द्वारका प्रसाद जी	पं. विष्णु कुमार जी
1970-72	कानपुर	पं. गौरी शंकर जी	पं. प्यारे लाल जी
1973-74	देहली	पं. हरी कृष्ण जी	पं. मोती लाल जी
1975	जयपुर	पं. कृष्ण जीवन जी	पं. परमेश्वर नाथ जी
1976-77	जयपुर	पं. चन्द्र भान जी	पं. आनन्द किशोर जी
1978	जयपुर	पं. आनन्द किशोर जी	पं. श्याम सुन्दर जी
1979	जयपुर	" "	पं. नरेन्द्र कुमार जी
1980	जयपुर	" "	पं. प्रमोद कुमार जी
1981	कानपुर	पं. वेद प्रकाश जी	पं. धर्म नारायण जी
1982-84	जयपुर	पं. आनन्द किशोर जी	पं. नरेन्द्र कुमार जी
1985	देहली	पं. राघव नाथ जी	श्री कमलेश्वर प्रसाद जी
1986	जयपुर	पं. आनन्द किशोर जी	पं. विजय रत्न जी
1987	जयपुर	" "	पं. प्रमोद कुमार जी
1988	जयपुर	पं. रमेश जी	" "
1989	जयपुर	डॉ. ऋषि कुमार जी	" "

\* \* \*

## शिक्षा उपसमिति के मुख्यालय एवं पदाधिकारियों की सूची

(स्थापित सन् 1912 ई. : 11 सदस्य)

क्र.सं.	वर्ष (सन्-ई.)	मुख्यालय	प्रेसिडेन्ट	सैक्रेट्री
1.	1913-14	लखनऊ	रा.ब.पं. राधारमण जी डिप्टी कलैक्टर, हरदोई	पं. राम किशोर जी लखनऊ
2.	1915-19	अजमेर	दी.ब.पं. दामोदर लाल जी	रा.सा.पं. मिट्ठनलाल जी
3.	1920-21	अजमेर	" "	पं. प्रभु दयाल जी
4.	1922-32	इलाहाबाद	पं. कन्हैया लाल जी	प्रो. सालगराम जी
5.	1933-43	इलाहाबाद	" "	पं. विष्णुदत्त जी
6.	1944-45	इलाहाबाद	" "	पं. रामजीदास जी
7.	1946	अलवर	प्रो. सालगराम जी	प्रि. पं. शंकर प्रसाद जी
8.	1947	लखनऊ	पं. सूरज नारायण जी	श्रीमती सुमित्रा जी
9.	1948	लखनऊ	" "	पं. कृष्ण मुरारी जी
10.	1949	लखनऊ	पं. रामजीदास जी	" "
11.	1950-54	जयपुर	पं. रामेश्वर प्रसाद जी	पं. परमेश्वर नाथ जी
12.	1955	जयपुर	पं. श्याम बिहारीलाल जी	" "
13.	1956	जयपुर	पं. परमेश्वर नाथ जी	पं. कृष्ण जीवन जी
14.	1957	मथुरा	पं. द्वारकानाथ जी	प्रो. दीनानाथ जी
15.	1958	मथुरा	" "	पं. भगवान दास जी रिटा. जज
16.	1959-60	जयपुर	पं. परमेश्वर नाथ जी	पं. कृष्ण जीवन जी
17.	1961	लखनऊ	पं. कृष्ण मुरारी जी	डॉ. मोतीलाल जी
18.	1962-64	कानपुर	पं. गौरी शंकर जी	पं. वेद प्रकाश जी
19.	1965	इलाहाबाद	पं. ब्रह्म दत्त जी	पं. कृष्ण सहाय जी
20.	1966-67	देहली	पं. गोपी नाथ जी	पं. हरी कृष्ण जी
21.	1968	मथुरा	पं. हरज्ञान सिंह जी	श्रीमती सुशीला जी
22.	1969	मथुरा	" "	डॉ. पुरुषोत्तम लाल जी

\*\*\*\*\*

23.	1970-71	देहली	पं. भगवत प्रसाद जी	पं. हरी कृष्ण जी
24.	1972	देहली	पं. हरी कृष्ण जी	पं. मोती लाल जी
25.	1973-74	ग्वालियर	पं. ओम प्रकाश जी	पं. ज्ञान प्रकाश जी
26.	1975	इलाहाबाद	पं. गजाधर प्रसाद जी	पं. राधा कृष्ण जी
27.	1976	ग्वालियर	पं. ओम प्रकाश जी	पं. ज्ञान प्रकाश जी
28.	1977	ग्वालियर	" "	पं. ओंकार नाथ जी
29.	1978	देहली	पं. राघव नाथ जी	श्रीमती डॉ. ऊषा जी
30.	1979-80	कानपुर	पं. वेद प्रकाश जी	पं. धर्म नारायण जी
31.	1981	जयपुर	पं. आनन्द किशोर जी	पं. नरेन्द्र कुमार जी
32.	1982	मेरठ	पं. उमा कान्त जी	पं. सुरेन्द्र नाथ जी
33.	1983	कानपुर	पं. ओंकार नाथ जी	पं. शान्तनु जी
34.	1984	कानपुर	" "	" "
35.	1985	रिवाड़ी	पं. नरेश्वर सहाय जी	श्री सुरेश जी
36.	1986	रिवाड़ी	पं. परमेश्वर नाथ जी	" "
37.	1987	अलवर	पं. महेश चन्द जी	पं. गोपी नाथ जी
38.	1988	रिवाड़ी	पं. ललित कुमार जी	श्री सुरेश जी
39.	1989	देहली	पं. सत्यनारायण जी	श्री रविशंकर जी

\* \* \*

सभा से संबद्ध संस्थाएँ

**(अ) अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा**

(लेखिका - श्रीमती मोनिका भार्गव, मन्त्राणी)

भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन, आगरा के अवसर पर बाहर से आई हुई महिलाओं एवं आगरा की बहनों की एक बैठक दि. 29 दिसम्बर 80 को प्राप्त: 10 बजे हुई, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती रानी लीला रामकुमार जी, लखनऊ ने की। बैठक में लगभग 60 महिलाएँ उपस्थित थीं। इस अवसर पर समाज की वरिष्ठ बहन श्रीमती कामेश्वरी जी ने सुझाव रखा कि हमारी महिला सभाओं को एक सूत्र में बाँधने व उनमें एकरूपता लाने एवं समाज में नारियों से सम्बन्धित नाना प्रकार के उत्थान के साधन तलाश करने आदि के लिए एक केन्द्रीय महिला सभा की आवश्यकता है। हम बहनें भार्गव सभा व सम्मेलनों के अवसर पर जाती तो हैं, लेकिन साथ बैठकर महिला वर्ग की समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने का अवसर हमें नहीं मिलता। यह वही आगरा नगरी है, जहाँ पर हमारी भार्गव सभा का श्रीगणेश हमारे पूर्वजों की सूझबूझ से हुआ था। यहीं हमारे नवयुवकों ने अ.भा. युवा संघ का बीजारोपण किया व केन्द्रीय स्तर पर अगर यहाँ पर ही महिला सभा का श्रीगणेश हो जाये तो मैं समझती हूँ कि उसके माध्यम से हम सभी बहनें मिलकर महिलाओं के उत्थान के उपायों पर विचार कर सकेंगी एवं समाज में जो कुरीतियाँ समय-समय पर पनपती रहती हैं, उनके निराकरण के उपाय सोचे जा सकेंगे। सभी बहनों ने इस सुझाव का स्वागत किया एवं महिलाओं की एक केन्द्रीय स्तर की सभा स्थापित करने का निश्चय लिया गया। इस संस्था का क्या नाम हो व इसके उद्देश्य एवं विधान का प्रारूप तैयार करने हेतु 15 बहनों की एक समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्ष श्रीमती रानी लीला रामकुमार जी, लखनऊ तथा मन्त्राणी श्रीमती सुशीला भार्गव, कानपुर मनोनीत की गई।

2 जनवरी 82 को मेरठ में सम्पन्न प्रथम अधिवेशन के अवसर पर नियमावली प्रस्तुत की गई एवं महिला सभा का चिह्न 'सहजोबाई' का रेखाचित्र निर्धारित किया गया।

वर्ष 1981-1983 तक, सभा की अध्यक्षता का पद श्रीमती रानी लीला रामकुमार जी, लखनऊ तथा मन्त्राणी का कार्यभार श्रीमती सुशीला जी, कानपुर ने सम्भाला। इन 3 वर्षों के सभा के बाल्यकाल में समाज का नाम गौरवान्वित करने हेतु श्रीमती लीला रामकुमार जी, लखनऊ को इन्टरनेशनल काउन्सिल ऑफ विमेन की सदस्या एवं उसी संस्था की एक उपसमिति की उपाध्यक्षा चुने जाने पर तथा श्रीमती सुशीला जी, मथुरा को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पदक प्राप्त करने पर बधाई दी गई तथा सम्मानित किया गया। रीति संग्रह की विभिन्न धाराओं पर भी विचार हुआ तथा संशोधन प्रस्तावित किए गए।

1984-1987 वर्ष में सभा की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमजी, दिल्ली तथा मन्त्राणी श्रीमती सुषमा जी जयपुर रहीं। इन वर्षों में आजीवन सदस्याओं की संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई एवं आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ हुई। सभा की ओर से महिलाओं को लघु उद्योग लगाने में प्रोत्साहित किया गया। कुछ बहनों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया। श्रीमती माधुरी जी, चन्दौसी को इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 310 की अध्यक्षा मनोनीत होने पर, श्रीमती उर्मिला जी, रिवाड़ी को साहसिक कार्य करने हेतु 'मान पत्र' प्रदान किया गया। कु. अलका, जयपुर, कुमारी संध्या, हरिद्वार व कु. संगीता दिल्ली को यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर पुरस्कृत किया गया। सन् 1985 ई. में स्व. श्रीमती रत्ना जी की स्मृति में उनके पति श्री योगेश्वर सहाय जी ने 10,000/- रुपये की राशि 'रत्ना पुरस्कार' हेतु दान दी, जिसके ब्याज से प्रति वर्ष समाज की सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला को पुरस्कृत किया जाएगा।

सभा की आर्थिक स्थिति अब इस योग्य हो गई थी कि वह समाज की आर्थिक रूप से भी कुछ सहायता कर सके। इस वर्ष पुष्कर धर्मशाला की मरम्मत हेतु 2,000/- रुपये दिए गए। दिल्ली की एक जरूरतमन्द बहन श्रीमती सरला जी, कमला नगर, दिल्ली को उनकी पुत्री के विवाह हेतु 2000/- रुपये दिए गए। फरीदाबाद की एक बहन को भी आर्थिक सहायतार्थ 2000/- रु. दिए गए। दो परिवारों की सामाजिक समस्याओं का हल भी कुछ बहनों के प्रयत्न से किया गया। श्रीमती प्रेमजी, दिल्ली ने फुलेरा निवासी कु. रीता को पायलेट का लाइसेन्स प्राप्त होने पर अपनी ओर से स्वर्ण पदक प्रदान किया।

1987 वर्ष में सभा की अध्यक्षा श्रीमती शारदा जी, जयपुर तथा मन्त्राणी श्रीमती मोनिका जी, जयपुर चुनी गईं। इस अल्प समय में जबलपुर, रिवाड़ी, गाजियाबाद, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कोटा, ग्वालियर, बैतूल, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, अजमेर, आगरा, मेरठ, अलवर तथा अलीगढ़ की सभाएँ, अ.भा. भार्गव महिला सभा से सम्बद्ध रहीं। इस नियमावली की धाराओं में संशोधन किया गया। इसी वर्ष सभा की ओर से श्रीमती शारदा जी, कोटा व श्रीमती ताराजी, कानपुर को 'रत्ना पुरस्कार' प्रदान किया गया। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 47 वरिष्ठ बहनों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत सुश्री दमयन्ती जी, जोधपुर व डॉ. हितेश भार्गव, जयपुर तथा कु. प्रीता (जेल अधीक्षिका, भीलवाड़ा) को सम्मानित किया गया। इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की प्रथम स्मारिका का प्रकाशन सभा की ओर से हुआ। इससे सभा की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई।

वर्ष 1988 ई. में दिल्ली में चुनाव हुए। अध्यक्षा के पद पर श्रीमती सरला जी, जोरबाग, दिल्ली तथा मन्त्राणी श्रीमती मोनिका जी, जयपुर चुनी गईं। इस वर्ष श्रीमती ताराजी कानपुर से 5000/- रुपये की राशि 'हरिश्चन्द्र तारा' निधि की स्थापना हेतु प्राप्त हुई। इस राशि के ब्याज से जरूरतमन्द महिला को स्कॉलरशिप दी जा रही है। आजीवन सदस्याओं की संख्या भी बढ़कर 193 है। श्री मुरली मनोहर जी, जयपुर से 5000/- रु. की राशि 'सरस्वती मुरली मनोहर' निधि की स्थापना हेतु प्राप्त हुई जिसके ब्याज से जरूरतमन्द महिला की सहायता की जाएगी। इस वर्ष खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय या राजकीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने हेतु 'शांति सुन्दरलाल पुरस्कार' श्रीमती रेखा जी, जयपुर को प्रदान किया गया। सामाजिक सेवा में श्रेष्ठ कार्य करने हेतु श्रीमती प्रभाजी, लखनऊ को 'रत्ना पुरस्कार' प्रदान किया

गया। भार्गव सभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर श्रीमती सरला जी जोरबाग के संयोजकत्व में सभा की ओर से भव्य कलात्मक प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 400 प्रतियोगियों ने भाग लिया। 60 पारितोषिक विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्रीमती कमला जी, दिल्ली द्वारा अपने सास-ससुर की स्मृति में दिए गए कप्स, सभा की ओर से श्रीमती अनुजी, दिल्ली व डॉ. सरोज भार्गव, आगरा को प्रदान किए गए। श्रीमती सरला जी जोरबाग द्वारा श्रीकृष्ण चन्द्र मैमोरियल कप श्रीमती कुमुद जी, दिल्ली को प्रदान किया गया। इस वर्ष अध्यक्षा जी के प्रयास से गुड़गाँव तथा जोधपुर में महिला सभा की स्थापना हुई तथा सम्बद्ध हुई।

इस वर्ष भी सभा का कार्य अध्यक्षा श्रीमती सरला जी, जोरबाग, दिल्ली तथा मन्त्राणी श्रीमती मोनिका जी, जयपुर के नेतृत्व में चल रहा है। इस वर्ष सभा की ओर से गुड़गाँव की श्रीमती पुष्पा जी तथा उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हम आभारी हैं इन बहनों के, जिन्होंने उक्त परिवार के बच्चों की फीस व यूनिफॉर्म का व्यय स्वयं अपने ऊपर वहन कर लिया है। इस कार्य में श्रीमती शांति जी व सीता जी, जयपुर तथा श्रीमती राजकुमारी जी का नाम उल्लेखनीय है। अत्यन्त हर्ष का विषय है कि इस वर्ष सभा की ओर से त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन श्रीमती प्रभा जी लखनऊ के सम्पादन में प्रारम्भ हो गया है। आपका प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। आशा करती हूँ कि इसके माध्यम से बहनों में विचारों के आदान-प्रदान में विशेष सफलता मिलेगी। इन 9 वर्षों में सभा ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके माध्यम से महिलाओं में जागरूकता तथा समाज सेवा की भावना जागृत हुई है। कला, शिक्षा, खेलकूद तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में समाज की बहनें व बालिकाएँ अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करने हेतु सभा उन्हें समय-समय पर सम्मानित एवं पुरस्कृत करती है। महिलाएँ समाज में पनपती कुरीतियों के निराकरण के भी प्रयास कर रही हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में सभा अपने उद्देश्यों में अत्यन्त सफल होगी।

\* \* \*

## (ब) अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ

लेखक : श्री दया सरन (महामन्त्री)

अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ की स्थापना एक छोटे से पौधे के रूप में अब से लगभग बीस वर्ष पूर्व सन् 1971 ई. में श्री श्रीकृष्ण जी (ग्वालियर), श्री राधा रमण जी (मथुरा), श्री विजय 'सनम' जी, श्री शिवकुमार जी 'सुमन', श्री शिवराज जी, स्व. श्री महेन्द्र नाथ जी, श्री सत्येन्द्र जी (सभी आगरा), श्री आनन्द जी, श्री हरि शंकर जी (भरतपुर), श्री श्याम बिहारी लाल जी (कोटा) एवं अन्य युवाओं के अथक प्रयासों से हुई थी। यह पौधा आज एक वट वृक्ष का रूप ग्रहण कर चुका है, जिसकी अनेक शाखाएँ देश के विभिन्न शहरों में कार्यरत हैं और सामाजिक उत्थान में प्रयत्नशील हैं, साथ ही सजातीय परिवारों व युवाओं में स्नेह भावना का दीप प्रज्वलित किए हुए हैं।

पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जहाँ स्थानीय भार्गव युवा संघ सक्रिय है, वहीं अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ रचनात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा था, ऐसी स्थिति में इसके गौरव को बचाने हेतु युवाओं के सहयोग से, लोकतान्त्रिक पद्धति से इसके स्वरूप में 30 अप्रैल 1989 को जयपुर में बदलाव आया। गत वर्षों में आगरा, अजमेर, जयपुर, दिल्ली आदि नगरों के युवा संघ अपनी-अपनी गतिविधियों में उच्च शिखर पर रहे हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम (युवा) अपने समाज के गौरव को बढ़ाने हेतु आगे आएँ और अखिल भारतीय स्तर के आजीवन सदस्य बन कर रचनात्मक कार्य कर सक्रिय भूमिका निभायें, जिससे उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके, जिसके लिए इसकी स्थापना हमारे बड़े भाइयों ने की है।

चालू वर्ष में हमें कार्य करने व अपनी कार्य क्षमता दिखलाने हेतु अल्प समय मिला, फिर भी हमने संघ की सुदृढ़ता हेतु कुछ कदम उठाए हैं — जिनमें अखिल भारतीय स्तर के समस्त पदाधिकारियों व सदस्य कार्यकारिणी को आजीवन सदस्य बनाना, निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय बनाना, इस वर्ष चुनाव हेतु परिचय पत्रों का प्रयोग तथा वार्षिक पुरस्कार वितरण, जो पिछले वर्ष नहीं हुआ था, को पुनः आरम्भ कराना। फिर भी हमें इससे सन्तोष नहीं है। हम संगठन को नया स्वरूप देने हेतु प्रयत्नशील रहें, ऐसी हमारी महर्षि भृगु से कामना है।

हम आभारी हैं सर्वश्री शिवराज जी, शिवकुमार जी 'सुमन', विजय 'सनम', डॉ. ऋषि जी, सर्वश्री प्रमोद जी, योगेश जी (दिल्ली), अरुण जी (कोटा), श्रीकृष्ण जी (अजमेर), विजय कुमार जी (मथुरा) आदि के, जिनका स्नेह व सहयोग समय-समय पर प्राप्त हुआ।

भार्गव सभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह के अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि सामाजिक कुरीतियों से समाज को मुक्ति प्रदान करायेंगे तथा न दहेज लेंगे व न दहेज देंगे, तभी सम्पन्न व स्वच्छ समाज का सपना साकार होगा।



**अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ की 1989-90 की कार्यकारिणी**

- अध्यक्ष — श्री अजय कुमार भार्गव, 1191, बंसी भवन, चाणक्य मार्ग, जयपुर।
- उपाध्यक्ष — (1) श्री पंकज भार्गव, गली दुर्गा चन्द, चौक बाजार, मथुरा।  
 (2) श्री रवि भार्गव, 39/238, कारवान, वास्ते वैद्य मटरूमल, आलमगंज आगरा।  
 (3) श्री रमेश चन्द्र भार्गव, 553, स्कीम नं. 2, वाटर वर्क्स, अलवर।  
 (4) श्री सुभाष भार्गव, जयपुर।
- महामन्त्री — श्री दया सरन भार्गव, खातीपाड़ा, लोहा मण्डी, आगरा।
- उपमन्त्री — (1) श्री योगेश भार्गव, 1/72, दरेशी नं. 2, आगरा।  
 (2) श्री सतीश भार्गव, 1105 सुभाष चौक, जयपुर।  
 (3) श्री मुकुल भार्गव, द्वारा - श्री राकेश भार्गव, रामनिवास, रिवाड़ी।  
 (4) श्री अरविन्द भार्गव, एम.आई.जी.-16, हेमन्त विहार, वर्षा भाग-2, कानपुर।
- सदस्य कार्यकारिणी (1) श्री सुभाष चन्द्र जी, सत्संग भवन, बापू नगर, जयपुर।  
 (2) श्री जितेन्द्र जी, सी.ए., 31, बैंक कॉलोनी, जयपुर हाउस, आगरा।  
 (3) श्री राकेश जी, रामनिवास, कुतुबपुर, रिवाड़ी।  
 (4) श्री अरुण जी, लम्बी गली, रामपुरा, कोटा।  
 (5) श्री शेखर जी, बेबी हैपी स्कूल के पीछे, रानी बाजार, बीकानेर।  
 (6) श्री कृष्ण जी, 12/137, हाथी भाटा, राम गली, अजमेर।  
 (7) श्री राकेश जी, भार्गव ट्रेडर्स, जेल रोड, सीतापुर, उ.प्र.।  
 (8) श्री श्रवण जी, 14, शिवाजी मार्ग, लखनऊ।  
 (9) श्री गोपाल कृष्ण जी, 9/1, मलूकसिंह मार्ग, कृष्णा नगर, दिल्ली।  
 (10) श्री योगेश जी, के.सी.-168, कवि नगर, गाजियाबाद।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त स्थानीय संघों के मनोनीत प्रतिनिधि व प्रबन्धक समिति द्वारा मनोनीत 5 सदस्य भी कार्यकारिणी सदस्य हैं।

**1971 से 1989 तक के अध्यक्ष व महामन्त्री**

सन्	अध्यक्ष	महामन्त्री
1971-72	श्री श्रीकृष्ण जी 8-बी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, तानसेन रोड, ग्वालियर।	श्री विजय 'सनम' बाग राम सहाय, लोहा मण्डी, आगरा।
1973	श्री विष्णु कुमार जी सी-231, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।	श्री सुनील जी 160, न्यू आगरा।
1974	श्री विष्णु कुमार जी सी-231, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।	श्री वीरेन्द्र कुमार जी प्रयाग भवन, बीकानेर।

\*\*\*\*\*

1975-76	श्री योगेश जी जमुना प्रिंटिंग वर्क्स, हौज काजी, पीपल महादेव, दिल्ली।	श्री वीरेन्द्र कुमार जी प्रयाग भवन, बीकानेर।
1977	श्री देवेन्द्र जी 73, कचौड़ा बाजार, दिल्ली।	श्री वीरेन्द्र कुमार जी। प्रयाग भवन, बीकानेर।
1978	श्री योगेश जी जमुना प्रिंटिंग वर्क्स, हौज काजी, पीपल महादेव, दिल्ली।	डॉ. कुलदीप जी शीतला घाटी, मथुरा।
1979-80	डॉ. ऋषि जी सी-32, बापू नगर, जयपुर।	डॉ. कुलदीप जी शीतला घाटी, मथुरा।
1981	श्री सुनीत जी 160, न्यू आगरा।	श्री प्रमोद जी सी-32, बापू नगर, जयपुर।
1982	श्री पन्नालाल जी 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।	श्री प्रमोद जी सी-32, बापू नगर, जयपुर।
1983	डॉ. कुलदीप जी शीतला घाटी, मथुरा।	श्री प्रमोद जी सी-32, बापू नगर, जयपुर।
1984	श्री योगेन्द्र जी जमुना प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली।	श्री अजय जी 1191, बंसी भवन, चाणक्य मार्ग, जयपुर।
1985	श्री राजीव जी पालीवाल कंपाउण्ड, कोटा छावनी।	श्री विजय जी 500, हनुमान टीला, मथुरा।
1986	श्री राजीव जी सिंडीकेट बैंक, जयपुर।	श्री विजय जी 500, हनुमान टीला, मथुरा।
1987	श्री अरुण जी 77, प्रताप नगर, जयपुर।	श्री सुधीर जी 99-ए, कमला नगर, नई दिल्ली।
1988-89	श्री हेमन्त जी 1466, मोती कटला, सुभाष चौक, जयपुर।	श्री सुधीर जी 99-ए, कमला नगर, नई दिल्ली।
1989-90	श्री अजय कुमार जी एडवोकेट 1191, बंसी भवन, चाणक्य मार्ग, जयपुर।	श्री दया सरन जी 34/296, खातीपाड़ा, लोहा मण्डी, आगरा।

\* \* \*

स्थानीय सभाओं का विवरण

**(अ) स्थानीय भार्गव सभा, कानपुर**

(राजेन्द्र नाथ भार्गव, अध्यक्ष, स्थानीय भार्गव सभा, कानपुर)

यद्यपि नियमित रूप से केन्द्रीय भार्गव सभा की रजिस्ट्री 10 अक्टूबर सन् 1889 ई. को लखनऊ में हुई, किन्तु इसका प्रथम अधिवेशन आगरा में सोशल कांफ्रेंस के नाम से 27 दिसम्बर 1887 ई. को हुआ। जलसा कमेटी भार्गव सभा की बैठक मुन्शी गिरधर लाल जी सैक्रेट्री के मकान पर राय सीताराम जी की अध्यक्षता में 26 दिसम्बर सन् 1887 ई. को हुई तथा उसकी कार्यवाही की प्रथम रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। इस कमेटी में भार्गव सभा की नियमावली का विवरण भी रखा गया तथा निम्न दो प्रस्ताव पारित हुए :—

- (1) सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो संविधान में अंकित हैं, सभा का नियमानुसार स्थापित होना आवश्यक है।
- (2) सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि विवाह आदि के अवसर पर जाति के सज्जन अपनी इच्छा व हैसियत अनुसार अन्य रस्मों की तरह सभा की सहायता आवश्यक समझकर जितनी राशि उचित समझें, सभा के कोष में दिया करें।

उपलब्ध लेखों के आधार के अनुसार, 1 जनवरी सन् 1888 ई. को कानपुर में जातीय सभा हुई और दोनों प्रस्तावों का समर्थन किया गया। इस प्रकार कानपुर में भार्गव सभा गत शताब्दी के अन्त से बराबर किसी न किसी रूप से चली आ रही है, लेकिन आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व का वह दिन धन्य है जबकि अपनी जाति के कुछ गिने व माने पूज्यजनों के मन में यह विचार आया कि विधिवत् एक ऐसा स्थायी मंच स्थापित किया जावे जहाँ हम छोटे-बड़े एकत्रित हों, एक-दूसरे के दुःख-सुख सुन सकें एवं उनके निवारण में अपना योगदान दे सकें। यह मन की भावना शनैः-शनैः विकसित हुई और 17 अप्रैल सन् 1932 ई. को पूज्य बल्लभ दास जी ने अपने निवास स्थान पर बिरादरी को एकत्रित किया जिसमें जाति के 19 पूज्यजन उपस्थित थे। सर्वसम्मति से एक सभा स्थापित की जिसका नाम 'भार्गव प्रेम क्लब' रखा गया। यह अंकुर धीरे-धीरे पौधे के रूप में समाज के सामने उपस्थित हुआ। इस पौधे रूपी सभा की सुरक्षा के लिए पूज्य बल्लभ दास जी, श्री विशम्भर नाथ जी, श्री जुगल किशोर जी, श्री गिरधर दास जी व श्री परमेश्वरी शरण जी सर्वसम्मति से चुने गए। मन्त्री का कार्य हमारे कर्मठ व लगनशील समाजसेवी पं. गौरी शंकर जी एडवोकेट एवं सहायक मन्त्रियों में श्री रामेश्वर नाथ जी एडवोकेट व श्री कैलाश प्रसाद जी मनोनीत हुए। खजानची का पद पं. देवीसिंह जी को सौंपा गया।

इसके पश्चात् सभा की नियमावली बनाई गई जिसको दि. 15 मई सन् 1932 ई. की बैठक में अन्तिम रूप दिया गया। पं. बाल मुकुन्द जी के निवास स्थान पर हुई सभा में अपना प्रथम वार्षिक उत्सव 24 सितम्बर 1933 ई. को मनाया गया।

‘भार्गव प्रेम क्लब’ के नाम से सभा का कार्य सन् 1932 से लेकर 1948 ई. तक रहा। वर्ष 1948 ई. में कुछ सदस्यों के सुझाव पर सभा का नाम ‘भार्गव प्रेम क्लब’ से बदल कर ‘लोकल भार्गव सभा’ रखा गया।

कानपुर नगर की स्थानीय भार्गव सभा अपनी जाति की उन सबसे संगठित सभाओं में से है जिसने सदा अपने पूर्वजों स्वर्गीय पं. रामसिंह जी, पं. गिरधरदास जी, पं. हर प्रसाद जी, पं. शंकर लाल जी, पं. दुर्गा प्रसाद जी, पं. अयोध्या प्रसाद जी, पं. मुरलीधर जी एवं बाबूलाल जी आदि की परम्परा का अनुसरण करने तथा सभा के नियमों का पालन करने में अपना गौरव समझा है। हमारे सभी सदस्य पारस्परिक प्रेम और सहयोग के साथ प्रति माह नियमित रूप से मिलते हैं। भार्गव सभा की समाज सुधार समिति के निर्णयानुसार स्थानीय भार्गव सभा सदस्य हर वर्ष भगवान परशुराम जयन्ती, महाराज हेमू दिवस तथा स्वामी चरणदास दिवस प्रेमपूर्वक और सुनियोजित ढंग से मनाते हैं। भार्गव सभा से सम्बद्ध स्थानीय सभाओं के आदर्श स्वीकृत विधान के अनुसार, स्थानीय भार्गव सभा, कानपुर की संशोधित नियमावली 29-1-1984 को सम्पन्न हुए विशेष अधिवेशन में स्वीकृत हुई तथा 13-2-1984 से प्रभावी हुई।

वर्तमान में स्थानीय भार्गव सभा कानपुर में 200 से अधिक परिवार हैं और भार्गव सभा की नियमावली की धारा 15 (अ) 3 के अनुसार तीन प्रतिनिधि भार्गव सभा की प्रबन्धक समिति में चुनकर भेजने का अधिकार है। कानपुर नगर की स्थानीय भार्गव महिला सभा तथा भार्गव नवयुवक संघ जैसे संगठन बड़े क्रियाशील हैं तथा अपनी रुचि के अनुसार, नियमावली के अनुरूप सामाजिक व धार्मिक कार्यों में बड़ी लगन के साथ सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बड़े प्रेमपूर्वक, मिलजुल कर कार्य करते हैं।

हमारी सभा के सदस्यों ने केन्द्रीय भार्गव सभा को समय-समय पर पूरा सहयोग दिया है और प्रतिवर्ष 7 से 8 सदस्य तक प्रबन्धक समिति में सदस्य रूप से अपना योगदान देते हैं। हमारे पूर्वजों में स्वर्गीय पं. श्री रामसिंह जी वकील केन्द्रीय भार्गव सभा की स्थापना के कुछ वर्ष उपरान्त सन् 1895 ई. में उसके प्रधानमन्त्री चुने गए तथा सन् 1906 ई. में उन्होंने केन्द्रीय सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। सन् 1908 ई. में कानपुर निवासी स्वर्गीय पं. दुर्गाप्रसाद जी केन्द्रीय सभा के अध्यक्ष चुने गए। स्वर्गीय पं. रामसिंह जी वकील, सन् 1905 ई. में प्रयाग में तथा सन् 1913 ई. में अजमेर में हुए भार्गव सम्मेलनों के सभापति भी रहे। सन् 1959 ई. में अजमेर में हुए भार्गव सम्मेलन के सभापति पद को कानपुर निवासी पं. अयोध्या प्रसाद जी ने सुशोभित किया।

वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ताओं में पं. प्यारेलाल जी तथा पं. वेद प्रकाश जी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, सन् 1968 ई. में वाराणसी में आयोजित भार्गव सम्मेलन के सभापति होने का गौरव पं. गौरी शंकर जी को मिला तथा सन् 1975 ई. में उन्होंने केन्द्रीय भार्गव सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।

पं. प्यारेलाल जी वर्षों केन्द्रीय सभा के मन्त्री रहे। पं. वेद प्रकाश जी ने 45 वर्षों तक लगातार केन्द्रीय भार्गव सभा के सदस्य के रूप में अपना सहयोग देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया तथा केन्द्र की अनेक समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य रहकर अनमोल सामाजिक सेवा की।

\*\*\*\*\*

केन्द्रीय भार्गव सभा की धार्मिक शिक्षा समिति तथा टैक्निकल शिक्षा समिति के कार्यालय वर्षों से कानपुर में ही स्थित हैं तथा अपना-अपना कार्य बड़े सुचारु रूप से कर भार्गव सभा को पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

सन् 1987 ई. में केन्द्रीय सभा द्वारा सबसे अच्छा कार्य करने वाली स्थानीय सभाओं को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई। स्थानीय भार्गव सभा, कानपुर को सन् 1987 ई. में तृतीय तथा सन् 1988 ई. में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

भार्गव सम्मेलन अपनी जाति का सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी स्थानीय भार्गव सभा को सम्मेलन आयोजित करने का सुअवसर तीन बार सन् 1908, 1928 तथा 1957 ई. में प्राप्त हुआ। हमारी सभा की रजिस्ट्री सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, संख्या 21, सन् 1860 ई. के अधीन दिनांक 3-1-1968 को लखनऊ में हुई।

स्थानीय भार्गव सभा, कानपुर की सन् 1948 ई. में स्थापना के उपरान्त सभा के अध्यक्षों तथा मन्त्रियों के नामों की सूची संलग्न है।

#### भार्गव प्रेम क्लब, कानपुर

	सभापति	मन्त्री
1932	पं. शंकरलाल जी	पं. गौरी शंकर जी
1933	"	"
1934	"	पं. हरज्ञान सिंह जी
1935	"	"
1936	पं. शंकरलाल जी	पं. सुन्दरलाल जी
1937	"	"
1938	"	"

#### स्थानीय भार्गव सभा, कानपुर

1948	पं. शंकर प्रसाद जी	पं. राजेन्द्र नाथ जी
1949	पं. रामदास जी	"
1950	पं. रामदास जी	पं. बलवंत राय जी
1951	पं. हरप्रसाद जी	पं. हर्षवर्धन जी
1952	पं. हरप्रसाद जी	"
1953	पं. प्रेमनाथ जी	पं. सत्य प्रकाश जी
1954	पं. कैलाश प्रसाद जी	पं. रामेश्वर दयाल जी
1955	"	पं. गौरी शंकर जी
1956	पं. देवीसिंह जी	पं. गौरी शंकर जी
1957	पं. गौरी शंकर जी (एडवोकेट)	पं. प्यारेलाल जी
1958	पं. देवीसिंह जी	पं. गौरी शंकर जी
1959	पं. ताराचन्द्र जी	पं. सत्यप्रकाश जी

\*\*\*\*\*

1960	पं. रामेश्वर नाथ जी	पं. प्यारेलाल जी
1961	पं. बलवंत राय जी	पं. जगदीश नाथ जी
1962	पं. कैलाश नाथ जी	पं. गोविन्द शरन जी
1963	पं. कैलाशनाथ जी	पं. सत्य प्रकाश जी
1964	पं. गौरीशंकर जी (एडवोकेट)	पं. धर्मनारायण जी
1965	"	"
1966	"	पं. गोविन्द शरन जी
1967	"	पं. प्यारेलाल जी
1968	पं. गौरीशंकर जी (एडवोकेट)	पं. धर्मनारायण जी
1969	पं. कैलाशनाथ जी	"
1970	"	"
1971	"	"
1972	"	पं. रामेश्वर दयाल भार्गव
1973	"	पं. रामेश्वर दयाल भार्गव
1974	"	पं. धर्मनारायण भार्गव
1975	"	"
1976	पं. रामचन्द्र जी	"
1977	पं. कैलाशनाथ जी	पं. विमल किशोर जी
<b>वर्ष</b>	<b>अध्यक्ष</b>	<b>मन्त्री</b>
1978	पं. मुन्नालाल जी	पं. विमल किशोर जी
1979	पं. मुन्नालाल जी	पं. विमल किशोर जी
1980	पं. कामेश्वर प्रसाद जी (स्वरूप नगर)	पं. योगेन्द्र नाथ जी
1981	पं. गौरी शंकर जी (नोघड़ा)	डॉ. ज्ञान प्रकाश जी
1982	पं. ओंकार नाथ जी	पं. विमल किशोर जी
1983	पं. ओंकारनाथ जी	पं. सत्येन्द्र जी
1984	पं. वेदप्रकाश जी	पं. प्रेमशंकर (नोघड़ा)
1985	पं. रामेश्वर नाथ जी	पं. विमल किशोर जी
1986	पं. राजेन्द्र नाथ जी	पं. लक्ष्मण प्रसाद जी
1987	पं. राजेन्द्र नाथ जी	पं. विमल किशोर जी
1988	पं. राजेन्द्र नाथ जी	पं. विमल किशोर जी
1988	पं. राजेन्द्र नाथ जी	पं. सत्येन्द्र जी
1989	पं. राजेन्द्र नाथ जी	पं. विमल किशोर जी

\* \* \*

## (ब) दिल्ली भार्गव सभा

लेखक : बाल कृष्ण, मन्त्री

हम सब महाऋषि भृगु की संतान कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं। भगवान परशुराम हमारी जाति के ज्योति स्तम्भ हैं। वीर विक्रमादित्य, सम्राट हेमचन्द जी भार्गव हमारी जाति के लिए गौरव ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत की आन हैं। भक्त प्रवर सन्त चरणदास जी का जन्म हमारे लिए गौरव की बात है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक देश व समाज में कुछ ऐसी भी विभूतियाँ होती हैं जिनके सतत प्रयासों एवं सेवाओं से समाज लाभान्वित होता है। आज से लगभग 89 वर्ष पूर्व ऐसी ही महान् विभूतियों ने आपस में प्रेम व भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली हितकारिणी सभा का गठन किया। उस समय दिल्ली बहुत सिकुड़ी थी और भार्गव परिवार दरियागंज व चौदनी चौक के आसपास ही बसे हुए थे। जैसा कि सभा के नाम से पता चलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य भार्गव बन्धुओं की भलाई के लिए काम करना व उसके सुख-दुःख में भागी होना रहा। किन्तु आज की दिल्ली वह दिल्ली नहीं रही। अब हमारे जाति बन्धु दूर-दूर तक दिल्ली में बसे हुए हैं, जिनका आपस में मिलना मुश्किल सा हो जाता है। दिल्ली भार्गव सभा का गठन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है।

दिल्ली भार्गव बन्धु कन्धे से कन्धा मिला कर इस युग में समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सके और समाज में घुसे हुए असामाजिक तत्वों को दूर करने व सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे।

समय परिवर्तनशील है। हमारी सभा का नाम भी दिल्ली हितकारिणी सभा से बदल कर भार्गव यंग मैन एसोसिएशन रखा गया। अनेक वर्षों तक इस नाम से भार्गव बन्धुओं की सेवा होती रही।

सन् 1941 ई. के बाद स्व. पं. हेमचन्द जी ने सत्संग भवन, दरियागंज में एक कमरा देकर भार्गव लायब्रेरी व रीडिंग रूम की स्थापना की। इस कार्य का श्रेय सर्वश्री विष्णु नारायण जी, रामनाथ जी, दया किशन जी, त्रिलोकी नाथ जी और ईश्वर दयाल जी को जाता है। इन महानुभावों के परिश्रम से अनेक वर्षों तक लायब्रेरी का काम सुचारु रूप से चलता रहा।

इसी समय भार्गव स्पोर्ट्स क्लब का भी गठन किया गया, जो हॉकी के लिए खिलाड़ियों को तैयार करता था। उस समय दिल्ली के मुख्य चार कॉलेजों के कप्तान हमारे भार्गव युवा ही थे जो समाज के लिए गौरव की बात थी।

सन् 1943 ई. के बाद भार्गव सभा के आदेशानुसार सभा का नया नाम 'स्थानीय भार्गव सभा' रखा गया जिसके प्रथम प्रधान पं. हरि किशन जी (वकील), मन्त्री श्री रामजीलाल जी (कूँचा दखिनी राय)



\*\*\*\*\*

व कोषाध्यक्ष श्री किशोरी लाल जी बनाए गए। उस समय होली के अवसर पर पं. जय नारायण जी ने जो एक शेर सुनाया उसकी पंक्ति बरबस याद आ जाती है —

जब फूल चन्द जी हों सदर।  
हों रामजीलाल जी मन्त्री अगर॥  
तो क्यों न फूल बिखरेंगे दर ब दर।  
बिखरने भी दो होली है आज मगर॥

स्थानीय सभा के अभी तक निम्न महानुभाव प्रधान व मन्त्री रह चुके हैं :—

#### प्रधान

#### मन्त्री

श्री मुरारी लाल जी	श्री हरिकिशन जी (वकील)
श्री प्रकाश दत्त जी	श्री दीनानाथ जी 'दिनेश'
श्री मनोहर लाल जी	श्री हरिकृष्ण, आईस मशीनरी मार्ट
श्री राघव नाथ जी	श्री निरंजन लाल जी
श्री किशोरी लाल जी	डॉ. पृथ्वी नाथ जी
श्री रविशंकर जी	
श्री योगेश्वर सहाय जी	

सर्वश्री रामजीलाल जी, मोती लाल जी, मुरारी लाल जी, नवीन चन्द्र जी, कृष्ण प्रसाद जी (रतन), मनोहरलाल जी, कृष्ण कुमार जी, रवि शंकर जी, कमलेश्वर प्रसाद जी (लक्ष्मीबाई नगर) मन्त्री/महामन्त्री रहे।

हमारी सभा के हज्जू नाई व श्रीमती खजानी घर-घर जाकर चन्दा एकत्रित करते व एक-दूसरे का कुशलक्षेम तथा निमन्त्रण देने आदि का काम भी करते थे। आपस में प्रेम व भाईचारे का पता इस बात से चलता है कि उस समय प्रत्येक परिवार से एक-एक रुपया लड़के की शादी में घुड़चढ़ी पर व लड़की की शादी में खीसी पर देना अपना सौभाग्य समझते थे। समय में परिवर्तन आया। दिल्ली दूर-दूर तक फैल गई और यह सम्भव नहीं रहा, तब हमारी सभा ने इस परम्परा को जारी रखने हेतु निश्चय किया कि प्रत्येक कन्या के विवाह पर सभा की तरफ से उपहार दिया जाए व मृत्यु पर मृत शरीर पर पुष्पांजलि चढ़ाई जाए।

दिल्ली सभा को अपने समय में कम से कम 4 सम्मेलन करने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा वर्ष में कम से कम एक कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन करने का सौभाग्य मिला। वर्ष 1972 के सम्मेलन के आयोजन से जो बचत हुई उस धन राशि से दिल्ली भार्गव सभा ने एक 'कल्याण निधि' का गठन किया। कल्याण निधि से जरूरतमन्द लोगों को चिकित्सा, विवाह, निराश्रित तथा शिक्षा अनुदान दिए जाते हैं व इन दोनों का विवरण गुप्त रखा जाता है। मेधावी छात्र-छात्राओं को रजत, स्वर्ण पदक व प्लेट देकर सम्मानित किया जाता है।

इस समय दिल्ली भार्गवों का एक गढ़ बन चुका है। यहाँ लगभग 650 परिवार रह रहे हैं। आपस में भाईचारा बढ़े व सब एक-दूसरे के सुख-दुःख में भागी हों, इस उद्देश्य से भार्गव महिला सभा, भार्गव युवा संघ व भार्गव रिक्रेशन क्लब का गठन किया गया। भार्गव महिला सभा आनन्द मेला, युवा संघ दिवाली मेला व भार्गव रिक्रेशन क्लब खेलकूद का आयोजन करती हैं। इन सब संस्थाओं के नाम अलग-अलग अवश्य हैं किन्तु यह सब भार्गव सभा के ही रूप हैं और इन सबका उद्देश्य एक ही है।

बन्धुओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1941 में एक बर्तन फण्ड का गठन किया गया। इस समय हमारे पास गैस के चूल्हों के अतिरिक्त एक साथ चार शादियों के लिए बर्तन देने की क्षमता है। पं. किशोरी लाल जी, सत्संग भवन में एक कमरा देकर इस कार्यभार को सुचारु रूप से चला रहे हैं। हमारी सभा के शादी-विवाह के अवसर पर सत्संग भवन सब बन्धुओं के लिए उपलब्ध होता है।

जनवरी, 1953 में सभा के एक विशेष अधिवेशन में सभा की नियमावली पारित की गई। बाद में 15 जनवरी, 1987 को इसमें संशोधन किया गया। हमारी सभा की नियमावली अखिल भारतीय भार्गव सभा से भी अनुमोदित है।

दिल्ली भारत की राजधानी होने से, दिल्ली के बनने व उजड़ने तथा अपने नाम बदलने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, यह तो वह दिल्ली है जहाँ सन्त चरणदास जी ने तपस्या की थी, वह स्थान, पेड़ जिसके नीचे तपस्या की तथा उनका चौगा आज भी दिल्ली में स्थित है।

इस समय वृहत दिल्ली को सभा ने सुविधानुसार एवं सुचारु रूप से काम चलाने के लिए चार जोन व 24 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है जो अपने क्षेत्र के परिवारों से सम्पर्क स्थापित कर उनका कुशल क्षेम पता करता है और निधन पर पुष्पांजलि व विवाह पर सभा की तरफ से उपहार देना अपना कर्तव्य समझता है। वर्तमान कार्यकारिणी में क्षेत्र प्रतिनिधियों व मनोनीत आमन्त्रित सदस्यों के अलावा निम्न पदाधिकारी हैं :

श्री योगेश्वर सहाय जी	प्रधान
श्री मनमोहन कुमार जी	उपप्रधान
श्री बाल कृष्ण जी	उपप्रधान
श्री ओम प्रकाश जी (शाहदरा)	उपप्रधान
श्री महेन्द्र कुमार जी	उपप्रधान
श्री बाल कृष्ण जी	महामन्त्री
श्री कृष्ण कुमार जी	मन्त्री
श्री जी.एम. सरण जी	मन्त्री
श्री गोपाल कृष्ण जी	मन्त्री
श्री यशोदा नन्दन जी	मन्त्री
श्री अनिल जी	कोषाध्यक्ष
श्री चन्द्रभान जी	लेखा निरीक्षक

दिल्ली सभा भाईचारा व सद्भावना बढ़ाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में मंगल मिलन का आयोजन करती है। भगवान परशुराम, सन्त चरणदास व सम्राट हेमचन्द जी महाराज की स्मृति में विभिन्न समारोह आयोजित करती है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जान सकें व उनके पदचिह्नों पर चल सकें। सभा हर आयु वर्ग के स्त्री-पुरुषों के लिए खेलकूद, नृत्य, गान व फैंसी ड्रेस आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। कम से कम वर्ष में एक पिकनिक व वार्षिक समारोह का आयोजन करती है जिससे लोग एक-दूसरे के अधिक समीप आते हैं। सभा वयोवृद्धों को सम्मानित कर अपने को गौरवान्वित करती है।

हमें भार्गव जाति में जन्म लेने का अभिमान है क्योंकि आँकड़े बताते हैं कि हमारे बन्धु हर क्षेत्र में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अग्रणीय हैं। हमारे रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार, भार्गव पत्रिका, भार्गव समाचार दर्शिका प्रकाशनों को देख कर लोग चकित हो जाते हैं। एक बन्धु से वार्तालाप के द्वारा पता चला कि इतने सुगठित व अनुशासित भार्गव समाज के अलावा अन्य कोई समाज नहीं है।

पिछले 20 वर्षों से 'भार्गव समाचार दर्शिका', सभा व समाज की सेवा कर रही है। हमें इसके लिए बरबस दर्शिका के संस्थापक स्व. श्री नवीन चन्द्र जी की याद आ जाती है जिनका बोया बीज आज फल दे रहा है। इस समय हम सर्वश्री योगेश जी व विष्णु कुमार जी के आभारी हैं जिनके प्रयासों से इसका सफल प्रकाशन सम्भव हो रहा है।

हमारी सभा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सभा होने के नाते अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा शील्ड भी प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता सर्वश्री रविशंकर जी, योगेश जी व बाल कृष्ण जी ने रजत प्लेट लेकर सम्मानित किया।

दिल्ली भार्गव सभा अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ती जा रही है जिसका श्रेय दिल्ली बन्धुओं को व कर्मठ समाज सुधारकों को जाता है। हमारी सभा को शीघ्र ही पंजीकरण संख्या भी प्राप्त होने वाली है।

जो भी मैंने लिखा वह कभी सम्भव नहीं हो पाता यदि पं. किशोरी लाल जी व पं. रवि शंकर जी का नेतृत्व व सहयोग प्राप्त नहीं होता। मैं उनको धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ।

\* \* \*

## भार्गव सभा का इतिहास

शताब्दी वर्ष के पूर्व निर्णय हुआ कि भार्गव समाज के सदस्यों की जानकारी के लिये भार्गव सभा पर एक उत्तम पुस्तक का प्रकाशन किया जाए। सभी सामग्री को एकत्रित कर तथ्यों को रौचकता से प्रस्तुत करने के लिए डॉ. शान्ति प्रसाद भार्गव, जयपुर ने दो वर्ष में अधिक परिश्रम कर इस पुस्तक को एक रौचक क्रमबद्ध स्वरूप दिया। इस पुस्तक की सभा के शताब्दी वर्ष से आज तक विशेष सराहना होती रही है।



स्व. डॉ. शान्ति प्रसाद

### सुपुत्र डॉ. रवि से प्राप्त उनके पिताश्री का जीवन परिचय

मेरे आदरणीय पिताजी का जन्म अक्टूबर 1912 में अलवर में एक साधारण परिवार स्व. श्री प्यारे लाल एवं स्व. श्रीमती चमेली देवी के घर में हुआ था। आप केवल 2 वर्ष के थे जबकि आपके पिताजी का अचानक निधन हो गया। बहुत कठिन परिस्थितियों में माँ एवं भुआवों ने चाचाओं से वित्तीय सहायता लेकर मेरे पिता जी का पालन-पोषण किया गया। दसवीं कक्षा से आपको भार्गव सभा से 10 एवं 15 रुपये की सहायता तथा चाचा श्री गोविन्द प्रसाद जी एवं श्री गणेशी लाल जी की सहायता से आगे पढ़े। दसवीं कक्षा के बाद ट्यूशन करके व भार्गव बोर्डिंग हाउस में रहकर अपना खर्चा चलाया। आगरा कॉलेज से बी.ए. में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक विजेता रहे। आप एल.एल.बी. प्रथम श्रेणी में व इतिहास व राजनीतिशास्त्र में एम.ए. में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए। आपने 1951 में राजनीति शास्त्र में पी.एच.डी. की।

एक बार आगरा से अलवर आते समय पैसे कम होने के कारण एक स्टेशन पहले का टिकट लिया और ट्रेन से उतरकर अलवर तक पैदल गये। सन् 1936 में आपका विवाह स्वर्गीय पंडित पन्नालाल जी की पौत्री कु. रतन देवी से हुआ। सन् 1938 से 1951 तक आप रायपुर, आगरा, भरतपुर, कोटा आदि स्थानों पर इतिहास और राजनीतिशास्त्र के व्याख्याता रहे।

1952 में आप आई.पी.एस. में चुन लिये गये। आप आई.पी.एस. में चुने जाने वाले भार्गव समाज के पहले व्यक्ति थे। आपको आज तक भारतीय पुलिस में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। आपको पुलिस विशिष्ट एवं प्रशंसनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया। सन् 1971 में आई.जी. राजस्थान के पद से सेवानिवृत्त हुए, फिर देवली राजस्थान में राजबन्दियों के शिविर के कमाण्डेन्ट रहे। सन् 1972 से 1977 तक डी.सी.एम. कम्पनी में 5 वर्ष तक कोऑर्डिनेशन एडवाइजर रहे। आपने दो पुस्तकें 'एलिमेन्स ऑफ पॉलिटिकल साइन्स' एवं 'सरल नागरिक शास्त्र' लिखीं।

भार्गव जाति एवं सभा के कार्यों में वे सदैव विशेष रुचि रखते थे। आप कोटा एवं जयपुर सभा के अध्यक्ष रहे। आप 1982 में अखिल भारतीय भार्गव सभा के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। कठिन परिश्रम कर पूरे भारत से साहित्य एकत्र के "भार्गव सभा का इतिहास" पुस्तक को वर्ष 1989 में लिखा। आप 8 वर्ष तक लगातार 'किशोरी रमण शिक्षा उपसमिति, मथुरा' के अध्यक्ष रहे।

— डॉ. रवि भार्गव, पूर्व प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा, 1-एफ-54, विज्ञान नगर, कोटा-324005  
मो.: 09829035880, ईमेल: ravibhargava\_in@yahoo.com